FOR REFERNCE ONLY.

[श माला, खंड 2, अंक 7

मंगलवार, 13 जुलाई, 2004
22 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....57.....
Dated.....3/12/05.....

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

विजय कुमार कौशिक
सहायक सम्पादक

नारद प्रसाद किमोठी
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 7, मंगलवार, 13 जुलाई, 2004/22 आषाढ़, 1926 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		1–3
प्रश्न का मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या 101		19–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या 102 से 121		30–101
अतारांकित प्रश्न संख्या 813 से 949		101–412
सभा पटल पर रखे गए पत्र		413–422
समितियों के लिए निर्वाचन		
(एक)	प्राक्कलन समिति	422–423
(दो)	लोक लेखा समिति	423
(तीन)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	424
(चार)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	424–425
(पांच)	दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट	425–426
(छह)	दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद	426
(सात)	राजघाट समाधि समिति	426–427
(आठ)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट	427
	राजभाषा समिति	428
नियम 377 के अधीन मामले		431–439
(एक)	आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में सिंचाई हेतु वर्षा जल संचयन तकनीक को स्थापित करने के लिए किसानों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	431–432
(दो)	बिहार के हाजीपुर में पासवान चौक तथा मुसरीधरारी बरास्ता जंदाहा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत के कार्य को शुरू करने तथा बाया और नून नदियों पर बने पुलों को भी मजबूत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आलोक कुमार मेहता	432–433

विषय		कॉलम
(तीन)	हरियाणा के फरीदाबाद तथा मेवात क्षेत्रों में अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण किसानों को हो रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अवतार सिंह भडाना	433
(चार)	गुजरात में सहकारी बैंकों के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री दिन्शा पटेल	433
(पांच)	तमिलनाडु के पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंडीपट्टी क्षेत्र में असुरक्षित पेयजल के परिणामस्वरूप व्याप्त बीमारियों का अध्ययन करने हेतु एक केन्द्रीय चिकित्सा दल को तैनात किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जे.एम. आरून रशीद	434
(छह)	उत्तर प्रदेश के महाराजगंज को नेपाल से आरंभ होने वाली नदियों के बाढ़ के पानी से बचाए जाने के लिए नदियों पर तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पंकज चौधरी	434
(सात)	मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक बाईपास का निर्माण करने तथा शाजापुर से देवास के बीच की सड़क को चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावरचन्द गेहलोत	435
(आठ)	उड़ीसा राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत सुकीन्दा और डुबरी क्रासिंग के बीच सड़क की हालत में सुधार लाने तथा पानीकोइली और बरबिल के बीच की सड़क को चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री अनंत नायक	435–436
(नौ)	देश में अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैंटीन तथा चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री बची सिंह रावत 'बचदा'	436
(दस)	देश में विशेषकर केरल में छोटी नावों के मालिकों को बीमा कवर उपलब्ध कराये जाने के लिए आई.आर.डी.ए. नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अब्दुल्लाकुट्टी	436
(ग्यारह)	उत्तर प्रदेश राज्य के गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि के निपटान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाप्रदा	437
(बारह)	उत्तर प्रदेश के बांदा और फतेहपुर जिलों में दूरभाष सेवाओं के उचित रूप से कार्य करने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद	437–438
(तेरह)	महाराष्ट्र में पुणे और नासिक के बीच रेल लाइन के निर्माण की अर्थक्षमता के निर्धारण के लिए पुनः सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता	
	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	438

विषय		कॉलम
(चौदह)	दसवीं पंचवर्षीय योजना में चंदौली वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ परियोजना के प्रस्ताव को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	438–439
(पन्द्रह)	पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के अजाधैया हिल स्टेशन में एक एच.पी.टी. केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बीर सिंह महतो	439
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य		
राज्यों के बीच जल बंटवारे से संबंधित मुद्दे का समाधान तलाशना		459–462
	डा. मनमोहन सिंह	459
रेल बजट, 2004-05—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2004-05		462–703
	श्री हेमलाल मुर्मू	462–464
	श्री एम.एम. पल्लम राजू	465–468
	डा. एम. जगन्नाथ	468–473
	श्री चन्द्रशेखर साहु	473–476
	डा. सिबैस्टियन पाल	476
	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	476–478
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	478–479
	श्री बापू हरि चौरे	479–481
	श्रीमती वी. राधिका सेलवी	481–482
	श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा	482–484
	श्री पी. मोहन	484–486
	श्री पी. करूणाकरन	486
	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	486–487
	श्री अनवर हुसैन	487–489
	श्री सांताश्री चटर्जी	489
	प्रो. बसुदेव बर्मन	490
	श्री जोवाकिम बखला	490–491
	श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	491–494

विषय कॉलम

श्रीमती मिनाती सेन	494–497
श्री अबदुल्लाकुट्टी	497–499
श्री तूफानी सरोज	499–501
श्रीमती प्रतिभा सिंह	501–507
प्रो. चन्द्र कुमार	507–518
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	518–519
श्रीमती पी. सती देवी	519–521
प्रो. के.एस. काटर मोहिदीन	521–523
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	523
श्री विजय कृष्ण	523–524
श्री वीर सिंह महत्तो	524
श्री शैलेन्द्र कुमार	524
श्री लोनाप्पन नम्बाडन	524–526
प्रो. एम. रामदास	526–531
श्रीमती सी.एस. सुजाता	531–533
श्रीमती किरण माहेश्वरी	533–535
श्री सनत कुमार मण्डल	535–537
डा. के.एस. मनोज	537–540
श्री गणेश सिंह	540–541
श्री श्रीचन्द कृपलानी	541–542
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	542–545
श्री एस.पी. सिंह बघेल	545–546
श्री रामसिंह कस्वां	546–547
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर	547–548
श्री जी. करूणाकर रेड्डी	548–549
श्री एस. मल्लिकार्जुनैया	549–550
श्री अलकेष दास	550–551
श्री भवंर सिंह डांगावास	551–553

विषय | कॉलम

श्री एस.के. खारवेनथन 553–555

श्री रूपचन्द पाल 556

श्री हन्नान मोल्लाह 557–558

डा. शफीकुर्रहमान बर्क 559

श्री सीता राम सिंह 560

श्री मधुसूदन मिस्त्री 560–562

प्रो. रासा सिंह रावत 563–566

डा. राजेश मिश्रा 566–569

श्री सीताराम यादव 569–570

श्री लक्ष्मण सेठ 570

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश 570–571

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे 571–572

श्री सुरेश कुरूप 572–574

श्री मोहन सिंह 575–577

सुश्री महबूबा मुफ्ती 578–581

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण 581–582

श्रीमती मेनका गांधी 582–584

श्री प्रबोध पाण्डा 584–587

श्री अब्दुल रशीद शाहीन 587–590

श्री सुनील खां 590–591

श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख 591–592

श्री सुरेश चन्देल 592–598

श्री पुष्प जैन 598–599

श्री चन्द्रभान सिंह 599–600

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 600–601

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर 601–602

श्री पी.सी. गद्दीगठडर 603

श्री एन.एस.वी. चित्तन 603–604

श्री ब्रजेश पाठक 605–607

श्री आलोक कुमार मेहता 607–608

श्री विक्रम केशरी देव 609–613

श्री अमिताभ नन्दी 613–614

विषय	कॉलम
डा. बाबू राव मिडियम	615–616
श्री हरिभाऊ राठौड़	616–617
श्री महेश कनोडिया	617
श्री स्वदेश चक्रवर्ती	617–618
श्री मोहन जेना	618–620
श्री लालमणि प्रसाद	620
श्री राजाराम पाल	620–621
श्री एल. गणेशन	622–624
मो. मुकीम	624
श्रीमती रंजीत रंजन	625–627
श्री पी.सी. थामस	627–631
श्री जे.एम. आरून रशीद	631–632
श्री एस. अजय कुमार	632–634
श्री भर्तृहरि महताब	634–636
श्री किशन सिंह सांगवान	636–638
श्री मंजुनाथ कुन्नर	638–645
श्री धनसिंह रावत	645
श्री पारसनाथ यादव	645–647
श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा	648–649
श्री गणेश प्रसाद सिंह	650–651
श्री अनिल बसु	652
श्री समिक लाहिरी	653–654
श्री सुब्रत बोस	654–655
डा. सुजान चक्रवर्ती	655–656
डा. अरूण कुमार वुन्डावल्ली	656–657
श्री अविनाश राय खन्ना	657–658
श्री असादूद्दीन ओवेसी	659–661
डा. अरूण कुमार शर्मा	662–664
श्री महावीर भगोरा	664–665
डा. रामकृष्ण कुसमरिया	665–666
श्री विजय कुमार खंडेलवाल	666–669

विषय		कॉलम
	श्री निखिल कुमार चौधरी	669–670
	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	670–671
	श्री वरकला राधाकृष्णन	671–672
	श्री पुन्नू लाल मोहले	673–674
	डा. करण सिंह यादव	674–676
	श्री सुभाष महरिया	676–677
	श्री प्रहलाद जोशी	678–679
	श्री राकेश सिंह	679–681
	श्री रामदास बंडु आठवले	681–683
	श्री खारबेल स्वाईं	683–686
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	686–687
	डा. सत्यनारायण जाटिया	687–689
	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	689–690
	चौधरी लाल सिंह	691–693
	श्री एम. शिवन्ना	693–695
	श्री वीरचन्द्र पासवान	695–698
	श्रीमती करूणा शुक्ला	698–699
	श्री प्रदीप गांधी	699–701
	श्री कृष्णा मुरारी मोघे	702–703
	श्री विजेन्द्र पाल सिंह	703
अनुबंध-1		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	704–705
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	705–708
अनुबंध-2		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	708
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	708–710

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष
श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष
श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री गिरिधर गमांग
श्री मानवेन्द्र शाह

महासचिव
श्री गुरदीप चन्द्र मलहोत्रा

---

*भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29.5.2004 को नामनिर्देशित

भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 मई 2004 को निम्नलिखित आदेश जारी किया गया:

''मैं एतद्द्वारा सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी, बालासाहिब विखे पाटील, गिरिधर गमांग और मानवेन्द्र शाह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में नियुक्त करता हूं जिनमें से किसी के भी समक्ष लोक सभा के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के उपबंधों के अनुसार शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
भारत का राष्ट्रपति।''

लोक सभा

मंगलवार, 13 जुलाई, 2004/22 आषाढ़, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों श्री राम किंकर, श्री दौलत मल भंडारी और श्री विट्ठल बाबूराव तुपे के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री राम किंकर 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व, श्री राम किंकर 1952 से 1974 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। विधान सभा में अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान वह फरवरी से जुलाई, 1970 तक उपमंत्री, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा राजस्व और जुलाई से अक्तूबर, 1970 तक बिक्री कर और नवम्बर, 1970 से मार्च 1971 तक वन विभाग के कैबिनेट मंत्री थे।

एक कुशल प्रशासक श्री राम किंकर अगस्त, 1977 से जुलाई, 1978 तक और जनवरी से जुलाई, 1979 तक क्रमशः कार्य और आवास तथा आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालयों में संघ राज्य मंत्री तथा जुलाई, 1979 से जनवरी, 1980 तक निर्माण और आवास तथा आपूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में केन्द्रीय मंत्री थे। बाद में श्री राम किंकर 1980 से 1982 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे।

व्यवसाय से एक कृषक तथा अधिवक्ता, श्री राम किंकर एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे। वह अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक संगठनों से संबद्ध थे।

श्री राम किंकर का निधन 12 सितम्बर, 2003 को 82 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ।

श्री दौलत मल भंडारी 1952 से 1955 तक पहली लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने राजस्थान के जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री भंडारी एक देशभक्त थे तथा उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 में महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने जयपुर में "आजाद मोर्चा" का गठन किया तथा सत्याग्रह आयोजित करने के लिए युवाओं का समर्थन लेना शुरू किया। वह 9 महीनों तक कारावास में रहे। उन्होंने जयपुर राज्य में "प्रजा मंडल" का भी गठन किया तथा स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे समर्पण से काम किया।

श्री भंडारी ने जयपुर राज्य विधान सभा के लिए चुने जाने के पश्चात् वर्ष 1947 में तत्कालीन जयपुर राज्य के विकास और कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री भंडारी एक ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता थे। भारत के विभाजन के दौरान वह सिन्ध और पश्चिमी पंजाब प्रांत से आए हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास में सक्रिय रहे।

कानूनविद् श्री भंडारी बार कौंसिल आफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे। वह 1955 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए तथा 1968 में वहां के मुख्य न्यायाधीश बने। श्री भंडारी ने राजस्थान सरकार द्वारा गठित राजस्व कानून आयोग के सभापति तथा भारत सरकार द्वारा गठित कृष्णा गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह इंडियन ला इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री कालेज के शासी निकाय के सभापति के रूप में भी कार्य किया।

श्री दौलत मल भंडारी का निधन 10 जनवरी, 2004 को 97 वर्ष की आयु में जयपुर, राजस्थान में हुआ।

श्री विट्ठल बाबूराव तुपे 1998 से 1999 तक बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इसके पूर्व श्री तुपे 1974 से 1979 तक पुणे नगर निगम के सदस्य तथा 1978 से 1990 तक तीन कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे।

एक समर्पित सांसद, श्री तुपे 1998 से 1999 तक शहरी और ग्रामीण विकास समिति तथा इसके शहरी कार्य और रोजगार संबंधी

उपसमिति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अन्य विज्ञान विभागों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे।

श्री तुपे व्यवसाय से कृषक थे तथा वह एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे। उन्होंने समाज के निर्धन तथा दलित वर्गों के उत्थान के लिए काफी कार्य किया। उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया।

श्री तुपे अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए थे। वह साणे गुरूजी शिक्षण संस्थान, पुणे; रयात शिक्षण संस्थान महाराष्ट्र के साधना एजुकेशनल काम्प्लेक्स तथा यशवन्त कोआपरेटिव शूगर फैक्ट्री, ध्युयेर, जिला पुणे के चेयरमैन थे। वह 1993 से 1995 तक महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के निदेशक तथा साधना सहकारी बैंक पुणे के सलाहकार भी थे।

श्री विटठल बाबूराव तुपे का निधन कुछ दिन बीमार रहने के पश्चात् 1 जुलाई, 2004 को 64 वर्ष की आयु में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से एवं सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): अध्यक्ष जी, पूरा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है. ...*(व्यवधान)* पूरे महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): महाराष्ट्र में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, अभी मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सुनने दीजिए की आप सभी को क्या कहना है। तभी मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सारा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: सारा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है। *...(व्यवधान)* महाराष्ट्र के लिए 1700 करोड़ रुपये की मांग हमने भारत सरकार से की थी। *...(व्यवधान)* प्राइम-मिनिस्टर जी मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस तरह से कैसे किसी की बात सुन सकता हूं? मैं कैसे एक साथ आप सभी की बात सुन सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक साथ आप सभी की बात कैसे सुन सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: भारत सरकार को वहां की सरकार की सहायता करने की आवश्यकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गंगाराम गीते, आप इस सभा के एक बहुत जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभी एक साथ बोल रहे हैं। मैं एक साथ आप सभी की बात कैसे सुन सकता हूं। कृपया एक-एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(इस समय श्री राम सिंह कस्वां, श्री चन्द्रकांत खैरे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: आप यहां जो मुद्दा उठा रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बारी-बारी से बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं बारी-बारी से आपकी बात सुनूंगा लेकिन पहले आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके आपकी बात सुनूंगा। मैं इस तरह से आपकी बात कैसे सुन सकता हूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि आप यहां कौन सा मुद्दा उठाना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही न चले, तो नहीं चलेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप सब क्या बोले जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें तथा एक-एक करके बोलेंगे, तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मुझे मुद्दे के बारे में पता नहीं है और मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्नकाल शुरू करते हैं और पहला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत खेद की बात है। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। लेकिन पहले आप अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, परन्तु आप मुझे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। मैं आपको कैसे सुन सकता हूं? कृपया अपनी सीटों पर जाइए और एक-एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, हम आपसे प्रश्नकाल शुरू करने का अनुरोध करते हैं। वे इस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते हैं। कृपया प्रश्नकाल प्रारम्भ करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीटों पर जाइए। मैंने माननीय सदस्यों से कहा है कि मैं उनकी बात सुनूंगा। आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तब मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: गम्भीर मुद्दे पर विचार यहां से नहीं होता है, वहां से होता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इसे गंभीर मानते हैं, तो इसे गंभीरता से उठाना चाहिए। मैं आपको अनुमति देने जा रहा हूं, परन्तु आप इसे उठाना नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं वहां किसे रोक सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत गंभीर मामला है, परन्तु इसे सभा के बीच में आकर नहीं उठाया जा सकता है। कृपया अपनी सीटों पर जाइए। मैं आपको अनुमति दूंगा। कार्यवाही शुरू होते ही आपने यहां आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। आप मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं और मैं सभा को स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें। यहां कुछ मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। चन्द्रकांत जी माफ कीजिए। मुझे आपसे काफी स्नेह है। कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। मैं आपको मौका कैसे दे सकता हूं? जब तक आप अपनी सीटों पर नहीं चले जाते हैं, मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूं? मैं आपको अवसर देना चाहता हूं परन्तु ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बात नहीं कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं परन्तु आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने यहां से जो कुछ कहा है मैं उस पर ध्यान नहीं दे सकता हूं। अपनी सीट पर जाइए। आपने मुझे आधे मिनट की भी अनुमति नहीं दी है। अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सहयोग के लिए तैयार हूं परन्तु आप नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यदि सब बोलेंगे, तो मुझे कैसे सुनायी देगा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिए। मैं आपकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया वहां जाइए। यदि आप कार्यवाही में बाधा डालना चाहते हैं, तो यह आप पर है, परन्तु मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या मैंने किसी को बोलने से मना किया है? मामला क्या है यह जाने बिना, मैं कैसे कुछ भी कह सकता हूं? क्या यह स्थान बात करने के लिए है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा के बीच जो कुछ कहा गया है उसमें कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये, रिकार्ड होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम आपको परमिशन देने के लिए तैयार हैं, क्या आप नहीं बोलना चाह रहे हैं? आप अपनी जगह पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम उसके लिए रैस्पौंसिबल नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम यहां से नहीं सुनेंगे। पहले आप अपनी सीट पर जाइये। हम हाउस चलाने के लिये हैं और आपको मौका देना चाह रहे हैं। क्या आप मौका नहीं चाहते हैं? क्या आप अपनी सीटों पर नहीं जाना चाहते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कह रहे हैं? यहां से बोलने का कोई मौका नहीं है। आप पहले अपनी सीटों पर जाइये और वहां जाकर बोलिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपने मुझे आपकी मदद करने का मौका दिया?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने बोलने के लिये क्या नोटिस दिया है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने कहा था कि आप बोलना शुरू कीजिए, हम सबको बुलायें। लेकिन हमें आपने मौका ही नहीं दिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है मैं सभा स्थगित नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने साथियों को यहां से जाने के लिए बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप वहां जाइये, आपने मुझे एक सैकिंड भी मौका नहीं दिया। मेरे यहां बैठने के तुरंत बाद आप लोग खड़े हो गये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरे ऊपर दबाव न बनाएं।

पूर्वाह्न 11.28 बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप यहां से जाइये, आप अपना केस खराब कर रहे हैं। आपने मुझे एक सैकिंड भी मौका नहीं दिया। मेरे यहां बैठने के तुरंत बाद आप यहां चले आये। हम कैसे काम करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। मैं दबाव में नहीं आऊंगा।

पूर्वाह्न 11.29 बजे

(इस समय श्री राम सिंह कस्वां तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको यहां आने पर बोलने का मौका नहीं देंगे, वहां वापस जाने पर मौका देंगे। हम राजी हो गये थे, आप उन लोगों से पूछिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब पहले सभा में व्यवस्था बनने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, ऐसे टोका-टाकी करेंगे तो हम किसी को चांस नहीं देंगे, हम आपको नहीं बुलायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने किसी माननीय सदस्य को कभी मना नहीं किया है। प्रो. रासा सिंह रावत मेरे पास आये। मैंने कहा: ''मैं आपको पहले बोलने की अनुमति दूंगा, तब मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप 'शून्य काल' में विस्तार से बोलना। आपने मुझे आधा सैकेण्ड का समय भी नहीं दिया। जैसे ही मैं यहां बैठा, आप सभी खड़े हो गये और सभा के बीच आ गये। मैं यह सुन भी तो नहीं सकता की क्या कहा जा रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: सर, हम पी.एम. से मिलने गये थे, लेकिन हमें पी.एम. ने मिलने का समय नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम पी.एम का समय तय नहीं करते।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री से मिलने के समय के लिए अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): जब कभी क्वश्चैन आवर सस्पैन्ड करने का नोटिस होता है,

[अनुवाद]

तो यह एक परिपाटी है जो विगत छ: वर्षों से चल रही है कि बोलने का मौका दिया जाता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने टाइम ही नहीं दिया।

[अनुवाद]

मेरे कुर्सी पर बैठने के आधा सैकिण्ड के अन्दर ही आप यहां बीच में आ गये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे): कितनी बार प्रश्नकाल स्थगित किया गया है? अब प्रश्न काल प्रारम्भ किया जाए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, कृपया अब बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप यह आधा-घण्टे पहले कर सकते थे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम सुन रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यदि आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): सरकार ने 500 करोड़ रुपये दिये हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया बैठिए। मैं आपको उचित समय पर मौका दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, मात्र श्री गीते जी का भाषण ही कार्यवाही-वृतांत में जाएगा और कुछ नहीं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, प्रश्न काल का महत्व हम भी जानते हैं, सारा सदन जानता है। यह पहली बार नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)* आप सुनिये। आप सुनना नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, आज पूरा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है। आज जुलाई की 13 तारीख है और जो आंकड़े हमारे पास यहां पर हैं, उसके अनुसार महाराष्ट्र में जो 33 जिले हैं, उनमें से 12 जिलों में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। छः जिले ऐसे हैं जहां पर 10 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है। छः जिले ऐसे हैं जिनमें 20 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है और चार जिले ऐसे हैं जहां 25 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। इसका मतलब यह है कि सारा महाराष्ट्र आज सूखे की चपेट में है। अध्यक्ष जी, पिछले चार सालों में महाराष्ट्र के अलग-अलग भागों में यह सूखा पड़ा-कभी पश्चिम महाराष्ट्र में, कभी मराठवाड़ा में, कभी विदर्भ में, लेकिन दुर्भाग्य है कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, प्रश्नकाल के बाद मैं आपको पूर्ण अवसर दूंगा। मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* मैंने क्वश्चैन आवर सस्पैन्ड करने का नोटिस दिया है। आप सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, जारी रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल को स्थगित नहीं किया गया है क्योंकि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं मिली है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल के स्थगन के बाद क्या होगा? कृपया जारी रखिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: यह महाराष्ट्र के सात करोड़ किसानों का सवाल है। *...(व्यवधान)* प्रश्न काल का महत्व हम भी जानते हैं। हमने भी प्रश्न दिये हैं। सारे महाराष्ट्र में 25 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में एक बार बीज बोया गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। फिर दोबारा बीज बोया गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। फिर तीसरी बार बीज बोया गया लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। कोंकण में पहली बार बीज बोया गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। फिर वर्षा हो गई, फसल आ गई। जब हम चावल और धान की फसल करते हैं तो वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल सूख गई, हम नहीं लगा पा रहे हैं। आज सात करोड़ किसान महाराष्ट्र में हैं। पूरा महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है। अध्यक्ष जी, हमने इस सवाल को उठाने के लिए 5 तारीख को प्रधान मंत्री जी से समय मांगा था। हमने अपनी बात प्रधान मंत्री जी के पास रजिस्टर करवाई कि आप समय दीजिए, हमें महाराष्ट्र के सूखे के ऊपर आपको मैमोरण्डम देना है। 6 तारीख को हमने लिखित पत्र दिया। आज 13 तारीख है। पार्टी के नाम पर हमने समय मांगा कि महाराष्ट्र के किसान सूखे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें वहां से समय नहीं मिला। यह सरकार किसानों के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब बहस नहीं हो सकती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आप सुनिये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब मैं श्री पाटिल को बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनिए। कल रात को 10 बजकर 20 मिनट पर मुझे पी.एम.ओ. से फोन

आया कि आपने पी.एम. से मिलने हेतु समय मांगा है, मैंने कहा हां, समय मांगा है। आज जब सुबह 10 बजकर 11 मिनट पर हमने यह डिसाइड किया कि यदि पी.एम. मिलने का समय नहीं देते हैं, तो किसानों की आवाज हम सदन में उठाएंगे और इसीलिए आज हमने क्वश्चन आवर सस्पेंड करने और उनकी आवाज को सदन में उठाने का काम कर रहे हैं।

महोदय, महाराष्ट्र की सरकार हर स्तर पर सूखे का सामना करने में असफल रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: परन्तु आपने एक शब्द भी नहीं कहा है तो फिर प्रश्नकाल क्यों स्थगित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्नकाल के स्थगन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। श्री गीते इतना काफी है। अब मैं श्री पाटिल को अनुमति दूंगा, वह भी महाराष्ट्र से हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, हम वही कह रहे हैं। आप मेरी सुन लीजिए। यह महाराष्ट्र के सूखे का सवाल है। महाराष्ट्र के सात करोड़ किसानों का सवाल है। महाराष्ट्र सरकार हर स्तर पर पूरी तरह असफल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से 1700 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। महाराष्ट्र के सात करोड़ किसानों के जीवन-मरण का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, इसकी सीमा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको अनुमति दी यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रश्नकाल के स्थगन के बाद क्या होगा यह नहीं बताया गया था, उसका प्रस्ताव नहीं था।

अब श्री पाटिल—वह भी महाराष्ट्र से हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं श्री पाटिल को अनुमति दूंगा वे भी महाराष्ट्र से ही हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, हम वही कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि प्रश्न-काल को स्थगित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक साल में 235 किसानों ने आत्महत्या की है। यदि आंध्र प्रदेश के किसान आत्महत्या करते हैं, तो प्रधान मंत्री तुरंत वहां जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 235 किसानों ने एक साल में आत्महत्या की है और प्रधान मंत्री जी ने वहां जाने का कष्ट नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट इन्तजार कीजिए। मुझे सभा को नियंत्रित करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में क्या चल रहा है? पहले बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल को स्थगित करवाना चाहते हैं। मेरे यहां बैठने के आधे सैकिण्ड में आप सब कुछ कहना प्रारम्भ कर देते हैं और मैं कुछ नहीं सुन पाता हूं। तब आप सभा के बीच में आ जाते हैं, और आधा घन्टा बीत जाता है। परन्तु आपने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा कि प्रश्न-काल को क्यों स्थगित करना चाहिए। मामला महत्त्वपूर्ण है और मैंने इससे इंकार नहीं किया है। परन्तु इसे कैसे उठाया जाये?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल के स्थगन के बाद क्या होगा? इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, आपको चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अनुरोध कर चुके हैं। आप काफी समय तक बोल सकते थे और मैं भी प्रश्न काल के बाद आपको काफी समय दे सकता था। परन्तु आपमें धैर्य नहीं है।

जब प्रो. रासा सिंह रावत अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मेरे पास आये तो मैंने कहा कि यदि वे प्रश्नकाल के दौरान कुछ कहना चाहते हैं, तो वे बता सकते हैं और मैं उन्हें प्रश्न काल के बाद वह महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति दूंगा।

किन्तु आप लोग मुझे सहयोग नहीं दे रहे हैं। अड़तीस मिनट बीत चुके हैं और कोई कार्य नहीं हो पाया है।

अब, मैं श्री पाटील को बोलने की अनुमति देता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, हमने क्वश्चन आवर सस्पेंड का जो नोटिस दिया है, वही हम यहां कहने जा रहे हैं। हम प्रश्न-काल को इसलिए स्थगित कराना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में एक वर्ष में 235 किसानों ने आत्महत्या की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलते रहिए; पूरा देश हमें देख रहा है। आप बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में 235 किसानों ने एक वर्ष में आत्महत्या की है। यदि आंध्र प्रदेश में किसान आत्महत्या करते हैं, तो प्रधान मंत्री वहां तुरन्त जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते हैं, तो वे उनकी हालत देखने जाना पसन्द नहीं करते हैं। उन्हें महाराष्ट्र के किसानों की कोई परवाह नहीं है। आज भारत सरकार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ श्री पाटील का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

हां, श्री पाटील, मैंने आपको मौका दिया है। आप अपनी बात रखिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील (इरन्दोल): अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वश्चन आवर सस्पेंड करने का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र एक-तिहाई राजस्व दे रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।

श्री गीते, अगर आप मुझे सहयोग नहीं देंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र से एक-तिहाई राजस्व भारत सरकार को मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के बाद इस विषय को उठाने की अनुमति दूंगा।

अब, प्रश्न सं. 101, श्री उदय सिंह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के बाद आपको अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रश्न काल के बाद आपको अनुमति दूंगा।

पूर्वाह्न 11.40 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों की पारेषण और वितरण क्षति

***101. श्री उदय सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की पारेषण और वितरण क्षति बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की पारेषण और वितरण क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की पारेषण और वितरण क्षति को कम करने के लिए कोई योजना तैयार की है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। कुछ राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों के पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों में वृद्धि की सूचना दी गई है। वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों में हुई पारेषण एवं वितरण हानियों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी, हां। सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, राजस्व संग्रहण में वृद्धि तथा बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि के उद्देश्य से उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार वर्ष 2001-02 से त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) कार्यान्वित कर रहा है।

(घ) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम ऐसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिन्होंने वर्ष 2001-02 की तुलना में 2002-03 में सुधार हासिल करने की सूचना दी है।

अनुबंध

राज्यों/यूटी में पारेषण व वितरण, रूपांतरण का प्रतिशत (गैर-लेखा परीक्षित ऊर्जा सहित)

(स्रोत—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

क्षेत्र/राज्य/यूटी	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	39.82	39.22	37.65
हिमाचल प्रदेश	23.38	25.55	21.16
जम्मू-कश्मीर	45.39	48.85	45.55
पंजाब	26.58	27.70	24.42
राजस्थान	29.76	43.06	42.61
उत्तर प्रदेश	36.94	37.62	34.16
उत्तरांचल	–	32.39	25.17
चंडीगढ़	25.41	24.97	24.06
दिल्ली	44.27	43.97	45.82
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	28.14	26.87	28.52
मध्य प्रदेश	46.07	44.55	43.31
छत्तीसगढ़	–	33.75	37.86
महाराष्ट्र	33.81	37.28	34.01
दादर और नागर हवेली	39.84	27.22	40.26
गोवा	28.70	25.18	40.26
दमन और दीव	11.38	7.52	14.95
दक्षिण क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	36.63	26.81	30.11
कर्नाटक	34.93	33.83	24.57
केरल	18.44	32.21	27.45
तमिलनाडु	15.72	16.06	17.31

1	2	3	4
लक्षद्वीप	6.71	10.94	11.29
पांडिचेरी	7.93	12.00	21.10
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	17.86	51.70	37.98
झारखंड	–	26.39	21.19
उड़ीसा	44.91	47.34	45.36
सिक्किम	24.98	31.73	54.85
पश्चिम बंगाल	29.44	31.67	25.93
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	17.49	29.20	19.78
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
असम	40.71	42.78	38.30
मणिपुर	58.49	62.35	63.66
मेघालय	20.97	22.66	21.92
नागालैंड	24.60	52.32	56.71
त्रिपुरा	43.89	40.38	40.64
अरूणाचल प्रदेश	34.41	53.58	38.95
मिजोरम	45.42	49.77	46.91
अखिल भारत	32.86	33.98	32.54

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री उदय सिंह: श्रीमान, मेरा प्रश्न पारेषण और वितरण क्षति से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। कृपया सहयोग दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद में आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री उदय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का संबंध *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न-काल सस्पेंड करने का नोटिस दिया है, वह इस वजह से दिया है कि महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पर अकाल होने के बावजूद केन्द्र की सरकार वहां ध्यान नहीं दे रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री उदय सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: माइक बंद है। *...(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: माइक क्यों बंद कर दिया? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने कुछ नहीं किया।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: प्रधानमंत्री जी को इस संदर्भ में बयान देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री उदय सिंह, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी सूचना अस्वीकार कर दी है।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.42 बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: आपने इन्हें बोलने की परमीशन क्यों नहीं दी? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने परमीशन दी थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इन्हें टाइम दिया है, ये बोले हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बात सही नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आप लोगों से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने आपको बोला है कि हम आपको प्रश्न-काल के बाद एलाऊ करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने शुरू किया है, हमने सुना है, जबकि आपका नोटिस भी नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह नहीं हो सकता, आप चलाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी सूचना अस्वीकार कर दी है। आप कितनी देर तक ऐसा करते रहेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सही बात नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने आपकी आवाज बन्द नहीं की, हमने आपको बोलने दिया। गीते जी ने उसमें इण्टरप्ट किया, हमने जब उनको बुलाया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग हमें प्रेशराइज मत करो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह निवेदन करने का उचित स्थान नहीं है। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सिर्फ मेरी सभा नहीं है। यह आपकी सभा भी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने गीते जी को मौका नहीं दिया क्या?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगह पर जाकर बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप जो कर रहे हैं उसे देश को देखने दीजिए। मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह वहां से बोलना चाहिए। हमने गीते जी को मना नहीं किया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या किया, वह भी बोलेंगे। हम आपको बोलने का मौका देंगे। आपको क्वश्चन आवर के बाद 10 मिनट देंगे। अभी आप सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके यहां खड़े होने से हम हाउस को एडजर्न नहीं करेंगे। आप कितनी देर तक ऐसा करेंगे? आप अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं मानता हूं कि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यहां बोलने से कुछ नहीं होगा। आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने के लिए किसने मना किया है? क्या 50 मैम्बर्स एक साथ बात करेंगे? आप सब अपनी-अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: भार्गव जी, आप इतने सीनियर मैम्बर हैं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा लेकिन पहले आप अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने का मौका कैसे दूं? यहां से मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे सकता। आप पहले अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.53 बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: अध्यक्ष महोदय, आप हाउस में माइक बंद कर देंगे तो क्या हम बोलेंगे नहीं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं मात्र एक प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

क्या हाउस में माइक बंद कर दिये गये हैं? *...(व्यवधान)* माइक कैसे बंद किये गये हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माइक चालू किये जायें।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, माइक बंद क्यों किये गये? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हाउस की जो फिल्म बन रही है, वह हम सबको दिखायेंगे?

...(व्यवधान)

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं कि माइक क्यों बंद कर दिये गये? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील अब बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वैश्चन आवर सस्पेशन का नोटिस इसलिए दिया क्योंकि महाराष्ट्र में काफी बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा है। *...(व्यवधान)*

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, पहले आप यह बताइये कि माइक क्यों बंद कर दिये गये? *...(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जैसे ही बोलने की परमीशन दी वैसे ही माइक बंद हो गये। पहले आप मुझे इसका कारण बताइये कि माइक क्यों बंद किये गये? *...(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: इसका मतलब किसानों की आवाज बंद करना है, महाराष्ट्र के लोगों की आवाज बंद करना है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। आप क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार है। *...(व्यवधान)* वहां पांच सौ से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। कई सालों से राज्य शासन उन लोगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। *...(व्यवधान)* वहां कई जानवर भी मर गए हैं। इतने बड़े पैमाने पर अकाल होने के बावजूद राज्य शासन किसानों और अकाल से पीड़ित लोगों को राहत नहीं दे रहा है। *...(व्यवधान)* यह बहुत सीरियस बात है। जब हमारे लोग प्रधान मंत्री जी से ऐप्वाइंटमैंट लेकर इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं तो उनको 6-7 दिन तक ऐप्वाइंटमैंट नहीं दी जाती। *...(व्यवधान)* इसका मतलब प्रधान मंत्री को आंध्र प्रदेश की जरूरत है, बिहार की जरूरत है, दूसरे राज्यों की जरूरत है लेकिन महाराष्ट्र की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से विनती करता हूं कि राज्य शासन ने 1700 करोड़ रुपये की जो मांग की है, उसे ऐनाउंस करने को कहिए। *...(व्यवधान)* महाराष्ट्र के किसानों को कितनी राहत राशि कितने दिन में मिल सकेगी, इसकी ऐनाउंसमैंट प्रधान मंत्री जी को हाउस में करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, क्या आपने अपनी बात समाप्त कर ली है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: कृपया इसके बारे में बताइए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ भी हुआ है, मैं उसकी पूरी फिल्म दिखाऊंगा। तब आपको अहसास होगा। मैं वह फिल्म सभी को दिखाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: आप क्वेश्चन आवर को सस्पैंड कीजिए, यह मेरी रिक्वैस्ट है। *...(व्यवधान)* आज हमें इस बारे में चर्चा करने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रो. रासा सिंह रावत को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको अपने दोस्त बोलने नहीं देते, हम क्या करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रो. रासा सिंह रावत को बोलने के लिए कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रो. रासा सिंह रावत, आपका विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रो. रावत, मैंने आपको बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो जीवन रेखा है *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र का क्या हुआ। सरकार का कोई रिस्पौंस नहीं है। *...(व्यवधान)* सरकार को अवश्य जवाब देना चाहिए। *...(व्यवधान)* महाराष्ट्र के किसानों के बारे में सरकार कुछ रिस्पौंस तो करे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप जवाब देना चाहते हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: प्रधान मंत्री जी सूखे के बारे में बयान दें। *...(व्यवधान)*

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, हमें प्रधान मंत्री ही चाहिए। *...(व्यवधान)*

मध्याह्न 12.00 बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शहरी अवसंरचना और भू-सम्पदा विकास में विदेशी निवेश

***102. श्री पी.एस. गड्डावी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शहरी अवसंरचना और भू-संपदा विकास को विदेशी निवेशकों के लिए खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी निवेशकों ने इन क्षेत्रों में अपनी रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो शहरी विकास में विदेशी निवेशकों द्वारा कुल कितना निवेश किया जाना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) स्थावर संपदा और आवास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत्य नहीं है। तथापि, यह सभी मैट्रोपोलिटन शहरों में जलआपूर्ति एवं सफाई, सड़कों और द्रुत जन परिवहन प्रणालियों, जिसमें उनसे संबद्ध आटोमेटिक रूट पर स्थावर संपदा का वाणिज्यिक विकास शामिल है, जैसी शहरी अवस्थापना में अनुमत्य है।

एकीकृत उपनगरों के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी सरकार की पूर्व मंजूरी से अनुमत्य है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्र सरकार ने अब तक गुड़गांव, हैदराबाद (दो परियोजनाएं) मोहाली, बंगलौर और चेन्नई में एकीकृत उपनगरों के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमोदित किया है। चैन्नई को छोड़कर सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 5184.00 करोड़ रु. है। चैन्नई एकीकृत उनगर की अनुमानित

लागत उपलब्ध नहीं है। इन परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस प्रकार है:

1. गुड़गांव : 15 मिलियन अमरीकी डालर
2. हैदराबाद (2 परियोजनाएं) : 10 मिलियन अमरीकी डालर (प्रत्येक मामले में 5 मिलियन अमरीकी डालर)
3. मोहाली : 500 करोड़ रु.
4. बंगलौर : 5 मिलियन अमरीकी डालर
5. चैन्नई : 5.86 मिलियन अमरीकी डालर।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए विशेष सहायता

***103. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के अवसंरचना विकास के लिए विशेष सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो राज्यों द्वारा चलाई जा रही हैं; और

(घ) ऐसी योजनाओं के लिए आबंटित की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) सरकार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को समर्पित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं तैयार करने पर विचार कर रही है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए बाह्य सहायता-संसाधन उपलब्ध हो सकें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और पूर्वोत्तर राज्यों से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी।

उर्वरक नीति

***104. श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उर्वरक नीति की समीक्षा करने की कोई योजना है ताकि नए मूल्य निर्धारण मानदण्डों के अंतर्गत उर्वरक उत्पादकों को अपने उत्पाद खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कोई समिति गठित की गई है कि उर्वरकों के वितरण से नियंत्रण हटा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना के तहत वर्तमान में 50% यूरिया का वितरण नियंत्रणमुक्त है और चालू खरीफ (1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2004 तक) मौसम में उत्पाद अपने 50% उत्पादन को अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्यों पर देश में कहीं भी खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। यह विभाग खरीफ 2004 मौसम के बाद नई मूल्य निर्धारण योजना के तहत वितरण नियंत्रण समाप्ति की सीमा से संबंधित नीति की आवश्यकता पड़ने पर समीक्षा करेगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्र

***105. श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत कई माह से इन केन्द्रों में विशेषकर जन-जातीय क्षेत्रों में पौष्टिक आहार की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्यों में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक संख्या में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 2004 में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के मानकों के अनुसार पूरक पोषाहार प्रदान करने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अन्तर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों में से लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार सभी लाभार्थियों को पूरक पोषाहार की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से लगातार अनुरोध करती रही है। उच्चतम न्यायालय ने भी सभी लाभार्थियों को स्कीम के मानकों के अनुसार पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं।

(घ) और (ङ) 31.3.2004 तक की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत 744673 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 649307 केन्द्र परिचालित हैं। राज्यों से सभी लम्बित 95366 आंगनवाडी केन्द्रों को 30.6.2004 तक परिचालित करने के लिए कहा गया है। सरकार संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन आई.सी.डी.एस. स्कीम को यथासम्भव सर्वसुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ियों की संख्या		
		भारत सरकार द्वारा स्वीकृत	परिचालित	परिचालन हेतु लम्बित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	54312	53564	748
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	2286	73
3.	असम	25416	25302	114
4.	बिहार	60813	24871	35942
5.	छत्तीसगढ़	20289	20277	12
6.	गोवा	1012	1012	0
7.	गुजरात	37961	35441	2520
8.	हरियाणा	13546	13546	0
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	7354	0
10.	जम्मू-कश्मीर	11821	10227	1594
11.	झारखण्ड	15505	14967	538
12.	कर्नाटक	40301	40301	0

1	2	3	4	5
13.	केरल	25393	24415	978
14.	मध्य प्रदेश	49784	48824	960
15.	महाराष्ट्र	62716	58109	4607
16.	मणिपुर	4501	4499	2
17.	मेघालय	2218	2217	1
18.	मिजोरम	1361	1341	20
19.	नागालैण्ड	2770	2770	0
20.	उड़ीसा	34201	34201	0
21.	पंजाब	15829	14016	1813
22.	राजस्थान	35821	35686	135
23.	सिक्किम	500	500	0
24.	तमिलनाडु	42377	30059	12318
25.	त्रिपुरा	3786	3692	94
26.	उत्तर प्रदेश	103104	75005	28099
27.	उत्तरांचल	6378	5924	454
28.	पश्चिम बंगाल	57540	53354	4186
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	527	429	98
30.	चण्डीगढ़	300	300	0
31.	दिल्ली	3902	3842	60
32.	दादरा और नागर हवेली	138	138	0
33.	दमण और दीव	87	87	0
34.	लक्षद्वीप	74	74	0
35.	पाण्डिचेरी	677	677	0
	अखिल भारत	744673	649307	95366

विवरण II

पूरक पोषाहार प्रदान कर रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ियों की संख्या								
		जनवरी, 2004			फरवरी, 2004			मार्च, 2004		
		परिचालित केन्द्र	रिपोर्टिंग केन्द्र	रिपोर्टिंग केन्द्र मानकों के अनुसार पू. पो. प्रदान कर रहे केन्द्र	परिचालित केन्द्र	रिपोर्टिंग केन्द्र	मानकों के अनुसार पू. पो. प्रदान कर रहे केन्द्र	परिचालित केन्द्र	रिपोर्टिंग केन्द्र	मानकों के अनुसार पू. पो. प्रदान कर रहे केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	53556	53556	50584	53556	53584	50584	53564	53561	49219
2.	अरुणाचल प्रदेश	2282	1530	1035	2285	1499	1104	2286	1344	796
3.	असम	25302	रिपोर्ट नहीं	रिपोर्ट नहीं	25302	रिपोर्ट नहीं	रिपोर्ट नहीं	25302	24894	20185
4.	बिहार	18313	रिपोर्ट नहीं	रिपोर्ट नहीं	24871	21371	15773	24871	20739	14122
5.	छत्तीसगढ़	20209	20209	19296	20209	20209	19296	20277	20227	19325
6.	गोवा	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012
7.	गुजरात	34162	34162	30769	34162	34162	30769	35441	35149	31606
8.	हरियाणा	13546	13546	13546	13546	13546	13546	13546	13546	13546
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	7354	7354	7354	7354	7354	7354	7354	7354
10.	जम्मू-कश्मीर	10227	10014	6753	10227	10014	6753	10227	10014	6753
11.	झारखण्ड	14402	14402	8068	14402	14402	8068	14967	14402	8492
12.	कर्नाटक	40290	40290	39248	40290	40290	39248	40301	40290	39248
13.	केरल	24412	24412	23866	24413	24413	24023	24415	24413	24206
14.	मध्य प्रदेश	48197	48197	40649	48197	48197	40649	48824	48643	40942
15.	महाराष्ट्र	58101	58101	48351	58101	58101	48351	58109	58116	49808
16.	मणिपुर	4498	4498	553	4498	4498	553	4499	4499	239
17.	मेघालय	2214	2214	2214	2215	2215	2215	2217	2217	2217
18.	मिजोरम	1341	1283	692	1341	1283	692	1341	1283	692
19.	नागालैण्ड	2614	2594	2594	2614	2594	2594	2770	2623	2618
20.	उड़ीसा	33001	33001	33001	33001	33001	33001	34201	33670	33458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	पंजाब	14007	14007	14007	14008	14008	14008	14016	14016	14016
22.	राजस्थान	35643	35643	32269	35654	35654	33151	35686	35657	28609
23.	सिक्किम	499	499	499	499	499	499	500	499	499
24.	तमिलनाडु	30059	30059	30059	30059	30059	30059	30059	30059	30059
25.	त्रिपुरा	3679	3679	2811	3679	3679	2811	3692	3679	2811
26.	उत्तर प्रदेश	60184	60184	44885	75005	75005	41584	75005	75005	41584
27.	उत्तरांचल	5402	5344	105	5661	5661	1367	5924	5770	2075
28.	पश्चिम बंगाल	52717	52717	29240	52717	52717	29240	53354	53066	31238
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	429	429	429	429	429	429	429	429	429
30.	चण्डीगढ़	300	300	300	300	300	300	300	300	300
31.	दिल्ली	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842	3842
32.	दादरा और नागर हवेली	138	138	138	138	138	138	138	138	138
33.	दमण और दीव	87	87	87	87	87	87	87	87	87
34.	लक्षद्वीप	74	74	74	74	74	74	74	74	74
35.	पाण्डिचेरी	677	677	677	677	677	677	677	677	677
	अखिल भारत	622770	578054	489007	644425	614574	503851	649307	641294	522276

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें

*106. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:***
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी. की अन्य विषयों सहित स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की वर्तमान पुस्तकों की समीक्षा करने हेतु सुविख्यात इतिहासकारों की एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति की निबन्धन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या वर्ष 2004-05 के शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थी इतिहास की इन वर्तमान पुस्तकों का अध्ययन करेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाठ्यपुस्तकों में संशोधनों के मद्देनजर विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) जी, हां। इस पैनल में तीन सुप्रसिद्ध इतिहासकार शामिल हैं नामत: प्रो. एस. सत्तार, वर्तमान में डा. एस. राधाकृष्णन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, बंगलौर में विजिटिंग प्रोफेसर तथा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष, प्रो. जे.एस. ग्रेवाल, गुरूनानक देव विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा शिमला स्थित भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक और प्रो. वरूण डे, आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता के प्रथम निदेशक। इस पैनल के समक्ष विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

''राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में साम्प्रदायिकता तथा अपर्याप्ता संबंधी मुद्दों की ओर काफी समय से आम लोगों तथा शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित हुआ है। वर्तमान वर्ष के लिए अधिकतर पाठ्य-पुस्तकें मुद्रित हो गई हैं और इन पुस्तकों के आधार पर बहुत से स्कूलों में शिक्षण का कार्य शुरू हो गया है। अत: इस समय इन पुस्तकों को वापस लेना तथा लाखों छात्रों की पढ़ाई में बाधा पहुंचाए बिना इन पुस्तकों के स्थान पर उचित तथ्यों वाली पाठ्यपुस्तकें शामिल करना व्यावहारिक नहीं होगा। तथापि, हमारी इस असमर्थता के कारण ऐसा न हो कि बच्चों को साम्प्रदायिक विचार तथा इतिहास के तोड़े-मरोड़े तथ्य पढ़ने पड़ें। एक दीर्घकालीन उपचारात्मक उपाय करने के लिए प्रक्रियाएं आरम्भ की गई हैं जिसमें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करना तथा एक अल्पावधिक उपाय के रूप में पाठ्यचर्या ढांचे की समीक्षा करने की प्रक्रिया आरम्भ करना शामिल है। अब यह आवश्यक समझा गया है कि इन पुस्तकों की अधिक विश्वसनीयता वाले विख्यात इतिहासकारों के एक पैनल से तत्काल समीक्षा कराई जाए जो तत्काल की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देंगे। यदि वे इस संबंध में कोई सिफारिश करें तो सरकार राष्ट्रीय शाक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह निदेश देगी कि वे शिक्षकों को उन सिफारिशों के अनुसार पाठ्यचर्या संशोधित करने के निर्देश दें। विशेष रूप से ये सिफारिशें तथ्यों को तोड़-मरोड़कर शामिल किए गए साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह आधारित भागों को हटाने और उन संक्षिप्त परिच्छेदों को शामिल करने के बारे में होनी चाहिए जो कुछ पुस्तकों में उस कमी को पूरा करेंगे जो उपर्युक्त अंशों को हटाने के बाद खाली होगी अथवा पहले से ही मौजूद है। सरकार द्वारा तीन लब्धप्रतिष्ठ इतिहासकारों से अपनी सिफारिशें यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि यदि आवश्यक हो तो देश के कुछ विद्यालयों में पहले ही आरम्भ हो चुके शैक्षिक सत्र में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में यथाशीघ्र संशोधन किया जा सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्कूल शिक्षा) इस दल को सचिवालयीय तथा आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।''

इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मुझे सदन को यह बताते हुए खेद है कि पुस्तकों में तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने तथा पक्षपातपूर्ण स्वरूप के संबंध में की गई शिकायतें पैनल द्वारा ठीक पाई गई हैं।

इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का भी उल्लेख है:

वर्ष 2000 से अब तक तैयार की गई पाठ्यपुस्तकें गलतियों तथा कमियों से भरी पड़ी हैं जिनके संबंध में पैनल द्वारा उनको स्कूलों में जारी रखने की सिफारिश करना असंभव है। गलतियां इतनी अधिक हैं कि उन गलतियों में से प्रत्येक गलती को ठीक करना लगभग असंभव है।

इस बात का भी उल्लेख है कि पक्षपात की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो संपूर्ण श्रृंखला में मिलती है। इस पक्षपात पूर्ण प्रवृत्ति ने हिन्दू धार्मिक अनुष्ठानों और प्राचीन मूल के धर्मों की भारतीय समेकित संस्कृति के अंग के रूप में विगत एक हजार वर्षों से चली आ रही आधुनिक परम्पराओं और अन्य धर्मों से अलग पुन: जागरण आंदोलनों पर अधिक बल दिया है।

अत: उनका प्रस्ताव है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र हेतु कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए वैकल्पिक पठन सामग्री अर्थात प्राइवेट प्रकाशकों द्वारा तैयार की गई पुस्तकों की एक सूची की सिफारिश तब तक के लिए की जाए जब तक अगले शैक्षिक सत्र के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा समुचित प्रक्रिया के माध्यम से वैकल्पिक सामग्री तैयार नहीं कर ली जाती।

इस पैनल को इस तथ्य की जानकारी है कि इस समय कक्षा 11 तथा 12 के लिए वैकल्पिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। तीनों सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि या तो वर्तमान पुस्तकों के संबंध में या पुरानी पुस्तकों की पुनरीक्षा करने के संबंध में शिक्षकों को समुचित परामर्श देना आवश्यक होगा। जबकि प्रो. वरूण डे ने सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक हो तो कक्षा 12 के लिए विपिन चन्द्र द्वारा ''मार्डन इंडिया'' पर लिखी पुस्तक को अद्यतन बनाते हुए इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए। प्रो. ग्रेवाल ने भी इस प्रकार का सुझाव दिया है कि सतीश चन्द्र द्वारा ''मिडीएवल इंडिया'' पर लिखी पुस्तक की समुचित परामर्श करके पुनरीक्षा की जानी चाहिए। 'एनशियंट पीरियड' के लिए प्रो. सत्तार ने वैकल्पिक पठन सामग्री हेतु और अधिक जांच करने का सुझाव दिया।

समिति द्वारा निकाले गए निष्कर्षों ने सरकार को कठिन स्थिति में ला दिया है। एक तरफ तो पैनल द्वारा यह देखा गया कि पुस्तकों की गुणवत्ता तथा विषय सामग्री इस प्रकार की है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसी पुस्तकों को पढ़ाया जाना उचित नहीं है। दूसरी तरफ शैक्षिक सत्र कुछ विद्यालयों में कुछ समय पहले शुरू हो चुका है और छात्रों तथा शिक्षकों से यह कहना अनुचित होगा कि वे इतने समय के बाद इस स्तर पर विभिन्न पाठ्यपुस्तकों को अपनाएं। देश भर में वैकल्पिक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने से सभार-तंत्र संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होंगी और इसे संतोषजनक ढंग से सुव्यवस्थित नहीं किया जा सकता तब तक शैक्षिक सत्र में बहुत देरी हो जाएगी। इस समय सरकार इस गंभीर दुविधा को हल करने का प्रयास कर रही है जो इतिहास की पुस्तकों को तोड़े-मरोड़े जाने के कारण उत्पन्न हो गई है।

इतिहासकारों के पैनल की सिफारिशों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की दिनांक 14 जुलाई, 2004 को होने वाली कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। इस संबंध में निर्णय लेते समय कार्यकारी समिति निस्संदेह सबसे पहले छात्रों के हितों का ध्यान रखेगी।

हाऊसिंग फार आल प्रोग्राम

*107. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री राम कृपाल यादव:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में ''हाऊसिंग फार आल प्रोग्राम'' के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) क्या आवासीय इकाईयों का निर्माण निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इकाइयों का निर्माण लक्ष्य के अनुसार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) सरकार ने वर्ष 1998 में ''सभी के लिए आवास'' को प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया था और गरीबों तथा आवासहीन व्यक्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रत्येक वर्ष 20 लाख (दो मिलियन) मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। इसमें से 7 लाख रिहायशी मकानों का निर्माण शहरी क्षेत्रों में तथा 13 लाख मकानों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाना है।

(ख) वर्ष 2001-2002 से 2003-04 तक देश के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्वीकृत रिहायशी मकानों की संख्या 32,07,659 है जो प्रत्येक वर्ष 7 लाख (3 वर्ष में 21 लाख) के लक्ष्य से काफी अधिक है।

(ग) से (ङ) शहरी क्षेत्रों में 20 लाख (दो मिलियन) आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 से 2003-04 (वर्षवार तथा राज्यवार) के दौरान आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको), आवास सहकारियों तथा आवास वित्त कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत रिहायशी मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण I, II और III में दिया गया है।

विवरण I

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत हडको के राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धि

राज्य/संघ शासित प्रदेश	वार्षिक लक्ष्य	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	29388	24599	67791	21451
अरुणाचल प्रदेश	483	1600	0	0
असम	20513	0	195	1774
बिहार	14873	0	128	512
गोवा	951	0	0	0
गुजरात	27184	6801	18136	9259
हरियाणा	6113	264	3263	0
हिमाचल प्रदेश	1645	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	5328	557	0	894

1	2	3	4	5
कर्नाटक	23923	49781	95083	277364
केरल	12090	4477	57449	10686
मध्य प्रदेश	22188	2749	5022	2335
महाराष्ट्र	44240	8380	7894	34142
मणिपुर	4573	80	780	1607
मेघालय	2777	0	0	0
मिजोरम	6218	0	377	280
नागालैंड	2581	139	463	667
उड़ीसा	12423	1359	0	377
पंजाब	8935	10000	4050	0
राजस्थान	25071	8780	0	800
सिक्किम	166	0	0	0
तमिलनाडु	33750	54519	17810	12026
त्रिपुरा	2717	522	866	1076
उत्तर प्रदेश	36486	126225	5711	9854
पश्चिम बंगाल	24210	9416	50149	5163
अंदमान और निकोबार द्वीप	181	0	0	0
चंडीगढ़	619	0	0	0
दादरा और नागर हवेली	45	0	0	0
दमण और दीव	60	0	0	0
दिल्ली	7848	2516	0	0
लक्षद्वीप	60	0	0	0
पांडिचेरी	679	170	0	457
झारखण्ड	7662	500	10531	20000
छत्तीसगढ़	9509	10202	11015	10184
उत्तरांचल	4509	2167	890	2135
हडको निवास	0	75283	102366	4512
कुल	400000	401078	459969	427455

3 वर्षों में स्वीकृत कुल रिहायशी मकान 12,88,502

3 वर्षों में 12 लाख रिहायशी मकानों के लक्ष्य की तुलना में 12,88,502 रिहायशी मकान स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण II

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 से 2003-04 तक आवास सहकारिताओं का राज्यवार प्रगति

वार्षिक लक्ष्य: 1 लाख रिहायशी मकान

राज्य/संघ शासित प्रदेश	निर्मित/वित्तपोषित मकानों की संख्या		
	2001-2002	2002-2003	2003-2004*
1	2	3	4
अंदमान और निकोबार द्वीप	0	0	
आन्ध्र प्रदेश	654	1012	
असम	2306	215	
बिहार	8	1	
चंडीगढ़	4184	4500	
दिल्ली	197	337	
गोवा	4906	2259	
गुजरात	1816	837	
हरियाणा	4565	3360	
हिमाचल प्रदेश	240	243	
जम्मू-कश्मीर	19	0	
कर्नाटक	2192	3105	
केरल	9695	22995	
मध्य प्रदेश	731	285	
महाराष्ट्र	14773	15042	
मणिपुर	0	52	
मेघालय	88	36	
मिजोरम	0	0	
नागालैंड	0	0	
उड़ीसा	185	102	
पांडिचेरी	83	494	
पंजाब	6308	2877	
राजस्थान	756	498	
तमिलनाडु	14956	11716	
त्रिपुरा	0	0	
उत्तर प्रदेश	2100	1908	
पश्चिम बंगाल	2696	993	
उत्तरांचल	196	593	
छत्तीसगढ़	5	1	
कुल	73659	73461	55,000*

3 वर्ष के लिए स्वीकृत कुल रिहायशी मकान 2,02,120

3 वर्ष के लिए 3 लाख रिहायशी मकानों के लक्ष्य की तुलना में 2,02,120 रिहायशी मकान स्वीकृत किए गए हैं।

* राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ (एनसीएचएफ) अभी भी सहकारी संस्थानों से आंकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया में लगा है और आशा है कि अंतिम राज्यवार आंकड़े सितम्बर, 2004 के अंत तक उपलब्ध हो जाएंगे।

विवरण III

दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2001-2002 से 2003-2004 तक आवास वित्त संस्थानों (हडको से इतर) तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की उपलब्धियां

वार्षिक लक्ष्य: आवास वित्त संस्थानों व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 2 लाख रिहायशी मकान

आवास वित्त संस्थान*

वर्ष	रिहायशी मकान
2001-2002	272991
2002-2003	259772
2003-2004	291955
कुल	814718

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक*

वर्ष	रिहायशी मकान
2001-2002	195624
2002-2003	377319
2003-2004	329376
कुल	902319

* राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा राज्यवार ब्यौरे एकत्र नहीं किए जाते हैं।

तीन वर्ष के लिए 6 लाख रिहायशी मकानों के लक्ष्य की तुलना में 17,17,037 रिहायशी मकान स्वीकृत किए गए हैं।

शिक्षा का स्तर

***108 डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा के सभी स्तरों पर मानकों में आ रही गिरावट को रोकने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में अधिकांश प्रबंध संस्थान निम्न स्तरीय, शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु किन-किन कदमों पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) उन संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है जो स्तरीय शिक्षा उपलब्ध नहीं कराते?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) शिक्षा नीति में गुणवत्ता के मुद्दे को सदैव विशेष महत्व दिया गया है। सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सतत एवं स्थायी सुधार को सुनिश्चित करना मंत्रालय का प्रयास रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जिसका निहितार्थ यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर जाति, धर्म, स्थान या लिंग के सभी छात्रों की समतुल्य स्तर की शिक्षा तक पहुंच हो। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर इसके स्तर में सुधार को प्राथमिकता देती है।

शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयुक्त क्रियाकलापों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गुणवत्ता एवं समता से जुड़े मुद्दों पर निरंतर ध्यान दिया जाता है। इन क्रियाकलापों में अवसंरचना विकास, अध्ययन-अध्यापन सामग्री की आपूर्ति, पाठ्यचर्या का आवधिक संशोधन, नए एवं उभरते क्षेत्रों में विषय शुरू करना, मूल्यपरक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण एवं तैनाती तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार शामिल हैं।

जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए मिशन रूप में संतोषप्रद स्तर की प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक योजना विकसित की गई।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो कि सांविधिक निकाय है, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षक शिक्षा में विनियमन एवं मानकों तथा मानदंडों के समुचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार है।

केंद्र सरकार द्वारा उपयुक्त हस्तक्षेप के अलावा मानकों के अनुरक्षण से संबंधित अपनी-अपनी सांविधिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा और तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के मामले में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर आवश्यक, विनियमन, निदेश एवं परिपत्र आदि जारी किए जाते हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंध संस्थानों को पूरी दुनिया में ''उत्कृष्टता केंद्र'' के रूप में स्वीकारा गया है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया गया है जिससे और अधिक आकांक्षियों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिला है। प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया गया है। जिससे और अधिक आकांक्षियों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिला है।

तकनीकी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल में उठाए गए पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं—तकनीकी शिक्षा में क्रेडिट आधारित प्रणाली लागू करने का निर्णय, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बदलना, पूर्णत: समर्पित तकनीकी शिक्षा चैनल की शुरूआत, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरूआत, निजी निकायों की सहभागिता, प्रौद्योगिकी विकास मिशनों के माध्यम से उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास और प्रयोक्ता एजेंसियों को उनका अंतरण, तकनीकी शिक्षा की तकनीकी-आर्थिक प्रगति एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी का सामुदायिक पालिटेकनिक के विस्तार के माध्यम से ग्रामीण जनता तक अंतरण और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र की उत्पादकता में सुधार।

विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस

*109. **श्री अजय माकन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की एलएनजी और सीएनजी के प्रयोग से विद्युत उत्पादन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में विद्युत उत्पादन के लिए कितनी प्राकृतिक गैस उपलब्ध है;

(घ) विद्युत उत्पादन के अन्य स्रोतों की तुलना में प्राकृतिक गैस की व्यवहार्यता क्या है; और

(ङ) अन्य ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस का विद्युत उत्पादन के लिए एक ईंधन के रूप में प्रयोग की लाभ/हानियां क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, हां। 10वीं योजना के दौरान 41,110 मेगावाट के कुल क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य में से 7378.94 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित परियोजनाओं के माध्यम से विकास करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 722 मेगावाट पहले ही चालू की जा चुकी है। 30.6.2004 की स्थिति के अनुसार गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 11840 मेगावाट थी।

(ख) नई विद्युत परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए सीईए को अन्य बातों के साथ-साथ गैस की उपलब्धता तथा किफायती विद्युत उत्पादन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का पता लगाने की भी जिम्मेवारी दी गई है। विद्युत उत्पादन हेतु ईंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए अध्ययन में यह निष्कर्ष सामने आया है कि वर्तमान मूल्यों पर पाईपलाइन के साथ गैस आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना एक आकर्षक विकल्प है।

(ग) वर्ष 2003 में देश में प्राकृतिक गैस का कुल अनुमानित भंडार 854 बिलियन क्यूबिक मीटर था। वर्तमान में इसका औसत उत्पादन 90 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटिर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) है। इसमें से लगभग 21 एमएमएससीएमडी गैस कंपनियों की खपत है और शेष 69 एमएमएससीएमडी गैस विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं के लिए उपलब्ध है। विद्युत उत्पादन हेतु गैस की औसत आपूर्ति लगभग 26 से 27 एमएमएससीएमडी तक है।

(घ) विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस/एनएनजी की व्यावहारिकता इसके मूल्य द्वारा तथा इसकी दीर्घकालिक उपलब्धता एवं मूल्य स्थिरता में निवेशकों के विश्वास द्वारा निर्धारित होती है।

(ङ) गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के मुख्य लाभ हैं:

1. गैस आधारित कम्बाईन्ड साइकल विद्युत संयंत्र की पूंजीगत लागत कम है।
2. कम्बाईन्ड साइकल विद्युत संयंत्रों की क्षमता अथवा ताप दर बेहतर होती है।
3. गैस आधारित कम्बाईन्ड साइकल विद्युत केन्द्र की स्थापना में अपेक्षाकृत कम समय लगता है।
4. गैस पाईपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस को विद्युत केन्द्रों तक ले जाना अपेक्षाकृत आसान और सस्ता है।

तथापि, अधिक अनुरक्षण लागत और अल्प जीवनावधि इन संयंत्रों के मुख्य दोष हैं।

[हिन्दी]

ग्राम ऊर्जा परियोजना

*110. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
श्री खीरेन रिजीजू:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के गांवों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए ग्राम ऊर्जा परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के क्रियान्वयन के समय पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है और इस परियोजना के अंतर्गत इसके प्रथम चरण में कितने गांव शामिल किए जायेंगे, और

(च) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है, और इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (च) राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के अन्य राज्यों में आवासीय विद्युतीकरण का काम पांच वर्ष के अंदर पूरा किया जाना है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यनीति तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाने विचारित हैं:

1. 33/11 के.वी. वाले उपकेन्द्रों के ग्रामीण विद्युत वितरण आधार (आरईडीबी) का निर्माण और प्रत्येक ब्लाक में राज्य पारेषण प्रणाली से समुचित रूप से संबद्ध कम से कम एक उप केन्द्र का निर्माण।
2. प्रत्येक गांव में कम से कम एक ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराते हुए वितरण ट्रांसफार्मर देकर ग्राम विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।
3. ग्राम वितरण ट्रांसफार्मरों से गांवों के गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण।
4. ऐसे गांवों के लिए विकेन्द्रित वितरित विद्युत उत्पादन, जहां ग्रिड कनैक्टिविटी व्यवहार्य नहीं है, या किफायती नहीं है।

उपर्युक्त कार्यनीति के आधार पर स्कीम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं एवं निधि संबंधी आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आप्रवासियों को राहत का वितरण

***111. श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 9 अगस्त 2000 को मंत्रालय की प्रशासनिक मंजूरी के बावजूद पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से आए आप्रवासियों को दी जाने वाली राहत लाभार्थियों में वितरित नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 9.8.2000 को जारी की गई प्रशासनिक मंजूरी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर की सरकार को जम्मू और कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को राहत/पुनर्वास सहायता पर व्यय करना है और उसके बाद भारत सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु दावा करना है। भारत सरकार ने संवितरण हेतु मार्च, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि तक जम्मू और कश्मीर सरकार को 6.17 करोड़ रु. आन अकाउन्ट एडवांस स्वीकृत किए हैं। जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है अभी तक, 1038 सत्यापित और पात्र परिवारों को सहायता प्रदान की गई है।

(ग) राहत उपायों के कार्यान्वयन का प्रबोधन इस मंत्रालय से सदस्य लेकर डिविजनल आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जा रहा है। समिति, जिसकी बैठकें नियमित अंतराल पर जम्मू में आयोजित की जाती हैं, ने मामलों के सत्यापन में काफी प्रगति की है।

इस्पात संयंत्रों का पुनरुद्धार

***112. श्री अनंत नायक:**
श्री भिखिल कुमार:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक इस्पात संयंत्र के व्यवहारिक और वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं और इन्हें रुग्ण घोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयंत्रवार इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने घाटे में चल रही ऐसी इकाइयों के समयबद्ध पुनरुद्धार के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख इस्पात उत्पादकों का वास्तविक और वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

वास्तविक उत्पादन (दस लाख टन)

क्र.सं.	उत्पादक	उत्पादन		
		2001-02	2002-03	2003-04
1.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल)	10.00	10.64	11.28
2.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि (इस्को)	0.30	0.29	0.26
3.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी)	2.76	3.06	3.17
4.	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (टिस्को)	3.75	4.09	4.22
5.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि. (आई आई एल)	0.96	0.961	1.123
6.	एस्सार स्टील लि. (ई एस एल)	1.35	1.69	1.99
7.	जिंदल विजयनगर स्टील लि. (जे वी एस एल)	1.45	1.46	1.69

वित्तीय निष्पादन (करोड़ रुपए)

क्र.सं.	उत्पादक	लाभ (+)/हानि (-)		
		2001-02	2002-03	2003-04
1.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल)	(-) 1707	(-) 304	2512
2.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि (इस्को)	(-) 180	(-) 182	27
3.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी)	(-) 75	521	1521 (अनंतिम)
4.	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि. (टिस्को)	205	1012	1746
5.	इस्पात इंडस्ट्रीज लि. (आई आई एल)	442.85	82.83	44.32
6.	एस्सार स्टील लि. (ई एस एल)	1199.37	1.51	59.59
7.	जिंदल विजयनगर स्टील लि. (जे वी एस एल)	351.07	110.67	528.67

(ख) और (ग) उपर्युक्त उल्लिखित संयंत्रों में से इस्को घाटे में चल रहा है और इसे रुग्ण औद्योगिक इकाई घोषित किया गया है। इस्को को घाटा अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा पुराने संयंत्र एवं मशीनों के चलते अदक्ष और साथ ही साथ उच्च उत्पादन लागत के कारण हो रहा है।

(घ) और (ङ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने नवंबर, 2003 में सरकार द्वारा इस्को के लिए प्रस्तावित पुनरुद्धार योजना को मंजूर कर दिया है। पुनरुद्धार योजना अन्य बातों के साथ-साथ कुल्टी के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के लिए धन की व्यवस्था हेतु सरकार से 185.28 करोड़ रुपए का अनुदान, बर्नपुर और कोयला खदानों/खानों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए बाजार से 354.72 करोड़ रुपए के ऋण के लिए भारत सरकार की गारंटी और इस्को में कार्यान्वित की जाने वाली पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिए 341 करोड़ रुपए की धनराशि हेतु 7% वार्षिक से अधिक देय ब्याज के लिए ब्याज इमदाद आदि शामिल हैं। योजना के अनुसार यह उम्मीद थी कि कंपनी 2005-06 से लाभ अर्जित करने लगेगी और 2011-12 तक कंपनी का निवल मूल्य सकारात्मक हो जाएगा। तथापि, 65.84 करोड़ रुपए माफ

किए जाने के बाद इस्को ने 2003-04 के दौरान 27.09 करोड़ रुपए निवल लाभ अर्जित किया है।

असम समझौता

*113. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा असम समझौते के खंडवार क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उस पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निर्धारित समय सीमा में इस समझौते को खंडवार लागू करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(च) असम समझौते के खंड 6 और 7 के माध्यम से असम के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) असम समझौते के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है। असम समझौते के खण्ड वार कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। समझौते के कुछ खण्डों के कार्यान्वयन का निरन्तर प्रबोधन करने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार, असम समझौते के विभिन्न खंडों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए असम सरकार तथा आल असम स्टूडेंस यूनियन (ए ए एस यू) के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय बैठकें करती रही है। अन्तिम बैठक 14.02.2003 को आयोजित की गई थी।

(ङ) सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ, दो चरणों में, बाड़ लगाने और सड़क निर्माण की स्वीकृति दी है। चरण-1 पूरा कर लिया गया है और इसमें 854 कि.मी. बाड़ तथा 2605 कि.मी. सड़कें शामिल हैं। चरण-2 में 2429 कि.मी. बाड़ और 797 कि.मी. सड़क निर्माण का काम शामिल है। सम्पूर्ण कार्य 2006 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। कार्य तेजी से पूरा करने के लिए अनेक एजेन्सियों को आबंटित किया गया है।

(च) असम समझौते के खंड 6 और 7 के अनुपालन में असम में कार्यान्वित की गई परियोजनाओं तथा शुरू किए गए अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। असम समझौते में खंड 6 और 7 के तहत प्रस्तावों की जांच करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा ए ए एस यू के प्रतिनिधियों को लेकर दो त्रिपक्षीय उप-समितियां गठित की गई हैं। जबकि, खंड 6 पर त्रिपक्षीय उप-समिति द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी, इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि असम सरकार को असमी लोगों की परिभाषा पर तथा चयनित निकायों/राज्य विधान मंडल में असमी लोगों के लिए आरक्षण हेतु तौर-तरीकों पर अभी अपने रुख को अंतिम रूप देना है। त्रिपक्षीय उप-समिति ने खंड 7 पर अनेक बैठकें की हैं तथा ए ए एस यू ने निर्देश दिया था कि वे केवल पहचान की हुई परियोजनाओं/क्षेत्रों में ही आगे बढ़ना चाहेंगे। इन परियोजनाओं/क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की प्रगति की पुनरीक्षा त्रिपक्षीय बैठकों में की जाती है।

विवरण

असम समझौता-खंडवार कार्यान्वयन की स्थिति

खंड 5.1 से 5.9 तक—विदेशी विषयक मामला:

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, नागरिकता नियम, 1956 तथा विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया गया।

2. 1966-71 में आने वाले विदेशियों का पता लगाने के लिए असम में विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 के तहत ग्यारह अधिकरण बनाए गए हैं।

3. विशेष पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विदेशियों की घुसपैठ निवारण योजना के तहत 1280 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए मंजूरी भी दी गई।

4. असम में अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 के तहत 16 अधिकरण सृजित किए गए हैं। 10,693 व्यक्तियों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया तथा 1526 अवैध प्रवासियों को 31.12.2003 तक निकाल दिया गया है।

5. वर्ष 1988 में अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 में संशोधन किया गया।

खंड 6 और 7—रक्षोपाय तथा आर्थिक विकास

6. असम समझौते के तहत 18.85 करोड़ रुपए की लागत पर एक सांस्कृतिक केन्द्र नामत: श्रीमन्त शंकरदेव कला क्षेत्र परिसर हेतु मंजूरी दी गई थी। इसका उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति ने नवम्बर, 1988 में किया।

7. गुवाहाटी में श्री ज्योति चित्रबन (फिल्म) स्टूडियों का आधुनिकीकरण किया गया है और अप्रैल, 1999 में असम के मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।

8. लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी की स्थापना की गई तथा जुलाई 1999 में प्रधान मंत्री ने इसका उद्घाटन किया।

9. दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, एक तेजपुर में तथा एक सिलचर में, की स्थापना की गई है।

10. गुवाहाटी में एक आई आई टी की स्थापना की गई है। आई आई टी गुवाहाटी का पहला दीक्षान्त समारोह मई, 1999 में हुआ।

11. कत्थालगुड़ी विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) कमीशन की गई है।

12. प्रधान मंत्री की 1996 की पहल तथा शिलांग सम्मेलन, 2000 के अलावा विभिन्न अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

खंड 8-14—अन्य मामले:

13. नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने की शक्तियां अब केवल केन्द्रीय सरकार में निहित हैं।

14. मंजूर की गई 152.30 कि.मी. सीमा बाड़ में से असम-बांग्लादेश सीमा पर 149.44 किमी. में बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। 176 किमी. सीमा सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बांग्लादेश की सीमा के साथ शेष 71.50 किमी. में बाड़ लगाने के प्रस्ताव को भी केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है।

15. आंदोलन के दौरान मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों को अनुग्रह-पूर्वक भुगतान किया गया है।

16. आंदोलन के सम्बन्ध में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों की पुनरीक्षा की गई है।

17. भर्ती के मामलों में, 1.1.1980 से 15.8.1985 के दौरान साधारणत: असम राज्य में रहे उम्मीदवारों के मामलों में ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 6 वर्ष की छूट प्रदान करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए।

18. आंदोलन के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए गए लोगों को रिहा कर दिया गया है।

भारत में वयस्क साक्षरता

***114. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट से वयस्क साक्षरता दर पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत 162 देशों में से 123वें स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा विशेष रूप से क्या कदम उठाए जाने पर विचार है;

(घ) इस समय देश में वयस्क साक्षरता की राज्यवार दर क्या है;

(ङ) वर्ष 2004 के अंत तक में इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(च) क्या निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट, 2003 के अनुसार 175 देशों में भारत का 127वां स्थान है। यह रैंकिंग प्रत्येक देश के मानव विकास सूचकांक के आधार पर की जाती है जिसकी गणना जीवन-काल, शैक्षिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को समान महत्व देकर की जाती है। शैक्षिक सूचकांक प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर पर संयुक्त नामांकन दोनों पर आधारित होता है। किसी भी देश की रैंकिंग प्रौढ़ साक्षरता सहित अनेक पैरामीटरों पर निर्भर करती है।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन देश की साक्षरता दर बढ़ाने की दोधारी रणनीति है। प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जिले को केंद्र बिन्दु के रूप में रखकर मिशन रूप में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को लागू करने के लिए समग्र एवं संकेंद्रित दृष्टिकोण के साथ सर्व शिक्षा अभियान आरंभ किया गया है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 15-35 आयु-वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं—जिन क्षेत्रों में महिला साक्षरता कम है वहां महिला साक्षरता बढ़ाना, जिन क्षेत्रों में निरक्षरों की संख्या काफी है वहां अवशिष्ट निरक्षरता उन्मूलन परियोजनाएं चलाना और नव-साक्षरों को जीवन पर्यंत अध्ययन का अवसर प्रदान करने हेतु सतत शिक्षा केंद्र स्थापित करना।

(घ) भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त ने 2001 की जनगणना के आधार पर उम्र-वार साक्षरता दर जारी नहीं की है। तथापि 2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की जनसंख्या के मामले में राज्य-वार साक्षरता दर संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रौढ़ साक्षरता दरें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निरूपित नहीं की जाती। तथापि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 2007 तक 75% साक्षरता दर प्राप्त करना है।

(च) से (ज) संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कार्य करने वाले राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण साक्षरता कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के साथ-साथ यह सुनिश्चय करने के प्रति उत्तरदायी हैं कि निधियों का दुरूपयोग न हो। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की संतोषजनक प्रगति की समीक्षा करने तथा लेखाओं के निपटान के बाद इस विभाग द्वारा चरणबद्ध ढंग से निधियां जारी की जाती हैं।

विवरण

*7+ इससे अधिक आयु वर्ग की राज्यवार साक्षरता-2001***

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	साक्षरता दर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	61.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	54.74
3.	असम	64.28
4.	बिहार	47.53
5.	छत्तीसगढ़	65.18
6.	गोवा	82.32
7.	गुजरात	69.97
8.	हरियाणा	68.59
9.	हिमाचल प्रदेश	77.13
10.	जम्मू-कश्मीर	54.46
11.	झारखंड	54.13
12.	कर्नाटक	67.04
13.	केरल	90.92
14.	मध्य प्रदेश	64.11
15.	महाराष्ट्र	77.27
16.	मणिपुर	68.87
17.	मेघालय	63.31
18.	मिजोरम	88.49
19.	नागालैंड	67.11
20.	उड़ीसा	63.61
21.	पंजाब	69.95
22.	राजस्थान	61.03
23.	सिक्किम	69.68
24.	तमिलनाडु	73.47
25.	त्रिपुरा	73.66
26.	उत्तरांचल	72.28
27.	उत्तर प्रदेश	57.36
28.	पश्चिम बंगाल	69.22
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप*	81.18
30.	चंडीगढ़*	81.76
31.	दादरा और नागर हवेली*	60.03
32.	दमण और दीव*	81.09
33.	दिल्ली*	81.82
34.	लक्षद्वीप*	87.52
35.	पांडिचेरी*	81.49
	सम्पूर्ण भारत	65.38

**जनगणना 2001 अनंतिम

देश में जेलों की स्थिति

*115. श्रीमती कृष्णा तीरथः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न जेलों की स्थिति सुधारने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जेलों, कैदियों तथा जेल स्टाफ की दशा सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002-2003 में, जेलों में भीड़-भाड़ में कमी लाने के लिए अतिरिक्त जेलों का निर्माण, मौजूदा जेलों की मरम्मत तथा नवीकरण, साफ-सफाई और जल-आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने तथा जेल स्टाफ के लिए रिहाइशी आवास के निर्माण हेतु, एक नई गैर-प्लान योजना प्रारम्भ की है। यह योजना 75:25 के अनुपात में लागत भागीदारिता के आधार पर 1800 करोड़ रुपए के पूंजी परिव्यय पर, जिसमें केन्द्र सरकार का भाग 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों का भाग 25 प्रतिशत होगा, वर्ष 2002-2003 से लेकर पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जानी है। वर्ष 2002-03 के दौरान 27 राज्यों को केन्द्रीय हिस्से की 270 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। राज्यों के कार्य-निष्पादन के आधार पर वर्ष 2003-2004 के दौरान 197 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पांच वर्षों के दौरान राज्यों के समरूप अंशदान के साथ-साथ वार्षिक आबंटन सहित निधियों का अनंतिम आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

पांच वर्षों के दौरान राज्यों के समरूप अंशदान के साथ-साथ वार्षिक आबंटन सहित निधियों का अनंतिम आबंटन दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक आबंटन			पांच वर्षों के लिए आबंटन		
		केन्द्रीय हिस्सा 75%	राज्य का हिस्सा 25%	योग	केन्द्रीय हिस्सा 75%	राज्य का हिस्सा 25%	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15.9450	5.3150	21.26	79.7325	26.5775	106.31
2.	असम	5.8725	1.9575	7.83	29.3775	9.7925	39.17
3.	बिहार	26.9175	8.9725	35.89	134.5725	44.8575	179.43
4.	छत्तीसगढ़	5.6025	1.8675	7.47	28.0275	9.3425	37.37
5.	गोवा	2.0400	0.6800	2.72	10.2150	3.4050	13.62
6.	गुजरात	9.8850	3.2950	13.1800	49.41	16.47	65.88
7.	हरियाणा	15.4125	5.1375	20.5500	77.07	25.69	102.76
8.	हिमाचल प्रदेश	3.0300	1.0100	4.0400	15.1575	5.0525	20.21
9.	जम्मू-कश्मीर	4.6350	1.4450	6.1800	23.175	7.725	30.90
10.	झारखण्ड	6.3375	2.1125	8.45	31.68	10.56	42.24

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	8.0092	2.6697	10.6789	40.425	13.475	53.90
12.	केरल	4.9125	1.6375	6.5500	24.57	8.91	32.76
13.	मध्य प्रदेश	23.2725	7.7575	31.03	116.3550	38.7850	155.14
14.	महाराष्ट्र	19.3725	6.4575	25.8300	96.87	32.29	129.16
15.	मणिपुर	2.3557	0.7850	3.14	11.79	3.93	15.72
16.	मेघालय	2.4525	0.8175	3.27	12.2775	4.0925	16.37
17.	मिजोरम	2.6625	0.8875	3.55	13.3275	4.4425	17.77
18.	नागालैंड	2.3700	0.7900	3.17	11.8875	3.9625	15.85
19.	उड़ीसा	16.1025	5.3675	21.4700	80.55	26.85	107.40
20.	पंजाब	11.1675	3.7225	14.89	55.8450	18.6150	74.46
21.	राजस्थान	9.7725	3.2575	13.0300	48.8625	16.2875	65.15
22.	सिक्किम	2.7300	0.9100	3.64	13.635	4.545	18.18
23.	तमिलनाडु	14.3025	4.7675	19.0700	71.505	23.835	95.34
24.	त्रिपुरा	4.2000	1.4000	5.60	20.985	6.995	27.98
25.	उत्तर प्रदेश	34.6875	11.5625	46.25	173.4375	57.8125	231.25
26.	उत्तरांचल	4.5450	1.5150	6.06	22.7400	7.5800	30.32
27.	पश्चिम बंगाल	10.7850	3.5950	14.38	53.9250	17.9750	71.90
	कुल	270.0000	90.0000	360.0000	1350.00	450.00	1800.00

दिल्ली में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार

*116. **श्री कैलाश बैठा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में नशीली दवाओं का अवैध व्यापार तेजी से फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने नशीली दवा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया;

(ग) क्या सरकार ने शहर में नशीली दवाओं के बढ़ते अवैध व्यापार और इन दवाओं के विक्रेताओं का पता लगाने की पहचान करने के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहर में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) दिल्ली में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर 2001 में किए गए एक अध्ययन से यह संकेत मिला कि यह उच्च स्तर पर संगठित प्रकृति का नहीं है। ये दवाएं स्वंतत्र रूप से कार्य कर रहे विभिन्न संचालकों (आपरेटर्स) द्वारा बेची जा रही थीं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 30 जून तक "स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985" के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2001	750
2002	928
2003	1482
2004 (30 जून तक)	727

(ग) से (ङ) दिल्ली में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए उपायों में एक विशेष नार्कोटिक्स प्रकोष्ठ का गठन करना; उन क्षेत्रों, जहां इनके अवैध व्यापार की गतिविधियां ध्यान में आती हैं, में पैदल और चल गश्त गहन करना; स्वापक औषधियों का व्यापार करने वाले ज्ञात अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना; ऐसी गतिविधियों के लिए ज्ञात क्षेत्रों या जहां ऐसी गतिविधियां होने का संदेह हो, में विशेष पिकेट स्थापित करना; सतत आधार पर नशीली दवा संबंधी आसूचना का विकास करना; और नशीली दवाओं के अवैध व्यापारियों के विरुद्ध समय-समय पर विशेष अभियान शुरू करना शामिल है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

*117. **श्री सुरेश चन्देल:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कार्यरत विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और इनमें से प्रत्येक की क्षेत्र-वार और राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या नौवीं योजना में विद्युत क्षमता में वृद्धि लक्षित आंकड़ों से काफी कम थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और दसवीं योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वास्तविक क्षमता वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं;

(घ) गत वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान आज तक कितनी वास्तविक क्षमता वृद्धि की गयी है; और

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन में केन्द्र/राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) 109866.4 मेगावाट कुल अधिष्ठापित क्षमता के लिए 382 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मानीटरिंग की जा रही है। परियोजनाओं का स्टेशन-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय (1997-2002) के लिए वास्तविक क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 40245 मे.वा. था और जबकि उपलब्धि 19015 मे.वा. थी। विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलम्ब के विस्तृत कारण निम्नवत् हैं:

- एस्क्रो की अनुपलब्धता के कारण निजी क्षेत्र परियोजनाओं के वित्तीय समापन में विलम्ब होना।
- भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।
- निवेश सम्बन्धी निर्णय में विलम्ब।
- आर एण्ड आर सम्बन्धी समस्याएं।
- संविदात्मक समस्याएं।

(ग) 10वीं योजना (2002-2007) के लिए निर्धारित की गई कुल क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 41110 मे.वा. है जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(सभी आंकड़े मे.वा. में)

	हाइड्रो	थर्मल	न्यूक्लियर	समग्र
केन्द्रीय क्षेत्र	8,742	12,790	1,300	22,832
राज्य क्षेत्र	4,481	6,676	0	11,157
निजी क्षेत्र	1,170	5,951	0	7,121
कुल	14,393	25,417	1,300	41,110

दसवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- राज्यों के साथ परामर्श करके और प्रत्येक परियोजना की पहचान के आधार पर 10वीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्यों को अंतिम रूप प्रदान किया गया था।
- निगरानी तंत्र को सशक्त बनाया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने संकल्पना और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर

प्रत्येक परियोजना के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

- 10वीं योजना के दौरान वास्तविक लक्ष्यों में किसी कमी को पूरा करने के लिए राज्यों/सीपीएसयू के साथ परामर्श करके सहायक परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं।
- पावर फाईनेंस कारपोरेशन और रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन ने यह देखने के लिए स्वयं व्यवस्था की है कि निधियों की कमी के कारण अच्छी परियोजनाएं बाधित न हो सकें।
- केन्द्रीय योजना परिव्यय को 9वीं योजना की तुलना में 10वीं योजना में तीन बार से अधिक बढ़ाया गया है। योजना आयोग ने 10वीं योजना के लिए विद्युत मंत्रालय हेतु 143399 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया है। इसमें 25000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सम्मिलित है। 9वीं योजना के यही आंकड़े क्रमश: 45591 करोड़ रुपये और 14943 करोड़ रुपये हैं।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए जून 2004 तक कुल 522.92 मे.वा. क्षमता जोड़ी गई है जबकि गत वर्ष 2003-04 में इसी अवधि (जून 2003 तक) के दौरान क्षमता अभिवृद्धि 417.85 मे.वा. थी।

(ङ) देश में क्षेत्रवार/राज्यवार विद्युत उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

30.6.2004 की स्थितिनुसार देश में परियोजनाओं की सूची एवं उनकी मानीटर की गई क्षमता

विद्युत उत्पादन का प्रकार	30.6.2004 की स्थितिनुसार मानीटर की गयी क्षमता	विद्युत उत्पादन का प्रकार	30.6.2004 की स्थितिनुसार मानीटर की गयी क्षमता	विद्युत उत्पादन का प्रकार	30.6.2004 की स्थितिनुसार मानीटर की गयी क्षमता	विद्युत उत्पादन का प्रकार	30.6.2004 की स्थितिनुसार मानीटर की गयी क्षमता	विद्युत उत्पादन का प्रकार	30.6.2004 की स्थितिनुसार मानीटर की गयी क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तर क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		दक्षिणी क्षेत्र		पूर्वी क्षेत्र		उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
1. बीबीएमबी		गुजरात		14. आंध्र प्रदेश		19. बिहार		26. असम	
केन्द्रीय क्षेत्र***									
भाखड़ा	1250.0	राज्य क्षेत्र***		राज्य क्षेत्र***		राज्य क्षेत्र***		राज्य क्षेत्र***	
गंगूवाल	77.5	धुवरण	534.0	कोठागुडम	680.0	बरौनी	310.0	चन्द्रपुर	60.0
कोटला	77.5	उकाई	850.0	कोठागुडम न्यू	500.0	मुजफ्फरपुर	220.0	नामरूप एसटी	30.0
देहर	990.0	गांधीनगर	660.0	विजयवाड़ा	1260.0			बोंगईगांव	240.0
पोंग	360.0	वनाकबोरी	1260.0	रामागुंडम	62.5	बीएसईबी थर्मल	530.00		
		सिक्का रिप.	240.0	नैल्लोर	30.0			एएसईबी थर्मल	330.0
बीबीएमबी हाइड्रो	2755.0	कच्छ लिग्नाइट	215.0	रायलसीमा	420.0	कोसी	20.0		
						सोन पश्चिम कैनाल	6.6	नामरूप जीटी	18.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. दिल्ली		जीईबी थर्मल	3759.0	एपीजेन थर्मल	2952.5	सोन पूर्वी कैनाल	3.3	गामरूप डब्ल्यूएचपी	22.0
						ई.जी. कैनाल	15.0	लकवा जीटी	120.0
राज्य क्षेत्र***		बीएसईएसएल (जी-5)	210.0	विजेश्वरन जीटी	272.3			मोबाइल गैस टी-जी	21.0
आई.पी. स्टेशन	247.5	बीएसईएसएल (डब्ल्यू-7)	210.0			बीएसईबी हाइड्रो	44.9		
राजघाट	135.0			एपीजीपीसी जीटीजी	272.3			एएसईबी जीटीजी	244.5
		जीएसईएसएल थर्मल	420.0			केन्द्रीय क्षेत्र***			
आईपीजीपीसीएल थर्मल	382.5			मचकुंड	114.7	कहलगांव	840.0	निजी क्षेत्र***	
		धुवरण जीटी सी	27.0	अपर सिलेरू	440.0			डीएलएफ निजी	24.5
आईपी जीटी	180.0			लोअर सिलेरू	460.0	एनटीपीसी थर्मल	840.0		
आईपी डब्ल्यूएचपी	102.0	जीईबी जीटीजी	27.0	टीबी.बांध	36.0			डीएलएफ असम थर्मल	24.5
प्रगति सीसीजीटी	330.4	उत्तरन जीटी	144.0	हम्पी	36.0	कुल थर्मल	1370.0	केन्द्रीय क्षेत्र**	
				नागार्जुन सागर	810.0				
आईपीजीसीएल सीसीजीटी	612.4	धुवरण सीसीपीपी	105.9	नागार्जुन सागर आरबीसी	90.0	कुल हाइड्रो	44.9	कैथलगढ़ी जीटी	291.0
		उत्तरन जीटी	144.0	नागार्जुन सागर एलबीसी	60.0				
केन्द्रीय क्षेत्र***		जीएसईएसएल जीटीजी	249.9	दोनकराई	250	कुल उत्पादन	1414.9	नीपको जीटीजी	291.0
बदरपुर	705.0			श्रीसेलम	770.0				
		हजीरा सीसीपीपी	156.1	श्रीसेलम एलबी	900.0	20. झारखंड		कोपिली	225.0
एनटीपीसी थर्मल	705.0			पोचमपेड़	27.0	**********			
			156.1	निजाम सागर	10.0	राज्य क्षेत्र***		नीपको	225.0
कुल थर्मल	1699.9			पेन्ना अहोबलम	20.0	पतरातू	770.0		
		उकई	305.0	सिंगुर	15.0			कुल थर्मल	890.0
कुल उत्पादन	1699.9	कदाना	240.0	स्माल हाइड्रो	30.0	जीसीईबी थर्मल	770.0		
								कुल हाइड्रो	225.0
3. हरियाणा		जीईबी हाइड्रो	545.0	एपीजेन हाइड्रो	3643.7	तेनुघाटक	420.0		
राज्य क्षेत्र***								कुल उत्पादन	1115.0
		सरदार सरोवर	450.0	निजी क्षेत्र***		टीवीएनएल थर्मल	420.0	27. मेघालय	
फरीदाबाद विस्तार	165.0			पेद्दापुरम सीसीजीटी	220.0				
पानीपत	860.0	एसएसएनएल हाइड्रो	450.0			सुबनरिखा	130.0	राज्य क्षेत्र	
				बीएसईएस (पी) थर्मल	220.0	चंडिल	8.0		
एचपीजीसी थर्मल	1025.0	निजी क्षेत्र***						किरदमकुलई	60.0
		ए.ई. कंपनी	60.0	वेगरूपाडु जीटी	235.4	वेएसईबी हाइड्रो	138.0	ठमियम	114.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
डब्ल्यू.बी.ई. कैनाल	48.0	वरवा जीटी	100.0					उमतरू	11.2
		साबरमती	330.0	जीवीके इंडस्ट्रीज थर्मल	235.4	केन्द्रीय क्षेत्र***			-
एचपीजीसी हाइड्रो	48.0					चन्द्रपुरा	750.0	एमईजीवी हाइड्रो	185.2
		एई कंपनी थर्मल	490.0	कोनसीमा सीसीपीपी	140.0	बोकारो ए	175.0		
केन्द्रीय क्षेत्र***						बोकारो बी	630.0	केन्द्रीय क्षेत्र	
फरीदाबाद सीसीजीटी	430.0	एस्सार जीटी	0.0	केईपीएस थर्मल	140.0			खांडोंग	50.0
						डीवीसी थर्मल	1555.0		
एनटीपीसी जीटीजी	430.0	एस्सार थर्मल	0.0	कोंडापल्ली जीटी	350.0			नीचको हाइड्रो	50.0
						मैथान जीटी	90.0		
कुल थर्मल	1455.0	जीआईपीसीएल जीटी	312.0	कोंडापल्ली थर्मल	350.0			कुल हाइड्रो	235.2
		सुरत लिग्नाइट	250.0			डीवीसी जीटीजी	90.0		
कुल हाइड्रो	48.0			एलवीएस पावर डीजी	36.8			कुल उत्पादन	235.2
		जीआईपीसीएल थर्मल	562.0			पंचेट	80.0		
कुल उत्पादन	1503.0			एलवीएस पावर थर्मल	36.8	तिस्तैया	4.0	28. मणिपुर	
		जीटीई कारपोरेशन	655.0						
				गोदावरी जीटी	208.0	डीवीसी हाइड्रो	84.0	राज्य क्षेत्र***	
4. हिमाचल प्रदेश		जीटीई कारपोरेशन थर्मल	655.0					लीमाखोंग डीजी	36.0
राज्य क्षेत्र***				स्पैक्ट्रम इंडस्ट्रीज थर्मल	208.0	कुल थर्मल	2835.0		
गिरि खाटा	60.0	केन्द्रीय क्षेत्र***						एमपीडीसी डीजी	36.0
संजय भाखा	120.0	कवास जीटी	644.0	केन्द्रीय क्षेत्र***	कुल हाइड्रो		222.0		
बस्सी	60.0	गंधार जीटी	648.0	रामागुंडम एसटीपीएस	21.00			केन्द्रीय क्षेत्र***	
बिनवा	6.0			सिंहाद्री	1000.0	कुल उत्पादन	3057.0	लोकतक	105.0
आंध्र	17.0	एनटीपीसी जीटीजी	1292.0						
थिरोट	4.5			एनटीपीसी थर्मल	3100.0	21. उड़ीसा		एनएचपीसी हाइड्रो	105.0
खानवी	22.6	काकरापाड़ा	440.0						
गज	10.5			कुल थर्मल	7515.0	राज्य क्षेत्र***		कुल थर्मल	36.0
बनेर	12.0	एनपीसी कुल न्यूक्लीयर	440.0			इब वैली	420.0		
				कुल हाइड्रो	3643.7			कुल हाइड्रो	105.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
एचपीएसईबी हाइड्रो	312.6	कुल थर्मल	7611.0			ओपीजीसी थर्मल	420.0		
				कुल उत्पादन	11158.7			कुल उत्पादन	141.0
निजी क्षेत्र***		कुल न्यूक्लीयर	440.0			बालीमेला	360.0		
बास्पा	300.0			15. केरल		हीराकुंड	307.5	29. त्रिपुरा	
		कुल हाइड्रो	995.0	********		रेंगाली	250.0		
बास्पा जेएचपी हाइड्रो	300.0		:	राज्य क्षेत्र***		अपर कोलाब	320.0	राज्य क्षेत्र***	
		कुल उत्पादन	9046.0	इडामलयार	106.5	इंद्रावती	600.0	बरामुरा जीटी	21.0
मलाना	86.0	11. मध्य प्रदेश		कोझीकोड डीजी	128.8			रोकिया जी.टी.	69.0
						ओएचपीसी हाइड्रो	1837.5		
मलाना हाइड्रो	86.0	********		केएसईबी डीजी	235.3	निजी क्षेत्र***		त्रिपुरा जी.टी.जी.	90.0
		राज्य क्षेत्र***							
केन्द्रीय क्षेत्र***		सतपुरा	1142.5	कुट्टीयाडी	125.0	आइसीएल आईएमपी	0.0	गुमती	15.0
देहर	990.0	अमरकंटक	50.0	उडूपुझा	780.0				
पौंग	360.0	अमरकंटक विस्तार	240.0	सबरीगिरी	300.0	आईसीसीएल थर्मल	0.0	त्रिपुरा हाइड्रो	15.0
		संजय गांधी	840.0	इदमलियर	75.0				
बीबीएमबी हाइड्रो	1350.0			कक्कड	50.0	नालको एमआईपी	0.0	केन्द्रीय क्षेत्र***	
		एमपीजीपीसीएल हाइड्रो	2272.5	शोलयार	54.0			अगरतला जीटी	84.0
बैरा सियूल	180.0			सन्नुतम	48.0	नालको थर्मल	0.0		
चमेरा	540.0	गांधी सागर	115.0					नीपको जी.टी.जी.	84.0
चमेरा 2	300.0	बारगी	90.0	नरिमंगलम	45.0	केन्द्रीय क्षेत्र***			
		पेंच	160.0	पलिवासल	37.5	तालचेर	460.0	कुल थर्मल	174.0
एनएचपीसी हाइड्रो	1020.0	राजघाट (एमपी)	45.0	पोरिंगलकुट्टू	32.0	तालचेर एसटीपीएस	2500.0		
		बानसागर (1)	315.0	पोरिंगलकुट्टू एल	16.0			कुल हाइड्रो	15.0
नाथपा झाकरी	1500.00	बानसागर (2)	30.0	पनियार	30.0	एनटीपीसी थर्मल	2960.0		
		बानसागर (3)	60.0	कलाडा	15.0			कुल उत्पादन	189.0
एसजेवीएनएल हाइड्रो	1500.0	बीरसिंगपुर	20.0	लोअर पेरियार	180.0	कुल थर्मल	3380.0	30. नागालैंड	
				मलनकारा	10.5			*******	
कुल हाइड्रो	4568.6	एमपीजीपीसीएल हाइड्रो	835.0	चेम्बुकाडावु	6.5	कुल हाइड्रो	1837.5		
				ठेक्की	6.2			राज्य क्षेत्र***	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल उत्पादन	4568.6	केन्द्रीय क्षेत्र***		पेप्पारा	3.2	कुल उत्पादन	5217.5	लिकिमरो	16.0
		विंध्याचल एसटीपीएस	2260.0	मधुपट्टी	2.0				
5. जम्मू और कश्मीर				अन्य हाइड्रो	5.0	22. डीवीसी		नगलैंड हाइड्रो	16.0
*****		एनटीपीसी थर्मल	2260.0						
राज्य क्षेत्र***				केएसईबी हाइड्रो	1820.7	केन्द्रीय क्षेत्र***		केन्द्रीय क्षेत्र***	
पामपोर जीटी	175.0	इंदिरा सागर	500.0			चंद्रपुरा	750.0	दोयांग	75.0
				निजी क्षेत्र***		दुर्गापुर	350.0		
जेकेइबी जी.एम.जी.	175.0	एनएचडीसी हाइड्रो	500.0	कोचिन सीसीजीटी	174.0	बोकारो ए	175.0	नीपको हाइड्रो	75.0
						बोकारो बी	630.0		
लोअर झेलम	105.0	कुल थर्मल	453.25	बीएसईसी (सी) थर्मल	174.0	मेजिया	630.0	कुल हाइड्रो	91.0
अपर सिंध	127.0								
गांदेरबल	15.0	कुल हाइड्रो	1335.0	कसरगोड डीजी	21.9	डीवीसी थर्मल	2535.0	कुल उत्पादन	91.0
चेन्नई	23.0								
मोहरा	9.0	कुल उत्पादन	5867.5	आरपीजी थर्मल	21.9	मैथन जीटी	90.0	31. अरूणाचल प्रदेश	
कारगिल	3.8								
सेवा	9.0	12. छत्तीसगढ़		मनिखर	10.0	डीवीसी जी.टी.जी.	90.0	राज्य क्षेत्र***	
स्टकना	10.0			कुथुंगल	21.0			टैंगो	4.5
		राज्य क्षेत्र***				पंचेट	80.0	नुरंज	0.0
जेएसइबी हाइड्रो	301.8	कोरबा 2	160.0	केएलपीवीटी हाइड्रो	31.0	मैथन	60.0		
		कोरबा 3	240.0			तिल्लैया	4.0	अरूणाचल हाइड्रो	4.5
केन्द्रीय क्षेत्र***		कोरबा पश्चिम	840.0	केन्द्रीय क्षेत्र***					
सलाल	690.0			कायमकुलम जीटी	350.0	डीवीसी हाइड्रो	144.0	केन्द्रीय क्षेत्र***	
उरी	480.0	सीएसईबी थर्मल	1240.0					रंगानदी	405.0
				एनटीपीसी डीटीजी	350.0	कुल थर्मल	2625.0		
एनएचपीसी हाइड्रो	1170.0	हसदेवबांगो	120.0					नीपको हाइड्रो	405.0
		गनग्रेल	10.0	कुल थर्मल	781.2	कुल हाइड्रो	144.0		
कुल थर्मल	175.0							कुल हाइड्रो	409.5
		सीएसईबी हाइड्रो	130.0	कुल हाइड्रो	1851.7	कुल उत्पादन	2769.0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल हाइड्रो	1471.8							कुल उत्पादन	409.5
		केन्द्रीय क्षेत्र***		कुल उत्पादन	2632.9	23. पश्चिम बंगाल			
कुल उत्पादन	1646.8	कोरबा एसटीपीएस	2100.0					32. मिजोरम	
				16. कर्नाटक		राज्य क्षेत्र			
6. पंजाब		एनटीपीसी थर्मल	2100.0			डी.पी.एल.	390.0	राज्य क्षेत्र***	
********				राज्य क्षेत्र***				वैरंगते डीजी	22.9
राज्य क्षेत्र***		कुल थर्मल	3340.0	रायचूर	1470.0	डीपीएल थर्मल	390.0		
जीएनडीटीपी (भटिन्डा)	440.0							मिजोरम डीजी	22.9
जीएचटीपी (लेह)	420.0	कुल हाइड्रो	130.0	केपीसीएल थर्मल	1470.0	बंडेल	530.0		
रोपड़	1260.0					संतालडीह	480.0	कुल थर्मल	22.9
		कुल उत्पादन	3470.0	बेलहांका (डीजी)	120.0	कोलाघाट	1260.0		
पीएसइबी थर्मल	2120.0					बक्रेश्वर	630.0	कुल उत्पादन	22.9
				यीपीसीएल (डीजी)	120.0				
खनन	110.0					डब्ल्यूबीपीडीसी थर्मल	2900.0	**नीपको	
आनन्दपुर साहिब	134.0	राज्य क्षेत्र***		जीओजी	120.0				
रंजीत सागर	600.0	नासिक	910.0	सिवसमुद्रम	42.0	कसबा जीटी	40.0	केन्द्रीय क्षेत्र***	
यूबीडीसी	90.0	कोराडी	1080.0	शिमसापुरा	17.2	सिलिगुरी जीटी	20.0	कैथालगुरी जीटी	291.0
मुकेरियन	207.0	खापरखेड़ा 2	840.0	मुनिराबाद	27.0	हल्दिया जीटी	40.0	अगरतला जीटी	84.0
		पारस	58.0						
पीएसइबी हाइड्रो***	1141.0	भुसावल	478.0	केरवी हाइड्रो	206.2	डब्ल्यूबीपीडीसीओ डी.टी.पी.सी.	100.0	नीपको जीटीजी	375.0
		पारली	690.0						
केन्द्रीय क्षेत्र		चंद्रपुर	2340.0	शरावेथी	891.0	जलढका	35.0	खोनडोंग	50.0
भाखड़ा	1250.0			कदरा	150.0	मसानबोर	4.0	कोपिली	225.0
गंगुवाल	77.5	एसएसईबी थर्मल	6396.0	कोडासली	120.0	रामम	50.0	दोखांग	75.0
कोटला	77.5			कालीनाडी	810.0	तीस्ता	37.5	रंगानादी	405.0
		उरन जीटी	672.0	कालीनाडी सुपा	100.0				
यीपीएमबी हाइड्रो	1405.0	उरन डब्ल्यूएचपी	240.0	लिंगनामाक्की	55.0	डब्ल्यूबीएसईबी हाइड्रो	126.5	नीपको हाइड्रो	755.0
				चरखी	230.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल थर्मल	2120.0	एमएसपीबी जीटीपी	912.0	धाम्रा	33.4	निजी क्षेत्र***		कुल थर्मल	375.0
				घाट प्रभा	32.0	मुक्तजोर	60.0		
कुल हाइड्रो	2546.0	कोयना	1920.0	मानी डीजीएच	9.0	न्यूकोसिफेर	130.0	कुल हाइड्रो	755.0
		वैतरना	60.0	मलनपुर	9.0	टिटागढ़	240.0		
कुल उत्पादन	4666.0	तिल्लारी	60.0	गेरूसूप्पा	240.0	दक्षिणी आरईपीएस	135.0	कुल उत्पादन	1130.0
		मिला टेल रेस	80.00	अलमाटी	15.0	बजाज	500.0		
				डीपीएच					
7. राजस्थान		एलडारी	22.5						
********		वीर	9.0	केपीसीएल हाइड्रो	2694.4	सीईएससी थर्मल	1065.0		
राज्य क्षेत्र***		भाटगढ़	16.0						
कोटा	1045.0	पैथन	12.0	निजी क्षेत्र***		केन्द्रीय क्षेत्र***			
सूरतगढ़	1250.0	भंडारधारा	44.0	बेल्लारी डीजी	25.2	दुर्गापुर	350.0		
		पवना	10.0			मेजिया	630.0		
पीआरवीयूएनएल थर्मल	2295.0	राधानगरी	4.8	बेल्लारी थर्मल	25.2				
		केवीएएसएलए (पैनेट)	16.0			डीवीसी थर्मल	980.0		
रामगढ़ जीटी	76.0	केवीएएसएलए (वरसा)	8.0	तनीर बावी	220.0				
रामगढ़ एसटी	37.8	भटसा	15.0			फरक्का एसटीपीएस	1600.0		
		कनहेर	4.0	जीएमआर इनर्जी थर्मल	220.0				
पीआरवीयूएनएल जी.टी.जी.	113.8	उज्जैनी	12.0			एनटीपीसी थर्मल	1600.0		
		सूरिया	6.0	तोरंगल्लू आईएमपी	260.0				
आर.पी. सागर	172.0	मानिकडोह	6.0			मैथान	60.0		
जे. सागर	99.0	धोम	2.0	जिन्दल थर्मल	260.0				
माही बजाज	140.0	वैतरना डेम	1.5			डीवीसी हाइड्रो	60.0		
अनूपगढ़	9.0	डिमवे	5.0	वेलगाम डीजी	81.3				
सुरतगढ़	4.0	वारना	16.0			कुल थर्मल	7035.		
आरएमसी मंगरोल	6.0	दूध गंगा	24.0	टाटा पीसीएल थर्मल	81.3				
						कुल हाइड्रो	186.5		
आरआरवीयूएनएल हाइड्रो	430.0	एमएसपीबी हाइड्रो	2353.8	शिवपुरा	18.0				
				रामपुर	6.6	कुल उत्पादन	7221.5		
केन्द्रीय क्षेत्र***		निजी क्षेत्र		हरंगी	0.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंता जीटी	413.0	दहानु	500.0	मायथामंत्री	3.0	24. सिक्किम			
एनटीपीसी जी.टी.जी.	413.0	धीरसाईकी थर्मल	500.0	भोरुका हाइड्रो	27.6	राज्य क्षेत्र***			
						एल. लैगियाप	12.0		
आर.ए.पी.एस.	740.0	डाभोल जीटी	740.0	नरावनपुर	6.6	यू. सेंगचू	8.0		
						मोलनचू	4.0		
न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन कुल न्यूक्लीयर	740.0	एनएन थर्मल	740.0	मैसूर पीसी हाइड्रो	6.6				
						सिक्किम हाइड्रो	24.0		
कुल थर्मल	2821.8	ट्राम्बे	1150.0	केन्द्रीय क्षेत्र***					
	:	ट्राम्बे जीटी	180.0	कैग्ग	440.0	केन्द्रीय क्षेत्र***			
कुल न्यूक्लीयर	740.0					रंगीत	60.0		
		टाटा महाराष्ट्र थर्मल	1330.0	एनपीसी टीजीटी. एनयू	440.0				
कुल हाइड्रो	430.0					एनएचपीसी हाइड्रो	60.0		
		पीरा	132.0	कुल थर्मल	2176.5				
कुल उत्पादन	3991.8	पीरा पीएसएस	150.0			कुल हाइड्रो	84.0		
		भिवपुरी	72.0	कुल न्यूक्लीयर	440.0				
8. उत्तर प्रदेश		खोपोली	72.0			कुल उत्पादन	84.0		
				कुल हाइड्रो	2934.8				
राज्य क्षेत्र***		टाटा महाराष्ट्र हाइड्रो	426.0			25. अंडमान निकोबार			
ओबरा	1482.0			कुल उत्पादन	555.3				
पनकी	242.0	केन्द्रीय क्षेत्र***				राज्य क्षेत्र***			
हरदुआगंज	425.0	तारापुर	320.0	17. तमिलनाडु		कालपोग	5.5		
परीच्छा	220.0								
अनपारा	1630.0	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन न्यूक्लीयर	320.0	राज्य क्षेत्र***		अंडमान और निकोबार एडीएम हाइड्रो	5.5		
स्माल थर्मल	10.0			एन्नौर	450.0				
		कुल थर्मल	9878.0	तूतीकोरिन	1050.0	कुल हाइड्रो	5.5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
यूपीआरडीयूएनएल थर्मल	4009.0			मेट्टूर	840.0				
		कुल न्यूक्लीयर	320.0	नार्थ चेन्नई	630.0	कुल उत्पादन	5.5		
रिहन्द	300.0								
ओबरा	99.0	कुल हाइड्रो	2779.8	टीएनईबी थर्मल	2970.0				
मातातीला	30.0								
गंगा केनल	24.8	कुल उत्पादन	12977.8	बेसिन ब्रिज जीटी	120.0				
खारा	72.0								
				नरीमन जीटी	10.00				
यूपीएचपीसी हाइड्रो	525.8			वैलचूर जीटी	95.0				
				कुट्टालम जीटी	63.0				
केन्द्रीय क्षेत्र***				कोविलकलप्पल	107.0				
सिंगरौली एसटीपीएस	2000.0								
रिहन्द	1000.0			टीएनबी जी.टी.जी.	395.0				
ठेंचाहार	840.0								
दादरी (एनसीटीपीपी)	840.0			पक्कारा	70.0				
टांडा	440.0			पक्कारा डेम	2.0				
				मोचार	36.0				
एनटीपीसी थर्मल	5120.0			कुन्दा	555.0				
				मेट्टूर डेम	40.0				
औरय्या जीटी	652.0			मेट्टूर टनल	200.0				
दादरी जीटी	817.0			पेरियार	140.0				
				कोडयार	100.0				
एनटीपीसी जी.टी.जी.	1469.0			शोलयार	95.0				
				अलियार	60.0				
एनएपीएस	440.0			सरकारपथी	30.0				
				पापनासम	28.0				
न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन कुल न्यूक्लीयर	440.0			सथियार	35.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कुल थर्मल	10598.0			सेलाक्कारा	20.0				
				लोअर मेट्टूर	120.0				
				पटमपरी	400.0				
कुल न्यूक्लीयर	440.0			बहंगई	6.0				
				लोअर भवानी	16.0				
कुल हाइड्रो	525.8			सथनूर डेम	7.5				
				परसेन वेली	30.0				
कुल उत्पादन	11563.8			टीएनईबी हाइड्रो	1990.5				
9. उत्तरांचल									
				निजी क्षेत्र***					
राज्य क्षेत्र***				समयनल्लूर डीजी	106.0				
रामगंगा	198.0								
खटीमा	41.4			मदुरई पी थर्मल	106.0				
पथरी	20.4								
छिबरो यमुना	240.0			नेवेली टीपीएस (सेक्ट)	250.0				
खोडरी	120.0								
चीला	144.0			नेवेली ओ थर्मल	250.0				
मनेरीभाली	90.0								
धाकरानी	33.8			पी. नेल्लूर सीसीजीटी	330.5				
धालीपुर	51.0								
कुलहाल	30.0			पीपीएनपीजी थर्मल	330.5				
सोबला	6.0								
यूएसईबी हाइड्रो	974.6			समालपट्टी डीजी	105.7				
केन्द्रीय क्षेत्र***				समालपट्टी थर्मल	105.7				
टनकपुर	120.0			बी. ग्रीन डीजी	200.0				
एनएचपीसी हाइड्रो	120.0								
कुल हाइड्रो	1094.6			वसावी थर्मल	200.0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				केन्द्रीय क्षेत्र**					
कुल उत्पादन	1094.6			नेवेली चरण 1	600.0				
				नेवेली चरण 2	1470.0				
	:			नेवेली एक्सटी विस्तार	420.0				
				एनएलसी थर्मल	2490.0				
				एम.ए.पी.पी.	340.0				
				न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन	340.0				
				कुल न्यूक्लीयर					
				कुल थर्मल	6847.2				
				कुल न्यूक्लीयर	340.0				
				कुल हाइड्रो	1990.5				
				कुल उत्पादन	9177.7				
				पांडिचेरी					
				राज्य क्षेत्र***					
				कराईकल	32.5				
				पीपीसीएल जी.टी.जी.	32.5				
				कुल थर्मल	32.5				
				कुल उत्पादन	32.5				
थर्मल									
राज्य	10732.7								
केन्द्रीय	8137.0								
निजी	0.0								
निजी	18869.7								
न्यूक्लीयर	1180.0								
हाइड्रो									
राज्य	3733.8								
केन्द्रीय	6565.0								
निजी	386.0								
कुल	10684.8								
कुल क्षेत्र	30734.5								

विवरण II

2003-2004 के दौरान राज्य एवं निजी क्षेत्र में प्रतिशत हिस्सेदारी का ब्यौरा

राज्य का नाम	क्षेत्रवार उत्पादन (मि.यू. में)			कुल उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा		
	केन्द्रीय	निजी	कुल	राज्य	केन्द्रीय	निजी
1	2	3	4	5	6	7	8
दिल्ली	5161	5432	–	10593	48.7	51.3	0.0
हरियाणा	7000	2792	–	9792	71.5	28.5	0.0
हिमाचल प्रदेश	1360	8939	1454	11753	11.6	76.1	12.4
जम्मू-कश्मीर	920	6350	–	7270	12.7	87.3	0.0
पंजाब	18623	6958	–	25581	72.8	27.2	0.0
राजस्थान	15945	7100	–	23045	69.2	30.8	0.0
उत्तर प्रदेश	22827	51508	–	74335	30.7	69.3	0.0
उत्तरांचल	3392	512	–	3904	86.9	13.1	0.0
गुजरात	26385	10291	10608	47284	55.8	21.8	22.4
मध्य प्रदेश	16727	16569		33296	50.2	49.8	0.0
छत्तीसगढ़	7916	16333		24249	32.6	67.4	0.0
महाराष्ट्र	50150	2497	14724	67371	74.4	3.7	21.9
आंध्र प्रदेश	27586	24054	6092	57732	47.8	41.7	10.6
केरल	4496	2118	1109	7723	58.2	27.4	14.4
कर्नाटक	19116	3123	2801	25040	76.3	12.5	11.2
तमिलनाडु	24081	17973	4616	46670	51.6	38.5	9.9
पांडिचेरी	277	–	–	277	100.0	0.0	0.0
बिहार	404	5972	–	6376	6.3	93.7	0.0
झारखंड	2554	4204	–	6758	37.8	62.2	0.0
उड़ीसा	8947	13742	1139	23828	37.5	57.7	4.8
पश्चिम बंगाल	16527	15300	6692	38519	42.9	39.7	17.4
सिक्किम	36	345	–	381	9.4	90.6	0.0
अंदमान और निकोबार	–	–	–	0	0.0	0.0	0.0

1	2		3	4	5	6	7
असम	707	2261	125	3093	22.9	73.1	4.0
मेघालय	525	206	–	731	71.8	28.2	0.0
मणिपुर	–	504	–	504	0.0	100.0	0.0
त्रिपुरा	517	566	–	1083	47.7	52.3	0.0
नागालैंड	–	164	–	164	0.0	100.0	0.0
अरुणाचल प्रदेश	11	973	–	984	1.1	98.9	0.0
मिजोरम	–	–	–	0	0.0	0.0	0.0
अखिल भारत योग	282190	226786	49360	558336	50.5	40.6	8.8

[अनुवाद]

राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान

***118. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य विश्वविद्यालयों को धनराशि प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कम अनुदान मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक स्थिति क्या हैं; और

(घ) राज्य विश्वविद्यालयों के अनुदान में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है बशर्ते यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (ख) के अनुसार केन्द्रीय सहायता के लिए मान्यता प्राप्त हो। सभी पात्र राज्य विश्वविद्यालय योजना-दर-योजना आधार पर सामान्य विकास सहायता स्कीम के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के निमित्त कतिपय विशेष स्कीमों के लिए अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं बशर्ते वे संबंधित दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा और राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विकास और रख-रखाव का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य विश्वविद्यालयों का उक्त व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता के तौर पर पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर केवल विकास अनुदान प्रदान करता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों दोनों के लिए विशेष स्कीमों के अन्तर्गत प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पैरामीटर वही हैं।

10वीं योजना में राज्य विश्वविद्यालयों के लिए विकास सहायता में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में 9वीं योजना के आबंटन के अलावा 25% तक वृद्धि की सीमा निर्धारित की गई है जबकि राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में यह सीमा 50% निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी

***119. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इन अनुदानों के लिए कौन-कौन से विश्वविद्यालयों पर विचार किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और इस संबंधी कार्य योजना, 1992 में महिला शिक्षा पर बल देने हेतु एक सुपरिकल्पित व्यवस्था की गई है। इस नीति में इस बात पर विचार किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु एक सक्रिय एवं उत्प्रेरक भूमिका निभाएगी और एक तरफ जहां महिला निरक्षरता को दूर करने तथा महिलाओं की प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच तथा उन्हें उसमें बनाए रखने की प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की व्यावसायिक, तकनीकी तथा पेशेवर शिक्षा पर मुख्य बल दिया जाएगा।

सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यथोल्लिखित अभिशासन के मुख्य सिद्धांतों में से एक सिद्धान्त महिलाओं को राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा कानूनी रूप से अधिकार संपन्न बनाना है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर भी विचार किया गया है कि ग्रामीण महिलाओं और उनके संगठनों को प्राथमिक शिक्षा सहित सभी प्रकार की विकास स्कीमों हेतु उत्तरदायित्व ग्रहण करने के उद्देश्यार्थ उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार ने महिला शिक्षा तथा उन्हें अधिकार संपन्न बनाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान, महिला सामाख्या स्कीम, माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों में अध्यनरत बालिकाओं के लिए बोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं का विस्तार करने आदि जैसे कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय अत्यधिक कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने और साथ ही बालिकाओं पर विशेष बल देते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने संबंधी स्कीमों को भी कार्यान्वित कर रहे हैं। महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं जो रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय से संबद्ध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिलाओं हेतु उच्चतर शिक्षा में निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

(1) तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु महिला विश्वविद्यालयों को अनुदान देने संबंधी स्कीम के तहत इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के उदीयमान क्षेत्रों में अवर स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसका उद्देश्य महिलाओं को उन क्षेत्रों में अवसर प्रदान करना है जो सम्मानजनक हो तथा जो बेहतर परिलब्धियों तथा कार्य से संबंधित हों, और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला-पुरुषों की संख्या में असंतुलन को कम करना है।

(2) महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु एक विशेष स्कीम मौजूद है।

(3) कई विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की है।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिलाओं के लिए एक अंशकालिक अनुसंधान एसोसिएटशिप स्कीम प्रारंभ की गई है।

(5) 3 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के उन बच्चों के लिए विश्वविद्यालयों में भुगतान के आधार पर दिवा-देखभाल सुविधाएं प्रारंभ की गई है जिनके माता-पिता (विश्वविद्यालय कर्मचारी/शोध अध्येता) दिन भर के लिए घर से बाहर रहते हैं।

(6) विश्वविद्यालयों में यौन-उत्पीड़न की समस्याओं का समाधान करने हेतु सेल बनाए गए हैं।

इन स्कीमों में प्रत्येक के लिए विश्वविद्यालयों का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12 (बी) के तहत शामिल सभी विश्वविद्यालय उपरोक्त स्कीमों के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और परियोजनाओं में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा पर बल दिया जाना जारी है।

[अनुवाद]

नई औषध नीति

***120. डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने नई औषध नीति लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) नई नीति के कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या दवाईयों और भेषज उत्पादों विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसमें किन्हीं सुरक्षोपाय का उपबंध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ङ) सरकार ने "औषध नीति 2002" फरवरी, 2002 में घोषित की थी। इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ अत्यधिक खपत वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक आषधियों की देश में उचित मूल्य पर प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना और इनके देश में ही लागत प्रभावी गुणवत्ता उत्पादन हेतु स्वदेशी क्षमता को सुदृढ़ करना शामिल है। तथापि, बंगलौर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के संबंध में दिनांक 12.11.2002 के आदेश ने सरकार द्वारा औषध नीति 2002 के मूल्य नियंत्रण संबंधी प्रावधान के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस विभाग द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी जिसे एस एल पी (सी) सं. 3668/2003 के रूप में दर्ज दिया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

***121. श्री वी. विनोद कुमार:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार माध्यमिक स्तर पर शुरू किए गये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कुछ कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है और स्कूलों और कालेजों में किस स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सुझाये गये उन पाठ्यक्रमों के नाम क्या हैं, जो उनके विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किये जायेंगे;

(च) क्या राज्यों द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (छ) विभिन्न समीक्षा दलों/समितियों की सिफारिश के आधार पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी वर्तमान स्कीम को संशोधित किया जा रहा है ताकि विभिन्न शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए इसके स्वरूप को माड्यूलर बनाया जा सके और मल्टीप्वाइंट एंट्री और एक्जिट के साथ इसे दक्षता आधारित बनाया जा सके जिससे कि वैयक्तिक नियोज्यता को बढ़ाया जा सके, कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन कम किया जा सके और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान किया जा सके। विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाले पाठ्यक्रम मांग आधारित और उद्योगों/प्रयोक्ता संगठनों के लिए किए गए आवश्यकता सर्वेक्षणों पर आधारित होंगे। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संशोधित स्कीम कार्यान्वित की जाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण और उपयोग संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैरियर आधारित व्यावसायोन्मुख पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए चयनित कालेजों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकार को सीधे अनुदान प्रदान नहीं करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रमों में कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य में व्यावसायोन्मुख पाठ्यक्रम शामिल हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी किया गया कुल अनुदान	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार व्यय	1.4.2004 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5920.04	5202.69	716.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.35	6.00	.35
3.	असम	1197.78	1010.64	187.14
4.	बिहार	1686.30	1515.14	171.16
5.	छत्तीसगढ़	–	–	–
6.	दिल्ली	186.10	139.27	46.83
7.	गोवा	806.40	785.91	20.49
8.	गुजरात	7765.55	5395.25	2370.30
9.	हरियाणा	3486.72	3458.82	27.90
10.	हिमाचल प्रदेश	425.90	425.90	–
11.	जम्मू-कश्मीर	971.40	380.09	591.31
12.	झारखंड	–	–	–
13.	कर्नाटक	4287.74	4287.74	–
14.	केरल	6074.22	6074.22	–
15.	मध्य प्रदेश	3668.66	3668.66	–
16.	महाराष्ट्र	15024.47	14609.98	414.49
17.	मणिपुर	313.92	287.33	26.59
18.	मेघालय	39.05	18.93	20.12
19.	मिजोरम	220.91	212.12	8.79
20.	नागालैंड	24.24	8	16.24
21.	उड़ीसा	2388.86	2388.86	–
22.	पंजाब	2452.13	1996.95	455.18
23.	राजस्थान	3345.84	3345.84	–

1	2	3	4	5
24.	सिक्किम	312.32	20.84	291.48
25.	तमिलनाडु	3318.84	3086.8	232.04
26.	त्रिपुरा	29.78	–	29.78
27.	उत्तर प्रदेश	7527.16	7527.16	–
28.	उत्तरांचल	–	–	–
29.	पश्चिम बंगाल	61.19	36.99	24.20
संघ राज्य क्षेत्र				
30.	अंदमान और निकोबार	3.24	1.5	1.74
31.	चंडीगढ़	273.47	273.47	–
32.	दादरा और नागर हवेली	5.25	2.96	2.29
33.	दमण और दीव	16.71	16.71	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	–
35.	पांडिचेरी	111.45	82.19	29.26
	कुल	71951.18	66267.96	5684.03

टिप्पणी (1) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार व्यय की स्थिति दर्शाई गई है।

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

जनगणना

813. श्री वाई.जी. महाजन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2001 का जनगणना प्रतिवेदन तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक तैयार किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या विकलांगों की जनगणना अलग से की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में विकलांगों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान। प्राथमिक जनगणना सार जारी किया गया है जिसमें गांव/नगर स्तर पर जनसंख्या के विवरण दिए गए हैं।

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर के आंकड़ें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) जी नहीं, नि:शक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अलग से कोई जनगणना नहीं की गई थी। तथापि, भारत की जनगणना 2001 के दौरान भरी गई परिवार अनुसूची में नि:शक्तता से सम्बन्धित प्रश्न शामिल किया गया था।

(ङ) ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

जनगणना 2001

स्त्री-पुरुष वार जनसंख्या-भारत, राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, 2001

कोड	भारत/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां
1	2	3	4	5
00.	**भारत (3 उप खण्डों को छोड़कर)**	1,028,610,328	532,156,772	496,453,556
01.	जम्मू-कश्मीर	10,143,700	5,360,926	4,782,774
02.	हिमाचल प्रदेश	6,077,900	3,087,940	2,989,960
03.	पंजाब	24,358,999	12,985,045	11,373,954
04.	चण्डीगढ़	900,635	506,938	393,697
05.	उत्तरांचल	8489,349	4,325,924	4,163,425
06.	हरियाणा	21,144,564	11,363,953	9,780,611
07.	दिल्ली	13,850,507	7,607,234	6,243,273
08.	राजस्थान	56,507,188	29,420,011	27,087,177
09.	उत्तर प्रदेश	166,197,912	87,565,369	78,632,552
10.	बिहार	82,998,509	43,243,795	39,754,714
11.	सिक्किम	540,851	288,484	252,367
12.	अरुणाचल प्रदेश	1,097,968	579,941	518,027
13.	नागालैण्ड	1,990,036	1,047,141	942,895
14.	मणिपुर (3 उप खण्डों को छोड़कर)	2,166,788	1,095,634	1,071,154
15.	मिजोरम	888,573	459,109	429,464
16.	त्रिपुरा	3,199,203	1,642,225	1,556,978
17.	मेघालय	2,318,822	1,176,087	1,142,735
18.	असम	26,655,528	13,777,037	12,878,491
19.	पश्चिम बंगाल	80,176,197	41,465,985	38,710,212
20.	झारखंड	26,945829	13,885,037	13,060,792
21.	उड़ीसा	36,804,660	18,660,570	18,144,090

1	2	3	4	5
22.	छत्तीसगढ़	20,833,803	10,474,218	10,359,585
23.	मध्य प्रदेश	60,348,023	31,443,652	28,940,371
24.	गुजरात	50,671,017	26,385,577	24,285,440
25.	दमण और दीव	158,204	92,512	65,692
26.	दादरा और नागर हवेली	220,490	121,666	98,824
27.	महाराष्ट्र	96,878,627	50,400,596	46,478,031
28.	आन्ध्र प्रदेश	76,210,007	38,527,413	37,682,594
29.	कर्नाटक	52,850,562	26,898,918	25,951,644
30.	गोवा	1,347,668	687,248	660,420
31.	लक्षद्वीप	60,650	31,131	29,519
32.	केरल	31,841,374	15,468,614	16,372,760
33.	तमिलनाडु	62,405,679	31,400,909	31,004,770
34.	पाण्डिचेरी	974,345	486,961	487,384
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	356,152	192,972	163,180

टिप्पणी: भारत और मणिपुर के आंकड़ों के सेनापति जिले के तीन उप-खंडों अर्थात माओ मारम, पाओमाटा तथा पुरुल के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से इन तीन उप खंडों में 2001 की जनगणना के परिणाम निरस्त कर दिए गए थे।

[अनुवाद]

दिल्ली में कृषि भूमि का सर्वेक्षण

814. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** 5 अगस्त, 2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 2197 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन 108 मामलों का ब्यौरा क्या है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पंचायत विभाग ने अपील दाखिल की है तथा इन मामलों की संख्या/टाइटल क्या हैं और वर्तमान में ये किस स्थिति में हैं;

(ख) क्या मुकदमें वाली भूमि, जो 30 मामलों में अर्जित की गई, और जिसके लिए कोई अपील दाखिल नहीं की गई है, को संबंधित विभाग/एजेंसियों को कब्जा सौंप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके मामले-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) इन 9 मामलों का ब्यौरा क्या है जिसमें डी.एल.आर. अधिनियम, का उल्लंघन नहीं पाया गया है, और इनकी मामला संख्या/मामले का टाइटल, और खसरा नं. इत्यादि क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों को बंद करना

815. श्री बची सिंह रावत "बच्चदा": क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सरकारी क्वार्टर लंबे समय से बंद पड़े हैं और इनके आबंटन न किए जाने के क्या कारण हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ख) बंद पड़े क्वार्टरों को कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है;

(ग) सरकार को कितने सरकारी कवार्टरों से कोई लाइसेंस फीस प्राप्त नहीं हो रही है या यह पुराने दर पर प्राप्त हो रही है और सरकार द्वारा बकाए की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) कितने वर्षों के बाद सरकारी क्वार्टरों की बाहरी दीवारों पर सफेदी की जाती है;

(ङ) क्या पिछले 8 वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी क्वार्टरों की बाहरी दीवारों पर सफेदी नहीं की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली में सामान्य पूल के विभिन्न टाईपों के कुल 391 क्वार्टर तीन महीनों से अधिक समय से बंद पड़े हैं। 113 क्वार्टरों को खतरनाक घोषित किया गया है। मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद इन क्वार्टरों को पुन: आवंटित किया जायेगा। भूतपूर्व आवंटितियों द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड को बिजली के बिल का भुगतान नहीं किये जाने के कारण 154 क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं। भूतपूर्व आवंटितियों के संबंधित विभागों से संबंधित व्यक्तियों को बकाया राशि के भुगतान हेतु निदेश देने का अनुरोध किया गया है। फ्लाईओवरों, गांवों, इत्यादि से नजदीकी की वजह से अलोकप्रिय होने के कारण 124 क्वार्टरों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इन क्वार्टरों को पात्र कर्मचारियों द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने पर प्रतीक्षा-सूची में दर्ज आगे इन्तजार कर रहे व्यक्तियों को आवंटित कर दिया जाता है।

(ग) जब और जैसे ही आवंटन-पत्र जारी किया जाता है लायसेंस फीस का बिल भी दिया जाता है। उक्त बिल के अनुसार संबंधित डीडीओ द्वारा लायसेंस फीस की वसूली की जाती है। लायसेंस फीस की दरों के जब कभी संशोधित किये जाते ही संबंधित विभागों से संशोधित दरों के अनुसार वसूली करने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, बंद पड़े सरकारी क्वार्टरों के मामले में कोई वसूली नहीं की जा रही है।

(घ) जिन क्वार्टरों में सफेदी/रंगाई की गयी हो, उनकी दुबारा सफेदी/रंगाई दो वर्षों के बाद की जाती है तथा जिन क्वार्टरों की बाहरी सतह पर सीमेंट पेंट किया गया हो, उनमें तीन वर्ष के बाद दुबारा पेंट किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं। ऐसी कोई सरकारी कालोनी नहीं है जहां गत आठ वर्षों से सफेदी नहीं करायी गयी है।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(छ) उपलब्ध बजटीय संसाधनों के भीतर सरकारी कालोनी की बाहरी सतह के समुचित रखरखाव के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं।

[अनुवाद]

उर्दू भाषा का संवर्द्धन

816. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्दू भाषा के संवर्द्धन के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सरकार और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, जो इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत एक स्वायत्त निकाय है, उर्दू भाषा के संवर्धन के लिए अनेक योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता; इस स्कीम के अन्तर्गत द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू शिक्षण के लिए 500 रुपए प्रति माह का मानदेय या नियमित उर्दू शिक्षकों के मूल वेतन का 10%, इनमें से जो भी कम हो, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के लिए बजट अनुमान 2004-05 में 13.00 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(2) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद का वर्ष 2004-05 के लिए 11.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है और यह निम्नलिखित योजनाएं चलाती है।

(क) यह वर्ष 1999 से कम्प्यूटर एप्लीकेशन और बहुभाषी डी टी पी में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रही है। अभी तक 150 केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ख) 12 राज्यों को सम्मिलित करते हुए पूरे देश में 23 सुलेखन और ग्राफिक डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) देवनागरी या रोमन लिपि जानने वालों तथा उर्दू लिपि सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से उर्दू लिपि में एक छह माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है जिसे अब एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है।

(घ) यह परिषद तीन पत्रिकाएं (1) उर्दू दुनिया (मासिक) (2) फिक्र-ओ-तहक़ीक (तिमाही) (3) उर्दू दर्पण (तिमाही) प्रकाशित करती है।

(ङ) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने अभी तक पांच 'कुल हिन्द उर्दू किताब मेले' आयोजित किए हैं जिनमें पहला और दूसरा 2000 और 2001 में लाल किला मैदान दिल्ली में, तीसरा वर्ष 2002 में मुम्बई में, चौथा वर्ष 2003 में श्रीनगर में और वर्ष 2004 में मुम्बई में पांचवां 'कुल हिन्द उर्दू किताब मेला' आयोजित किया गया।

(च) यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया की उर्दू सेवा का लाभ लेने के लिए छोटे और मध्यम स्तर के उर्दू समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस समय युनाइटेज न्यूज आफ इंडिया की उर्दू सेवा से 45 दैनिक उर्दू समाचार पत्र जुड़े हुए हैं।

(छ) उर्दू शिक्षा में संवर्धन के लिए अंशकालीन उर्दू शिक्षकों को कार्य में लगाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और हस्तलिपियों के प्रकाशन तथा थोक में पुस्तकों को खरीदने इत्यादि के लिए स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस्पात की उत्पादन लागत

817. श्री एस. अजय कुमार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अन्य देशों की तुलना में भारत में उत्पादित इस्पात की उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) देश में इस्पात की मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है; और

(ग) इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) इस्पात की उत्पादन लागत इस्पात कंपनियों के लिए वर्गीकृत वाणिज्यिक सूचना है और इस्पात मंत्रालय द्वारा इसके आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) केवल विशेष ग्रेड की कुछ अपेक्षित मात्रा को छोड़कर इस्पात की घरेलू मांग पूर्णत: देश में ही पूरी की जा रही है। वास्तविकता यह है कि कुल सप्लाई मांग से अधिक है। इस्पात की प्रत्यक्ष खपत, जो घरेलू मांग दर्शाती है, 2003-04 में 303 लाख टन थी जबकि परिसज्जित इस्पात का घरेलू उत्पादन 362 लाख टन है।

(ग) नियंत्रणमुक्त और उदार परिवेश में सरकार इस्पात के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार एक सुविधाप्रदाता की भूमिका अदा करती है और इस्पात उद्योग के तेजी से विकास के लिए नीतिगत पहलों के जरिए वातावरण उपलब्ध करवाती है। सरकार ने इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार तथा निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता सृजित करने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय करना। प्रौद्योगिकी उन्नयन, उत्पादकता में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित उत्पाद मिश्र अपनाने सहित इस्पात की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय इस्पात उत्पादकों ने भी कदम उठाए हैं।

स्पंज लौह की मांग और आपूर्ति

818. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक इस्पात संयंत्र में स्पंज लौह की मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है; और

(ख) उस अवधि के दौरान प्रत्येक इस्पात संयंत्र द्वारा कितनी मात्रा में स्पंज लौह का आयात किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों में स्पंज लोहे की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्पंज लोहे का कोई आयात नहीं किया गया।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य

819. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर कंटीली बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस बाड़ को पूरा करने का क्या लक्ष्य है;

(ग) पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसके वर्ष 2003 तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इसकी लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान।

मूलत:, कंटीली तार की बाड़ लगाने का कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य वर्ष 2007 था, न कि वर्ष 2003। इसमें संशोधन करके इसे एक वर्ष आगे बढ़ाकर वर्ष 2006 कर दिया गया।

अभी तक, भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना पर 1423.45 करोड़ रु. की धनराशि खर्च की गई है। इसमें सीमा सड़कों के निर्माण पर हुआ व्यय भी शामिल है। बाड़ निर्माण के मौजूदा डिजाईनों में आशोधन के कारण सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समिति (सी सी एस) ने चल रही बाड़ निर्माण परियोजना की लागत को 1334 करोड़ रु. में संशोधित करके 2876 करोड़ रु. कर दिया।

[हिन्दी]

उर्वरकों के लिए गौण मालभाड़ा

820. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से सभी उर्वरकों के लिए गौण मालभाड़ा देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) और (ख) भाड़ा राजसहायता के एक भाग के रूप में यूरिया पर द्वितीयक भाड़े का भुगतान पहले ही किया जा रहा है और यह नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के संबंध में दी जा रही रियायत दरों में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में उर्वरकों पर द्वितीयक भाड़े का भुगतान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय हेतु भिन्न ठेका दरें

821. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या गृह मंत्री 23.12.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी प्राप्त कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। सन्दर्भाधीन प्रश्न के बारे में पूरी सूचना एकत्र नहीं की गई है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने एक लागत अध्ययन किया था जिसके निष्कर्ष अभी तक गृह मंत्रालय को सूचित नहीं किए गए हैं।

केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए नया आयोग

822. श्री ए.के. मूर्ति: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र-राज्य संबंधों का अध्ययन करने हेतु नया आयोग सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) संघ सरकार ने केन्द्र-राज्य मामलों के मुद्दों पर जांच करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया था। तब से लेकर अब तक भारत की राजनीति तथा अर्थव्यवस्था में हुए भारी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक नया आयोग स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित समेकित बाल विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) के तृतीय चरण का विस्तार

823. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित समेकित बाल विकास परियोजना के तृतीय चरण के विस्तार को मंजूरी प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है और उक्त परियोजना के लिए कितनी धनराशि जारी की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विश्व बैंक सहायता-प्राप्त आई.सी.डी.एस.-3 परियोजना, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है, 30.9.2004 को समाप्त हो रही है। इस परियोजना की अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है और इस पर शीघ्र ही निर्णय हो जाने की सम्भावना है।

विद्युत क्षेत्र संबंधी कृतक बल

824. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र संबंधी कोई कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना है और इसके मुख्य लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या कृतक बल ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो कृतक बल द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इनमें से कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की गई हैं; और

(ङ) शेष सिफारिशें स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ङ) विद्युत क्षेत्र में नवीन निवेश आकर्षित करने तथा सुधारों एवं विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने के लिए 19 अगस्त, 2003 को श्री एन.के. सिंह, सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में "विद्युत क्षेत्र निवेश एवं सुधार पर एक कार्यबल गठित किया गया है। कार्यबल के अन्य सदस्यों में श्री एस. नारायण, श्री आर.वी. शाही, श्रीमती विनीता राय और श्री एच.एल. बजाज शामिल हैं। इस कार्यबल ने सरकार के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ प्रारूप राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारत सरकार ने कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर विद्युत क्षेत्र के लिए पहले ही लाभकारी वित्तीय उपायों की घोषणा कर दी है:

- पारेषण एवं वितरण उपस्करों पर सकल शुल्क को 25% (मूल सीमा-शुल्क)+16% (सीवी शुल्क+4% (विशेष अतिरिक्त शुल्क) से घटाकर 10% (मूल सीमा शुल्क)+16% (सीवी शुल्क) कर दिया है।
- विद्युत मीटरों पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 15% किया जाना।
- कोयले पर सीमा-शुल्क को 25% से घटाकर 15% किया जाना।

पंपसेट इनर्जाइजेशन हेतु राशि

825. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास देश के जनजातीय क्षेत्रों में जल पंपसेट इनर्जाइजेशन हेतु धन उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे राज्य कौन से हैं जहां पंपसेट इनर्जाइजेशन प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) जनजातीय क्षेत्रों समेत सभी क्षेत्रों में पंपसेटों के उर्जन हेतु निधियां प्रदान करता है।

(ख) 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरईसी वित्तपोषित स्कीम के अंतर्गत उर्जित किए गए पंपसेटों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

8वीं, 9वीं और 10वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान आरईसी वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत उर्जित किए गये पंपसेटों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	8वीं पंचवर्षीय योजना	9वीं पंचवर्षीय योजना	10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	364264	89165	52439
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	–	–	–
4.	बिहार	8546	932	–
5.	दिल्ली	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	81745	55299	11155
8.	हरियाणा	20277	6957	867
9.	हिमाचल प्रदेश	845	1529	377
10.	जम्मू-कश्मीर	2410	2552	978
11.	कर्नाटक	164046	217745	18862
12.	केरल	56995	76564	22486
13.	मध्य प्रदेश	220439	114632	–
14.	महाराष्ट्र	343549	230358	85606
15.	मणिपुर	–	–	–
16.	मेघालय	–	–	–
17.	मिजोरम	–	–	–
18.	नागालैंड	4	–	–
19.	उड़ीसा	11582	4382	–
20.	पंजाब	40371	21558	2498
21.	राजस्थान	101591	75478	16923
22.	सिक्किम	–	–	–
23.	तमिलनाडु	197371	185234	55306

1	2	3	4	5
24.	त्रिपुरा	256	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	68436	37821	–
26.	पश्चिम बंगाल	6644	33	–
	कुल	16,89,371	11,20,239	2,67,497

[हिन्दी]

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा हेतु धन का आबंटन

826. श्री प्रदीप गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ राज्य के सृजन के पश्चात आज की तिथि तक प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा हेतु योजनावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) इस संबंध में वर्षवार कितनी कार्य प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत राज्यवार आवंटन नहीं होता। तथापि, प्राप्त प्रस्तावों, संसाधनों की उपलब्धता और प्रत्येक योजना के तहत पहले जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को अनुदान जारी किया जाता है। वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक प्रारंभिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए योजनावार आवंटित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण I में II में दिया गया है।

विवरण I

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र/योजना का नाम	आबंटन 2001-02
1	2	3
प्रारंभिक शिक्षा		
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से भिन्न	
1.	आपरेशन ब्लैकबोर्ड	520.00
2.	शिक्षक शिक्षा	220.00
3.	अनौपचारिक शिक्षा (राज्य क्षेत्र)	400.00
4.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	6.00
5.	बाल भवन सोसायटी	4.00
6.	प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	930.00
7.	सर्व शिक्षा अभियान	500.00

1	2	3
8.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम	10.00
क.	उप-जोड़ (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से भिन्न)	2590.00
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
1.	शिक्षा कर्मी	30.00
2.	लोक जुंबिश	59.00
3.	महिला समाख्या	11.00
4.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1100.00
5.	जिला प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम	10.00
ख.	उप जोड़ (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं)	1210.00
	कुल प्रारंभिक शिक्षा	3800.00
माध्यमिक शिक्षा		
1.	स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा (क्लास)	84.50
2.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.)	21.40
3.	शिक्षा का व्यवसायोन्मुखीकरण	42.70
4.	स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय प्रबोधन	2.60
5.	स्कूलों में विज्ञापन शिक्षा का सुधार	18.00
6.	योग संवर्धन	0.30
7.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	13.70
8.	एन.सी.ई.आर.टी.	11.20
9.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	8.30
10.	नवोदय विद्यालय	349.50
11.	बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु गैर-सरकारी संठनों को सहायता	4.30
12.	केंद्रीय विद्यालय	81.10
13.	राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (स्कूल एवं एन.एफ.ई.)	3.50
14.	केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सी.टी.एस.ए.)	2.60
	कुल (माध्यमिक शिक्षा)	643.70

1	2	3
	विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	
1.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	0.50
2.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज ट्रस्ट	0.50
3.	उच्च अध्ययन संस्थान	0.60
4.	आई.सी.एच.आर.	2.50
5.	आई.आई.ए.एस.	2.50
6.	आई.सी.पी.आर.	2.26
7.	आई.सी.एस.एस.आर.	15.35
8.	यू.जी.सी.*	488.08
9.	इग्नू	59.00
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	0.90
11.	पी.एच.आई.एस.पी.सी.	1.80
12.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना (भाषा से अंतरित)	0.01
13.	बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा	1.00
	कुल (विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा)	575.00

*इसमें नौवीं योजना में वैज्ञानिक अनुसंधान सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के लिए आवंटित 28.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान भी शामिल है।

विवरण II

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र/योजना का नाम	आबंटन		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
	प्रारंभिक शिक्षा			
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से भिन्न			
1.	आपरेशन ब्लैकबोर्ड	65.00	0.00	0.00
2.	शिक्षक शिक्षा	207.00	207.00	207.00
3.	अनौपचारिक शिक्षा (ई.जी.एस. एण्ड ए.आई.ई.)	2.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
4.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	5.00	6.25	7.75
5.	बाल भवन सोसायटी	4.50	4.00	4.72
6.	प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	1175.00	1175.00	1675.00
7.	सर्व शिक्षा अभियान	1680.00	1851.25	2557.08
8.	कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	8.50	8.50	100.00
क.	उप-जोड़ (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से भिन्न)	3147.00	3252.00	4551.55
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
1.	शिक्षा कर्मी	40.00	10.00	39.04
2.	लोक जुंबिश	60.00	70.00	29.41
3.	महिला समाख्या	20.00	30.00	30.00
4.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1380.00	1200.00	600.00
5.	सर्व शिक्षा अभियान	*	100.00	500.00
6.	प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम	20.00	5.00	–
ख.	उप-जोड़ (विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं)	1520.00	1415.00	1198.45
	कुल प्रारंभिक शिक्षा	4667.00	4667.00	5750.00
माध्यमिक शिक्षा				
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं			
1.	पहुंच एवं समता	20.00	20.00	30.00
2.	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार	26.00	26.00	20.00
3.	स्कूलों में आई.सी.टी.	111.00	111.00	97.00
4.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.सी.)	35.00	35.00	39.00
5.	शिक्षा का व्यवसायोन्मुखीकरण	50.00	@	@
6.	स्कूली शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को सहायता-अनुदान			
	(1) एन.सी.ई.आर.टी.	14.00	14.00	19.00

*सर्वशिक्षा अभियान के तहत विदेशी सहायता प्राप्त से भिन्न परियोजनाएं शामिल।

1	2	3	4	5
	(2) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	15.00	15.00	7.00
	(3) नवोदय विद्यालय	360.00	360.00	392.00
	(4) केंद्रीय विद्यालय	85.00	85.00	85.00
	(5) केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सी.टी.एस.ए.)	3.00	3.00	3.00
7.	मंगोलिया में भारत और मंगोलिया का संयुक्त विद्यालय	-	-	1.00
	कुल (माध्यमिक शिक्षा)	719.00	669.00	693.00
	विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा			
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं			
1.	बालिकाओं की नि:शुल्क शिक्षा	1.00	1.00	1.00
	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
2.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	0.50	0.40	0.50
3.	उच्च अध्ययन संस्थान	1.00	1.30	1.00
4.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज ट्रस्ट	0.50	0.40	0.40
5.	यू.जी.सी.	516.75	516.75	541.75
6.	इग्नू	67.00	67.00	67.00
7.	शोध संस्थाएं			
	(1) आई.सी.एच.आर.	2.80	2.80	2.80
	(2) आई.आई.ए.एस.	2.75	2.75	2.75
	(3) आई.सी.पी.आर.	2.40	2.40	2.40
	(4) आई.सी.एस.एस.आर.	17.50	17.50	17.50
	(5) पी.एच.आई.एस.पी.सी.	1.90	1.90	1.90
	(6) राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	0.90	0.80	1.00
	कुल (विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा)	615.00	615.00	640.00

@अब तकनीकी शिक्षा ब्यूरो को अंतरित

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा प्रयोगकर्त्ताओं को सब्सिडी

827. श्री पी.सी. थामस: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सौर ऊर्जा के प्रयोगकर्त्ताओं को प्रत्यक्ष सब्सिडी उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और ऊर्जा के विकास हेतु प्रत्येक राज्य विशेषकर केरल को संस्वीकृत केन्द्रीय अनुदान की धनराशि कितनी है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर रोशनी, सौर पंप और सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्रों के प्रयोगकर्त्ताओं को उनकी संबंधित राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसियों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करता रहा है। सौर जल तापकों के लिए प्रयोगकर्त्ता मंत्रालय की ब्याज सब्सिडी स्कीम के तहत कुछ निर्दिष्ट बैंकों और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से उदार ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के मामले में केन्द्रीय सब्सिडी की प्रमात्रा प्रणाली-दर प्रणाली भिन्न-भिन्न है। यह विशेष श्रेणी के राज्यों में लगभग 90% और अन्य राज्यों में लगभग 50% है। सौर तापीय प्रणालियों के लिए उदार ऋणों पर ब्याज की दरें व्यक्तियों तथा वाणिज्यिक संगठनों के लिए क्रमश: 5% और 7% प्रतिवर्ष हैं।

(ग) प्रत्यक्ष सब्सिडी/ब्याज सब्सिडी प्रदान करने तथा प्रचार-प्रसार और संवर्धनात्मक प्रयासों के लिए अनुदान के अतिरिक्त, सौर ऊर्जा के व्यापक प्रयोग के लिए प्रदान किए जा रहे अन्य प्रोत्साहनों में आयकर कानून के अंतर्गत त्वरित मूल्यह्रास, केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क में छूट और कुछ बिजली बोर्डों द्वारा सौर जल तापन प्रणालियों के प्रयोग हेतु बिजली बिलों में छूट देना शामिल है। अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और किफायती उत्पादों के विकास के लिए मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता भी प्रदान की जा रही है।

(घ) सौर ऊर्जा के विकास के लिए केरल सहित प्रत्येक राज्य को मंजूर किए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए निधियों की राज्यवार रिलीज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (लाख रु. में)		
		2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	286.67	348.77	38.76
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.53	151.69	174.59
3.	असम	1.26	89.50	336.70
4.	बिहार	0.33	4.00	1.37
5.	छत्तीसगढ़	249.70	629.17	417.66
6.	दिल्ली	0.76	17.88	6.59
7.	गोवा	0.00	0.00	18.63
8.	गुजरात	87.43	306.06	85.94

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	233.44	523.44	292.05
10.	हिमाचल प्रदेश	135.44	120.91	112.63
11.	जम्मू-कश्मीर	772.06	715.83	648.50
12.	झारखंड	3.41	133.98	1057.93
13.	कर्नाटक	115.15	125.45	247.67
14.	केरल	851.10	38.82	35.16
15.	मध्य प्रदेश	34.53	112.25	16.38
16.	महाराष्ट्र	46.09	29.12	331.48
17.	मणिपुर	44.75	738.23	241.53
18.	मेघालय	9.68	340.92	43.32
19.	मिजोरम	19.95	57.33	308.51
20.	नागालैंड	0.00	0.80	1.80
21.	उड़ीसा	65.00	0.00	–
22.	पंजाब	650.56	1043.57	1546.23
23.	राजस्थान	592.25	667.98	560.19
24.	सिक्किम	36.92	20.90	40.56
25.	तमिलनाडु	55.50	73.75	1917.49
26.	त्रिपुरा	205.80	399.09	954.56
27.	उत्तर प्रदेश	794.62	747.50	1970.73
28.	उत्तरांचल	261.37	587.19	1126.10
29.	पश्चिम बंगाल	793.44	688.04	2787.26
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	66.00	88.93	–
31.	चंडीगढ़	13.94	12.71	16.89
32.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	572.49	392.00	–
33.	पांडिचेरी	3.78	14.94	4.10
34.	अन्य	–	–	140.45

[हिन्दी]

सौर लालटेन का वितरण

828. श्रीमती रंजीत रंजन: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के बीच कितने सौर लालटेनों को वितरित किया गया;

(ख) क्या सौर लालटेनों के वितरण कार्यक्रम को रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार उक्त लालटेनों को बिना किसी अड़चन के वितरित कराने हेतु एक नई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या रूपरेखा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2001-02 तक बिहार सहित समूचे देश में सब्सिडीकृत लागत पर सौर लालटेनों की आपूर्ति के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। तथापि, योजना के गलत प्रयोग की संभावना से बचने और सौर लालटेनों के लिए स्वतंत्र बाजार के विकास को समर्थ बनाने के लिए वित्त वर्ष 2002-03 से सौर लालटेनों पर सब्सिडी को वापिस लिया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में वितरित की गई सौर लालटेनों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	वितरित सौर लालटेनों की संख्या
2001-02	2500
2002-03	5500
	पिछले वर्ष के आबंटनों से दी गई
2003-04	शून्य

योजना सभी श्रेणी के उपयोगकर्त्ताओं के लिए खुली थी। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले व्यक्तियों को वितरित की गई प्रणालियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। पद्धतियों पर कार्य किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अभियंत्रण महाविद्यालयों का स्थापित किया जाना

829. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में नए अभियंत्रण महाविद्यालय को स्थापित करने हेतु केरल सरकार द्वारा अनुशासित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज की तिथि तक संबंधित प्राधिकारी द्वारा इनमें से कितनों को संस्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या सक्षम प्राधिकारी ने हाल में गैर-सरकारी स्ववित्तपोषित व्यावसायिक महाविद्यालयों को मान्यता दी है; और

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इन महाविद्यालयों में अभियंत्रण हेतु उपलब्ध कुल सीटों और मेरिट के आधार पर उपलब्ध सीटों का कोटिवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार द्वारा नए इंजीनियरी कालेज स्थापित करने के लिए संस्तुत किए गए आवेदनों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए अनुमोदन का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा संस्तुत प्रस्तावों की संख्या	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थाओं की संख्या
2002-03	47	29
2003-04	18	10
2004-05	08	07
कुल	73	46

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा केरल राज्य में अनुमोदित कुल 46 इंजीनियरी कालेजों में से 40 कालेज प्राइवेट स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक कालेज हैं।

(घ) टी.एम.ए. पाई फाउन्डेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार 'फ्री' सीटों और भुगतान वाली सीटों सम्बन्धी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, राज्य सरकारों को सरकारी सहायता प्राप्त न करने वाले व्यावसायिक कालेजों में प्रबंधन सीटों के प्रतिशत का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा केरल राज्य में अनुमोदित स्व-वित्तपोषित इंजीनियरी कालेजों में उपलब्ध कुल सीटों की संख्या 14820 है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

830. श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु संसाधनों को जुटाने के लिए सभी मंत्रालयों के वार्षिक आबंटन में 10 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003-2004 के दौरान उक्त कटौती के परिणामस्वरूप कुल कितनी धनराशि एकत्र हुई तथा कटौती का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी मंत्रालय को 10 प्रतिशत की कटौती के नियम से छूट दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो छूट प्राप्त करने वाले मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है और छूट दिये जाने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) वर्ष 1998-99 में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया था कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर, की सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों पर व्यय के लिए अलग रखा जाये और अलग रखे गये जी बी एस के 10 प्रतिशत में से खर्च न किया गया बकाया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनओं के निधियन के लिए अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल में अन्तरित कर दिया जाये।

(ख) वर्ष 2003-2004 के लिए, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के जी बी एस के 10 प्रतिशत में से खर्च न किया गया बकाया जो एन एल सी पी आर में आना है के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) जी हां। 10 प्रतिशत आबंटन के मानदण्ड से 18 मंत्रालयों/विभागों को छूट दी गई है इनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है। 10 प्रतिशत आबंटन के छूट देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड में ये शामिल हैं:

(1) अति वैज्ञानिक मंत्रालय/विभाग जिनके लिए उत्तर पूर्व में कार्य की कोई गुंजाइश नहीं है जैसे कि अन्तरिक्ष, आणविक ऊर्जा विभाग इत्यादि।

(2) वे मंत्रालय/विभाग जिनकी उत्तर-पूर्व और सिक्किम के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है जैसे कि महासागर विकास विभाग और वे मंत्रालय जिनके मामले में गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व और सिक्किम में व्यय शून्य था।

(3) वे मंत्रालय/विभाग जिनका जी बी एस 10.00 करोड़ रुपयों से कम है।

विवरण

मौजूदा छूट प्राप्त मंत्रालयों की सूची

1. व्यय
2. राजस्व
3. योजना
4. महासागर विकास
5. अंतरिक्ष
6. आणविक ऊर्जा
7. आर्थिक कार्य
8. विदेश कार्य
9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
10. स्टील
11. विधि कार्य
12. कार्मिक और प्रशिक्षण
13. जैव प्रौद्योगिकी
14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
15. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान
16. राजभाषा विभाग
17. कम्पनी कार्य

18. सामाजिक न्याय और अधिकारिता (मंत्रालय को अपने बजट का 2 प्रतिशत अनुसूचित जाति प्रभाग के लिए अलग रखना होता है। 10 प्रतिशत का मापदण्ड मंत्रालय के अन्य कार्यक्रमों के लिए लागू है।)

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को पुनरुज्जीवित करना

831. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को पुनरुज्जीवित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाईवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुणे की पेंसीलिन उत्पादन करने वाली कंपनी ने सरकार को पुनरुद्धार पैकेज भेजा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या मुम्बई स्थित सन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा उक्त कंपनी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को फाइलों में स्थगित कर दिया गया है और बी आई एफ आर की कार्यवाही रोक दी गई है; और

(च) यदि हां, तो भारतीय बाजार में चीन सहित अन्य देशों द्वारा सस्ती पेंसीलिन के पाटन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बजट 2004-05 में यह घोषणा की है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को उसके पुनर्गठन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ग) से (ङ) एच एल पिम्परी, पुणे सार्वजनिक क्षेत्र में एक रुग्ण कंपनी है जो औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण ब्यूरो को संदर्भित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), मुम्बई जिसे बी आई एफ आर, द्वारा प्रचालन एजेंसी नियुक्त किया गया है, ने 30 अप्रैल, 2004 को एच ए एल द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार योजना पर विचार करने के लिए सभी संबंधितों और मेसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लि. (एस पी आई एल) के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान प्रचालन एजेंसी (आई डी बी आई) ने एस पी आई एल के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है और एच ए एल से संशोधित पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। एच ए एल ने प्रस्ताव किया है जिसमें सरकार द्वारा धन लगाए जाने की आवश्यकता है।

(च) महानिदेशक, पाटनरोधी (डी जी ए डी) को जनवादी गणतंत्र चीन से पेंसीलिन में आयातों पर पाटन रोधी जांच प्रारंभ करने के लिए घरेलू उद्योग से कोई पूर्ण दस्तावेजी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्य देशों में अनुमत्य अवधि से अधिक अवधि तक रहने वाले भारतीय नागरिक

832. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर कुछ लोगों को अन्य देशों में अनुमत्य अवधि से अधिक अवधि तक रहने और उनके पासपोर्टों/वीजा पर आगमन की उचित मुहर के बगैर देश में प्रवेश करने पर गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां से ये भारतीय नागरिक आए;

(ग) क्या जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ सरकारी कर्मचारी इन लोगों को उचित तथा वैध प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना देश में प्रवेश दिलाने में सहायता करने में संलिप्त पाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे विभाग कौन से हैं जिनसे ये अधिकारी संबंधित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 की अवधि के दौरान कोई भी ऐसा भारतीय राष्ट्रिक, जिसने वैध दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा की हो परन्तु वहां ठहरने की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरा हो तथा वहां से निर्वासित किया गया हो, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार नहीं किया है। तथापि, 51 ऐसे व्यक्ति, जो बगैर दस्तावेजों के विदेश गए थे तथा पकड़े जाने पर निर्वासित किए गए थे, उक्त अवधि के दौरान उनके आगमन पर गिरफ्तार कर लिए गए। उन देशों के नाम जहां से वे आए थे। संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	आए व्यक्तियों की संख्या
1.	साइप्रस	3
2.	यू.एस.ए.	4
3.	नार्वे	2
4.	स्पेन	2
5.	कनाडा	3
6.	रूस	2
7.	यूनाइटिड किंगडम	6
8.	इटली	1
9.	मलेशिया	4
10.	फ्रांस	6
11.	वियाना	1
12.	थाइलैंड	7
13.	आस्ट्रेलिया	2
14.	हांगकांग	1
15.	चीन	2
16.	ताशकंद	5

[हिन्दी]

सेल द्वारा अर्जित लाभ

833. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रिकार्ड लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सेल ने हाल ही में मजदूरी संशोधन की भी घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं।

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का पिछले दो वर्षों का लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

2002-03	2003-04
(-)304	2512

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल द्वारा कोयला खान संबंधी संयुक्त उद्यम

834. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) विदेश में कोयला खान संबंधी संयुक्त उद्यम पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सेल के संयंत्रों को कोयले की अबाध आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) कोककर कोयले की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सेल फिलहाल विदेशी कोयला खनन कंपनियों के साथ नीतिपरक एलाइंस करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है। उनकी उपयुक्तता देखने के लिए फिलहाल कई प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) घरेलू स्रोतों से सेल को कोककर कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए इस्पात मंत्रालय ने विद्यमान अथवा नए ब्लाकों का संदोहन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सेल के बीच संयुक्त उद्यम बनाने पर विचार करने के लिए कोयला मंत्रालय को सुझाव दिया है।

रुग्ण उर्वरक एककों का पुनरुद्धार

835. श्री अधीर चौधरी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार रुग्ण घोषित किए गए उर्वरकों एककों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) रुग्ण उर्वरकों एककों के पुनरुद्धार तथा मौजूदा एककों के विस्तार से संबंधित सरकार की नीति क्या है;

(ग) पिछली योजना अवधि के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए और चालू योजना हेतु तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो पिछली योजना में इससे संबंधित उपलब्धियां क्या हैं; और

(च) चालू योजना के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उर्वरकों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) रुग्ण उर्वरक इकाइयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

कंपनी का नाम	इकाई	राज्य
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआई)	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश
	कोरबा	छत्तीसगढ़
	रामागुंडम	आन्ध्र प्रदेश
	सिंदरी	झारखंड
	तालचर	उड़ीसा
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एचएफसी)	बरौनी	बिहार
	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पीपीसीएल)	देहरादून	उत्तरांचल
	अमझोर	बिहार
	सलादीपुरा	राजस्थान

(ख) सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार रुग्ण उर्वरक कंपनियों का आधुनिकीकरण, पुनर्गठन और पुनरुद्धार किया जाना है तथा लंबे समय से हानि में चल रही कंपनियों के सभी कामगारों को न्यायसंगत, देय राशि और मुआवजा मिल जाने पर उन कंपनियों को बंद कर/बेच दिया जायेगा।

(ग) साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आलोक में, बंद कर दिये गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार की बाजार मांग और उनकी प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर पुन: जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन उर्वरक संयंत्रों की स्थापना और विस्तार करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आश्यकता नहीं है। तथापि, सरकार प्रमुख उर्वरकों की स्वदेशी मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उर्वरक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरक नीतियों का अनुपालन कर रही है। (क) नई एवं विस्तार यूरिया परियोजनाओं, और (ख) मौजूदा गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों को फीडस्टाफ/ईंधन के लिए प्राकृतिक गैस/एलएनजी में परिवर्तित करने हेतु किए जाने वाले निवेश के लिए सरकार ने हाल ही में मूल्यनिर्धारण नीति की घोषणा की है। यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए बहु-राज्यीय सहकारी समितियां इफको और कृभको ओमान आयल कंपनी के साथ मिलकर सुर, ओमान में संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही हैं और 16.52 लाख मी. टन के संपूर्ण यूरिया उत्पादन को सरकार द्वारा आयात किया जाएगा। दूसरी ओर, फास्फेटयुक्त पोटाशयुक्त उर्वरकों (एमओपी को छोड़कर) की स्थापित क्षमता (पोषक के रूप में 54.20 लाख मी. टन) वर्तमान आवश्यकता (गत तीन वर्षों की औसत खपत 46.47 लाख मी. टन है) को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक एमओपी का संबंध है, देश में पोटाश के कोई दोहनयोग्य भंडार न होने के कारण देश पूर्णत: आयात पर निर्भर है।

(च) दसवीं योजना कार्यकारी दल के अनुसार मौजूदा संयंत्रों में 100% क्षमता उपयोग मानते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना में पोषकों के रूप में नाइट्रोजन और फास्फेट का उत्पादन निम्नानुसार होने का अनुमान है:

वर्ष	नाइट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)
2002-03	120.58	52.31
2003-04	121.74	52.31
2004-05	121.74	52.31
2005-06	121.74	52.31
2006-07	129.28	52.31

'सेल' का विस्तार/उन्नयन

836. **श्री के.एस. राव:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का विस्तार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल ने अपना कार्यबल कम कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सेल के उत्पादन और कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) सेल के विस्तार और प्रौद्योगकीय उन्नयन के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) कंपनी की समग्र रूप से प्रतिस्पर्धा में सुधार करने के लिए सरकार ने सेल की पुनर्संरचना योजना के भाग के रूप में अपनी जनशक्ति में कमी करने के लिए कदम उठाने के लिए सेल को निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, बेहतर निधि प्रबंधन, ऋण में कमी करने और आदान सामग्रियों में सुधार करने सहित लागत में कमी करने, बेहतर उत्पाद मिश्र, गुणवत्ता उन्नयन, उत्पादन और दक्षता में वृद्धि करने के लिए उपस्कर उपयोगिता में सुधार करने के लिए कदम उठाने के लिए भी कंपनी को निदेश दिए गए हैं।

जीवन रक्षक औषधियों का मूल्य

837. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवाइयों के मूल्य विशेषकर जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य नियमित रूप से बढ़ रहे हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए है जिससे कम-से-कम जीवन रक्षक औषधियां आम आदमी खरीद सके?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों के बीच कोई भेद नहीं करता है। उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार सरकार, पहली अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करती है। यदि, किसी अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग के अनुमोदित/अधिसूचित मूल्य में कोई उल्लंघन होता है, तो डी.पी.सी.ओ. 95 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

गैर-सूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन बजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। जहां कहीं जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया जाता है, वहां सरकार उपचारी उपाय करती है।

[अनुवाद]

दमन पुल का ढह जाना

838. **श्री मोहन एस. डेलकर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दमन पुल के ढह जाने की दुखद घटना के सम्बन्ध में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं जिसमें 28 निर्दोष विद्यालय छात्रों की मृत्यु हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जांच समाप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर की गई अनुपालन कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) पुल के ध्वस्त होने से संबंधित मामलों की जांच करने के उद्देश्य से जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में दमन में मुख्यालय बनाकर, एक जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

तथापि, इस जांच आयोग की नियुक्ति अभी तक अधिसूचित नहीं की जा सकी है क्योंकि जांच आयोग की अध्यक्षता करने के इच्छुक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का चयन नहीं हो पाया है। मामले को शीघ्र ही निपटा लिए जाने की आशा है।

इसी बीच दमन एवं दीव प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में सभी पुलों और नदी पथों का निरीक्षण कर लिया है। निरीक्षण प्रारम्भ करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए हैं ताकि इन संरचनाओं की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ध्वस्त पुल को पैदल यात्रियों तथा हल्के मोटर वाहन यातायात के प्रयोग हेतु खोल दिया गया है।

रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत

839. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों की उत्पादन लागत विभिन्न प्रकार के ईंधनों के उपयोग की वजह से प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन लागत संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के ईंधनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (घ) रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन की लागत इनके उत्पादन में प्रयोग किए गए फीडस्टाक, ईंधन/कच्चे माल की किस्मों के साथ-साथ अन्य बातों पर निर्भर करती है। यूरिया के उत्पादन में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बनों का उपयोग फीडस्टाक/ ईंधन के रूप में किया जाता है। आदानों/कच्चे माल के मूल्यों में भिन्नता का उर्वरकों की उत्पादन लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दिनांक 15.6.2004 की स्थिति के अनुसार यूरिया इकाइयों को देय रियायत की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

यूरिया उत्पादक इकाइयां यूरिया उत्पादन के लिए मुख्यत: प्राकृतिक गैस, नेफ्था, ईंधन तेल (एफओ), लो सल्फर हैवी स्टाक (एलएसएचएस), कोयला इत्यादि का उपयोग करती है। यूरिया उत्पादक इकाइयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान यूरिया उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस, नेफ्था, ईंधन तेल, एलएसएचएस तथा एचएसडी की खपत का मूल्य नीचे दिया गया है:

फीडस्टाक/ईंधन	खपत का मूल्य (करोड़ रुपये में)	
	2002-03	2003-04
प्राकृतिक गैस	2628	2605
नेफ्था	4981	5647
ईंधन तेल	561	626
एलएसएचएस	1484	1385
एचएसडी	8	24
कुल मूल्य	9662	10286

दिनांक 31.3.2003 तक, यूरिया इकाइयों को राजसहायता भुगतान पूर्ववर्ती प्रतिधारण मूल्य योजना (आर.पी.एस), जो कि इकाई विशिष्ट तथा अतिरिक्त लागत स्वरूप की थी, के उपबंधों के तहत शासित किए जाते थे। प्रतिधारण मूल्य का प्रतिस्थापन करते हुए दिनांक 1.4.2003 से यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना (एन.पी.एस.) प्रारंभ की गई। नई मूल्य निर्धारण योजना का प्रमुख विचार एवं उद्देश्य अति दक्ष फीडस्टाक तथा अधुनातन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित अंतराष्ट्रीय स्तर के दक्षता मानकों को प्रोत्साहित करना है।

उर्वरक विभाग ने यूरिया उत्पादक इकाइयों के प्रति टन यूरिया के लिए नियामक रूप से निश्चित पूर्व-निर्धारित ऊर्जा स्तर निर्धारित किए हैं जो दिनांक 1.4.2004 से लागू हुए हैं

जहां तक नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों का संबंध है, इन उर्वरकों के उत्पादन में मुख्यत: आयातित उर्वरक आदानों नामत: अमोनिया, फास्फोरिक एसिड, राक फास्फेट और सल्फर का उपयोग किया जाता है। इसलिए, उत्पादन की लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उर्वरक आदानों की लागत तथा विनिमय दर पर निर्भर करती है। सरकार ने सिंगल सुपर फास्फेट को छोड़कर सभी फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के लागत मूल्य निर्धारण अध्ययन का कार्य टैरिफ आयोग को सौंपा है। टैरिफ आयोग ने दक्षता और खपत के अति दक्ष मानकों के आधार पर इन उर्वरकों की नियामक लागत की गणना की है, जिसे इन उर्वरकों पर रियायत/राजसहायता प्रदान करने के लिए आधार माना गया है।

विवरण

दिनांक 15.6.2004 के अनुसार यूरिया इकाइयों के लिए निर्धारित रियायत दरों का विवरण

क्र.सं.	यूरिया इकाई का नाम	रियायत की दर (रुपये/टन)
1	2	3
	फीड स्टाक: 1992 से पूर्व—गैस	
1.	एच एफ सी-नामरूप-3	5267
2.	इफको-आंवला-1	6000
3.	इण्डो-गल्फ-जगदीशपुर	6065
4.	कृभको-हजीरा	5159
5.	एन एफ एल-विजयपुर-1	5856
	फीडस्टाक 1992 पश्चात्—नेफ्था	
6.	एनएफसीएल-काकीनाड़ा-1	6878
7.	सीएफसीएल-गडेपन-1	7760
8.	टीसीएल-बबराला	7622
9.	ओसीएफएल-शाहजहांपुर	7662
10.	एनएफसीएल-काकीनाडा-3	7984
11.	इफको-आंवला-2	6570
12.	एनएफएल-विजयपुर-2	7171
	फीडस्टाक 1992 से पूर्व—नेफ्था	
13.	इफको-फूलपुर-1	11944
14.	एमसीएफएल-मंगलोर	12625
15.	एमएफएल-चैन्नई	14686
16.	एसएफसी-कोटा	11613
17.	एसपीआईसी-तूतीकोरिन	12545
18.	जेडआईएल-गोवा	13766
	फीडस्टाक: 1992 के पश्चात्—नेफ्था	
19.	इफको-फूलपुर-2	12129
20.	सीएफसीएल-गडेपन-2	11996
	फीडस्टाक: ईंधनतेल/एलएसएचएस	
21.	जीएनवीएफसी-भरूच	8204
22.	एन एफ एल-नांगल	12522
23.	एन एफ एल-भटिंडा	12209
24.	एनएफएल-पानीपत	11843
	फीडस्टाक-मिश्रित	
25.	जीएसएफसी-बड़ोदरा	9060
26.	इफको-कलोल	8648
27.	आरसीएफ-थाल	7864

डी.वी.सी. के मुख्यालय का स्थानान्तरण

840. श्री बाबू लाल मरांडी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कोलकाता से रांची में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्थानंतरण कब तक होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लोहे के मूल्य में वृद्धि

841. श्री महेश कनोडीया:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लोहे के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी, नहीं। देश में लोहे और इस्पात के मूल्य लगातार नहीं बढ़ रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उदार परिवेश में सरकार मूल्यों को प्रभावित करने के लिए बाजार में सीधे हस्तक्षेप नहीं करती। अपनी नीतिगत पहलों के जरिए सरकार ने इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू बाजार में इस्पात के मूल्यों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) गैर-मिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 10% करना,

(2) मिश्र इस्पात पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 15% करना,

(3) आयात पर 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस ए डी) को समाप्त करना,

(4) इस्पात मदों पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 12% करना,

(5) इस्पात उत्पादों के निर्यात पर डी ई पी बी लाभ बंद करना,

(6) वर्ष 2004-05 के दौरान, लघु उद्योग निगम (एस एस आई सी) योजना के अंतर्गत लघु उद्योग इकाइयों को सप्लाई के लिए इस्पात मदों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना।

दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति

842. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए राज्य-वार दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति हेतु विभिन्न राज्य-सरकारों विशेषत: मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की है; और

(ख) उक्त धनराशि को कब तक आबंटित किये जाने की सम्भावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) किसी भी राज्य सरकार से अभी तक कोई पूरा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विद्यार्थियों की कठिनाई को कम करने के लिए इस वर्ष से यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित राज्यों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछले साल के अधिकृत केन्द्रीय हिस्से का 50% प्रथम किश्त के रूप में निर्मुक्त किया जाएगा।

विद्युत के निजीकरण के कारण घाटा

843. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बिजली वितरण के निजीकरण के कारण भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान विद्युत के निजीकरण के कारण दिल्ली सरकार को कितना घाटा हुआ एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति मांगी है या उसके साथ इस संबंध में चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भूमिका अदा की गई और इस संबंध में केन्द्र सरकार की भावी नीति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि वितरण प्रणाली के निजीकरण के कारण उसे भारी हानि हुई। अंतरण स्कीम के अनुसार वितरण कंपनियों को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा निर्धारित दर पर उनकी भुगतान क्षमता के अनुरूप विद्युत उपलब्ध करानी थी। इस स्कीम के अनुसार प्रत्येक वितरण कंपनी से अपेक्षा है कि वह औसत तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानि संबंधी लक्ष्यों को वर्ष दर वर्ष आधार पर पूरा करें, जिस प्रकार डिस्काम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च, 2004 में पूरा किया गया है। विद्युत खरीद लागत तथा भारी आपूर्ति टैरिफ के बीच के अंतराल को पाटने के लिए ट्रांस्को को ऋण उपलब्ध कराने के

लिए 3450 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गयी है। अंतरण स्कीम में यह व्यवस्था है कि प्रथम दो वर्षों में ट्रांस्को को क्रमशः 1364 करोड़ तथा 1260 करोड़ रुपये की राशि और वर्ष 2004-05 में 690 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।

(ग) और (घ) विद्युत वितरण का निजीकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

[अनुवाद]

संयुक्त प्रवेश परीक्षा

844. **श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आई.आई.एम. और अन्य एम.बी.ए. स्थानों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.ए.टी.) के लिए वर्तमान नियमों और मार्ग-निर्देशों में बदलाव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परीक्षा-प्रणाली का किस आधार पर पुनरीक्षण किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) पहले दिनांक 10 अक्तूबर, 2003 के आदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि देश की सभी संस्थाओं में शैक्षिक वर्ष 2004-05 से एम.बी.ए./पी.जी.डी.एम. (अथवा समकक्ष) कार्यक्रमों में दाखिला अखिल भारतीय आधार पर 5 राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं नामतः-सी.ए.टी. (भारतीय प्रबंधन संस्थानों द्वारा आयोजित,) जे.एम.ई.टी. (भारतीय औद्योगिक संस्थाओं द्वारा आयोजित) एम.ए.टी. (ए.आई.एम.ए. द्वारा आयोजित), ए.टी.एम.ए. (ए.आई.एम.एस. द्वारा आयोजित) और एक्स.ए.टी. (एक्स.एल.आर.आई. द्वारा आयोजित) किया जाएगा। ये परीक्षाएं स्वतंत्र रूप से आयोजित की जाएगी बशर्ते से विषयपरक और पारदर्शी हों। अखिल भारतीय आधार पर दाखिला देने वाली सभी संस्थाओं को इन परीक्षाओं में से किसी एक को विकल्प के रूप में अपनाना होगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि इन पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2005-06 से दाखिला एकल संयुक्त अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के स्वरूप और विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न पात्रता मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 17.06.2004 के संकल्प द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यथापूर्व स्थिति को बनाए रखा जाए और शैक्षिक सत्र 2005-06 से एकल संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बजाय उपर्युक्त पांच राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को जारी रखा जाए।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

845. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के क्रम में देश में विद्यमान वृहत विद्युत नीति में कुछ परिवर्तन करने और छः सूत्रीय रणनीति अपनाने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) 1995 में घोषित मेगा विद्युत नीति की समीक्षा की गई है, समुचित अंतर मंत्रालयी परामर्शों, इसके क्रियान्वयन में प्राप्त अनुभवों और विद्युत सेक्टर की जरूरतों को देखते हुए इसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं नीति को पहली बार नवंबर, 1998 में संशोधित किया गया था और सरकारी तथा निजी क्षेत्र में 19 अभिनिर्धारित अन्तः राज्य मेगा पावर परियोजनाओं के लिए पूंजीगत उपकरण के आयात हेतु शून्य सीमा-शुल्क की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा आयकर-अवकाश को इस प्रावधान के साथ जारी रखा गया है कि कोई भी प्रवर्तक पहले 15 वर्षों के भीतर 10 वर्ष के किसी ब्लाक में कर अवकाश अवधि का दावा कर सकता है।

मार्च, 2003 में जारी कस्टम अधिसूचना में नवीनतम संशोधन के अनुसार ड्यूटी छूट को सभी अन्तर-राज्य परियोजनाओं, जो थर्मल के लिए न्यूनतम 1000 मे.वा. क्षमता तथा हाईडल परियोजनाओं के लिए 500 मे.वा., बशर्ते कि विद्युत मंत्रालय ने उनका प्रमाणन किया हो, के लिए बढ़ाया गया है।

अवैध हथियारों की खेप

846. **डा. पी.पी. कोया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि चिटागोंग के निकट हाल ही में अवैध हथियारों की बहुत बड़ी खेप की जब्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप के स्रोतों की जांच की है और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई तथा हथियारों की इस बड़ी खेप को किस तरह निपटाने की विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। रिपोर्टों के अनुसार, शस्त्रों की खेप में 1290 सब-मशीन गन/ए.के. 47 राइफलें, 100 टोमी गन, 400 यू जैड आई राइफलें/अर्थ स्वचालित राइफलें, 150 राकेट लांचर आदि थे।

(ग) और (घ) रिपोर्टों के अनुसार, यह खेप पूर्वोत्तर में तथा अन्यत्र भारतीय विद्रोही ग्रुपों के प्रयोग हेतु थी।

(ङ) सरकार ने इस मामले को विभिन्न मंचों पर बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है तथा इस मुद्दे पर भारत की गहरी चिन्ता व्यक्त की है।

''ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर'' की सूची में औषधियों को शामिल किया जाना

847. श्री किरिप चालिहा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धन लोगों द्वारा सामान्य रोगों जैसे हैजा, एनीमिया आदि के लिए उपयोग किए जाने वाली औषधियों को ''ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर'' (डी.पी.सी.ओ.) की सूची में नहीं शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ''ड्रग्स प्राइस कंट्रोल आर्डर'' (डी.पी.सी.ओ.) में इन औषधियों को शामिल किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 95) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 प्रपुंज औषधें और उन पर आधारित सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं और उनके मूल्य राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा डी पी सी ओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। सितंबर, 1994 में घोषित ''औषध नीति 1986 में संशोधन'' में उल्लिखित मानदंड के आधार पर इन औषधों को डी पी सी ओ, 95 में मूल्य नियंत्रण के अधीन रखने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इन मानदण्डों में विभिन्न औषधों के इस्तेमाल की सीमा और बाजार प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखा जाता है। गैर-सूचीबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य, विनिर्माताओं द्वारा स्वयं उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान और विकास व्यय, व्यापार कमीशन बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। जहां कहीं जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया जाता है, वहां सरकार उपचारी उपाय करती है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य

848. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर निर्माण कार्य निर्धारित मानदंडों के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस तिथि को कराया गया था और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि अधिग्रहित भूमि पर निर्माण कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ही शुरू किए गए हैं।

(ग) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य की समीक्षा और मानीटरिंग नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर की जाती है।

राजसहायता के जाली बिल

849. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उर्वरक निर्माताओं द्वारा उर्वरकों से संबंधित राजसहायता के जाली बिल प्रस्तुत किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में दावा की जाने वाली राशि का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान राजसहायता/रियायत का दावा करने के लिए उत्पादन/बिक्री के बिना या प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के उल्लंघन में दावे प्रस्तुत करने के संबंध में वर्ष 2001-02 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, वर्ष 2002-03 में ऐसी चार शिकायतें और वर्ष 2003-04 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी तथा 2004-05 में अभी तक कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इन शिकायतों का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित विवरण में निर्दिष्ट शिकायतों की छानबीन से सरकारी अधिकारियों की किसी मिलीभगत का पता नहीं लगा है।

(घ) से (च) अभी तक पूरी हो गई 5 में में से 3 छानबीन में राजसहायता/रियायत के झूठे दावों के आरोप प्रणाणित नहीं हुए हैं। शेष दो शिकायतों के संबंध में राजसहायता/रियायत के झूठे दावों की पुष्टि संबंधित छानबीन पूरी होने के पश्चात् ही की जा सकती है।

विवरण

वर्ष	उत्पादक	उत्पाद	शिकायत की प्रकृति	छानबीन के निष्कर्ष
1	2	3	4	5
2001-02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कार्पोरेशन	डी ए पी एण्ड काम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स	कि फरवरी 2004 में कम्पनी ने वास्तव में भण्डारों की सुपुर्दगी दिये बिना कागजों पर 40,000 मी. टन डीएपी और मिश्रित उर्वरकों की बिक्री दर्शा कर रियायत का दावा किया था।	यह आरोप प्रमाणित नहीं हुआ था कि क्योंकि प्रश्नाधीन बिक्री को गुजरात सरकार द्वारा यथा प्रमाणित किया गया था।
	टीईडीसीओ ग्रेनाइट	एस एस पी	किताबों में राक की झूठी खरीद तथा नकली एसएसपी उत्पादन आदि।	आरोप प्रमाणित नहीं हुए थे क्योंकि दिनांक 17.5.2001 की शिकायत रियायत योजना के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रोजेक्टस एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि. के नेतृत्व में गठित तकनीकी लेखा-परीक्षा और निरीक्षण सैल (टीएसी) के माध्यम से की गयी छानबीन में आरएसएमएमएल से राक की खरीद प्रमाणित हो गयी थी।
2002-03	रामा फास्फेट लि.	एस एस पी	इकाई ने एसएसपी का अधिक उत्पादन दर्शाया और उसकी वार्षिक रिपोर्ट के आकड़ों में विसंगतियां थी।	टीएसी के माध्यम से की गयी छानबीन से यह आरोप प्रमाणित नहीं हुए थे।

1	2	3	4	5
	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	डी ए पी	वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान कम्पनी ने उत्तर प्रदेश में अधिक बिक्री के आधार पर रियायत का दावा किया था।	उत्तर प्रदेश सरकार की प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार कुछ डीलरों जिन्हें कम्पनी द्वारा बिक्री की गई थी ने बिक्री की तारीख को उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत पंजीकरण नहीं कराया था। इस प्रकार यह बिक्री पंजीकरण औपचारिकताओं के पूरा किये जाने तक रियायत का दावा करने के लिए पात्र नहीं हो सकी। यह भी आरोप है कि कुछ डीलरों ने उनके राज्य पंजीकरण में प्राधिकृत जिलों से भिन्न जिलों में बिक्री की है। मामले की अभी भी जांच की जा रही है।
2003-04	मद्रास फर्टिलाइजर लि.	यूरिया एण्ड काम्पलेक्स फर्टिलाइजर्स	गैर मानक उर्वरकों पर इरादतन दावा की गई राजसहायता।	इस मामले की अभी जांच-पड़ताल चल रही है।
2004-05 30.6.2004 तक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

प्रदूषित/गंदे पेयजल की आपूर्ति

850. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली/नई दिल्ली, विशेषकर दक्षिण दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में हाल ही में प्रदूषित और गंदे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है जोकि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से क्षेत्र हैं जहां ऐसे मामलों का पता चला है और इस संबध में कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या प्रयोगशाला में जल के नमूने की भी जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने और प्रदूषित जल की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि उनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पीने-योग्य और साफ है। तथापि, कई बार पाइप फट जाने, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने, सर्विस कनेक्शन के संरक्षण, उपभोक्ताओं द्वारा अनधिकृत रूप से आन-लाइन बूस्टर लगाने के कारण प्रदूषित पानी की शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाता है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि उन्हें पानी की कमी वाले क्षेत्रों जैसे गोविन्दपुरी, गढ़ी, कोटला मुबारकपुर, मदनगीर, लाजपतनगर, दक्षिणपुरी आदि से इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशाला तथा फील्ड स्टाफ द्वारा अवशिष्ट क्लोरीन की जांच के लिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाले पानी के यदृच्छया आधार पर लगभग 500 नमूने रोजाना लिए जाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के शोधन तथा गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा भी प्रतिदिन 300 नमूने लिए जाते हैं जिनकी जीवाणुओं का पता लगाने के लिए जांच की जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान चुने गए कुल नमूनों में से करीब 0.75% जीवाणु जांच की दृष्टि से असंतोषजनक पाए गए हैं जो 5% की अनुमेय सीमा से कम है। बोर्ड द्वारा सप्लाई किए जा रहे पेयजल की गणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए सभी नमूनों की जांच

प्रयोगशालाओं में की जाती है। जल बोर्ड कच्चे पानी और अंतिम रूप से शोधित पानी की भौतिक रासायनिक मानदंडों के आधार पर भी जांच करता है।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने पीने के साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जल शोधन संयंत्रों पर 6 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं जिनमें पर्याप्त सुविधाएं और योग्यता प्राप्त कार्मिक उपलब्ध हैं जो सार्वजनिक प्रयोग के लिए सप्लाई किए जाने वाले पानी की उपयुक्तता का निरीक्षण और मूल्यांकन करते हैं। ये प्रयोगशालाएं जल शोधन प्रक्रिया की भी दिन रात जांच करती हैं।

इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी संस्थान (एनईईआरआई) जैसी बाहरी प्रतिष्ठित एजेंसियों से भी पेयजल के नमूनों की भौतिक रसायनिक, जीवाणु मानदंडों की जांच पाक्षिक आधार पर भी करवाता है। बोर्ड द्वारा जहरीली, धातुओं, कीटाणुनाशक अवशिष्ट तथा ट्रायईलों मीथने बनने का पता लगाने के लिए भी हर तीन महीने में जांच की जाती है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. की सूची में कुछ जातियों को शामिल किया जाना

851. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक में पृथक जाति के रूप में हल्बा, हल्बी, गोवारी, गवरी और माना जातियों को शामिल किये जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में उक्त जातियों के सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा और परामर्श की प्रक्रिया का अनुपालन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जून 1999 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की थी। अनूसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन संबंधी सभी अभ्यावेदनों पर इसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विद्युत की मांग और आपूर्ति

852. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास आंध्र प्रदेश में सिंहाद्री और रामगुण्डम विद्युत परियोजनाओं के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिये गए?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) अप्रैल-जून, 2004 के दौरान आंध्र प्रदेश में ऊर्जा और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमश: 0.3% तथा 1.6% थी, जबकि उसी अवधि के दौरान समग्र दक्षिणी क्षेत्र में यह क्रमश: 2.5% तथा 5.0% थी।

(ग) और (घ) इस समय सिम्हाद्री परियोजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। एनटीपीसी ने 500 मेगावाट की यूनिट जोड़कर रामांगुडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विस्तार के माध्यम से चरण-3 का क्रियान्वयन आरंभ किया है। यूनिट अगस्त, 2005 में आरंभ होनी है।

[हिन्दी]

विद्यालयों में नामांकन

853. श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों को आवश्यक रूप में शिक्षित करने के मद्देनजर 6 से 14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में नामांकन के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रत्येक राज्य में कितने अतिरिक्त विद्यालयों और कक्षाओं की स्थापना किये जाने की जरूरत है;

(ग) इसके लिए प्रत्येक राज्य को कितनी अनुमानित राशि का आवंटन किया गया; और

(घ) इस धनराशि को जुटाने के लिए किन स्रोतों की पहचान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रारंक्षिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने हेतु वित्तीय आवश्यकता संबंधी विशेषज्ञ समूह ने वर्ष 1999 में यह अनुमान लगाया था कि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष की अवधि में 1,37,000 करोड़ रु. की आवश्यकता पड़ेगी। विशेषज्ञ समूह के अनुमान के मुताबिक अतिरिक्त स्कूलों एवं उनके निर्माण के लिए आवश्यक निधियों की राज्यवार आवश्यकता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रारंभिक शिक्षा के लिए योजनागत आबंटन में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके अलावा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और हाल में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए आवश्यक होने पर सीमित विदेशी सहायता भी जुटाई गई है।

प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए स्वैच्छिक आधार पर समुदाय से संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है।

दिनांक 8.7.2004 को प्रस्तुत संघीय नगर बजट में आयकर, कारपोरेशन कर, उत्पाद एवं सीमा शुल्क एवं सेवा कर पर शिक्षा उपकर भी लगाने का प्रस्ताव है ताकि सरकार सार्वभौमिक स्तरीय बुनियादी शिक्षा प्रदान करने एवं इसे वित्तपोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरी कर सके।

विवरण

प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य के वास्ते अपेक्षित अतिरिक्त विद्यालय एवं निधियां

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अपेक्षित अतिरिक्त विद्यालयों की संख्या			निर्माण के लिए अपेक्षित निधियां
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7189	20459	27648	2738.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	1940	1297	3237	41.01
3.	असम	4561	114	4675	932.61
4.	बिहार@	13410	19197	32607	4474.45
5.	गोवा	93	446	539	39.77
6.	गुजरात	518	0	518	1116.93
7.	हरियाणा	21	1205	1226	503.97
8.	हिमाचल प्रदेश	14197	9860	24057	301.37
9.	जम्मू-कश्मीर	1636	3006	4642	453.78

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	7990	0	7990	1320.45
11.	केरल	1530	1130	2660	513.40
12.	मध्य प्रदेश*	12700	26369	39069	2339.05
13.	महाराष्ट्र	11432	5393	16825	2612.68
14.	मणिपुर	410	1007	1417	9.60
15.	मेघालय	1444	1985	3429	64.58
16.	मिजोरम	0	0	0	0
17.	नागालैंड	51	317	368	10.68
18.	उड़ीसा	7994	12953	20947	914.17
19.	पंजाब	1571	4783	6354	729.04
20.	राजस्थान	15739	12123	27862	1560.05
21.	सिक्किम	359	328	687	10.46
22.	तमिलनाडु	333	9883	10216	1382.42
23.	त्रिपुरा	1625	1415	3040	135.83
24.	उत्तर प्रदेश#	38037	44648	82685	6654.39
25.	पश्चिम बंगाल	9795	27252	37047	2913.89

@झारखंड भी शामिल।
*छत्तीसगढ़ भी शामिल।
#उत्तरांचल भी शामिल।

[अनुवाद]

एन.एच.पी.सी. द्वारा किया गया निवेश

854. श्री परसुराम माझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में परियोजना-वार कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.एच.पी.सी. का व्यापक निवेश करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और दसवीं पंचवर्षीय योजना में एन.एच.पी.सी. द्वारा कौन सी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान किए गए निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) संयुक्त उद्यम समेत एनएचपीसी के लिए निर्धारित 10वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2002-03 से 2006-07) के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 4357 मेगावाट हैं। परियोजना-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य
1.	चमेरा-2*	300	हिमाचल प्रदेश
2.	दुलहस्ती	390	जम्मू-कश्मीर
3.	धौलीगंगा-1	280	उत्तरांचल
4.	तीस्ता-5	510	सिक्किम
5.	सेवा-2	120	जम्मू-कश्मीर
6.	तीस्ता लो डैम चरण-3	132	पश्चिम बंगाल
7.	तीस्ता लो डैम चरण-4	168	पश्चिम बंगाल
8.	बाव-2	37	महाराष्ट्र
9.	इंदिरा सागर	1000	मध्य प्रदेश (जेवी)
10.	पुरूलिया पंप स्टोरेज	900	पश्चिम बंगाल (जेवी)
11.	ओंकारेश्वर	520	मध्य प्रदेश (जेवी)
	10वीं योजना में कुल	4357	

*निर्धारित कार्यक्रम से पहले चालू की गई।

विवरण

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुए वास्तविक व्यय का ब्यौरा (1997-98 से 2001-02)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शुद्ध बजटीय सहायता	प्रत्यक्ष विदेशी ऋण	बाण्ड्स/अन्य	कुल (वास्तविक)
1	2	3	4	5	6
क.	**पूरी हो चुकी स्कीमें**				
1.	चमेरा-1	33.65	2.85	3.38	39.88
2.	टनकपुर	8.83	0.00	2.70	11.53
3.	सलाल-2	3.70	0.00	-1.34	2.36
4.	उड़ी	108.54	73.55	30.26	212.35
5.	रंगित	107.53	0.00	155.17	262.70
	कुल (क)	262.25	76.40	190.17	528.80

1	2	3	4	5	6
ख.	**अनुमोदित निर्माणाधीन स्कीमें**				
1.	दुलहस्ती	1364.22	208.48	133.54	1706.24
2.	धौलीगंगा	146.77	485.07	-18.95	612.89
3.	चमेरा-2	600.01	212.92	240.54	1053.47
4.	तीस्ता-5	372.18	0.00	-35.24	336.94
5.	लोकतक डाउनस्ट्रीम	35.00	0.00	-18.50	16.50
	कुल (ख)	2518.18	906.47	301.39	3726.04
ग.	**नई स्कीमें**				
1.	कोयल कारो	5.00	0.00	26.85	31.85
2.	पार्बती-2	70.00	0.00	69.54	139.54
3.	सुबानसिरी लोअर	25.44	0.00	8.83	34.27
4.	सेवा-2	21.07	0.00	-6.18	14.89
5.	तीस्ता लो डैम-3 व 4	0.00	0.00	13.41	13.41
	कुल (ग)	121.51	0.00	112.45	233.96
घ.	**आर एंड एम पावर हाऊस**	36.73	0.00	31.14	67.87
ङ	**सर्वेक्षण एवं जांच**	9.75	0.00	0.84	10.59
1.	किशनगंगा	0.00	0.00	3.85	3.85
2.	पार्बती-3	0.00	0.00	0.45	0.45
3.	पार्बती-1	6.87	0.00	-6.75	0.12
4.	फरक्का बैराज	0.00	0.00	1.28	1.28
5.	सियांग लोअर	0.00	0.00	11.36	11.36
6.	सियांग मिडिल (सियोम)	8.85	0.00	4.97	13.82
7.	सियांग अपर	9.88	0.00	-4.90	4.98
8.	सुबानसिरी मिडिल (कमला)	8.52	0.00	-3.14	5.38
9.	सुबानसिरी अपर	8.26	0.00	4.69	12.95
10.	उड़ी-2	4.98	0.00	-1.31	3.67
11.	पकालडुल	3.39	0.00	-1.75	1.64

1	2	3	4	5	6
12.	बरसर	0.00	0.00	0.99	0.99
13.	कावेरी प्रोजेक्ट	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	बाव-1 व 2	0.00	0.00	1.15	1.15
15.	चमेरा-3	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	अपर कृष्णा	0.00	0.00	1.50	1.50
17.	निम्मो बजगो	0.00	0.00	1.24	1.24
18.	चुटक	5.62	0.00	-5.62	0.00
	कुल (ङ)	66.12	0.00	8.85	74.97
	उप जोड़ (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)	3004.79	982.87	644.00	4631.66
(च)	एनएचडीसी परियोजनाओं हेतु				
1.	इंदिरा सागर	460.00	0.00	-250.44	209.56
2.	ओंकारेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल जोड़ (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)+(च)	3464.79	982.87	393.56	4841.22

[हिन्दी]

इस्पात का मूल्य व आयात

855. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन देशों से इस्पात का आयात हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस्पात के मूल्य में कितनी वृद्धि दर्ज की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन प्रमुख देशों से इस्पात का आयात किया गया है उन देशों में स्वतंत्र राष्ट्रमंडल देश, जापान, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात तथा आस्ट्रेलिया शामिल हैं।

(ख) मुंबई बाजार में पिछले पांच वर्षों के दौरान इस्पात की प्रमुख मदों के तिमाही मूल्यों की विवरणी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अप्रैल, 1999 से अप्रैल 2004 तक चुनिंदा मदों के घरेलू बाजार मूल्य

रुपये/टन

मद	केंद्र	1999-00				2000-01				2001-02				2002-03				2003-04				
		अप्रै. 99	जुला. 99	अक्टू. 99	जन. 00	अप्रै. 00	जुला. 00	अक्टू. 00	जन. 01	अप्रै. 01	जुला. 01	अक्टू. 01	जन. 02	अप्रै. 02	जुला. 02	अक्टू. 02	जन. 03	अप्रै. 03	जुला. 03	अक्टू. 03	जन. 04	अप्रै. 04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
कच्चा लोहा एस एम ग्रेड 4	मुंबई	7200	7150	7100	7250	7600	7126	8400	8500	8500	8500	8500	9000	8700	9600	9600	9800	11800	11600	13300	16500	21500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
खवर रोड 6 एम एम	मुंबई	14000	14400	14400	14500	15500	15500	15500	15500	15800	15800	15200	15000	15200	17750	17750	17100	18000	20000	20900	22400	25500
खंडड 12 एम एम	मुंबई	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	13500	13500	14300	14200	14800	14800	15300	15500	14800	14500	14800	15900	15600	16400	अप्रयोज्य	18600	20000	21700	24000
टी एम पी 10 एम एम	मुंबई	13500	13600	13800	13500	15000	14500	15000	15000	15500	15600	15000	14500	15200	16000	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	19800	19300	22500	28000
तप्त वेल्डित क्वायलें 2.00 एम एम	मुंबई	17500	17200	17200	18000	19000	19500	18500	17500	17500	16800	15800	15500	15800	20500	21500	23500	24200	22500	23500	28250	31000
शीत वेल्डित क्वायलें 0.63 एम एम	मुंबई	22000	22000	21500	23500	23500	23500	22500	20500	20800	20800	19500	19500	19000	23500	23000	26000	26500	27500	27500	31000	34000
जी पी शीट 0.63 एम एम	मुंबई	28000	28000	28500	28500	28800	28800	28500	27500	27500	27500	25000	25000	25000	27000	28500	29000	31000	30000	29750	32000	36000

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना पर खर्च की गई निधियां

856. श्री मोहन सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मेट्रो रेल परियोजना शुरू हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) आगामी दो वर्षों में किन-किन क्षेत्रों में यह परियोजना चालू होने की संभावना है और इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) (1) अनुमानित पूर्णत: लागत : 10571 करोड़ रु.

(2) दिनांक 31.05.2004 तक किया गया कुल व्यय : 6062 करोड़ रु.

(ग) दिल्ली मेट्रो फेज-1 परियोजना में तीन कारीडोर हैं जो निम्नलिखित क्षेत्रों को जोड़ेंगे:

कारीडोर-1 : यह शाहदरा, वेलकम, सीलमपुर, शास्त्री पार्क, कश्मीरी गेट, तीस हजारी, प्रतापनगर शास्त्री नगर, इंद्रलोक, कन्हैया नगर, केशवपुरम, नेताजी सुभाष प्लेस, कोहाट एन्क्लेव, प्रीतमपुरा, रोहिणी, रिठाला, दौलतपुर, प्रहलादपुर तथा बरवाला को जोड़ता है।

कारीडोर -2: यह विश्वविद्यालय, विधान सभा, सिविल लाइन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली का मुख्य रेलवे स्टेशन, चावड़ी बाजार, नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कनाट प्लेस, पटेल चौक तथा केन्द्रीय सचिवालय को जोड़ता है।

कारीडोर-3: यह बाराखंबा रोड कनाट प्लेस, आर.के. आश्रम मार्ग, झण्डेवालन, करोल बाग, राजेंद्रा प्लेस, पटेल नगर, शादीपुर, कीर्ति नगर, रमेश नगर, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, सुभाष नगर, तिलक नगर, गणेश नगर, उत्तम नगर, प्रेमनगर, नवादा तथा द्वारका को जोड़ता है।

डी.एम.आर.सी. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2005 है।

[अनुवाद]

अधिसूचना 1983 में संशोधन करना/वापस लेना

857. श्री के.एस. राव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों में लाल डोरा से संबंधित भवन उपनियमों के बारे में 1983 की अधिसूचना में संशोधन करने/उसे वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ङ) समिति द्वारा कब तक करना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से परामर्श किया है; और

(छ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के क्या विचार हैं, और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) इसे समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (छ) सरकार ने इस बारे में किसी समिति का गठन नहीं किया है। तथापि, दिल्ली में द्रुत गति से हो रहे शहरीकरण के संदर्भ में भवन उप-नियमों की एक नयी संकल्पना तैयार करने के उद्देश्य से दिल्ली नगर निगम ने भवन उप-नियम, 1983 में संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति में दिल्ली विकास प्राधिकरण, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद के साथ-साथ केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

एनसीईएस हेतु छत्तीसगढ़ को आवंटित धनराशि

858. श्री प्रदीप गांधी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ की स्थापना के बाद से राज्य सरकार को एन.सी.ई.एस. योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) अनुमोदित योजनाओं के नाम क्या हैं और किन एजेंसियों के माध्यम से ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) स्वीकृति हेतु कितनी योजनाएं लम्बित हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान बायोगैस संयंत्रों, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं, सौर पंपों, एसपीवी सड़क रोशनी, एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणालियों, लघु पनबिजली संयंत्रों और बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की स्थापना के लिए विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 26.21 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है। अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (सीआरईडीए), रायपुर द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय के पास क्लियरेंस के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

[अनुवाद]

यूनियन कार्बाइड मामला, भोपाल

859. श्री गुरूदास कामत: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनियन कार्बाइड विस्फोट के बाद भोपाल में प्रदूषित कचरे को साफ करने के लिए कितनी अवधि निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या प्रदूषित कचरे को साफ करने का कार्य नहीं किया गया है;

(ग) कचरे को शीघ्र साफ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यूनियन कार्बाइड मामला, भोपाल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या यूनियन कार्बाड के पीड़ित लोगों के लिए गठित क्षतिपूर्ति कोष का धन समाप्त हो गया है और क्या पीड़ितों को धनराशि भी दे दी गयी है;

(च) यदि नहीं, तो अब तक पुनर्गठित कोष का ब्यौरा क्या है और खाते में वर्तमान शेष धनराशि कितनी है; और

(छ) यूनियन कार्बाइड आपदा में बचे लोगों के आर्थिक तथा सामाजिक पुर्नवास हेतु सरकार द्वारा कौन से दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) कोई निश्चित अवधि तय नहीं की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने यूनियन कार्बाइड फैक्टरी, भोपाल में तथा इसके आसपास पड़े विषैले कचरे को हटाने के लिए मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को परियोजना रिपोर्ट और लागत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसने तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर आगे कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

(घ) आपराधिक मामले का ट्रायल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल की अदालत में चल रहा है। नौ आरोपी व्यक्तियों की जांच अग्रिम स्तर पर है और आज तक 125 गवाहियों की जांच की

जा चुकी है। शेष सभी गवाहियों की जांच के लिए अगली सुनवाई की तारीखें 19 से 21 जुलाई, 2004 हैं।

(ङ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर यूनियन कार्बाइड द्वारा दी गई मुआवजा राशि भारतीय रिजर्व बैंक में रखी गई है। सभी मूल दावों का निपटान कर दिया गया है और मुआवजा वितरित कर दिया गया है। यह राशि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 7 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार लगभग 601 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

(छ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत गैस पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना अनुमोदित की गई थी। इसे राज्य सरकार द्वारा 258 करोड़ रुपए के अन्तिम परिव्यय से कार्यान्वित किया गया था। आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत एक प्रशिक्षण परिसर, 42 वर्क शेड और 152 औद्योगिक शेडों का निर्माण किया गया है ताकि प्रशिक्षण दिया जा सके और स्व-रोजगार उद्यम आरंभ किया जा सके। सामाजिक पुनर्वास योजना के तहत गैस पीड़ितों के लिए 2486 गृहों का निर्माण किया गया था और आवंटित किया गया तथा पांच प्राथमिक और छः मध्य विद्यालयों का निर्माण किया गया था।

डाभोल विद्युत परियोजना

860. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डाभोल विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है;

(ग) क्या परियोजना ने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो कुल उत्पादन कितना है और इससे किन-किन राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है?

(ङ) यदि नहीं, तो इस परियोजना के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के मै. डाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) के साथ चल रहे विवादों के कारण विद्युत लेना छोड़ देने और बाद में एमएसईबी द्वारा विद्युत क्रय करार (पीपीए) को निरस्त करने के पश्चात्, 29.5.2001 से डाभोल विद्युत संयंत्र (चरण-1) को बंद कर दिया गया है। संयंत्र के चरण-2 पर निर्माण कार्य भी रुक गया है।

डाभोल विद्युत परियोजना से विद्युत के क्रय हेतु एक विद्युत क्रय करार डीपीसी और एमएसईबी के बीच किया गया था और भारत सरकार (जीओआई) इसमें हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है। हालांकि, भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के कुछ दायित्वों की गारंटी देते हुए डीपीसी को काउंटर गारंटी जारी की थी। काउंटर गारंटी के अंतर्गत भारत सरकार ने दो दायित्वों को स्वीकार किया था अर्थात् पीपीए के अंतर्गत एमएसईबी द्वारा डीपीसी को किए जाने वाले क्षमता और ऊर्जा भुगतानों को पूरा करना और पीपीए की समाप्ति की स्थिति में अन्तिम भुगतान करना। दोनों ही दायित्वों को सीमाबद्ध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विभिन्न झगड़ों के निपटारे और परियोजना के पुनर्गठन के लिए परियोजना के विभिन्न स्टेक होल्डरों के बीच विचार-विमर्श चल रहे हैं तथापि डाभोल परियोजना को फिर से चालू करने से संबंधित कोई समय-सीमा उपलब्ध नहीं है।

पृथक तेलंगाना राज्य का गठन

861. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आन्ध्र प्रदेश से विभाजित करके पृथक तेलंगाना राज्य का गठन करने की लगातार मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। विगत में, विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों जैसे नेशनल फ्रंट फार स्मालर स्टेट्स, तेलंगाना स्ट्डी फारम, तेलंगाना कांग्रेसमेन, मेटापल्ली मंडल परिषद्, सिटिजन्स फारम फार फंडामेंटल राइट्स, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन और तेलंगाना प्रजा पार्टी से एक नया तेलंगाना राज्य बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस संबंध में, केन्द्र सरकार अनुकूल कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पार्टियों के बीच बने मतैक्य को ध्यान में रखेगी।

बलात्कार के आरोपियों की पहचान

862. श्री मधुसूदन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बलात्कार के आरोपियों की पहचान में हमेशा विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में हिंसा की शिकार महिलाओं के साथ व्यवहार में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों में कोई मानक संवेदनशीलता प्रोटोकाल है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" राज्य के विषय हैं अत: अपराधों को दर्ज करने, जांच-पड़ताल, पता लगाने और रोकथाम करने का उत्तरदायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों का है। इसलिए बलात्कार के अभियुक्त की पहचान करने में लगे समय के बारे में विशिष्ट आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास करने हेतु मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जारी करती रही है। हाल ही में राज्य सरकारों को भेजे गए परामर्शों में निम्नलिखित सलाहों पर पुन: बल दिया गया है:

(1) महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए;

(2) मामलों की पूरी तरह जांच की जानी चाहिए तथा अपराध होने की तारीख से तीन माह के भीतर अभियोग पत्र दायर किया जाना चाहिए;

(3) सभी पुलिस थानों में महिला पुलिस प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने चाहिए। विशेष तौर पर महिलाओं के ही मामलों से निपटने के लिए अनन्य महिला थाने भी स्थापित किए जाने चाहिए;

(4) महिलाओं की रक्षा करने का उत्तरदायित्व जिन पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया है उन्हें पर्याप्त रूप से सुग्राही बनाया जाना चाहिए।

(5) राज्य पुलिस बल में महिला पुलिस कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती की जानी चाहिए;

(6) हिंसा की पीड़ितों को संस्थानिक समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए; और

(7) बलात्कार की शिकार महिलाओं को पर्याप्त परामर्श दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

जाली स्टाम्प पेपर

863. श्री पंकज चौधरी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री सुकदेव पासवान:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जाली स्टाम्प पेपर के राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) विभिन्न मामलों की जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की केन्द्रीय यूनिट में अंतर्राज्यीय विस्तारण वाले 12 मामले दर्ज किए गए हैं, जो अखिल भारतीय अधिकारिता वाले हैं। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर, राज्य सरकारों ने 48 और मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अंतरित किए। 48 मामलों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

राज्य	मामलों की संख्या
1	2
महाराष्ट्र	23
कर्नाटक	10
आंध्र प्रदेश	3
उत्तर प्रदेश	3

1	2
तमिलनाडु	2
मध्य प्रदेश	2
बिहार	1
दिल्ली	1
गुजरात	1
केरल	1
पश्चिम बंगाल	1

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल किए जा रहे 60 मामलों में से, 5 मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) ऐसे मामलों को रोकने हेतु भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें (1) इंडिया स्क्यूरिटी प्रैस, नासिक में सुरक्षा प्रबंध को सुदृढ़ करना, (2) प्राधिकृत विक्रेताओं के स्टाम्प पेपरों के स्टाक का नियमित रूप से सत्यापन करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करना, (3) जाली स्टाम्प पेपरों की समस्या से निपटने के लिए निवारक और उपचारी उपाय करने के लिए बैंकिंग और बीमा सेक्टरों से अनुरोध करना, और (4) स्टाम्प पेपरों के प्रौद्योगिकीय रूप से व्यवहार्य विकल्पों की जांच करने हेतु राज्य सरकारों से अनुरोध करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा की उत्पादन क्षमता

864. श्री दिनशा पटेल:
श्री प्रकाश बापू वी. पाटिल:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में आज तक पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दूर-दराज के गांवों का पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे देश में दूर-दूराज के गांवों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) दिनांक 31.03.2004 तक, दसवीं योजना के दौरान अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, दूरस्थ गांवों, जिन्हें पारंपरिक ग्रिड के द्वारा विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता, को अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया गया है। 10 राज्यों में लगभग 1700 दूरस्थ गांवों को पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका है और 17 राज्यों में 1400 गांवों में परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(घ) अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा लगभग 25,000 दूरस्थ गांवों की अनंतिम रूप से पहचान की गई है।

विवरण

10वीं योजना अवधि के दौरान अक्षय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से संस्थापित राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता (31.3.2004)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	126.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.40
3.	असम	0.11
4.	बिहार	1.00
5.	छत्तीसगढ़	6.30
6.	गोवा	0.00
7.	गुजरात	37.19
8.	हरियाणा	14.40
9.	हिमाचल प्रदेश	10.20
10.	जम्मू-कश्मीर	9.00
11.	झारखंड	0.00
12.	कर्नाटक	256.39

1	2	3
13.	केरल	15.11
14.	मध्य प्रदेश	1.00
15.	महाराष्ट्र	12.00
16.	मणिपुर	0.75
17.	मेघालय	0.01
18.	मिजोरम	0.22
19.	नागालैंड	0.60
20.	उड़ीसा	6.00
21.	पंजाब	15.40
22.	राजस्थान	170.18
23.	सिक्किम	3.00
24.	तमिलनाडु	552.87
25.	त्रिपुरा	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	20.52
27.	उंत्तरांचल	14.30
28.	पश्चिम बंगाल	6.54
29.	अंदमान और निकोबार	0.05
30.	चंडीगढ़	0.00
31.	दादरा एवं नागर हवेली	0.00
32.	दमण और दीव	0.00
33.	दिल्ली	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.25
35.	पांडिचेरी	0.00
	कुल	1280.22

पेट्रोरसायन उद्योग के लिए 'मेगा केमिकल एस्टेट'

865. श्री प्रकाश बापू वी. पाटिल:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोरसायन और रसायन उद्योग के लिए एक मेगा केमिकल एस्टेट स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है और इसके वित्तपोषण के स्रोत क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ङ) जी नहीं। तथापि, केमिकल एस्टेट स्थापित करने को सुकर बनाने के लिए सरकार ने एक व्यवहार्यता अध्ययन प्रारंभ करने संबंधी कार्रवाई शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु धनराशि

866. श्री दुष्यंत सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.सी.आर. में अवसंरचना के विकास हेतु तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नौवीं योजना अवधि के अंत तक 410.92 करोड़ रु. की धनराशि मुहैया कराई है। 10वीं योजना में 350 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जिसमें से 125 करोड़ रु. की धनराशि दी जा चुकी है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह सूचित किया है कि 10वीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों के दौरान उसने क्षेत्रीय योजना-2001 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कों, पथ प्रकाश, पुलों इत्यादि जैसी अवस्थापना विकास संबंधी 19 परियोजनाएं मंजूर की थी।

10वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का ध्यान इस बात पर होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर नागरिक-अवस्थापना सुविधाओं का सुधार/संवर्धन हो, औद्योगिक अवस्थापना का विकास/सुधार हो ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को औद्योगिक क्रियाकलापों से समृद्ध बनाया जा सके तथा साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एकीकृत रेल-सह-बस परिवहन प्रणाली एक्सप्रैसवे के निर्माण इत्यादि के जरिए कनेक्टिविटी में सुधार हो।

फर्जी विश्वविद्यालय और संस्थान

867. श्री पंकज चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ फर्जी संस्थान और विश्वविद्यालय विशेषकर राय विश्वविद्यालय और बिहार के विश्वविद्यालय शिक्षा के नाम पर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अभी तक पहचाने गए फर्जी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों की सूची का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे संस्थानों/विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, ऐसे 18 जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं का पता लगाया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करके देश के विभिन्न भागों में संचालित किए जा रहे हैं। ऐसी संस्थाओं की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी सूचित किया है कि राय विश्वविद्यालय, रायपुर एक गैस सरकारी विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2002) के तहत दिनांक 30.5.2003 की राजपत्र अधिसूचना सं. 73/74/2003/एच.ई./38 द्वारा की गई थी। तथापि, बिहार में मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा की पहचान एक जाली विश्वविद्यालय के रूप में हुई है।

देश में जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के संचालन को रोकने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की है जो समाचार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सूचना एकत्र करता है और उनके बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करता है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसी जाली शैक्षिक संस्थाओं के अस्तित्व के विरुद्ध छात्रों को सावधान करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ज्यों ही किसी जाली विश्वविद्यालय/संस्था के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है, प्रोमोटरों को यह सलाह दी जाती है कि वे तत्काल ही अपनी गतिविधियां बंद कर दें और आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई आरंभ की जाती है। साथ ही साथ, जिस राज्य में ऐसी संस्था स्थापित है, उस राज्य सरकार को यह अनुरोध करते हुए मामले से अवगत कराया जाता है कि वह विधि अनुसार ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करे।

इसके अलावा, ऐसी संस्थाओं के खतरे से बचने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के मौजूदा नामिक प्रावधानों में विशिष्ट परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है ताकि उन्हें और अधिक कठोर बनाया जा सके।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पता लगाए गए जाली विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम
1	2
1.	बिहार
	मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
2.	दिल्ली
	दिल्ली विश्व विद्यापीठ, 299, टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-110 009
3.	कामर्शियल यूनिवर्सिटी लिमि. दरियागंज, दिल्ली
4.	यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली
5.	वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
6.	कर्नाटक

1	2
	बड़ागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, गोकाका, बेलगाम
7.	केरल
	सेंट जोन्स-यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल
8.	मध्य प्रदेश
	केसरवाणी विद्यापीठ, जबलपुर (मध्य प्रदेश)
9.	महाराष्ट्र
	राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर
10.	तमिलनाडु
	डी.डी.बी. संस्कृत यूनिवर्सिटी, पुतुर, चित्री,
11.	उत्तर प्रदेश
	महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (विमेन्स यूनिवर्सिटी), प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
12.	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वारणसी (उत्तर प्रदेश)/ जगतपुरी, दिल्ली
13.	इण्डियन एजुकेशन काउंसिल आफ यू.पी.
14.	गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
15.	नेशनल यूनिवर्सिटी आफ-इलेक्ट्रो काम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर
16.	नेताजी सुभाषचंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़ (उ.प्र.)
17.	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकलां, मथुरा (उत्तर प्रदेश)
18.	महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

शिक्षा का प्रसार

868. श्री खीरेन रिजीजू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में योजनावार और राज्यवार शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष दी जा रही सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त राशि में कटौती करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का योजना-वार और राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पूर्वोत्तर के राज्यों तथा सिक्किम को निधियों के प्रवाह का सारांश (2001-02)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अन्तिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित) अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योजनागत												
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	436.59	12603.27	975.62	1375.22	714.04	554.75	317.06	1462.03	18438.58	357475.00	5.16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	प्रौढ़ शिक्षा	0.00	106.34	7.50	33.88	131.80	0.00	0.00	421.05	700.57	17525.00	4.00%
	कुल (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	436.59	12709.61	983.12	1409.10	845.84	554.75	317.06	1883.08	19139.15	375000.00	5.10%
1.	माध्यमिक शिक्षा	1187.67	3737.73	1166.04	852.16	207.92	278.14	200.31	592.34	8222.31	61370.00	13.40%
2.	उच्चतर शिक्षा	367.95	1288.57	230.31	428.95	672.28	233.98	10.00	51.36	3283.40	54500.00	6.02%
3.	भाषा विकास	155.05	149.13	176.42	18.12	342.25	5.90	77.41	50.09	974.37	9424.00	10.34%
4.	छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.81	0.85	80.00	1.06%
5.	पुस्तक प्रोन्नयन	0.37	15.21	0.75	2.40	1.94	0.00	0.94	0.33	21.94	1517.00	1.45%
6.	तकनीकी शिक्षा	1440.64	3427.68	22.22	9.12	11.80	2.92	0.00	14.98	4929.16	54577.00	9.03%
7.	योजना और प्रशासन	25.00	4.68	0.78	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	532.00	5.89%
	कुल (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)	3176.68	8622.80	1596.52	1311.67	1236.19	520.94	288.66	709.91	17463.37	182000.00	9.60%
योजनेतर												
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%
2.	प्रौढ़ शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%
	कुल (प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00%
1.	माध्यमिक शिक्षा	445.78	1396.07	330.68	444.73	51.01	188.72	107.57	151.08	3115.64	62060.00	5.02%
2.	उच्चतर शिक्षा	0.08	3383.59	20.69	3077.10	652.19	1028.02	0.00	0.00	8161.67	110549.00	7.38%
3.	भाषा विकास	0.00	51.31	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.25	73.56	2903.00	2.53%
4.	छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.17	0.20	99.00	0.20%
5.	पुस्तक प्रोन्नयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00%
6.	तकनीकी शिक्षा	1.95	336.37	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	341.94	69842.00	0.49%
7.	योजना और प्रशासन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	3484.00	0.00%
	कुल (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)	447.81	5167.34	351.99	3543.83	703.23	1216.74	107.57	154.50	11693.01	249573.00	4.69%

प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

प्रारम्भिक शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अनुमान आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नगालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योजनागत												
1.	आपरेशन ब्लैक बोर्ड	104.34	1523.25	0.00	0.00	105.85	0.00	0.00	300.90	2034.34	47500.00	4.28%
2.	शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन और पुन:संरचना	17.28	900.00	409.00	0.00	30.62	193.00	71.50	97.50	1718.90	18000.00	9.55%
3.	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम योजना वित्त वर्ष 2001-02 से योजना संशोधित की गई और शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के रूप में पुन: नामकरण किया गया	0.00	36.26	57.86	0.00	0.00	1.37	0.00	2.82	98.31	10000.00	0.98%
4.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली	0.00	0.56	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	450.00	0.14%
5.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00%
6.	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)	33.83	1970.03	398.83	517.58	145.01	283.83	145.51	569.24	4063.86	103124.00	3.94%
7.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	0.00	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	120000.00	3.92%
8.	राष्ट्रीय महिला शिक्षा कार्यक्रम जो पहले "बालिकाओं के लिए निशुल्क शिक्षा" के नाम से जाना जाता था।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
9.	शिक्षाकर्मी परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00%
10.	लोक जुम्बिस परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00%
11.	महिला समाख्या कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00%
12.	सर्व शिक्षा अभियान	281.14	3473.17	109.93	857.59	432.56	76.55	100.05	491.57	5822.56	50000.00	11.65%
13.	जनसंख्या (भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र) कार्यक्रम (सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00%
14.	पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम का शैक्षिक विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
	कुल	436.59	12603.27	975.62	1375.22	714.04	554.75	317.06	1462.03	18438.58	357475.00	5.16%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योजनेतर												
1.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%

प्रौढ शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अनंतिम आंकड़े*(31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित) अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योजनागत												
1.	प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.00	50.45	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00	38.00	114.83	1500.00	7.66%
2.	नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा योजना —इसे पहले उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा स्कीम के नाम से जाना जाता था	0.00	10.00	7.50	7.50	118.80	0.00	0.00	383.05	526.85	9500.00	5.55%
3.	निरक्षरता उन्मूलन संबंधी विशेष परियोजनाएं—सम्पूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	2000.00	1.13%
4.	श्रमिक विद्यापीठ-अब इसका नाम जन शिक्षण संस्थान कर दिया गया है	0.00	23.20	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	36.20	2500.00	1.45%
5.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00%
6.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00%
7.	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00%
8.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00%
9.	शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
	कुल	0.00	106.34	7.50	33.88	131.80	0.00	0.00	421.05	700.57	17525.00	4.00%
योजनेतर												
1.	श्रमिक विद्यापीठ—अब इसका नाम जन शिक्षा संस्थान कर दिया गया है।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00%
3.	श्रमिक विद्यापीठ—पोलिवेलेन्ट प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00%
4.	गैर-सरकारी सदस्यों को टीए/डीए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग—माध्यमिक शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अंतिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नगालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योजनागत												
1.	विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन	0.00	0.00	125.00	147.50	100.00	0.00	85.30	125.00	582.80	7400.00	7.88%
2.	शिक्षा प्रौद्योगिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	1150.00	0.07%
3.	विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	1784.00	0.49%
4.	स्कूल शिक्षा को पर्यावरणोन्मुख बनाना	0.00	2.26	1.86	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	5.62	260.00	2.16%
5.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विद्यालयों की बालिकाओं हेतु बोर्डिंग तथा छात्रावास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	0.00	12.99	14.13	2.00	0.00	11.37	0.00	3.53	44.02	600.00	7.34%
6.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिसर	4.37	8.46	3.24	16.04	6.18	4.67	4.23	1.58	48.77	1100.00	4.43%
7.	माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	4.66	3750.00	0.12%
8.	विकलांग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा	0.00	4.83	0.00	0.00	*13.67	*31.31	0.00	15.81	65.62	2140.00	3.07%
9.	नवोदय विद्यालय समिति	995.32	3172.31	799.29	686.62	84.57	186.49	98.32	444.45	6467.37	34500.00	18.75%
10.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	178.31	507.73	220.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	946.04	7600.00	12.45%
11.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	9.98	260.00	3.84%
12.	राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना—विद्यालयों में जनसंख्या तथा विकास शिक्षा	2.14	6.22	0.84	0.00	2.66	3.80	7.01	0.97	23.64	250.00	9.46%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47	530.00	2.35%
14.	अन्तराष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00%
15.	विद्यालयों में योग को बढ़ावा देना	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	30.00	5.60%
	कुल	1187.67	3737.73	1166.04	852.16	207.92	278.14	200.31	592.34	8222.31	61370.00	13.40%
योजनेत्तर												
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.0	0.00%
2.	नवोदय विद्यालय समिति	112.19	0.00	180.29	125.58	14.49	16.20	31.81	22.31	502.87	9404.00	5.35%
3.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	277.57	1392.60	149.74	318.49	35.85	171.86	58.69	128.05	2532.85	48114.00	5.26%
4.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	0.00	71.43	1400.00	5.10%
5.	विद्यालयों में योग को बढ़ावा देना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00%
6.	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	1.01	3.47	0.65	0.66	0.67	0.66	0.65	0.72	8.49	99.00	8.58%
7.	स्कूल के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
8.	लड़ाई के दौरान मारे गये/विकलांग हुए सैन्य कर्मियों के बच्चों को शिक्षा में छूट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
9.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
	कुल	445.78	1396.07	330.68	444.73	51.01	188.72	107.57	151.08	3115.64	62060.00	5.02%

इन आंकड़ों में गैर-सरकारी संगठनों पर हुए व्यय भी शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के संबंधित आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योजनागत												
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	356.47	1172.76	224.42	360.74	668.08	232.22	0.00	51.36	3066.05	43578.00	7.04%
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	0.00	0.66	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	5600.00	0.18%
3.	वैज्ञानिक शोध को सुदृढ़ करने संबंधी कार्यक्रम (इस कार्यक्रम संबंधी	*-	*-	*-	*-	*-	*-	*-	*-	0.00	2800.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	जानकारी उपरोक्त क्रम संख्या 1 में पहले ही दी जा चुकी है।)											
4.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	10.90	88.55	3.51	58.65	0.40	0.00	10.00	0.00	172.01	1535.00	11.21%
5.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.58	23.10	0.88	0.01	1.30	1.26	0.00	0.00	27.13	220.00	12.33%
6.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, परिषद, हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज ट्रस्ट, दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
9.	भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, शिमला	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
10.	अखिल भारतीय महत्व वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00%
11.	भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	3.50	1.50	0.30	2.50	0.50	0.00	0.00	8.30	226.00	3.67%
12.	भारतीय विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति के इतिहास संबंधी परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00%
13.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम पर ब्याज में छूट									0.00	0.00	0.00%
14.	बालिकाओं हेतु निशुल्क शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	कुल	367.95	1288.57	230.31	428.95	672.28	233.98	10.00	51.36	3283.40	54500.00	6.02%
योजनेत्तर												
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	0.08	880.35	20.49	3067.17	652.19	1028.02	0.00	0.00	5648.30	102068.00	5.53%
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00%
3.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	1600.00	0.58%
4.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00%
5.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00%
6.	डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज ट्रस्ट, दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00%
7.	कामनवैल्थ आफ लर्निंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00%
8.	भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थान, शिमला	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	325.00	0.38%
9.	अखिल भारतीय महत्व वाले उच्चर शिक्षा संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
10.	भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	2.00	0.20	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	217.00	1.35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	5224.00	47.86%
12.	शास्त्री भारतीय कनाडा संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00%
13.	आयकर की वापसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00%
14.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
15.	अल्पावधि अमरीकी शिक्षा कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00%
16.	विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान की निधियों में अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00%
	कुल	0.08	3383.59	20.69	3077.10	652.19	1028.02	0.00	0.00	8161.67	110549.00	7.38%

भाषा विकास

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अंतिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित) अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					योजनागत							
	भाषाएं: हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं											
1.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली	0.09	38.41	13.58	2.12	2.58	3.06	0.12	0.15	60.11	450.00	13.36%
2.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	2.03	180.00	1.13%
3.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल/केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	3.10	10.87	4.80	15.80	3.50	2.84	1.60	0.00	42.51	570.00	7.46%
4.	अहिन्दी भाषा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	151.86	0.00	133.62	0.00	336.17	0.00	0.00	0.00	621.65	1000.00	62.17%
5.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.51	327.00	11.47%
6.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00%
7.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद, नई दिल्ली	0.00	10.43	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43	37.11	850.00	4.37%
8.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नत परिषद, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर) शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
10.	उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और उर्दू के अध्यापन/अध्ययन हेतु प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
11.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान अंग्रेजी के जिला केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता/अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन तथा पुस्तकों की खरीद/संवर्धन कार्यकलापों हेतु सहायता।	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	340.00	3.97%
12.	शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों हेतु क्षेत्र गहन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00%
13.	शिक्षा में संस्कृति/कला/मूल्यों के सुदृढ़ीकरण हेतु एजेंसियों को सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00%
14.	राष्ट्रीय कश्मीरी भाषा प्रोन्नयन परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
15.	राष्ट्रीय भारतीय भाषा समिति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
संस्कृत												
16.	राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/गैर सरकारी संगठनों को अनुदान देकर संस्कृत का विकास	0.00	35.56	0.00	0.20	0.00	0.00	72.57	0.98	109.31	1400.00	7.81%
17.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	0.00	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	10.89	1557.00	0.70%
18.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या संस्थान, उज्जैन	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	66.00	1.85%
19.	मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	38.53	205.00	18.80%
	कुल	155.05	149.13	176.42	18.12	342.25	5.90	77.41	50.09	974.37	9424.00	10.34%
					योजनेत्तर							
	भाषाएं: हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा											
1.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.05	472.00	5.52%
2.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.51	136.00	0.38%
3.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल/केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा	0.00	25.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	465.00	10.11%
4.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00%
6.	विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के उत्पादन संबंधी (क्षेत्रीय भाषाओं में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
संस्कृत												
7.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00%
	कुल	0.00	51.31	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.25	73.56	2903.00	2.53%

छात्रवृत्तियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अन्तिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
						योजनागत						
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	40.00	2.03%
2.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों हेतु माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	40.00	0.10%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.81	0.85	80.00	1.06%
						योजनेत्तर						
1.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति स्कीम के तहत हुए नुकसान को बट्टे खाते से हटाना	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2.00	0.00%
2.	हिन्दी में मेट्रिकोत्तर हेतु अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहायता अनुदान स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.17	0.20	25.00	0.80%
3.	विदेशी से अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति स्कीम-(इस स्कीम को 90-91 में समाप्त कर दिया गया था। 91 से पहले के अध्येताओं के व्यय हेतु प्रावधान किये गये हैं।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
4.	भारतीय नागरिकों को विदेशों में उच्चतर अध्ययन हेतु विदेशी सरकारी/संगठनों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00%
5.	अन्य मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.17	0.20	99.00	0.20%

पुस्तक प्रोन्नयन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अन्तिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
					योजनागत							
1.	पुस्तक प्रोन्नयन कार्यकलाप तथा स्वैच्छिक संगठन स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00%
2.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	0.37	15.21	0.75	0.80	1.94	0.00	0.94	0.33	20.34	1169.00	1.74%
3.	कापीराईट पर सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00%
4.	बौद्धिक सम्पदा अधिकार हेतु वित्तीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	190.00	0.84%
5.	कापीराईट कार्यालय का आधुनिकीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00%
	कुल	0.37	15.21	0.75	2.40	1.94	0.00	0.94	0.33	21.94	1517.00	1.45%
					योजनेत्तर							
1.	अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनियन-विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन हेतु भारत का योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00%
2.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00%

तकनीकी शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अन्तिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					योजनागत							
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में स्थित)	0.00	3060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3060.00	13279.00	23.04%
2.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिल्चर में स्थित)	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	5600.00	3.57%
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.00	1400.00	100.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	सामुदायिक पालिटेक्निक स्कीम	14.25	25.80	3.00	3.00	8.75	2.25	0.00	6.75	63.80	3500.00	1.82%
5.	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम	0.04	5.34	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	8.24	1200.00	0.69%
6.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से तकनीकी संस्थानों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00%
7.	प्रौद्योगिकी विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00%
8.	तकनीकी शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	5.29	5.29	3.92	6.12	3.05	0.67	0.00	5.67	30.01	965.00	3.11%
9.	पुराने उपस्करों का आधुनिकीकरण तथा उन्हें हटाना	5.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	900.00	5.22%
10.	शोध एवं विकास स्कीम	10.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	450.00	5.33%
11.	तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	700.00	1.43%
12.	एजुकेशनल कन्सलटेन्ट्स इण्डिया लि., नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
13.	प्रशिक्षुता/वास्तविक प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई तथा कानपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
14.	तकनीकी शिक्षा हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं हेतु भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00%
15.	संत लोंगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल, संगरुर, पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1469.00	0.00%
16.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1470.00	0.00%
17.	तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में विकलांग लोगों को समेकित करने हेतु मौजूदा पालिटेक्निकों का स्तरोन्नयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00%
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6179.00	0.00%
19.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00%
20.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	6.06	65.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.11	8175.00	1.05%
21.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3160.00	0.00%
22.	राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00%
23.	राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	आयोजन तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00%
25.	राजकीय इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी कालेज, जम्मू	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
26.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00%
27.	शोध एवं सूचना सेवा स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
28.	विद्यार्थी काउंसिलिंग तथा विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
29.	सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
30.	तकनीकी शिक्षा- III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
	कुल	1440.64	3427.48	22.22	9.12	11.80	2.92	0.00	14.98	4929.16	54577.00	9.03%
					योजनेत्तर							
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में स्थित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38641.00	0.00%
2.	क्षेत्रीय इंजीनियर कालेज (पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिल्चर में स्थित)	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	8337.00	3.90%
3.	सामुदायिक पालिटेक्निक स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
4.	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम	0.00	4.39	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	8.01	800.00	1.00%
5.	तकनीकी शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	1474.00	0.19%
6.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4056.00	0.00%
7.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7400.00	0.00%
8.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	1.95	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	1620.00	0.38%
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00%
10.	राष्ट्रीय ढुलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00%
11.	आयोजना तथा वस्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
12.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00%

आयोजना तथा प्रशासन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	चित्त वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अंतिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					योजनागत							
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	0.00	1.68	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	220.00	1.12%
2.	राज्यों में सांख्यिकीय तंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
3.	शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता स्कीम	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	80.00	3.44%
4.	आरोविल फाउंडेशन हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
5.	बाह्य शैक्षिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
6.	भारत में यूनेस्को प्रकाशन हेतु आईएनसी पुस्तकालय को पुन: संगठित करके एक पूर्णरूपेण प्रलेखन तथा संदर्भ केन्द्र बनाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.0%
7.	यूनेस्को के लक्ष्यों तथा उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु समितियों की बैठकें/सम्मेलन आयोजित करना और प्रदर्शनियां आयोजित करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00%
8.	यूनेस्कों के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के प्रोन्नयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ बनाना	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	3.00	8.33%
9.	सचिवालयीय व्यय	-	-	-	-	:	-	-	-	0.00	52.00	0.00%
10.	पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में शिक्षा का विकास	25.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	25.88	1.00	2588.00%
11.	भारत शिक्षा कोष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
12.	मेशन डी एल" इन्डे, पेरिस हेतु योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
	कुल	25.00	4.68	0.78	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31.34	532.00	5.89%
					योजनेत्तर							
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00%
2.	आरोविल फाउंडेशन हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	सचिवालयीय व्यय, प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2638.00	0.00%
4.	यूनेस्को हेतु योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.50	0.00%
5.	यूनेस्को कूरियर के हिन्दी तथा तमिल संस्करण के प्रकाशन हेतु यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग के निमित्त व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00%
6.	विदेशी शिष्टमंडलों का भारत दौरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
7.	यूनेस्को सम्मेलन आदि में प्रतिनियुक्ति तथा शिष्टमंडल भेजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	0.00%
8.	अन्य मद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3484.00	0.00%

पूर्वोत्तर के राज्यों तथा सिक्किम को निधियों के प्रवाह का सारांश 2002-03

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अनंतिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						योजनागत						
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	1495.98	22379.22	651.74	903.28	1132.59	1937.04	272.98	1796.80	30569.63	426677.00	7.16%
2.	प्रौढ़ शिक्षा	186.25	95.70	15.25	32.00	88.40	0.00	36.60	165.00	619.20	23323.00	2.65%
	कुल प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	1682.23	22474.92	666.99	935.28	1220.99	1937.04	309.58	1961.80	31188.83	450000.00	6.93%
1.	माध्यमिक शिक्षा	562.33	4408.87	1036.08	881.81	57.25	442.51	225.65	274.58	7889.08	57129.00	13.81%
2.	उच्चतर शिक्षा	235.30	3522.00	361.01	635.08	1431.69	583.80	14.22	110.98	6914.03	62743.00	11.02%
3.	भाषा विकास	178.06	457.97	170.27	22.53	287.90	19.56	2.29	63.20	1201.78	11204.00	10.73%
4.	छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	99.00	0.04%
5.	पुस्तक प्रोन्नयन	2.25	23.71	1.00	2.00	1.00	0.00	1.14	1.34	32.44	751.00	4.32%
6.	तकनीकी शिक्षा	442.55	8257.31	12.99	18.03	29.00	8.09	293.04	25.14	9086.15	61658.00	14.74%
7.	योजना और प्रशासन	0.00	2.27	1.11	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	3.90	649.00	0.60%
	कुल माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा	1420.49	16672.13	1582.46	1559.45	1806.84	1053.96	536.86	475.28	25127.42	194233.00	12.94%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	प्रारम्भिक शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%
2.	प्रौढ़ शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00%
	कुल प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00%
1.	माध्यमिक शिक्षा	595.23	1777.05	463.25	517.68	75.19	214.43	133.85	179.00	3955.68	71685.00	5.52%
2.	उच्चतर शिक्षा	0.00	1125.46	0.00	3540.16	726.19	1450.04	0.00	0.00	6841.85	117896.00	5.80%
3.	भाषा विकास	0.00	34.32	0.00	26.92	0.00	7.78	0.61	0.00	69.63	3616.00	1.93%
4.	छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	105.00	0.11%
5.	पुस्तक प्रोन्नयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00%
6.	तकनीकी शिक्षा	1202.21	2939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4143.11	81118.00	5.11%
7.	योजना और प्रशासन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3833.00	0.00%
	कुल माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा	1797.44	5876.73	463.25	4084.76	801.38	1672.25	134.46	180.12	15010.39	278961.00	5.38%

प्रारम्भिक शिक्षा व साक्षरता विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अन्तिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरूणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						योजनागत						
1.	ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड*	0.00	793.93	0.00	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00	*821.68	2831.00	29.02%
2.	शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन और पुनर्संरचना	62.20	672.53	98.84	193.50	166.02	243.17	6.69	40.00	1482.95	16491.00	8.99%
3.	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वित्त वर्ष 01-02 से योजना संशोधित तथा शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा के रूप में पुनर्निमित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00%
4.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	0.00	2.06	1.79	0.78	0.14	1.85	0.49	0.68	7.79	500.00	1.56%
5.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00%
6.	प्रारम्भिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम दोपहर का भोजन योजना	21.78	5333.61	551.11	25.23	233.81	718.74	53.23	825.19	7762.70	110150.00	7.05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	0.00	5401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5401.17	128700.00	4.20%
8.	कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00%
9.	शिक्षा कर्मी परियोजना**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.00	0.00%
10.	लोक जुम्बिश परियोजना**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00%
11.	महिला समाख्या कार्यक्रम***	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00%
12.	सर्व शिक्षा अभियान	1412.00	10175.92	0.00	683.77	704.87	973.28	212.57	930.93	15093.34	156849.00	9.62%
13.	सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा उन्नयन के लिए जनशाला कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	0.00%
	कुल	1495.98	22379.22	651.74	903.28	1132.59	1937.04	272.98	1796.80	30569.63	426677.00	7.16%
	योजनेत्तर											
1.	राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00%

*यह योजना डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत केवल असम में कार्यान्वित की जा रही है।

**यह योजनाएं केवल राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही है।

***यह योजना 10वीं योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान में मिला दी गई है। वर्तमान वर्ष में ओ बी योजना के अंतर्गत बिना खोचन तथा अवशिष्ट कार्य के लिए बजट प्रावधान किया गया था।

प्रौढ़ शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अनंतिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योजनागत											
1.	प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता	0.00	10.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	10.00	52.00	2350.00	2.21%
2.	नवसाक्षरों के लिए सतत शिक्षा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	0.00	0.00	155.00	229.40	14553.00	1.58%
3.	साक्षरता अभियानों तथा आपरेशन रिसटोरेशन संबंधी योजना-कुल साक्षरता अभियान तथा साक्षरता पश्चात् कार्यक्रम	171.00	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	256.25	2500.00	10.25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	श्रमिक विद्यापीठ-जिसे अब जन शिक्षण संस्थान कहा जाता है।	15.25	37.05	15.25	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	81.55	2500.00	3.26%
5.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1145.00	0.00%
6.	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00%
7.	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00%
8.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	कुल	186.25	95.70	15.25	32.00	88.40	0.00	36.60	165.00	619.20	23323.00	2.65%
					योजनेत्तर							
1.	जनशिक्षण संस्थान-पोलीवैलेन्ट प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00%
2.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00%
3.	गैर सरकारी सदस्यों को टी ए/डी ए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00%

*इन मदों पर संस्थान संस्था/परियोजना विशेष के लिए।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग

माध्यमिक शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अन्तिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					योजनागत							
1.	स्कूलों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50	0.00	72.50	2739.00	2.65%
2.	एक्सेस तथा इक्विटी कार्यक्रम-पहले स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग तथा होस्टल सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के रूप में जाना जाता था	0.00	43.78	35.66	0.00	0.00	31.58	0.00	0.00	111.02	1100.00	10.09%
3.	स्कूलों में गुणवत्ता सुधार*	0.00	11.24	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.61	2387.00	0.53%
4.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-एन पी ई पी कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय को शामिल करते हुए	3.74	7.41	6.68	32.44	3.05	3.64	4.19	1.28	62.43	1655.00	3.77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	0.00	23.08	132.87	1.73	33.58	22.61	12.35	8.19	234.41	3500.00	6.70%
6.	नवोदय विद्यालय समिति	411.49	3152.20	722.83	807.64	20.62	270.31	135.64	262.64	5783.37	36000.00	16.06%
7.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	143.92	1156.72	135.00	40.00	0.00	114.37	0.00	0.00	1590.01	8500.00	18.71%
8.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	4.15	300.00	1.38%
9.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	0.00	£13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	880.00	1.49%
10.	स्कूलों में योग संवर्धन	0.00	1.31	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47	5.45	68.00	8.01%
	कुल	562.33	4408.87	1036.08	881.81	57.25	442.51	225.65	274.58	7889.08	57129.00	13.81%
					योजनेत्तर							
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	0.00%
2.	नवोदय विद्यालय समिति	183.01	0.00	270.13	150.05	34.98	25.33	51.64	37.85	752.99	12260.00	6.14%
3.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	363.27	1772.00	192.49	366.37	39.75	187.83	67.10	139.88	3128.69	54477.00	5.74%
4.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.84	0.00	61.57	1250.00	4.93%
5.	स्कूलों में योग संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00%
6.	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	1.22	5.05	0.63	1.26	0.46	1.27	1.27	1.27	12.43	130.00	956%
7.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
8.	शहीद हुए तथा झड़ों के दौरान विकलांग हुए सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा संबंधी रियायतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
9.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
	कुल	595.23	1777.05	463.25	517.68	75.19	214.43	133.85	179.00	3955.68	71685.00	5.52%

@इस योजना के अंतर्गत पर्यावरण शिक्षा, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा की बेहतरी, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना से संबंधित नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विलयित योजनाएं शामिल हैं।

*इस योजना के अन्तर्गत 'क्लास और शिक्षा प्रौद्योगिकी' से संबंधित 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विलयित योजनाएं शामिल हैं।

£यद्यपि योजनागत व्यय गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से किया जाता है, इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	चित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अनंतिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित) अनुमान) 2001-02	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नगालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						योजनागत						
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली	207.60	3468.97	332.23	597.38	1421.09	572.30	0.00	103.39	6702.96	55976.00	11.97%
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	3883.00	0.00%
3.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद- आई सी एस एस आर के लिये वित्त वर्ष 2002-03 में कुल व्यय के अंतर्गत सामान्यत स्वरूप का व्यय भी शामिल है। किसी राज्य 196.95 लाख रु. की राशि किसी राज्य विशेष से संबंधित	22.22	33.18	21.99	35.20	9.32	10.36	14.22	7.59	174.03	1750.00	9.94%
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	5.48	15.64	2.79	0.04	1.28	1.14	0.00	0.00	26.37	280.00	9.42%
5.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00%
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट, दिल्ली*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00%
8.	भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	300.00	0.00%
9.	अखिल भारतीय महत्व के उच्चतर अध्ययन संस्थान*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00%
10.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	1.46	2.50	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	237.00	2.71%
11.	भारतीय विज्ञान दर्शन एवं संस्कृति के इतिहास संबंधी परियोजना*	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	190.00	1.58%
12.	लड़कियों के लिए निशुल्क शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00%
	कुल	235.30	3522.00	361.01	635.08	1431.69	583.80	14.22	110.98	6914.03	62743.00	11.02%
						योजनेत्तर						
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिली	0.00	1076.78	0.00	3493.16	726.19	1450.04	0.00	0.00	6746.17	110139.00	6.13%
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	0.00	48.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00%
3.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	2400.00	0.69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00%
5.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00%
6.	डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल कालेज ट्रस्ट, दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00%
7.	कामनवैल्थ आफ लर्निंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00%
8.	भारतीय उन्नत अध्ययन संसाधन, शिमला	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	375.00	0.02%
9.	अखिल भारतीय महत्व के उच्चतर अध्ययन संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
10.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	217.00	0.28%
11.	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3799.00	0.00%
12.	शास्त्री भारत कनाडा संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00%
13.	आयकर की वापसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00%
14.	राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप अनुसंधान संबंधी योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
15.	अल्पावधि अमेरिकी शिक्षा कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
16.	आर्थिक विकास अनुसंधान संबंधी विश्व संस्थान की निधियों के प्रति अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	कुल	0.00	1125.46	0.00	3540.16	726.19	1450.04	0.00	0.00	6841.85	117896.00	5.80%

*इन मदों के संबंध में परिव्यय संस्था/परियोजना विशेष के लिये है।

भाषा विकास

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में चुनिंदा क्षेत्र में किये गये व्यय के अंतिम आंकड़े (31.3.2002 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						योजनागत						
भाषाएं: आधुनिक भारतीय भाषा												
1.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली	0.17	80.75	16.42	3.13	3.78	4.09	0.75	0.77	109.86	605.00	18.16%
2.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.11	210.00	5.77%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल/केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा	2.20	16.91	5.10	18.30	3.20	15.47	1.32	0.00	62.50	625.00	10.00%
4.	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति	172.19	276.20	133.45	0.00	280.92	0.00	0.00	0.00	862.76	1150.00	75.02%
5.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	1.78	42.82	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.97	438.00	10.27%
6.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00%
7.	उर्दू भाषा के प्रोन्नयन संबंधी राष्ट्रीय परिषद, नई दिल्ली	0.00	23.92	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82	43.56	1048.00	4.16%
8.	सिंधी भाषा के उन्नयन संबंधी राष्ट्रीय परिषद, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00%
9.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संबंधी क्षेत्रीय संस्थानों तथा जिला अंग्रेजी केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता/अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन तथा खरीद/ प्रोन्नयन कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00%
10.	क्षेत्र सघन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.72	45.72	3150.00	1.45%
11.	शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए एजेंसियों को सहायता योजना	1.72	2.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	220.00	2.19%
12.	भारतीय भाषा प्रोन्नयन परिषद (इसे पहले भारतीय भाषा संबंधी राष्ट्रीय समिति के नाम से जाना जाता था)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00%
संस्कृत												
13.	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत का विकास	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	9.59	1301.00	0.74%
14.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	0.00	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	5.33	2004.00	0.27%
15.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	110.00	0.51%
	कुल	178.06	457.97	170.27	22.53	287.90	19.56	2.29	63.20	1201.78	11204.00	10.73%
					योजनेत्तर							
	भाषाएं: हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषाएं											
1	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली	0.00	1.12	0.00	0.22	0.00	0.78	0.00	0.00	2.12	510.00	0.42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	125.00	0.00%
3.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल/केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा	0.00	33.09	0.00	26.70	0.00	7.00	0.61	0.00	67.40	600.00	11.23%
4.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.00	0.00%
5.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00%
6.	विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के उत्पादन संबंधी योजना (क्षेत्रीय भाषाओं में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00%
संस्कृत												
7.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1526.00	0.00%
	कुल	0.00	34.32	0.00	26.92	0.00	7.78	0.61	0.00	69.63	3616.00	1.93%

छात्रवृत्तियां

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाओं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अंतिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					योजनागत							
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00%
2.	ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	40.00	0.10%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.04	0.04	99.00	0.04%
1.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत घाटे को समाप्त करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00%
2.	हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिये गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्ति संबंधी सहायता अनुदान योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	50.00	0.24%
3.	विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना (यह योजना 90-99 में समाप्त कर दी गई है। 99 से पहले के छात्रों के व्यय के लिए बजट प्रावधान किये गये)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	भारतीय नागरिकों के विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00%
5.	अन्य मदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	105.00	0.11%

पुस्तक उन्नयन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अनंतिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योजनागत											
1.	पुस्तक प्रोन्नयन संबंधी कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00%
2.	भारतीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	2.25	23.71	1.00	2.00	0.00	0.00	1.14	1.34	31.44	418.00	7.52%
3.	बौद्धिक संपदा शिक्षा तथा पब्लिक आउटरीच के लिए योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	179.00	0.56%
4.	शिक्षण पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता संबंधी योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00%
5.	डब्ल्यू टी ओ अध्ययनों के संबंध में वित्तीय सहायता संबंधी योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00%
	कुल	2.25	23.71	1.00	2.00	1.00	0.00	1.14	1.34	32.44	751.00	4.32%
	योजनेत्तर											
1.	अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट संघ-विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के प्रति भारत का योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00%
2.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	678.00	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00%

तकनीकी शिक्षा

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अन्तिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						योजनागत						
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्वोत्तर गुवाहाटी में स्थित)	0.00	7402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7402.00	16492.00	44.88%
2.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्वोत्तर सिल्चर में स्थित)	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	8000.00	7.19%
3.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटा नगर	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	700.00	42.86%
4.	सामुदायिक पालीटेक्निक योजना	0.40	56.68	9.37	8.75	26.46	5.78	0.00	11.51	118.95	4200.00	2.83%
5.	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना	0.00	6.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	8.52	1500.00	0.57%
6.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00%
7.	प्रौद्योगिकी विकास मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8.	तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	0.00	22.02	2.48	9.28	2.54	2.31	1.56	12.25	52.44	920.00	5.70%
9.	आधुनिकीकरण और पुराने उपस्करों को हटाना	71.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	1500.00	6.33%
10.	अनुसंधान और विकास योजना	70.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	2000.00	5.30%
11.	तकनीकी शिक्षा में महत्वपूर्ण क्षेत्र	0.00	46.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	1500.00	3.07%
12.	एजूकेशन कन्सलटेन्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
13.	प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यावहारिक प्रशिक्षण, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00%
14.	तकनीकी शिक्षा हेतु विश्वबैंक सहायता प्राप्त योजना-व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
15.	संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल, संगरूर, पंजाब*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00%
16.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
17.	तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में शारीरिक विकलांगों को समेकित करने के लिए मौजूदा पालीटेक्निकों को स्तरोन्नत करना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	भारतीय प्रबंधन संस्थान*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00%
19.	भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3170.00	0.00%
20.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	1.15	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95	10000.00	0.87%
21.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
22.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
23.	राष्ट्रीय डलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00%
24.	आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00%
25.	नये और उदीयमान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
26.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00%
27.	अनुसंधान और सूचना सेवा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
28.	अनौपचारिक क्षेत्र विकास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
29.	सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.00	0.00%
30.	दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित अध्ययन सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00%
31.	संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने हेतु संस्थाओं के नेटवर्क के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00%
32.	राष्ट्र स्तरीय प्रवेश परीक्षा और सक्षमता आधारित मूल्यांकन सेवाओं के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
33.	शैक्षिक प्रशासन के विकास के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
34.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
35.	अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00%
36.	माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाना	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	291.48	0.00	295.29	100.00	26.84%
	कुल	442.55	8257.31	12.99	18.03	29.00	8.09	293.04	25.14	9086.15	61658.00	14.74%
					योजनेत्तर							
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी में स्थित)	0.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1480.00	43800.00	3.38%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (पूर्वोत्तर सिल्चर में स्थित)	0.00	1442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1442.00	11813.00	12.21%
3.	सामुदायिक पालीटेनिक योजना	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	200.00	3.79%
4.	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.82	1000.00	0.28%
5.	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	1600.00	0.13%
6.	भारतीय प्रबंधन संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4973.00	0.00%
7.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00%
8.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली	2.21	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59	3000.00	0.29%
9.	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00%
10.	राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00%
11.	आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00%
12.	भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.00	0.00%
13.	प्रशिक्षुता बोर्ड/व्यवहारिक प्रशिक्षण, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00%
14.	डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन-राज्यों को केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00%
15.	एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00%
16.	अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
17.	संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल, संगरूर, पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00%
18.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00%
19.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00%
20.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटा नगर	1200.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	****
	कुल	1202.21	2939.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4143.11	81118.00	5.11%

*इन मदों पर किया गया व्यय संस्था/परियोजना विशिष्ट है।

आयोजना और प्रशासन

(लाख रु. में)

क्र. सं.	योजनाएं/कार्यक्रम/संस्थान	वित्त वर्ष 2002-03 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में किये गये व्यय के अंतिम आंकड़े (31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)									परिव्यय (संशोधित अनुमान) 2002-03	संशोधित अनुमान के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
		अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	0.00	0.97	1.11	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	2.60	262.00	0.99%
2.	भारत में शैक्षिक आंकड़ों के लिए तंत्र को सुदृढ़ बनाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.	शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि के लिए सहायता योजना	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	79.00	1.30%
4.	आरोविले प्रतिष्ठान को अनुदान*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00%
5.	बाह्य शैक्षिक संबंधों को सुदृढ़ बनाना*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00%
6.	पूर्णरूपेण विकसित प्रलेखन में आई एन सी पुस्तकालय का पुनर्गठन और भारत में यूनेस्को प्रकाशनों के लिए संदर्भ केन्द्र*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00%
7.	समितियों/सम्मेलनों की बैठकें आयोजित करना और यूनेस्कों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियां आयोजित करना*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00%
8.	यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ बनाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	5.00	9.80%
9.	यूनेस्को भवन का निर्माण*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
10.	भारत शिक्षा कोष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00%
	कुल	0.00	2.27	1.11	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	3.90	649.00	0.60%
	योजनेत्तर											
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00%
2.	आरोविले प्रतिष्ठान को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.08	0.00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	सचिवालीय खर्चे, प्रशासन	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	2778.00	0.00%
4.	यूनेस्को में अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.50	0.00%
5.	यूनेस्को कोरियर के हिंदी और तमिल संस्करण के प्रकाशन के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग का व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00%
6.	भारत में विदेशी शिष्टमंडल का दौरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00%
7.	यूनेस्को में प्रतिनियुक्ति और शिष्टमंडल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00%
8.	अन्य देशों के राष्ट्रीय आयोगों के अधिकारियों/ यूनेस्को के अधिकारियों का दौरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00%
	कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3833.00	0.00%

*इन मदों पर किया गया व्यय संस्था/परियोजना विशिष्ट है।

[अनुवाद]

अनौपचारिक शिक्षा योजना

869. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को कितनी राशि जारी की गई और राज्य द्वारा वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(ग) राज्य में कार्यक्रम की उपलब्धियां, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) नौवीं योजना के दौरान केंद्र द्वारा प्रायोजित अनौपचारिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को कोई धनराशि प्रदान नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु मध्य प्रदेश को सहायता

870. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु धनराशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना हेतु केन्द्रीय सहायता नाममात्र की है और राज्य सरकार को इस छात्रवृत्ति योजना की राशि का काफी बड़ा भाग अपने स्वयं के संसाधनों से जुटाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश को विशेष केन्द्रीय सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम चलाई जा रही है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों

के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार से अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2003-2004 में छात्रवृत्ति की संशोधित दरों के भुगतान के लिए 318.39 लाख रु. जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) विगत पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में हुआ वास्तविक खर्च अगली पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य सरकार का वचनबद्ध दायित्व बन जाता है। वचनबद्ध दायित्व के अतिरिक्त 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को जारी की जाती है।

(ग) और (घ) विशेष केन्द्रीय सहायता, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए आय सृजन के उद्देश्य हेतु एक आर्थिक विकास योजना है। इसे राज्य सरकारों के वचनबद्ध दायित्व का भार वहन करने के लिए नहीं चलाया जाता।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक और आवासीय डांचों की जांच

871. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** 26 फरवरी, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 16 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.,आई. द्वारा जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) तथाकथित अवैध निर्माणों/भवन उप-नियमों के उल्लंघन वाली 89 संपत्तियों के मामलों को जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया था। सीबीआई ने इनमें से 15 मामले दर्ज किये थे तथा 10 मामलों में जांच पूरी कर ली है। इनमें से पांच मामले पहले से ही विचारण अदालत (ट्रायल कोर्ट) में चल रहे हैं। सीबीआई ने स्थापित निकायों को नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह देते हुए शेष पांच मामलों को निपटा दिया है। सीबीआई ने शेष मामले स्थानीय निकायों के साथ प्रत्यक्ष रूप से उठाने के लिए वापस कर दिए हैं।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी सेविकाएं

872. श्री वाई.जी. महाजन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार इस समय कितनी 'आंगनवाड़ी सेविका' हैं;

(ख) क्या इन सेविकाओं का वेतन एक मजदूर के वेतन से भी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन सेविकाओं के वेतन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन 'सेविकाओं' के कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (सेविकाओं) की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ख) से (घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां स्थानीय समुदायों से आने वाली अवैतनिक कार्यकर्त्रियां हैं, जिन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाता है। उन्हें दिए जा रहे मानदेय को दिनांक 1.4.2002 से लगभग दोगुना कर दिया गया । इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को उनकी अर्हता एवं अनुभव के आधार पर 938/- रुपये से 1063/- रुपये प्रतिमाह तक के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य सरकारें भी अपने संसाधनों से इन कार्यकर्त्रियों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।

(ङ) और (च) एक कल्याण उपाय के रूप में सरकार ने दिनांक 1.4.2004 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना' नामक बीमा स्कीम आरम्भ की है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

* यह स्कीम 18-60 वर्ष के व्यक्तियों पर लागू है।
* वार्षिक प्रीमियम प्रति लाभार्थी 280/-रुपये है, जिसमें से 100/-रुपये जीवन बीमा निगम द्वारा; 100/-रुपये भारत सरकार द्वारा तथा 80/- रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका द्वारा दिया जाएंगे।

अलग-अलग घटनाओं के घटित होने पर लाभार्थियों को देय राशि इस प्रकार है:

* दुर्घटना को छोड़कर अन्य किसी कारण से मृत्यु 20,000/- रुपये
* दुर्घटना के कारण मृत्यु 50,000/- रुपये
* दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण अक्षमता 50,000/- रुपये
* दुर्घटना में दोनों आंखे या 2 अंगों अथवा एक आंख एवं एक अंग की क्षति 50,000/- रुपये
* दुर्घटना में एक आंख या एक अंग की क्षति 25,000/- रुपये
* स्तन कैंसर, अण्डाशय कैंसर/ डिम्बवाहिनी कैंसर, ग्रीवा कैंसर, गर्भाशय कैंसर, योनि कैंसर आदि जैसे गम्भीर रोग होने की स्थिति में 20,000/- रुपये
* 9वीं से 12वीं कक्षा तक अध्ययन कर रहे प्रत्येक बच्चे (अधिकतम दो बच्चों) को प्रतिमाह छात्रवृत्ति 300/- रुपये

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.2004 की स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ियों की संख्या	
		भारत सरकार द्वारा स्वीकृत	कार्यरत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	54312	53330
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	2285
3.	असम	25416	24905
4.	बिहार	60813	24726
5.	छत्तीसगढ़	20289	20130
6.	गोवा	1012	1006
7.	गुजरात	37961	34087
8.	हरियाणा	13546	13446
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	7321
10.	जम्मू-कश्मीर	11821	10227
11.	झारखण्ड	15505	14187
12.	कर्नाटक	40301	40084
13.	केरल	25393	24384
14.	मध्य प्रदेश	49784	47798
15.	महाराष्ट्र	62716	57270
16.	मणिपुर	4501	4496
17.	मेघालय	2218	2217
18.	मिजोरम	1361	1341
19.	नागालैण्ड	2770	2613
20.	उड़ीसा	34201	32509
21.	पंजाब	15829	13187
22.	राजस्थान	35821	35550
23.	सिक्किम	500	498
24.	तमिलनाडु	42377	28861
25.	त्रिपुरा	3786	3195
26.	उत्तर प्रदेश	103104	72875
27.	उत्तरांचल	6378	5674
28.	पश्चिम बंगाल	57540	52351
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	527	429
30.	चण्डीगढ़	300	300
31.	दिल्ली	3902	3842
32.	दादरा व नागर हवेली	138	138
33.	दमण और दीव	87	87
34.	लक्षद्वीप	74	74
35.	पाण्डिचेरी	677	677
	अखिल भारत	744673	636105

[अनुवाद]

राउरकेला इस्पात संयंत्र की सामाजिक सुरक्षा योजना

873. श्री अनन्त नायक: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अपने कर्मचारियों विशेषकर समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा विद्यमान कर्मचारियों तथा पृथक किए कर्मचारियों/नामांकितियों (जैसा भी मामला हो) के लिए निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं:

(1) अंशदायी भविष्य निधि (सांविधिक)

(2) उपदान

(3) कर्मचारी परिवार लाभ योजना

(4) कर्मचारी परिवार लाभ स्वैच्छिक योजना

(5) सेल कर्मचारी अधिवर्षिता लाभ निधि

(6) जीवन सुरक्षा योजना

(7) अनुकंपा रोजगार

(8) कामगार मुआवजा

(9) कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (सांविधिक)

(ख) योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी इसके लिए संबंधित विभागों/निकायों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा भी इनकी आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

निजी स्व वित्तपोषित इंजीनियरिंग कालेज

874. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवेश के संबंध में यू.जी.सी. के मार्गनिर्देश निजी स्व वित्तपोषित इंजीनियरिंग कालेजों पर लागू होते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी स्व वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों में मेरिट के आधार पर प्रवेश देने हेतु सीट संख्या निर्धारित करने और मेरिट के आधार पर दाखिला पाने वाले छात्रों से फीस वसूलने हेतु कोई मार्गनिर्देश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) निजी स्व वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों में दाखिले और फीस हेतु मार्गनिर्देश तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 26 दिसम्बर, 2003 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विनिर्दिष्ट व्यावसायिक कार्यक्रमों में दाखिला) अंतरिम विनियम, 2003 जारी किए है। इन विनियमों के अनुसार देश की सभी संस्थाओं, जो इस समय अपने सभी विद्यार्थियों अथवा कुछ प्रतिशत विद्यार्थियों को अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ इंजीनियरी में अवर स्नातक कार्यक्रम सहित सभी व्यावसायिक कार्यक्रमों में दाखिला अखिल भारतीय आधार पर दे रही है, में अब दाखिला केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा।

(ग) से (च) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 3 नवम्बर, 2003 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के विद्यार्थियों से भरी जाने वाली सीटों के लिए राज्य परीक्षाओं और अखिल भारतीय आधार पर भरी जाने वाली सीटों के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेशपरीक्षा द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर सभी सीटें भरी जाएगी। प्रबंधक कोटे की सीटें इन संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं अथवा अनुमोदित एजेंसी (राज्य में किसी विषय विशेष के सभी कालेजों का संघ शामिल है) द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस्लामिक शिक्षा अकदामी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य के मामले में दिनांक 14 अगस्त, 2003 के अपने न्यायनिर्णयन में यह निर्देश दिए कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में (1) शुल्क संरचना की जांच करने के लिए और (2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कालेज संघ द्वारा आयोजित परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी है, दो समितियां गठित की जाएंगी।

उल्फा/एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) की गतिविधियां

875. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊपरी असम के चाय बागानों के मालिकों को उल्फा और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) से जबरन पैसा वसूली का नोटिस मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या भूटानी आपरेशन के बाद कुछ समय तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उग्रवादियों के विरुद्ध भूटान जैसी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) रिपोर्टों के अनुसार यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (यू एल एफ ए) ने असम में चाय-बागानों के मालिकों से जबरन धनवसूली के नोटिस भेजे हैं। 10 मामले दर्ज किए गए है और इस सम्बन्ध में 30 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करके चाय क्षेत्र की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तथापि, नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैंड (एन एस सी एन (आई/एम) द्वारा चाय बागान क्षेत्र में जबरन धन वसूली का नोटिस देने का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) शाही भूटान सरकार द्वारा भारतीय विद्रोही ग्रुपों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के बाद से असम में उग्रवादी गतिविधियां सामान्य तौर पर रुकी हुई हैं। तथापि, उल्फा उग्रवादियों ने ऊपरी असम क्षेत्र, जहां पहले भी उनका प्रभुत्व था, में पुन: अपनी गतिविधियां प्रारम्भ कर दी हैं। समस्त चाय क्षेत्र में विद्रोही-विरोधी अभियान तेज कर दिए गए हैं।

मदरसों को सहायता

876. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर उत्तर प्रदेश और पड़ौसी राज्यों में मदरसों को वित्तीय सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो कितने मदरसों ने वित्तीय सहायता की पेशकश को स्वीकार किया है और कितनों ने अस्वीकार किया है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों में भी मदरसों को ऐसी सहायता प्रदान की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मदरसों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्र गठन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम के अन्तर्गत मदरसों को राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। ये प्रस्ताव विभिन्न मदरसों द्वारा किए गए आवेदन-पत्रों के माध्यम पर राज्य सरकारों से प्राप्त किए जाते हैं। वित्तीय सहायता के लिए स्वीकार किए गए मदरसों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष भिन्न होती है। मदरसे सहायता प्राप्त करने के लिए अपने आवेदन-पत्र राज्य सरकार के पास स्वेच्छा से भेजते हैं तथा किसी मदरसे पर इस प्रकार की सहायता को थोपा नहीं जाता है। राज्य सरकारों ने यह जानकारी दी है कि किसी भी मदरसे ने सहायता की पेशकश को अस्वीकार नहीं किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(रु. लाख में)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04
आंध्र प्रदेश	12.51	12.51	68.04
बिहार	–	–	79.92
चंडीगढ़	0.36	–	–
दादरा व नागर हवेली	0.72	–	–
जम्मू-कश्मीर	–	–	61.68
उड़ीसा	–	–	168.00
मध्य प्रदेश	147.18	90.06	–
त्रिपुरा	38.53	45.72	48.96
उत्तर प्रदेश	0.37	390.82	245.88
पश्चिम बंगाल	1.40	–	–

(ङ) इस स्कीम का स्तरोन्नयन करते हुए इसमें संशोधन किया जा रहा है ताकि इस पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

दिल्ली पुलिस की संख्या में वृद्धि

877. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस की संख्या में भारी वृद्धि की गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कितने नए पदों का सृजन किया गया; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार दिल्ली में आम आदमी तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु कितने पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष की 8 जुलाई तक विभिन्न श्रेणियों में सृजित नये पदों की संख्या 2023 है।

(ग) संपूर्ण पुलिस बल, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कानून और व्यवस्था बनाए रखने; अपराध का पता लगाने और उसकी जांच-पड़ताल करने, और नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातयात प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है। तथापि, 30 जून 2004 की स्थिति के अनुसार 59066 पदों की स्वीकृत संख्या की तुलना में, महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य संरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से तैनात दिल्ली पुलिस कर्मियों की संख्या 5851 है।

औषधि निर्माताओं द्वारा प्रतिबंधित/घटिया सामग्री का उपयोग

878. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री के.एस. राव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में औषधि निर्माता इकाइयां प्रतिबंधित/घटिया सामग्री का उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) सरकार द्वारा इन गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(च) क्या सरकार का प्रस्ताव औषधि उपयोग की निगरानी हेतु एक औषधि विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि देश में काफी अधिक औषधि विनिर्माण यूनिट प्रतिबंधित/घटिया अवयवों का उपयोग कर रहे हैं। औषधों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अपेक्षित है और इससे भारत में संबंधित राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। प्रत्येक विनिर्माता द्वारा औषध को बाजार में लाने से पहले औषध फार्मूलेशनों के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले क्रियाशील अवयवों और एक्सीपिएन्ट्स का निर्धारित विशिष्टयों के अनुसार परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

(च) और (छ) एक औषध विनियामन प्रणाली पहले से देश में मौजूद है। प्रत्येक राज्य में औषध उद्योग की मानीटरिंग, संबंधी औषध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा की जाती है।

दिल्ली नगर निगम में कनिष्ठ अभियंता की पदोन्नति

879. श्री अधीर चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने कनिष्ठ अभियंता (सिविल) से सहायक अभियंता (सिविल) में पदोन्नति करते हुए अ.जा. और अ.ज.जा. अधिकारियों के कुछ मामलों में कुछ गलत निर्णय लिए थे जिन्हें उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का आकलन किए बिना ही 'अनफिट' घोषित किया गया था;

(ख) क्या उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को तत्संबंधी तिथियों में वापस ले लिया गया; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में उनकी पुरानी वरिष्ठता अर्थात् 14 मई, 1998 से प्रभावी को बहाल करने के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 14 मई, 1998 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में, औरों के साथ-साथ, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में दो अनुसूचित जातियों और एक अनसूचित जनजाति अधिकारी की, सहायक इंजीनियर (सिविल) के अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु, उपयुक्तता पर विचार किया और इन तीन अधिकारियों के संबंध में अपनी सिफारिशें ''मुहरबंद लिफाफे'' में रखी क्योंकि उस समय उनके खिलाफ कतिपय विभागीय/आपराधिक कार्रवाईयां लंबित थी। इन कार्रवाईयों में उनकी दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप, ''मुहरबंद लिफाफे'' को खोला गया और यह पाया गया कि समिति ने केवल एक अनूसूचित जाति अधिकारी को ही पदोन्नति के योग्य पाया था। उसे यथोचित तारीख से नियमित आधार पर पदोन्नत कर दिया गया।

14 मई, 1998 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में जिस एकमात्र अनुसूचित जनजाति अधिकारी के मामले को ''अयोग्य'' घोषित किया गया था, उसकी तत्पश्चात् समीक्षा की गई और उसे भी यथोचित तारीख से नियमित आधार पर पदोन्नत कर दिया गया। तथापि, एक तीसरा उम्मीदवार, एक अनुसूचित जाति अधिकारी, जिसे 14 मई, 1998 को आयोजित बैठक में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आयोग्य घोषित कर दिया गया था, को 25 जनवरी, 2002 को आयोजित एक नवीन विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केवल 28 जनवरी, 2002 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जा सका।

नीलांचल इस्पात लिमिटेड का भविष्य

880. श्री तथागत सत्पथी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में नीलांचल इस्पात लि. का क्या भविष्य है;

(ख) इसके शेयरधारक कितने हैं;

(ग) क्या सरकार इसके निजीकरण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) एन आई एन एल परियोजना के चरण-1 का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए सुविधाओं की स्थापना शामिल है। परियोजना के अंतिम चरण के कार्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरवरी, 2003 में उत्पादन शुरू करने से लेकर मार्च, 2004 तक एन आई एन एल ने 7.92 लाख एम टी कच्चे लोहे का उत्पादन किया है जिसमें से 3.44 लाख एम टी कच्चे लोहे का निर्यात किया गया है और 4.21 लाख एम टी कच्चे लोहे की घरेलू बाजार में बिक्री की गई।

(ख) एन आई एन एल के प्रमुख शेयर धारक एम एम टी सी लमिटेड, आई पी आई सी ओ एल, मेकान, एस एम एस देमाग और जी.ए. दनिली हैं।

(ग) और (घ) एन आई एन एल के प्रवर्तक परियोजना के चरण-2 के लिए धन की व्यवस्था हेतु परियोजना में नीतिपरक भागीदारों को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

बाल विवाह

881. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषकर जनजातीय गरीब और पिछले लोगों में आज भी बाल विवाह भारी पैमाने पर कराये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जा रहे कानूनों में अनेकों विसंगतियां और विरोधाभास हैं और इनमें सुधार की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु इस संबंध में प्रभावी कानून बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो द्वारा संकलित सूचना के अनुसार, बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत 1996 में 89, 1997 में 78, 1998 में 56, 1999 में 58, 2000 में 92 तथा 2001 में 85 मामले दर्ज किए गए। इस अधिनियम, को राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। 1978 में संशोधित बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अनुसार, लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु

21 वर्ष और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और इस अधिनियम के प्रावधानों के आशय इस प्रकार के विवाहों को रोकना है न कि उन्हें अवैध घोषित करना।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इन सिफारिशों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उन्हें भेज दिया गया है।

गुजरात के जनजातीय जिलों में गरीबी उपशमन

882. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से साबरकांठा तथा दाहोद जनजातीय जिलों में गरीबी उपशमन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना और 2003-04 की वार्षिक योजना के दौरान इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से गुजरात के साबरकांठा एवं दाहोद जिले के जनजातीय क्षेत्रों में ''गरीबी उन्मूलन हेतु एकीकृत जल संभरण (वाटरशेड) विकास'' पर गुजरात राज्य भूमि विकास निगम का 319.15 करोड़ रुपये की राशि का एक प्रस्ताव प्राप्त हआ है।

कृषि मंत्रालय के साथ संयुक्त बैठक के प्रस्ताव की समीक्षा के उपरान्त गुजरात सरकार को यह सलाह दी गई कि वह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के जल संभरण (वाटरशेड) विकास योजनाओं के मानदडों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को संशोधित करे। राज्य सरकार से तदुपरांत कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों का मूल्य निर्धारण

883. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उर्वरकों के मूल्य निर्धारण हेतु निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उर्वरक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) से (घ) कृषकों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, सरकार यूरिया, जो कि एक नियंत्रित उर्वरक है, का सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है और नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्दिष्ट किया जाता है। उर्वरकों के वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्यों/निदेशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन पावर फंड की स्थापना

884. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव इंडियन पावर फंड (आई.पी.एफ.) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उद्देश्य है और कुल कितना फंड जुटाये जाने की संभावना है; और

(ग) फंड का कब तक सृजन किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (ग) पीएफसी ने युक्तिसंगत टैरिफ वाली व्यवहार्य विद्युत परियोजनाओं में इक्विटी निवेश उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पावर फंड (आईपीएफ) की स्थापना का निर्णय लिया है। 11वीं योजना की समाप्ति तक

लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश कार्य के लिए 70,000 करोड़ रुपये के आसपास इक्विटी अंतराल का अनुमान लगाया गया है। आईपीएफ का इस अनुमानित इक्विटी अंतराल को पाटने की दिशा में कार्य आरंभ करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

रंगे हाथ पकड़े गए यातायात पुलिस कर्मी

885. **श्री निखिल कुमार चौधरी:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक इकाई-वार कितने पुलिस कर्मियों को दिल्ली के व्यावसायिक वाहनों के आपरेटरों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया;

(ख) क्या पुलिस कर्मियों द्वारा खुले आम रिश्वत लेने की घटनाओं से दिल्ली पुलिस की छवि धूमिल हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) अपेक्षित ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भ्रष्टाचार में संलिप्तता संबंधित संगठन की छवि पर प्रतिकूल प्रभावी डालती है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए किए ऐसे व्यक्तियों, जो भ्रष्ट तरीकों में लिप्त होते हैं का पता लगाए जाए तथा उन पर कानून के अनुसार शीघ्रता से कार्रवाई की जाए, दिल्ली पुलिस में एक आन्तरिक तंत्र है। विशेष रूप से दिल्ली यातायात पुलिस में आकस्मिक जांच करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र सैल है। इसके अतिरिक्त, टेलीफोन संख्या 23378888 पर एक ''हैल्पलाइन'' स्थापित की गई है जो चौबीसों घंटे काम करती है ताकि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

विवरण

जिला	रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए यातायात पुलिस कार्मिकों की संख्या			
	2001	2002	2003	2004 (30 जून तक)
नई दिल्ली	10	4	6	9
पूर्वी	9	23	13	12
उत्तर-पूर्वी	18	8	21	13
दक्षिणी	13	18	43	25
दक्षिण-पश्चिमी	14	28	46	36
पश्चिमी	9	29	39	33
उत्तरी	16	31	14	9
उत्तर-पश्चिमी	12	20	47	13
केन्द्रीय	14	25	23	8
कुल	115	186	252	158

[अनुवाद]

काम्पैक्ट विश्वविद्यालय

886. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक काम्पैक्ट विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु कोई प्रायोगिक योजना स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अध्ययन दल की संरचना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हिरासत से भागने वाले कैदी

887. श्री कैलाश मेघवाल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह माह के दौरान दिल्ली में और देश के अन्य भागों में न्यायालय में उपस्थित होते हुए तथा विभिन्न जेलों से कितने दोषी तथा विचाराधीन कैदी भागने में सफल रहे हैं;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रणनीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) 'जेल' राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा, न्यायालय से आते समय दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में जेल से भागने वाले दोष सिद्ध व्यक्तियों और विचारणाधीन कैदियों की संख्या के बारे में विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती है। कैदियों को जेल से भागने को रोकने सहित जेल प्रबन्धन मुख्यतया राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी ओर से, राज्य सरकारों को अपनी जेल सुरक्षा आदि मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है।

झुग्गी-झोपड़ियों में बुनियादी सुविधाओं के लिए धनराशि

888. श्री भर्तृहरि महताब: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरों की झुग्गी-झोंपड़ियों में बुनियादी सुविधाओं के लिए राशि का आवंटन करती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) योजना से राज्य-वार विशेषकर उड़ीसा में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; और

(घ) योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) स्लम विकास राज्यों का विषय है। तथापि, राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के अन्तर्गत शहरी स्लमों की जीवन दशाओं में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं आदि का प्रावधान करने हेतु राज्य की स्लम आबादी के यथाअनुपात आधार पर वार्षिक रूप से राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में धनराशि आबंटित की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित और प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सहित लाभ प्राप्त व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों को आवंटित और प्रदान की गई राशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-2002		2002-03		2003-2004		2004-05	
		आवंटन	प्रदत्त	आवंटन	प्रदत्त	आवंटन	प्रदत्त	आवंटन	प्रदत्त (30.6.04 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3575.00	3575.00	3389.00	3389.00	3389.00	3389.00	3277.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	110.00	51.97	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	0.00
3.	असम	312.00	0.00	296.00	0.00	296.00	219.61	316.00	0.00
4.	बिहार	1775.00	0.00	1683.00	1683.00	1683.00	1683.00	1774.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	434.00	434.00	411.00	411.00	411.00	411.01	439.00	0.00
6.	गोवा	110.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	100.00	0.00
7.	गुजरात	2013.00	2013.00	1908.00	1908.00	1908.00	1860.89	2036.00	0.00
8.	हरियाणा	565.00	513.00	536.00	536.00	536.0	536.00	521.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	110.00	100.00	104.00	76.53	104.00	0.00	100.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	725.00	725.00	687.00	687.00	687.00	687.00	465.00	0.00
11.	झारखण्ड	893.00	893.00	847.00	0.0	847.00	0.00	924.00	0.00
12.	कर्नाटक	2174.00	2174.00	2061.00	2061.50	2061.00	2061.00	1804.00	0.00
13.	केरल	1025.00	1025.00	972.00	972.00	972.00	972.00	1037.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	1654.00	1654.00	1568.00	1568.00	1568.00	1568.00	1673.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	5831.00	0.00	5500.00	5500.00	5500.00	5500.00	5088.00	0.00
16.	मणिपुर	110.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	100.00	0.00
17.	मेघालय	110.00	0.00	104.00	15.43	104.00	104.00	100.00	0.00
18.	मिजोरम	110.00	110.00	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	0.00
19.	नागालैंड	110.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	0.00
20.	उड़ीसा	678.00	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00	642.00	0.00
21.	पंजाब	994.00	0.00	942.00	0.00	942.00	0.00	1005.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	1479.00	1479.00	1402.00	1402.00	1402.00	1402.00	1496.00	0.00
23.	सिक्किम	110.00	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	100.00	0.00
24.	तमिलनाडु	2711.00	2711.00	2570.00	2570.00	2570.00	2545.40	2717.00	0.00
25.	त्रिपुरा	110.00	110.00	104.00	104.00	104.00	104.00	100.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	4230.00	4230.00	4010.00	4010.00	4010.00	4010.00	4279.00	0.00
27.	उत्तरांचल	182.00	182.00	173.00	173.00	173.00	173.00	184.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	3768.00	3768.00	3572.00	3572.00	3572.00	3572.00	3523.00	0.00

विवरण II

वर्ष 1996 में राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के प्रारम्भ से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3852126
2.	अरूणाचल प्रदेश	13450
3.	असम	137000
4.	बिहार	1040169
5.	छत्तीसगढ़	286000
6.	गोवा	*
7.	गुजरात	2125519
8.	हरियाणा	573998
9.	हिमाचल प्रदेश	189556
10.	जम्मू-कश्मीर	502339
11.	झारखण्ड	*
12.	कर्नाटक	586498
13.	केरल	62910
14.	मध्य प्रदेश	3689906
15.	महाराष्ट्र	3731187
16.	मणिपुर	460335
17.	मेघालय	36000
18.	मिजोरम	38760
19.	नागालैंड	5000
20.	उड़ीसा	1208000
21.	पंजाब	506879
22.	राजस्थान	706053
23.	सिक्किम	14200
24.	तमिलनाडु	3692270
25.	त्रिपुरा	61785
26.	उत्तर प्रदेश	7097000
27.	उत्तरांचल	394829
28.	पश्चिम बंगाल	6450000
	कुल राज्य	37461789

*अभी तक राज्य द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

विवरण III

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-2004	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2196.25	3670.89	4310.31	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	19.23	85.00	0.00	0.00
3.	असम	80.86	130.94	239.43	0.00
4.	बिहार	0.00	1183.00	500.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	151.65	373.34	371.78	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	1303.74	1500.01	1383.24	0.00
8.	हरियाणा	20.76	847.86	731.98	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	110.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	726.04	687.00	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	2174.00	1650.00	0.00	0.00
13.	केरल	504.76	725.55	647.97	0.00
14.	मध्य प्रदेश	2654.33	1558.27	913.68	0.00
15.	महाराष्ट्र	7706.70	11368.12	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	110.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	60.00	104.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	*218.00	*116.50	*111.54	0.00
21.	पंजाब	211.79	98.92	0.00	0.00
22.	राजस्थान	1180.46	1175.97	772.54	0.00

1	2	3	4	5	6
23.	सिक्किम	98.60	28.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	2711.00	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	110.00	104.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	4961.23	4447.64	4122.31	0.00
27.	उत्तरांचल	56.32	201.41	146.78	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	3738.27	3644.58	3086.37	0.00

*दर्शाया गया व्यय पूर्व प्रदान की गई धनराशि में से राज्य के पास उपलब्ध अवशिष्ट धनराशि से है।

[हिन्दी]

बालिका समृद्धि योजना

889. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान 'बालिका समृद्धि योजना' के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या योजना के अंतर्गत सभी राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश को राशि आवंटित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्यों को राशि जारी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) इस स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2003-04 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई राशि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) से (ङ): राज्यों के पास खर्च न की गई शेष पड़ी बड़ी रकम के कारण वर्ष 2000-2001 से राशि का कोई आवंटन नहीं किया जा सका। इस बीच, स्कीम की परिचालनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया कि इस स्कीम को राज्यों को हस्तांतरित करने के मुद्दे को राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष रखा जाए। अब तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, चालू वित्त वर्ष में उन राज्यों को राशि निर्मुक्त की जा रही है, जिन्होंने संतोषजनक उपयोग प्रमाण-पत्र भेजे हैं।

विवरण

बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से 2003-04 तक निर्मुक्त राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

30.6.2004 की स्थिति के अनुसार

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	219.53	219.45	146.35	180	140	905.33
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.32	6.82	6.21	2.5	0	24.85
3.	असम	215.49	129.85	143.68	105	0	594.02

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	1068.7	630.75	712.46	212	0	2623.91
5.	छत्तीसगढ़	3.34	3.34	2.23	5	2.5	16.41
6.	गोवा	158.74	108.08	105.49	140	70	582.31
7.	गुजरात	86.495	59.29	57.66	25	0	228.445
8.	हरियाणा	27.745	27.725	18.5	22	20	115.97
9.	हिमाचल प्रदेश	52.5	48.74	35	62.5	30.25	229.99
10.	जम्मू-कश्मीर	227.025	227	151.35	162	160	927.375
11.	झारखण्ड	81.925	48.199	54.6	60.5	30.25	275.474
12.	कर्नाटक	550.35	489.18	366.9	482	100	1988.43
13.	केरल	457.42	324.035	304.95	60	0	1146.405
14.	मध्य प्रदेश	11.48	6.03	7.65	10.75	5.5	41.41
15.	महाराष्ट्र	17.845	9.081	11.9	0	0	38.826
16.	मणिपुर	3.085	3.075	2.06	5	5.5	18.72
17.	मेघालय	5.305	3.125	3.54	1.25	0	13.22
18.	मिजोरम	332.12	332.12	221.41	325	263	1473.65
19.	नागालैण्ड	42.42	38.23	28.28	45	42.5	196.43
20.	उड़ीसा	325.7	244.8	217.12	50	0	837.62
21.	पंजाब	3.255	3.255	2.17	1.25	2	11.93
22.	राजस्थान	238.16	149.54	158.77	29.5	0	575.97
23.	सिक्किम	17.425	17.425	11.6	8.5	29.25	84.2
24.	तमिलनाडु	1403.4	872.43	935.94	100	0	3311.77
25.	त्रिपुरा	412.78	236.5	275.18	0	0	924.46
26.	उत्तर प्रदेश	1.65	1.02	1.1	0.375	0	4.145
27.	उत्तरांचल	1.92	1.42	1.28	0.875	0	5.495
28.	पश्चिम बंगाल	0	0.8	–	0.75	2.38	3.93
29.	अण्दमान और निकोबार द्वीप समूह	0.7	0.57	0.47	0.125	0	1.865
30.	चण्डीगढ़	18.815	18.815	12.54	0	0	50.17

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दिल्ली	0.39	0.39	0.26	0.625	0.3	1.965
32.	दादरा और नागर हवेली	5.03	5.03	3.35	2.5	0	15.91
33.	दमन और दीव	0	0	–	0	200	200
34.	लक्षद्वीप	0	0	–	0	100	100
35.	पाण्डिचेरी	0	0	–	0	100	100
	कुल	6000.06	4266.12	4000	2100	1304.43	17670.6

नोट: वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गयी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों का कार्य निष्पादन

890. श्री एस. अजय कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की "प्रफारमेंस राडार" नामक पद्धति के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन का आकलन करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय विश्वविद्यालय शिक्षक के कार्य निषपादन का आकलन करने के लिए कोई अनुवीक्षण तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) 9वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तीन पहलुओं अर्थात (1) शैक्षिक कार्य-निष्पादन (2) अनुसंधान कार्य निष्पादन और (3) अभिशासन के संबंध में एक विकास रडार तैयार किया है। कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु प्रत्येक तीनों क्षेत्रों के लिए सूचक तैयार किए गए हैं। विश्वविद्यालय का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई बेंचमार्क के अनुसार रडार पर अंकित है।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1988 में शिक्षकों के स्व-मूल्यांकन के लिए एक प्रपत्र तैयार किया है। शिक्षक अगली पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का पात्र तभी होगा जब उसकी पांच वर्ष की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक होगी। इसके अलावा, प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति एक खनन प्रक्रिया के माध्यम से होती है जो गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है।

हडको द्वारा वित्तपोषण

891. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड का विचार मकानों के निर्माण के लिए स्वयंसेवी समूहों का वित्तपोषण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) मकानों के निर्माण के लिए स्वयं सेवी समूहों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित नहीं करता है। तथापि, आवास एवं नगर विकास निगम की एक स्कीम है जिसमें गरीबों के आवास के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और लघु वित्त संस्थानों को धन दिया जाता है। एनजीओ स्वयं सेवी समूहों और नेटवर्क समूहों को संघ/प्रमुख निकाय बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो हडको से ऋण ले सकते हैं।

पात्रता के लिए पंजीकृत होने के अलावा ऋण लेने वाली एजेंसियां कम से कम तीन वर्ष की अवधि से लघु वित्तपोषण कार्यक्रमों में लगी हों और उनके पास ऋण के उपयोग तथा वसूली की निगरानी के लिए व्यवस्थित प्रणाली हो।

पवन ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना

892. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पवन ऊर्जा पार्क स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेयजल योजना

893. श्री सुरेश चन्देल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विस्थापित लोगों को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) से पानी लेने हेतु एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या बी.बी.एम.बी. ने पानी लेने की अनुमति नहीं दी है;

(ग) क्या सरकार का विचार बांध से पानी लेकर भाखड़ा बांध के विस्थापितों को पेयजल की आपूर्ति करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी समय-सीमा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) भाखड़ा के चारों और 6 गांवों में पेयजल मुहैया कराने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिफ्ट जल आपूर्ति योजना बनाई है। बी.बी.एम.बी. ने वर्ष 1974 में खर्च का आनुपातिक अंश ग्रहण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। योजना पूरी हो गई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार से जब भी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ, बी.बी.एम.बी. ने लिफ्टिंग जल के लिए तब-तब उस पर विचार किया तथा उसे अनुमति दी गई। भाखड़ा के चारों तरफ के उपर्युक्त 6 गांवों में पेयजल की आपूर्ति करने हेतु बीबीएमबी ने गोविंद सागर (भाखड़ा जलाशय) से 38.8 क्यूसेक तथा नांगल जलाशय से 19.64 क्यूसेक जल लोने की अनुमति दी है।

(ग) से (ङ) भाखड़ा बांध से पेयजल की आपूर्ति करने हेतु गोविंद सागर जलाशय से जल लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का बी.बी.एम.बी. के पास कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

सभी के लिए शिक्षा

894. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के लिए 500 मिलियन डालर की सहायता देने हेतु भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान यह राशि किन राज्यों पर खर्च की जाएगी और प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना को डी.एफ.आई.डी. तथा यूरोपीय आयोग से भी अनुदान मिलेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें किस सीमा तक संसाधन उपलब्ध करा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी हां। विश्व बैंक, यूरोपीय कमीशन तथा यूनाइटेड किंगडम का अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग सर्व शिक्षा अभियान को एक चालू कार्यक्रम के रूप में वित्तपोषित करने के लिए सहमत हो गए हैं। वर्ष 2003-04 से 2006-07 की अवधि के दौरान 15,746 करोड़ रुपए का कुल अनुमानित निवेश होगा जिसमें से लगभग 1 बिलियन डालर (4700 करोड़ रु.) की कुल राशि के निधियन की वचनबद्धता की गई है। इस राशि में से 500 मिलियन डालर (लगभग 2250 करोड़ रु.) विश्व बैंक से, 190 मिलियन पाउण्ड (लगभग 1550 करोड़ रु.) अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग से तथा 160 मिलियन यूरो (लगभग 900 करोड़ रु.) यूरोपीय कमीशन से प्राप्त होंगे। सर्व शिक्षा अभियान गोवा को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। दसवीं योजनावधि में सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र तथा राज्य के बीच निधियों के वितरण का अनुपात 75:25 है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों में रिक्त पद

895. श्री बची सिंह रावत 'बचदा': क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा उत्तरांचल के सरकारी तकनीकी संस्थानों में कर्मचारियों तथा शिक्षकों के पदों के साथ प्रशासनिक तथा तकनीकी अधिकारियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन रिक्तियों को कब तक भर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) उत्तरांचल में केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय समिति तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य तकनीकी संस्थानों में रिक्तियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

संस्था का नाम	शिक्षकों की रिक्तियां	शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की रिक्तियां	तकनीकी कर्मचारियों की रिक्तियां
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	151	24	-
नवोदय विद्यालय समिति	27	25	-
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	234	09	22

(ख) रिक्तियों का होना एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें इन संगठनों द्वारा वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरा जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में नियमित आधार पर रिक्तियों के भरे जाने तक अल्पकालिक तदर्थ/संविदा आधार पर नियुक्तियों के माध्यम से अस्थाई व्यवस्था की जाती है।

अपशिष्ट पदार्थों एवं पवन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन

896. श्री रामदास बंडु आठवले: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अपशिष्ट पदार्थों और पवन द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए केन्द्रीय सहायता से देश में राज्य-वार स्थापित विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार पृथक रूप से इन परियोजनाओं द्वारा कितनी विद्युत उत्पन्न की गई है;

(ग) क्या देश में विशेषत: महाराष्ट्र में अपशिष्ट पदार्थों और पवन द्वारा विद्युत उत्पादन करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा कितनी सहायता प्रदान की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) मंत्रालय से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के साथ शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट और पवन ऊर्जा के माध्यम से स्थापित विद्युत परियोजनाओं की संख्या पर राज्य-वार सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान इन परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की प्रमात्रा संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां। देश में पवन से 45,000 मेगावाट और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से 2700 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र राज्य में पवन ऊर्जा से 3650 मेगावाट और शहरी अपशिष्ट से 287 मेगावाट उत्पादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) कार्यक्रम से संबंधित अन्य कार्यकलाप तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यकलाप सहित शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

देश में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट और पवन के माध्यम से स्थापित विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	स्थापित परियोजनाएं (संख्या)
1	2	3
(क) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट		
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	गुजरात	2
3.	कर्नाटक	1
4.	मध्य प्रदेश	1

1	2	3
5.	महाराष्ट्र	1
6.	उत्तर प्रदेश	3
7.	तमिलनाडु	1

(ख) पवन ऊर्जा

1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	गुजरात	7
3.	कर्नाटक	2
4.	केरल	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	5
7.	राजस्थान	3
8.	तमिलनाडु	8
9.	पश्चिम बंगाल	2

नोट: उपरोक्त के अलावा इन राज्यों में केन्द्रीय वित्तीय सहायता के बिना वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

विवरण II

केन्द्रीय वित्तीय सहायता से शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट और पवन के माध्यम से स्थापित विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की राज्यवार और वर्षवार मात्रा

(क) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट

मिलियन यूनिट बिजली/किवा. घ

क्रम सं.		2001-02	2002-2003	2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	19.20	17.06	44.96
2.	गुजरात	12.39	12.32	11.69
3.	कर्नाटक	0.86	1.43	1.38
4.	मध्य प्रदेश	8.17	9.72	–
5.	महाराष्ट्र	2.51	2.65	2.20
6.	उत्तर प्रदेश	4.86	13.14	16.78
7.	तमिलनाडु	–	–	0.10

(ख) पवन ऊर्जा

मिलियन यूनिट बिजली/किवा. घ

क्र.सं.	राज्य	2001-02	2002-2003	2003-04
1.	आंध्र प्रदेश	5.16	4.04	4.45
2.	गुजरात	25.50*	25.50*	25.50*
3.	कर्नाटक	5.33	10.98	17.52
4.	केरल	2.58	2.35	2.43
5.	मध्य प्रदेश	0.88*	0.88*	0.88*
6.	महाराष्ट्र	12.38*	12.38*	12.38*
7.	राजस्थान	8.28	9.60	9.70
8.	तमिलनाडु	178.99	194.56	243.46
9.	पश्चिम बंगाल	0.08	0.20	0.20

*17% की क्षमता उपयोगिता के आधार पर आकलित।

नोट: इसमें, इन राज्यों में स्थापित वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजना से विद्युत का उत्पादन शामिल नहीं है।

विवरण III

शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट और पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए तीन वर्षों (2001-02, 2002-2003 एवं 2003-04) के दौरान विभिन्न राज्यों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का विवरण

(क) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	251.13
2.	गुजरात	25.09
3.	महाराष्ट्र	73.95
4.	उत्तर प्रदेश	1579.77
5.	तमिलनाडु	136.90

(ख) पवन ऊर्जा

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1.	आंध्र प्रदेश	297.00
2.	कर्नाटक	840.00
3.	महाराष्ट्र	384.00
4.	पश्चिम बंगाल	327.46

[अनुवाद]

प्रश्न-पत्रों का लीक होना

897. **श्री गुरूदास कामत:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों से लेकर आज तक कुल कितनी परीक्षाओं/प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक हुए हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा अभी तक किन्हीं ऐसे मामलों का समाधान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा शेष मामलों का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 11.4.04 को आयोजित अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डैन्टल प्रवेश (प्रारंभिक) परीक्षा, 2004 का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। प्रश्न पत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में कार्यरत एक कम्प्यूटर सहायक द्वारा लीक किया गया था जिसको प्रश्न पत्र टाइप करने के लिए लगाया गया था। संबंधित कम्प्यूटर सहायक को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है और विस्तृत जांच-पड़ताल की है। उसे तथाकथित मुख्य अभियुक्त सहित छः अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस ने आरोप-पत्र दायर कर दिया है। वर्ष 2003 की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के भी आरोप लगे थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस मामले में पांच अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर कर दिए हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में कमियों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए डा. जे. वीरा. राघवन, पूर्व सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति प्रश्न पत्रों के लीक होने की किसी भी प्रकार की संभावना को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय भी सुझायेगी।

एक अन्य मामले में भारतीय प्रबन्धन संस्थानों में प्रवेश हेतु 23 नवम्बर, 2003 को आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2003 के प्रश्न-पत्र लीक किए गए थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रश्न-पत्रों को लीक करने वाले एक गिरोह का पता लगाया था। श्री अरूण कुमार, कुमार सुमन सिंह, मनोज कुमार तथा हरिशंकर चौधरी ने आपस में तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ षडयंत्र करके चोरी से या आपराधिक तरीके से विश्वसनीयता को तोड़ते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का प्रश्न-पत्र प्राप्त किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक नियमित मामला दर्ज किया है। मंत्रालय ने उन परिस्थितियों की जांच करने जिनमें प्रश्न पत्र लीक हुए तथा यह पता लगाने के लिए कि यह क्या कोई व्यवस्था संबंधी खामी थी तथा लीकेज के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/एजेन्सी की जवाबदेही तय करने तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संचाल की प्रक्रिया की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय सुझाने के लिए भी वी.के. शुंगलु, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

वर्ष 2003 और 2004 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बी.सी.ए/एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों के दो-दो पर्चे लीक हुए थे। इन मामलों में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और प्रबंधन बोर्ड द्वारा एक जांच समिति भी गठित की गई थी। चार छात्रों और परीक्षा केन्द्र के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था। छात्रों को पाठ्यक्रम को जारी रखने से वंचित करने/आपराधिक मामले का फैसला होने तक परीक्षा परिणाम रोकने के लिए कार्यवाही जारी है।

गन्ने से विद्युत उत्पादन

898. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में गन्ने के अपशिष्ट से मेगावाट में विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गन्ने से उत्पादित विद्युत पन बिजली और थर्मल पावर से सस्ती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक चीनी मिल में गन्ने के अपशिष्ट पदार्थ से अपारंपरिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परियोजना स्थापित करने हेतु, राज्य सरकारों को निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सात राज्यों में 52 गन्ना खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं के माध्यम से 398 मेगावाट की कुल अतिरिक्त विद्युत क्षमता स्थापित कर ली गई है। 343 मेगावाट की और अतिरिक्त विद्युत क्षमता कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) और (ग) खोई आधारित सहउत्पादन परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत की लागत उनके तकनीकी, वित्तीय और प्रचालन संबंधी पैरामीटरों पर निर्भर करती है। सामान्तया, यह लागत पनबिजली और तापीय विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत की लागत के लगभग बराबर होती है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आई.डी.पी.एल. को पुनः चालू करना

899. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों पर आई.डी.पी.एल. की कितनी इकाइयां बंद हुई हैं;

(ख) क्या सरकार इन इकाइयों को पुनः चालू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इकाई-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) आईडीपीएल की तीन विनिर्माण इकाइयां गुड़गांव, ऋषिकेश और हैदराबाद में तथा दो पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां, नामतः आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड तथा बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि., मुजफ्फरपुर में हैं। अब तक आई.डी.पी.एल. की किसी इकाई को बंद घोषित नहीं किया गया है। तथापि, कुछ इकाइयों में उत्पादन संबंधी कार्यकलाप नहीं होता है।

(ख) से (घ) इस समय इन इकाइयों को पुनः चालू करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। बी आई एफ आर ने अपनी 4.12.2003 की सुनवाई में आई.डी.पी.एल. के परिसमापन संबंधी आदेश पारित किए हैं और परिसमापन हेतु मामला संबंधित उच्च न्यायालय को संदर्भित किया है।

दिल्ली में नर्सिंग होम को भूमि आवंटन

900. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में नार्सिंग होम्स को रियायती दरों पर भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे नार्सिंग होम्स के नाम क्या हैं जो गरीबों को 25% बिस्तरे उपलब्ध करवा रहे हैं;

(घ) उन नार्सिंग होम्स के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की जो गरीबों को 25% बिस्तरें उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में की गई कार्यवाही के क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देने की शर्त के साथ 23 अस्पतालों/डिस्पेंसरियों को रियायती दरों पर भूमि आबंटित की गई थी, जिनमें से 18 कार्यरत हैं। इन 18 अस्पतालों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त 18 कार्यरत अस्पतालों में से निम्नलिखित 11 अस्पतालों द्वारा आवंटन की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन किए जाने की सूचना मिली थी:

1. अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, कड़कड़डुमा, विकास मार्ग, दिल्ली।
2. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टिट्यूट फार रीनाल एंड डाइजेस्टिव डिजीजेस, नई दिल्ली।
3. धर्मशिला कैंसर हास्पिटल, वसुंधरा एंक्लेव, दिल्ली।
4. एस्कार्ट हार्ट इंस्टिट्यूट रिसर्च सेंटर ओखला रोड़, दिल्ली।
5. जयपुर गोल्डन हास्पिटल, दिल्ली।
6. शान्ति मुकुंद हास्पिटल, विकास मार्ग, दिल्ली।
7. नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
8. राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट, रोहिणी, दिल्ली।
9. भगवती हास्पिटल (सर्वोदय फाउंडेशन), दिल्ली।
10. माई कमली वाली जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।
11. विद्या सागर इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (बीआईएमएचएएनएस), नेहरू नगर, दिल्ली।

जिन उक्त अस्पतालों के बारे में यह पाया गया है कि आबंटन की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। दस अस्पतालों, जिन्हें डीडीए द्वारा भूमि आवंटित की गई थी, द्वारा प्रस्तुत उत्तर स्वास्थ्य निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को जांच हेतु भेज दिए गए हैं। जहां तक विद्या सागर इंस्टिट्यूट आफ मैंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज का संबंध है, जिसे भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा भूमि आवंटित की गई थी और आवंटन की निबंधन व शर्तों का उल्लंघन करता पाया गया था, उसे भूमि का आबंटन रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उसने मामले के पुनर्विचार के लिए विस्तृत अभ्यावेदन दिया है।

विवरण

1. गूजरमल मोदी अस्पताल, साकेत, नई दिल्ली।
2. अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, कड़कड़डुमा, विकास मार्ग, दिल्ली।
3. दीपक गुप्ता मैमोरियल अस्पताल, विकास मार्ग, दिल्ली।
4. वेणु आई इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, शेख सराय, नई दिल्ली।
5. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टिट्यूट फार रीनाल एंड डाइजेस्टिव डिजीजेज, नई दिल्ली।
6. धर्मशिला कैंसर हास्पिटल, वसुंधरा एंक्लेव, दिल्ली।
7. एस्कार्ट हार्ट इंस्टिट्यूट रिसर्च सेंटर ओखला रोड़, दिल्ली।
8. जयपुर गोल्डन हास्पिटल, दिल्ली।
9. शान्ति मुकुंद हास्पिटल, विकास मार्ग, दिल्ली।
10. नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
11. इंडियन स्पाइनल इंज्यूरीज सेंटर, वसंत कुंज, नई दिल्ली।
12. सरोज अस्पताल गणेश दास चावला चैरिटेबल ट्रस्ट, रोहिणी, दिल्ली।
13. राजीव गांधी कैंसर इंस्टिट्यूट, रोहिणी, दिल्ली।
14. वीरावाली इंटरनेशनल अस्पताल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
15. कोट्टाक्कल आर्य वैद्य शाला, कड़कड़डुमा, दिल्ली
16. भगवती अस्पताल (सर्वोदय फाउंडेशन), दिल्ली।
17. माई कमली वाली जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।
18. विद्या सागर इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (बीआईएमएचएएनएस), नेहरू नगर, दिल्ली।

हैदराबाद स्थित औषधि अनुसंधान एकक

901. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद थोक में औषधियों का उत्पादन करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है;

(ख) क्या अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए युवा उद्यमियों को सलाह देने के लिए कोई अनुसंधान एकक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) हैदराबाद स्थित कुछ इकाइयों द्वारा प्रपुंज औषधों का विनिर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

राज्य पुनर्गठन आयोग

902. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आयोग के कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) अंतिम निर्णय लेने के बाद ब्यौरा उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ग) राज्य के भीतर असंतुलन और लोगों की आकांक्षाएं जटिल मुद्दे हैं और इनके लिए परामर्श तथा सर्वसम्मति अपेक्षित हैं। इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

903. श्री परसुराम माझी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के केबीके जिलों में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस स्थान की पहचान की गई है; और

(ग) इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली का समेकित विकास

904. श्री गुरुदास कामत: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेटेलाइट टाउनशिप के साथ दिल्ली के समेकित विकास कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह सूचित किया है कि दिल्ली के आस-पास किसी सैटेलाइट टाउन का अभिनिर्धारण नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 6 दिल्ली मैट्रोपोलिटन एरिया टाउन, अर्थात् उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में गाजियाबाद-लोनी तथा नोएडा; हरियाणा उप-क्षेत्र में फरीदाबाद, गुड़गांव, बहादुरगढ़ तथा कुंडली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 11 प्राथमिकता कस्बों अर्थात् उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर तथा खुर्जा; हरियाणा उप-क्षेत्र में पलवल, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, रोहतक व पानीपत व पानीपत और राजस्थान उप-क्षेत्र में अलवर व भिवाड़ी को एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह भी सूचित किया है कि क्षेत्रीय योजना-2001 तथा अपने ऋण सहायता कार्यक्रम के मार्फत उसने क्षेत्र तथा अपने अभिनिर्धारित प्राथमिकता कस्बों का विकास करने में पर्याप्त प्रगति की है। अभी तक बोर्ड ने जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कों, पथ प्रकाश, सुरंगों, पुलों इत्यादि से संबंधित 61 अवस्थापना परियोजनाओं सहित 181 परियोजनाओं का वित्तपोषण करके 1,10,786 रिहायशी, 7829 औद्योगिक, 6,916 वाणिज्यिक तथा 317 संस्थागत भूखंड/शेड/फ्लैट बनाए हैं।

यद्यपि, विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दस वर्षों का विकास 1991 में 51.45% से गिरकर 2001 में 46.31% तक आ जाने से अधूरी सफलता प्रतिबिम्बित होती है।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

905. श्री किरिप चालिहा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तो वे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार विशेषकर असम के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) सरकार द्वारा 30.7.2003 को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय पोषाहार मिशन स्थापित हो चुका है। लेकिन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अपराध विज्ञान का नया निदेशालय

906. श्री मधुसूदन रेड्डी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपराध विज्ञान का नया निदेशालय स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निदेशालय ने अपराध जांच के लिए वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु काम करना शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्र सरकार ने, गृह मंत्रालय के दिनांक 31.12.2002 के संकल्प के तहत नई दिल्ली में विधि विज्ञान निदेशालय का सृजन किया है। एक निदेशक-सह-मुख्य न्याय वैज्ञानिक को विभागाध्यक्ष के रूप में लेकर इस निदेशालय ने 1 अप्रैल, 2003 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। कोलकाता, चंडीगढ़ तथा हैदराबाद स्थित तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (सी.एफ.एस.एल.) तथा कोलकता, शिमला तथा हैदराबाद स्थित सरकारी प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षकों (जी.ई.क्यू.डी.) को विधि विज्ञान निदेशालय (डी.एफ.एस.) के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) विधि विज्ञान निदेशालय (डी.एफ.एस.), तीन केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं तथा तीन सरकारी प्रश्नगत दस्तावेज परीक्षकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी संगठनों को अपराध की जांच पड़ताल में न्यायिक विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों को, क्षेत्रीय तथा सचल विधि विज्ञान युनिटों सहित राज्यों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित/आधुनिकीकरण करने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

जस्टिस नानावटी आयोग

907. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** 19 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न सं 2451 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जस्टिस नानावटी जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह आयोग अपने विचारार्थ विषयों के क्षेत्र के भीतर रहते हुए इस मामले की जांच कर रहा है। इस कार्य विभिन्न अधिकरणों/स्थानीय निकायों आदि से सूचना/साक्ष्य एकत्र करना शामिल है जिसमें समय लगता है। आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और स्थानीय निकायों से अपेक्षित सूचना एकत्र करने तथा प्रस्तुत करने हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

[हिन्दी]

अपराध में लिप्त महिलाएं

908. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अपराध की वारदातों के विशेष संदर्भ में हत्या, अपहरण, नशीली दवाओं के व्यापार, जालसाजी, बूटलैगिंग और ड्रग पेडलिंग जैसे विभिन्न अपराधों में लिप्त महिलाओं का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस स्थिति पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से प्राप्त आकंड़ों के अनुसार महिलाओं द्वारा किए गए अपराध, वर्षवार, (2000-02) तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार, अपराध के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत संकलित करके संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' तथा ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय है। उन अपराधों सहित, जिनमें महिलाएं शामिल होती हैं, का पता लगाना, दर्ज करना, जांच-पड़ताल करना और उनकी रोकथाम करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को, समय-समय पर, दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर अधिक ध्यान देने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हत्या			अपहरण एवं व्यपहरण			धोखाधड़ी			जाल-साजी			एन डी पी एस अधिनियम			मद्यनिषेध अधिनियम		
		2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	433	253	368	126	170	156	124	130	205	3	11	6	86	32	33	265	398	140
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	4	2	7	2	0	1	1	0	0	0	1	1	3	3	0	0	0
3.	असम	113	55	86	93	92	259	10	5	71	1	0	2	17	8	46	0	0	0
4.	बिहार	279	134	159	236	64	133	151	46	39	0	0	0	12	0	15	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	एन ए	87	142	एन ए	5	14	एन ए	13	10	एन ए	0	0	एन ए	26	25	एन ए	0	0
6.	गोवा	5	0	5	0	1	0	9	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	212	188	160	124	134	114	101	121	110	0	2	4	16	8	15	33835	36730	41790
8.	हरियाणा	77	102	117	20	32	28	58	18	49	0	0	2	33	37	48	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	28	15	17	4	7	9	8	6	0	0	0	0	14	9	23	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	8	2	17	13	22	9	9	4	3	0	0	1	5	4	3	0	0	0
11.	झारखण्ड	एन ए	239	50	एन ए	59	12	एन ए	22	14	एन ए	0	10	एन ए	0	3	एन ए	0	0
12.	कर्नाटक	278	237	305	33	44	36	61	72	108	2	2	11	10	15	12	0	0	0
13.	केरल	57	52	46	3	4	3	100	157	131	1	1	5	26	38	26	319	310	354
14.	मध्य प्रदेश	401	231	245	488	72	62	19	46	53	1	2	0	7	28	37	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	751	706	598	186	140	125	361	232	331	1	9	12	30	46	36	17300	16856	17323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	मणिपुर	2	0	6	2	3	7	3	1	0	1	6	2	25	19	18	0	0	0
17.	मेघालय	3	8	8	2	2	11	0	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0
18.	मिजोरम	1	0	2	0	2	4	8	9	10	2	1	4	23	7	55	0	52	65
19.	नागालैण्ड	1	0	2	0	0	1	2	3	0	0	0	0	40	40	22	6	0	22
20.	उड़ीसा	140	122	227	10	19	9	8	7	15	0	0	0	14	6	8	0	0	0
21.	पंजाब	108	95	121	73	94	92	245	252	293	9	2	0	167	217	321	0	0	0
22.	राजस्थान	223	197	182	109	76	92	78	90	110	0	4	0	26	26	26	0	0	0
23.	सिक्किम	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	247	266	262	86	71	72	35	44	48	2	1	3	538	592	735	59594	53061	56754
25.	त्रिपुरा	9	6	5	2	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तरांचल	एन ए	21	30	एन ए	8	13	एन ए	2	12	एन ए	0	0	एन ए	3	12	एन ए	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	212	235	198	238	279	232	37	36	32	0	0	2	63	61	76	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	116	115	178	106	71	218	4	8	13	0	0	0	44	38	96	0	0	0
	कुल (राज्य)	3714	3371	3538	1961	1473	1711	1433	1336	1671	23	41	65	1204	1267	1694	111319	107407	116448
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	2	1	4	1	4	14	10	6	1	0	0	5	3	0	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	1	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	64	56	43	46	32	38	95	135	104	1	0	4	53	36	29	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	2	2	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	74	63	51	53	33	42	110	148	115	2	0	4	58	41	29	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	3788	3434	3589	2014	1506	1753	1543	1484	1786	25	41	69	1262	1308	1723	111319	107407	116448

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम द्विभाजन

909. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम को द्विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मौजूदा दिल्ली नगर निगम के कब तक द्विभाजित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सितम्बर, 2000 में दिल्ली नगर निगम की संरचना तथा कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। बताया जाता है कि उक्त समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा नगर निगम को चार नगर निगमों और दो नगर पालिका परिषदों में विभाजित करने की सिफारिश की। तथापि, केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्लाटों को फ्री-होल्ड चिन्हित करने हेतु शर्तें

910. श्री अधीर चौधरी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली इन्प्रूवमेंट-ट्रस्ट द्वारा लीज पर दिए गए 1000 वर्ग मी. से अधिक के प्लाटों को फ्री-होल्ड चिन्हित करने हेतु शर्तें क्या है;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम को ऐसे प्लाटों, जो ग्राउंड कवरेज और एफ ए आर के भीतर न्यायालय के आदेश से दो भागों में बांट दिए गए हों, पर आंशिक पुनर्निर्माण की अनुमति देने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भूमि टेन्योर की लीजहोल्ड प्रणाली को फ्री-होल्ड में बदलने की स्कीम के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों तथा प्लाटों को लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने की अनुमति देता है चाहे फ्लैट/प्लाट का आकार कुछ भी हो। इसकी मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

1. प्लाट पर निर्माण किया गया हो और पूर्णता प्रणाणपत्र लिया गया हो।
2. रेहन रखी गई संपत्तियों के साथ सभी रेहनदारों से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी हों।
3. मूल पट्टेदार/उप पट्टेदार तथा पावर आफ अटार्नी धारक के बीच किसी विवाद के मामले में फ्री होल्ड अधिकार दिए जाने के आवेदन पर तभी विचार होगा जब विवाद निपटा लिया गया हो।
4. लीजहोल्ड से फ्री-होल्ड में बदलने की स्कीम वैकल्पिक है।

(ख) से (घ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसे कोई अनुदेश/दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

बाल एवं महिला कल्याण योजनाएं

911. श्री के.एस. राव:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बाल एवं महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वय का निरीक्षण करने हेतु समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संरचना और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इस समिति के कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क (ग्रिड)

912. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री अजय माकन:
श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लंबी दूरी की अंतरक्षेत्रीय राष्ट्रव्यापी पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क ग्रिड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(घ) इसके कब तक पूरा होने और कार्य आरंभ करने की संभावना है; और

(ङ) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) देश में सभी क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के विकास हेतु एक योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। देश में वर्तमान अंत-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 8400 मेगावाट है जिसमें कि 2012 तक लगभग 30000 मेगावाट तक की वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान अन्तर-क्षेत्रीय पारेषण लाईनों और 2012 तक पूरी होने के लिए निर्माणाधीन/आयोजनाधीन पारेषण लाइनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय पावरग्रिड के विकास के लिए क्षेत्र के भीतर पारेषण लाइनों तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइनों पर दसवीं ओर ग्यारहवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 70,000 करोड़ रुपये के निवेश पर विचार किया है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रिडों का एकीकरण एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लाइन, जिसकी 2012 तक पूरे किए जाने की योजना है के अलावा, उत्पादन की वृद्धि और विद्युत प्रवाह आवश्यकता पर निर्भर करते हुए और अधिक-क्षेत्रीय और क्षेत्र के भीतर लिकों की आवश्यकता हो सकती है।

(ङ) क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के एकीकरण से अधिकता वाले क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में विद्युत के अंतरण द्वारा असंतुलित रूप से वितरित उत्पादन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुगम बन जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन क्षमता अधिकतम होगी, प्रणाली विश्वसनीयता में सुधार होगा और ग्रिड सुरक्षा बढ़ेगी।

विवरण

विद्यमान अंतरक्षेत्रीय पारेषण लाइन

प्रणाली के नाम	विद्युत अंतरण क्षमता (मे.वा.)	अभ्युतियां
1	2	3
पूर्वी क्षेत्र-दक्षिणी क्षेत्र		
गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक एम-1	500	
बालिमेरा-अपर सिलेरू 220 केवी एस/सी	150	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
तालचेरा-कोलार एचवीडीसी बायपोल	2000	
कुल पूर्वी-दक्षिणी क्षेत्र	2650	
पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र		
देहरी-साहुपुरी 220 केवी एस/सी	100	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
सासाराम एचवीडीसी बैक-टू-बैक	500	
कुल पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र	600	

1	2	3
पूर्वी-पश्चिमी क्षेत्र		
राऊरकेला-रायपुर 400 केवी डी/सी (श्रृंखलाबद्ध क्षतिपूर्ति के बिना)	1000	
बुधिपारा-कोबरा 220 केवी डी/सी+एस/सी	450	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
कुल पूर्वी-पश्चिमी क्षेत्र	1450	
पूर्वी-पूर्वोत्तर क्षेत्र		
बिरपारा-सालाकाटी 220 केवी डी/सी	200	
मालदा-बोंगाइगांव 400 केवी डी/सी	1000	
कुल पूर्वी-पूर्वोत्तर क्षेत्र	1200	
उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र		
विंध्याचल एचवीडीसी बैक-टू-बैक	500	
औरेय्या-मलानपुर 220 केवी डी/सी	200	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
कोटा-ऊज्जैन 220 केवी डी/सी	200	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
कुल उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र	900	
पश्चिमी-दक्षिणी क्षेत्र		
चंद्रपुर एचवीडीसी बैक-टू-बैक	1000	
बारसूर-एल. सिलेरू 200 केवी एचवीडीसी मोनोपोल	200	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
कोलहापुर-बेलगांम 200 केवी डी/सी	200	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
पोंडा-नागाझारी 220 केवी डी/सी	200	त्रिज्या रूप में विद्युत अंतरण
कुल पश्चिमी-दक्षिणी क्षेत्र	1600	
कुल अखिल भारत (विद्यमान)	8400	

अंतरक्षेत्रीय पारेषण लाइन-निर्माणाधीन

प्रणाली के नाम	विद्युत अंतरण क्षमता (मे.वा.)
1	2
पूर्वी-दक्षिणी क्षेत्र:	
गजुवाका एचवीडीसी बैक-टू-बैक एम-2	500
कुल पूर्वी-दक्षिणी क्षेत्र	500

1	2
पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र:	
मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 केवी डी/सी (क्वाड मूज) श्रृंखला क्षतिपूर्ति के साथ	1800
कुल पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र	1800
कुल अखिल भारत	2300
अंतरक्षेत्रीय पारेषण लाइन-योजना/प्रस्ताव (2012 तक लाभ के लिए)	
पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र:	
बाढ़-बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस)	1200
पटना-बलिया 400 केवी डी/सी (क्वाड मूस)	1200
उत्तरी करनपुरा-बलिया 765 केवी एस/सी लाइन-1*	2300
उत्तरी करनपुरा-बलिया 765 केवी एस/सी लाइन-2*	2300
पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र	7000
पूर्वी-पश्चिमी क्षेत्र:	
राऊरकेला-रायपूर 400 केवी डी/सी का डायनामिक	400
श्रृंखला क्षतिपूर्ति	
रांची-सीपत 400 केवी डी/सी स्थिर श्रृंखला क्षतिपूर्ति	1000
राऊरकेला-रायपूर 400 केवी डी/सी लाइन-2 स्थिर एस सी और टीसीएससी के साथ	1400
उत्तरी करनपुरा-सीपत 765 केवी एस/सी लाइन-1*	2300
उत्तरी करनपुरा-सीपत 765 केवी एस/सी लाइन-2*	2300
कुल पूर्वी-पश्चिमी क्षेत्र	7400
उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र	
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाइन-1 400 केवी प्रचालन	1100
आगरा-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाइन-2 400 केवी प्रचालन	1100

1	2
765 केवी आगरा-ग्वालियर का प्रचालन 765 केवी एस/सी लाइन-1	1200
765 केवी आगरा-ग्वालियर का प्रचालन 765 केवी एस/सी लाइन-2	1200
काओंक्रोली-जेरडा 400 केवी डी/सी	1000
आरएपीपी-नागदा 400 केवी डी/सी	1000
कुल उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र	6600
पश्चिमी-दक्षिणी क्षेत्र:	
पारली-रायचुर 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन-1 फैक्ट्स के साथ*	1400
पारली-रायचुर 400 केवी डी/सी क्वाड लाइन-2 फैक्ट्स के साथ*	1400
कुल पश्चिमी-दक्षिणी क्षेत्र	2800
*अनन्तिम	
कुल अखिल भारत	23800

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती

913. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु एक भावी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षाणिक संस्थानों से इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जासूसी

914. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक देश के विभिन्न भागों में जासूसी में संलिप्त कितने पाकिस्तानी नागरिकों और अन्य विदेशियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जनवरी, 2001 से लेकर, 30 विदेशी राष्ट्रिक (23 पाकिस्तानी, 4 नेपाली और 3 बांग्लादेशी) जासूसी में संलिप्तता के कारण गिरफ्तार किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार है:

वर्ष	राज्य का नाम और गिरफ्तार किए गए विदेशी राष्ट्रिकों की संख्या
2001	राजस्थान (पाकिस्तानी-3)
	पंजाब (पाकिस्तानी-1)
	उत्तर प्रदेश (पाकिस्तानी-1 और नेपाली-2)
2002	पश्चिम बंगाल (पाकिस्तानी-1)
	राजस्थान (पाकिस्तानी-2, नेपाली-1 और बांग्लादेशी-1)
	आंध्र प्रदेश (पाकिस्तानी-1)
	उत्तर प्रदेश (पाकिस्तानी-3)
	हरियाणा (पाकिस्तानी-1)
2003	पंजाब (पाकिस्तानी-1)
	गुजरात (पाकिस्तानी-1 और नेपाली-1)
	हरियाणा (पाकिस्तानी-1)
	सिक्किम (बांग्लादेशी-1)
2004 (30.6.2004 तक)	उत्तर प्रदेश (पाकिस्तानी-2)
	राजस्थान (पाकिस्तानी-3)
	आंध्र प्रदेश (पाकिस्तानी-1)
	पश्चिम बंगाल (बांग्लादेशी-1)
	मध्य प्रदेश (पाकिस्तानी-1)

(ख) और (ग) गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

इस्पात और लोहा का निर्यात

915. **श्री तथागत सत्पथी:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिशचंद्र चव्हाण:
श्री सुशील कुमार मोदी:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश से कितनी मात्रा में लोहे और इस्पात का निर्यात किया गया है और किन-किन देशों को किया गया है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इस्पात उद्योग में विकास की वजह से लोहा और इस्पात का निर्यात बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने "सेल" हेतु पैकेज का पुनर्गठन करने की घोषणा की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इसके लिए अब तक कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(छ) लोहा और इस्पात कंपनियों का कार्य निष्पादन और सुधारने हेतु क्या नई रणनीतियां बनायी गयी हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के निर्यात का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए लोहे और इस्पात में निर्यात का देशवार मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार ने फरवरी, 2000 में सेल के वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है तथा योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए स्टील आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा भारत सरकार के साथ मार्च, 2000 में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

(च) वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना योजना तथा निर्मुक्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय पुनर्संरचना

वित्तीय पुनर्संरचना में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

* इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) से सेल को दिए गए लगभग 5073 करोड़ रुपए के ऋणों को माफ करना।

* भारत सरकार द्वारा सेल को दिए गए लगभग 381 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करना।

* स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के निधियन के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऋण जुटाने के लिए सरकार की गारंटी।

* अदायगी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऋण जुटाने हेतु सरकारी गारंटी।

वित्तीय पुनर्संरचना के इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) और भारत सरकार द्वारा दिए गए कुल 5454 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करने के लिए (क) आधुनिकीकरण योजनाओं पर ब्याज के पूंजीकरण से संबंधित अचल परिसंपत्ति मूल्य को अपलिखित करने के लिए 3001 करोड़ रुपए, जिसका निधियन मुख्य रूप से उधार से किया गया था, (ख) इस्को के प्रचालनों से संबंधित 2453 करोड़ रुपए के ऋणों/अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने के रूप में समायोजित किया गया। ऋणों को माफ करने के आधार पर आवश्यक परिसंपत्ति समायोजन वित्तीय वर्ष 2000 में पूरा कर लिया गया है। सेल की वित्तीय पुनर्संरचना के भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा कोई नकद राशि नहीं दी गई।

2001-02, 2002-03 और 2003-04 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए अदायगी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऋण जुटाने के लिए सरकार की गारंटी से अब तक 1000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं।

कारोबार पुनर्संरचना

कारोबार पुनर्संरचना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

* गैर महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की पुनर्संरचना।

* श्रम शक्ति को युक्तिसंगत करना।

* प्रचालनात्मक सुधार द्वारा लागत में कमी करना

* विपणन संबंधी पहल।

* पूंजीगत व्यय की प्राथमिकता तय करना।

* खरीद लागत में कमी करना।

* बेकार परिसंपत्तियों का निपटान करना।

सेल ने उपरोक्त अधिकांश उपाय कार्यान्वित कर लिए हैं।

(छ) उदार परिवेश में सरकार एक सहायता प्रदाता के रूप में कार्य करती है तथा प्रचालनात्मक निर्णय संयंत्र स्तर पर लिए जाते हैं। तथापि, घरेलू इस्पात उत्पादकों ने उत्पादन लागत में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। इनमें सतत् आधुनिकीकरण/उन्नयन योजनाएं, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, कच्चे माल का दक्षता पूर्ण उपयोग, बेहतर विपणन प्रक्रियाएं तथा श्रमशक्ति की स्थिति की समीक्षा करना शामिल हैं।

विवरण

2001-2004 (फरवरी 2004 तक) के दौरान लोहा और इस्पात का देश-वार निर्यात

(मात्रा टन में तथा मूल्य लाख रुपए में)

देश	कुल इस्पात					
	2001-02		2002-03		अप्रैल'03-फरवरी'04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आस्ट्रेलिया	0	0	6346	1701	25496	5680
बहरीन आई एस	0	0	5842	1382	5877	1245
बंगला देश	116484	14692	188691	32355	175562	28434

1	2	3	4	5	6	7
बेल्जियम	27479	4642	50403	9293	46860	9643
भूटान	0	0	13889	2610	22166	4570
बोत्सवाना	0	0	12118	1865	0	0
कनाड़ा	0	0	7190	3011	12727	6168
चाइनीज ताइपे	64038	6698	92244	30340	0	0
चीन पीआरपी	33932	5195	1104798	239417	1033574	248028
कांगो पी रिप.	0	0	5858	1542	0	0
ड्जीबूटी	0	0	0	0	51464	12239
इथोपिया	95689	21517	50199	11817	31302	8283
फ्रांस	0	0	5524	1375	0	0
जर्मन एफ रिप.	18672	7485	12640	7108	20976	11179
घाना	10666	3286	9889	3090	21086	6968
ग्रीस	26912	3762	19191	3420	11459	3136
हांगकांग	51581	12671	69632	24700	48438	19108
इंडोनेशिया	151315	12050	232498	26163	178293	31616
ईरान	131624	18368	63816	15678	251153	46491
इराक	20882	3472	0	0	0	0
इटली	111900	18036	149938	25223	195960	37128
जापान	59599	5551	28334	3737	41582	5372
जोर्डन	0	0	5690	1396	0	0
केन्या	30632	5520	29737	5626	23825	5089
कोरिया डीपी आरपी	0	0	5269	3563	0	0
कोरिया आर पी	92952	10270	66935	8335	197935	28136
कुवैत	0	0	15385	2964	18984	3836
मेडागास्कर	0	0	0	0	11703	3620
मलेशिया	127755	8125	130805	12282	179644	19898
मोरीशस	0	0	12894	2318	7210	1362

1	2	3	4	5	6	7
मयांमार	63545	8173	65150	8102	59940	10240
मैक्सिको	15066	2883	0	0	0	0
नेपाल	16314	2941	116450	16462	171913	28680
नीदरलैंड	0	0	14014	2186	0	0
नाइजीरिया	53956	13271	47884	11097	30772	7700
ओमान	0	0	6757	1372	9053	2056
पाकिस्तान	0	0	15211	3275	0	0
पेरू	8406	1888	6384	1499	0	0
फिलीपींस	0	0	69253	8628	105408	9804
प्यूरोटो रीको	0	0	0	0	15051	2014
सऊदी अरब	49097	7637	83772	12817	60123	8695
सिंगापुर	14276	2465	34303	6639	47270	10198
दक्षिण अफ्रीका	29889	6973	16476	3679	70099	15751
स्पेन	92081	11540	83966	11764	34577	5946
श्रीलंका	101695	15077	123138	18241	190486	37438
सूडान	7716	1906	13573	2892	6974	1798
स्वीडन	21326	2091	0	0	0	0
तंजानिया आरईपी	17312	2825	15550	3158	10722	2369
थाईलैंड	202632	23730	191230	18949	264470	45211
ताइवान	0	0	0	0	97837	26085
त्रिनिडाड	0	0	27648	1666	0	0
तुर्की	11680	2355	0	0	10773	3234
युगांडा	8783	1785	0	0	5188	1445
संयुक्त अरब अमीरात	149126	27850	184143	42670	200839	47939
यू के	14202	2444	0	0	11181	3663
यू एस ए	170607	56830	960261	137567	190589	56163

1	2	3	4	5	6	7
वियतनाम सोस. रिप.	8472	3644	69761	12912	56964	16360
यमन रिप.	13994	2552	7937	1557	9820	2336
अन्य	198372	64069	166100	60966	202909	81504
योग	2440659	426269	4714636	870409	4476234	973858

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

स्नातक स्तर पर नए पाठ्यक्रम

916. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नए पाठ्यक्रमों को सिद्धांत: स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पाठ्यक्रमों को स्वीकृति देने हेतु हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विश्वविद्यालय को ऐसे पाठ्यक्रमों को अपनाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कोई वित्तपोषण किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे पाठ्यक्रमों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने ''अन्तरविषयक तथा उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान'' संबंधी योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता के लिए प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों की शुरूआत हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विषय-वार विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति की है।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्तरविषयक तथा उभरते क्षेत्रों में नवीन पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए 100 प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये निधियां प्रयोगशाला उपकरण, आकस्मिकता, स्टाफ आदि की अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। अनावर्ती तथा आवर्ती मदों तथा वास्तविक आधार पर कर्मचारियों (केवल पाठ्यक्रमों के लिए) वित्तीय सहायता की सीमा 50.00 लाख रु. होगी।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अनमोदित डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के ब्यौरे

10वीं योजना के दौरान नवीन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित डिग्री पाठ्यक्रमों की सूची

क्र.सं.	पात्र विभाग/विश्वविद्यालय का नाम	अनुमोदित पाठ्यक्रम
1	2	3
1.	सोफिया कालेज फार वोमेन, मुम्बई	तंत्रिका विज्ञान में स्नातकोत्तर
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	स्वास्थ्य सांख्यिकी में एम.एस.सी.
3.	तेजपुर विश्वविद्यालय, नाप्पाम	बायो इलेक्ट्रोनिक्स में एम.टेक

1	2	3
4.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	एम.ए. (संगीत तथा घराना संगीत)
5.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	एम.काम कास्ट कन्ट्राल एंड एकाउण्टस
6.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल (श्रीनगर)	वित्त तथा नियंत्रण में स्नातकोत्तर
7.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	एम.एस.सी. एक्चुरियल साईन्स
8.	मदर टेरेसा वीमेन्स यूनिवर्सिटी, कोट्टायम	उद्यमशीलता विकास में स्नातकोत्तर
9.	भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	जियोइनफोर्मेटिक्स में एम.एस.सी.
10.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	एम.एस.सी. रिमोट सेन्सिंग एंड जी.आई.एस. फार नेचुरल रिसार्स मैनेजमेन्ट
11.	द अमेरिकन कालेज, मदुरै	जरावस्था जनसंख्या-ए.के. समेकित कार्रवाई-शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पाठ्यक्रम विकास संबंधी अनुसंधान परियोजना
12.	गवर्नमेन्ट कालेज, भूगोल विभाग, कुम्बकोना	मास्टर आफ साईन्स डिग्री इन स्पेसियल इन्फोर्मेशन टेक फार डिसेस्टर मैनेजमेन्ट
13.	एस.एल. डी.ए.वी. कालेज आफ एजुकेशन, अम्बाला	एम.एड. (समेकित)शिक्षक शिक्षा
14.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	शब्दबोध सिस्टम्स तथा कम्प्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
15.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया	बायो इन्फोर्मेटिक्स में एम.एस.सी.
16.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	एम.ई. आटोमोबाइल इंजीनियरिंग
17.	उस्मानिया यूनिवर्सिटी कालेज फार वीमेन, उस्मानिया	बायो इन्फोर्मेटिक्स में एम.एस.सी.
18.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	टेक्सकोलाजी में एम.एस.सी.
19.	रामनारायण रूइया कालेज, मुम्बई	बायो एनालाईटिकल इन्सट्रुमेनटेशन में एम.एस.सी.
20.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	फोटोनिक्स तथा बायोफोटोनिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री
21.	जी.जी.डी.एस.डी. कालेज, चंडीगढ़	बायो इन्फोर्मेटिक्स में एम.एस.सी.
22.	हंसराज महिला महाविद्यालय, जालंधर	एम.एस.सी. बायोइन्फार्मेटिक्स
23.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	एम.ए. इन क्यूजिओलाजी
24.	प्रज्ञाज्योतिष कालेज, गुवाहाटी	पर्यटन प्रबंध में स्नातकोत्तर
25.	जिवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	पर्यटन प्रबंध में स्नातकोत्तर
26.	सरकारी डिग्री कालेज, बारामूला (जम्मू और कश्मीर)	मास कम्युनिकेशन तथा विडियो प्रोडक्शन में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रम

1	2	3
27.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	खाद्य प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी.
28.	काश्मीर विश्वविद्यालय हजरतबल, श्रीनगर	क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री में मास्टर डिग्री
29.	दिमोरिया कालेज, खेतड़ी	एम.एस.सी. इको रेस्टोरेशन
30.	एस. कुला वीमेन्स कालेज, नाम्बोल (मणिपुर)	अवर स्नातक स्तर पर खाद्य तथा जल सुरक्षा में जैव प्रौद्योगिकी
31.	पेरियार इ.वी.आर. कालेज, तिरुचि	फोटोनिक्स में एम.एस.सी.
32.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	मैटेरियल साईन्स में एम.एस.सी.

[हिन्दी]

दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति

917. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुए विभिन्न अपराधों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थिति को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। वास्तव में, दिल्ली में रिपोर्ट किए गए भारतीय दंड संहिता अपराधों में विगत तीन वर्षों के दौरान गिरावट का रुख देखा गया है। दिल्ली में वर्ष 2001 के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे अपराधों की संख्या 54,385 थी जो वर्ष 2002 में घटकर 49,136 तथा वर्ष 2003 में और घटकर 47,852 हो गई है। चालू वर्ष के दौरान 30 जून, 2004 तक सूचित भारतीय दंड संहिता संबंधित अपराधों की संख्या 23,785 है।

(ग) दिल्ली में विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में जून के अंत तक विभिन्न अपराध शीर्षों के अन्तर्गत सूचित किए गए मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) दिल्ली में अपराध की घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों में गश्त की बीट प्रणाली में सुधार; उच्च अपराध दर वाले पुलिस थानों की पहचान करना तथा ऐसे थानों में अतिरिक्त मानव बल का प्रावधान तथा मोटर साइकिल गश्त का प्रावधान करना; गश्त की प्रभाविता अधिकतम करने के लिए समय अंतराल को युक्तियुक्त बनाना; और दु:साहसी अपराधियों की आवाजाही के बारे में आसूचना विकसित करना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध रोकने के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए हैं। इसमें प्रख्यात महिला कालेजों में "सुरक्षा पुनरीक्षा समितियों" का गठन; पुलिस नियंत्रण कक्ष में "महिला हैल्प लाइन" की स्थापना; चौबीस घंटों के आधार पर महिलाओं की व्यथा पुकार सुनने के लिए "महिला सचल टीम" का गठन; पी.सी.आर. वाहनों को बहुविध कार्य सौंपना; पुलिस मुख्यालय में "वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा कक्ष" स्थापित करना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्तों के सत्यापन पर पुन: जोर देना; और आवासीय कल्याण संघों (रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन) से निकट सम्पर्क स्थापित करना, शामिल है।

विवरण

(क) जघन्य अपराध

अपराध शीर्ष	वर्ष			
	2001	2002	2003	2004 (30 जून, 2004 तक)
1	2	3	4	5
डकैती	52	48	28	8
हत्या	549	535	485	240
हत्या का प्रयास	509	441	407	235

1	2	3	4	5
लूटपाट	621	502	441	235
दंगे	165	139	80	33
बलात्कार	404	403	490	269
फिरौती के लिए अपहरण	41	32	29	14
योग	2341	2100	1960	1034

(ख) गैर-जघन्य अपराध

अपराध शीर्ष	वर्ष			
	2001	2002	2003	2004 (30 जून, 2004 तक)
चोट आदि पहुंचाना	2022	1851	1708	835
सेंधमारी	3036	2358	1898	960
चोरी	19283	16622	15544	9190
अन्य भा.दं.सं. अपराध	27703	26205	26742	11766
योग	52044	47036	45892	22751
कुल योग (क)+(ख)	54385	49136	47852	23785

[अनुवाद]

समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) का क्रियान्वयन

918. श्री अनन्त नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या इनमें से किसी भी परियोजना का उड़ीसा में क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी-कितनी धनराशियों का आवंटन किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) का कार्यान्वयन असम, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, तथा दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्रों में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एजेन्सी माडल चुना है और वहां एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) को एकीकृत जनजातीय विकास एजेन्सियों (आई.टी.डी.ए.) के नाम से जाना जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू टी.एस.पी.) के अधीन आई.टी.डी.पी./आई.टी.डी.ए. वार आवंटन वर्ष 2003-04 से शुरू किया है उड़ीसा में आई.टी.डी.ए. के नामों को दर्शाने वाला तथा वर्ष 2003-04 के दौरान इन आई.टी.डी.ए. में से प्रत्येक को निधियों का आवंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन आई.टी.डी.ए. माडा पाकेटों, कलस्टर्स, आदिम जनजातीय समूहों और बिखरी जनजातियों में कार्यान्वित योजनाओं हेतु उड़ीसा सरकार को निर्मुक्त धनराशि निम्न अनुसार है:

वर्ष	(लाख रुपये में)
2001-02	6495.30
2002-03	6495.30
2003-04	6184.95

विवरण

जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन उड़ीसा राज्य में आई.टी.डी.ए.वार निर्मुक्त अनुदान

क्र.सं.	आई.टी.डी.ए. का नाम	धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	नीलगिरी	44.06
2.	बारीपाड़ा	356.63
3.	रायरंगपुर	219.47
4.	करंजिया	173.74
5.	काटीपाड़ा	156.29
6.	सुन्दरगढ़	299.27
7.	पनपोश	225.28

1	2	3
8.	बोनई	135.50
9.	कुचिन्दा	104.75
10.	कियोन्झर	295.11
11.	चेम्पूआ	127.19
12.	परलखेमुन्डी	162.11
13.	फुलबनी	64.01
14.	बालीगुडा	170.42
15.	थ. रामपुर	50.71
16.	कोरापुट	245.24
17.	जेपुर	186.21
18.	मलकनगिरी	204.50
19.	नवरंगपुर	389.05
20.	रायगढ़	170.42
21.	गुनुपुर	162.11
	कुल	3942.07

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

919. श्री शिवाजी अधलराव पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी भी काफी संख्या में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पास शिक्षण और प्रशिक्षण उद्देश्यों हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ विभिन्न विश्वविद्यालयों को एक पूरक के रूप में कुछ वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयवार कितनी सहायता मुहैया करायी गयी है; और

(घ) सरकार द्वारा पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग ने शिक्षण और प्रशिक्षण प्रयोजनार्थ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक विश्वविद्यालयों और कालेजों की सहायता की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना करने में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों की सहायता की है। इस प्रयोजनार्थ पात्र विश्वविद्यालयों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा (विवरण-I) में संलग्न है। इसके अलावा अनेक कालेजों की सहायता की गई है ताकि वे कम्प्यूटर सुविधाओं से सज्जित हो सकें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू.जी.सी. इनफोनेट स्कीम के तहत देश के सभी पात्र विश्वविद्यालयों को इलेक्ट्रानिक रूप से जोड़ने के लिए एक स्कीम शुरू की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यू.जी.सी. इनफोनेट स्कीम के तहत 150 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 में दी गई सहायता का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर सुविधाओं के लिए दिए गए अनुदान का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा

राज्य/विश्वविद्यालय	2001-2002 (रुपये में)	2002-2003 (रुपये में)	2003-2004 (रुपये में)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश			
1. आंध्र विश्वविद्यालय	–	–	–
2. डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय	–	–	–
3. हैदराबाद विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	15,00,000/-

1	2	3	4
4. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	8,88,800/-	–	–
5. काकातिया विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
6. नागार्जुन विश्वविद्यालय	–	–	–
7. उस्मानिया विश्वविद्यालय	23,224/-	–	–
8. श्री कृष्ण देव राय विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
9. श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय	–	1,36,142/-	–
10. श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय	7,23,050/-	–	–
11. केन्द्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान	–	–	–
12. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	–	–	–
13. श्री सत्य साई उच्च अध्ययन संस्थान	–	–	–
अरूणाचल प्रदेश			
14. अरूणाचल विश्वविद्यालय	14,40,000/-	–	–
असम			
15. असम विश्वविद्यालय	9,05,416/-	96,933	–
16. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	–	–	–
17. गुवाहाटी विश्वविद्यालय	23,700/-	–	–
18. तेजपुर विश्वविद्यालय	16,01,086/-	–	–
बिहार			
19. तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय	–	–	–
20. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय	–	–	–
21. के.एस. दरभंगा विश्वविद्यालय	–	–	–
22. मगध विश्वविद्यालय	–	–	–
23. पटना विश्वविद्यालय	–	–	–
छत्तीसगढ़			
24. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	–	–	–
25. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	–	2,50,000/-	–

	1	2	3	4
26.	पंडित रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	–	–	–
	गोवा			
27.	गोवा विश्वविद्यालय	25,000/-	15,00,000/-	–
	गुजरात			
28.	भावनगर विश्वविद्यालय	7,028/-	–	–
29.	गुजरात विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
30.	महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, वड़ोदरा	1,92,412/-	–	–
31.	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय	8,71,796/-	–	–
32.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
33.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	–	–	–
34.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	–	–	–
35.	गुजरात विद्यापीठ	–	18,00,000/-	–
	हरियाणा			
36.	गुरू जम्बेश्वर विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
37.	कुरूक्षेत्र दयानन्द विश्वविद्यालय	11,99,750/-	–	–
38.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
	हिमाचल प्रदेश			
39.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	25,000/-	–	–
	जम्मू और कश्मीर			
40.	जम्मू विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
41.	कश्मीर विश्वविद्यालय	23,780/-	–	–
	झारखंड			
42.	रांची विश्वविद्यालय	17,973/-	19,00,000/-	–
43.	बिरला तकनीकी संस्थान	–	–	–
44.	भारतीय खनन विद्यालय	–	–	–

1		2	3	4
	कर्नाटक			
45.	बंगलौर विश्वविद्यालय	22,12,000/-	–	–
46.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	3,00,000/-	–	
47.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	2,60,000/-	60,000/-	–
48.	कुवैम्पू विश्वविद्यालय	11,00,000/-	–	–
49.	मंगलौर विश्वविद्यालय	4,97,546/-	–	
50.	मैसूर विश्वविद्यालय	–	3,00,000/-	–
	केरल			
51.	कालीकट विश्वविद्यालय	–	–	–
52.	कोचीन विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
53.	केरल विश्वविद्यालय	–	–	22,000/-
54.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	7,00,000/	–	–
	मध्य प्रदेश			
55.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय	–	–	15,00,000/-
56.	बरकातुल्लाह विश्वविद्यालय	–	–	–
57.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	18,10,000/-	–	–
58.	डा. हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय	7,09,600/-	–	3,00,000/-
59.	जीवाजी विश्वविद्यालय	–	–	–
60.	महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय	14,40,000/-	3,60,000/-	–
61.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	53,072	3,00,000/-	–
62.	विक्रम विश्वविद्यालय	–	–	–
	महाराष्ट्र			
63.	अमरावती विश्वविद्यालय	5,800/-	8,00,000/-	–
64.	बम्बई विश्वविद्यालय	8,737/-	–	–
65.	यू.डी.सी.टी. बम्बई विश्वविद्यालय	–	–	–
66.	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	–	–	–

1		2	3	4
67.	नागपुर विश्वविद्यालय	–	–	–
68.	उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	8,568/-	–	–
69.	पुणे विश्वविद्यालय	–	–	–
70.	श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला	–	–	–
71.	शिवाजी विश्वविद्यालय	2,40,000/-	–	–
72.	स्वामी रामानन्द तीरथ मराठ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	22,30,000/-	–	–
73.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	–	–	–
	मणिपुर			
74.	मणिपुर विश्वविद्यालय	–	–	–
	मेघालय			
75.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	–	–	–
	उड़ीसा			
76.	बरहमपुर विश्वविद्यालय	–	–	–
77.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
78.	श्री जगन्नाथ संस्कृत	7,00,000/-	–	–
79.	उत्कल विश्वविद्यालय	7,00/000/-	1,99,696/-	–
	पंजाब			
80.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	7,09,392/-	–	–
81.	पंजाब विश्वविद्यालय	–	–	–
82.	पंजाबी विश्वविद्यालय	2,09,500/-	–	–
83.	थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान	13,20,000/-	–	–
	राजस्थान			
84.	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय	25,000/-	–	–
85.	मोहनवाल सुखाडिया विश्वविद्यालय	–	1,20,000/-	–
86.	राजस्थान विश्वविद्यालय	7,00,000/-	–	–
87.	वनस्थली विद्यापीठ	21,50,000/-	3,47,806/-	9,60,000/-

1		2	3	4
88.	बिरला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान	21,50,000/-	3,47,806/-	9,60,000/-
89.	जैन विश्व भारती संस्थान	-	-	-
90.	राजस्थान विद्यापीठ	-	-	-
	तमिलनाडु			
91.	अलगप्पा विश्वविद्यालय	7,00,000/-	-	-
92.	अन्ना विश्वविद्यालय	-	-	-
93.	भारतीयर विश्वविद्यालय	-	-	-
94.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	-	-	-
95.	भारती दासन विश्वविद्यालय	4,100/-	-	14,87,000/-
96.	मद्रास विश्वविद्यालय	24,750/-	-	14,87,000/-
97.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय	-	-	-
98.	मनोमनीयन सुन्दरनर विश्वविद्यालय	9,80,000/-	-	-
99.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	-	-	-
100.	तमिल विश्वविद्यालय	-	-	-
101.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	-	-	5,42,318/-
102.	श्री अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान एवं उच्चतर शिक्षा संस्थान	12,00,000/-	3,75,593/-	-
103.	श्री रामचन्द्र नगर आयुर्विज्ञान कालेज और अनुसंधान संस्थान	8,80,000/-	-	-
	त्रिपुरा			
104.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	-	-	-
	उत्तर प्रदेश			
105.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	2,40,000/-	-	-
106.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	25,000/-	-	-
107.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	-	-	-
108.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	39,20,000/-	-	-
109.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय	20,12,000/-	-	-

	1	2	3	4
110.	दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय	31,000/-	-	-
111.	छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय	-	-	-
112.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ	-	-	-
113.	लखनऊ विश्वविद्यालय	-	-	-
114.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय	24,80,000/-	-	6,20,000/-
115.	एम.जे.पी. रूलेहखंड विश्वविद्यालय	-	-	-
116.	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	8,00,000/-	-	-
117.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान	14,00,000/-	-	4,00,000/-
	उत्तरांचल			
118.	जी.बी. पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	4,00,000/-	-	-
119.	एच.एन. बहुगुणा विश्वविद्यालय	85,281/-	6,60,222/-	-
120.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	-	-	-
121.	रूड़की विश्वविद्यालय	-	-	-
122.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय	7,00,000/-	-	-
	पश्चिम बंगाल			
123.	बर्दवान विश्वविद्यालय	-	-	1,41,194/-
124.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	-	99,415/-	-
125.	जादवपुर विश्वविद्यालय	-	18,00,000/-	-
126.	कल्याणी विश्वविद्यालय	-	-	-
127.	उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय	-	-	-
128.	रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय	-	-	-
129.	विद्या सागर विश्वविद्यालय	3,00,000/-	-	-
130.	विश्व भारती विश्वविद्यालय	-	-	-
131.	बंगाल इंजीनियरी कालेज	-	-	-
	दिल्ली			
132.	दिल्ली विश्वविद्यालय	2,61,222/-	-	-

1	2	3	4
133.	जामिया मिलिया इस्लामिया	25,000/-	-	-
134.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	7,00,000/-	-	-
135.	जामिया हमदर्द	33,00,000/-	13,00,000/-	-
	पांडिचेरी			
136.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	-	-	-

विवरण II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-इन्फोनेट स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराइकुढ़ी	-	-	7.20
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	-	-	26.43
3.	अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती	-	-	7.42
4.	आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	-	25.26	-
5.	अन्ना विश्वविद्यालय, चैन्नई	-	-	25.41
6.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर	-	-	23.85
7.	अरूणाचल विश्वविद्यालय, इटानगर	-	4.90	-
8.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	-	25.26	-
9.	अविनाशलिंगम महिला गृह विज्ञान और उच्चतर शिक्षा संस्थान, कोयम्बटूर	-	-	7.42
10.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	-	-	7.42
11.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	-	-	12.63
12.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	-	-	7.42
13.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	-	27.20	-
14.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	-	-	26.43
15.	बंगलौर विश्वविद्यालय, भोपाल	-	-	15.68

1	2	3	4	5
16.	वरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	–	–	26.43
17.	बंगाल इंजीनियरी कालेज, हावड़ा	–	–	12.03
18.	बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर	–	7.14	–
19.	भारतीयर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	–	–	23.85
20.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, त्रिचिरापल्ली	–	–	26.43
21.	भारतीय विद्यापीठ, पुणे	–	–	15.68
22.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर	–	–	7.42
23.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	–	25.26	–
24.	बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची	–	25.26	–
25.	बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, झांसी	–	–	7.42
26.	बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान	–	–	7.42
27.	केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद	–	–	9.63
28.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	–	–	26.43
29.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	–	–	12.63
30.	छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	–	9.42	–
31.	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोचीन	–	25.26	–
32.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा	–	–	7.20
33.	दक्खन स्नातकोत्तर कालेज और अनुसंधान संस्थान, पुणे	–	–	15.68
34.	दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर	–	4.82	–
35.	दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	–	25.41
36.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	–	12.82	6.94
37.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय डिब्रूगढ़	–	–	5.30
38.	डा. बाबासाहेब ए.एम. विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	–	–	26.43
39.	डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	–	–	18.68
40.	डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर	–	–	7.20
41.	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद	–	–	7.42

1	2	3	4	5
42.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम	–	7.14	–
43.	गोवा विश्वविद्यालय	–	25.26	–
44.	गोखले राजनीति शास्त्र और विज्ञान संस्थान, पुणे	–	9.42	–
45.	गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	–	–	26.43
46.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	–	7.14	–
47.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय	–	25.26	–
48.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर	–	–	7.20
49.	गुरू जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	–	–	5.30
50.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	–	14.55	–
51.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	–	7.14	–
52.	गुवहाटी विश्वविद्यालय, गुवहाटी	–	12.82	–
53.	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, गढ़वाल	–	–	26.43
54.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	–	25.26	–
55.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	–	–	5.96
56.	गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	–	–	19.41
57.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	–	24.02	–
58.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	–	–	23.85
59.	जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं	–	–	7.42
60.	जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	24.02	15.36
61.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	24.02	–
62.	जवाहर लाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	12.82	–
63.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	–	5.79	–
64.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	–	25.41
65.	ककातिया विश्वविद्यालय, वारंगल	–	7.14	–
66.	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	–	–	9.63
67.	कामेश्वर एस. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	–	–	5.96

1	2	3	4	5
68.	कन्नड विश्वविद्यालय, कमालपुर	–	7.14	–
69.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	–	–	26.43
70.	कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल	–	–	7.42
71.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र	–	–	26.43
72.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय, शंकरघाटा	–	7.14	–
73.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	–	–	7.20
74.	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	–	–	26.43
75.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	–	–	7.20
76.	महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा	–	25.26	–
77.	महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर	–	–	7.20
78.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक	–	–	24.18
79.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा	–	–	7.20
80.	महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	–	5.79	–
81.	महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	–	–	25.20
82.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	–	25.26	–
83.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर	–	25.26	–
84.	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इम्फाल	–	–	5.30
85.	मनोनमान्यम् सुन्दरनार विश्वविद्यालय, तिरुनवेली	–	7.14	–
86.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	–	9.63
87.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	–	–	7.42
88.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली	–	–	7.20
89.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	–	25.26	–
90.	मदर टेरेसा वूमेन विश्वविद्यालय, कोडइकनाल	–	7.14	–
91.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	–	–	7.42
92.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर	–	25.26	–
93.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	–	25.26	–

1	2	3	4	5
94.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया विश्वविद्यालय, बंगलौर	–	–	9.63
95.	नार्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय	–	14.55	–
96.	हेमचन्द्राचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय	–	25.26	–
97.	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव	–	25.26	–
98.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	24.02	–
99.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	–	–	7.20
100.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	–	–	7.42
101.	पोट्टी श्रीरामालु तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	9.42	–
102.	पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	–	25.26	–
103.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	–	32.02	–
104.	पंजाब विश्वविद्यालय, पटिलाया	–	–	7.42
105.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर	–	–	6.14
106.	रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कलकत्ता	–	–	15.68
107.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	–	–	7.20
108.	रांची विश्वविद्यालय, रांची	–	–	23.85
109.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	–	7.14	–
110.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	–	7.14	3.17
111.	संबलपुस विश्वविद्यालय, संबलपुर	–	–	7.42
112.	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	–	–	25.20
113.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	–	25.26	–
114.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट	–	25.26	–
115.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	–	–	26.43
116.	श्री वेंकेटश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति	–	–	26.43
117.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	–	–	9.63
118.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति	–	7.14	–
119.	एस.एन.डी.टी. विश्वविद्यालय, मुम्बई	–	–	19.41

1	2	3	4	5
120.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत	–	–	15.72
121.	श्री चंद्रशेखरेंद्र एस. विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम	–	–	5.98
122.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी	–	–	7.20
123.	श्री कृष्णादेवरैया विश्वविद्यालय, अनंतपुर	–	–	7.20
124.	श्री सत्य सांई इंस्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग, परासानथीनिलयम	–	–	5.98
125.	स्वामी रमन एण्ड तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड	–	25.26	–
126.	तमिल विश्वविद्यालय, तंजावुर	–	–	7.42
127.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, मुम्बई	–	24.22	–
128.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	–	4.90	–
129.	थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला	–	25.26	–
130.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	–	–	9.63
131.	तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	–	7.14	–
132.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	–	–	5.30
133.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	–	32.02	–
134.	कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता	–	24.02	–
135.	कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड	–	25.26	–
136.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	–	–	20.58
137.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	–	25.26	–
138.	कश्मीर विश्वविद्यालय,	–	25.26	–
139.	केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम	–	–	26.43
140.	लखनऊ विश्वविद्यालय	–	–	33.41
141.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	–	24.02	–
142.	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	–	–	25.41
143.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर	–	–	26.43
144.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	–	25.26	–
145.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	–	–	25.41

1	2	3	4	5
146.	राजस्थान विश्वविद्यालय	–	–	33.41
147.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	–	–	19.41
148.	विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर	–	9.42	–
149.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	–	–	23.85
150.	विश्वभारती	–	–	26.43

नोट: चूंकि यह योजना 2002-03 के दौरान शुरू की गई थी, वर्ष 2001-2002 के लिए उक्त विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान जारी नहीं किया गया था।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का विकास

920. श्री भर्तृहरि महताब: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपने चतुर्दिक विकास हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी हां,। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने वर्ष 1974-75 से अपने समीपवर्ती गांवों में विभिन्न विकास कार्यकलाप किए हैं। सेवाओं की निम्नलिखित श्रेणियों के तहत विभिन्न योजनाएं/कार्यकलाप किए गए हैं:

(1) पेयजल

(2) स्वास्थ्य देखभाल

(3) संचार

(4) शिक्षा

(5) मनोरंजन

(6) आर्थिक विकास

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा परिसरीय विकास पर खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:

लाख रुपए

वर्ष	राशि
2001-2002	33.94
2002-2003	38.38
2003-2004	108.28

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा अर्जित निवल लाभ/हानि (-) नीचे दी गई है:

करोड़ रुपए

वर्ष	राशि
2001-2002	(-)1036
2002-2003	(-)593
2003-2004	(-)109

[हिन्दी]

विस्थापित कश्मीरी परिवार

921. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अशांति की वजह से कितने कश्मीरी परिवार विस्थापित हुए हैं;

(ख) जम्मू-कश्मीर और उस राज्य के बाहर शिविरों में कितने कश्मीरी पंडित परिवार रह रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा उनको उनके घरों में वापस लाने हेतु सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) अब तक कितने परिवार अपने घरों में लौट चुके हैं तथा विस्थापित परिवारों की कुल संख्या की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कश्मीर घाटी में आतंकवाद/गड़बड़ी के कारण 56380 कश्मीरी प्रवासी परिवार अस्थायी रूप से देश के विभिन्न भागों में ठहरे हुए हैं। इनमें से, अधिकांश कश्मीरी प्रवासी परिवार जम्मू (34644 परिवार) और दिल्ली (19338 परिवार) में ठहरे हुए हैं।

(ख) जम्मू में 4778 परिवार और दिल्ली में 237 परिवार शिविरों में ठहरे हुए हैं।

(ग) घाटी में प्रवासियों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के लिए, जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार ने इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने और हल सुझाने के लिए राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों की समस्याओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और घाटी में उनकी वापसी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के एक कोर ग्रुप का भी गठन किया है।

जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है उन्होंने मत्तन और खीर भवानी में पवित्र स्थलों की पहचान की है, जहां, इन स्थानों से विस्थापित कश्मीरी प्रवासियों को, दो माडल बस्तियां विकसित करके अस्थायी रूप से तब तक बसाया जा सकता है जब तक कि वे अपने मौजूदा रिहाईशी घरों की मरम्मत नहीं कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने खीर भवानी तथा मत्तन में घरों और पवित्र स्थलों के पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार हेतु राज्य सरकार को 10.00 करोड़ रु. प्रदान किए हैं।

राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार, केन्द्र सरकार ने 20.00 करोड़ रु. के व्यय पर कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु प्रयोगात्मक आधार पर बडगाम में दो शयनकक्षों, लाबी, रसोई और शौचालय/स्नानघर वाले 200 फ्लैटों के निर्माण का भी अनुमोदन किया है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोई भी कश्मीरी प्रवासी परिवार अभी तक अपने घरों को वापिस नहीं लौटा है।

राज्य विद्युत बोर्डों को समाप्त करना

922. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को अपने विद्युत बोर्ड समाप्त करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्ड समाप्त करने के क्या कारण है; और

(घ) सभी राज्यों में विद्युत बोर्डों के कब तक समाप्त किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) से (घ) जी नहीं। राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। विद्युत अधिनियम की धारा 172 में प्रावधान किया गया है कि "निरसित विधियों के अधीन गठित किसी राज्य विद्युत बोर्ड को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियत दिन या ऐसी पूर्वतर तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य पारेषण उपयोगिता और अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा और वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य पारेषण उपयोगिता और किसी अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगा।

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य पारेषण उपयोगिता या अनुज्ञप्तिधारी के रूप में एक वर्ष की उक्त अवधि के पश्चात् ऐसी और अवधि के लिए, जो अधिसूचना में अनुबद्ध हो, कृत्य करते रहने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी"।

इस प्रावधान के अनुसरण में असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, गुजरात और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों को दो माह से एक वर्ष तक की अवधि के लिए एस टी यू और/अथवा लाईसेंसधारी के रूप में बनाये रखने के अपने प्रस्तावों पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है क्योंकि राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के अधिकतर मामलों में आरम्भ की गई प्रक्रिया 10 जून, 2004 तक पूरी नहीं हो सकी। केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक विश्वविद्यालय

923. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ राज्य विश्वविद्यालयों विशेषकर मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालयों को एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठक

924. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात की कीमतों में अंतर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु राष्ट्रीय इस्पात उपभोक्ता परिषद की एक बैठक बुलायी थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सहमति बन पायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस्पात उत्पादन के मूल्य निर्धारण के मामले में विदेशी इस्पात कंपनियों पर निर्भरता कम करने में सक्षम हो पायी है; और

(च) यदि हां, तो केंद्र सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां, इस्पात प्रयोक्ता उद्योग की शिकायतों के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए 12 जून 2004 को राष्ट्रीय इस्पात उपभोक्ता परिषद (एन एस सी सी) के अठारहवीं बैठक हुई थी।

(ख) इस्पात के मूल्यों में वृद्धि इस्पात की उपलब्धता, दोयम एवं दोषपूर्ण पर शुल्क, प्रगलन स्क्रैप पर शुल्क, उत्पादकों की वितरण नीति से संबंधित समस्याएं मुख्य मुद्दे थे जिन पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

(ग) और (घ) निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में मोटे तौर पर सहमति थी:

(1) सरकार को अपनी नीतिगत पहलों के जरिए घरेलू बाजार में इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि करने में सहायता करना चाहिए।

(2) देश में प्रगलन स्क्रैप के कच्चे माल की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए प्रगलन स्क्रैप पर आयात शुल्क को घटाकर 0% किया जाना चाहिए।

(3) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की साफ और पारदर्शी वितरण नीति होनी चाहिए जिसमें व्यापार के लिए इस्पात उत्पादों की पेशकश करने से पूर्व सरकारी क्षेत्र और लघु उद्योग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

(ङ) और (च) उदार एवं नियंत्रणमुक्त परिवेश में मूल्यों को प्रभावित करने के लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करती। मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा मूल्य निर्धारित होते हैं। अधिकांश धातुओं के घरेलू बिक्री मूल्य आयातित सामग्रियों की उतराई लागत से संबद्ध हैं।

सड़कों की मरम्मत

925. श्री अधीर चौधरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम सरकार से 100 करोड़ रु. प्राप्त करने के पश्चात् भी दिल्ली/नई दिल्ली में अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाली सड़कों की मरम्मत करने में बुरी तरह विफल रहा है और सड़कों की हालत दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का विचार सड़कों के निर्माण, मजबूतीकरण और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों को कुछ नामी गिरामी निजी कंपनियों को सौंपने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उसके अधिकार-क्षेत्र में आनेवाली सड़कों की मरम्मत/उन्हें सुधारने का कार्य समय-समय पर किया जाता है और सड़कों की मौजूदा स्थिति संतोषजनक है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि फिलहाल कार्य की मात्रा के आधार पर सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य पंजीकृत ठेकेदारों में से खुली निविदा द्वारा चुने गए ठेकेदारों द्वारा अथवा चयनित एजेंसियों के ठेकेदारों के मार्फत करवाया जाता है। रख-रखाव का कार्य आंशिक रूप से विभागीय श्रमिकों तथा ठेकों के माध्यम से किया जाता है। प्रतिष्ठित निजी एजेंसियों के माध्यम से लगभग 100 कि.मी. "व्यापक सड़क अनुराग" का कार्य करवाए जाने का इसका प्रस्ताव है।

गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी सहायता

926. **श्री बी. विनोद कुमार:**
योगी आदित्यनाथ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विदेशों से सहायता प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या कुछ गैर-कानूनी संगठनों को इस अवधि के दौरान विदेशी निधियों को अवैध, राष्ट्र विरोधी तथा धार्मिक गतिविधियों के लिए खर्च करने में लिप्त पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के खातों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके खातों की छानबीन की गई है/चल रही है; और

(च) सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; राज्य-वार ब्यौरा दें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत पंजीकृत प्रत्येक संगठन अथवा जिन्हें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमति मिली हुई है, को एक वार्षिक विवरणी (रिटर्न) भरनी होती है जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि तथा इसके उपयोग के तरीके के संबंध में जानकारी देनी होती है। यह विवरणी प्रति वर्ष 31 जुलाई तक देनी होती है। संगठनों को वित्त वर्ष 2003-04 के लिए अपनी विवरणी (रिटर्न) 31 जुलाई, 2004 तक भेजना अपेक्षित है। शून्य रिटर्न भेजना भी अनिवार्य है। वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान क्रमश: 14,598, 15,618 तथा 16,590 संगठनों ने विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की रिपोर्ट दी है। विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले संगठनों की राज्यवार संख्या दर्शाते हुए सूची विवरण-I में संलग्न है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित उन संगठनों, जिन्हें विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, का राज्यवार ब्यौरा विवरण II में संलग्न है।

(घ) जी हां, श्रीमान।

(ङ) विदेशी अभिदाय (विनियमन), अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संदिग्ध संगठनों के लेखों का भारत सरकार द्वारा निरीक्षण किया जाता है। किए गए ऐसे निरीक्षणों का राज्यवार ब्यौरा विवरण III में संलग्न है।

(च) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार; विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पंजीकृत संगठनों को पूर्वानुमति प्राप्त संगठनों की श्रेणी में रख सकती है। संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की मनाही कर सकती है, संगठनों के बैंक खाते फ्रीज कर सकती है तथा उनके विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमा चला सकती है।

विवरण I

राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे
(रिपोर्ट करने वाले संगठनों की संख्या)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
दिल्ली	788	839	941
तमिलनाडु	2260	2443	2638
आन्ध्र प्रदेश	1692	1840	1985

1	2	3	4
महाराष्ट्र	1210	1340	1421
कर्नाटक	1191	1274	1347
केरल	1475	1521	1530
पश्चिम बंगाल	1314	1357	1401
गुजरात	649	706	761
उत्तर प्रदेश	829	746	758
उड़ीसा	771	819	843
मध्य प्रदेश	454	357	338
राजस्थान	223	253	269
उत्तरांचल	4	159	178
बिहार	738	564	611
झारखंड	10	263	304
हिमाचल प्रदेश	86	85	93
पंजाब	79	83	80
असम	162	169	186
छत्तीसगढ़	7	135	153
मेघालय	100	95	102
पांडिचेरी	43	55	56
जम्मू-कश्मीर	28	33	36
गोवा (दमण और दीव समेत)	120	107	107
नागालैंड	41	45	56
मणिपुर	200	188	217
हरियाणा	69	71	85
त्रिपुरा	11	11	19
चंडीगढ़	20	21	24
सिक्किम	5	6	7
मिजोरम	12	9	14
अरुणाचल प्रदेश	7	8	14
अंदमान और निकोबार द्वीप	6	6	7
दादरा और नागर हवेली	12	10	9
लक्षद्वीप	0	0	0
कुल	14598	15618	16590

विवरण II

(क) अधिनियम, की धारा 12 के तहत निषिद्ध (संगठनों के नामित एफ.सी. बैंक खातों को फ्रीज करना)

1. आन्ध्र प्रदेश—(क) एक्शन फार सोशल डेवलेपमेंट, हैदराबाद (2) गुड स्मारिटन एवेन्गेलीकल एंड सोशल वेलफेयर एसोशियेशन, कृष्णा जिला (3) जान अब्राहम मैमोरियल बेथानी होम, हैदराबाद (4) जान अब्राहम मैमोरियल बेथानी होम, रंगारेड्डी जिला।

2. गुजरात—ईदर-ई-तालीमेट इस्लामिया (दरुल-उल्म-शाहे-अलाम), अहमदाबाद

(ख) अधिनियम, की धारा 10(क) (जिसमें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने का निषेध किया गया है) के तहत निषिद्ध श्रेणी में रखे गए।

1. चंडीगढ़-अपोस्टोलिक क्रिश्चियन ऐसेम्बली, चंडीगढ़ मंत्रालय-चंडीगढ़

2. हरियाणा-हरियाणवी आर्गनाइजेशन फार प्रोग्रेस एंड इकोलाजी (एच.ओ.पी.ई.) सोनीपत।

3. गुजरात-ईदार-ए तालिमेट इस्लामिया, (दारुल-उल्म शाहे-अलाम) अहमदाबाद

4. मणिपुर-एम.ए. वाहब इस्लामिक पब्लिक स्कूल, उस्मानगंज

5. उड़ीसा-सोसाइटी फार अवेयरनेस आफ ह्यूमन सोसाइटी एंड रुरल एडवांसमेंट (सहारा), कालाहांडी

6. उत्तर प्रदेश-जमाई अतुल फलाह, बिल्लारीगंज, आजमगढ़

7. पश्चिम बंगाल-कांगग्रेजेसन आफ डोटर्स आफसेंट एनी, जलपाईगुड़ी

(ग) अधिनियम की धारा 10(ख) के तहत (विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए पूर्वानुमति) श्रेणी में रखे गए।

1. आन्ध्र प्रदेश- (1) जान अब्राहम मैमोरियल बेथामी होम, हैदराबाद

(2) गुड एवेंजेलिकल सोशल वैलफेयर एसोशिएशन, कृष्णा जिला

(3) जान अब्राहम, मैमोरियल बेथामी होम, रंगारेड्डी जिला

2. कर्नाटक-एक्शन फार एशिया आउटरिच, बंगलौर

3. उड़ीसा- (1) न्यू ऐपोस्टोलिक चर्च, भुवनेश्वर (2) सोसाइटी फार डवलेपमेंट एक्शन (सोडा) जिला मयूर भंज

4. तमिलनाडु-मक्कल सेवा मद्रम, शिवगंगाई जिला

5. पश्चिम बंगाल (1) ग्राम दान डवलेपमेंट सोसाइटी (जी.डी.डी.एस.) हावड़ा

(2) चिरानदीन हावड़ा

विवरण III

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	2004-आज तक
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	16	17	4	1
2.	तमिलनाडु	12	25	24	–
3.	आन्ध्र प्रदेश	20	16	4	–
4.	कर्नाटक	19	15	4	–
5.	केरल	7	4	3	–
6.	महाराष्ट्र	8	10	16	3
7.	पश्चिम बंगाल	8	12	19	6
8.	उत्तर प्रदेश	10	4	2	–
9.	गुजरात	16	16	10	–
10.	उड़ीसा	3	7	1	1
11.	बिहार	8	2	3	1
12.	मध्य प्रदेश	–	3	6	–
13.	हिमाचल प्रदेश	–	1	3	–
14.	राजस्थान	–	5	3	–
15.	पंजाब	7	–	2	1
16.	मेघालय	–	1	–	–
17.	असम	–	1	–	–
18.	गोवा (दमण और दीव सहित)	–	1	2	–
19.	जम्मू-कश्मीर	–	–	2	–
20.	पांडिचेरी	–	1	–	2
21.	मणिपुर	–	4	–	–
22.	नागालैंड	–	–	–	–
23.	हरियाणा	–	1	7	3
24.	चंडीगढ़	–	1	–	–
25.	त्रिपुरा	–	–	–	–
26.	सिक्किम	–	–	–	–
27.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
28.	मिजोरम	–	–	–	–
29.	दादरा और नागर हवेली/सिलवासा	–	–	5	–
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	–	–	–
31.	छत्तीसगढ़	–	–	4	–
32.	उत्तरांचल	–	1	5	2
33.	झारखंड	–	2	–	–
	कुल	135	150	129	20

ए पी डी आर कार्यक्रम

927. श्री दुष्यंत सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का नाम क्या है जहां त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) कब से इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया है इस कार्य के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता की राशि क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक राज्य की उपलब्धि क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) वर्ष 2001-02 से सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन राज्यों के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक राज्य की उपलब्धि का ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत	एपीडीआरपी घटक*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1511.40	755.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	85.99	85.99
3.	असम	408.54	408.54
4.	बिहार	768.25	384.13
5.	छत्तीसगढ़	424.58	212.19
6.	दिल्ली	946.46	473.23
7.	गोवा	244.60	122.30
8.	गुजरात	1035.80	517.90
9.	हरियाणा	453.41	226.71
10.	हिमाचल प्रदेश	327.81	327.81
11.	जम्मू-कश्मीर	401.10	401.10
12.	झारखंड	444.85	222.43
13.	कर्नाटक	1161.19	580.60
14.	केरल	350.35	175.18
15.	मध्य प्रदेश	679.08	339.54
16.	महाराष्ट्र	1898.59	949.30
17.	मणिपुर	10.13	10.13
18.	मेघालय	42.26	42.26
19.	मिजोरम	57.91	57.91
20.	नागालैंड	47.22	47.22
21.	उड़ीसा	592.22	296.11
22.	पंजाब	706.38	353.19
23.	राजस्थान	1255.06	627.53
24.	सिक्किम	154.73	154.73
25.	तमिलनाडु	968.17	484.09
26.	त्रिपुरा	27.54	27.54
27.	उत्तर प्रदेश	824.14	412.07
28.	उत्तरांचल	361.51	361.51
29.	पश्चिम बंगाल	420.92	210.46
	कुल	16610.19	9267.50

*राज्यों/रा.वि. बोर्डों को काउंटर पार्ट फंडिंग वित्तीय संस्थानों अथवा अपने स्वयं के संसाधनों से जुटानी है।

विवरण II

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	831.87*	402.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.68	1.40
3.	असम	96.97	4.36
4.	बिहार	86.99	48.43

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	53.07	119.06
6.	दिल्ली	105.51	537.61
7.	गोवा	30.58	35.99
8.	गुजरात	525.24*	367.69
9.	हरियाणा	274.48*	137.18
10.	हिमाचल प्रदेश	163.92	32.10
11.	जम्मू-कश्मीर	200.50	21.07
12.	झारखंड	55.60	91.96
13.	कर्नाटक	435.45	249.45
14.	केरल	104.66	152.45
15.	मध्य प्रदेश	84.87	66.04
16.	महाराष्ट्र	384.35*	229.03
17.	मणिपुर	2.67	2.67
18.	मेघालय	21.13	3.06
19.	मिजोरम	28.96	26.08
20.	नागालैंड	23.61	5.40
21.	उड़ीसा	54.35	14.16
22.	पंजाब	178.74	110.70
23.	राजस्थान	483.05*	330.66
24.	सिक्किम	77.38	49.74
25.	तमिलनाडु	344.16	251.10
26.	त्रिपुरा	8.77	6.33
27.	उत्तर प्रदेश	80.12	0.13
28.	उत्तरांचल	180.76	100.96
29.	पश्चिम बंगाल	40.17	56.85
	कुल	4994.61	3453.96

*एपीडीआरपी के अंतर्गत निवेश और प्रोत्साहन दोनों घटकों के अंतर्गत जारी निधियां शामिल हैं।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा ज्यादतियां

928. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बंग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले ग्रामीणों के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा की गई ज्यादतियों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां. तो इसके क्या निष्कर्ष निकले तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) तस्करी सहित सीमा पार से होने वाले अपराधों को रोक कर सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती की जाती है। कभी-कभी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के कार्य निष्पादन से संबंधित कुछ मुद्दों पर जनता से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी शिकायतों की जांच की जाती हैं और यदि ये सही पाई जाती हैं, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (ङ) मामले-मामले के आधार पर जांच की जाती है। प्रश्न में किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है।

बोडो उग्रवादियों की गतिविधियां

929. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बोडो आतंकवादियों के एक दल ने 30/31 मई, 2004 को ऊपरी असम के गोलाघाट में पड़ोसी राज्यों के निवासियों पर हमला किया था;

(ख) यदि हां, तो इस हमले में मारे गये तथा घायल लोगों की संख्या तथा उनकी सम्पत्ति की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि विगत दिनों में भी बोडो आतंकवादियों द्वारा ऐसे हमले किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो असम में पड़ोसी राज्यों के निवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) असम सरकार ने सूचित किया है कि बोडो युवकों (स्थानीय ग्रामीणों) के एक ग्रुप ने 29.5.2004 (31.5.2004 को नहीं) को गोलाघाट जिले में कुछेक गैर-असमी लोगों पर हमला किया। इस हमले में, तीन महिलाओं सहित चार लोग घायल हो गए।

(ग) नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) ने वर्ष 2003 के दौरान आज की तारीख तक तीन गैर-असमी व्यक्तियों की हत्या की।

(घ) राज्य सरकार ने राज्य में हिन्दी भाषी लोगों की सुरक्षा हेतु कई कदम उठाए हैं। सरकार ने राज्य में रह रही आबादी के संवेदनशील वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बल की नए सिरे से पुन: तैनाती के साथ एक विस्तृत सुरक्षा योजना तैयार की है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत असम को धनराशि का आवंटन

930. श्री किरिप चालिहा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत असम राज्य को प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण एवं उनके ढांचागत विकास के लिए धनराशि आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हासिल किये गये परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 तक की अवधि के लिए तथा वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 की अवधि के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत असम राज्य के 9 जिलों को सिविल कार्यों तथा स्कूलों के ढांचागत विकास के लिए आबंटित धनराशि का विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्कूलों के ढांचागत विकास हेतु असम राज्य द्वारा की गई प्रगति विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत असम को सिविल कार्यों तथा स्कूलों के ढांचागत विकास के लिए आबंटित निधियां

(रु. लाख में)

केंद्र प्रायोजित का नाम	1999-2000 अनुमोदित राशि	2000-01 अनुमोदित राशि	2001-02 अनुमोदित राशि	2002-03 अनुमोदित राशि	2003-04 अनुमोदित राशि
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1253.50	2395.29	1603.34	2943.50	शून्य
सर्व शिक्षा अभियान	शून्य	शून्य	2509.35	7482.95	16393.76

विवरण II

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सिविल कार्यों में हुई वास्तविक प्रगति

क्र. सं.	कार्य के नाम	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत		सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत	
		संस्वीकृत किए गए कार्यों की संख्या	पूरे किए गए कार्यों की संख्या	संस्वीकृत किए गए कार्यों की संख्या	पूरे किए गए कार्यों की संख्या
1.	नए स्कूल भवन	1422	1422	1388	217
2.	मरम्मत एवं नवीनीकरण	3091	3091	4930	361
3.	ब्लाक संसाधन केंद्र भवन	56	53	76	3
4.	कलस्टर संसाधन केंद्र भवन/अतिरिक्त शिक्षण कक्ष	1307	1307	शून्य/4118	शून्य/4118
5.	शौचालय	1601	1601	1810	202
6.	पेयजल सुविधाएं	1355	1355	शून्य	शून्य
7.	एस.सी.ई.आर.टी./एस. आई.ई.एम.टी. भवन का निर्माण	1/शून्य	1/शून्य	शून्य/1	शून्य/शून्य
	कुल	8833	8830	12323	1123

[हिन्दी]

लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी की पिस्तौल

931. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली से लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी की पिस्तौल के गायब हो जाने के संबंध में क्या कोई सुराग मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से चुराई गई पिस्तौल ले. जन. नियाजी की नहीं थी। यह तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के नौसेना के फ्लैग आफिसर कमांडिंग, रियर एडमिरल मोहम्मद शरीफ का निजी हथियार था। तथापि, ठोस प्रयास करने के बावजूद यह मामला अनसुलझा रहा।

[अनुवाद]

फार्म हाऊस

932. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री 6 मई, 2003 के अतारंकित प्रश्न सं. 6347 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इन फार्म हाऊसों के विरुद्ध दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 के धारा 81 के अंतर्गत 600 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) फार्म हाऊसों तथा गैर कृषि प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि का दुरूपयोग कर रहे फार्म हाऊसों का गांव-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगें।

विवरण I

क्र.सं.	गांव का नाम	फार्म हाऊसों की सं.
1	2	3
1.	आदमपुर	2
2.	अकबरपुर	10
3.	अलीपुर	26
4.	अम्बरौली	2
5.	असलतपुर	3
6.	असोला	126
7.	औचंदी	2
8.	आर्या नगर	19
9.	बादली	1
10.	बाडु सराय	10
11.	बाजीतपुर	4
12.	बाकरगढ़	9
13.	बख्तावरपुर	65
14.	बपोली	27
15.	बमनोली	26
16.	बकरौला	15
17.	बरवाला	8
18.	बवाना	7
19.	भल्सवा	2
20.	भर्थल	15
21.	भट्टी	37
22.	भोरगढ़	7
23.	बिजवासन	137
24.	बुद्धपुर	3
25.	बुराड़ी	1
26.	चंदनहोला	22
27.	छतरपुर	128
28.	छावला	60
29.	दरियापुर	10
30.	दीनदारपुर	9
31.	दीनापुर	2
32.	देवरोला	3
33.	डेरामंडी	187
34.	धनसा	2
35.	धूलसराय	4
36.	ढिचाऊंकला	15
37.	फतेहपुर बेरी	106
38.	गदईपुर	138
39.	गढ़ीखुर्द	3
40.	गढ़ीखुसरो	12
41.	गाजीपुर	3
42.	घेवरा	15
43.	घिटोरनी	98

1	2	3
44.	गोयलाखुर्द	3
45.	गुमनहेड़ा	2
46.	हमीदपुर	22
47.	हस्ताल	1
48.	हेराम्बी	2
49.	हिरनकी	45
50.	हिरनकुंडना	5
51.	होलम्बीकलां	57
52.	होलम्बीखुर्द	31
53.	इब्राहिमपुर	6
54.	इसापुर	2
55.	जफरपुर	3
56.	जंगोला	6
57.	जौन्ती	3
58.	झड़ोदाकलां	2
59.	झठीकारा	20
60.	जौनापुर	219
61.	कादीपुर	20
62.	कैर	1
63.	कलाकुर्द	1
64.	कंगनहेड़ी	28
65.	कंझावला	9
66.	कापसहेड़ा	56
67.	काराला	8
68.	कटवारिया	3
69.	खानपुर	5
70.	खारकरी	3
71.	खेराकला	23
72.	खेराकुर्द	8
73.	किशनगढ़	5
74.	लाडपुर	7
75.	लामपुर	11
76.	लिबासपुर	2
77.	मदनपुर डबास	2
78.	मैदानगढ़ी	2
79.	मकसूदाबाद	5
80.	मलिकपुर	2
81.	ममूरपुर	8
82.	मंडावली	1
83.	मंगोलपुरी	1
84.	मंगलीशकरवती	1
85.	महरौली	204
86.	मितराव	12
87.	मोहम्मदपुर	16
88.	मूखमलपुर	8
89.	मुंडेला	3
90.	मुरगोसपुर	5
91.	नजफगढ़	–
92.	नांगलठकरा	6
93.	नांगलोई	1
94.	नरेला	6
95.	नसीरपुर	2
96.	नयाबांस	6
97.	नीलवाल	3

1	2	3
98.	नीलौठी	12
99.	नीजामपुर	6
100.	पालम	1
101	पल्ला	6
102.	पंसली	1
103.	पपरावत	30
104.	पिंडवाला	13
105.	पोचनपुर	1
106.	पूठखुर्द	10
107.	प्रहलादपुर	2
108.	पंजाबखोर	2
109.	कुतुबगढ़	1
110.	राघोपुर	9
111.	रजोकरी	130
112.	रंगपुरी	33
113.	रनहोला	7
114.	रानीखेड़ा	2
115.	रसूलपुर	1
116.	रेवालाखानपुर	45
117.	साहिबाबाद	16
118.	सलाहपुर	19
119.	सनोठ	15
120.	बसंतविहार	1
121.	सतवाडी	54
122.	सिंघोला	22
123.	सिंघू	17
124.	सिरसपुर	2
125.	स्टैबर	8
126.	सोहनपुर	3
127.	सुलतानपुर	146
128.	समलखा	53
129.	सुआरपुर	22
130.	ताजपुर	6
131.	टिकरीखुर्द	10
132.	टिंगलपुरी	3
133.	उजवा	1
134.	जिंदपुर	18
	कुल	3022

विवरण II

गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि का दुरूपयोग कर रहे फार्म हाऊसों का गांव-वार ब्यौरा

क्र.सं.	गांव का नाम	फार्म हाऊस की सं.
1	2	3
1.	करौला	1
2.	मोहम्मदपुर भाजरा	1
3.	निजामपुर	2
4.	नांगल ठाकराना	1
5.	वाजिदपुर ठाकरान	2
6.	जिंदपुर	5
7.	बख्तावर पुर	13
8.	खेड़ा खुर्द	1
9.	भोरगढ़ (नरेला)	1
10.	बुरपुर-बीजापुर (नरेला)	1
11.	गढ़ी खसरो (नरेला)	1
12.	हिरंकी	13

1	2	3
13.	नागलीपुना	3
14.	मुखमेलपुर	2
15.	अलीपुर	1
16.	बकोली	9
17.	घेवरा	3
18.	कटेवारा	1
19.	भाटी	15
20.	फतेहपुर बेरी	15
21.	आया नगर	19
22.	असोला	68
23.	डेरामांडी	32
24.	साहरपुर	21
25.	चंदनहोला	20
26.	छतरपुर	108
27.	जोनापुर	30
28.	मदईपुर	137
29.	महरौली	23
30.	सतबारी	134
31.	सुल्तानपुर	121
32.	गांव बुरारी	1
33.	गांव बजीराबाद	1
34.	गांव मुकन्दपुर	1
35.	सातीपुर-रनोला	2
36.	हिरानकुडना	3
37.	टिकरीकलां	1
38.	निलोठी	4
39.	नागलोई जाट	1
40.	बकरबाला	1
41.	मुंडका	1
42.	मंडोली	2
43.	घिटोरनी	9
44.	रंगपुरी	9
45.	रजोकरी	14
46.	कापसहेड़ा	10
47.	स्मालका	20
48.	बिजवासन	17
49.	नांगली सकराबती	1
50.	ढिचाऊंकला	2
51.	बकरगढ़	2
52.	मितराओ	2
53.	गुम्मनहेड़ा	1
54.	मसुदाबाद	3
55.	दीनदारपुर	4
	कुल	916

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय खोलना

933. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रस्तावित नवोदय विद्यालयों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या नवोदय विद्यालय अपना लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उन केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनके पास भवन तथा मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं; और

(ङ) ऐसे विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) ऐसे जिलों (राज्यवार) के नामों की सूची विवरण-1 के रूप में संलग्न है जहां चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) नवोदय विद्यालयों का खोला जाना और लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति मोटे तौर पर भूमि और अस्थाई भवनों के लिए राज्य सरकारों से मिलने वाली सहायता पर निर्भर करती है। जहां भी राज्य सरकारों ने न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी की हैं, समिति ने अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा किया है। अनेक मामलों में सहायता में कमी के बावजूद नवोदय विद्यालय समिति ग्रामीण एवं लाभवंचित वर्गों के बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने वृहद लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है।

(घ) संस्वीकृत 508 जवाहर नवोदय विद्यालयों में से 352 विद्यालयों को भवन और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 66 विद्यालयों में भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। अन्य 90 विद्यालयों में विभिन्न कारणों से स्थाई भवनों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसी प्रकार देश में 921 केन्द्रीय विद्यालयों में से 245 केन्द्रीय विद्यालयों के पास अपना स्थाई स्कूल भवन नहीं है। भवन रहित 245 केन्द्रीय विद्यालयों में से 79 केन्द्रीय विद्यालयों के भवन निर्माणधीन है और 38 केन्द्रीय विद्यालयों के भवनों की आयोजना बनाई जा रही है। शेष 128 केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अभी तक जमीन अंतरित नहीं की गई है अथवा पट्टे पर नहीं दी गई है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भूमि अंतरण/पट्टा दस्तावेज संबंधी कार्य के त्वरित निष्पादन के लिए कदम उठाए जा रहे है। तथापि राज्य सरकारों/प्रायोजक एजेन्सियों द्वारा प्रदान किए गए अस्थाई भवनों में चल रहे इन जवाहर नवोदय विद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने तथा नए स्कूलों के भवनों का निर्माण शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाएं मिल सके। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है जो प्रायोजक एजेन्सियों द्वारा उपयुक्त भूमि प्रदान करने और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण I

शामिल न किए गए ऐसे जिलों की सूची जहां वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है

(इसमें नवनिर्मित जिले भी शामिल हैं)

क्र. सं.	राज्य	शामिल न किए गए जिलों की संख्या		जिले का नाम
1	2	3		4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	हैदराबाद
2.	अरूणाचल प्रदेश	3	1	पश्चिम कामंग
			2	कुरंग कुमे
			3	अपर दिवांग वैली
3.	असम	3	1	डूबरी
			2	नौगांव
			3	उत्तरी कछार पर्वत
4.	बिहार	1	1	अरवल

1	2	3	4	
5.	छत्तीसगढ़	5	1	बस्तर
			2	जसपुर
			3	कांकेर
			4	कावरधा
			5	बैंकुठपुर
6.	दिल्ली	7	1	पूर्वी दिल्ली
			2	पश्चिमी दिल्ली
			3	उत्तरी दिल्ली
			4	दक्षिणी दिल्ली
			5	मध्य दिल्ली
			6	पूर्वोत्तर दिल्ली
			7	नई दिल्ली
7.	गुजरात	6	1	अमरेली
			2	अहमदाबाद
			3	आनन्द
			4	नर्मदा
			5	नवसारी
			6	वलसाड
8.	हरियाणा	1	1	फतेहाबाद
9.	केरल	1	1	वायानाद
10.	मध्य प्रदेश	4	1	उमरिया
			2	अनूपपुर
			3	गुना (नवविभाजित जिला)
			4	बुरहानपुर
11.	झारखंड	1	1	सिमडेगा
12.	महाराष्ट्र	4	1	मुम्बई
			2	मुम्बई उपशहरी
			3	धूले
			4	भंडारा

1	2	3	4	
13.	मेघालय	1	1	पूर्वी खासी हिल्स
14.	मिजोरम	2	1	चम्पाई
			2	सेहा
15.	नागालैंड	2	1	दीमापुर
			2	जोनोबूटो
16.	उड़ीसा	6	1	नयागढ़
			2	जगतसिंहपुर
			3	झाजापुर
			4	देवगढ़
			5	बारगढ़
			6	भद्रक
17	सिक्किम	1	1	पूर्वी सिक्किम
18.	उत्तरांचल	1	1	पौढ़ी गढ़वाल
19.	उत्तर प्रदेश	4	1	देवरिया
			2	रामपुर
			3	हमीरपुर
			4	गाजियाबाद
20.	पश्चिम बंगाल	14	1	बांकुरा
			2	बीरभूम
			3	कूच बिहार
			4	दक्षिण दिनाजपुर
			5	हावड़ा
			6	हुगली
			7	जलपाईगुड़्डी
			8	मालदा
			9	पूर्वी मिदनापुर

1	2	3	4
			10 दक्षिण 24 परगना
			11 उत्तर दिनाजपुर
			12 पुरुलिया
			13 कोलकाता (नवनिर्मित जिला)
	कुल	68	

टिप्पणी: इसमें तमिलनाडु राज्य, जिसने इस स्कीम को स्वीकार नहीं किया है, शामिल नहीं है।

विवरण II

उन 46 जवाहर नवोदय विद्यालयों, जिसमें निर्माण कार्य अग्रिम कार्य अग्रिम चरण में है तथा 90 जवाहर नवोदय विद्यालय, जिनमें निर्माण कार्य अभी शुरू होना है, का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन ज.न. विद्यालयों की संख्या जहां भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है	उन ज.न. विद्यालयों की संख्या जहां भवन निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	06	03
2.	असम	04	01
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	01	–
4.	बिहार	09	08
5.	छत्तीसगढ़	01	03
6.	गुजरात	01	04
7.	हरियाणा	01	05
8.	हिमाचल प्रदेश	–	03
9.	जम्मू-कश्मीर	02	–
10.	झारखंड	01	10
11.	कर्नाटक	06	01
12.	केरल	01	–
13.	मध्य प्रदेश	04	03
14.	महाराष्ट्र	01	02
15.	मणिपुर	01	01
16.	मेघालय	04	–
17.	मिजोरम	–	05
18.	नागालैंड	03	02
19.	उड़ीसा	02	10
20.	पंजाब	02	03
21.	राजस्थान	01	02
22.	सिक्किम	02	–
23.	त्रिपुरा	–	01
24.	उत्तर प्रदेश	10	14
25.	उत्तरांचल	03	04
26.	पश्चिम बंगाल	–	05
	कुल	66	90

विवरण III

उन केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा जिनके पास स्थायी भवन नहीं है

क्र. सं.	राज्य का नाम	निर्माणाधीन केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	आयोजनाधीन केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	उन केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या जहां भूखण्ड अभी अंतरित किया जाना है	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	शून्य	शून्य	1	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	1	1	1	3
3.	अरूणाचल प्रदेश	2	2	3	7
4.	असम	6	4	6	16
5.	बिहार	3	1	11	15
6.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	छत्तीसगढ़	4	शून्य	3	7
8.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	शून्य	1	1
9.	दिल्ली	5	शून्य	6	11
10.	गोवा	1	शून्य	शून्य	1
11.	गुजरात	1	शून्य	5	6
12.	हरियाणा	शून्य	1	6	7
13.	हिमाचल प्रदेश	3	3	6	12
14.	जम्मू-कश्मीर	1	2	20	23
15.	झारखंड	2	2	5	9
16.	कर्नाटक	3	3	शून्य	6
17.	केरल	1	1	1	3
18.	मध्य प्रदेश	5	1	5	11
19.	महाराष्ट्र	2	1	शून्य	3
20.	मणिपुर	शून्य	1	1	2
21.	मेघालय	3	शून्य	शून्य	3
22.	मिजोरम	शून्य	1	1	2

1	2	3	4	5	6
23.	नागालैंड	1	2	2	5
24.	उड़ीसा	8	शून्य	2	10
25.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पंजाब	3	1	7	11
27.	राजस्थान	7	2	4	13
28.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	तमिलनाडु	3	शून्य	2	5
30.	त्रिपुरा	1	2	शून्य	3
31.	उत्तर प्रदेश	3	4	14	21
32.	उत्तरांचल	5	2	11	18
33.	पश्चिम बंगाल	5	1	2	8
34.	दमण और दीव	शून्य	शून्य	1	1
35.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	1	1
	कुल	79 केन्द्रीय विद्यालय	38 केन्द्रीय विद्यालय	128 केन्द्रीय विद्यालय	245 केन्द्रीय विद्यालय

[अनुवाद]

दूरस्थ शिक्षा

934. श्री तथागत सत्पथी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार ने देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा पेशेवर संस्थानों के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों में अप्रत्याशित वृद्धि कर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय/संस्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) बेहतर गुणवत्ता तथा केंद्रों के साथ-साथ पाठ्यक्रमों के विनियमन के लिए कौन से कदम प्रस्तावित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 11 मुक्त विश्वविद्यालय तथा 104 परंपरागत विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय केंद्रों तथा अध्ययन केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं। विश्वविद्यालय-वार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मुक्त विश्वविद्यालयों में 4020 अध्ययन केंद्र तथा 103 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जबकि परंपरागत विश्वविद्यालयों के दोहरे रूप वाले अध्ययन केंद्रों की संख्या 2136 है।

(ग) से (ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत दूरस्थ शिक्षा परिषद नामक एक सांविधिक निकाय संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अग्र-सक्रिय तथा सुधारात्मक दोनों तरह के तरीके अपनाता है।

दूरस्थ शिक्षा परिषद ने सभी राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा अपने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों की

गुणवत्ता के सुनिश्चियन हेतु विशेषज्ञ समितियां भेजी हैं। परिषद के कुछेक दोहरे रूप वाले परंपरागत विश्वविद्यालयों की वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की है तथा उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम सामग्री का प्रयोग करने की आवश्यक अनुमति भी प्रदान की है। दूरस्थ शिक्षा परिषद उन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों की मान्यता हेतु परिषद की स्वीकृति हेतु उनसे आग्रह कर रही है। दूरस्थ शिक्षा परिषद गुणवत्तामूलक पाठ्यक्रम सामग्री तथा शिक्षार्थियों को अधिकाधिक आईसीटी सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय पूल भी विकसित कर रही है।

विवरण

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले मुक्त विश्वविद्यालयों तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों का विवरण

क. मुक्त विश्वविद्यालय

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी
नई दिल्ली–110 068

2. नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय
तीसरी मंजिल, बिसकोमान भवन
पश्चिमी गांधी मैदान, पटना–800 001
बिहार

3. कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय
मानस गंगोत्री
मैसूर–570 006
कर्नाटक

4. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय
दंयन गंगोत्री
गंगापुर बांध के निकट, नासिक–422 222
महाराष्ट्र

5. डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय
प्रोफे. जी.राम. रेड्डी मार्ग
रोड नं. 46, जुबली हिल्स
हैदराबाद–500 033
आंध्र प्रदेश

6. वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय
रावतभाटा रोड, कोटा–324 010
राजस्थान

7. डा. बाबासाहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय
सरकारी बंगला संख्या 9
दफनाला, शाही बाग
अहमदाबाद–380 003
गुजरात

8. यू.पी. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
17, महर्षि दयानंद मार्ग (थार्नहिल रोड)
इलाहाबाद–211 001
उत्तर प्रदेश

9. नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय
1, वुडबर्न पार्क,
कोलकाता–700 020

10. एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
रैडक्रास भवन, शिवजी नगर
भोपाल–462 016
मध्य प्रदेश

11. तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय
तकनीकी शिक्षा निदेशालय परिसर
चैन्नई–600 025
तमिलनाडु

ख. पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने वाले परम्परागत विश्वविद्यालय संस्थान/दूरस्थ शिक्षा निदेशालय

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम
2. केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
3. जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद
4. ककातिया विश्वविद्यालय, वांरगल
5. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
6. उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
7. पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद
8. श्री कृष्णदेव राय विश्वविद्यालय, अनंतपुर
9. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति
10. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
11. श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति
12. नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद
13. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति
14. नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर

असम

15. गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी

16. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़

बिहार

17. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, मुज्जफरपुर

18. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

19. पटना विश्वविद्यालय, पटना

20. तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

चंडीगढ़

21. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

छत्तीसगढ़

22. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

दिल्ली

23. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

24. दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

गोवा

25. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा

गुजरात

26. गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

हरियाणा

27. गुरू जाम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार

28. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र

29. महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

हिमाचल प्रदेश

30. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

झारखंड

31. बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा

जम्मू-कश्मीर

32. जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

33. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर

कर्नाटक

34. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर

35. राष्ट्रीय भारत विश्वविद्यालय विधि स्कूल, बंगलौर

36. कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी

37. गुलबर्ग विश्वविद्यालय, गुलबर्ग

38. मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर

39. कुवेम्पु विश्वविद्यालय

40. मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर

केरल

41. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम

42. कालीकट विश्वविद्यालय, कोझीकोड

43. केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनंतपुरम

44. कन्नौर विश्वविद्यालय, कन्नौर

मध्य प्रदेश

45. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

46. बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल

47. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

48. डा. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर

49. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

50. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट

51. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

52. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर

महाराष्ट्र

53. अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई

54. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

55. एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई

56. तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे

57. मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई

58. अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती

59. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड

मेघालय

60. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

उड़ीसा

61. सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर

62. बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहामपुर

63. उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

64. फकीर मोहन विश्वविद्यालय, बंगलौर

65. उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर

66. उत्तरी उड़ीसा विश्वविद्यालय

पांडिचेरी

67. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी

पंजाब

68. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना

69. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

70. थापर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला

71. बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, फरीदकोट

72. गुरू नानकदेव विश्वविद्यालय, अमृतसर

राजस्थान

73. बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी

74. जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं

75. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर विश्वविद्यालय

76. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

77. आई.ए.एस.ई. सम विश्वविद्यालय, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर

तमिलनाडु

78. अलागप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुडी

79. अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर

80. भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

81. भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली

82. मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै

83. मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय, तिरूनेलवली

84. मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडेकनाल

85. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर

86. मद्रास विश्वविद्यालय, चैन्नई

87. गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम

89. श्री चन्द्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम

90. शनमुगा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान अकादमी, तंजावुर

त्रिपुरा

91. त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला

उत्तरांचल

92. गोविंद बल्लभ पंत कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर

93. कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल

94. गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

उत्तर प्रदेश

95. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

96. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

97. वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

98. डा. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

99. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

100. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी

पश्चिम बंगाल

101. बर्दवान विश्वविद्यालय, बर्दवान

102. विद्यासागर विश्वविद्यालय, मिदनापुर

103. कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी

104. रबिन्द्र भारती विश्वविद्यालय, कोलकाता

स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों का शुरू किया जाना

935. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में स्नातक स्तर के कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन विषयों का ब्यौरा क्या है जिनमें ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इसकी संभाव्यता, अपेक्षित अवसंरचना, सिलेबस, दिशा-निर्देश-प्रवेश स्तर तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विषयों का समन्वय समूह पर विचार करने के लिए सरकार ने किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) ऐसे पाठ्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) "अन्तर्विषयक और उभरते क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान" की योजना के तहत यू.जी.सी. सहायता के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों से प्रस्तावित नवाचारी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विषय-वार विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की है।

विवरण

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुमोदित डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रमों के ब्यौरे

नवाचारी कार्यक्रम के तहत 10वीं योजना के दौरान अनुमोदित डिग्री पाठ्यक्रमों की तालिका

क्र. सं.	पात्र विभाग/विश्वविद्यालय का नाम	अनुमोदित पाठ्यक्रम
1	2	3
1.	सोफिया कालेज फार वूमेन, मुम्बई	मस्तिष्क विज्ञान में मास्टर
2.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	स्वास्थ्य सांख्यिकी में एम.एस.सी.
3.	तेजपुर विश्वविद्यालय, नप्पम	बायोइलेक्ट्रोनिक्स में एम.टैक.
4.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़	एम.ए. (म्यूजिक और घराना संगीत)
5.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	लागत नियंत्रण और लेखा में एम.काम.
6.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल (श्रीनगर)	मास्टर इन फाइनेंस एण्ड कंट्रोल
7.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	एक्यूरियल साइंस में एम.एस.सी.
8.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोट्टायम	स्नातकोत्तर उद्यमवृत्ति विकास

1	2	3
9.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली	जियोइन्फारमेटिक्स में एम.एस.सी.
10.	एम.जी. चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के लिए रिमोट सेसिंग और जी.आई.एस. में एम.एस.सी.
11.	अमेरिकन कालेज, मदुरै	जनसंख्या कालगणना: एक समेकित कार्रवाई-शिक्षण, प्रशिक्षण और पाठ्यचर्या विकास हेतु अनुसंधान परियोजना
12.	राजकीय महाविद्यालय, भूगोल विभाग, कुंभकोण	आपदा प्रबंधन के लिए बाढ़ सूचना प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी. डिग्री
13.	एस.एल. डी.ए.वी. कालेज आफ एजुकेशन, अम्बाला	एम.एड. (समेकित)-शिक्षक शिक्षा
14.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	शब्दबोध प्रणालियां और संगणनात्मक भाषा विज्ञान
15.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया	बायो इन्फार्मेटिक्स में एम.एस.सी.
16.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	एम.ई.-आटोमोबाइल इंजीनियरिंग
17.	उस्मानिया विश्वविद्यालय महिला कालेज, उस्मानिया	बायो इन्फार्मेटिक्स में एम.एस.सी.
18.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	विष-विज्ञान में एम.एस.सी.
19.	रामनारायण रूआ कालेज, मुम्बई	बायो एनालिटिकल इन्स्ट्रूमेंटेशन में एम.एस.सी.
20.	मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई	स्नातकोत्तर डिग्री-फोनोटिक्स तथा बायो फोनोटिक्स
21.	जी.जी.डी.एस.डी. कालेज, चंडीगढ़	एम.एस.सी.-बायोइन्फार्मेटिक्स
22.	हंसराज महिला महाविद्यालय, जालंधर	एम.एस.सी.-बायोइन्फार्मेटिक्स
23.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	संग्रहालय विज्ञान में एम.ए.
24.	प्रज्ञा ज्योतिष कालेज, गुवाहाटी	मास्टर आफ टूरिज्म डेवलपमेंट
25.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	बैचलर आफ टूरिज्म डेवलपमेंट
26.	गवर्नमेंट डिग्री कालेज, बारामूला (जम्मू और कश्मीर)	जन-संचार एवं वीडियो प्रोडक्शन में 3 वर्षीय पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रम
27.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति	खाद्य प्रौद्योगिकी में एम.एस.सी.
28.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर	क्लिनिकल बायो कैमेस्ट्री में मास्टर डिग्री
29.	दिमोरिया कालेज, खेत्री (असम)	एम.एस.सी. ईको-रेस्टोरेशन
30.	एस.कुला वूमेंस कालेज, नाम्बोल (मणिपुर)	अवर स्नातक-खाद्य तथा जल सुरक्षा बायोटेक्नोलाजी
31.	पेरियार ई.वी.आर. कालेज तिरूची	फोटोनिक्स में एम.एस.सी.
32.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर	सामग्री विज्ञान में एम.एस.सी.

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों की संख्या

936. **श्री अनंत नायक:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्यबल को कम करने के लिए तैयार योजना का संयंत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन कर्मचारियों के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार की गई है जिन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) जी हां, सरकार द्वारा फरवरी 2000 में मंजूर वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना योजना के तहत स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन में मार्च, 2005 तक 1 लाख श्रमशक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। श्रमशक्ति के उक्त युक्तिसंगतिकरण का लक्ष्य स्वाभाविक सेवानिवृत्ति के कारण श्रमशक्ति के पृथक्कीकरण के अतिरिक्त स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा सेल की कुछ इकाइयों के स्वत्वहरण के जरिए किया जाना है। समझौता ज्ञापन में संयंत्रवार लक्ष्यों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात संयंत्रों के संबंध में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) सेल में किसी भी कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है जब तक कि कोई कर्मचारी स्वाभाविक पृथक्कीकरण के तहत पृथक न हुआ हो अथवा स्वाच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारी द्वारा विकल्प नहीं दिया गया हो अथवा कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के जरिए पृथक न किया गया हो। लोक उद्यम विभाग ने वर्ष 2001-02 से केंद्र सरकार के उपक्रमों के युक्तिसंगत किए गए कर्मचारियों के लिए सलाह, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्तैनाती (सी आर आर) योजना शुरू की है। यह योजना सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए भी लागू है।

भारत-पाकिस्तान के बीच डी.जी. स्तर की वार्ता

937. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में डी.जी. स्तर की वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों के बीच हुई वार्ता का ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप दोनों देशों द्वारा लिया गया निर्णय क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दोनों पक्षों ने अन्य बातों के साथ-साथ, एक ही साथ समन्वित गश्त लगाने, सरकंडे (एलिफेंट घास) को अंधाधुंध रूप से जलाने, अनजाने से सीमा पार कर जाने और सीमा बुर्जों का संयुक्त रूप सत्यापन करने संबंधी मुद्दों पर चर्चा की।

(ग) दोनों पक्षों की निम्नलिखित का पालन करने पर सहमति हुई:

(1) कारगर रूप से एक ही साथ समन्वित गश्त करना;

(2) सरकंडा (एलिफेंट घास) को जलाने से पहले एक-दूसरे को सूचना देना;

(3) यथोचित सत्यापन के पश्चात निर्दोष/भूल से सीमा पार करने वालों को वापिस करना; और

(4) निर्धारित समयानुसार सीमा बुर्जों का संयुक्त रूप से सत्यापन करना।

आप्रवासन विधि में संशोधन

938. **श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए आप्रवासन विधि की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विधि में प्रस्तावित संशोधनों/संभावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए अलग से कोई आप्रवासन कानून नहीं है। विदेशियों का प्रवेश, रूकना, आवा-जाही और प्रस्थान, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम,

1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939; और विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 तथा इन अधिनियमों के अधीन बने नियमों के द्वारा शासित होता है। जब कभी आवश्यकता होती है तो इन कानूनों की पुनरीक्षा की जाती है। अवैध विदेशियों की घुसपैठ पर नियंत्रण करने तथा रोकने के वर्तमान प्रयासों में सरकार ने पहले ही दांडिक प्रावधानों में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 तथा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में संशोधन किया है।

[अनुवाद]

राज्यों के स्वामित्व वाली उर्वरक इकाइयों का विनिवेश

939. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के स्वामित्व वाली उर्वरक इकाइयों के विनिवेश में केन्द्र द्वारा विलंब किए जाने से इस क्षेत्र में सुगठीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश प्रक्रिया में विलंब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. रहमान खान): (क) सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम के किसी भी क्षेत्र का सुगठीकरण करने का उद्देश्य विनिवेश करना नहीं है।

(ख) और (ग) मुकदमों आदि जैसे विभिन्न मामलों के कारण पिछली सरकार के दौरान विनिवेश की प्रक्रिया में विलंब हुआ। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत विनिवेश नीति को अंतिम रूप देगी और इस बारे में अभी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्रदूषणकारी कारखानों की चलना

940. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी दिल्ली के जखीरा में हाल ही में एक रासायनिक कारखानें में आग लग गई और दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वत: मुख्य अग्नि शामन अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली सरकार को आग लगने की ऐसी दुर्घटनाओं-विशेषकर व्यावसायिक स्थानों पर-रोकने के लिए अपनाए जाने वाली एहतियाती उपायों का ब्योरा देने के लिए निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो रसायन की दुकानों और प्लास्टिक कारखानों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने सहित इस मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। अमर पार्क, रामपुरा, जखीरा, दिल्ली में स्थित एक फैक्टरी, जो रसायनों का प्रयोग करती थी, में 28 अप्रैल, 2004 को आग लग गई। तथापि राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि एक अन्य मामले, जिसमें 23 अप्रैल, 2004 को कनाट प्लेस, दिल्ली स्थित दुकान में आग लग गई थी, को दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान में लिया था तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा को उक्त क्षेत्र में स्थित सभी दुकानों का सर्वेक्षण करने तथा माननीय न्यायालय को यह सूचित करने का निदेश दिया कि क्या उन्होंने अपेक्षित अग्नि सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। इस निदेश के अनुपालन में दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दी।

[हिन्दी]

विद्यालय विकास निधि

941. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विद्यालय विकास निधि के नाम पर एकत्र धनराशि को वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 सत्रों में अपने मुख्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित कराया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या परिणाम हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान, विद्यालय विकास निधि तिमाही अधार पर एकत्रित की जाती है। 31 मार्च 2002 तक केन्द्रीय विद्यालयों के पास विद्यालय विकास निधि के रूप में 52.82 करोड़ रुपये की खर्च न की गई शेष राशि 29 जनवरी, 2003 के आदेश सं. एफ. 6-7/2001-02/केवीएस/बजट के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अतंरित कर दी गई थी। इसके पश्चात, क्षेत्रीय कार्यालयों के पास खर्च न की गई 13.24 करोड़ रुपये की विद्यालय विकास निधि 21 नवम्बर, 2003 को आदेश संख्या एफ. 6-7/2001-02/केवीएस/

(बजट) के जरिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालयों) को अंतरित कर दी गई थी। खर्च न की गई विद्यालय विकास निधि को अंतरित करने का उद्देश्य विद्यालय विकास निधि के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालयों के पास उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का जहां भी अपेक्षित हो नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि खरीदने तथा उस पर अस्थाई भवन निर्माण के लिए उपयोग करना था, ताकि नए स्कूल अप्रैल, 2003 से शुरू होने वाले शैक्षिक रूप से अपना कार्यकरण शुरू कर सकें। तदुपरांत क्षेत्रीय कार्यालयों के पास उपयोग में नहीं लाई गई निधियों को खेलकूद अवसंरचना विकसित करने तथा नए खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों के लिए फर्नीचर एवं उपस्कर की खरीदारी के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय को अंतरित कर दिया गया था।

इस्पात संयंत्रों का उत्पादन

942. **श्री निखिल कुमार चौधरी:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के अंतर्गत इस्पात संयंत्रों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस्पात संयंत्रों द्वारा संयंत्रवार उत्पादन में कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए संयंत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपनी निगमित योजना-2012 को अन्तिम रूप दे दिया है। इसमें वर्ष 2011-12 में सेल के 4 एकीकृत इस्पात संयंत्रों में 174 लाख टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। इससे भिलाई इस्पात संयंत्र में 62 लाख टन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 28 लाख टन, राउरकेला इस्पात संयंत्र में 25.5 लाख टन और बोकारो इस्पात संयंत्र में 58 लाख टन क्षमता होगी।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल के संयंत्रों में विक्रेय इस्पात का उत्पादन और वृद्धि प्रतिशतता तथा 2004-05 के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिये गए हैं। 2005-06 के लिए सेल के उत्पादन लक्ष्य को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(इकाई, हजार टन)

	2001-02 वास्तविक	2000-01 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	2002-03 वास्तविक	2001-02 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	2003-04 वास्तविक	2002-03 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	2004-05 लक्ष्य (समझौता ज्ञापन के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
भिलाई इस्पात संयंत्र	3383	2	3616	7	4091	13	3750
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1527	2	1585	4	1612	2	1700
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1354	5	1527	13	1575	3	1650
बोकारो इस्पात संयंत्र	3200	-3	3358	5	3450	3	3500
मिश्र इस्पात संयंत्र	84	7	99	17	113	14	120

1	2	3	4	5	6	7	8
सेलम इस्पात संयंत्र	63	-52	83	33	85	2	95
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	87	2	84	-3	100	20	95
सेल (योग)	9697	0	10352	7	11026	7	10910

(ङ) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

- आदानों की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- उपस्कर क्षमता में सुधार करना।
- उन्नत उत्पाद मिश्र और प्रौद्योगिक-आर्थिक घटक।

[अनुवाद]

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों हेतु धनराशि

943. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) अभी तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ग) शेष राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.सी.ई.आर.टी. में सदस्यों का नामांकन

944. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एन.सी.ई.आर.टी. कार्यकारी परिषद में सेवा के लिए नए सदस्यों को नामांकित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी विशिष्टताएं क्या हैं तथा एन.सी.ई.आर.टी. के सदस्य के रूप में सेवा के लिए कौन से मार्ग-निर्देश निर्धारित हैं;

(ग) क्या परिषद के संविधान में भी कुछ संशोधन किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्कूल शिक्षा में रुचि रखने वाले विख्यात चार शिक्षाविदों नामत: प्रोफेसर चन्द्रकान्त देओताले, लेखक तथा विद्वान, उज्जैन, प्रो. मृदुला मुखर्जी, इतिहास विभाग, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, प्रो. अनीता रामपाल, शिक्षा प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा डा. एम.पी. परमेश्वरन; के.एस.एस.पी., तिरूअनन्तपुरम को हाल ही में परिषद की कार्यकारी समिति के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए मनोनित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी में कमी

945. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की "इंडिया: सस्टेनिंग रिफार्म, रीड्यूसिंग पावर्टी" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) गरीबी हटाने के लिए और किन कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का नवीन आर्थिक कार्यक्रम भारत में गरीबी कम करने में सहायक हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट" इंडिया: सस्टेनिंग रिफार्म, रीड्यूसिंग पावर्टी में 1980-2000 तक की अवधि के लिए सामाजिक संकेतकों (इंडिकेटर्स) की प्रगति पर सूचना देते समय लिखा है कि भारत में गरीबी भार के प्रतिशत में कमी आई है, जो इस प्रकार है:

गरीबी भार (प्रतिशत)

1980 दशक	1990 दशक	2000 दशक
44.5%	36.0%	26.1%

रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विकास परिणामों, सामाजिक संकेतकों की प्रगति, गत दो दशकों में मैक्रो-इकानोमिक ट्रेंड, राजकोषीय नीति, विद्युत संवितरण में सुधार, सार्वजनिक सेवाओं की प्रदानता, उद्योगों व सेवाओं के लिए निवेश माहौल में सुधार, कृषि ग्रामीण विकास तथा विकास सम्भावनाओं तथा जोखिम के मूल्यांकन पर विचार किया गया है।

जहां तक शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, यह मंत्रालय राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के मार्फत दिनांक 1.12.1997 से अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीबों को प्रथमत:, जो 9वीं कक्षा तक पढ़े हैं उन्हें स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करके तथा दूसरे, सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी गरीबी का उपशमन करना है तथा इसे 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में जारी रखा गया है। इसके अलावा, अन्य कार्यक्रम, यथा, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे), राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास को भी सशक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार हो सके।

फार्म हाउस

946. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** 3.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के उत्तर के संबंध यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनधिकृत फार्म हाऊसों के निर्माण को हटाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और डीएलआर अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अधीन कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और सरकार ने 1464 अनधिकृत फार्म हाऊसों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) अनधिकृत रूप से निर्मित 1464 फार्म हाऊसों की अवस्थितिवार सूची क्या है और सर्वेक्षण के दौरान किस प्रकार की अनधिकृता सामने आई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती

947. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की है तथा एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (ई.डी.सी.आई.एल.) तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इसका पता लगाने के लिए 2001 में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सितम्बर, 2003 के अपने विगत परामर्श के जरिए एजुकेशनल कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पूर्व आयुक्त और संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के विरुद्ध मामले को समाप्त करने की सलाह दी थी।

शहरी विकास के लम्बित प्रस्ताव

948. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी विकास की केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों, विशेषकर बिहार और उत्तर

प्रदेश द्वारा भेजे गए आज की स्थिति में राज्य-वार लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पर अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मंत्रालय निम्नलिखित दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:

(1) छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी): 6 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अन्तर्गत संबंधित राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति द्वारा यथा अनुमोदित 48 नए प्रस्ताव तथा चालू कस्बों से प्राप्त 28 प्रस्ताव लंबित हैं। इन कस्बों का राज्यवार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और II में दिया गया है।

स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए 11 कस्बों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(2) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी): 5 जुलाई, 2004 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अन्तर्गत 58 प्रस्ताव लंबित हैं। राज्यवार लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इस स्कीम के अन्तर्गत बिहार राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रस्ताव लंबित है।

(ख) उपरोक्त स्कीमों के अन्तर्गत प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है तथा केन्द्रीय सहायता सतत आधार पर प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की जाती है बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा इन स्कीमों के अन्तर्गत बनाए गए सभी दिशानिर्देशों का पालन किया गया हो।

विवरण I

आई.डी.एस.एन.टी. स्कीम के अन्तर्गत नए लंबित प्रस्ताव

राज्य का नाम	क्र.सं.	कस्बे का नाम
1	2	3
गुजरात	1.	मंगरोल
	2.	जस्दान
	3.	लूनावाड़ा
	4.	राजूला
	5.	धारी
	6.	गधाड़ा
	7.	कनोल
	8.	जमोधपुर
	9.	सलाया
	10.	धरड़
	11.	तलाजा
	12.	देवगधाबारिया
	13.	कुतियाना
	14.	खाडबाम्मा
	15.	धर्मपुर
	16.	चनसमा
	17.	तलोड
हिमाचल प्रदेश	1.	संतोखगढ़
	2.	मेहतपुर
महाराष्ट्र	1.	पुसाद
	2.	सिन्नार
	3.	मलकपुर
	4.	नन्दूरबर
	5.	सायलू
	6.	पंधारकवाड़ा
	7.	बुलदाना
	8.	वासिम
	9.	हिंघनघाट
	10.	सतारा

1	2	3
	11.	अचलपुर
	12.	अमलनेर
	13.	कमलेश्वर
	14.	वर्धा
	15.	कराड़
	16.	मोरसी
	17.	कटोल
पंजाब	1.	दीनानगर
उत्तर प्रदेश	1.	उन्नाव
	2.	महोना
	3.	लखना
	4.	डासना
	5.	काकोड
	6.	अतरोली
	7.	भारथाना
	8.	कुराओली
	9.	राया
	10.	फराह
	11.	सिकन्द्रा राव

विवरण II

आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत लंबित चालू प्रस्ताव

राज्य का नाम	क्रम सं.	कस्बे का नाम
1	2	3
गुजरात	1.	ऊना
	2.	उमरेथ
	3.	खेड़ा
	4.	लिम्बडी
	5.	धोलका
गोवा	1.	गोवा
	2.	कोनाकोना
हिमाचल प्रदेश	1.	ज्वालामुखी
	2.	चम्पा
	3.	पोनटासाहिब
महाराष्ट्र	1.	गंगाखेड़
	2.	सतना
	3.	उमेरखेड
	4.	फैजापुर
	5.	रावेर
मध्य प्रदेश	1.	झाबुआ
	2.	खुराई
राजस्थान	1.	सूरतगढ़
तमिलनाडु	1.	पेरावुरानी
	2.	शिवकाशी
	3.	लालगुडी
	4.	थूक्काकाट्टुपल्ली
	5.	पुदुकोट्टई
	6.	कल्लादाईकुरीची
पश्चिम बंगाल	1.	दुबराजपुर
	2.	पुरलिया
	3.	ईंगरा
	4.	हल्दिया

विवरण III

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) 05.07.2004 को विचाराधीन स्कीमों की सूची

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	जनसंख्या (1991 गणना)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
राज्य: गोवा				
1.	कोंकोलीन	दक्षिण गोवा	14973	551.18
राज्य: गुजरात				
1.	कतपार	भावनगर	7088	43.65
2.	देवसार	नवसारी	7626	107.8
3.	तालाजा	भावनगर	17965	264.02
4.	गरियाधर	भावनगर	19723	447.39
5.	मेघराज	सबरकंठा	8287	93.46
6.	महुवारा	नवसारी	8129	55.86
7.	पावीजेतपुर	वडोदरा	6466	75.81
8.	जाफराबाद	अमरेली	17539	341.87
9.	वनसादा	नवसारी	9728	137.33
10.	उमराला	भावनगर	9091	44.25
11.	मालपुर	सबरकांठा	5325	65.20
12.	उमरगाम	वल्साद	15481	105.82
13.	सरबुजारंग	नवसारी	6899	81.36
			139347	1863.82
राज्य: हरियाणा				
1.	चचरौली	यमुना नगर	7330	114.58
2.	रदौर	यमुना नगर	10163	128.88
3.	निलोखेरी	कर्नाल	13096	175.09
4.	तारोरी	कर्नाल	16103	337.00
			46692	755.55

1	2	3	4	5
राज्य: हिमाचल प्रदेश				
1.	नारकांडा	शिमला	687	73.09
2.	भुंतार	कुल्लू	2970	357.48
3.	बोटा	हमीरपुर	1290	148.06
4.	तालै	बिलासपुर	1515	84.03
			6462	663.56
राज्य: जम्मू-कश्मीर				
1.	नगर पासेल	कठुआ	5397	255.1
2.	लेखनपुर	कठुआ	1162	147.64
3.	कुपवाड़ा	कुपवाड़ा	3072	705.00
4.	अचाबल	अनन्तनाग	3649	389.92
5.	कुलगाम	रजौरी	8690	459.00
			21970	1956.66
राज्य: महाराष्ट्र				
1.	लोहा	नांदेड़ा	15865	881.95
2.	नाकोड़ा	चंद्रापुर	7119	143.22
3.	अहेरी	गढ़चिरौली	10979	255.6
4.	मलकापुर	कोल्हापुर	5238	138.82
5.	मुरूम	ओसमानाबाद	15370	386.24
6.	कलमनूरी	हिंगोली	15736	160.48
7.	पनहाला	कोल्हापुर	2968	60.85
8.	महाबलेश्वर	सतारा	10564	483.22
9.	पचगानी	सतारा	10558	994.98
10.	सिरूर	पुणे	18410	206.22
			113307	3711.58

1	2	3	4	5
राज्य: सिक्किम				
1.	नामची	साऊथ	638	297.57
राज्य: तमिलनाडु				
1.	चित्यारपट्टी	विरुद्धनगर	11502	33.00
2.	कुट्टुपुथुर	तिरची	14050	51.41
3.	पानापक्कम	वेल्लोर	8850	44.00
			47157	193.33
राज्य: उत्तर प्रदेश				
1.	बजना	मथुरा	5528	50.51

विद्युत बंटवारे के संबंध में अंतरराज्यीय विवाद

949. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के बीच जल विद्युत के बटवारे से संबंधित विवादों के निपटान के लिए अधिकरण के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने आनंदपुर साहिब, मुकेरियां जल विद्युत परियोजना यूबीडीसी स्टेट-II और शाहपुर कंडी जल विद्युत परियोजना से विद्युत बटवारे के लिए दावा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में अंतरराज्यीय समझौते को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद): (क) और (ख) राज्यों के बीच जल विद्युत की हिस्सेदारी के लिए अंत:राज्यीय विवादों के निपटारे हेतु एक ट्रिब्यूनल के गठन के लिए विद्युत मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) सिंधु जल संधि और परिणामस्वरूप रावी, और ब्यास नदियों के जल की हिस्सेदारी पर होने वाले समझौतों की शर्तों के अनुसार राजस्थान सरकार ने इन नदियों पर पंजाब द्वारा विकसित आनंदपुर साहिब, मुकेरियां, यूबीडीसी चरण-II और शाहपुर कंडी जल विद्युत परियोजना में विद्युत की हिस्सेदारी के लिए दावे किए थे।

(ङ) मामले को पूर्व में विभिन्न मंचों पर चर्चित किया गया है। मई, 1984 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच एक अंत:राज्यीय समझौता हुआ था जिसमें यह तय किया गया कि भारत सरकार उक्त वर्णित परियोजना से विद्युत की हिस्सेदारी से संबंधित मामले को विचारार्थ सर्वोच्च न्यायालय को भेजेगी। परियोजनाओं से संबंधित अंत:राज्यीय विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे के लिए 1984 से अनेकों बार औपचारिक और अनौपचारिक विचार-विमर्श हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य, नवंबर, 1966 में हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित जनसंख्या के आधार पर भाखड़ा और ब्यास परियोजनाओं से विद्युत के 2.5% हिस्से की बजाय 7.19% हिस्से का दावा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश भी उसे पहुंचाई गई क्षति के कारण भाखड़ा और ब्यास परियोजनाओं से मुफ्त विद्युत के 12% हिस्से की मांग कर रहा है। इसने वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है जिसमें उक्त दो दावों के संबंध में 2199.77 करोड़ रुपये की राशि के लिए डिक्री की प्रार्थना की है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 133/04]

(2) स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 134/04]

(3) कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 135/04]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभाटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 136/04]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं निम्नलिखित पक्ष सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 137/04]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2001-2002 के लिए हिन्दी के प्रसार तथा विकास को बढ़ावा देने एवं संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए इसके प्रगामी प्रयोग तथा कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में 33वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 138/04]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, कम्बेटाइण्ड हेड कांस्टेबल (मिनिस्टीरियल) तथा सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2004, जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 139/04]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक कमांडेंट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी), भर्ती नियम, 2003 जो 29 नवम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 413 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल समूह ''क'' तथा ''ख'' असैनिक राजपत्रित पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 जो 28 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 140/04]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 46 दसवां सत्र, 1988

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 141/04]

2. विवरण संख्या 46 तेरहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 142/04]

नौवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 53 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 143/04]

दसवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या 51 पहला सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 144/04]

5. विवरण संख्या 47 तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 145/04]

6. विवरण संख्या 44 चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 146/04]

7. विवरण संख्या 36 पांचवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 147/04]

8. विवरण संख्या 44 छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 148/04]

9. विवरण संख्या 40 आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 149/04]

10. विवरण संख्या 34 नौवां सत्र, 19904

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 150/04]

11. विवरण संख्या 30 बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 151/04]

12. विवरण संख्या 33 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 152/04]

13. विवरण संख्या 25 पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 153/04]

ग्यारहवीं लोक सभा

14. विवरण संख्या 31 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 154/04]

15. विवरण संख्या 26 छठा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 155/04]

बारहवीं लोक सभा

16. विवरण संख्या 32 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 156/04]

17. विवरण संख्या 26 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 157/04]

18. विवरण संख्या 27 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 158/04]

तेरहवीं लोक सभा

19. विवरण संख्या 26 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 159/04]

20. विवरण संख्या 26 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 160/04]

21. विवरण संख्या 21 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 161/04]

22. विवरण संख्या 20 पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 162/04]

23. विवरण संख्या 19 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 163/04]

24. विवरण संख्या 17 सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 164/04]

25. विवरण संख्या 14 आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 165/04]

26. विवरण संख्या 12 नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 166/04]

27. विवरण संख्या 9 दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 167/04]

28. विवरण संख्या 7 ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 168/04]

29. विवरण संख्या 5 बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 169/04]

30. विवरण संख्या 2 तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 170/04]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं मोहम्मद अली अशरफ फातमी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 171/04]

(3) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 172/04]

(5) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 173/04]

(7) (एक) औरोविले फाउण्डेशन, औरोविले के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविले फाउण्डेशन, औरोविले के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरोविले फाउण्डेशन, औरोविले के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 174/04]

(9) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना तथा उन्हें बनाये रखना) विनियम, 2003 जो 27 दिसम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 52 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विनिर्दिष्ट व्यावसायिक कार्यक्रम में प्रवेश) अंतरिम विनियम, 2003 जो 10 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 2 में प्रकाशित हुए थे।

(10) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 5, जो 31 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित उपाधियों की नाम पद्धति को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 175/04]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 1)-संघ सरकार के लेखे।

(2) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 2)-संव्यवहार लेखापरीक्षा संप्रेक्षण।

(3) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 3)-कार्य निष्पादन का मूल्यांकन।

(4) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 4) (सिविल)-स्वायत्तशासी निकाय।

(5) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 5)-(वैज्ञानिक विभाग)।

(6) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 6) (रक्षा सेवाएं)—सेना और आयुध कारखाने।

(7) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 7) (रक्षा सेवाएं)—वायु सेना और नौसेना।

(8) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 10) (अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)।

(9) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 11) (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)।

(10) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 12) (प्रत्यक्ष कर)।

(11) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 13) (प्रत्यक्ष कर)-प्रणाली का मूल्यांकन।

(12) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 14)—कार्य निष्पादन का मूल्यांकन।

(13) मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2004 का संख्यांक 15)—कार्य निष्पादन का मूल्यांकन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 176/04]

(2) वर्ष 2002-2003 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखे (डाक सेवाएं)-की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 177/04]

(3) वर्ष 2002-2003 के लिए संघ सरकार की रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे-की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 178/04]

(4) वर्ष 2002-2003 के लिए संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल)-की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 179/04]

(5) वर्ष 2002-2003 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 180/04]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 181/04]

अपराह्न 12.02 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से तीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:-

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से तीस सदस्यों को 30 अप्रैल,

2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभी को सूचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हों तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से पन्द्रह सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 301ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से बीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से बीस सदस्यों को 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 2(1) (19) तथा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 2(1) (19) तथा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उस विश्वविद्यालय के किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय अथवा संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5(2)(ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में चार वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) राजघाट समाधि समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4(1)(घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए, राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4(1)(घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए, राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(आठ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खण्ड 1 (24) तथा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 14 के खण्ड 1 (24) तथा 2 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

(नौ) राजभाषा समिति

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): महोदय, श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु इस समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा करने हेतु इस समिति के सदस्य बनने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसरण में, इसके बारे में सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर आता हूं। प्रो. रासा सिंह रावत, यदि आप वहां जा सकते हैं तो आप बोल सकते हैं अन्यथा नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम उनको बोलने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने उनको बुलाया है, वे आपकी पार्टी के हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब तक माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस नहीं जाते, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): महाराष्ट्र के सूखे के बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी सदन में बयान दें। *...(व्यवधान)* महाराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा है, उस पर हम माननीय प्रधान मंत्री जी का बयान सदन में चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को विवश नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपका हाउस है नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रधानमंत्री को आने के लिए विवश नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रो. रासा सिंह रावत को अपने विचार रखने को कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष जी, राजस्थान आज भयानक सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। राजस्थान के करोड़ों लोगों ने मेहनत करके इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया। *...(व्यवधान)* नहर का पानी रोक दिया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्राइम-मिनिस्टर साहब को आने के लिए हम कम्पैल नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहे हैं आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे एक महत्वपूर्ण विषय को उठा रहे हैं।

अपराह्न 2.14 बजे

(इस समय श्री प्रकाश परांजपे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. रासा सिंह रावत क्या आप अपने मुद्दे को उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी व्यक्ति को विवश नहीं कर सकता। आप मुझे वह नियम दिखाइये जिसके अंतर्गत मैं उन्हें विवश कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। वे प्रधानमंत्री को आपकी भावनाओं से अवगत करा देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अनुवाद]

[श्री गिरिधर गमांग पीठासीन हुए]

सभापति महोदयः अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, महाराष्ट्र के सूखे के बारे में प्रधान मंत्री जी सदन में बयान दें। *...(व्यवधान)* आज वहां किसान तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। *...(व्यवधान)* इसके लिए महाराष्ट्र को एक पैकेज दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में सिंचाई हेतु वर्षा जल संचयन तकनीक को स्थापित करने के लिए किसानों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी (नांदयाल): महोदय, आंध्र प्रदेश में विशेषकर रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

इसके बहुत ज्यादा कारण नहीं हैं। किसान पिछले तीन वर्षों से सूखे की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यद्यपि इन क्षेत्रों में सामान्य वर्षा हो रही है। परन्तु वर्षा का वितरण ठीक नहीं है, जिसके कारण यह विनाश हो रहा है। सामान्यतः एक फसल को चार अथवा पांच बारिश की आवश्यकता होती है। इन्द्र देवता केवल तीन अथवा चार बार ही बारिश कर रहे हैं। एक अथवा दो कम बारिश होने से भारी वित्तीय क्षति हो रही है। इसलिए किसानों को फसल बचाने के लिए एक अथवा दो बार सिंचाई की आवश्यकता है।

सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसानों को जल संचयन करना चाहिये और आवश्यकता के समय के लिए इसका भंडारण करना चाहिये। किसानों को अपनी कुडप्पा स्लेब वाली भूमि का दस प्रतिशत हिस्सा पोलीथीन/सीमेंट बिछे गड्ढों में वर्षा जल संचयन के लिए निर्धारित करना चाहिए।

इस जल का फुहारानुमा यंत्र की सहायता से फसलों में छिड़काव किया जा सकता है और पूर्ण तथा निश्चित उपज पाई जा सकती है।

सभापति महोदयः श्री अवतार सिंह भडाना।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदयः अभी नियम 377 के अधीन मामले चल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

(दो) बिहार के हाजीपुर में पासवान चौक तथा मुसरीघरारी बरास्ता जंदाहा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत के कार्य को शुरू करने तथा बाया और नून नदियों पर बने पुलों को भी मजबूत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, बिहार में हाजीपुर स्थित पासवान चौक से जन्दाहा होते हुए मुसरीघरारी जाने वाली सड़क, जो मेरी जानकारी के हिसाब से पहले आर.ई.ओ., बिहार की सड़क थी, 2001 में उसे राष्ट्रीय राजमार्ग ने अधिग्रहण कर लिया था। वह आज तक जर्जर बनी हुई है। उस सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है। रास्ते में दो नदियां क्रमशः बाया नदी और नून नदी पर बने हुए पुल जर्जर स्थित में हैं जो कभी भी टूट जाने की स्थिति में हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उक्त सड़क और पुलों की तत्काल मरम्मत करायी जाए एवं स्थायी निर्माण की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करायी जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: नियम 377 के अधीन आज के शेष मामलों को सभा पटल पर रखा माना जायेगा।

...(व्यवधान)

(तीन) हरियाणा के फरीदाबाद तथा मेवात क्षेत्रों में अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के कारण किसानों को हो रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री अवतार सिंह भड़ाना** (फरीदाबाद): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद और उसके मेवात क्षेत्र में सिंचाई जल की गंभीर समस्या है। वहां न तो आगरा नहर का पानी पहुंच रहा है और न गुड़गांव नहर का। गुजरे सालों में इस इलाके को बेरोकटोक आगरा नहर से पानी मुहैया कराया जाता था। मगर पिछले कुछ सालों से कभी इस नहर से पानी या तो पूरी तरह रोक दिया जाता है या बहुत कम मात्रा में छोड़ा जाता है। नतीजन वहां पानी की बेहद कमी से फसलों और पशुधन की भारी हानि हो रही है। इससे वहां के किसान बहुत गुस्से में हैं और यहां तक कि कानून व्यवस्था को भंग कर आगरा नहर को तोड़ने पर आमदा हो गये हैं। अत: मेरा जल संसाधन मंत्री से अनुरोध है कि वह आगरा नहर से फरीदाबाद-मेवात क्षेत्र को पर्याप्त जल मुहैया कराने के लिए शीघ्र जरूर व्यवस्था करें और हरियाणा के हित में केन्द्र की नदियों को जोड़ने की स्कीम को अमली जामा पहनाने पर विचार करें।

(चार) गुजरात में सहकारी बैंकों के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री दिनशा पटेल** (कैरा): मधुपुरा सहकारी बैंक घोटाले के पश्चात् गुजरात में काफी संख्या में सहकारी बैंक कमजोर हो गये हैं। कई कारोबारों और उद्योगों को काफी हानि हुई है साथ ही निवेशकों को भी काफी क्षति हुई है। मैं सरकार से पीड़ितों को सहायता देने और कमजोर बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक पैकेज दिये जाने का आग्रह करता हूं।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(पांच) तमिलनाडु के पेरियाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंडीपट्टी क्षेत्र में असुरक्षित पेयजल के परिणामस्वरूप व्याप्त बीमारियों का अध्ययन करने हेतु एक केन्द्रीय चिकित्सा दल को तैनात किए जाने की आवश्यकता

***श्री जे.एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम): महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम संख्या 25 के अंतर्गत तमिलनाडु के थेनी जिले के अंडीपट्टी, सेदापट्टी क्षेत्र में उपलब्ध पेयजल बहुत ही अस्वास्थ्यकर और उपयोग हेतु सर्वथा अनुपयुक्त है। इस पानी में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है इसके परिणामस्वरूप युवा लोगों एवं बच्चों के दांत काफी कम आयु में ही खराब हो रहे हैं और उनकी दृष्टि भी कमजोर हो गयी है जिससे उन्हें छोटी आयु में ही चश्मा लगाना पड़ रहा है। खराब हालात एवं पेयजल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण लोगों को 2-3 कि.मी. दूर वरासुनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में पीने का पानी लाने जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में फैली बीमारियों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए वहां चिकित्सकों और विशेषज्ञों का एक दल भेजा जाये तथा इस क्षेत्र के लोगों हेतु सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष व्यवस्था की जाए।

(छह) उत्तर प्रदेश के महाराजगंज को नेपाल से आरंभ होने वाली नदियों के बाढ़ के पानी से बचाए जाने के लिए नदियों पर तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री पंकज चौधरी** (महाराजगंज, उ.प्र.): महोदय, हमारे निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज में अनेक नदियां नेपाल से प्रवेश करती हैं। लेकिन बाढ़ आ जाने के कारण इन नदियों का पानी महाराजगंज में प्रवेश कर जाता है, जिससे फसल आदि को भारी नुकसान होता है और बड़ी संख्या में मवेशी बाढ़ में बह जाते हैं। यदि महाराजगंज में नदियों के पाट को चौड़ा कर दिया जाये और नदियों पर तटबंध बना दिये जायें तो नेपाल से प्रवेश करने वाली नदियों के पानी का सदुपयोग किया जा सकता है और महाराजगंज को बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सकेगा।

अत: सरकार से अनुरोध है कि महाराजगंज में नदियों पर शीघ्र ही पक्के तटबंध लगाये जायें तथा नदियों के पाट को चौड़ा किया जाये ताकि बाढ़ के कारण महाराजगंज को होने वाली भारी क्षति से बचाया जा सके और बाढ़ के पानी का सदुपयोग किया जा सके।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(सात) मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक बाईपास का निर्माण करने तथा शाजापुर से देवास के बीच की सड़क को चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता

***श्री थावरचन्द गेहलोत** (शाजापुर): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-3, जो आगरा से मुम्बई जाता है, की मध्य प्रदेश में शाजापुर से देवास के बीच में जर्जर स्थिति है। मार्ग अत्यधिक संकरा है तथा पुल-पुलियायें अत्यधिक संकरी व जर्जर स्थिति में हैं। सड़क पर अत्यधिक गड्ढे पड़े हैं। अनेक बार अनुरोध करने पर सड़क को ठीक करने का काम किया, किंतु सड़क की हालत अभी भी खराब है। आवागमन की भारी आवाजाही और भारी वाहनों के अत्यधिक संख्या में आने-जाने के लिए इस मार्ग को शाजापुर से देवास तक फोर लेन बनाने तथा शाजापुर में बाईपास बनाने की आवश्यकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त कार्य करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(आठ) उड़ीसा राज्य में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत सुकीन्दा और डुबरी क्रासिंग के बीच सड़क की हालत में सुधार लाने तथा पानीकोइली और बरबिल के बीच की सड़क को चार लेनों वाला बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री अनन्त नायक** (क्योंझर): पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य के भीतरी भाग, जो कि लौह अयस्क, क्रोम अयस्क जैसे खनिज संसाधनों से भरपूर है विशेषकर गंधार्मर्दन, जोडा, बरबिल क्षेत्रों व सुकीन्दा घाटी की आवश्यकताओं का प्रबन्धन करता है। पानीकोइली और बारबिल के बीच की दूरी 190 कि.मी. है तथा सुकीन्दा और डुबरी फाटक के बीच की दूरी 42 कि.मी. है। यह सड़क बड़ी खराब हालत में है इसे शीघ्र उन्नत किये जाने और इसमें सुधार करके इसे कम से कम चार लेन का बनाये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन एच ए आई) ने हाल ही में पारादीप पत्तन की सम्पर्कता बढ़ाने के लिए, चांदी खोले से पारादीप तक राष्ट्रीय राजमार्ग-5ए को चार लेनों वाला बनाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-5ए को चार लेनों वाला बनाने से पत्तन सम्पर्कता परियोजना की समस्या का संतोषजनक हल नहीं होता क्योंकि इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से खानों को जोड़ने वाली सड़क का उन्नयन भी आवश्यक है ताकि पत्तन और राज्य के भीतरी भाग में स्थित खानों हेतु सड़क सम्पर्क प्रदान किया जा सके।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सुकीन्दा से डुबरी फाटक तक सड़कों का उन्नयन किया जाए तथा चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत पानी कोइली से बरबिल के बीच की सड़क को चार लेनों वाला बना दिया जाए।

(नौ) देश में अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैंटीन तथा चिकित्सा सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** (अल्मोड़ा): महोदय, उत्तरांचल सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहां से सेना व अर्द्ध सैनिक बलों में भारी संख्या में लोग सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होकर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं।

सेवा के दौरान अर्द्धसैनिक बलों को सेना के जवानों के समकक्ष कैंटीन, चिकित्सा, आवास आदि की सुविधा प्राप्त रहती है। लेकिन सेवानिवृत्ति के उपरांत भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन, चिकित्सा आदि की सुविधा तो यथावत मिलती है लेकिन अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व जवानों को यह सुविधा नहीं दी जाती है। इस कारण अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व जवानों के मन से इस भेदभाव को लेकर असंतोष व्याप्त है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले में विशेष रुचि लेकर अर्द्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिक बलों के भूतपूर्व जवानों को भी भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों के समकक्ष कैंटीन, चिकित्सा आदि की सुविधा प्रदान करें।

(दस) देश में विशेषकर केरल में छोटी नावों के मालिकों को बीमा कवर उपलब्ध कराये जाने के लिए आई.आर.डी.ए. नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री अब्दुल्लाकुट्टी** (कन्नानौर): महोदय, मैं आज आपके माध्यम से इस सभा का ध्यान एक ज्वलंत मुद्दे अर्थात् छोटी नाव के मालिकों को बीमा सेवा उपलब्ध कराये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

आदरणीय महोदय, हमारे देश में बड़े जहाजों, घरों, वाहनों आदि का बीमा कराया जाता है परन्तु आई.आर.डी.ए. नियमों में कमियों के कारण छोटी नाव के मालिकों को इस अधिकार से वंचित रखा हुआ है। यहां तक कि अंग्रेजों के समय में भी लोग इन छोटी नावों में यात्रा करते थे लेकिन अब इन लोगों की उपेक्षा की जा रही है।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

अतएव, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि नावों/जहाजों के बीमा से संबंधित नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इन छोटी नाव के मालिकों/मछुआरों को भी बीमा का लाभ प्रदान किया जा सके और आने वाले वर्षों में उनका जीवन खुशहाल हो सके।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश राज्य के गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि के निपटान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्रीमती जयाप्रदा** (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, देश में गत वर्षों से लगातार चीनी का उत्पादन कम होता आ रहा है। इसके कारण चीनी के उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि होती जा रही है। गत छः माह के दौरान चीनी 13 रुपया से 16 रुपया प्रति किलो पहुंच गयी है। दूसरी ओर उत्पादन में भी कमी आती जा रही है। 2003-04 में चीनी 140 लाख टन उत्पन्न की गयी है जबकि 2002-2003 में 201 लाख टन थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2002-2003 में 56 लाख टन चीनी उत्पन्न की गयी थी, जो 2003-04 में केवल 46 लाख टन रह गयी, जबकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक प्रदेश है। चीनी पिरायी उद्योग की इस अस्थिरता का सबसे बुरा प्रभाव गन्ना उत्पादन किसानों पर होता है, उन्हें दोनों प्रकार से हानि सहनी पड़ती है। अधिक उत्पादन खेतों में जलाना पड़ता है और कम उत्पादन उनका बकाया, चीनी मिलों पर बन जाता है। उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसान का आज भी सैंकड़ों करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया पड़ा है।

अतः मेरा आग्रह है कि सरकार तत्काल 522 करोड़ रुपया, जो उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित है, रिलीज करे ताकि गन्ना उत्पादकों को उनका भुगतान चीनी मिलों द्वारा हो जाये।

(बारह) उत्तर प्रदेश के बांदा और फतेहपुर जिलों में दूरभाष सेवाओं के उचित रूप से कार्य करने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

***श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद** (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, जनपद-फतेहपुर उत्तर प्रदेश, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, जनपद की दूर संचार उपकेन्द्र- फतेहपुर, खखरेडू, अशोधर, धरियांव, ललौली, बिन्दकी, गाजीपुर, हुसैनगंज एवं बांदा जनपद उत्तर प्रदेश की तिंदवारी, चिल्ला, पैलानी, जसपुरा, मटौंध की सब दूरभाष एक्सचेंज प्रायः ठप्प रहता है, जिसके कारण दोनों जनपदों की दूरभाष सेवा से आम जनजीवन प्रभावित रहता है। रोजमर्रा व व्यापार में लगे जन जीवन सबसे ज्यादा प्रभावित है। जनपद-फतेहपुर की हालत इतनी खराब है कि अगर विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, तो जनपद की संचार सेवा घंटों बाधित रहती है।

अतः मैं माननीय संचार मंत्री से मांग करता हूं कि जनपद-बांदा व जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश की दूरभाष सेवा नियमित बहाल रहे। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि सामान्य जन जीवन को अपनी दूरभाष सेवा का लाभ मिल सके।

(तेरह) महाराष्ट्र में पुणे और नासिक के बीच रेल लाइन के निर्माण की अर्थक्षमता के निर्धारण के लिए पुनः सर्वेक्षण कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

***श्री अधलराव पाटील शिवाजी** (खेड़): महोदय, पुणे और नासिक के बीच लगभग 265 कि.मी. लम्बी रेल लाइन के निर्माण के संबंध में वर्ष 2001 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण पर 1044 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे। लेकिन इस परियोजना का कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया। सर्वेक्षण दल ने अपने प्रतिवेदन में इस रेल लाइन का मार्ग गलत दिखाया है और सिफारिश की है कि इस रेल लाइन पर नकारात्मक आर.ओ.आर. है। इस प्रकार इस रेल लाइन का कार्य स्थगित कर दिया गया। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से इस मांग पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का आग्रह करता हूं। क्योंकि इस रेलवे लाइन से औद्योगिक विकास और मेरे क्षेत्र से कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। इस क्षेत्र में चीनी के बहुत से कारखाने तथा प्याज और आलू का व्यापार भी काफी बड़े पैमाने पर होता है। इन नए मार्गों के प्रारम्भ होने से उन्हें अपने उत्पादों का देश के विभिन्न भागों में परिवहन करने और विदेशों में इनके निर्यात को काफी सहायता मिलेगी। इस नई रेलवे लाइन के पास ही स्थित लेंयाद्री, जो कि एक धार्मिक केन्द्र है, में आने वाले तीर्थयात्रियों को भी लाभ मिल सकेगा।

मैं माननीय रेल मंत्री से एक बार फिर इस मांग पर विचार करने तथा इसके बारे में नया सर्वेक्षण कराये जाने का आदेश देने का आग्रह करूंगा।

(चौदह) दसवीं पंचवर्षीय योजना में चंदौली वन्यजीव अभयारण्य में बाघ परियोजना के प्रस्ताव को शामिल किए जाने की आवश्यकता

***श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** (कराड़): महोदय, चंदौली वन्यजीव अभ्यारण्य कोंकण के निचले क्षेत्र को पश्चिमी महाराष्ट्र के मैदानी क्षेत्र से अलग करता है। यह अभ्यारण्य घने जंगलों से

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील]

घिरा हुआ है। पश्चिमी तरफ प्राकृतिक रूप से ऊंचे पहाड़ों के अवरोध, पानी के स्रोत और वनभूमि होने के कारण अभ्यारण्य के पूर्वी ओर का क्षेत्र बाघ परियोजना के लिए सर्वोत्तम है।

कोल्हापुर डिवीजन के कार्यालय द्वारा वन्यजीवों की जनगणना ने इस क्षेत्र में तीन बाघों की उपस्थिति को दर्शाया है। इस जंगल में मनुष्यों की कोई बस्ती नहीं है। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री श्री टी.आर. बालू ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में चंदौली अभ्यारण्य में बाघ परियोजना के प्रस्ताव को शामिल करने पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

मैं भारत सरकार से तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा दिये गए आश्वासन के अनुसार दसवीं योजना में बाघ परियोजना को सम्मिलित करने का आग्रह करता हूं।

(पन्द्रह) पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले के अजाधैया हिल स्टेशन में एक एच.पी.टी. केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

***श्री वीर सिंह महतो** (पुरुलिया): पश्चिम बंगाल में पुरुलिया झारखण्ड के सेरायकेला और रांची जिलों के अधिकतर बंगाली भाषी लोगों को बंगाली टीवी कार्यक्रम सुनने और देखने का मौका नहीं मिलता है। बंगाली भाषी लोगों की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुरुलिया जिले में बाघमुंडी में एक कम शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्र लगाया गया है। यह केन्द्र पूरे क्षेत्र को कवर नहीं कर सकता है।

पुरूलिया जिले में बाघमुंडी पुलिस स्टेशन में अजाधैया में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर केन्द्र लगाने का प्रस्ताव दिया गया था।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अजाधैया हिल स्टेशन में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाए।

सभापति महोदय: अब हम रेल बजट पर चर्चा संबंधी अगली मद लेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, आप प्रधान मंत्री जी से महाराष्ट्र में सूखे के कारण उत्पन्न स्थिति पर बयान देने के लिए निर्देश करें। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 3.01 बजे

(इस समय श्री श्रीचन्द कृपलानी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अध्यक्ष महोदय: यह बोलने की जगह नहीं है। आप लोग अपनी सीटों पर जाकर बोलें। मैं आपको बोलने के लिये अलाऊ करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी सीटों पर जाकर बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी सूखे के बारे में बयान दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग थोड़ा तो चेयर की रैस्पैक्ट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने-अपने स्थानों पर जाएं। आप जाइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: रेल बजट पर चर्चा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, सारे महाराष्ट्र राज्य में सूखा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम यह फिल्म सारे देश को दिखायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम सुबह से हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। हम सबको मौका देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: गीते जी को मैंने टाइम दिया है, रासा सिंह रावत जी को टाइम दिया, लेकिन ये लोग बोलने नहीं देते। यह क्या कोई बोलने की जगह है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पी.एम. आयेंगे या नहीं आयेंगे, हम नहीं जानते।

[अनुवाद]

यह निर्णय उन्हें ही करना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमारी आपके साथ पूरी सिम्पैथी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी सीटों पर जाइये। ऐसे कोई फायदा नहीं है। आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइये। हम आपको बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को आदेश नहीं दे सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपके साथ सहानुभूति है। कृपया आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राजस्थान के बारे में ये बोलने नहीं देते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सरकार से बोलना है, ठीक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने मुझे सहयोग दिया होता तो मैंने यह कर लिया होता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग पहले अपनी सीट्स पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी सीट्स पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां सीनियर मिनिस्टर्स हैं। आप प्लीज अपनी सीट्स पर वापस जाइए। यह हाउस आपका ही है। अपनी सीट पर जाकर बोलिये। आप लोग अपनी सीट्स पर जाएं। रासा सिंह रावत जी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने मित्रों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं मैं आपको पूरा मौका दूंगा। श्री अनन्त गंगाराम गीते ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। अब मैं राजस्थान से माननीय सदस्यों को मौका देना चाहता हूं। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वरिष्ठ मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं। वे निर्णय लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उनके गलत व्यवहार का अनुसरण मत कीजिए। प्रो. रासा सिंह रावत, क्या आप बोलना चाहते हैं कि नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। मैं सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं करूंगा। आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

[अध्यक्ष महोदय]

आप छः बजे तक कर सकते हैं। जब तक आप अपनी सीट पर वापस नहीं जाएंगे। तब तक मैं सरकार से जवाब देने के लिए नहीं कह सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब सभा "वर्ष 2004-2005 के लिए बजट (रेलवे) पर आगे सामान्य चर्चा" प्रारम्भ करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यदि माननीय सदस्यों के पास लिखित भाषण हैं तो कृपया उन्हें सभा पटल पर रख दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जिन माननीय सदस्यों के पास लिखित भाषण है वे उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आपका काम पूरा हो गया है। हम सभी को बोलने का मौका देंगे। अपनी सीट्स पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पहले आप अपनी सीटों पर जाइए। आप सीट पर क्यों नहीं जाते हैं। क्या बात है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से बोलने के लिए अनुरोध किया है क्या आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप लोगों को अपनी-अपनी सीटों पर जाना होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीतेः प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप आदेश नहीं दे सकते है। मैंने उससे अनुरोध किया है। वह जो बता रहे हैं आप उसे सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया उनकी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। सदन की कार्यवाही को बाधित मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): बिलकुल सुन सकेंगे। *...(व्यवधान)* मेरी आवाज बहुत भारी है, आप सुन सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप उनकी बात से भ्रमित मत होइए। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आपको अपनी सीट पर जाकर बोलना चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको जिम्मेवार होना चाहिए। आप अपनी सीट से बोलिए। यह जगह नहीं है। आपसे यह किसने कहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राजस्थान के बारे में बोलने का मौका दिया है।

...(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य: हमें बोलने नहीं दिया गया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किस ने नहीं बोलने दिया? इन लोगों ने नहीं बोलने दिया। हम क्या करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री गीते जी को बुलाया है। मैंने आपको मौका दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाइए। मैं व्यवस्था बनाता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नौजवान, कृपया अपनी सीट पर जाइए। ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी-अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। आप लोग चिल्लाते क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले, ठीक व्यवहार कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अपराह्न 3.22 बजे

(इस समय श्री श्रीचंद कृपलानी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

श्री गुलाम नबी आजाद: माननीय स्पीकर साहब, यहां दो इशूज हैं। हमारे जो साथी उस तरफ से चर्चा करना चाहते हैं, इस तरफ के साथी भी उस पर चर्चा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ के ही हैं, पूरा सदन उस पर चर्चा करना चाहता है। *...(व्यवधान)* अब सवाल है कि आप जुबान से ज्यादा करते हैं या शांति से करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, एक इशु राजस्थान में पानी की चर्चा के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य सभा में दो बजे स्टेटमेंट दिया है, वे यहां उसके तुरंत बाद स्टेटमेंट देना चाहते थे, लेकिन हाउस तीन बजे तक के लिए एडजर्न हो चुका था, इस कारण वे यहां नहीं दे पाए। वे साढ़े तीन बजे यहां आएंगे और स्टेटमेंट देंगे। जहां तक महाराष्ट्र के किसानों और सूखे का संबंध है, सूखे से पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वैसे तो पूरा देश सूखे से प्रभावित हुआ है, लेकिन यहां सुबह से महाराष्ट्र के बारे में विशेष रूप से माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं। हम सब, चाहे उस तरफ के हों, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, पूरे देश और विशेष रूप से उड़ीसा की सूखे की स्थिति पर हम माननीय प्रधान मंत्री से वक्तव्य चाहते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले बैठ जाइए। हमें जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या बात है?

...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद: आप सुबह से हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* आपने समझा नहीं, मैंने कहा कि सूखे से पूरा देश प्रभावित हुआ है। मैंने विशेष रूप से कहा कि महाराष्ट्र के साथी सुबह से ज्यादा एजिटेट हो रहे हैं। पूरा देश इससे प्रभावित हुआ है, इस बारे में इस तरफ और उस तरफ के सभी माननीय सदस्य बराबर चिंतित हैं तथा पूरा देश चिंतित है। आपकी और पूरे सदन की जो भावना है, उसकी कद्र करते हुए सरकार अगले एक-दो दिन में इस पर वक्तव्य देगी। ...*(व्यवधान)*

श्री चंद्राकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): इस विषय पर पीएम बोलें। ...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: पीएम भी सरकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: महाराष्ट्र के सूखे के बारे में प्रधानमंत्री जी सदन में बयान दें। ...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: सरकार अगले दो-तीन दिन में इस पर अपना वक्तव्य देगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपराह्न 3.30 बजे प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: इस देश को जो एक-तिहाई राजस्व देता है, उस महाराष्ट्र के बारे में सरकार का यह रवैया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र की दस करोड़ जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया इंतजार करिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महाराष्ट्र सूखे से पीड़ित है। ...*(व्यवधान)* किसान सूखे से पीड़ित हैं और प्रधानमंत्री जी सदन में बयान नहीं देंगे। ...*(व्यवधान)* क्या प्रधानमंत्री जी सदन में बयान नहीं दे सकते? यह महाराष्ट्र के साथ क्या मजाक है, महाराष्ट्र की 10 करोड़ जनता के साथ मजाक है। ...*(व्यवधान)* आप क्या चाहते हैं कि जो एक तिहाई राजस्व देता है, उसे पैसा न देकर तीन हजार करोड़ रुपया आपने बिहार को देने की घोषणा की है। ...*(व्यवधान)* यदि वह देना है तो महाराष्ट्र को भूखा रखो, जो पैसा महाराष्ट्र दे रहा है। जब महाराष्ट्र रेवेन्यू देगा, तब आपको मिलेगा। ...*(व्यवधान)* हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दीजिए। अगर महाराष्ट्र जिंदा रहेगा, तो राजस्व आपको मिलेगा। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र जिंदा रहना चाहिए, जो एक तिहाई राजस्व देता है। हम इनके विरोध में नहीं हैं। हम आपके विरोध में नहीं हैं, हम किसी के विरोध में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* हम विरोध में नहीं हैं, आप सुन लीजिए। पैकेज आपको दिया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दो नेता एक साथ बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: महाराष्ट्र को इस सरकार ने आते ही, पहले महीने में ही पांच सौ करोड़ रुपये का पैकेज दिया। दो सौ करोड़ रुपया कैश दिया और तीन सौ करोड़ रुपये का अनाज दिया। मैं यह नहीं कहता कि यह काफी है, लेकिन यह भी कहना गलत है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सदन को गुमराह किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी सदन में कहें। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है ...*(व्यवधान)*

श्री चंद्रकांत खैरे: एक पैसा भी महाराष्ट्र को नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं। श्री अनंत गंगाराम गीते, आप अपने राज्य की सेवा नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही कह चुके हैं कि वे एक-दो दिन में इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हैं। कृपया उसका इंतजार कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सरकार हर राज्य को पैसा दे दे। लेकिन हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। अध्यक्ष जी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, सरकार जो भी चाहे, किसी की मदद करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम उसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र एक तिहाई राजस्व देता है *...(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: प्रधान मंत्री जी बयान दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किसे सुनेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे बताइए कि मुझे किसकी बात सुननी चाहिए?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम यह नहीं कर रहे हैं कि उनको न दें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने बोला है, आप सुनते क्यों नहीं हैं। गीते जी, सुनिये न।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। आप तो स्पीकर नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण (सिद्दीपेट): अध्यक्ष महोदय, अब पूरे देश को इस बात की जानकारी है कि वे इस सम्माननीय सभा की कार्यवाही में किस प्रकार बाधा डाल रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। मैं अधिक बोलने वालों को अनुमति नहीं दूंगा। इसे स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा में व्यवस्था बनाये रखने का काम मेरा है न कि आपका। इसलिए, कृपया मर्यादित व्यवहार कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जहां तक महाराष्ट्र की बात है।

...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवणकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न व्यवस्था से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यहां कोई कार्य नहीं हो रहा है, सभा में मात्र अव्यवस्था है। अत: , कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय सदस्यों से रेलवे बजट संबंधी चर्चा पर लिखित वक्तव्य रखने के लिए कहा है *...(व्यवधान)* इसका मतलब सभा का कार्य हो रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जहां तक महाराष्ट्र की बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सभा क्या बनती जा रही है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राजस्थान के विषय में माननीय मंत्री जी द्वारा यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी शीघ्र ही वक्तव्य देने वाले हैं।

जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, सरकार ने बताया है कि एक दो दिन में वे वक्तव्य देंगे। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि इस विषय पर वक्तव्य कौन देगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने अनुरोध कर दिया है और अब इस विषय में निर्णय लेना पूर्णतया सरकार पर है।

इसलिए, आपको वक्तव्य सुनने को मिलेगा। कोई भी पूर्वानुमान मत करिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे एक मिनट दीजिए। हम यह नहीं कह रहे कि प्रधान मंत्री जी अभी स्टेटमैंट दें। हम यह कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब है। जो महाराष्ट्र एक तिहाई राजस्व देता है, उस महाराष्ट्र के सूखे के संदर्भ में, सात करोड़ किसानों के भविष्य के बारे में राज्य सरकार ने 1700 करोड़ रुपये की मांग की है, उसके संबंध में प्रधान मंत्री जी इस सदन में बयान दें, यह हमारी मांग है। हम यह नहीं कर रहे कि वे अब स्टेटमैंट दें, कल दें लेकिन प्रधान मंत्री जी बयान दें। यदि महाराष्ट्र के बारे में प्रधान मंत्री जी बयान नहीं देना चाहते तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र राज्य के बारे में इस सकार का सौतेलेपन का व्यवहार है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप पूर्वानुमान क्यों लगा रहे हैं? सरकार को निर्णय लेने दीजिए। क्या आप एक दो दिन इंतजार के लिए तैयार हैं? श्री प्रभुनाथ सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? श्री गीते, कृपया बैठ जाइए। हमें महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, हमारी कोई गलत मांग नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गीते जी, आप बैठिये।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि सुबह से यह सदन अव्यवस्थित है। श्री अनंत गंगाराम गीते जी बोल रहे थे कि बिहार को 3225 करोड़ रुपया मिल गया लेकिन महाराष्ट्र को नहीं मिला। हम श्री अनंत गंगाराम गीते जी से आग्रह करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए आप केन्द्र सरकार से सारा धन ले लीजिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अभी दो दिन पहले इसी सदन में एक सवाल उठाया था, श्री नीतीश कुमार जी ने भी उठाया था कि जो 3225 करोड़ रुपया बिहार को मिला है, वह बिहार के साथ अन्याय हुआ है। हम वित्त मंत्री जी से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहते हैं। अभी तक वित्त मंत्री जी का स्पष्टीकरण नहीं आया है। बार-बार इस सदन के माध्यम से देश को बताया जा रहा है कि बिहार को 3225 करोड़ रुपया मिला है। *...(व्यवधान)* इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप बिहार के सवाल पर वित्त मंत्री जी से इस सदन में स्पष्टीकरण दिलवायें कि 3225 करोड़ रुपया बिहार को उन्होंने अतिरिक्त दिया है या पहले जो 4 हजार करोड़ रुपया स्वीकृत था, उसके अंदर दिया है ताकि बिहार की जनता के मन में जो संशय है, वह संशय दूर हो सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तांत में जा रहा है। अब, हम रेलवे बजट को लेते हैं। मैं श्री हेमलाल मुर्मू को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(इस समय श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं? मैंने उनसे अनुरोध किया है और उन्होंने वक्तव्य दे दिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि वे वक्तव्य देंगे। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने प्रधान मंत्री जी से नहीं कहा। वे लोग तय करेंगे कि कौन भाषण देगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे साढ़े तीन बजे कैसे आयेंगे। क्या यहां बैठने से आयेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उन पर निर्भर है। मैं उनका एजेन्ट नहीं हूं। यह प्रधानमंत्री पर है। ठीक है, यदि आप सभा को नहीं चलने देना चाहते हैं, तो लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो मैं उन्हें अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें बुलाया है, मैंने उनसे अनुरोध किया है और उन्होंने वक्तव्य दिया है। आप निर्देश नहीं दे सकते हैं; मुझे कोई भी निर्देश नहीं दे सकता है। मुझे निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): अपराह्न 3.30 बज चुके हैं। महोदय, प्रधानमंत्री जी कहां हैं? आपको संसद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य जानबूझ कर अध्यक्ष की अवज्ञा करते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना मेरा दायित्व नहीं है।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कोई भी आपकी अवज्ञा नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। सुबह से हाथ जोड़कर मैं अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय सदस्यों अध्यक्ष को सहयोग करें। मैंने माननीय सदस्यों को बुलाया और उन्हें बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं प्रधानमंत्री जी को निर्देश नहीं दे सकता हूं। इसका निर्णय उन्हें करना है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: उन्होंने स्पष्ट तौर पर आश्वासन दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। प्रधानमंत्री जी यहां हैं। कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही चलने से पूर्व अपनी-अपनी सीटों पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह इलैक्शन के लिए नाटक चल रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, जब प्रधानमंत्री जी राजस्थान पर वक्तव्य दे रहे हैं, तो वे महाराष्ट्र के संबंध में भी वक्तव्य दे सकते हैं *...(व्यवधान)* वह भी महत्वपूर्ण है। यह महाराष्ट्र के किसानों से संबंधित है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी सीटों पर जाइये। सभा के कुछ नियमों के पालन का प्रदर्शन किया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देने के लिए आये हैं। क्या आप प्रधानमंत्री को सभा में अपना वक्तव्य नहीं देने देंगे? सभा में इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। आप सुबह से ही अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पूरे अवसर दिये हैं। मैंने आपको नियंत्रण से बाहर जाने के पूरे अवसर दिये हैं। मुझे मत सिखाइये।

अब प्रधानमंत्री महोदय।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हाउस व्यवस्थित नहीं है। प्रधानमंत्री स्टेटमैंट कैसे दे सकते हैं। पहले हाउस को व्यवस्थित कीजिए. ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं चाहता हूं कि देश देखे कि सभा की कार्यवाही किस प्रकार से चल रही है। जब देश के प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो लोगों को देखने दिया जाये कि क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री गीते, क्या आप अपने उत्तरदायित्वों का प्रदर्शन कर रहे हैं? आप एक महत्वपूर्ण पार्टी के नेता हैं। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रधानमंत्री को आदेश नहीं दे सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के बीच में खड़े सदस्यों के द्वारा कही गयी किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जब तक माननीय सदस्य अपनी सीटों से नहीं बोलते कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। बीच में खड़े सदस्यों द्वारा कही गयी किसी भी बात को कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

कृपया आप अपनी सीट पर वापस जायें आपके द्वारा कही गयी बात को सभा की कार्यवाही में शामिल किया जायेगा। आप यहां क्यों खड़े हैं? जबकि मैं बार-बार आपसे अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह कर रहा हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

[हिन्दी]

(इस समय अनंत गंगाराम गीते तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

...*(व्यवधान)*

श्री चंद्रकांत खैरे: अगर महाराष्ट्र के बारे में नहीं बोला गया तो हम फिर वापिस आ जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह थ्रैट करके क्या होगा। थ्रैट मत दीजिए। मत दीजिए धमकी। यह भारत की संसद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है मैं कुछ टिप्पणी करूंगा कृपया आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर महाराष्ट्र के बारे में बयान दें...*(व्यवधान)* हम यह नहीं कह रहे हैं कि बयान अभी दें। कल दें, परसो दें, या कभी भी दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात रिकार्ड हो गयी है। उन्होंने सुन लिया है। अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

हमें कुछ सम्मान का प्रदर्शन करना चाहिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: ठीक है, फिर हम वैल में आकर बैठ जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.40 बजे

(इस समय श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इन्कार नहीं किया है। कुछ टिप्पणी के लिए अवसर मिलेगा। सभा की कार्यवाही में व्यवधान ना डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिए। आप लोग अपनी सीटों पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपनी सीटों पर जाइये। कृपया अपनी सीटों पर बैठें।

[हिन्दी]

आप लोग अपनी सीटों पर जाकर बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कृपया शांत रहें और अपनी सीट पर जाएं। मैंने आप में से किसी को बोलने को नहीं कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. एम. जगन्नाथ, अपनी सीट पर जाइये। यह क्या है? हर कोई सभा के बीच में आकर बोल रहा है। आप एक दल के नेता हैं, कृपया अपनी सीट पर जाइए। मैंने आपसे आग्रह किया है। मैंने श्री गीते को अनुमति दी और वे अपना आग्रह कर चुके हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री को सुना जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हैं? आप बैठ जाइए। संसद में इस प्रकार का व्यवहार करना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीटों पर जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि हर कोई अध्यक्षपीठ की अनदेखी और अवज्ञा करेगा, तो इससे सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। इस देश के लोगों को तय करने दिया जाए कि क्या किया जाना चाहिये। मैं पुन: आप से आग्रह करता हूं कृपया शांत रहें। मैं आप से हाथ जोड़कर बार-बार यही प्रार्थना कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने पहले ही कुछ माननीय सदस्यों को बोले की अनुमति दे दी है। मैंने कुछ और माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है परन्तु कुछ विपक्ष के माननीय सदस्य उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रधान मंत्री एक महत्वपूर्ण विषय पर वक्तव्य देने आए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर आपने प्रधानमंत्री को अनुरोध किया है। कृपया प्रतीक्षा करें। मैं भी कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। क्या आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले? क्या राजस्थान का विषय महत्वपूर्ण नहीं है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका भी एक महत्वपूर्ण विषय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने पहले श्री अनंत गीते को बुलाया और उनसे आग्रह किया।

अपराह्न 3.43 बजे

(इस समय श्री अनंत गंगाराम गीते और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी जिम्मेदार संसद सदस्य हैं। लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आपका चुनाव किया है। सभा की कार्यवाही समुचित रूप से चले, मैं इसका प्रयास कर रहा हूं। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। मैं सभा के नेता से आग्रह करता हूं कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें। देश के प्रधानमंत्री को कृपया यथोचित सम्मान दें।

श्री रामदास बंदु आठवले: महोदय, हम आप के साथ सहयोग करने के लिए ही आए हैं।

अध्यक्ष महोदय: शांत रह कर।

अपराह्न 3.44 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

राज्यों के बीच जल बंटवारे से संबंधित मुद्दे का समाधान तलाशना

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों के बीच पानी के बंटवारे से संबंधित हाल की घटनाओं के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं को समझती है। हमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए और संबंधित राज्यों के हितों को देखते हुए इस मामले को हल करने के लिए एक स्थायी समाधान ढूंढना होगा।

इसलिए, मैंने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया है ताकि इस समस्या का सौहार्दपूर्ण हल निकाला जा सके।

संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं ने भी आज सुबह मुझसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी गंभीर चिंता से अवगत कराते हुए मुझे इस मुद्दे का हल निकालने में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप संतुष्ट हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया मेरी टिप्पणी की प्रतीक्षा करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): इसमें महाराष्ट्र का कोई जिक्र नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप केवल महाराष्ट्र के बारे में चिंतित हैं। मैं भी महाराष्ट्र के बारे में उतना ही चिंतित हूं। यह देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के हर हिस्से को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने पहले ही सभा को आश्वासन दिया है कि एक या दो दिन में महाराष्ट्र की स्थिति पर वक्तव्य दिया जायेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रावले, आपने मुझे कुछ आश्वासन दिया था और आप उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं, सभा के नेता यहां उपस्थित हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी यहां पर उपस्थित हैं।

आपने सदस्यों की समस्याओं को सुना है। उनके आग्रह पर निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण रूप से आप पर है। आप जो उचित समझे वो निर्णय ले सकते हैं। परन्तु उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा जाये। निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण रूप से आप पर है।

डा. मनमोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही सुचारू ढंग से चले, मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूं। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं और उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं स्वयं एक वक्तव्य दूंगा, परन्तु इस विषय के अध्ययन के लिए मुझे कुछ समय चाहिये *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: क्या यह महाराष्ट्र के बारे में है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यस, महाराष्ट्र के बारे में कहा है।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्यों ने हमें बता दिया होता कि

वह केवल प्रधान मंत्री से यह वक्तव्य चाहते हैं तो सुबह से अब तक समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। सुबह से ही मैं यहां बैठा हूं और सभी एक साथ बोल रहे थे। मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि वे क्या चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आशा करता हूं कि आपको अध्यक्षपीठ से भी सहानुभूति होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह वक्तव्य देंगे। लेकिन उससे पहले वह मामले का उचित रूप से अध्ययन करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दल्ली): प्रणव मुखर्जी साहब का स्टेटमेंट ठीक नहीं है। यह सुबह से ही तय हो गया था ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आपकी टिप्पणी रिकार्ड कर ली गई है।

श्री प्रणव मुखर्जी: सदन का नेता होने के नाते मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे विपक्ष के नेताओं से सूचना मिलनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आज सुबह से ही हम लोग कह रहे है कि प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है प्रत्येक मामले को संतोषजनक ढंग से निपटाया गया है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे: हमारे भी लीडर यहां हैं, उन्होंने कहा था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्य रेल बजट पर चर्चा करने के भी काफी उत्सुक हैं। आज अब मैं आशा करता हूं कि काफी लम्बे समय से चली दो बातों को आज निपटाया गया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम सीधे उन्हें सूचना नहीं दे सकते हैं। ये सूचनाएं आपके माध्यम से ही जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणव मुखर्जी: कोई भी सूचना हमें नहीं मिली थी। यदि हमें मिली होती, तो हमने अविलम्बन उत्तर दे दिया होता।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रधानमंत्री ने यह कहा है।

[हिन्दी]

आपकी मांग मान ली गई है, तब भी आप खुश नहीं है। अब हर मिनट में नई-नई मांग तो नहीं उठाई जा सकती है।

अपराह्न 3.49 बजे

रेल बजट, 2004-05—सामान्य चर्चा और लेखानुदानों की मांगें (रेल) 2004-05

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम बजट (रेल) 2004-05 पर सामान्य चर्चा जारी रखेंगे।

श्री हेमलाल मुर्मू।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू: अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-2005 के रेल बजट पर माननीय रेल मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट ठहरिए। क्या आपे अपना भाषण सभा पटल पर रखा है? क्या आपने कोई वक्तव्य दिया है?

[हिन्दी]

आपने कुछ लिखकर दिया है?

श्री हेमलाल मुर्मू: जी, दिया है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। वही रिकार्ड में जाएगा।

***श्री हेमलाल मुर्मू:** अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-2005 के रेल बजट में झारखण्ड राज्य को रेल विकास से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने के कारण जनता में भारी आक्रोश एवं असंतोष है। अत: जनहित में निम्नलिखित कार्यों को आपके विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं:

1. भागलपुर-रामपुर हाट-जैसीडीह-दुमका रेल मार्ग निर्माण की अपेक्षा।
2. रांची-नयी दिल्ली राजधानी जंक्शन एवं भुवनेश्वर-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि कर प्रतिदिन परिचालन करने की अपेक्षा।
3. वनांचल एक्सप्रेस का नाम परिवर्तन कर झारखंड के महान विभूति सिद्धकान्हू के नाम सिद्धकान्हू एक्सप्रेस करने की अपेक्षा।
4. अप वनांचल एक्सप्रेस की समय सारणी में परिवर्तन कर रांची से प्रस्थान का समय 5 या 6 बजे शाम करने की अपेक्षा।
5. भागलपुर-बड़हड़वा रेल लाइन का दोहरीकरण पीरपैती-हसडीहा वाया गोड्डा करने की अपेक्षा। इसके परिणामस्वरूप गोड्डा जिला को रेल मार्ग से जुड़ने से रेल यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा एवं रेल राजस्व में वृद्धि होगी।
6. विक्रमशीला एक्सप्रेस का विस्तार साहिबगंज तक करने की अपेक्षा।
7. धनबाद एलेप्पी एक्सप्रेस में थ्री टायर वातानुकूलित डिब्बा लगाने की अपेक्षा।
8. रांची-यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस के फेरों में वृद्धि कर प्रतिदिन परिचालित करने की अपेक्षा। इस रेलगाड़ी से अधिकांशत: बीमार एवं विद्यार्थी रेल यात्री यात्रा करते हैं।
9. टाटा-रांची ई.एम.यू. का विस्तार चाकुलिया स्टेशन तक करने की अपेक्षा।
10. दक्षिण-पूर्व रेलवे के घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम) में यात्री आरक्षण पद्धति (पी.आर.एस.) खोलने की अपेक्षा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमें आशा है कि जनभावना के अनुरूप एवं अति लोक महत्व के उपर्युक्त में वर्णित मांगों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने हेतु सक्षम अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, कृपया बैठ जाइए। श्री मोहन सिंह क्या आपने कुछ लिखकर दिया है? ऐसा लगता है वह यहां उपस्थित नहीं हैं। अब श्री मधुसूदन मिस्त्री बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मुर्मू, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री मिस्त्री, क्या आपने कुछ लिखकर दिया है?

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, नहीं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आइये, अब कुछ काम करते हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बजट है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया वे सहयोग दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप आपस में ही बोलते रहेंगे, तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। कृपया आपस में बातचीत मत कीजिए। इस सभा में कुछ अनुशासन और मर्यादा बनाए रखी जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, आपके कहने पर हमने भी लिखकर दे दिया। हम लोगों को मालूम नहीं था कि आप इस पर बहस करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप बैठ जाइये। बाद में देखा जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई सूचना नहीं है। चौधरी लाल सिंह, कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। श्री मधुसूदन मिस्त्री के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाडा): अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर अपनी बात कहने का यह मौका दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आरम्भ में मैं अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की प्रशंसा करना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को अत्यन्त महत्वपूर्ण रेल मंत्रालय जिसका प्रभाव देश के लोगों के जीवन पर पड़ता है का पदभार सौंपा है जो आम आदमी को समझता है और उससे सहानुभूति रखता है।

मैं समझता हूं कि भारतीय रेल पूरे विश्व में सबसे बड़ा एकल नियोक्ता है और भारतीय रेलवे का पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी है। अत: इतने बड़े मंत्रालय का बजट बनाना और उसमें सन्तुलन रखना कोई आसान बात नहीं है जो राष्ट्र की आवश्यकताओं और विभिन्न मागों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

मैं स्वीकार करता हूं कि भारत में लालू जी के बारे में यह माना जाता है कि वह आम लोगों की नब्ज समझने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोरंजन भी करते हैं और सम्मान भी पात हैं। मेरी शंकाए श्री लालू प्रसाद यादव के बारे में उस दिन समाप्त हुई जब एक दिन मुझे माननीय रेल मंत्री जी से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य की लम्बित परियोजनाओं का वर्णन किया गया था और हम सांसदों से अनुरोध किया गया था कि हम उन्हें सम्मिलित किए जाने वाली परियोजनाओं के बारे में बताएं। यह एक अत्यन्त छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि यही मंत्री है जिन्होंने लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया है और यही बात उन्हें सबसे अलग करती है। मैं समझता हूं कि यही भावना माननीय मंत्री के पहले रेल बजट में भी परिलक्षित होती है।

आम आदमी के लिए सरकार की हमदर्दी को परिलक्षित करने वाले बजट को प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए मैं बजट पर अपनी टिप्पणियां और विचार व्यक्त करना चाहता हूं जिसमें राजस्व बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव भी सम्मिलित हैं।

रेल बजट में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए मैं मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं जबकि इसमें कमी यह है कि उन्होंने मंत्रालय का राजस्व बढ़ाने के लिए कोई पहल नहीं की है जोकि विश्व में रेलवे को सबसे अच्छा बनाने की दिशा में किया, जाने वाला पहला कदम होना चाहिए। स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और विशेष रूप से स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई में सुधार के संबंध में किए गए उपायों का मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि सभी भारतीय रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता सुविधाओं में सुधार पर बल देने से आम भारतीय की स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

रेलगाड़ियों में शौचालयों के संबंध में प्रस्तावित सुधार भी स्वागत योग्य उपाय है और मैं समझता हूं कि इसे बड़े पैमाने पर शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

रेलवे स्टेशनों पर व्यक्तियों के संबंध में उठाए कदम भी स्वागत योग्य है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों पर काम करने वाले कर्मचारियों की कार्य स्थिति में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी होगी तो वह अपना कार्य अधिक कुशलता से कर सकेंगे। वह प्रयास रेलवे को विश्व स्तर का बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय यात्रियों की सुरक्षा के बारे में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

यद्यपि विद्यमान सिग्नल प्रणाली में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा हैं मैं समझता हूं कि विद्यमान सिग्नल प्रणाली में उचित रखरखाव और सुधार किए जा सकते हैं जो कि आने वाले वर्ष में अधिक प्रभावी और टिकाऊ साबित होंगे। क्योंकि जनशक्ति की भारत में कोई कमी नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि पुरानी सिग्नल प्रणाली को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए जोकि पूरी तरह से मानव चालित है और रोजगार सृजन में मदद करती है।

अब कुछ सुझाव जिससे रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी।

रेलवे के पास भूमि के रूप में अपार परिसम्पत्ति है जिसे व्यापार के लिए सुविधाजनक ढंग से पट्टे पर दिया जा सकता है और मंत्रालय को काफी अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। मैं समझता हूं कि मंत्रालय को इन परिसंपत्तियों को अधिक परिवर्तित करके और इनमें उद्योग लगाकर साधन सम्पन्न बनाया जाए ताकि व्यक्तियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके अच्छा राजस्व कमाया जा सके। उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के पास की भूमि को ऐसी कम्पनियों को पट्टे पर दिया जा सकता है जो यात्रियों को सस्ता आतिथ्य प्रदान करे जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यह यात्रियों को लाभान्वित करने के साथ-साथ रेलवे के लिए राजस्व अर्जन का स्रोत भी होगा।

आज हम सूचना युग में रहते हैं और युवक अपने जीवन में अवसर की तलाश में रहते हैं। रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने के लिए बजट में वृद्धि की प्रशंसा करते हुए मैं समझता हूं कि बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के लिए इन्टरनेट

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एम.एम. पल्लम राजू]

ब्राउसिंग सेंटर खोलकर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। इससे विशेषकर विद्यार्थियों और बेरोजगार युवकों को लाभ होगा जो नौकरी के लिए हाथ-पैर मार रहे होते हैं। रेलवे के पास पड़ी जमीन का इस महत्वपूर्ण सुविधा के लिए प्रभावशाली रूप में उपयोग किया जा सकता है।

अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर सूचना सेवा की स्थिति दयनीय है जिसका कार्य जनता को जानकारी देना होता है और यह टिकट काउंटर पर कर्मचारियों द्वारा दी जाती है। यदि सूचना प्रदान करने वाले विशेष रोजगार वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल कर किया जाए तो इसमें महत्वपूर्ण सुधार किया जा सकता है। यदि निजी कार्यालयों द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायिकों द्वारा बाहर के लोगों को इसमें जोड़ा जाए तो बेरोजगारों के लिए अतिरिक्त अवसरों के लिए वैकल्पिक गुंजाइश हो सकती है।

भारत को आर्थिक रूप में एक सम्पन्न देश बनाए जाने के अपने प्रयास में राष्ट्र की अवसंरचना का आधुनिकीकरण और इनमें वृद्धि करने के लिए रेलवे सभी पत्तनों पर बुनियादी ढांचा बढ़ाकर सक्रिय भूमिका अदा कर सकती है। पत्तनों से सामान की ढुलाई के कारण कमाया गया अतिरिक्त राजस्व बड़ा राजस्व स्रोत बन सकता है। मेरा यह मानना है कि पत्तनों को जोड़ने के लिए पहले की बात रेलवे द्वारा ही उठाई जानी चाहिए।

रेलवे ने फाइबर ओपटीक केबल नेटवर्क सहित आधुनिकतम संचार अवसंरचना के लिए पर्याप्त निवेश किया है जिससे अतिरिक्त राजस्व कमाया जा सकेगा। कुशल प्रशासन और भूमि को पट्टे पर देकर रेलवे अच्छा राजस्व कमा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्यम के मार्फत यात्रियों को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए यह काफी अच्छा तरीका हो सकता है।

दूध और अन्य कृषि उत्पादों के लिए प्रस्तावित रेल का डिब्बे प्रदान करने के उपाय करने के लिए माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए मैं मंत्री जी द्वारा शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि पदार्थों के लिए प्रशीतन श्रृंखला की क्षमता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना करता हूं। राष्ट्र की प्रशीतन श्रृंखला की क्षमता बढ़ाने का यह एक सम्भावनाओं से भरा क्षेत्र है। प्रशीतन श्रृंखला क्षमता बढ़ाने हेतु रेलवे की भूमि को लाभप्रद तरीके से पट्टे पर दिया जा सकता है। जहां इन कृषि उत्पादों की पैदावार है उन स्टेशनों पर यह सेवाएं दी जा सकती हैं।

अंत: में, मैं कहना चाहूंगा कि मैं, आंध्र प्रदेश का हूं और यह देखकर मुझे घोर निराशा हुई कि आंध्र प्रदेश जो कि राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, को माननीय मंत्री जी ने अनदेखा किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में सारी योजना का फिर से जांच किये जाने तथा अतिरिक्त गाड़ियां और रेल लाईनों को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता है। मुझे यह देखकर विशेष रूप से निराशा हुई कि अति महत्वपूर्ण काकीनाडा-पीठापुरम रेलवे लाइन जो कि तीव्र गति से विकसित हो रहे काकीनाडा पत्तन हेतु महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग होगा, के लिए बजट में कोई आबंटन नहीं किया गया है।

माननीय मंत्री जी ने पहले ही बताया है कि वे पूर्वी गोदावरी के कोनासीमा क्षेत्र को जोड़ने वाली काकीनाडा-कोटिपल्ली रेल लाईन को पूरा करना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रयास अधूरा ही कहा जाएगा यदि इसे गोदावरी नदी के दूसरी तरफ के पश्चिमी गोदावरी जिले के नरसापुर क्षेत्र तक नहीं बढ़ाया जाता क्योंकि तभी कोनासीमा की उपजाऊ पट्टी रेल सम्पर्क द्वारा मुख्य धारा से जुड़ पाएगी। कौनासीमा क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोदावरी बेसिन के बहुत से गैस भंडार भी यहीं हैं। इसके लिए बजट में मात्र दो करोड़ रुपयों की घोषणा की गई है, इसे पर्याप्त रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

कुछ राजमार्गों व अधिक यातायात वाले रास्तों पर रेलवे क्रासिंगों पर ऊपरिपुलों का निर्माण आवश्यक है, वहां शीघ्र आर. एंड बी. मार्ग बनाए जाने की आवश्यकता है। पीठापुरम के पास चित्रादा में और टूनीनगर में काफी समय से लम्बित पुल इसका उदाहरण कहे जा सकते हैं, ये दोनों पूर्वी गोदावरी जिले में हैं।

मुझे आशा है कि उपरोक्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आबंटन किया जाएगा और श्री लालू जी काकीनाडा, जो कि जिला मुख्यालय भी है, को मुख्य रेलवे लाईन से संपर्क देने की जिम्मेदारी निभायेंगे और इस रेल लाईन का उद्घाटन उन्हीं के कार्यकाल में हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपने द्वारा सुझाये गए संशोधनों के साथ इस रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

***डा. एम. जगन्नाथ** (नगर कुरनूल): महोदय, मैं रेलवे बजट में मालभाड़े और किराये में यथास्थिति बनाये रखने के लिए आधुनिकीकरण की योजना, सुरक्षा की तरफ ध्यान देने तथा यात्रियों की सुविधाओं में सुधार लाने जैसे उपायों के संदर्भ में एक सीमा तक इस रेल बजट का स्वागत करता हूं। रेल मंत्री ने और अधिक रोजगार के अवसर सृजति करने की इच्छा व्यक्त की है। केन्द्र सरकार में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू के लिए यात्रा करने वाले युवाओं को दूसरे दर्जे में मुफ्त यात्रा की सुविक्षा, रक्षा सेवाओं तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों जो कि आतंकवादियों से लड़ते हुए मारे गये हैं उनकी विधवाओं, मूक और बधिर व्यक्तियों तथा उनके द्वारा अन्य दी गई रियायतें प्रशंसनीय हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

परन्तु इस बजट में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि आधुनिकीकरण के लिए संसाधन कहां से जुटाये जाएंगे? आधुनिकीकरण के लिए प्रचुर मात्रा में निधियां आवश्यक होती हैं और इसके लिए क्या विशेष उपाय किये जाएंगे यह बजट में नहीं दिया गया। इससे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ये प्रस्ताव कार्यान्वित किये जायेंगे।

पार्सल की दरों में वृद्धि औचित्यपूर्ण है परन्तु लम्बित पड़ी योजनाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय पर्याप्त नहीं है।

मैं यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए उठाये गए कदमों तथा संचालन व्यय की व्यवस्था बनाये रखने का स्वागत करता हूं परन्तु घाटे वाले संचालन कार्यों का पता लगाकर इन क्षेत्रों में लागत कम करने की समीक्षा की जानी चाहिये।

यात्रियों की सुविधाओं में सुधार के लिए 215 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वागत योग्य है परन्तु स्वच्छ शौचालय, प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं में और सुधार किये जाने के लिए और अधिक आबंटन किये जाने की आवश्यकता है।

मैं प्रशीतन क्षमता वाले रेल डिब्बों को बढ़ाये जाने तथा सब्जियों तथा जल्दी खराब होने वाले पदार्थों के लिए और रेल डिब्बे लगाये जाने का स्वागत करता हूं। यह अप्रत्यक्ष रूप से देश में कृषि तथा किसानों के लिए सहायक होगा।

मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा कुल्हड़ में चाय व काफी दिये जाने की व्यवस्था की भी प्रशंसा करता हूं इससे कुम्हार जैसे तथा हाथ से कास करने वाले कारीगरों को सहायता मिलेगी। कारीगरों तथा कुटीर उद्योगों की सहायता के लिए किये गए अन्य उपाय भी प्रशंसनीय हैं इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित हो पायेंगे।

दक्षिण मध्य रेलवे और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए किये गए आबंटन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में उनके साथ बहुत अन्याय किया गया है, चाहे वह नई रेल लाइनों के निर्माण, नई रेल लाइनों हेतु सर्वेक्षण, आमान परिवर्तन, रेल लाईन का दोहरीकरण या नई रेलगाड़ियां चलाने का मामला हो।

मुझे यह बताते हुए खेद हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में एक भी रेलवे लाईन विद्युतीकरण के लिए नहीं ली गयी है और न ही राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार का कोई प्रस्ताव है। हैदराबाद से शमसाबाद तक बहु विध माडल यातायात प्रणाली के विकास और विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि बजट में इसे कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी है। वास्तव में यह आंध्र प्रदेश के साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

पिछले बजट और वर्तमान बजट में किये गए आबंटन निम्नलिखित हैं:

		2003-04	2004-05	
	नई रेल लाइनें	65.01 करोड़	62.01 करोड़	
		2002-03 (करोड़ रुपये)	2003-04 (करोड़ रुपये)	2004-05 (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	पेदापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद (177.49 कि.मी.)	76.97	15.00	15.00
2.	कोटिपल्ली-नरसापुर (58.25)	9.38	5.00	2.00
3.	काकीनाडा-कोठापल्ली, रेल लाईन को बहाल करना (45)	27.25	21.32	15.00
4.	नांदयाल-येरनगुलंतला (126 कि.मी.)	8.28	5.00	5.00

[डा. एम. जगन्नाथ]

1	2	3	4	5
5.	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 कि.मी.)	16.43	10.00	10.00
6.	मचेरला-नलगोंडा (92 कि.मी.)	29.00	1.00	1.00
7.	गडवाल-रायचुर (60 कि.मी.)	4.10	5.00	5.00
8.	काकीनाडा-पीठापुरम (21.50 कि.मी.)	2.00	1.00	–
	आमान परिवर्तन	133.90	102.90	–
	दोहरीकरण	92.77	135.06	केवल दोहरीकरण में थोड़ी सी वृद्धि

आबंटन पर्याप्त नहीं है और बढ़ाये जाने चाहिये।

'वर्क लाइन': यातायात सुविधाएं आबंटन में काफी कमी की गयी है। मैं रेलमंत्री से आबंटन बढ़ाने का आग्रह करता हूं।

सड़क सुरक्षा

रेलवे ऊपरिपुल (आर.ओ.बी.) रेलवे भूमिगत पुल (आर.यू.बी.)

यद्यपि कुछ रेल लाइनों को नई रेलवे लाइनों हेतु सर्वेक्षण में स्थान मिला है और चार लाइनों के सर्वेक्षण को अद्यतन किये जाने के लिये लिया गया है। मचरेला-रायचूर की महत्वपूर्ण रेल लाईन पर गडवाल और मचेरला के बीच रेल लाइन के सर्वेक्षण के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है।

गडवाल और मचेरला के बीच के भाग के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह तेलंगाना के बहुत पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा ही है क्योंकि प्रस्तावित रेल लाईन तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों महबूबनगर और नलगोंडा से होकर गुजरती है। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि गडवाल और मचेरला के बीच का रेल लाइन सर्वेक्षण को अद्यतन किया जाए और इस रेल लाइन का निर्माण रेलवे के पिछड़े क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाए।

आंध्र प्रदेश सरकार के लम्बित प्रस्तावों के अतिरिक्त पूर्ववर्ती रेलयात्रियों के ध्यान में मैं यह बात लाया हूं कि जेदचेरला रेलवे स्टेशन पर एक भूमिगत रेलवे पुल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-7 और महबूबनगर के जिला मुख्यालय के बीच येनुगोंडा फाटक पर रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण आवश्यक है। मेरे द्वारा कई अपील किये जाने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय रेलमंत्री से उपरोक्त कार्यों को इसी वर्ष के रेल बजट में सम्मिलित किये जाने का आग्रह करूंगा।

पिछली बार शुरू की गयी नई रेलगाड़ियों की घोषणा दोहराने और कुछ रेलगाड़ियों को श्रीकाकुलम तक बढ़ाने के अलावा निम्नलिखित रेलगाड़ियों को शुरू करने की हमारी मांग पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गयी है।

सिकंदराबाद-कुरनूल टाउन-अंतर नगरीय एक्सप्रैस हैदराबाद और नई दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रैस विजाग और हैदराबाद के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी और चेन्नई में विजाग और वहां से हावड़ा।

हैदराबाद और मुम्बई के बीच दैनिक रेलगाड़ी को रेल बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैं माननीय रेल मंत्री से इस अनुरोध को इसी वर्ष के बजट में शामिल करने का आग्रह करता हूं।

हमें प्रति मिलियन रेल किलोमीटर पर रेल दुर्घटनाओं के 0.44 से घटकर 0.39 अर्थात् 2000-2001 के -473 से घटकर 2001-02 में 414 रह जाने, 2002-03 में 351 और आगे

2003-04 में घटकर 325 रह जाने पर संतुष्ट होकर समझौता नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य दुर्घटनाओं की दर को निम्नतम स्तर पर लाना होना चाहिए और यह पुरानी रेल लाइनों को फिर से बिछाकर, पुराने पुलों के पुनर्निर्माण और हमारे अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नये उपाय लाकर किया जा सकता है।

दोहरीकरण और विद्युतीकरण यात्रा में लगने वाले समय को बचत तथा रेल संचालन को सुगम बनाता है। दोहरीकरण और विद्युतीकरण से रेल दुर्घटनाएं कम होंगी। यद्यपि बजटीय आबंटन में दोहरीकरण की मद पर सीमान्त वृद्धि की गयी है। फिर भी इसमें और वृद्धि की जानी चाहिए। सिकन्दराबाद और द्रोणाचलम खंड पर शीघ्र ही रेल लाईन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाना चाहिए।

वानपार्थी रोड के रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टेशन का निर्माण भी शुरू किया जाना चाहिए।

शादनगर रेलवे स्टेशन बहुत पुराना है परिचालन क्षेत्रों और यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में यह बहुत अपर्याप्त है। मेरी माननीय रेल मंत्री से प्रार्थना है कि शादनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण शुरू कराया जाए जिसका आश्वासन तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री श्री दत्तात्रेय जी ने दिया है।

अंत में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कतिपय रियायतें देकर एक लोकप्रिय रेल बजट लाया गया है। यद्यपि यात्रियों की सुरक्षा की इच्छा जतायी गयी है इस बजट से उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में अतिरिक्त वोट तो मिल सकते हैं परन्तु भारतीय रेल मंत्रालय को एक बेहतर बजट की आवश्यकता है क्योंकि इस बजट में यह नहीं बताया गया है कि राजस्व और रेलवे की आय कैसे बढ़ायी जाएगी और जारी गलत प्रवृत्तियों को रोका जाएगा।

अंत में, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अपील करूंगा कि हमारे प्रस्तावों पर विचार किया जाए तथा दक्षिण मध्य रेलवे विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए और अधिक परियोजनाओं, कार्यों और रेल गाड़ियों की स्वीकृति दी जाए।

***श्री चन्द्रशेखर साहु** (बरहामपुर-उड़ीसा): माननीय महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा 6 जुलाई, 2004 को लोक सभा में प्रस्तुत किए गए रेल बजट 2004-05 का समर्थन करता हूं। इसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सी.एम.पी.) में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रेल अवसंरचना के विकास और विस्तार को प्राथमिकता दी गई है।

इन्होंने निम्न कार्यों को भी प्राथमिकता दी है:

* रेलवे का आधुनिकीकरण।
* परिसम्पत्तियों, विशेषकर पटरियों को बदलना व उनका नवीकरण।
* यात्रियों की सुरक्षा।
* सफाई।
* यात्री सुविधाओं में सुधार।
* व्यय नियंत्रण और
* राजस्व आदि में रिसाव (अतिरिक्त व्यय) को रोकना।

वर्तमान बजट में उल्लिखित प्रमुख पहलों से देश में रेल प्रणाली और सुदृढ़ होगी।

भारतीय रेल संसार में रूस के बाद दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेल प्रतिदिन 14,500 रेलगाड़ियां चलाती है। 8,700 यात्री गाड़ियों में प्रतिदिन 142 लाख यात्री यात्रा करते हैं तथा 5800 मागाड़ियों में प्रतिदिन 14.3 लाख टन माल ढोया जाता है। लगभग 14 लाख समर्पित कार्यबल इस इतने बड़े कार्य को सम्पन्न करता है। यह नेटवर्क 63000 किलोमीटर मार्ग में फैला हुआ है तथा इसमें 7,200 स्टेशन हैं। यह पूरी प्रणाली अच्छा कार्य कर रही है तथा वर्तमान नेतृत्व में यह और भी अच्छा कार्य करेगी।

उड़ीसा की उपेक्षा

तथापि, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि माननीय रेल मंत्री जी के रेल बजट में उड़ीसा की उपेक्षा की गई है। नए मार्गों के पहचानने की तो बात तो दूर किंतु वर्ष 1992-93 से चल रही 12 वर्ष पुरानी 8 परियोजनाओं को पूरा करने हेतु भी धनराशि आबंटित नहीं की गई है। प्रस्तावित बजट में कुल 2050 करोड़ रुपये की आवश्यकता की तुलना में मात्र 36 करोड़ रुपये की तुच्छ सी धनराशि निर्धारित की गई है जो कि आवश्यकता का केवल 0.04 प्रतिशत है। ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी इन परियोजनाओं को पूरा करना नहीं चाहते बल्कि इन्हें आगे खींचना चाहते हैं जबकि उन्होंने वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया है।

मार्गों का विद्युतीकरण

इस बजट में 153 किलोमीटर रेल मार्गों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है जिसमें निम्न सेक्टर सम्मिलित हैं:

कपिदास रोड	-	कटक
खुर्दा	-	पुरी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्रशेखर साहु]

रानीताल	-	भद्रक
केन्द्रपाड़ा	-	कपिलाश रोड

यह नोट किया जा सकता है कि मुम्बई-दिल्ली-चेन्नै-कोलकाता क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए चतुष्कोणीय विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व जोन में खड़गपुर और वालटेयर के बीच के मार्ग छोड़कर इस पूरे मार्ग को विद्युतीकरण के लिए शामिल किया गया है। यह पूरा हिस्सा उड़ीसा में है। यह भी नोट किया जाए कि यद्यपि उस खण्ड के विद्युतीकरण के लिए प्रभारी मुख्य-अभियंता का कार्यालय भी वर्ष 1993 में भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। विद्युतीकरण का यह कार्यक्रम दक्षिण भाग में वालटेयर से बी.बी.एस.आर. तक तथा पूर्वी क्षेत्र के खड़गपुर से भुवनेश्वर तक किया गया है जिससे भुवनेश्वर क्षेत्र विद्युतीकरण नहीं किया गया।

आमान परिवर्तन

यद्यपि नौपाड़ा-गुनपुर (90 किलोमीटर) का आमान परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है तथापि इस कार्य के लिए आवश्यक 61 करोड़ रुपये की तुलना में 15 करोड़ रुपये का परिव्यय अपर्याप्त होगा।

इस बजट में रूपसा-बांगरीपोसी सेक्टर के आमान परिवर्तन का कोई उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाना चाहिए।

रेल मार्ग का विस्तार

महोदय, मैं लोक सभा के जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह दक्षिण उड़ीसा का हृदय है। उड़ीसा के 6 जिलों के लोग बेरामपुर रेल स्टेशन पर निर्भर करते हैं जिसका तत्काल नवीकरण व आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से इन सभी 6 जिलों के लिए कोई सीधा रेल सम्पर्क नहीं है। इन 6 जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है।

अतः, महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि पूर्व-तटीय (ईस्ट-कोस्ट रेलवे) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि हजरत निजामुद्दीन से भुवनेश्वर के बीच चल रही हिराकुड एक्सप्रैस को विशाखापत्तनम तक बढ़ाया जाये। यह रेल मार्ग में बेरामपुर रेलवे स्टेशन आ जाएगा जो कि राज्य में सर्वाधिक राजस्व प्रदान करने वाले स्टेशनों में दूसरे स्थान पर है।

यह महान कार्य रेलवे द्वारा लगभग बिना किसी व्यय के किया जा सकता है। रेल को हमेशा विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों का केन्द्र माना गया है। उड़ीसा एक गरीब राज्य है और इस राज्य के लोग बजट की ओर देख रहे हैं जिससे कि नई रेल परियोजनाओं के माध्यम से वहां कुछ आर्थिक कार्य शुरू हो सके।

इस उत्कृष्ट रेल बजट के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए हम माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे उड़ीसा के लिए बनाई गई परियोजनाओं पर पुनः एक नजर डालें जिससे कि हम वहां कुछ विकासात्मक कार्यों की अपेक्षा कर सकें।

***डा. सिबैस्टियन पाल** (एर्णाकुलम): महोदय, मेरी निम्नलिखित बातों को रेल बजट 2004-05 पर वाद-विवाद में सम्मिलित किया जाए।

मैं, श्री लालू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए अपने पहले रेल बजट में किए गए प्रस्तावों का दिल से स्वागत करता हूं तथा उन्हें इसके लिए सभी ओर से मिल रही प्रशंसा के लिए बधाई देता हूं। वित्तीय पथ से भटकने की किसी औचित्यपूर्ण आशंका के बिना, उन्होंने यात्री किराया या माल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की है। इस बजट में लालू जी का प्रभाव न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप है तथा यह इस बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके पहले बजट में सामाजिक न्याय की विचारधारा पर आधारित उनका दृढ़ विश्वास-विशेषकर दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने में उनके अभियान से परिलक्षित होता है। लेकिन इसमें प्रबन्धन के दृष्टिकोण से दिशा का अभाव है। इसका तात्पर्य आधुनिकीकरण सुरक्षा, यात्री सुविधाओं, माल चढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और प्रतियोगिता का सामना करने में प्रतिबद्धता, आदि को प्राथमिकता देने से आदि है। शायद, हमें उस दिशा के लिए अगले बजट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

केरल लालू प्रदेश का हिस्सा नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को अपनी पहली यात्रा के लिए देश के इस सुदूर कोने में स्थित इस छोटे परन्तु सुन्दर भू-भाग पर आमंत्रित करता हूं। एक रेलवे जोन बनाए जाने की केरल की मांग बहुत लम्बे समय से पूरी नहीं की गई है। शायद इसके लिए भी हमें अगले बजट की प्रतीक्षा करनी पड़े जो कि केवल सात महीने ही दूर है। आशा ही आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। केरल के लिए किए गए कुछ अच्छे कार्यों के लिए आभार प्रकट करते हुए आशा और अपेक्षाओं के साथ मैं रेल बजट 2004-05 का समर्थन करता हूं।

***श्री के. फ्रांसिस जार्ज** (इदुक्की): यह नोट करके अति प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष के लिए बजट में केरल राज्य के लिए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रेल विकास हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत गत वर्ष के बजट के 146 करोड़ रुपये तथा अंतरिम बजट के 48.5 करोड़ रुपये की तुलना में 206 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण करा दूं कि जैसा कि केरल के माननीय मुख्यमंत्री, विपक्षी, दलों के नेताओं के प्रतिनिधि मण्डल और केरल से चुने गए माननीय संसद सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया था। केरल की मुख्य मांगों पर इस बजट में समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। जिन पर केरल के मेरे साथी पहले ही बोल चुके हैं। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी के सम्मुख तीन बातें रखना चाहूंगा जिन पर मंत्रालय द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

1. **अंगामाली–सबरी रेलवे:** केरल में इस नई रेल लाइन के लिए इस बजट में केवल 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि राज्य के मध्य भाग से होकर गुजरती है और राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की रेल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेगी। बहुत समय से लंबित इस परियोजना पर कार्य शुरू करने हेतु कम से कम 50 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने चाहिए। वर्तमान योजना के अनुसार यह लाइन अंगामाली से आरंभ होकर इरूमेली पर समाप्त होनी है जिससे राज्य को पूरे वर्ष इसका लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के मुख्य कृषि क्षेत्र–केरल की नकदी फसलों तथा मसालों के हृदय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए इसे एक समानान्तर लाइन बनाने हेतु इसे पुनालूर से होकर त्रिवेंद्रम लाइन से जोड़ा जाना चाहिए।

2. **मदुरा विस्तार:** थेनी रेल लाइन तमिलनाडु में थेनी से केरल राज्य में कुमाली के निकट लोअर कैम्प तक जाती है जो कि इदुक्की जिले में है। यह केरल का पर्वतीय क्षेत्र है तथा यहां नकदी फसलें तथा मसाले बहुतायत में पैदा किए जाते हैं। विभिन्न बांधों, चाय बागानों, मुन्नार पर्वतीय पर्यटक स्थल और प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आदि के कारण यह देश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। पड़ोसी राज्यों से हजारों की संख्या में तीर्थयात्री सबरीमाला तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए आते हैं और वे कुमाली हो कर जाते हैं क्योंकि वह इस तीर्थस्थल पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता है। नकदी फसलों और मसालों के व्यापार, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा इस पहाड़ी क्षेत्र को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए मदुरा-थेनी लाइन का थेनी से निचले कैम्प तक जो कुमाली से मात्र 5 कि.मी. की दूरी पर है, विस्तार किये जाने से बहुत मदद मिलेगी।

3. **जिला इदुक्की, केरल के लिए पर्वतीय रेल सेवा:** इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन सम्भावनाओं के संदोहन के लिए दार्जिलिंग हैरिटेज हिल रेलवे की तर्ज पर जिले में एक पर्वतीय रेल सेवा आरम्भ की जाए जो जिले के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों से होती हुई निचली पहाड़ी शृंखलाओं से शुरू होकर थेक्कड़ी तक हो।

मैं माननीय मंत्री महोदय से केरल के बारे में विशेषरूप से कोट्टायम और अलापुजा से होकर कायामकुलम से एर्णाकुलम रेल लाइन के दोहरीकरण केरल में एक रेल जोन की स्थापना करने, मध्य केरल में नए रेल उपरिपुलों का निर्माण, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप नेदुम्बसेरी में नए रेलवे स्टेशन का निर्माण करने के बारे में सकारात्मक तथा उदारता से विचार करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री रवि प्रकाश वर्मा** (खीरी): माननीय रेल मंत्री जी, रेल बजट 2004-05 पर चर्चा के संदर्भ में, मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं:

1. रेलवे के कामर्शियल ट्रेफिक को बढ़ाने के लिए सिस्टम मार्डनाइजेशन के साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल माडर्नाइजेसन की भी आवश्यकता है।
2. एन एच ए आई की तर्ज पर रेल विभाग को भी ट्रैक निर्माण के लिए मेगा प्लान बनाये जाने की आवश्यकता है।
3. पोस्ट ग्लोबलाइजेशन फेस में वेस्ट यूरोप से एस.ई. एशिया तक लैंड कारीडोर की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो कि भारतीय रेल के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का आधार बन सकता है।
4. नये युग की व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना कंटेनर सर्विस चालू करना चाहिए ताकि पड़ोसी देशों की माल ढुलायी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके तथा भारतीय रेल सार्क राष्ट्रों के मध्य एक सेतु की तरह काम कर सके।
5. अनमेनड रेलवे क्रासिंग पर भी दुर्घटनाओं के संबंध में भी कम्पनसेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. पोर्टर को क्लास चतुर्थ कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए।
7. रेलवे की विस्तार योजनाओं के लिए खुले बाजार से वित्तीय प्रबंधन किया जाना चाहिए।
8. प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कुशलता सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा एक निश्चित विकास दर प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की रेल संबंधी निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें:

1. बरेली-पीलीभीत-लखीमपुर-सीतापुर-लखनऊ (एन.ई.आर.) का ब्राडगेज परिवर्तन होना है।
2. शाहजहांपुर-गोलागोकर्णनाथ रेल पथ के सर्वे को निधासन होते हुए भारत-नेपाल सीमा पर स्थित तिकुनिया तक कराने की आवश्यकता है।
3. एन इ आर के गोला गोकर्णनाथ मैलानी पलिया स्टेशन पर कम्प्यूटर आरक्षण चालू कराये जाने की आवश्यकता है।
4. मीरा पलिया के मध्य शारदा नदी के पुल को नदी की कटान से बचाने के प्रयास किए जाने है तथा पुल की मरम्मत होनी है।
5. गोला गोकर्णनाथ, फरधान, लखीमपुर नगर तथा राजापुर में रेल क्रासिंग पर फ्लाई ओवर बनना है।
6. पलिया दुधवा गोला गोकर्णनाथ स्टेशन पर यात्री निवास बनना है तथा टूरिस्ट ब्यूरो बनना है।
7. लखीमपुर स्टेशन का अपग्रेडेशन होना है। दूसरा प्लेटफार्म तथा ओवरब्रिज, शेड का विस्तार।
8. मीरा स्टेशन (एन.ई.आर.) पर गोकुल एक्सप्रेस का ठहराव होना है।
9. खीरी (एन.ई.आर.) पर मैलानी एक्सप्रेस का ठहराव होना है।
10. ओयल (एन.ई.आर.) स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव होना है तथा शेड का निर्माण होना है।
11. डी एम यू का पुनः संचालन होना है।
12. ट्रेन नं. 176 लखनऊ मैलानी तथा ट्रेन नं. 178 लखनऊ बरेली में कोच बढ़ने हैं। 173 तिकुनिया-लखनऊ में कोच बढ़ने हैं।
13. मैलानी-मीरा-पलिया तिकुनिया खीरी ओयल स्टेशनों एन.ई.आर. के पहुंच मार्ग टूट चुके हैं, जिनका निर्माण होना है।
14. इस रूट की सभी गाड़ियों में सफाई, पंखा, बिजली, सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

***श्री बापू हरी चौरे** (धुले): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल बजट पर समर्थन के साथ मेरे विचार प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती सोनिया गांधी और श्री लालू प्रसाद यादव जी की विचारधाराओं से जो रेल बजट पारित किया है, उसका हमें गर्व है। जो उसमें गरीब आदमी को केंद्र बिंदु मानकर बजट का चेहरा बनाया गया है। जैसे कि बेरोजगारों को काम देने के लिये कुल्हड़ का उपयोग, खादी का उपयोग करना, विक्लांगों को सहायता, कुलियों के बारे में सोचा गया है। अनु. जाति जनजाति लोगों का आरक्षण भरने का और साथ में ओ.बी.सी. लोगों का आरक्षण भरने का संकल्प किया है और रेल में भाड़े के किराये में बढ़ोत्तरी नहीं की गयी, यह सब गरीब आदमी के संबंध में दर्शाता है।

महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र धुले लोक सभा अनु. जनजाति क्षेत्र से जुड़ा है। भारत सरकार ने जो 100 पिछड़े जिले की सूची सर्वेक्षण करके बनायी है उसमें उसका नाम है। धुले जिले के विकास के लिये, मेरे क्षेत्र के लोगों की मनमाड से वाया इंदौर तक नयी रेल लाइन बनाने की बहुत पुरानी मांग है। 1994 में धुले से नरडागा रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए 1.29 लाख रुपये की बजट प्रावधान की थी उसके मुताबिक सर्वेक्षण हुआ, बाद में श्रीमान कल्माड़ी जी ने मनमाड से धुले तक सर्वे कराने का आदेश दिया, मगर इस रेल बजट में उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय यह विषय में रुचि नहीं ले रहा है। मनमाड से वाया धुले, नरडाणा इंदौर तक जाने वाली रेल लाइन सैंट्रल रेल वेस्टर्न रेल से जुड़ जाती है। इसलिये दिल्ली आने का रास्ता 200 कि.मी. से कम होता है। धुले और इंदौर के जनता की यह मांग बहुत पुरानी है। उसके ऊपर हर साल मोर्चे और आंदोलन होते रहते हैं। मेरी मांग है पहले मनमाड से वाया धुले नरडाणा तक नयी रेल लाइन देने की मैं रेल मंत्रालय से विनती करता हूं।

मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग है, मैं वह दोहराना चाहता हूं। धुले से मुम्बई आने के लिये धुले चाकीसगांव पैसेंजर को दीड बोगी और आधी आर्डीनरी फर्स्ट क्लास के छः सीट की बोगी अमृतसर दादर एक्सप्रेस को जोड़ी जाती है।

जिले के बहुत से लोगों को मुम्बई में मंत्रालय में किसी काम या सरकारी काम में जाने के लिए यह सुविधा अधूरी है। इसलिये उसको और एक बोगी लगाने की मांग करता हूं। धुले से मुम्बई जाने के लिए राजनीति से जुड़े हुये या सरकारी वर्ग-एक या दो के अधिकारियों को मुम्बई जाने के लिये फर्स्ट क्लास के छः सीट कम हैं इसलिये दादर अमृतसर ट्रेन नं. 1057, 1058 को धुले निवासियों को चालीस गांव से सैंकड ए सी के चार सीट आरक्षित कराने की मांग करता हूं।

महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो कि चालीसगांव-पूना जाती है। पूना जाने के लिये चार सीट चालीसगांव में आरक्षित कराने की मांग करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उधना से जठगांव जाने वाली रेल लाइन मेरे धुले चुनाव क्षेत्र से जाती है। डबल लाइन डालने का 1986 में काम शुरू हुआ था। जलगांव से अमनेर तक काम हुआ और आगे का काम रुक गया है। गुजरात और महाराष्ट्र के ट्राइबल एरिया से यह लाइन जानी है। 306 कि.मी. का काम बाकी है। अधूरा काम पूरा कराने के लिये विनती करता हूं।

हावड़ा एक्सप्रेस का नरडाणा रेल स्थान ऊपर ठहरने के लिये मांग बहुत पुरानी है। धुले जिले के लोगों को जाने के लिये कोई सुविधा नहीं है। हावड़ा को नरडाणा में ठहराव देने की विनती करता हूं।

मैं, लालू जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती वी. राधिका सेलवी** (तिरूचेन्दूर): अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर सामान्य चर्चा में अपनी पार्टी द्रमुक की ओर से, जिसका नेतृत्व डा. कालिंगर कर रहे हैं, मुझे भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं, माननीय रेल मंत्री को एक शानदार बजट पेश करने पर बधाई देती हूं जिससे गरीबों तथा अमीरों दोनों को ही लाभ मिलेगा। विशेषरूप से बेरोजगार युवक केन्द्रीय सरकार सेवाओं के साक्षात्कार देने के लिए निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे इसका सभी वर्गों के लोगों ने स्वागत किया है। तमिलनाडु से पांच लम्बी दूरी की एक्सप्रैस रेल गाड़ियां आरम्भ की गई हैं जिसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं। मेरे जिले से दो रेलगाड़ियां आरम्भ करने के लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। इनमें से एक चेन्नई सैंट्रल और नगर कोइल के मध्य तथा दूसरी चेन्नई एगमोर से तेनकासी के मध्य चलेगी। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वेलु जब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निरीक्षण करने आये थे तब उन्होंने कहा था कि तिरूचेन्दूर से तिरूनेलवेली के मध्य रेल लाइन के छोटे से भाग को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य मई, 2006 तक पूरा कर लिया जायेगा। मैंने उनसे इस कार्य में और तेजी लाने के लिए कहा था। इससे नमक निर्माताओं की समस्याओं का समाधान होगा। अभी तक उन्हें माल लादने के लिए दो बार मजदूरी देनी पड़ रही है। एक मीटर गेज लाइन पर मालगाड़ी में माल लादने के लिए तथा दूसरा ब्राड गेज लाइन पर मालगाड़ी में माल लादने के लिए। यदि इस रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का कार्य यथाशीघ्र पूरा हो जाता है तो नमक निर्माताओं को दो बार पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कन्याकुमारी और तिरूचेन्दूर जैसे दर्शनीय स्थल स्थित है। देश विदेश से बहुत से लोग कन्याकुमारी और तिरूचेन्दूर आते हैं परन्तु उन्हें रामेश्वरम होकर आना पड़ता है। यह उचित समय है कि रामेश्वरम से तूतीकोरन, तिरूचेन्दूर और कुंदनकुलम होकर कन्याकुमारी तक एक अलग रेलवे लाइन बिछायी जाए।

विजयनारायनम में एक नौसेनिक अड्डा है, कुन्दुनकुलम में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र है तथा कवल किनरू में इसरो का केन्द्र है। ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं। भारत के विभिन्न भागों से लोग यहां पर काम करने आते हैं। नंनगुवेरी में एक हाईटैक पार्क चालू होने वाला है। ये सभी स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। एटमैक के चेयरमैन श्री चार्ल्स लुकस तथा उनके चार सहयोगी अमरीका से यहां आये थे और उन्होंने 7 जुलाई, 2004 को हाई टैक पार्क का दौरा किया और उन्होंने कहा था कि इस परियोजना पर कार्य कुछ दिनों में आरम्भ हो जायेगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूचेन्दूर में इतने सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री को सुझाव देती हूं कि चेन्नई से नगर कोइल के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली रेलगाड़ी को सप्ताह में दो बार चलाया जाए और इसे कन्याकुमारी तक बढ़ाया जाये। कन्याकुमारी से निजामुद्दीन के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली गाड़ी को सप्ताह में तीन बार चलाया जाए। इस मार्ग पर रेललाइन का दोहरीकरण किया जाए। क्योंकि विद्यार्थी, दफ्तर जाने वाले तथा कारोबारी लोग समय पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि इस मार्ग पर बहुत सारी रेलवे क्रासिंग हैं तथा कन्याकुमारी पहुंचने में समय बहुत लगता है।

तिरूनेलवेली से तिरूचेन्दूर के बीच कुछ चौकीदार रहित फाटक हैं। दुर्घटनाएं बचाने के लिए इन रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात किए जाएं।

वे अध्यापक जो विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया करते थे उन्हें किराए में पचास प्रतिशत की रियायत दी जाती थी। जिसे घटा कर पच्चीस प्रतिशत कर दिया गया है। माननीय मंत्री से निवेदन है कि इसे फिर से पचास प्रतिशत कर दिया जाए इससे विद्यार्थियों में शिक्षा का विकास होगा साथ ही देश की बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा।

[हिन्दी]

***श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेल बजट में यात्री भाड़ों तथा माल भाड़ों में कोई वृद्धि नहीं की। सौ करोड़ से ऊपर की आबादी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

वाले विशाल भारत में रेल का विशेष महत्व है, यह सम्पूर्ण देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ कर एकता के सूत्र में पिरो देती है।

मान्यवर, रेल एक ऐसी सवारी है, जिसका गरीब तथा अमीर दोनों इस्तेमाल करते हैं। हवाई जहाज तथा कार जहां अमीरों के साधन हैं, वहीं बसों को गरीबों का साधन माना जाता है। लेकिन रेल का उपयोग प्रत्येक वर्ग द्वारा किया जाता है, इसलिए रेल यात्रियों को मिलने वाली रियायतों का लाभ देश के हर वर्ग को होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान हरियाणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को तीन तरफ से घेरे हुए है। दिल्ली के निवासियों के लिए शुद्ध दूध तथा ताजा सब्जियों की अधिकांश आपूर्ति हरियाणा ही करता है। इतना ही नहीं दिल्ली में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या का दबाव भी हरियाणा को ही झेलना पड़ता है। इसलिए इस प्रदेश में रेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना एक राष्ट्रीय जरूरत बन गयी है।

देश की अन्न की आपूर्ति के लिए पंजाब व हरियाणा तथा फलों की आपूर्ति के लिए जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश का विशेष योगदान है। इन चारों प्रदेशों से अन्न तथा फल ले जाने वाले भारी वाहन ट्रक आदि पहले दिल्ली होकर जाते थे, जिसके कारण दिल्ली में जाम लगे रहते थे। अब सरकार ने दिल्ली के बोझ को हल्का करने के लिए रिवाड़ी से झज्जर-रोहतक होकर पानीपत जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाकर भारी वाहनों को वहां से चलाकर दिल्ली की ट्रैफिक को काफी हद तक कम कर दिया है।

महोदय, जिस प्रकार रिवाड़ी-झज्जर-रोहतक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है। इसी प्रकार रिवाड़ी-झज्जर-रोहतक रेल लाइन बिछाकर भारतीय रेल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ना आज परिस्थिति की मांग है। यह मांग सालों से लम्बित है। मेरे प्रयास से तत्कालीन रेल मंत्री ने प्लानिंग कमीशन द्वारा मंजूरी दी गयी थी।

अत: मैं रेल मंत्री महोदय से यह पुरजोर मांग करता हूं कि अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए रिवाड़ी से झज्जर होकर रोहतक को जोड़ने वाली रेल लाइन के निर्माण की घोषणा करें। ऐसा करने से न केवल हरियाणा की जनता का भला होगा बल्कि, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल का माल ढोने वाली ट्रेनों के बिना वजह जमावड़े से दिल्ली को बचाया जा सकेगा।

मैं कुछ और मांगें तथा सुझाव रेल मंत्री जी को देना चाहता हूं।

1. रोहतक तथा दिल्ली के बीच विद्युत ट्रेन चालू की जाये, ऐसा होने से दिल्ली पर आवास संबंधी बोझ कम होगा क्योंकि हरियाणा से लगभग दस लाख लोग दिल्ली आते-जाते हैं।
2. प्रात: साढ़े 9 बजे के बाद सायं साढ़े तीन बजे तक रोहतक दिल्ली के लिए कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। इस अवधि में कम से कम एक ट्रेन अवश्य चलायी जाये।
3. किसान एक्सप्रेस को कलानौर स्टेशन पर रोका जाये क्योंकि रोहतक तथा भिवानी के बीच इस गाड़ी का कोई हाल्ट नहीं है तथा कलानौर एक बड़ा कस्बा है और रोहतक तथा भिवानी के सेंटर में पड़ता है। इस गाड़ी के कलानौर स्टेशन पर ठहरने से इसका किसान एक्सप्रेस नाम भी सार्थक होगा क्योंकि इसमें किसानों को भी बैठने का अवसर मिलेगा।
4. नयी दिल्ली-श्रीगंगानगर इंटर सिटी एक्सप्रेस, पंजाब मेल तथा धोलाधार एक्सप्रेस सांपला स्टेशन पर रोका जाये।
5. संपला में प्लेटफार्म नं. एक तथा दो पर कोई शैड नहीं है, यहां यात्रियों के लिए शेड बनाया जाये।
6. सांपला रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। हरियाणा सरकार का कहना है कि रेलवे ने पानी का बिल जमा नहीं कराया है इसलिए पानी का कनैक्शन काट दिया गया है। सांपला स्टेशन पर यदि साइकिल स्टैंड तथा स्कूटर स्टैंड बना दिया जाये तो रेलवे को भी अच्छी आमदनी होगी और यात्रियों को भी सुविधा होगी।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): पिछले सप्ताह प्रस्तुत किये गये आपके प्रथम रेलवे बजट को हमने बहुत सराहा एवं तहे दिल से स्वागत किया।

रेलवे में खादी, हैंडलूम उत्पादों के प्रयोग तथा कुम्हारों को गरीबी से ऊपर उठने में सहायता करने के लिए कुल्हड़ के प्रयोग का प्रस्ताव वास्तव में एक प्रशंसनीय पहल है।

यात्रा समय में कमी लाने के लिए सम्पर्क क्रांति रेलगाड़ियों की शुरूआत सही दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही, साक्षात्कार के लिए जाने वाले बेरोजागर युवकों के लिए 'मुफ्त यात्रा' के लिए उठाए गए कदम प्रसंशनीय है। किराया नहीं बढ़ाया जाना भी स्वागत योग्य कदम है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट की व्यापक अच्छाई का स्वागत करते हुए, मैं आपका ध्यान अनजाने में छूट गई कुछ परियोजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं—मदुरै मंदिरों का एक प्राचीन शहर है जो मीनाक्षी अम्मा मंदिर के लिए मशहूर, एक पर्यटन तथा धार्मिक केन्द्र है। मैं वहीं से निर्वाचित हुआ हूं।

महोदय, मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि एमडीयू-डीजी के दोहरीकरण का कार्य पूरा होने में काफी समय लग रहा है। इस परियोजना के लिए रु. 96 करोड़ आबंटित किये गए थे। अब चालू बजट 2004-05 में रु. 3.22 की नगण्य सी राशि आबंटित की गई है। इतनी कम राशि के आबंटन से दोहरीकरण परियोजना के पूरा होने में लम्बा समय लग सकता है। चूंकि पश्चिम एवं उत्तर मदुरै को जोड़ने के लिए परियोजना काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक रेलवे लाइन प्रणाली पर रेलगाड़ियां चलाने तथा चैन्नई से दक्षिण तमिलनाडु के लिए अधिक रेलगाड़ियां प्रारम्भ करने में अधिक बाधाएं आती हैं। यात्रियों की अधिक संख्या तथा माल को ध्यान में रखते हुए परियोजना का महत्व बढ़ जाता है।

अतः, मैं रु. 96 करोड़ की पूरी राशि का आबंटन करने एवं परियोजना को पूरा करने में सहायता का अनुरोध करता हूं। त्रिची से मानमदुरा तक दूसरी परियोजना को तुरन्त शुरू किया जाए। यदि यह परियोजना इसी वित्तीय वर्ष में शुरू की जाती है, तो इससे उपेक्षित क्षेत्र को फायदा होगा तथा चैन्नई के लिए यात्रा समय में कमी आयेगी।

मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र में, मदुरै मुख्य स्टेशन के अलावा, मदुरै के उत्तर में कुदाल नगर स्टेशन है। इस स्टेशन को यात्री टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा सकता है जिससे मदुरै के उत्तर में रहने वाले लोगों को अधिकाधिक लाभ होगा।

निम्नलिखित रेलगाड़ियों को प्रयोग के तौर पर मदुरै तक बढ़ाया जाए क्योंकि नियमित रूप से इन शहरों के बीच सीधी रेल सेवा नहीं है।

1. चैन्नई-विजयवाड़ा जनशताब्दी को मदुरै तक बढ़ाया जाए।
2. चैन्नई-जोधपुर को मदुरै तक
3. तूतिकोरिन-लोसुर-बैंगलोर
4. डिंडिगुल से प्रसिद्ध पूजा स्थल सबरीमाला तक, जहां लाखों श्रद्धालू प्रति वर्ष आते हैं। एक नई रेल लाईन बिछाई जाए। एक नई लाईन पेरियाकुलम के रास्ते बिछाई जाए।
5. एक नई लाईन मदुरै से तुतिकोरिन तक अरुपुपकोट्टी, विलाथिकुलम तुतिकोरिन के रास्ते बिछाई जाए जो कि आर्थिक रूप से फायदेमंद है, तथा बन्दरगाह शहर पहुंचने में कम समय लगेगा।

***श्री पी. करूणाकरन** (कासरगोड): सर्वप्रथम, मैं आपको सदन में प्रस्तुत किये गए रेलवे बजट के प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए बधाई देता हूं। दूसरी ओर, मैं केरल राज्य की रेलवे द्वारा की जा रही नियमित उपेक्षा के लिए केरल की जनता में व्याप्त असंतोष एवं रोष व्यक्त करता हूं। आपने भी बजट भाषण में केरल की उपेक्षा का उल्लेख किया है। इसके मद्देनजर, मैं आपका ध्यान केरल में रेलवे के विकास वाले मुद्दों की तरफ आकर्षित करता हूं। यद्यपि हमने पहले से ही बहुत सारे प्रस्ताव दे रखे हैं। अब हम इनमें से कुछ के बारे में बताना चाह रहे हैं।

इसलिए, मैं निम्नलिखित आवश्यकताओं पर अनुग्रहपूर्वक विचार करने तथा यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

1. त्रिवेन्द्रम-मैंगलोर एवं मैंगलोर-त्रिवेन्द्रम के बीच गाड़ी सं. 6603 और 6604 को सप्ताह में सभी 7 दिन चलाया जाए एवं इसे मुम्बई सेन्ट्रल तक बढ़ाया जाए।
2. त्रिवेन्द्रम-कन्नानूर एवं कन्नानूर-त्रिवेन्द्रम के बीच चल रही गाड़ी सं. 6347 एवं 6348 को मैंगलोर तक बढ़ाया जाए।
3. कोचीन से कोट्टायम के बीच रेलवे लाईन दोहरी की जाए।

कृपया इन उचित मांगों पर अनुग्रहपूर्वक विचार करें।

***श्री ए.वी. वेल्लारमिन** (नागरकोइल): मैं आपको बिना यात्री किराया बढ़ाये तथा माल-भाड़ा बढ़ाये और सभी वर्गों के लिए विभिन्न उपायों एवं छूट की घोषणा वाले जनप्रिय बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं एवं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केन्द्र सरकार के साक्षात्कारों के लिए युवाओं को द्वितीय श्रेणी में मुफ्त यात्रा, असंगठित कामगारों की सुरक्षा, रेलवे में महिलाओं की टिकट जांचकर्त्ता के रूप में नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों के अनुरक्षी के लिए रियायत, पर्यटन सुविधाएं, रेलवे सुरक्षा, तमिलनाडु में विकास योजनाओं में अग्रता आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं आपसे निम्नलिखित पहलू, जो पहले ही आपके ध्यान में लाये जा चुके हैं, शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए.वी. बेल्लारमिन]

1. प्रस्तावित दिल्ली-मदुरै (तमिलनाडु) ''संपर्क क्रांति'' एक्सप्रेस कन्याकुमारी तक बढ़ायी जाए।

2. प्रस्तावित 'सप्ताह में एक बार' 'चेन्नई-सेन्ट्रल वाया कटपाडी, इरोड, करूर तथा डिंडीगुल गाड़ी को प्रतिदिन किया जाए।

3. नागरकोइल से सायं को चलकर अगले दिन सुबह कोयम्बटूर पहुंचने वाली गाड़ी की घोषणा की जाए।

4. प्रस्तावित दोहरी रेल लाइन निर्धारण में, तिरूवन्तपुरम-नागरकोइल-चेंगलपुट को जोड़ने वाले सभी मध्यवर्ती स्टेशनों को शामिल किया जाए।

5. तिरूवनन्तपुरम-नागरकोइल, त्रिनेलवेली-लाइन में अत्यधिक देरी को कम करने के लिए नेमान, परासलाई (केरल) पाल्लियाडी, वीरानी (तमिलनाडु) स्टेशनों को क्रासिंग स्टेशनों में बदले जाएं।

6. भीड़भाड़ के निराकरण के लिए नागरकोइल, इरानियल, कुझीथुराई स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था की जाए।

7. पुथेरी एवं पल्लिाडो स्टेशनों पर ओवर ब्रिज बनाए जाएं।

8. कुझीथुराई स्टेशन पर पैदल ओवर ब्रिज बनाया जाए।

9. इरानील, कुझीथुराई स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाएं, लम्बी दूरी की सभी अप एवं डाउन गाड़ियों के स्थायी ठहराव दिये जाएं।

10. यात्रियों की मुश्किलों के निराकरण के लिए नागरकोइल स्टेशन पर अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत आरक्षण पटल तथा चालू टिकिट बनवाने के लिए अन्य पटल खोला जाए।

11. आपातकाल कोटा के तहत प्रतीक्षा सूची की टिकटों की पुष्टि करने के लिए नागरकोइल स्टेशन प्राधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाए एवं आपात काल कोटा दुगुना किया जाए।

12. पार्वतीपुरम में एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन स्थापित किया जाए।

***श्री अनवर हुसैन** (धूबरी): अध्यक्ष महोदय, श्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा प्रथम रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए वह बधाई के पात्र हैं। यात्री भाड़े तथा माल भाड़े में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी न करने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। रेलवे के तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों को नि:शुल्क यात्रा और विक्लांग, वरिष्ठ नागरिक, मूक बधिर और अन्य शारीरिक रूप से विक्लांग लोगों को कई प्रकार की सुविधाओं की घोषणा की गयी है। कमजोर और लगभग मृत हो चुके कुटीर उद्योग जैसे खादी, मिट्टी के बरतन बनाने इत्यादि को प्रोत्साहन देने के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। गरीब फेरी वाले, विक्रेता, पुस्तक विक्रेता रक्षा कर्मियों के लिए खिड़की तथा रेल कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए भी मैं उनकी सराहना करता हूं। स्वदेशी जलपान वस्तुओं द्वारा मनोरंजन व गरीब किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये सभी तथा अन्य घोषणाएं जो लालू प्रसाद जी ने की हैं उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बेरोजगार युवकों को साक्षात्कार हेतु नि:शुल्क यात्रा का अवसर देने से उन्हें उनके माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।

व्यक्तिगत रूप से, मैं नई दिल्ली से गुवाहाटी तक एक नई एक्सप्रैस रेलगाड़ी आरम्भ करने, एक दूसरी गाड़ी गुवाहाटी से झा-झा के बीच आरम्भ करने के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। केवल एक सप्ताह पूर्व वे उत्तर-पूर्व के दो शिष्टमंडलों से मिले थे मैं उन शिष्टमंडलों में शामिल था। मैंने उनसे ये रेल सेवाएं शुरू करने को कहा था एक जोगीघोपा होकर गुवाहाटी से नई दिल्ली तथा दूसरी गुवाहाटी से झा-झा तक। मैं इन रेल सेवाओं को आरम्भ करने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

परन्तु उत्तर पूर्व की स्थिति मुझे कुछ कहने के लिए बाध्य कर रही है। क्योंकि मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र से आता हूं इसलिए मैं रेल मंत्री का ध्यान निम्न तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा:

1. महोदय, धनरी-फकीराग्राम रेल सेवा को तीन वर्ष पूर्व बंद कर दिया गया था। जिसके कारण धनबरी का रेल सम्पर्क शेष भारत से कट गया है। इस जिले की जनसंख्या 16 लाख से अधिक है जिसमें 75 प्रतिशत लोग मुस्लिम हैं, जो कि अब अलग-थलग पड़ गये है। यद्यपि इस मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज के बदलने का कार्य आरम्भ हो चुका है परन्तु इसके कार्य की प्रगति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसे पूरा होने में कई दशक लग जायेंगे। मुझे आश्चर्य है कि प्रस्तावित बजट में इस लाइन का कोई उल्लेख नहीं है।

2. महोदय, मोइराबानी से छपरमुख के मध्य रेल सेवा थी जिसको सात या आठ वर्ष पहले बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान इस रेल लाइन की पटरियों को खोलने और उखाड़ने का कार्य आरम्भ हुआ। पिछले संसदीय चुनाव से केवल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एक माह पूर्व श्री नितिश कुमार जी ने क्षेत्र का दौरा किया था। जनसमूह इकट्ठा हुआ। जिसमें उन्होंने मोइराबानी-चम्परामुख के बीच नई रेल लाइन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया था। परन्तु दुर्भाग्य से उस परियोजना का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है साथ ही कोई धन भी उपलब्ध नहीं करवाया गया था। इस प्रकार लोगों के साथ धोखा किया गया है।

यदि सरकार अल्पसंख्यकों का उत्थान चाहती है तो इस रेल लाइन का पुन:निर्माण किया जाए क्योंकि ऐसा करने से इस क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के 80 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचेगा।

3. महेन्द्रगंज (मेघालय) से मानकचर होकर गोलपाड़ा के मध्य एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग काफी समय से लम्बित पड़ी है। मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि वो इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य आरम्भ करे जिससे मेघालय के धनबरी जिले और गोलपाड़ा जिले के गरीब इसाइयों और मुसलमानों को लाभ पहुंचेगा। अब हमें उत्तर-पूर्व के अल्पसंख्यक क्षेत्र को टालने के पुराने दृष्टिकोण का परित्याग कर देना चाहिये।

***श्री सांताश्री चटर्जी** (सेरमपुर): अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर चर्चा के लिए मुझे अवसर देने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं अथवा आप मुझे अपने विचार सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दीजिए।

माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में यात्रियों के लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा की है। मैं उनके विचार हेतु कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, हावड़ा और सियालदाह के बीच उपनगरीय सेवाओं में सफर करने वाले मुसाफिरों की कठिनाईयों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके बारे में जानते होंगे। उनकी विपत्तियों को कम करने के लिए आवश्यक है कि प्रथम चरण में हावड़ा और सियालदाह स्टेशनों पर स्थिति में सुधार लाया जाये और द्वितीय चरण में कुछ अन्य स्टेशनों का चयन किया जा सकता है।

इस सुधार कार्यक्रम में यात्री संघों को भी शामिल किया जा सकता है।

मैं दनकुनी, शीनाफुली, सिरमपुर, रिश्मा, कोनगर, हिन्दमोटर, उत्तरपाड़ा, जनाई रोड पर चरणबद्ध तरीके से यात्री सुविधाओं में सुधार हेतु मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***प्रो. बसुदेव बर्मन** (मथुरापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का ध्यान पश्चिम बंगाल के सुंदरबन (जिला उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना) के 16 मथुरापुर (अ.जा.) संसदीय चुनाव क्षेत्र एक बड़ा भाग है की ओर दिलाना चाहूंगा, जहां लोगों के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये। जैसा कि आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल का यह अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। मैं लोक सभा के सदस्य के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरा सुझाव है कि माननीय रेल मंत्री निम्नलिखित रेल सेवाओं के विस्तार पर गम्भीरता से विचार करें-

1. जयनगर से रायदिग्घी
2. कैनिंग से सोनाखाली
3. जयनगर से जामताला
4. पार्क सर्कस से दमखाली

इस बात का ध्यान रहे कि पश्चिम बंगाल में एशिया का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग परिसर है और रेल सेवाओं के विस्तार से निश्चय ही इस क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री से नम्र निवेदन है कि वे उपर्युक्त रेल सेवा विस्तारों को इसी वर्ष (2004-05) के बजट प्रस्तावों में शामिल करने पर विचार करें जिससे इस क्षेत्र के सामान्य हितों विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर और गरीब वर्गों के हितों की रक्षा की जा सके।

***श्री जोवाकिम बखला** (अलीपुरद्वार): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान 2004-05 के रेल बजट के निम्नलिखित विषयों की ओर दिलाना चाहूंगा:

1. कृपया महानंदा एक्सप्रेस की सेवाओं को एन.टी.पी. से अलीपुरद्वार तक बढ़ा दिया जाए।
2. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृपया राजभलत्कामा और जैन्ती के बीच रेल लाइन का निर्माण किया जाए।
3. अलीपुरद्वार रेलवे बाजार की भूमि के लिए लाइसेंस जारी किया जाए।
4. अलीपुरद्वार में एक भर्ती कार्यालय खोला जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जोवाकिम बखला]

5. भर्ती में खिलाड़ियों को पुनः आरक्षण दिया जाए।

6. अलीपुरद्वार जंक्शन में पटरी बदलने का केंद्र खोला जाए।

7. कंचनकन्या एक्सप्रैस रेलगाड़ी के लिए कलाचिनि, हसीमारा और डल गांव में स्टाप बनाये जाये।

8. राजभटकना और कलचिनि पर इंटर सिटी एक्सप्रैस के स्टाप बनाए जए।

9. अलीपुरद्वार-रांची रेल सेवा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य** (करीमगंज): मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा सभा में रखे गए रेल बजट के पक्ष में खड़ा हूं।

महोदय, शायद पहली बार, हमें देश के लिए एक ऐसा रेल बजट मिला है जिसकी भारतीय समाज से संबंधित सभी वर्गों ने सराहना की है।

यह बजट वास्तव में यात्री अनुकूल बजट है जिसमें यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया है बल्कि सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने एवं खादी उत्पाद बनाने में लगी गरीब ग्रामीण जनता का ध्यान रखा गया है। भारत के सबसे बड़े परिवार के रूप में अर्थात् भारतीय रेलवे प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी से बने कप का प्रयोग करेगा एवं अन्य सभी प्रकार के कपड़ों के स्थान पर खादी का प्रयोग होगा।

मालभाड़ा नहीं बढ़ाया गया है लेकिन माल ढुलाई क्षमता बढ़ने से रेलवे की आय में वृद्धि होगी। सब्जियों एवं बिगड़ने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रशीतक रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार कृषि उत्पादक इस परिवहन प्रणाली से लाभान्वित होंगे।

यह बजट रोजगारोन्मुखी है। जैसा कि बजट से साफ है कि रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में पदों का सृजन किया जाएगा क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल को गाड़ियों की अनुरक्षा एवं यात्रियों की सुरक्षा का अतिरिक्त दायित्व मिलेगा। दूसरी ओर दीर्घकाल से चली आ रही बिना गार्ड वाले रेल फाटकों की समस्या जिसका समाधान पिछले दशकों में नहीं किया जा सका, माननीय रेल मंत्री ने इस समस्या को चौकीदार तैनात कर समाधान करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में रेलवे सुरक्षा बल, चौकीदारों एवं प्रबन्धन के पदों का सृजन बाध्यकारी है।

इस बजट में कई सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रारम्भ किये गये हैं अर्थात् बेरोजगार युवकों को साक्षात्कार देने जाने के लिए मुफ्त टिकट मिलेगा। यह वास्तव में अभूतपूर्व है। एक और मुख्य बात यह है कि रेलवे विक्रेता, कुलियों और फेरी वाले जो कि रेलवे के अभिन्न अंग हैं, उनके बारे में पहले किसी भी भारतीय रेलवे के बजट में इतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस बजट में, इन लोगों को मुफ्त टिकट बीमा का लाभ दिया गया है तथा इसमें इन लोगों के लिए पेंशन लाभ की व्यवस्था भी की गई है। विभिन्न श्रेणी के रोगियों, उनके अनुरक्षियों तथा विपदाग्रस्त लोगों की विभिन्न श्रेणियों के आश्रितों के लिए घोषित रियायतों की सभी लोगों ने प्रशंसा की है।

अध्यक्ष महोदय, जो बातें मैंने बतायी वे सभी जानते हैं। अब मैं कुछ नयी बातें कहना चाहता हूं जो किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कही।

महोदय, मैं करीमगंज तथा हेलाकांडी एवं कचार विकास खण्ड का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लोगों ने रेलवे प्रणाली को अस्वीकार सा कर रखा है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की लगभग सभी रेलवे लाइन दयनीय स्थिति में हैं जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी सूचना के अक्सर रेल सेवाएं रद्द कर दी जाती हैं।

महोदय, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन रेलवे लाइनों पर गाड़ी बहुत धीमी गति से चलती है। रेलगाड़ी को करीमगंज और सिल्चर जिला मुख्यालयों के बीच (केवल 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में) $2^1/_2$ घंटे लगते हैं तथा यह हमारी मुख्य रेल लाइन है। शाखा रेल लाइनों, कटराकल, लालबाजार, जमीरा पर केवल 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में गाड़ी को 5 से 6 घंटे लगते हैं। बाढ़ीग्राम दुलाबचन लाइन पर 29 किलोमीटर की दूरी तय करने में गाड़ी के 2 घंटे से अधिक समय लगता है। मैं समझता हूं कि गाड़ी की धीमी गति हमें बैलगाड़ी युग में ले जाएगी। देश में प्रत्येक जगह रेल परिवहन प्रणाली में क्रांतिकारी विकास हुआ है। लेकिन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, पिछले 7 वर्षों में रेलवे में कोई अनुरक्षण कार्य नहीं हुआ है अन्यथा रेलवे प्रणाली की हालत इतनी खराब नहीं होती तथा मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र में लोग रेलवे को अस्वीकृत करने को बाध्य नहीं होते।

महोदय, हर जगह दिन-प्रतिदिन सभी वस्तुओं एवं परिवहन सहित सभी सेवाओं में वृद्धि एवं मांग बढ़ रही हैं, लेकिन मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे प्राधिकारियों ने जानबूझकर रेलवे परिवहन की मांग कम करवायी है एवं हाल ही में उन्होंने 14 स्टेशनों को गैर-किफायती नामित करते हुए बन्द कर दिया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

टिकटों की बिक्री एवं जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए, अनुरक्षण एवं गाड़ियों का समय पुन: निर्धारित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है ताकि इससे सर्वसाधारण को सेवा मिल सके जो अधिक किराया देकर सड़क मार्ग से यात्रा करने को बाध्य हैं तथा रेलवे प्राधिकारियों द्वारा बन्द किये गए स्टेशनों को पुन: चालू किया जाए।

महोदय, दक्षिण असम के तीन जिलों सहित अर्थात् कछार, करीमगंज, हैलाकांडी, त्रिपुरा तथा मणिपुर का एक भाग उत्तर सीमावर्ती रेलवे के प्रारम्भ से ही मीटर गेज रेल लाइन से सीधे गुवाहाटी से जुड़े हुए थे। सरकार के लमडिंग से गुवाहाटी मार्ग से मीटर गेज रेल लाइन को बन्द करने के आकस्मिक निर्णय से हमारे लोग गुवाहाटी जाने के लिए पिछले दस वर्षों से दुगुना रेल किराया देते हुए असुरक्षित एवं कठिन यात्रा करने को बाध्य हुए हैं। लमडिंग, बदरूर, सिल्चर मीटर गेज रेल लाइन के परिवर्तन से हमारा सीधा रेल संपर्क पुन: स्थापित हो सकेगा तथा यह कार्य लगभग दस वर्ष पहले शुरू हुआ था। आंकड़ों से साफ है कि पिछले दस वर्षों में केवल 25% कार्य ही पूरा हो सका है। हमें नहीं मालूम कि परिवर्तन पूरा होने में कितना समय और लगेगा। लगभग तीन वर्ष पहले सांसदों के एक दल ने इस परिवर्तन कार्य का निरीक्षण किया तथा उन्होंने इसके त्वरित परिवर्तन के लिए कई उपायों का सुझाव दिया था लेकिन तात्कालिक सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। महोदय, बदरपुर जंक्शन को रेलवे मण्डल बनाने की मांग दीर्घकाल से चली आ रही है। यदि बदरपुर, जहां मंडल कार्यालय के लिए आवश्यक रेलवे की भूमि उपलब्ध है को रेलवे मंडल घोषित कर दिया जाता है तो रेलवे प्रणाली एवं ब्राड गेज रूपान्तरण का अधिक प्रभावी तरीके से पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे एक परिवर्तित रेलवे नहीं है लेकिन एक मुश्किल भू-भाग में बनाया गया एक नया रेलवे है लेकिन इस रेलवे के निर्माण में अधिक समय नहीं लगा। मुझे खेद है कि रेलवे प्राधिकारी पिछले सात वर्षों के दौरान हमारे क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को महसूस नहीं कर सके तथा लमडिंग से सिल्चर तक की 200 किलोमीटर रेलवे लाइन को परिवर्तित करने में उपेक्षा की।

महोदय, वर्ष 2000 में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने करीमगंज एवं सिल्चर का दौरा किया था। उन्होंने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक वरिष्ठ पत्रकारों एवं विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन लिया था तथा उन्हें रेलवे की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया था। उन्होंने उसी समय वादा किया था कि वे गाड़ी की गति बढ़ाने के लिए कार्रवाई करेंगे तथा लमडिंग से गुवाहाटी तक मीटर गेज लाइन बिछाने के लिए कार्रवाई करेंगे ताकि इस क्षेत्र के लोग सीधे रेलवे से गुवाहाटी पहुंच सकें, लेकिन दुर्भाग्यवश, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में लमडिंग-सिल्चर मीटर गेज लाइन के शीघ्र रूपान्तरण की घोषणा की है तथा कार्य के समयबद्ध पूरा होने के लिए कार्यक्रम बनाया जाएगा। यद्यपि आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है, मैं आशा करता हूं माननीय मंत्री ने निर्माण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की है, वे निर्माण कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर लेंगे। मैं माननीय मंत्री से लमडिंग-बदरपुर रेलवे अनुभाग में परिवर्तन के अब तक हुए निर्माण कार्य का मूल्यांकन करने के लिए इस क्षेत्र की रेलवे प्रणाली का दौरा करने के लिए सांसदों के एक दल भेजने का अनुरोध भी करता हूं। ताकि लोगों की कठिनाइयों को महसूस किया जा सके तथा यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की जा सके। मैं पुन: एक बार माननीय रेल मंत्री को जनता के लिए बजट पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा आशा करता हूं कि उनके अगले बजट में भी कोई नया मुद्दा होगा अर्थात् सम्पूर्ण भारत में लोगों की कठिनाईयों के लिए उपचारात्मक नजरिये का मुद्दा जहां रेलवे प्रणाली की हालत खस्ता है एवं इसके विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

***श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी): मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र तथा निकटवर्ती इलाके जिस पर स्वतंत्रता के समय से ही वस्तुत: ध्यान नहीं दिया गया है, में रेलवे से संबंधित कुछ प्रासंगिक बिन्दु उठाने के लिए मुझे अवसर देने हेतु आपका धन्यवाद। कई बार मैंने संसद में आवाज उठाई है लेकिन संसद के अन्दर एवं बाहर दोनों ही जगह चिल्लाकर मांग करने के बावजूद भी जनता की उचित मांगों एवं शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया।

महोदय, जलपाईगुड़ी एक मंडल मुख्यालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थायी-पीठ तथा चाय नीलामी केन्द्र यहां बहुत जल्द कार्य शुरू करने वाले हैं।

इसके अलावा, यहां असंख्य पर्यटक स्थल हैं। वन्य जीव (विशेषकर गेंडे), हरे जंगल भी पर्यटकों एवं यात्रियों का मन मोहते हैं। यहां पर्यटन अत्यधिक साधन सम्पन्न एवं विकसित है। स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश को भी बहुत अधिक लाभ होगा यदि प्रस्तावित उचित रेलवे लिंक पूरे कर लिये जाते हैं। चाय जिले में महत्वपूर्ण उद्योग है। इससे करोड़ों की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, चाय उद्योग के अलावा पटसन समृद्ध वन सम्पदा, हस्तशिल्प, अतिरिक्त फसल तथा हरी सब्जियां जिले से अन्य जिलों/राज्यों देशों को निर्यात किये जाने की आवश्यकता है यदि रेलवे जैसी संचार व्यवस्था मुहैया करवायी जाए।

जलपाईगुड़ी जिला बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, पहाड़ी नदियां एवं इसकी सहायक नदियां बहुसंख्यक नालों के कारण भयंकर बाढ़ आती है तथा परिणामत: सड़कों और पुलों को हानि होती हैं तथा जान एवं माल की हानि के अलावा सड़क संचार खतरे में पड़

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती मितानी सेन]

जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जिले में रेलवे संचार की सुदृढ़ व्यवस्था के अभाव में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

जिला, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मार्ग होने से, उचित रेलवे लिंक/सेवाओं की वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हेतु परम प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय, मेरे प्रस्ताव ये हैं:

1. *रानीनगर रेलवे जंक्शन का उन्नयन:*—उत्तरी सीमान्त रेलवे (एन.एफ.आर.) के रेलवे स्टेशनों को मानक स्टेशनों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जलपाईगुड़ी से बालाकोबा के बीच एन.एफ.आर. के अंतर्गत रेलवे जंक्शन के उन्नयन पर कार्रवाई करने के लिए इसकी व्यवहार्यता देखने हेतु स्थान विशेष पर एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

2. *जलपाईगुड़ी जिले के राज्य राजमार्ग-12 पर मोहित नगर रेलवे फाटक पर रेल ऊपरि पुल का निर्माण:*—सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी और नई जलपाईगुड़ी का सम्पर्क मार्ग उत्तरी बंगाल का एक महत्वपूर्ण राज्य राजमार्ग है, क्योंकि यह सम्पूर्ण पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच प्रमुख सम्पर्क मार्ग है। इस मार्ग पर काफी अधिक यातायात रहता है मोहित नगर रेलवे फाटक पर रेल ऊपरिपुल के निर्माण की मांग जलपाईगुड़ी के लोगों और इस मार्ग का प्रयोग करने वालों की काफी समय से लम्बित मांग है।

3. कुछ रेलगाड़ियों की सेवाओं का जलपाईगुड़ी तक विस्तार किया जाना तथा एन.जे.पी.-जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन, हल्दीबारी के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण।

कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थायीपीठ, औद्योगिक जोन, बी.ई. कालेज, पोलिटेक्निक, बी. फार्मा कालेज, चाय नीलामी केन्द्र आदि की स्थापना होने से यहां कार्यालयों और उद्योगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और लोगों को कोलाकाता या देश के अन्य भागों को जाने वाली प्रमुख रेलगाड़ियों में जाने की सुविधा हेतु 50 कि.मी. दूर स्थित नई जलपाईगुड़ी स्टेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। इस क्षेत्र के व्यापक हित के दृष्टिकोण से मैं आपसे निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह करता हूं:

(क) कंचन कन्या एक्सप्रेस का विस्तार जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन अथवा जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन तक किया जाए।

(ख) उत्तरबंग एक्सप्रैस को जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर ठहराव दिया जाए।

(ग) एन.जे.पी. से हल्दीबारी तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किया जाए। इससे बहुत सी रेलगाड़ियों के हल्दीबारी तक विस्तार में सुविधा होगी। इससे सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच बेहतर सम्पर्क सुनिश्चित हो सकेगा जो कि अभी अनिश्चित एवं जोखिम भरे सड़क यातायात पर निर्भर करता है।

(घ) नई जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के बजाय दार्जिलिंग मेल को जलपाईगुड़ी स्टेशन से ही शुरू करके वहीं समाप्त किया जाना चाहिये। वर्तमान में दार्जिलिंग मेल का केवल शयनयान ही हल्दीबारी से शुरू होता है, उसे जलपाईगुड़ी से होकर गुजरते हुए एन.जे.पी. स्टेशन पर दार्जिलिंग मेल में जोड़ दिया जाता है। तथापि, कोलकाता से आने-जाने वाले अधिकारियों व मंत्रियों के भारी यातायात की दृष्टि से यह सुविधा पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही सियालदह से एन.जे.पी. के बीच चलने वाली दार्जिलिंग मेल में यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं है।

4. *जलपाईगुड़ी स्टेशन पर स्टेशन मार्केट का निर्माण:*—यहां जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास ही रेलवे की भूमि पर 1968 से एक दैनिक बाजार लगता है। लगभग 600 दुकानदारों ने इस भूमि पर कब्जा किया हुआ है यह स्टेशन मार्केट बाजार बनाने का प्रस्ताव काफी पहले किया गया था इस बाजार परिसर के निर्माण में इस भूमि में से केवल 2.05 एकड़ भूमि ही की आवश्यकता होगी। पिछले एक दशक से अधिक समय में स्थानीय प्रशासन, सांसदों ने इसके लिए काफी प्रयास किये परन्तु इस समस्या के हल का कोई परिणाम नहीं निकला। मुझे विश्वास है कि सरकार ने मंत्री महोदय से मिल कर इस समस्या के हल के लिए बातचीत करके स्थानीय जनता की इस पुरानी मांग को पूरा करेगी।

5. ऊदलबारी रेलवे स्टेशन को एक पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन बनाया जाए। उत्तर-सीमान्त रेलवे में एन.जे.पी. से अलीपुरद्वार तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि ऊदलबारी के 'फ्लैग स्टेशन' को पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन बनाकर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।

6. उत्तर-सीमान्त रेलवे में चगराबंधा तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर इस रूट को पुन: खोले जाने की व्यवस्था की जाए।

काफी प्रयासों के बाद एम जी लाइन पर न्यू माल जंक्शन से चंगराबंधा तक के रेल मार्ग को 15 मार्च 2001 को खोला गया है। लेकिन कुछ समय बाद फिर विकास कार्यों अर्थात् एन.जे.पी. से अलीपुरद्वार तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इस रेलगाड़ी को पुन: बंद कर दिया गया और आश्वासन दिया गया कि आमान परिवर्तन के कार्य के पूर्ण हो जाने पर यह मार्ग फिर खोल दिया जाएगा। बड़ी रेल लाईन पर रेलगाड़ियों का चलना प्रारम्भ हो गया है परन्तु इस सम्पर्क मार्ग पर रेलगाड़ियां चलनी प्रारम्भ नहीं हुई हैं और यहां तक कि न्यू माल और चंगराबंधों में आमान परिवर्तन का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। अत: यह आवश्यक है कि इस रेलवे ट्रैक पर आमान परिवर्तन कराकर इसे पुन: खोलने की व्यवस्था की जाए।

7. हल्दीबारी से सियालदाह तक वाया चिल्हाटी, बंगलादेश में पार्वतीपुर रेल सेवा फिर शुरू करने का प्रस्ताव है, इसके लिए बंगलादेश के सम्बद्ध नेता से बात की जा सकती है। एक छोटा रूट होने और संचार प्रणाली में सुधार होने से इस क्षेत्र के लोग भौगोलिक रूप से शेष भाग से कटा हुआ महसूस नहीं करेंगे और दोनों देशों में बेहतर व्यापार संबंध हो सकेंगे।

इसके अलावा मेरे पास विचार किये जाने और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कुछ और प्रस्ताव भी हैं।

(क) उत्तर सीमान्त रेलवे के अंतर्गत एन.जे.पी. में आवेदन प्राप्त करने और उसकी जांच-पड़ताल का एक केन्द्र स्थापित किया जाए।

(ख) भूतपूर्व और वर्तमान रेलकर्मियों के बच्चों को ग्रुप 'डी' की भर्ती में प्राथमिकता दी जाये।

(ग) उत्तर-सीमान्त रेलवे में जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत अम्बारी फालाकाटा से कामाख्यागुड़ी तक दोहरी रेल लाईन का निर्माण।

महोदय, मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब आम जनता से जुड़ा आदमी रेल मंत्री के पद पर आसीन है जो लोगों की समस्याओं से अवगत है तो आप निश्चय ही इसी राजकोषीय वर्ष से पर्याप्त धनराशि का आबंटन करके महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उचित कदम उठाये जाएंगे। अंत में, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

***श्री अब्दुल्लाकुट्टी** (कन्नानौर): महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सम्माननीय सभा में निम्नलिखित पांच मुद्दे रेल मंत्री के विचारार्थ रखना चाहता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पिछले रेल बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र में नादल और थाजेचोवा रेलवे फाटकों पर दो रेलवे ऊपरिपुलों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। पिछले बजट में ही उपरोक्त ऊपरिपुलों के निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये का सांकेतिक आबंटन भी किया गया था पर अभी तक इस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-17 पर बनाये जाने थे जो मेरे राज्य को प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों में से हैं। मैं आपसे इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने का आग्रह करूंगा ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की कठिनाईयां काफी हद तक हम हो सकें।

दूसरे, कन्नानौर रेलवे स्टेशन को 'आदर्श रेलवे स्टेशन' घोषित किया गया था। परन्तु इस स्टेशन पर मिलने वाली जन सुविधाएं 'आदर्श स्टेशन' की सुविधाओं से बहुत कम है। अत: मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि इस स्टेशन पर यात्रियों के लिए और अधिक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं जैसे रेलवे स्टेशन पर आवास गृह बनाम प्रतीक्षा गृह की सुविधा उपलब्ध कराना, अति विशिष्ट व्यक्तियों हेतु कमरों का निर्माण, वाहनों की पार्किंग के लिए और क्षेत्र उपलब्ध कराना था और पैदल पार-पथों का निर्माण कराना आदि।

तीसरे, कन्नानौर रेलवे स्टेशन के पास ही कन्नानौर रेलवे स्टेशन के अधिकार क्षेत्र की काफी भूमि बेकार/खाली/अनुप्रयुक्त पड़ी है। अब एक प्रस्ताव किया गया है कि इस पर बने पुराने बंगलों को तोड़कर इस बेकार भूमि पर वाणिज्यिक उद्देश्य से बाजार परिसर बनाया जाए।

महोदय, चौथे एर्नाव में एक रेलवे फाटक बनाने का प्रस्ताव यहां की एक लंबित मांग है। संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि में से इसके निर्माण का प्रस्ताव भी किया गया था अत: मैंने इस परियोजना के लिए 17 लाख रुपये अलग रखने का निर्णय लिया। परन्तु अब हमने पाया है कि आधुनिकीकरण के अंतर्गत रेलवे फाटक लगाये जा रहे हैं और इसके लिए बाजार में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। अत: अब इस परियोजना के कार्यान्वयन की लागत बढ़कर 95 लाख हो गयी है। अत: मैं संसद सदस्य निधि में से इस बड़ी धनराशि का प्रबन्ध नहीं कर सकता। अत: मैं रेलवे से अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रेलवे द्वारा सकारात्मक कदम उठाये जाएं। इससे इस रेलवे क्रासिंग का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा में काफी सुधार होगा।

अंत में आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री के समक्ष एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहता हूं। पाप्पिमिसेरी-पायनगंडी राजमार्ग पर शीघ्र ही एक रेलवे ऊपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता है। इस स्थान पर रेलवे ऊपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता और भी

[श्री अब्दुल्लाकुट्टी]

महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रसिद्ध एजीमाला नौसेना अकादमी भी इसी रेलमार्ग पर स्थित है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि एक राज्य राजमार्ग है। मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि इस स्थान पर रेलवे ऊपरिपुल का निर्माण अत्यावश्यक है और रेलवे द्वारा इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

महोदय, अंत में इस सम्माननीय सभा में अपनी बात रखने का अवसर दिये जाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही मैं अपने साथी सांसदों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक शान्ति से सुना।

[हिन्दी]

***श्री तूफानी सरोज** (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर अपनी बात रखने के लिए आपने जो अवसर मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सैदपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह संसदीय क्षेत्र तीन जिलों में फैला है। गाजीपुर, जौनपुर व वाराणसी। पर वाराणसी को छोड़ दिया जाये तो दूसरे दो जिलों की रेलवे मंत्रालय लगातार उपेक्षा ही करता रहा है। उसमें भी मेरे संसदीय क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गयी है। पर मैं विस्तार में न जाकर कुछ चुनी हुयी समस्याओं की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

सर्वप्रथम, तो मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को कुल मिलाकर एक अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। यह पहला अवसर और पहले रेल मंत्री हैं, जिन्होंने गांव के गरीबों और विशेष रूप से ग्रामीण कारीगरों की ओर ईमानदारी से ध्यान दिया है। माननीय रेल मंत्री ने जहां रेलों में कुल्हड़ के उपयोग को जरूरी बनाकर गांव के कुम्हारों के घरेलू उद्योग को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान किया है, वहीं रेलों में खादी एवं हथकरघा के कपड़ों के उपयोग को आवश्यक बनाकर बुनकर परिवारों को भी एक नया जीवन शुरू करने का अवसर मुहैया किया है। रेल मंत्री जी के इस कदम से लाखों-लाख कुम्हार एवं बुनकर परिवारों को अब भूखे नहीं रहना पड़ेगा।

इस उत्कृष्ट कार्य के बावजूद रेल मंत्री ने पूर्व के रेल मंत्रियों की ही तरह हमारे संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा कर दी है। हमारे संसदीय क्षेत्र में औडिहार जंक्शन है। यहां से जौनपुर के बीच एक छोटी रेल लाइन नैरो गेज है, जिसकी लम्बाई लगभग 60-70 किलोमीटर है। आसपास की सभी रेल लाइनों को ब्राड गेज में बदला जा चुका है, पर 60-70 कि.मी. लंबी छोटी लाइन को ब्राडगेज में आज तक नहीं बदला जा सका है, जिससे गाजीपुर व बलिया से जौनपुर जाने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को जौनपुर जाने के लिए आमतौर से पहले वाराणसी जाना पड़ता है, फिर वहां से जौनपुर। हालांकि क्षेत्रीय जनता इस रेल लाइन को ब्राडगेज में बदले जाने की लंबे अर्से से मांग करती आ रही हैं पर रेल मंत्रालय ने आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

मैंने पिछली राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान भी इस मुद्दे को बार-बार लोक सभा में उठाया, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। थक हार कर मैंने संसद की याचिका समिति के समक्ष याचिका दायर की। याचिका समिति ने इस मुद्दे की जांच करवाई और इस रेल लाइन को ब्राडगेज में बदले जाने को उचित माना। याचिका समिति ने इस रेल लाइन को ब्राडगेज में बदलने के लिए रेल मंत्रालय को अपनी संस्तुति दे दी। फिर भी रेल मंत्रालय ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में चुनावी लाभ के लिए लोक सभा के चुनाव की घोषणा के ठीक पहले पूर्व रेल मंत्री ने इस कार्य का शिलान्यास किया, पर आज तक वहां कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। यदि यह लाइन ब्राडगेज में तब्दील हो जाती है तो इसका फायदा बलिया तक के यात्रियों को होगा।

अत: रेल मंत्री से मेरा आग्रह है कि वह जनहित में इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये ताकि जनता की बहुप्रतीक्षित आकांक्षा पूरी हो सके। मेरी यह भी मांग है कि रेल मंत्री जी दादर-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन को सादात रेलवे स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था करें। उस इलाके के लोग मुम्बई में बड़ी संख्या में काम करते हैं और उक्त ट्रेन के सादात रेलवे स्टेशन पर न रुकने से आने-जाने में उनको भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीस इसी तरह लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन पर भी किया जाना बेहद जरूरी है। गाजीपुर-आजमगढ़ मार्ग पर स्थित यह स्टेशन आवागमन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेशन से 15 किलोमीटर व्यास के अंदर के यात्री आते-जाते हैं पर दिल्ली आने जाने के लिए इन्हें कोई विकल्प नहीं है। यदि इस ट्रेन का ठहराव दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन पर कर दिया जाता है तो हजारों की संख्या में यात्रियों को फायदा होगा। यह ट्रेन मऊ जंक्शन पर रुकती तो जरूर है पर इस क्षेत्र के लोगों को मऊ जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है और यात्रियों को लंबी दूरी तय कर या तो मऊ जाना पड़ता है या फिर वाराणसी। अत: रेल मंत्री से मेरी मांग है कि वे लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दुल्लहपुर में करने की व्यवस्था करें।

रेल मंत्री जी के संज्ञान में मैं एक और बात लाना चाहता हूं। औडिहार से मऊ जाने वाली रेल लाइन ब्राडगेज में तो बदली जा चुकी है, पर इसके बीच पड़ने वाले स्टेशनों मसलन दुल्लहपुर,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जखानियां, सादात, माहपुर आदि स्टेशनों के प्लेटफार्मों की बुरी हालत है। एक तो प्लेटफार्मों की ऊंचाई रेल गाड़ी के अनुरूप नहीं है, दूसरी यहां बिजली, पानी, छाया एवं दूसरी जन सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री इनकी स्थिति सुधारने के लिए कदम उठायें। मुझे भरोसा है कि माननीय रेल मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे और आवश्यक कदम उठायेंगे।

*श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी, हि.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम, मुझे रेल बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।

महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से आती हूं। मंडी संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो 32 हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है। मेरे लोक सभा क्षेत्र का एक हिस्सा (जिला किन्नौर) चीन की सीमा पर है तो दूसरा हिस्सा (जिला चम्बा का पांगी और भरमौर) पाकिस्तान से लगता है।

रेलों में नई सुविधाओं की घोषणा

महोदय, माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी ने इस वर्ष का जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, वह अभी तक के रेल बजटों में सबसे अच्छा है। इस रेल बजट की सारे देश में आम आदमी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है।

महोदय, रेल मंत्री ने किसी भी श्रेणी का किराया नहीं बढ़ाकर तथा मालभाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर के जनता का मन जीतने का प्रयास किया है। उन्होंने हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज अथवा जांच के लिए जाने के लिए जाने पर सभी श्रेणियों में 75 प्रतिशत किराया छूट की घोषणा की है। मूक और बधिरों के साथ यात्रा करने वाले को भी हर श्रेणी और सीजन टिकटों में 50 प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की है। अब तक यह रियायत केवल मूक और बधिर लोगों को ही मिलती थी, उनके साथी यात्री को नहीं, लेकिन अब उन्होंने साथी यात्री को छूट दी है। इस प्रकार से उन्होंने रोगियों को सहायता प्रदान करने का पूर्ण प्रयास किया है।

महोदय, कम्प्यूटर पर आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की शुरूआत रेलों में की गई है। इससे रेलों की दुर्घटनाओं में कमी होगी। महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं, लेकिन अभी तक रेलों में टिकट चैकर के रूप में महिलाएं नहीं थीं, लेकिन लालू जी ने घोषणा की है कि महिला टिकट जांचकर्त्ता दलों की तैनाती रेलवे में की जाएगी। इससे महिला यात्रियों में सुरक्षा की भावना को बल मिलेगा। कुलियों को भी अपनी पत्नी के साथ रेलवे में उके कार्य-स्थल से भारत में कहीं आने-जाने हेतु एक सैट पास उपलब्ध कराने की घोषणा से कुलियों की न्यायोचित मांग को स्वीकार किया गया है। भारत की 56 वर्ष की आजादी के बाद इस वर्ष पहली बार मंत्री महोदय ने रेलवे स्टेशनों पर स्थित बुक स्टालों को विदेशी कंपनियों के चंगुल से मुक्त कर उनके आबंटन हेतु नई बुक स्टाल नीति की घोषणी की है जिसके अब बुक स्टालों का आबंटन केवल बेरोजगार ग्रेज्युएट्स, उनके संगठनों को ही किया जाएगा। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों, विकलांगों तथा रेलकर्मियों की विधवाओं के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित करने की घोषणा स्वागत योग्य है।

कुल्हड़ों और खादी का रेलों में प्रयोग को बढ़ावा

महोदय, प्लास्टिक और थर्मोकोल के कपों के इस्तेमाल को हटाकर एवं कुल्हड़ों के प्रयोग को बढ़ावा देकर उन्होंने देशभर के गरीब कुम्हारों के उत्थान की दिशा में पहला कदम उठाया है। महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने देश के करोड़ों बुनकरों को जो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे, उन्हें रेलों में खादी के प्रयोग के बढ़ावा देकर ढाढस बंधाया है। निश्चित रूप से रेल मंत्री के इन प्रयासों से देश के गरीबों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं आदिवासियों को लाभ होगा।

हिमाचल प्रदेश की रेलों के मामले में उपेक्षा

महोदय, हिमाचल प्रदेश की रेलों के मामले में बहुत उपेक्षा हुई है। मैं विस्तार में न जाते हुए सीधे-सीधे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आजादी के 56 वर्षों में रेलों के मामले में हिमाचल प्रदेश में नगण्य विस्तार हुआ है। यदि मैं यह कहूं कि रेलों के विकास और विस्तार के विषय में अभी तक जितने भी रेल मंत्री रहे हैं उन सभी ने हिमाचल प्रदेश की उपेक्षा की है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नैरोगेज रेल लाइन

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल मात्र एक नैरोगेज रेलवे लाइन पठानकोट-जोगेन्द्रनगर है जिसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा जिला मंडी के जोगेन्द्र नगर क्षेत्र की उहल जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु मशीनें पहुंचाने के लिए 1913 में किया गया था। आज तक वह रेल लाइन ब्राडगेज रेल लाइन के रूप में परिवर्तित नहीं की गई है और 87 साल पहले जो स्थिति थी वही आज है।

पठानकोट-जोगेन्द्र रेलवे लाइन पर रेलवे क्रासिंग

महोदय, पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नैरोगेज रेलवे लाइन पर हि.प्र. के जिला कांगड़ा में अनेक ऐसे स्थान हैं जहां रेल के दोनों ओर आबादी है और वहां के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

जाने के लिए रेलवे लाइन क्रास करनी पड़ती है। ऐसा करते समय, रेलवे क्रासिंग नहीं होने के कारण उन्हें बहुत कठिनाई होती है और भवन निर्माण सामग्री अथवा अपनी कृषि उपज को पीठ पर लादकर रेलवे लाइन क्रास करनी पड़ती है। इससे समय तथा धन की बरबादी होती है। इसलिए मेरी मांग है कि नन्दपुर बठोली तथा त्रिप्पल में रेलवे लाइन पर क्रासिंग बनाए जाएं जिससे जनता आसानी से आ-आ सके। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि पठानकोट-जोगेन्द्र नगर रेलवे लाइन को ब्राडगेज किया जाए।

पठानकोट-जोगेन्द्र नगर रेलवे लाइन को ब्राडगेज में बदलना

मुझे बताया गया है कि इस लाइन का सर्वेक्षण हो गया है, लेकिन सर्वेक्षण के बाद आज तक इसके निर्माण हेतु धन का प्रावधान नहीं किया है। मेरा आग्रह है कि इस वर्ष के बजट में इस लाइन को नैरोगेज से ब्राडगेज में परिवर्तित करने हेतु, जब आप बजट बहस का उत्तर दें, तब धन का प्रावधान करने के बारे में स्पष्ट घोषणा करें ताकि इसके आमान परिवर्तन का कार्य प्रारम्भ किया जा सके। इसका विस्तार कुल्लू-मनाली तक किया जाए। जिला कुल्लू में पार्वती जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवारत हैं और भारी मशीनरी आदि ले जाने में भी रेल लाइन उपयोगी रहेगी। इससे जहां उस क्षेत्र में पर्यटन बढ़ेगा वहीं रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा।

बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेलवे लाइन

महोदय, दूसरी रेल लाइन जो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश को फायदा पहुंचा सकती है वह बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेल लाइन है। मुझे बताया गया है कि इसका भी सर्वेक्षण हो चुका है तथा विगत वर्षों में सतलुज वैली रेल कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन की स्थापना की गई थी जिसमें केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा प्राइवेट सीमेंट कंपनियों को अपनी-अपनी हिस्सेदारी जुटा कर इसका निर्माण करना था, लेकिन अभी तक इस निगम की कारगुजारी देखने में नहीं आई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे समाप्त कर दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोंकण वैली रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन की तर्ज पर बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेलवे लाइन का निर्माण समयबद्ध कार्यक्रम के तहत किया जाए। इस वर्ष के रेल बजट में इस रेल लाइन के सर्वेक्षण को अपडेट करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन सर्वेक्षण के अपडेट करने से ही काम नहीं चलेगा। हि.प्र. के बिलासपुर जिले में सीमेंट का बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर उपलब्ध है। वहां सरकारी क्षेत्र की ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री और निजी क्षेत्र में अम्बूजा सीमेंट फैक्ट्री उत्पादन कर रही हैं तथा अन्य अनेक सीमेंट फैक्ट्रियां निर्माणाधीन हैं। बिलासपुर में ही कोल डैम हाइड्रोइलैक्ट्रिक जलविद्युत परियोजना जो लगभग 800 मैगावाट बिजली उत्पादित करेगी उसका कार्य भी प्रगति पर है।

महोदय, यह रेल लाइन सतलुज वैली में 10 हजार मैगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। वहां स्थित अनेक जलविद्युत परियोजनाओं को जोड़ेगी और हिमाचल के लोगों को वरदान साबित होगी। रामपुर क्षेत्र में जहां यह रेल लाइन जाएगी वहां नाथपा-झाकड़ी प्रोजैक्ट 1500 मैगावाट का, कड़छम प्रोजैक्ट 1000 मैगावाट का और रामपुर प्रौजैक्ट 400 मैगावाट का है और अन्य अनेक प्रोजैक्ट्स बनने जा रहे हैं। कुछ निर्माणाधीन हैं और कुछ परियोजनाओं की स्वीकृति दी जानी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसके निर्माण के लिए कुछ न कुछ धनराशि का बजट में प्रावधान इस वर्ष अवश्य किया जाए जिससे इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके।

ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन

महोदय, तीसरी रेल लाइन ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन है। इसका सर्वेक्षण 1972-73 में हुआ और वर्ष 1973 से इसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया। 112.9 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन के निर्माण पर 210 करोड़ रुपए व्यय होने प्रस्तावित हैं और विगत 31 वर्षों में केवल 33 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण हो पाया है और 81 करोड़ 47 लाख रुपए व्यय किए गए हैं तथा अभी 117 करोड़ 53 लाख रुपए व्यय किए जाने हैं। इस वर्ष इस लाइन हेतु केवल 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय यदि इस रेल लाइन की प्रगति इतनी धीमी गति से चलती रही, तो अभी इसके निर्माण में कम से कम 50 वर्ष और लग जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस वर्ष इस रेल के निर्माण हेतु कम से कम 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की घोषणा करें और पांच वर्ष की निश्चित समयावधि में इसे पूरा किये जाने का लक्ष्य रखें।

हि.प्र. सरकार रेलों के विकास हेतु तैयार

महोदय, मैं यहां यह स्पष्ट कहना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश में रेलों के विकास हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार अपने सीमित साधनों के चलते हुए जितना भी सहयोग कर सकती है वह पूरा सहयोग करने के लिए सदैव तैयार है।

रेलें देश की एकता और अखंडता की प्रतीक

महोदय, रेलें किसी देश के केवल विकास की ही नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता की भी प्रतीक हैं। हमारा देश बहुभाषी, बहुरंगी एवं भिन्न-भिन्न जातियों के लोगों का देश है। इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, रीति-रिवाजों और विभिन्न पोषाक पहनने वाले लोग रहते हैं। रेलवे ही एकमात्र ऐसा साधन है जो उन्हें एक-दूसरे से जोड़ता है, एक-दूसरे की भाषा संस्कृति, रहन-सहन, पहनावा व खानपान से परिचित कराता है। इसलिए रेलें देश

के विकास के रथ के पहिए हैं। इनके विस्तार में किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए।

रेलों के विकास का आधार आर्थिक नहीं सामाजिक उत्थान

महोदय, रेलों का विकास आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में प्रकृति ने आपार सौंदर्य भरा है। ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत विकसित किए जा सकते हैं तथा जिन्हें देश के सर्वेश्रेष्ठ पर्यटक केन्द्रों के रूप में लाया जा सकता है, लेकिन रेलों के अभाव में प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं की पुण्य भूमि

हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं की भूमि है। हजारों वर्ष पुराने देवी-देवताओं के मंदिर एवं सिद्ध पीठ, ऐतिहासिक स्थल हैं जिनके दर्शनों हेतु न केवल देश बल्कि दुनिया से सैलानी आते हैं। कुल्लू का विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा, जिला कांगड़ा में ज्वाला जी, चिन्तपुर्णी, बृजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी, जिला बिलासपुर में श्री नैना देवी जी आदि अनेक सिद्ध पीठ व धार्मिक स्थल हैं, लेकिन रेलों के विकास के अभाव में दर्शनार्थियों की संख्या सीमित हो जाती है।

रेलें यातायात का प्रदूषण मुक्त साधन

महोदय, रेलें यातायात का प्रदूषण मुक्त साधन हैं। रेलों के विकास के अभाव में हिमाचल प्रदेश का सेब जो दुनिया में उत्तम कोटि का माना जाता है, ट्रकों से ढोया जाता है जिससे सड़ने-गलने की आशंका बनी रहती है तथा सड़कें बनाने पर पेड़ों को काटना पड़ता है जिससे पर्यावरण का इकौलौजीकल बैलेंस बिगड़ता है और ट्रकों के डीजल के धुएं के कारण वातावरण प्रदूषित होता है।

हि.प्र. से रक्षा सेनाओं में सबसे ज्यादा शहादत

महोदय, हिमाचल प्रदेश से भारत की रक्षा सेनाओं में सबसे ज्यादा लोग भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण कराने हेतु प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे मंडी में एक कम्प्यूट्रीकृत रेलवे बुकिंग टिकट केन्द्र बनाने के आदेश दें ताकि मंडी के लोगों को बिलासपुर-हि.प्र., कालका-हरियाणा या चंडीगढ़ अथवा पठानकोट-पंजाब नहीं जाना पड़े।

हि.प्र. में खेती एवं उद्योगों को बढ़ाने हेतु रेलों का विकास

महोदय, जैसा मैंने पहले कहा हिमाचल प्रदेश में खेती बहुत कम होती है और उद्योग भी बहुत कम हैं। देश के नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं। यदि प्रदेश के लोगों को रोजगार चाहिए तो वे उद्योग लगाकर अपना जीवनयापन कर सकते हैं, लेकिन रेलों के अभाव में उद्योग लाभकारी साबित नहीं हो सकेंगे क्योंकि जो भी कच्चा सामान वहां लाया जाएगा अथवा तैयार माल वहां से बाहर जाएगा वह रेलों के अभाव में महंगा पड़ेगा। इसलिए हि.प्र. में उद्योगों एवं खेती के विकास हेतु रेलों का विस्तार अनिवार्य है।

हि.प्र. में उच्च कोटि के फल एवं सब्जियों के बुलान हेतु रेलें आवश्यक

महोदय, हि.प्र. में देश का सर्वोच्च क्वालिटी का सेब, आलू का बीज और आफ सीजन सब्जियां पैदा होती हैं। इन्हीं की पैदावार पर हिमाचल प्रदेश के बागवान और कृषकों का जीवन निर्भर करता है। रेलों के अभाव में हि.प्र. का बागवान और किसान अपने सामान को शहरों तक नहीं पहुंचा पाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हिमाचल प्रदेश में नई रेल लाइनों की संभावनाओं का पता लगाया जाए और उनका सर्वेक्षण कराया जाए। जिनका सर्वेक्षण हो चुका है उनके निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और जो निर्माणाधीन हैं उनके निर्माण की गति तीव्र की जाए।

हि.प्र. में जलविद्युत उत्पादन को बढ़ाने हेतु रेलें आवश्यक

महोदय, यदि हि.प्र. में जलविद्युत ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना है, तो रेल चाहिए, यदि औद्योगिक विकास करना है, तो रेल चाहिए, यदि पर्यटन केन्द्रों को विकसित करना है, तो रेल चाहिए, यदि धार्मिक स्थलों को उन्नत करना है, तो रेल चाहिए। हर दृष्टि से रेलों के विकास पर ही हिमाचल प्रदेश का विकास निर्भर करता है। अत: रेलों के अभाव में हिमाचल प्रदेश इतने वर्षों से पिछड़ता चला आया है।

हि.प्र. की जनता के सब्र का बांध अब टूटने वाला है

महोदय, 56 वर्षों से रेलों के मामले में हिमाचल प्रदेश की उपेक्षा को देखते हुए जनता क्षुब्ध है। यदि लगातार अब भी हिमाचल की रेलों के मामले में उपेक्षा चलती रही, तो हिमाचल की शांतिप्रिय जनता अपना धीरज छोड़ने पर विवश हो जाएगी और क्रांति की ओर अग्रसर होगी। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जम्मू-कश्मीर की भांति उग्रवाद का रास्ता अपनाने हेतु हिमाचल की जनता को विवश न किया जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि हिमाचल की रेलों के मामले में न्यायोचित मांगों को शीघ्र स्वीकार किया जाए।

हिमाचल के लोगों ने विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु अपना विस्थापन स्वीकारा

महोदय, हिमाचल प्रदेश में केन्द्र सरकार ने अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया तथा अभी भी अनेक जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु हि.प्र. के हजारों गांवों के लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। हिमाचल प्रदेश की भोली-भाली जनता ने अपने घरों एवं लहलहाते खेतों को सिर्फ इसलिए जलमग्न होने दिया ताकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उद्योगों हेतु बिजली उपलब्ध हो

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

सके, लेकिन भाखड़ा बांध विस्थापित आज तक विस्थापितों का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक बसाने का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों की सहनशीलता की अब रेलों के मामले में और उपेक्षा कर परीक्षा न ली जाए।

महत्वपूर्ण सुझाव

महोदय, अन्त में मैं माननीय रेल मंत्री का केवल तीन-चार मुख्य बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए और सुझाव देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगी-

1. पठानकोट-जोगेन्द्र नगर रेल लाइन को ब्राडगेज किया जाए तथा हिमाचल प्रदेश में जहां-जहां रेल के दोनों ओर आबादी रहती है वहां-वहां रेलवे क्रासिंग दिया जाए।

2. बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेल लाइन के निर्माण हेतु इसी वर्ष धनराशि का प्रावधान किया जाए।

3. ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण हेतु इस वर्ष कम से कम 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए और इसे पांच वर्ष में बनाना सुनिश्चित किया जाए।

4. मंडी शहर में कंप्यूटरीकृत रेलवे बुकिंग टिकट केन्द्र स्थापित किया जाए।

5. रेल लाइन को जगाधरी से पांवटा साहब तक बढ़ाया जाए जहां से देहरादून केवल 40 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार जगाधरी से पांवटा साहब होते हुए देहरादून तक रेलवे लाइन उपलब्ध होगी जिससे हिमाचल के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने देश की आम जनता को ध्यान में रखते हुए, देश के उत्थान एवं कल्याण हेतु रेल बजट प्रस्तुत किया। मुझे अपने विचार सदन में प्रस्तुत करने हेतु समय देने के लिए मैं आपका भी पुन: आभार व्यक्त करती हूं।

***प्रो. चन्द्र कुमार** (कांगड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है। माननीय रेल मंत्री जी ने रेल के न तो यात्री किराए बढ़ाए हैं और न माल-भाड़ा बढ़ाया है, अपितु रेलों के माध्यम से अधिक ढुलाई करने पर मालभाड़े में छूट प्रदान की है। उनके द्वारा प्रस्तुत रेल बजट की सर्वत्र सराहना हो रही है।

महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने प्लास्टिक और थर्मोकोल के कपों के स्थान पर गांधीवादी विचारधारा को बढ़ाने हेतु रेलों में कुल्हड़ों के प्रयोग को बढ़ावा देकर देश के लाखों और करोड़ों गरीब कुम्हारों का उद्धार करने का काम किया है। देश के लाखों बेकार हो रहे बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से खादी के रेलों में प्रयोग को बढ़ावा देकर उन्होंने सच्चे अर्थों में गरीब एवं ग्रामीण जनता का हितैषी होने एवं भला करने का काम किया है। इससे आधुनिकता के तले दबकर देश का जो कुटीर उद्योग दम तोड़ रहा था उसका पुनरुद्धार होगा। देश के प्रदेशों की राजधानियों से सब्जी को दिल्ली पहुंचाने हेतु वातानुकूलित बोगियों की व्यवस्था करना तथा सब्जियों की रेल से ढुलाई की सुविधा प्रदान करने से देश के सब्जी उत्पादकों को भरपूर लाभ होगा, ऐसा विश्वास है।

महोदय, रेलवे सबसे अच्छा, सस्ता और प्रदूषण रहित यातायात का साधन है। इसका जितना विस्तार किया जाएगा, उतना ही राष्ट्र के हित में रहेगा। रेलों के बढ़ने से पहाड़ों में वृक्षों का कटान नहीं होगा और इससे इकोलौजिक बैलेंस बना रहेगा। देश में रेलों का विस्तार इको-फ्रैंडली होगा।

हि.प्र. के साथ रेलों के विकास में अन्याय हुआ

महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से आता हूं। हिमाचल प्रदेश देश का पहाड़ी, पिछड़ा एवं सीमावर्ती प्रान्त है। रेलों के मामले में हिमाचल प्रदेश में देश की आजादी के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। अंग्रेजों ने जो रेल लाइनें हिमाचल प्रदेश में आजादी से पूर्व बनाईं वही आज भी हैं। जबकि यदि आजादी के 56 वर्षों में देश भर में रेलों का जो विकास हुआ है, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के हिस्से की गणना की जाए, तो वह अरबों-खरबों रुपए बनता है जिससे हि.प्र. में रेलों का बहुत विकास हो सकता था, लेकिन न तो पूर्व सरकारों ने और न वर्तमान मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया। हि.प्र. में रेलों का प्रापर नैटवर्क बिछाया जाए। इससे जहां हि.प्र. में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, खनिजों की ढुलाई आसानी से की जा सकेगी वहीं दुर्लभ जड़ी-बूटियों को शहरों तक सरलता से पहुंचाया जा सकेगा।

महोदय, हिमाचल प्रदेश में रेलों का विस्तार एवं विकास क्यों आवश्यक है इस संबंध में मैं कुछ प्रमुख तथ्य माननीय रेल मंत्री जी एवं सदन के माध्यम से पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हि.प्र. के फलों एवं आफ सीजन सब्जियों के लिए रेलों का विकास आवश्यक

महोदय, हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपार सौंदर्य दिया है, लेकिन प्रदेश के सीमित साधनों के कारण उनका दोहन नहीं हो पा रहा है। उनके दोहन के लिए रेलों का जाल बिछाया जाना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश की भूमि इतनी शस्य श्यामला है कि वहां देश का सर्वोत्तम क्वालिटी का सेब पैदा होता है। वहां बादाम, खुबानी, चिलगोजे एवं अन्य अनेक सूखे मेवे पैदा होते हैं। हिमाचल प्रदेश में आफ-सीजन वैजीटेबल्स पैदा होती हैं। देश के दूसरे भागों में जो सब्जियां पैदा नहीं हो सकती हैं, वे हिमाचल प्रदेश में पैदा होती हैं, लेकिन रेलों के अभाव में हमारे बागवान व किसान अपने उत्पादन को शहरों तक नहीं ला पाते हैं। बीज का आलू केवल हि.प्र. में ही पैदा होता है। केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र ने शिमला के कुफरी में सर्वोत्तम क्वालिटी के आलू का बीज तैयार किया है जिसकी खेती हि.प्र. में की जाती है, लेकिन रेल लाइन नहीं होने के कारण किसानों को आलू का बीज ट्रकों के माध्यम से ढोना पड़ता है। हि.प्र. से करोड़ों की संख्या में सेब की पेटियां देश की राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी एवं देश के अन्य अनेक शहरों में रेल लाइनरों के अभाव में, केवल सड़कों के माध्यम से ही जाती हैं। यदि शिमला जिले के कोटगढ़, कोटखाई, रामपुर अथवा किन्नौर को रेलों के माध्यम से शिमला और कालका से सीधे जोड़ दिया जाता है, तो इससे किसानों को अपने सेब, आलू एवं सब्जियां देश के बड़े-बड़े शहरों में पहुंचाने में आसानी होगी तथा वे शीघ्रता से पहुंचाई जा सकेंगी। आप तो जानते ही हैं कि फल एवं सब्जियां शीघ्र सड़ने वाली (पैरीशेबल) होती हैं। इसलिए उन्हें एयरकंडीशंड वैन में भेजा जाता है। हि.प्र. में रेलों के विस्तार से जहां किसानों को सुविधा होगी वहां दूसरी ओर सड़कें बनाने पर वृक्षों के कटान से बचा जा सकेगा जिससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा और रेलों को भारी आय होगी।

रेलवे का सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हि.प्र. में विस्तार आवश्यक

महोदय, रेलों को रेल लाइनों के विस्तार एवं विकास में व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। रेलों का सामाजिक दायित्व भी है। भारत में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में, अलग-अलग लोग रहते हैं। उनकी अलग-अलग भाषाएं, रीति-रिवाज, वेषभूशा और खानपान है, लेकिन एकमात्र रेलवे ही ऐसा साधान है जो देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ता है और यात्रियों को एक-दूसरे के क्षेत्र, बोली-भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खानपान को समझने का अवसर मिलता है। इसलिए रेलों का देश की उन्नति में विशेष योगदान है और रेलों को देश की उन्नति के इस सामाजिक दायित्व को निभाना चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश के जनप्रतिनिधियों द्वारा हिमाचल प्रदेश में रेलों के विस्तार की बात कही जाती है, तो प्राय: रेल मंत्रालय का उत्तर यह होता है कि वहां रेलवे घाटे का सौदा होगी अथवा रेल लाइन उतने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों में बनाना कठिन एवं अत्यन्त खर्चीला है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि स्विटजरलैंड एवं अन्य यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों में रेलें बनाई गई हैं और चल रही हैं। हमारे देश का ही मैं उदाहरण दूं जम्मू से श्रीनगर वैली से रेल लाइन का निर्माण प्रगति पर है। हिमाचल प्रदेश में तो प्रकृति ने अपार सौंदर्य एवं वन संपदा का भंडार भरा हुआ है। यदि हिमाचल प्रदेश में रेलों का विस्तार और विकास किया जाता है, तो वह कभी भी रेल मंत्रालय के लिए घाटे का सौदा नहीं हो सकता।

हि.प्र. में रेलों का विकास और विस्तार सामरिक दृष्टि से आवश्यक

महोदय, हिमाचल प्रदेश देव भूमि कही जाती है। हिमालय की उत्तुंग श्रृंखलाओं में हिमाचल प्रदेश बसा है। देश के सबसे ऊंचे दर्रे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और कुंजम पास हैं जो क्रमश: 14 हजार 500 फीट एवं 17 हजार फीट पर अवस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर की सीमाएं चीन से मिलती हैं और जिला चम्बा की पांगी और भरमौर तहसीलों की सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगती हैं। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में रेलों का विकास और विस्तार किन्नौर जिले के मुख्यालय कल्पा, लाहौल के मुख्यालय केलंग, स्पीति के मुख्यालय काजा एवं चम्बा जिलों के तहसील मुख्यालय पांगी भरमौर को जोड़ा जाना सामरिक महत्व की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है।

हि.प्र. में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रेलों का विकास आवश्यक

महोदय, हिमाचल प्रदेश न केवल देश का बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन का केन्द्र है। यहां दुनियाभर से लोग आईस्केटिंग करने आते हैं। बर्फ के अन्य अनेक प्रकार के खेल यहां होते हैं, लेकिन रेलों के अभाव में ज्यादा लोग नहीं आ पाते हैं।

महोदय, कांगड़ा जिले में हजारों वर्ष पुराने अनेक मंदिर एवं सिद्ध पीठ हैं जिनके दर्शनों हेतु लाखों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी जो बृजेश्वरी माता के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है, चिन्तपुर्णी माता, चामुंडा माता आदि अनेक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल हैं। बिलासपुर में श्री नैना देवी, जिला सिरमौर में पांवटा में सिख भाइयों का प्राचीन गुरुद्वारा है। ये सभी ऐसे स्थान हैं जहां देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। यदि मैं हिमाचल प्रदेश के प्राचीन मंदिरों और देवी-देवताओं को गिनाने लगूं, तो महोदय, बहुत समय लग जाएगा। चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप

[प्रो. चन्द्र कुमार]

में कहना चाहता हूं। हि.प्र. में ऐसे अनेक विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं जहां लाखों की संख्या में प्रति वर्ष देशी और विदेशी लोग आते हैं, लेकिन रेलों के अभाव में आने वालों की संख्या सीमित हो जाती है।

मैं रेल मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उनके राज्य बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखों श्रद्धालु परिवारों में कांगड़ा जिले की बृजेश्वरी माता पूजी जाती है और वह उनकी कुलदेवी है जिसके दर्शन करने बिहार से लाखों दर्शनार्थी प्रति वर्ष आते हैं।

महोदय, हि.प्र. में कुल्लू और मनाली जैसे सुन्दर पर्यटक स्थल हैं। कुल्लू दशहरा न केवल देश में बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है और अन्तर्राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे अनेक स्थान हैं, जिन्हें यदि रेलवे बनाकर देश के अन्य भागों से जोड़ा जाए, तो प्रदेश का पर्यटन बढ़ेगा और देश को अपार विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। इससे रेलों को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।

हि.प्र. में आजादी के बाद केवल दो रेल लाइनों के निर्माण की स्वीकृति

महोदय, मुझे इस बात को अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 56 वर्ष की आजादी के बाद केवल मात्र एक बड़ी रेल लाइन ऊना-नंगल-तलवाड़ा, 112.9 किलोमीटर एवं दूसरी कालका से परवाणु तक 7 किलोमीटर रेल लाइनों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनके निर्माण का कार्य चल रहा है।

ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन

महोदय, ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन का सर्वेक्षण वर्ष 1973 में पूर्ण हुआ। वर्ष 1973 से इसके निर्माण का कार्य चल रहा है। अब, जब मैं आज सदन में बोल रहा हूं, इसके निर्माण कार्य को चले हुए 31 वर्ष हो चुके हैं और केवल मात्र 33 किलोमीटर रेल लाइन बन पाई है। यदि आप इसके निर्माण की गति को देखें, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष लगभग एक किलोमीटर रेल लाइन बनी है। यदि इसके निर्माण की यही गति रही, तो आप स्वयं देख लीजिए इसमें 100 वर्ष लग जाएंगे।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस रेल लाइन के 112.9 किलोमीटर के निर्माण पर 210 करोड़ रुपए व्यय होने हैं। पिछले 31 वर्षों में 81.47 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए हैं और अभी 117.53 लाख रुपए और व्यय होने हैं। इस वर्ष इस लाइन के निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। यदि इतनी धीमी गति से यह कार्य चलेगा और इतना कम धन आबंटित होगा, तो जब रेल लाइन बनकर तैयार होगी, तब उसका उद्घाटन करने के लिए न तो मंत्री जी रहेंगे और न मैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस रेल लाइन को तीव्र गति से निर्मित किया जाए। इस वर्ष इसके निर्माण हेतु कम से कम 80 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएं और इसके निर्माण की पांच वर्ष की समय सीमा तय की जाए।

पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नैरोगेज रेलवे लाइन

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में एक नौरोगेज रेल लाइन पठानकोट-जोगेन्द्र नगर कांगड़ा वैली एक्सप्रैस के नाम से चलती है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1913 में किया था। उस समय इस लाइन की आवश्यकता इसलिए प्रतीत हुई कि जिला मंडी में जोगेन्द्र नगर के समीप उहल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किए जाने हेतु भारी मशीनरी लाई जानी थी। तब से अब तक यह नौरोगेज लाइन ही रही है। इसे ब्राड गेज किए जाने हेतु मुझे रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण हो चुका है। यदि सर्वेक्षण हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कब हुआ है और सर्वेक्षण के बाद क्या इसके निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई की गई या टोकन एमाउंट का प्रावीजन किया गया?

यदि टोकन एमाउंट का भी प्रावीजन नहीं किया गया, तो सर्वेक्षण का क्या फायदा? पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नैरोगेज लाइन को मनाली तक बढ़ाया जाए। कुल्लू जिले में पार्वती जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है जिसकी भारी मशीनरी रेलों से सरलता से ढोई जा सकती है। इस लाइन का मनाली तक विस्तार करने से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि ऊर्जा परियोजनाओं की मशीनरी एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी जिससे रेल के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।

हि.प्र. में औद्योगिक विकास के लिए रेलवे आवश्यक

महोदय, हि.प्र. में उद्योग नहीं के बराबर हैं। यदि रेलों का विकास किया जाए और कालका से नालागढ़ (जिला सोलन) होते हुए बद्दी तक रेल लाइन बना दी जाए, तो हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की बहुत वृद्धि होगी जिससे प्रदेश की आय के साथ-साथ भारत सरकार को उत्पाद-शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) के रूप में भारी राजस्व की प्राप्ति होगी।

सीमेंट कंपनियों के विकास और विस्तार हेतु हि.प्र. में रेलों की आवश्यकता

महोदय, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में सीमेंट बनाने के लिए उत्तम कोटि का पत्थर (रा-मटीरियल) उपलब्ध है। इसलिए वहां सीमेंट बनाने की ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री, बरमाणा में अम्बूजा सीमेंट फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है तथा निजी क्षेत्र में अनेक

फैक्ट्रियां स्थापित हो रही हैं, लेकिन रेलों के अभाव में फैक्ट्रियों के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है क्योंकि सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए बड़ी-बड़ी मशीनरी ट्रकों में ले जाई जाती हैं जिससे विलम्ब होता है तथा मशीनरी सुरक्षित नहीं पहुंच पाती है। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में तैयार सीमेंट को ट्रकों से प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है जो काफी खर्चीला होता है तथा समय भी अधिक लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेल लाइन का निर्माण किया जाए।

बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेलवे लाइन का निर्माण

महोदय, मुझे बताया गया है कि बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेलवे के निर्माण हेतु काफी पहले सर्वेक्षण हुआ था और पिछले कुछ वर्षों में सतलुज वैली रेलवे कार्पोरेशन की स्थापना की गई थी जिसमें संभवत: 50 प्रतिशत हिस्सा रेल मंत्रालय, 25 प्रतिशत भाग, हि.प्र. सरकार तथा 25 प्रतिशत निजी सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाना था, लेकिन अभी तक इसकी प्रगति कहीं दिखाई नहीं देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस निगम को समाप्त कर दिया गया है। मेरा आग्रह है कि इस रेल लाइन का निर्माण कोंकण वैली रेलवे कार्पोरेशन की तर्ज पर एक निगम बनाकर करना चाहिए। इसके निर्माण से शिमला जिले से ऊपर स्थित रामपुर एवं उसके आसपास का हिस्सा सीधे रेल से जुड़ जाएगा जिससे वहां के किसानों के सेब, मेवे एवं सब्जियां रेलों द्वारा ढोई जा सकेंगी।

रानीताल होते हुए ज्वाला देवी तक रेलवे लाइन का निर्माण

महोदय, जैसा मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं की प्राचीन एवं पुरातन ऐतिहासिक भूमि रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला मां के दर्शनों हेतु लाखों की संख्या में दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रेलों के अभाव में उन्हें बहुत कठनाई का सामना करना पड़ रहा है। पठानकोट से जोगेन्द्र नगर तक पहले ही रेलवे लाइन मौजूद है। यदि इससे लगभग 16 किलोमीटर रानीताल होते हुए रेल लाइन बनाकर ज्वाला देवी को जोड़ दिया जाए और ज्वाला देवी से द्योटसिद्ध नामक अत्यन्त प्राचीन धार्मिक स्थल को रेल के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो जहां वृद्ध अशक्त एवं महिला यात्रियों को देवी-देवताओं के दर्शनों का लाभ होगा वहां रेलवे को पुण्य के साथ-साथ काफी राजस्व की प्राप्ति होगी और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

आनन्दपुर साहब से श्री नैना देवी 20 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण

महोदय, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में श्री नैना देवी अत्यन्त प्राचीन धार्मिक स्थल है। यदि उसे आनन्दपुर साहब से लगभग 20 किलोमीटर रेल लाइन बनाकर जोड़ दिया जाए, तो रेलवे को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी। एक अनुमान के अनुसार श्री नैना देवी के दर्शनों हेतु प्रति वर्ष लगभग 8 लाख श्रद्धालु आते हैं।

हि.प्र. के भाखड़ा बांध विस्थापितों के कल्याण हेतु रेलों का विस्तार आवश्यक

महोदय, जैसा कि देश जानता है 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को बिजली उपलब्ध कराने की दृष्टि से भाखड़ा बांध बनाया गया जिसमें हि.प्र. के हजारों गांव उजाड़े गए और लाखों लोग विस्थापित किए गए।

महोदय, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपने हरे-भरे खेत खलिहान और घर इसलिए जलमग्न होने दिए जिससे कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को विद्युत उपलब्ध हो सके और उद्योगों का विकास हो सके तथा राजस्थान के रेगिस्तान में फसलें लहलहा उठें, लेकिन उनके साथ केन्द्र सरकार ने सम्मानपूर्वक उनके पुनर्वास करने का जो वायदा किया उसे पूरी तरह नहीं निभाया। परिणामस्वरूप 44 साल के बाद आज भी बहुत सारे ऐसे भाखड़ा बांध विस्थापित हैं जिनका सम्मानपूर्वक पुनर्वास नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जिन भागों में उन्हें बसाया गया है, वहां उनके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। जहां उन्हें बसाया गया है वहां न तो सड़कें हैं, न पेयजल है और न स्कूल व अन्य आधारभूत सुविधाएं हैं। यदि कांगड़ा और बिलासपुर जहां उन्हें अधिक संख्या में बसाया गया है वहां रेलों का विस्तार किया जाता है तो उन्हें सुविधा मिलेगी।

हि.प्र. के सैनिकों हेतु कंप्यूटराइज्ड टिकिट बुकिंग केन्द्र ज्वाली में बनाया जाए

महोदय, आप तो जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग और खेती नहीं के बराबर है। वहां के लोग सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने में गौरव महसूस करते हैं। यही कारण है कि चीन के साथ पाकिस्तान का 1962 का युद्ध, पाकिस्तान के साथ भारत का 1972 का युद्ध अथवा कारगिल का युद्ध, कोई भी हो, सभी में हिमाचल प्रदेश के अनेक सैनिकों ने अपनी शहादत देकर देश के सम्मान की रक्षा की और दुश्मनों के नापाक इरादे कुचल दिए। यद्यपि उनके परिवारों को सैनिकों की बहादुरी हेतु मरणोपरान्त अनेक पदकों से सम्मानित किया गया, तथापि आज सैनिकों को रेलों से आने-जाने हेतु अपना आरक्षण कराने कालका, पठानकोट अथवा चंडीगढ़ जाना पड़ता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि कांगड़ा जिले के तहसील मुख्यालय ज्वाली में एक कंप्यूटराइज्ड टिकिट बुकिंग केन्द्र की स्थापना की जाए।

[प्रो. चन्द्र कुमार]

दिल्ली से पठानकोट के लिए शताब्दी रेल सेवा चलाना आवश्यक

महोदय, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, तत्कालीन रेल मंत्री की दूरदृष्टि और सोच का परिणाम था कि उन्होंने दिल्ली से प्रमुख शहरों को शताब्दी रेल सेवाएं चलानी प्रारम्भ कीं। शताब्दी रेल सेवा से जहां यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित एवं शीघ्र यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध हो रही है वहीं रेलवे को भी इनसे भारी आय हो रही है। शताब्दी रेल सेवाएं देश में रेलों के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो रही हैं, लेकिन मुझे खेद के साथ बोलना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार पठानकोट के लिए अभी तक शताब्दी सेवा प्रारम्भ नहीं की गई है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे दिल्ली से पठानकोट और पठानकोट से दिल्ली शताब्दी रेल सेवा तत्काल प्रारम्भ कराएं।

रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएं

महोदय, हम देखते हैं कि देश भर में रेलवे की भूमि पर विशेष रूप से शहरों में रेलवे लाइनों के किनारे लोगों ने भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इससे जहां रेलवे लाइन के चारों ओर गंदगी बढ़ती है वहीं दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से निवदेन है कि वे रेलवे की भूमि से अतिक्रमण को क्रमबद्ध ढंग से हटाने की मुहिम चलाएं। जहां वास्तव में गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वहां उन्हें पुनर्वासित करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे पड़ी गंदगी को दूर किया जाए

महोदय, आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब किसी भी दिशा से रेल प्रातः काल दिल्ली पहुंचती है, तो रेलों के किनारे अपार गंदगी देखने को मिलती है। बहुत से लोग सुबह रेलों के किनारे शौच कर रहे होते हैं जिससे मन बहुत खराब होता है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि शहरों के प्रारम्भ होते ही रेलों के किनारे जो गंदगी हो रही है उसे दूर किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे यह गंदगी पुनः इकट्ठी नहीं हो। देश के अनेक स्टेशन ऐसे हैं जो देखने में काउ-शैड से भी बदतर लगते हैं। ऐसे स्टेशनों को सुधारा जाए। इससे देश में आने वाली विदेशी पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब विदेशी पर्यटक दिल्ली में रेलों के किनारे पड़ी गंदगी देखते हैं, तो उनके मन में यह भाव आना स्वाभाविक है कि जब देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इतनी गंदगी है, तो सारे भारत में गंदगी का यही आलम होगा। अतः इस दिशा में विशेष पग उठाना लाजमी है।

महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुझाव जिन्हें रेल मंत्री स्वीकार करें

महोदय, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है। इसलिए अब मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे इन सुझावों पर जरूर गंभीरता से विचार करें और रेल बजट पर बहस पर उत्तर देते समय मेरे सुझावों को उसमें शामिल करें।

महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, मेरे इन सुझावों को स्वीकार कर लें और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु बजट में प्रावधान करने की घोषणा सदन में करें:-

1. ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के बजट को इस वर्ष 80 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए और उसका निर्माण एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पांच वर्ष में पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. परवाणु से तलवाड़ा तक रेल लाइन का निर्माण शीघ्र किया जाए।
3. पठानकोट-जोगेन्द्र नगर, कांगड़ा वैली एक्सप्रैस को नौरोगेज से ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाए।
4. बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेल लाइन का निर्माण कोंकण वैली रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन की तर्ज पर किया जाए।
5. रानीताल होते हुए ज्वाला देवी तक 16 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाए।
6. आनन्दपुर साहब से श्री नैना देवी जी तक 20 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाए।
7. कालका से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तक रेल लाइन का निर्माण किया जाए, ताकि बद्दी औद्योगिक क्षेत्र सीधा रेल से जुड़ सके।
8. देहरादून-पांवटा साहब-यमुना नगर रेल लाइन का निर्माण किया जाए।
9. पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नौरोगेज रेल लाइन पर निम्नलिखित स्थानों पर रेलवे क्रासिंग बनाए जाएं-

(1) तलाड़ा में रेलवे क्रासिंग

(2) जरोट धाड़ में रेलवे क्रासिंग

(3) नन्दपुर भटोली में रेलवे क्रासिंग

(4) पंचरूखी, तथा

(5) त्रिप्पल के निकट रेलवे क्रासिंग बनाए जाएं।

10. पठानकोट में नौरोगेज रेलवे स्टेशन के निकट टिकट घर नहीं होने के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। अत: नौरोगेज रेलवे प्लेटफार्म के निकट ही टिकिट वितरण खिड़की बनाई जाए।

11. पठानकोट में नौरोगेज रेलवे प्लेटफार्म पर ब्राडगेज रेलवे लिंक सेवा एवं ब्राडगेज रेलवे स्टेशन पर नौरोगेज रेल लिंक सेवा के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं है। इसलिए दोनों प्लेटफार्मों पर इस बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराई जाए और सूचनापट्ट लगाए जाएं ताकि यात्री समय की जानकारी के अभाव में भाग-दौड़ से बच सकें।

12. हिमाचल प्रदेश स्थित रेलवे स्टेशनों का रख-रखाव ठीक नहीं है। वहां रात्रि में रोशनी की व्यवस्था नहीं है, अनेक स्टेशनों पर शैड नहीं है तथा अनेक पर प्लेटफार्म भी ठीक नहीं हैं। इन्हें सुधारा और विकसित किया जाए।

13. हि.प्र. में जिन रेलवे स्टेशनों पर जहां विश्राम गृह नहीं हैं वहां विश्राम गृह बनाए जाने चाहिए। जहां वेटिंग रूम हैं वहां बहुत गंदगी रहती है। इसलिए उनकी सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

14. ज्वाली में कंप्यूटरीकृत टिकिट बुकिंग एवं आरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए।

15. पठानकोट पर नई दिल्ली-राजधानी का ठहराव दिया जाए।

16. पठानकोट से गुजरने वाली सभी एक्सप्रैस एवं मेल ट्रेनों में हिमाचल प्रदेश के आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए ताकि हिमाचल के भू.पू. सैनिकों को आरक्षण सरलता से उपलब्ध हो सके।

17. हि.प्र. को भेजे जाने वाले सामान जैसे अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, लकड़ी और कोयला आदि कीरतपुर साहब स्टेशन पर न उतारा जाकर हिमाचल क्षेत्र के नंगल रेलवे स्टेशन पर उतारा जाए और वहां से ट्रकों से हि.प्र. में भेजा जाए।

18. दिल्ली से पठानकोट शताब्दी ट्रेन चलनी चाहिए।

महोदय, अन्त में, मैं रेल मंत्री महोदय का आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला, देश की चहुंमुखी प्रगति करने वाले रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको पुन: आभार व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य** (शिमला): रेल बजट की सभी प्रकार से प्रशंसा एवं सराहना की जानी चाहिए। भारतीय रेल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विभिन्न परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों में भाग लेने वाले उम्मीदवार रेलगाड़ी से मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। यह लोकतांत्रिक और बहुलवादी भावनाओं के अनुरूप है तथा इससे बेरोजगार नवयुवकों को साक्षात्कारों या परीक्षाओं की यात्रा से संबंधित खर्च की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। यह राष्ट्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि रेलगाड़ियों में खादी एवं कुल्हड़ का उपयोग आवश्यक बना दिया गया है तथा पेय पदार्थ के रूप में छाछ/मट्ठा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे घरेलू उद्योग को और बल मिलेगा तथा उनकी बिक्री में वृद्धि होगी जिससे करोड़ों गरीब व्यक्तियों एवं बेरोजगार नवयुवकों को रोजी-रोटी के साधन सुलभ हो जाएंगे। इससे ऐसे गरीब खादी बुनकरों जो अब तक बेरोजगार थे को भी अपनी रोजी-रोटी के साधन फिर से पुनरुज्जीवित करने का अवसर मिलेगा।

देश के सभी भागों में रेलवे के जबर्दस्त विस्तार के बावजूद, जिस एकमात्र राज्य पर इस संबंध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, वह है हिमाचल प्रदेश। इस राज्य की रेल-पटरियां स्वतंत्रता से पूर्व बिछायी गई थीं और उनमें कोई अतिरिक्त सुधार या विस्तार नहीं किया गया है। रेलवे द्वारा विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन व्यवस्था के अभाव में राज्य की पर्यटन क्षमता का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। रेलवे के समुचित नेटवर्क के अभाव में कच्चे माल/निर्यात वस्तुओं की ढुलाई भी बहुत हद तक प्रभावित हुई है। हालांकि, ''परवानू'' एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हो चुका है फिर भी अभी तक छोटी लाइन (नैरो गेज) की रेलगाड़ियों अर्थात् ''टाय ट्रेन'' या सड़क द्वारा ही कच्चे माल/निर्मित वस्तुओं की ढुलाई हो रही है। परवानू से या परवानो तक कच्चे माल/निर्मित वस्तुओं की सस्ती ढुलाई को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की तत्काल आवश्यकता है।

माननीय रेल मंत्री को जानकारी होगी कि गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने दरलाघाट, जिला-सोलन (हि.प्र.) में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्टरी स्थापित की है। चूंकि दरलाघाट किसी रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, अत: सीमेंट फैक्टरी द्वारा निर्मित 'क्लिंकर' ट्रकों द्वारा शिमला-मंडी राजमार्ग से नांगल/रोपड़ तक ले जाया जाता है। इस काम के लिए सैकड़ों गाड़ियों का प्रयोग किए

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य]

जाने से प्रदूषण के अलावा यातायात-जाम की समस्या भी उठ खड़ी हुई है। गाड़ियों के ज्यादा आवागमन से नदियों और उपनदियों के ऊपर बने राजमार्गों/पुलों को क्षति पहुंची है तथा कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।

इस महत्वपूर्ण रेल संपर्क को आगामी वित्तीय वर्ष के सर्वेक्षण में रखने के उनके अत्यंत अच्छे कार्य के लिए मैं अपने प्रदेश की जनता के साथ माननीय रेल मंत्री का आभारी हूं। इस क्षेत्र में हमारे नए स्थापित औद्योगिक शहरों को जोड़ने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेल संपर्क के निर्माण में उनका यह कदम अत्यंत कारगर साबित होगा तथा इससे इस पिछड़े इलाके में विकास और प्रगति के एक नए युग की शुरूआत होगी।

रेलवे नेटवर्क के विस्तार से किसानों को अपने उत्पाद नाममात्र खर्च पर विभिन्न जगहों तक ले जाने में आसानी होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से हिमाचल प्रदेश में नई रेलवे लाइन के लिए निम्नलिखित विस्तार/उन्नयन/सर्वेक्षण पर विचार करने का अनुरोध करता हूं:-

(क) समर हिल के नजदीक कालका-शिमला रेल लाइन पर बने वर्तमान छोटे रेलवे पुल को चौड़ा करना/बढ़ाना।

(ख) कालका रेलवे स्टेशन से परवानू तक की छोटी लाइन के वर्तमान रेलवे ट्रैक को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना।

(ग) जोगिन्दर नगर से मंडी तक रेलवे लाइन को बढ़ाया जाए तथा बिलासपुर होते हुए उसे कीरतपुर से जोड़ा जाए। इस रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाए।

(घ) एक बड़ी लाइन रेल ट्रैक द्वारा धनौली-नालागढ़-बद्दी को जोड़ने और अंत में उन्हें कालका-चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक में पिंजौड़ के निकट मिलाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण किया जाना।

(ङ) रेलवे लाइन को देहरादून से पांवटा साहिब होते हुए नाहन तक बढ़ाया जाए। इसके लिए प्राथमिकता आधार पर सर्वेक्षण कराया जाए।

नंगला-तलवाड़ा और कामली-परवानू रेल संपर्क परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन।

***श्रीमती पी. सती देवी** (बडागरा): महोदय, रेल बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं एक ऐसा बजट पेश करने के लिए माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं जो इस सरकार के उस दृष्टिकोण को सामने रखता है जो कि इस देश की आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर आधारित है।

जब बजट पेश किया जाता है तब समाज के लगभग सभी तबकों का ध्यान रखा जाता है। रियायतें देते वक्त समाज के कमजोर तबकों को प्राथमिकता दी जाती है।

इस देश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब नौकरी ढूंढने वाले युवा वर्ग को साक्षात्कार देने के लिए भारतीय रेल द्वारा मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। गूंगे और बहरे व्यक्तियों को उनकी यात्रा के लिए दी गई विशेष रियायत तथा किसी बीमारी के इलाज के लिए यात्रा करने वाले बीमार व्यक्ति एवं उसके सहयोगी को दी जाने वाली रियायत से कमजोर तबके के प्रति सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

रेलवे की महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय और विभिन्न असंगठित तबकों को आवंटित नई सुविधाओं की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है। इससे उनमें यह भावना पैदा होगी कि वे वास्तव में भारतीय रेल के अभिन्न अंग हैं।

संरक्षा, सुरक्षा, स्वच्छता और बेहतर वातावरण आदि के लिए प्रस्तावित उपायों से भारतीय रेल की शक्ल ही बदल जाएगी। हमारी रेल की संरक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्लास्टिक कपों को हटाए जाने और कुल्हड़ की शुरूआत किए जाने की पूरे देश द्वारा प्रशंसा की जाएगी। सफाई की बेहतर सुविधा की शुरूआत से वर्तमान गंभीर स्थिति का पूर्णत: निराकरण हो जाएगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि रेल बजट से समाज को और ज्यादा सामाजिक न्याय मिलेगा। हालांकि, इस रेल बजट में प्रशंसा के लिए और अनेक चीजें हैं किंतु केरल की जनता इस बजट से काफी खिन्न है क्योंकि इसमें केरल वासियों की समस्याओं पर किंचित भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

यद्यपि कई राज्यों में अनेक नई रेल गाड़ियां आरम्भ की गयी हैं, परन्तु केरल में कोई नई रेल गाड़ी आरम्भ नहीं की गयी है। केवल कुछ रेलगाड़ियों को केरल तक बढ़ाया गया है। इस राज्य का रेल राजस्व में बड़ा योगदान है जहां पर लोग नेक और ईमानदार हैं (जैसा कि हम सब जानते हैं कि केरल में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या ना के बराबर है) अत: कम से कम दिल्ली से तिरूअनंतपुरम के बीच रेलगाड़ी का प्रावधान किया जाना चाहिये था।

लम्बे समय से लंबित तेल्लिचेरि-मैसूर रेल पर कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। यह कर्नाटक और हमारे राज्य के उत्तरी क्षेत्र के लोगों की बड़ी आकांक्षा है।

दिन-प्रतिदिन महिला यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है इसे देखते हुए कम दूरी की रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए आरक्षित रेल डिब्बों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

तेल्लिचेरि एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। परन्तु विभिन्न प्राधिकारियों को कई ज्ञापन देने के बाद भी यहां पर कई रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं है। इंटरसिटी एक्सप्रैस का तेल्लिचेरि में ठहराव होना चाहिये। जबलपुर-त्रिवेन्द्रम-कन्नौर यशवंतपुर एक्सप्रैस और एर्णाकुलम-जैरपुर एक्सप्रैस का भी यहां पर ठहराव होना चाहिये।

वडाकरा एक अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। गांधीधाम एक्सप्रैस, हाप-तिरूअनंतपुरम एक्सप्रैस, जम्मूतवी एक्सप्रैस भी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती है। अत: इस स्टेशन पर इनका ठहराव बनाया जाए।

इस क्षेत्र में रेल लाइनों के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। रेल लाइनों के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है परन्तु नये निर्माण किये गये प्लेटफार्मों पर छत नहीं है। जिससे यात्रियों को विशेष रूप से वर्षा ऋतु में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए वडाकरा और तेल्लिचेरि स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर छतों का निर्माण किया जाना चाहिये।

*प्रो. के.एम. कादर मोहिद्दीन (वेल्लौर): माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत रेल बजट को आम लोगों का बजट बताया गया है। यह एक लोक लुभावना बजट नहीं है जैसा कि कुछ आलोचकों ने कहा है। यह रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत एक सर्वाधिक लोकप्रिय बजट है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने 22 मई, 2004 को कार्यभार सम्भाला और माननीय रेलमंत्री ने 6 जुलाई, 2004 को रेल बजट प्रस्तुत किया। बजट तैयार करने में 45 दिन लगे। इतने कम समय में माननीय मंत्री ने रेलवे की चुनौतियों और समस्याओं को ध्यान में रखकर एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया है और उन्हें माननीय सदस्यों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों तथा अपने राज्यों के संबंध में सुझाव भी प्राप्त हुए।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ध्यान में रखकर उन्होंने यह बजट तैयार किया है जिसका आधार निम्नवत् है:

(क) रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण

(ख) कुशल प्रशासन

(ग) खर्चों को कम करना

(घ) यात्री सुविधाओं में बढ़ोत्तरी

बजट में गांधीवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया है। इन्होंने हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की याद दिलायी है। रेल विभाग में खादी का प्रयोग शुरू करने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। नेहरू जी ने खादी को स्वतंत्रता का गणवेश कहा था। यह साम्प्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। अली बंधु-मौलाना शौकत अली तथा मौलाना मोहम्मद अली महात्मा गांधी के साथ थे। अली बंधुओं की मां 'बी अम्मा' खादी का कपड़ा बुना करती थी उन्होंने कहा था "हाथ से बनाया गया कपड़ा खद्दर जितना मजबूत होता है"। हमें बताया गया है कि खादी शब्द की उत्पत्ति अरबी के खदर शब्द से हुई है। खादी के कपड़े वास्तव में राष्ट्र में साम्प्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। 21वीं सदी में खादी की परम्परा को पुन: अपनाकर भारत 21वीं सदी का एक अनुकरणीय राष्ट्र के रूप में फले-फूले।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निम्न सुझावों पर विचार करने का आग्रह करता हूं:

(क) कन्याकुमारी से चेन्नई तक पटरी का दोहरीकरण किया जाए, इस पटरी दोहरीकरण के साथ ही चेन्नई-कन्याकुमारी रेल मार्ग का विद्युतीकरण भी किया जाए।

(ख) चेन्नई से केरल जाने वाले यात्रियों के लिए दिन में चेन्नई से मंगलूर के बीच एक्सप्रैस गाड़ी शुरू की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर विचार किया जायेगा।

(ग) धात्विक रद्दी को पुन: चक्रित करने का प्रस्ताव एक सराहनीय कदम है। मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि तमिलनाडु के कतपड़ी जंक्शन के पास पुन: चक्रित करने की कार्यशाला खोली जाए। यह स्थान मध्य में स्थित पेरम्बूर कोच फैक्ट्री के समीप स्थित है। बेकार धात्विक रद्दी के पुन: चक्रित करने की कार्यशाला स्थापित करने से प्रशासन पर लगने वाले कदाचार के आरोपों से भी मुक्ति पायी जा सकेगी। यह देश के शिक्षित, प्रतिभावान तथा कुशल योग्यता रखने वाले युवकों के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगा।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[प्रो. के.एम. कादर मोहिद्दीन]

(घ) कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में रहने वाले तमिलनाडु के लोगों की यह काफी लम्बे समय से मांग रही है।

बंगलौर से चेन्नई जाने वाले रास्ते में कुप्पम, कोलार के.जी.एफ., वी. कोटा, पेरनामबेट और गुडियातम स्टेशनों को भी शामिल किया जाए। यह तीनों राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।

(ङ) चेन्नई से बेल्लाचेरी तक चलने वाली 'फ्लाइंग' रेल ऐतिहासिक मंदिरों के शहर मामलापुरम तक बढ़ाया जाए। इस रेल लाइन को कोटटप्पम होकर पांडिचेरी जाने वाली रेल लाइन से जोड़ा जाए।

उन्होंने अपने बजट भाषण में आम आदमी द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रयोग किया है। जो कि सभी वर्गों के लोगों द्वारा समझी जाती है। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का परहेज किया है और समाज के कमजोर वर्गों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग किया है।

[हिन्दी]

***श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा** (मिर्जापुर): महोदय, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आदिवासी विकास के लिए क्या उपाय (कदम) उठाया गया है और क्या उठाया जा रहा है।

***श्री विजय कृष्ण** (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, मध्य पूर्व रेलवे के बिहटा से औरंगाबाद तक नयी रेल लाइन बिछायी जाये। गया से बोद्धगया तक नयी रेल लाइन बनायी जाये। मोकामा स्थित भारत वैगन जो भारी उद्योग मंत्रालय का उपक्रम है, बंदी के कगार पर है। श्रमिकों को सात माह से वेतन नहीं मिला। यह खारखाना रेल डिब्बा बनाने का काम करता रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि रेल मंत्रालय मोकामा स्थित भारत वैगन का अधिग्रहण कर ले ताकि मजदूर भूखों मरने से बचें एवं कारखाना बेहतर ढंग से चल सके।

मध्य पूर्व रेलवे दानापुर डिवीजन स्थित फतुहां इस्लामपुर रेलवे को इस्लामपुर से मानपुर गया तक बढ़ा दिया जाये। पटना से किऊल तथा पटना से बक्सर के बीच शहरी उपनगरीय सेवा चालू की जाये। अलग रेल लाइन बिछायी जाये ताकि आम जन को सुविधा हो सके। फतुहां, पटना जिला, बिहार का रेलवे यार्ड व्यवस्थित किया जाये।

मध्य पूर्व रेलवे के बाढ़, मोकामा बख्तियारपुर, फतुहां आदि किऊल से पटना के बीच तथा पटना से मसौढ़ी के बीच के स्टेशनों का सौंदर्यकरण किया जाये।

[अनुवाद]

***श्री बीर सिंह महतो** (पुरूलिया): महोदय, मैं रेल बजट पर अपने भाषण को सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

मैं इस रेल बजट का समर्थन करता हूं। माननीय रेल मंत्री ने झारग्राम-पुरूलिया रेल मार्ग के सर्वेक्षण की बात कही है। परन्तु इसका सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है।

मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस नई रेल लाइन के निर्माण का कार्य शीघ्र करवायें।

मैं माननीय रेल मंत्री से हावड़ा से पुरूलिया के रास्ते मुंबई तक नई रेल सेवा आरम्भ करने का भी आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): अध्यक्ष महोदय, रेलवे रिटायरिंग रूम में सांसदों को कम रेट पर प्राथमिकता पर कमरे पूरे स्टेशन पर एक दिन दिया जाए। भरवारी, कौशाम्बी उ.प्र. रेलवे क्रासिंग पर पुल। भरवारी, सिरायू स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा हो क्योंकि नवसृजित जनपद कौशाम्बी का मुख्य स्टेशन है।

इलाहाबाद स्लीपर प्लांट पर और रेलवे यांत्रिक समान का निर्माण हो। एन.सी.आर. कार्यालय सूबेदार गंज पर तत्काल बने। सुबेदारगंज, बम्हरौली, मनौरी, सैयदसरांव, भरवारी स्टेशनों में सिरायू, खागा का मरम्मत निर्माण हो। नव सृजित जनपद कौशाम्बी का मुख्य जंक्शन स्टेशन भरवारी बने। कटिहार एक्स. का ठहराव दो मिनट का भरवारी, सिराथू स्टेशनों अप-डाउन पर हो।

[अनुवाद]

@***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केरल में विगत 25 वर्षों से विधायक था और 2 बार मंत्री भी रहा। परन्तु बतौर सांसद, यह मेरा पहला अनुभव है।

महोदय, हमारा देश देवताओं का देश है और मेरे विचार से मुझे जनता के विचार अपनी मातृभाषा मलयालम में ही व्यक्त करने चाहिए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

@मूलत: मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, काफी समय पूर्व, 8 जुलाई, 1988 को मेरे राज्य में पेरूमन में रेल दुर्घटना में 105 लोग मारे गए थे। अब, 16 वर्षों बाद 6 जुलाई 2004 को एक बार फिर हम रेल दुर्घटना के गवाह हैं। नि:सन्देह यह इस वर्ष के रेल बजट के रूप में हुई। परन्तु, हताहत न होने के लिए ड्राइवर को धन्यवाद।

महोदय, हमारे राज्य की चिन्ताओं और अपेक्षाओं से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और हम सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री को अवगत कराने के लिए तमाम प्रयास किये हैं। महोदय, मेरे विचार से एक केन्द्रीय मंत्री को एक राज्य विशेष के मंत्री की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए। जहां तक विकास का संबंध है, केन्द्रीय मंत्रियों की दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। जब रेल मंत्री परियोजनाएं आवंटित करे, तो उन्हें राजनीतिक बाध्यताओं या अन्य विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, मंत्री जी को किसी भी राज्य के असंतुलित विकास के मामले में उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। महोदय, जब वित्तीय दृष्टि से हमारे कमजोर बच्चों की बात होती है। तो माता-पिता के तौर पर हम भी ऐसा ही करते हैं। यह स्वाभाविक है कि संतुलन बनाने के लिए, उन्हें ज्यादा हिस्सा देते हैं। महोदय, इसी प्रकार हमारा राज्य देश को सुदूर दक्षिणी राज्य, केरल भी विशेष ध्यान और विचार किये जाने का पात्र है।

महोदय, हालांकि हम केरल के लोग किराया न बढ़ाये जाने और भाड़ा शुल्क को न बदलने के लिए माननीय रेलवे मंत्री के आभारी हैं। इसके अतिरिक्त हम संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा अपने पहले रेलवे बजट में आधारभूत सुविधाओं, यात्री सुरक्षा और इससे संबंधित पहलुओं को अत्यंत महत्व दिये जाने के लिए भी हम इसके आभारी हैं। कमजोर वर्गों की ओर ध्यान दिया जाना भी प्रशंसनीय है। नि:सन्देह, महोदय, हम इस आम आदमी के बजट का दिल से स्वागत करते हैं।

परन्तु महोदय, हम अलग रेलवे जोन न दिये जाने के लिए चिन्तित हैं। उपरि पुलों, रेलवे स्टेशनों या नयी रेलवे लाइनों के लिये आवंटन नहीं किया गया है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र-मुकुन्दपुरम में उपरि-पुलों के कार्य के शीघ्र पूरा करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

महोदय, केरल के लोग अत्यंत जागरूक हैं। वे संस्कृति और शिक्षा में अग्रणी हैं। महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे राज्य से लोक सभा में एक भी कांग्रेस सदस्य नहीं है।

महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बगैर टिकट चलने वाले यात्रियों की सबसे कम संख्या मेरे राज्य से है। आदि शंकर का जन्म स्थल कलाड़ी है- जिसके पास 'अनकमाली फोर केलोडी' रेलवे स्टेशन है। यह राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। आदिशंकर के नाम पर यहां विश्वविद्यालय है। मलयात्तौर जैसे इसाई धार्मिक स्थल और नेदुम्बासरी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी इस रेलवे स्टेशन के पास ही है। महोदय, सबरी रेल यहीं से प्रारम्भ होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग-47 और एम सी रोड यहां मिलती है। इरंगलकुड्डा, कोडुंगलूर और कोराटी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक केन्द्र भी मुकुन्दपुरम में हैं।

महोदय, 4 वर्ष पूर्व तत्कालीन रेल मंत्री जी ने वायदा किया था कि थिरूसूर-एरनाकुलम मार्ग पर एक ईएमयू चलायी जायेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वह वायदा पूरा करें। यदि यह संभव नहीं हो, तो कृपया इस क्षेत्र में एक उप-शहरी सेवा प्रारम्भ करें।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कन्नौर-एरनाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस, पालघाट-तिरूवनंतपुरम अमृता एक्सप्रेस और अल्पूजा-धनबाद स्टील सिटी एक्सप्रेस के लिए अन्कनाली, चालक्कुडी और इरंगलकुडा में ठहराव बनाये जायें। इसके अतिरिक्त, बंद की गयी पार्सल सेवा पुन: प्रारम्भ की जायें। अन्कमली और इरंगलकुड्डा में कम्प्यूटर आरक्षण सेवा प्रदान की जायें।

महोदय, मैं एक बार फिर रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बजट पारित होने से पूर्व, मेरे राज्य केरल पर विचार किया जाये और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे राज्य के साथ न्याय करेंगे।

***प्रो. एम. रामदास** (पांडिचेरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी द्वारा इस महीने की 6 तारीख को पेश किये गये 2004-05 के रेलवे बजट पर चर्चा में शामिल होने का मौका दिये जाने के लिये, मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, सबसे पहले तर्कसंगत और अच्छा रेलवे बजट प्रस्तुत करने के लिए मुझे माननीय रेल मंत्री, दोनों राज्य मंत्रियों और रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देनी चाहिए। हमें अपने रेलवे मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए सामान्य बजट से वित्तीय समर्थन के आश्वासन, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता और आवश्यक निर्देश प्रदान करने के लिए मुझे कांग्रेस (आई) की नेता, श्रीमती सोनिया जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी तहेदिल से धन्यवाद देना चाहिए। आम आदमी की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं तथा अपेक्षाओं और वित्तीय बाध्यताओं के बीच सत्ता में आने के 44 दिनों के भीतर ही रेलवे बजट तैयार किया गया था। इतनी बाध्यताओं के बावजूद, रेलवे बजट में अच्छे अर्थशास्त्र के सभी तत्व और विशेषतायें हैं जिनके लिए लालू जी पूर्ण प्रशंसा और सराहना के पात्र हैं। पिछले

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[प्रो. एम. रामदास]

बजटों की बजाय, इस बजट में राजनीति से ज्यादा अर्थशास्त्र है जैसी की कुछ समालोचक इसकी ऐसी ही व्याख्या करेंगे। आम आदमी की के साथ न्याय करते हुए रेलवे के संतुलित विकास के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए व्यावसायिकता, व्यावहारिकता और लोकोन्मुखी दृष्टि का संयोजन कर लालू जी ने अद्वितीय क्षमता का परिचय दिया है। लोग प्राय: कहते हैं कि पकवानों का मजा खाने में है, ठीक उसी प्रकार बजट की कसौटी पर खरे उतरने का अंदाजा लोगों और प्रेस की प्रक्रियाओं में होता है। मेरे विचार से, यह उन कुछ चुनिंदा बजटों में से है, जिसका समाज के अधिकांश वर्गों और देश के अखबारों द्वारा स्वागत किया गया है और व्यापक सराहना की गयी है। रेलवे के विकास के पहलुओं में बाधा पहुंचाये बिना इसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। नि:सन्देह यह बजट गरीब के लिए है, अमीर के लिए है, महिलाओं के लिए है, आम आदमी के लिए है, दक्षिण के लिए है, उत्तर के लिए है, पश्चिम के लिए है और पूर्व के लिए है। यह रोजगार करने वाले लोगों के लिए है, बेरोजगार के लिए है, समर्थ के लिए है, असमर्थ के लिए है, सुरक्षा के लिए है संरक्षा के लिए है, आधुनिकीकरण और विकास के लिए है। यह पर्यावरण के अनुकूल है, अर्थशास्त्र के अनुकूल है, कुशलता के अनुकूल क्षमता है और इस सबसे ऊपर समानता के अनुकूल है। यह अत्यंत व्यापक है और इतना प्रसन्नदायी बजट है कि बिहार की माननीय मुख्य मंत्री, लालू जी की अर्द्धांगिनी, राबड़ी देवी ने इसे "अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट" बताया है। मात्र यही बताता है कि प्रत्येक महान व्यक्ति के पीछे एक औरत होती है। मैं संक्षिप्तरूप से यही कहूंगा कि हमारे रेलवे मंत्री जी ने "प्रतिकूल हालात में सर्वोत्तम कार्य को अंजाम दिया है।

एक बजट चाहे वह रेलवे बजट हो या सामान्य बजट उसमें क्षेत्र विशेष की दशास्थिती को सुधारने के लिए उपचारात्मक कदम होने चाहिए। उस दृष्टिकोण से हमारे रेलवे मंत्री जी ने जनकल्याण में इसके योगदान और कृषि, उद्योग सेवा क्षेत्र, आधारभूत संरचना और निर्यात के विकास के बरक्स रेल परिवहन प्रणाली की चुनौतियों और कमियों को सही-सही पहचाना है। इसके अनुसार, उन्होंने रेलवे के लिए "पांच प्राथमिकताएं" तय की है, जो कि सुरक्षा और संरक्षा, आधुनिकीकरण और विकास; परिसम्पत्तियों का नवीनीकरण और प्रतिस्थापन; डिब्बों और रेलवे प्रांगणों की सफाई और व्यय कम करके यात्री सुविधाओं और समेकित निधि में सुधार करना है।

उन्होंने इमानदारी बरतते हुए न सिर्फ प्राथमिक लक्ष्य निर्धारित किये है, बल्कि इन लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में हासिल करने के लिए व्यापक उपचारात्मक कदम भी उठाये हैं। इन उपायों की जानकारी इस सम्माननीय सभा को है और उन्हें दोहराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे रेलवे मंत्री जी की एक अन्य अद्वितीय उपलब्धि यह है कि व्यय और राजस्व के अभाव के दबाव में भी, वे अधिशेष बजट तैयार करने में सक्षम रहे हैं। 42,290 करोड़ रु. की अनुमानित आय होगी जबकि 873 करोड़ रु. अधिशेष छोड़ने के बाद कुल व्यय 41,417 करोड़ रु. का होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यात्रियों को भाड़ा में, बेरोजगार, विकलांग, कुम्हारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों विधवाओं को कई प्रकार की राजस्व रियायतें प्रदान करने और दिहाड़ी और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर 1000 करोड़ रु. के व्यय और बहुत ज्यादा सरकारी खर्च के दायित्व के बावजूद यह अधिशेष हासिल किया गया है। कठिन परिस्थिति के बावजूद हमारे रेल मंत्री अपने-अपने कार्यनिष्पादन में अव्वल रहे हैं जो केवल इस तथ्य का प्रतिपादन करता है। माननीय श्री लालू जी केवल राजनीतिक प्रबंधन में ही अच्छे नहीं हैं, अपितु उनका वित्तीय प्रबंधन भी अच्छा है।

विकास, आधुनिकीकरण तथा विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेलवे का योजना परिव्यय बढ़ा दिया है जो सुचारू अर्थव्यवस्था का द्योतक है न कि राजनीति से प्रेरित। अंतरिम बजट में परिव्यय को 13,425 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 14,498 करोड़ कर दिया गया है। यह धनराशि नई रेल लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण, नई रेलगाड़ियों, पुरानी पटरियों को बदलने आदि पर खर्चा होगी। उन्होंने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के वायदे को अमली जामा पहनाया है।

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत, रेलवे का कार्यनिष्पादन प्रशंसनीय है।

		कारोबार	लाभ	लाभांश
–	इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड	800 करोड़	87 करोड़	18.81 करोड़
–	'राइट्स लिमिटेड	321.5 करोड़	54.5 करोड़	5 करोड़
–	कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया	1534 करोड़	272.8 करोड़	71.5 करोड़
–	दि इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड	73.6 करोड़	5.5 करोड़	1.2 करोड़

भारतीय रेल वित्त निगम ने 2775 करोड़ रुपये जुटाए, 68 बिजली चालित इंजनों, 92 डीजल इंजनों, 1653 डिब्बे तथा 4731 वैगन के अर्जन के लिए वित्तीय सहायता दी। उसे 334.5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ तथा उसका लाभांश 101 करोड़ रुपये रहा। अन्यत्र सरकारी क्षेत्र के उद्यम के गिरते मनोबल तथा अर्थव्यवस्था की प्रशंसनीय पराकाष्ठा को बंद करने की सिफारिश को देखते हुए यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र इस राष्ट्र का गौरव है तथा रेलवे ने उस गौरव और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

विमान सेवा तथा सड़क परिवहन से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उद्देश्य से उन्होंने यात्री किराया और भाड़ा दरों को बढ़ाया नहीं है तथा इस प्रकार उनमें फेल-बदल नहीं किया है। भारी मशीनरी के अनुपात में भाड़ा दरों पर 10 प्रतिशत की छूट भी सही दिशा में एक कदम है। रेलवे ने कुल 32 नई रेलगाड़ियों का प्रस्ताव किया है जो विभिन्न राज्यों को नई दिल्ली से बेहतर ढंग से जोड़ेंगी, उन्होंने नौ मौजूदा रेल सेवाओं का विस्तार किया है तथा 12 अन्य रेलगाड़ियों की आवाजाही में बढ़ोत्तरी की है। विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निर्धारित लक्ष्य है:- 375 कि.मी. का विद्युतीकरण, 4125 कि.मी. पटरी का नवीकरण, 273 कि.मी.-नई रेल लाइनों का निर्माण, 1000 कि.मी.-आमान परिवर्तन, 381 कि.मी.-दोहरीकरण, चल स्टाक डीजल-संख्या 120, बिजली-संख्या 90, डिब्बे 2546 यूनिट, 4 व्हीलर वैगन-20000

चाहे यह प्रौद्योगिकी, विकास, प्रबंधन, तकनीक तथा अपने प्रयोक्ताओं को सुविधाओं का प्रावधान हो, प्रस्तावित बजट में ये तथा किए गए अन्य उपाय वास्तव में इस प्रणाली को सर्वोत्तम प्रणालियों में से एक बनाने हेतु मुख्य विशेषताएं हैं।

माननीय रेल मंत्री के लघु आवधिक उपायों पर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए, मैं उन्हें कुछ अपूर्ण कार्य तथा उनके समक्ष पड़े दीर्घावधिक अनिवार्य कार्यों के बारे में याद दिलाना चाहता हूं।

स्पष्टत:, हमारी पहली चिंता का विषय रेलवे की वित्तीय स्थिति है। हमारे रेल मंत्री ने बड़े लक्ष्य रखे हैं लेकिन इन्हें प्राप्त करने हेतु अपेक्षित संसाधन पहले की भांति कम हैं। 14,498 करोड़ रुपये का योजनागत व्यय का मात्र 20 प्रतिशत रेलवे के आंतरिक संसाधनों से पूरा होता है जबकि शेष 80 प्रतिशत विभिन्न रूपों में मुख्यत: सामान्य राजकोष से है तथा 20 प्रतिशत बाजार ऋण से पूरा होगा। यह वास्तव में स्वसहायता का स्तर कम है। संचालन अनुपात 100 रुपये अर्जित करने में व्यय राशि-जो वर्ष 1951 और 1966 में युक्तिसंगत थी, (यह 74.7 तथा 84.7 के बीच में थी) बाद में कम हो गई। इस वर्ष के बजट में कहा गया है कि संचालन अनुपात 92.6 प्रतिशत है जबकि अंतरिम बजट में यह 93 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि रेलवे 100 रुपये कमाने के लिए 92.6 रुपये खर्च कर रही है—इस प्रकार केवल 7.4 रुपये बचते हैं। इससे राजस्व वृद्धि और आंतरिक संसाधन जुटाने में बहुत दबाव पड़ा है। यह अनुमान लगाया गया है कि मार्च, 2004 को समाप्त हुई छह वर्ष की अवधि के भीतर औसतन 8.7 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर 9.65 प्रतिशत की व्यय वृद्धि दर से पीछे है।

लागत में यह वृद्धि क्यों होती है?

1. नियोक्ता-उत्पादकता का कम स्तर
2. पांचवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के कारण कर्मचारियों पर लागत में वृद्धि।

राजस्व के संदर्भ में, कोयला, सीमेंट, इस्पात तथा पेट्रोलियम उत्पादों में मौजूदा उच्च भाड़ा दर तथा सड़क क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के चलते, रेलवे संभवत: सरकारी क्षेत्र से मिलने वाले संरक्षण को भी खो सकता है जो अपने महत्त्वपूर्ण सामान के परिवहन के लिए रेलवे का उपयोग करता रहा है।

इसके बाद राजस्व हानि का प्रश्न आता है, जैसाकि मंत्री महोदय ने स्वयं माना है कि बिना टिकट यात्रा तथा अन्य कदाचारों, कम राजस्व तथा अधिक प्रचालन व्यय ने रेल की वित्त व्यवस्था को कठिन स्थिति में डाल दिया है। भावी विकास पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। इस पर सरकार को इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। बजट में दर्शाए गए खर्च का तरीका विकास तथा नवीनीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। रुपया कहां खर्च होता है दर्शाता निम्नलिखित आंकड़ा सही तस्वीर पेश करता है।

रुपया कहां खर्च हुआ:

कर्मचारी वेतन तथा पेंशन	–	45 पै.
ईंधन	–	17 पै.
विविध/प्रकीर्ण	–	10 पै.
पट्टा प्रभार	–	8 पै.
मूल्यह्रास आरक्षित निधि	–	6 पै.
लाभांश	–	6 पै.
भंडार	–	5 पै.
रेल सुरक्षा	–	2 पै.
विकास	–	1 पै.
		100 पै.

[प्रो. रामदास]

यह जानकर निराशा होती है कि 100 में मात्र एक पैसा विकास पर खर्च किया जाता है जो अत्यंत ही अपर्याप्त है। हमें कुछ सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

भारतीय रेल संबंधी राकेश मोहन समिति ने अनेक आवश्यक उपायों का सुझाव दिया है, जैसे:-

1. मुख्य और गौण कृत्यों का विभाजन
2. निगमित लेखा पद्धतियों का अनुसरण करने हेतु लेखा प्रणाली को पुनः तैयार करना।
3. निजी भागीदारी को अनुमति देने हेतु एक विधायी ढांचा तैयार करना।
4. एक विनियामक, भारतीय रेल विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।
5. सामाजिक और अन्य उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करना।

सरकार इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सकती हैं। मैं, माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस बजट के पृष्ठ 17 में "उपेक्षा की अनुभूत भावना" की ओर दिलाना चाहता हूं। पांडिचेरी के लोगों की यही भावना है। अब क्योंकि उन्होंने कोई नई पहल- विद्युतीकरण, नई ट्रेन या नई लाइन का निर्माण को शामिल नहीं किया है। पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र चार सुदूर क्षेत्रों, तमिलनाडु में पांडिचेरी तथा कराईकल, केरल में माहे तथा आंध्र प्रदेश में युआम में फैली फ्रेंच संस्कृति का आइना है। इन चार क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए कोई रेल संपर्क नहीं है। पांडिचेरी-विलुपुरम लाइन का विद्युतीकरण सबसे पहला कार्य है। चेन्नई से पांडिचेरी तक सत्पथी एक्सप्रेस चलाने पर भी विचार किया जाए। तिरूवल्लूर जो तेजी से पर्यटक स्थल बनता जा रहा है उसे मईलादुथुरई से जोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली से पांडिचेरी के बीच एक क्रांति एक्सप्रेस पर भी विचार किया जाए। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री पांडिचेरी पर भी कुछ ध्यान देंगे जो रेलवे विकास की दृष्टि से एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है।

***श्रीमती सी.एस. सुजाता** (मवेलीकारा): महोदय, सर्वप्रथम मैं इस विशेषाधिकार का प्रयोग माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को उनके प्रगतिशील बजट 2004-2005 के लिए बधाई देने के लिए करना चाहती हूं। पिछले बजटों की तुलना में मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि यह बजट प्रगतिशील एवं जनहित में है। जैसा कि सभी जानते हैं वर्तमान बजट संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है, जिसका आम आदमी पर किसी भी प्रकार का बोझ डालने का विचार नहीं था।

महोदय, लालू जी द्वारा पेश किये बजट में आम आदमी, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र, जिसे देश की रीढ़ समझा जाता है, पर विशेष जोर दिया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिन्दु रेलवे विकास, उद्योगों का संवर्द्धन एवं आधारभूत संरचना का सुधार करना है।

महोदय, बजट का मुख्य आकर्षण यह है कि इसमें पिछले वर्षों की तरह कोई यात्री किराया और माल भाड़ा नहीं बढ़ाया जाना है। महोदय, प्रजातांत्रिक देश होने के नाते यहां की जनता की आकांक्षाएं सर्वोच्च होती हैं जिन्हें लोकप्रिय सरकारों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। आम आदमी के लिए अधिकतम कल्याणकारी उपाय करना सरकार का कर्त्तव्य है। इस दृष्टिकोण से वर्तमान बजट वास्तव में वांछनीय है। महोदय, बजट में पुलिस कर्मिकों एवं अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों, आतंकवादियों/उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी तथा शयनयान श्रेणी किराये में 75% रियायत का प्रावधान किया गया है, हीमोफिलिया रोगियों के लिए प्रस्तावित रियायतें आकर्षण हैं तथा ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। 1998-99 के बजट में बेरोजगार युवकों के लिए घोषित मुफ्त यात्रा सुविधा जिसका कार्यान्वयन नहीं किया गया उसका वर्तमान बजट में पुनः प्रस्ताव किया जाना सही मायनों में प्रशंसनीय है क्योंकि अन्य राज्यों के युवाओं के साथ-साथ केरल के शिक्षित युवा भी इससे लाभान्वित लेंगे।

महोदय, हम केरलवासियों के लिए प्रत्येक रेलवे बजट एक दुःस्वप्न होता है क्योंकि महोदय, किराये भाड़े में एक पैसे की वृद्धि से भी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने से आम आदमी दैनिक जीवन पर अत्यधिक भार पड़ सकता है।

महोदय, जहां तक केरल का संबंध है किराये में मामूली सी वृद्धि से आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महोदय, हम केरलवासी लोगों के लिए उनकी सूझबुझ भरी वचनबद्धता के लिए श्री लालू जी के आभारी हैं, जिसमें किराया नहीं बढ़ाया गया है जिससे राजस्व प्राप्तियां प्रभावित होंगी लेकिन आम आदमी का कल्याण होगा।

महोदय, यह ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2004-05 के लिए 3750 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण केरल के अंतर्गत आता है। महोदय, आबंटित निधि अपर्याप्त है। महोदय, बजट प्रावधानों में बताया गया है कि रेल पहियों की कमी चल रही हैं तथा उसके लिए पहिया कारखाना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि केरल में 1800 से अधिक रेल डिब्बे प्रयोग में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लाये जा रहे हैं जिनका अनुरक्षण पेरम्बदुर में किया जा रहा है, उनके लिए केरल में एक अनुरक्षण कार्यशाला स्थापित की जाए। महोदय, केरल में ऐसी अनुरक्षण कार्यशाला की स्थापना से दीर्घकाल में मरम्मत/अनुरक्षण खर्च में कमी आएगी।

महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार कामगारों के कल्याण का स्तर ऊंचा उठाने के लिए वनचबद्ध है। महोदय, वर्तमान बजट में रेलवे के असंगठित क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए प्रस्तावित विभिन्न उपायों की सभी ने बहुत प्रशंसा की है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बजट से हम केरलवासी सन्तुष्ट नहीं हैं। केरल सरकार के साथ-साथ श्री वी.एस. अचुदानंदन के नेतृत्व में विपक्ष ने तथा केरल के सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री तथा रेल मंत्री के समक्ष जून में रेलवे जोन स्थापित किये जाने की मांग रखी थी जिससे निश्चित रूप से केरल में रेलवे की विकास संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। लेकिन इस अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। इस परिस्थिति में केरल की ओर से आगे मैं आपसे विद्यमान तकनीकी एवं प्रशासनिक दोनों आपत्तियों के बावजूद केरल में अलग जोन की हमारी मांग पर गम्भीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इसके अतिरिक्त विद्युतीकरण, लाइनों के दोहरीकरण, आमान परिवर्तन आदि के लिए चालू परियोजनाओं हेतु 183.74 रुपये की निधियों का संरचनात्मक आबंटन हुआ है। महोदय, यह सही है कि वर्तमान बजट आबंटन पिछले वर्ष (128 करोड़) से अधिक है लेकिन प्रस्ताव अपर्याप्त है। लाइनों के दोहरीकरण की मंजूरी का काम शोरानूर-मंगलापुरम तथा एर्नाकुलम-लायाएकलम के रास्ते सामान्य विधान की पद्धति से की जा सकती है। हमें कोई नयी रेलगाड़ी नहीं मिली है। इससे रेल बजट में प्रदर्शित अनुकूल रवैये की चमक फीकी पड़ गई है।

महोदय, अपने भाषण को समाप्त करते हुए मुझे यह कहना कि यह बजट न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर आधारित संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार का पहला प्रयास है, जिसमें पहले की तरह आम आदमी पर किराये में वृद्धि का भार नहीं डाला गया है। यह एक गौरव का विषय है तथा यह हमारे देश के इतिहास में पहली बार है। एक तरीके से इस बजट से समाज के लगभग सभी वर्ग सन्तुष्ट हैं। मैं आशा करता हूं बजट परिप्रेक्ष्य की ये दिशाएं भविष्य में भी जारी रहेंगी।

[हिन्दी]

***श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उदयपुर): माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट में न तो भविष्य की दिशा है न ही आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा का कोई उल्लेख है। संयुक्त प्रगतिशील सरकार का यह बजट देश के लिए निराशाजनक है। इस बजट में राज्यों के साथ भेदभाव खटकता है और इस तरह की मानसिकता से देश कभी मजबूत नहीं हो सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि केन्द्र की सरकार एक राज्य विशेष को तो रेल बजट के माध्यम से विशेष स्थान दें और दूसरे राज्यों की उपेक्षा करें। रेल बजट हो या आम बजट, इसमें राजस्थान के साथ इरादतन अन्याय किया गया है। मैं खास तौर से माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहूंगी, जहां रेल बजट में तीन सर्वेक्षणों की बात कही गयी है, परन्तु उन पर कार्य करने के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं है। फलौदी, नागौर, रतलाम बांसवाड़ा, पुष्कर मेडता रोड, उज्जैन एवं झालावाड़ा लाईनों के बारे में आज की स्थिति में समीक्षा करने को कह कर मामले को टाला गया है। राजस्थान में दोहरी लाईन बिछाने के लिए मात्र तीन करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जबकि जयपुर फुलेरा के बीच ही जो लाईन है उस पर 82.8सी करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह हास्यास्पद स्थिति है। अजमेर चित्तौड़ उदयपुर खण्ड को पूरा करने की जगह चित्तौड़ उदयपुर खण्ड को ही जोड़ने से मूल योजना लंबित हो जाएगी।

उदयपुर संभाग के लिए तो यह रेल बजट आदिवासियों और पिछड़े क्षेत्र के नागरिकों को चिढ़ने वाला है। रेल मंत्रालय विकास के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। यह यहां की जनता के साथ कुठाराघात है। उदयपुर खनिजों और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है इसके लिए चित्तौड़ उदयपुर के बीच आमान परिवर्तन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। अजमेर चित्तौड़ को तो जैसे भुला दिया गया है। बांसवाड़ा को रतलाम से जोड़ने, बड़ी सादड़ी को नीमच से जोड़ना, मावली से नाथद्वारा-राजसमन्द जोड़ने के कार्य के संबंध में ये बजट दिशाहीन है। उदयपुर अहमदाबाद के आमान परिवर्तन के लिए सरकार को मात्र 150 किलोमीटर का ही कार्य करवाना है। इससे उदयपुर संभाग गुजरात से जुड़कर पूरे दक्षिण भारत से जुड़ जायेगा। जिससे खनिज एवं पर्यटन उद्योग के व्यवसाय में बहुत बढ़ावा होगा और न केवल राजस्थान को ही बल्कि केन्द्र सरकार के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ केन्द्र सरकार देश भर में मीटरगेज को समाप्त कर ब्राडगेज करने की घोषणा कर रही है और दूसरी तरफ दक्षिणी राजस्थान के इस भाग में आज भी आजादी पूर्व से चली आ रही ट्रेनें ही यात्रियों को ढो रही हैं। यह रेल पटरियां इस तरह असुरक्षित सी हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा होने की संभावना है। वर्तमान रेल बजट में उदयपुर अहमदाबाद के सर्वे कार्यों को सरकार ने भुला दिया है। और कानों में तेल डालकर रेल मंत्रालय सो गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

उदयपुर से मारवाड़ जंक्शन के आमान परिवर्तन की मांग बहुत लम्बे समय से रखी जाती रही है लेकिन इस दिशा में रेल मंत्रालय एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि पूर्व में जो रेलगाड़ी मीटरगेज पर चल रही थी वह भी बंद हो गयी है।

उदयपुर शहर के नागरिकों के लिए अभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा केवल सिटी स्टेशन पर ही है, जिसे राणाप्रताप नगर जो उदयपुर का ही एक भाग है, जहां से काफी सवारियां चढ़ती हैं, वहां पर भी आरक्षण की सुविधा एवं विश्रामालय एवं अन्य जरूरी सुविधायें रेल मंत्रालय उपलब्ध करवाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह बजट आम आदमी के लिए निराशाजनक और रेलवे की विस्तार की दृष्टि से उत्साहीन है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से बजट में संशोधन कर उदयपुर संभाग के लिए बेहतर रेल सुविधायें, रेलों का विस्तार एवं नये आमान परिवर्तन और सर्वेक्षण की मांग करती हूं।

माननीय अध्यक्ष जी महिलों के आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में अलग से महिलाओं के कोच लोकन ट्रेन, लम्बी दूरी की ट्रेन और पैसेंजर ट्रेनों में आरक्षित करवायें। ताकि महिला यात्रियों को सुविधा हो और महिलायें अकेले रेल द्वारा सफर करने में अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें।

माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि लम्बी दूरी की ट्रेनें जहां 12 से 18 घंटे की यात्रा होती है, जिनमें बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं, जहां कैटरिंग व्यवस्था नहीं है, उसमें कैटरिंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से करवायी जाये ताकि हजारों यात्रियों को सुविधा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान रेल बजट के उस पहलू पर आकर्षित करना चाहती हूं, जहां बेरोजगारों को इंटरव्यू के लिए दिये जाने वाले फ्री पास का उल्लेख किया गया है, इसमें मंत्री जी यह भी स्पष्ट करें कि फ्री पास सरकार, अर्द्धसरकारी सभी नौकरियों के बुलावे पर दिया जायेगा, जिससे कि बेरोजगार युवाओं को फ्री पास उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

[अनुवाद]

***श्री सनत कुमार मंडल** (जयनगर): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत 2004-05 के रेल बजट पर बोलने के लिए खड़ा हूं।

आम चुनावों के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार सत्ता में आई। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव नए रेल मंत्री बने। मुझे प्रसन्नता है और मैं एक बार पुन: उन्हें बधाई देता हूं।

रेल मंत्री ने यात्री किराये एवं मालभाड़े में वृद्धि नहीं की है। इसका सभी ने स्वागत किया है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार माननीय मंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ की हैं। मैं उनकी नई पहल का समर्थन करता हूं।

यात्रियों की सुरक्षा चिन्ता का प्रमुख विषय है। दुर्भाग्यवश, श्री यादव के रेल मंत्री बनने के बाद लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में अपराध बढ़े हैं। रेलमंत्री ने कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। इनसे कड़ाई से निपटना होगा। अन्यथा, यात्री सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जयनगर में रेल समस्याओं के बारे में बनाता हूं। श्री यादव ने रेल मंत्री बनने के बाद सांसदों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे थे। मैंने भी माननीय मंत्री को अपने सुझाव दिये थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे सुझावों पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र में दीर्घकाल से चली आ रही कुछ समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। इससे पहले मैं उन्हें वर्तमान में चल रही दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है, के बारे में बताना चाहता हूं। सोनारपुर-कैनिंग (प्रथम चरण) रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए इस वर्ष के बजट में केवल एक करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। ऐसे ही बारूईपुर-लक्ष्मीकांतपुर लाईन के दोहरीकरण के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर किये गए हैं। पूर्व रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने बजट में प्रत्येक परियोजना के लिए एक करोड़ की राशि मंजूर की थी। मैंने आशा की थी कि श्री लालू प्रसाद यादव उनका अनुसरण नहीं करेंगे तथा अधिक धनराशि मंजूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि कार्य ऐसे ही चलता रहा तो यात्रियों के लिए अतिमहत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण दोहरीकरण परियोजनाओं को पूरा होने में कई दशक लग जायेंगे। इसके अतिरिक्त, सोनारपुर से कैनिंग तथा बरीपुर से लक्ष्मीकान्तनगर स्टेशन तक प्रत्येक स्टेशन पर पीने योग्य पानी तथा उपयोग योग्य शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों के लिए यह चिरस्थायी समस्या है। हालांकि, मैं भी इस समस्या को यहां वर्षों से उठा रहा हूं लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है।

एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। कैनिंग एक उप-खण्ड कस्बा है तथा यहां बड़े क्षेत्र से लोग आते हैं लेकिन लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में आरक्षण सुविधा की कमी के कारण उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आपको ज्ञात है कि सुन्दरवन बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है तथा कैनिंग सुन्दरबन का प्रवेशद्वार है। यदि उन्हें यह आरक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उन्हें अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

करता हूं कि इस बारे में ध्यान दें ताकि लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में यथाशीघ्र कैनिंग स्टेशन पर आरक्षण सुविधा प्रारम्भ की जा सके।

यह भी ध्यान में आया है कि पिछले वर्षों में कैनिंग आने एवं वहां से जाने वाले यात्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सियालदह-कैनिंग तथा सियालदाह-लक्ष्मीकान्तपुर के बीच रेलगाड़ियों की बारम्बरता की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई जाए। स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए माल्टा नदी के ऊपर से सियालदाह-कैनिंग लाइन को सोनाखली तक बढ़ाये जाने का तथा सुन्दरबन के पर्यटकों की बेहतर सुविधा के लिए तथा जयनगर से रायडिघी तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भी था। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए सर्वेक्षण कार्य करवाया जाए।

महोदय, कैनिंग स्टेशन के आसपास रेलवे की अत्यधिक रेलवे भूमि है। इस भूमि को स्थानीय गरीब व्यापारियों के लाभ के लिए पट्टे पर दे दिया जाना चाहिए। भूमि का लम्बे समय से कोई उपयोग नहीं हो रहा है। रेलवे को कुछ राजस्व प्राप्त हो सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आपके माध्यम से शीघ्र निर्णय के लिए इसे मैं माननीय रेल मंत्री के ध्यान में लाता हूं।

अंत में, महोदय, कैनिंग रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है। लेकिन यहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं का अभाव है तथा आदर्श स्टेशन होने के बावजूद भी यहां उपयुक्त यात्री-सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि कैनिंग स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं। पर्यटकों के हित में स्टेशन पर एक यात्री निवास का निर्माण किया जाए। महोदय, मैंने यात्रियों को हो रही कुछ समस्याओं, जिन पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, के बारे में बताया है।

मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री इस बारे में ध्यान देंगे।

***डा. के.एस. मनोज** (अलेप्पी): महोदय, रेल बजट की इस चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आरम्भ में, मैं माननीय रेल मंत्री को इस सभा में अद्वितीय रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता चाहता हूं कि किराए और माल-भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह गरीबों के अनुकूल बजट है और माननीय मंत्री जी ने बजट को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान किया है जो कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के पूर्णत: अनुरूप है।

माननीय मंत्री जी समाज के विभिन्न वर्गों जैसे अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, युद्ध शहीदों की विधवाओं, विकलांगों, बेरोजगार युवकों, किसानों, गरीबों और उपेक्षित लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए भी बधाई के पात्र हैं।

उन्होंने प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगाने की व्यवस्था करके एक साहसिक कदम उठाया है चूंकि प्लास्टिक का प्रयोग प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कुल्हड़ों का प्रयोग शुरू किया है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है और इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने रेलगाड़ियों में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के प्रयोग को भी प्रोत्साहन दिया है जिनका उत्पादन सहकारी डेयरी फार्मों द्वारा किया जाता है।

रेल संरक्षा संबंधी पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने से भारतीय रेल की कार्य कुशलता और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा।

मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान रेल बजट में पाई गई कुछ कमियों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं।

मैं केरल राज्य से हूं जो पश्चिम तट से दूर दक्षिण में हैं और यह अपने व्यापार, परम्परागत उद्योग और पर्यटन के लिए मशहूर है। वहां के लोगों तथा जनप्रतिनिधियों की काफी लम्बे समय से मांग रही है कि केरल के लिए रेलवे जोन बनाया जाए। केरल के लोगों की रेलवे जोन बनाने की एक दीर्घकालीन मांग है।

हमें लालूजी से बहुत अपेक्षा है कि वह हमारे इस सपने को साकार करेंगे। लेकिन हमारी आशाओं पर पानी फिर गया। अत: मैं लालूजी से अनुरोध करता हूं कि वह केरल के लोगों की इस दीर्घकालीन मांग पर विचार करें और केरलवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केरल में अलग रेलवे जोन की स्थापना करने के लिए कदम उठाएं।

हमें यह भी अपेक्षा थी कि आप अलेप्पी और कोट्टायम होकर एर्णाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण करने के लिए भी कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी आशाओं के विपरीत उस पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया। मेरा माननीय रेल मंत्री से विनम्र निवेदन है कि वे इस वित्तीय वर्ष में ही इस प्रस्ताव पर विचार करें।

मैं माननीय रेल मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि आवंटित करने में पर्याप्त रुचि ली।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. के.एस. मनोज]

केरल एक ऐसा राज्य है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई बड़े समपार हैं। उपरि पुलों के निर्माण के लिए थोड़ी सी राशि आवंटित की गई है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरि पुलों के निर्माण के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाए ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैफिक जाम न हो।

जैसाकि मैं अलेप्पी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसे 'पूर्व का वेनिस' माना जाता था लेकिन अलेप्पी पत्तन पर कामकाज ठप्प होने और परम्परागत उद्योगों के बन्द होने के कारण यह अपना आकर्षण और प्रसिद्धि खो चुका है लेकिन यह अपने प्राकृतिक दृश्यों, हरियाली, प्रतीय जल और झीलों के कारण पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थान है। विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां रेलवे का विकास किया जाना आवश्यक है। अत: इस मांग को पूरा करने के लिए यात्री-सुविधाओं में सुधार किया जाए। इसके लिए एर्णाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण अत्यन्त आवश्यक है। मैं लालू जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इसे चालू बजट में शामिल करने के लिए मार्ग खोजना चाहिए।

कई स्टेशनों पर प्लेटफार्म या तो काफी नीचे हैं अथवा काफी छोटे हैं जिसके कारण बूढ़े लोगों और महिलाओं को रेलगाड़ी में चढ़ने में कठिनाई होती है। अरूर, वायालार, तुंबोली पन्नापरा स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा करके उनकी लम्बाई बढ़ाई जाए। मरारीकुलम रेलवे स्टेशन के दूसरे प्लेटफार्म की भी लम्बाई बढ़ाई जाए और उसे ऊंचा किया जाए।

हरिपाद रेलवे स्टेशन कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाए जहां पर कोट्टायम और अलेप्पी होकर आने वाली दोनों रेलवे लाइनें से मिलती हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) भी इसी स्टेशन के साथ ही है।

युराबूर रेलवे स्टेशन पर एक पैदल उपरिपुल बनाया जाए।

तुंबोली रेलवे स्टेशन को अलेप्पी उत्तर रेलवे स्टेशन के समान दर्जा दिया जाए। प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाया जाए, उनकी लम्बाई बढ़ाई जाए और प्लेटफार्म सेक्टरों का निर्माण किया जाए।

ई के एम-कायाकुलम लाइन पर कई बिना चौकीदार वाले कई रेल समपार हैं और उन पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि उनके पास रेलवे लाइन पर कई मोड़ और घुमाव हैं। अत: बिना चौकीदारी इन समपारों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें चौकीदार वाले समपार बनाया जाए।

अपना भाषण पूरा करने से पहले मैं एक बार फिर श्री लालू जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेल बजट को मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करने की हिम्मत जुटाई और मैं उन्हें केरल के अधूरे स्वप्नों के बारे में भी याद दिलाता हूं।

[हिन्दी]

***श्री गणेश सिंह** (सतना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सतना लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। महोदय, मैं यू.पी.ए. सरकार का असंतुलित तथा भेदभाव से भरा हुआ रेल बजट मानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं रेल बजट को असंतुलित कहता हूं तो इसके पीछे मेरा मजबूत तर्क है। इस बजट में मध्य प्रदेश के साथ-साथ खासतौर पर जबलपुर जोन की व्यापक उपेक्षा की गई है।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक माल-भाड़ा तथा यात्री भाड़ा जबलपुर जोन को मिलता है लेकिन रेलवे के विकास के नाम पर इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। ललितपुर, सिंगरौली रेल लाइन का काम अभी तक सर्वे तक ही सीमित रह गया है। जिस कछुआ चाल से निर्माण का कार्य चल रहा है, लगता है 10 वर्ष के बाद भी उक्त योजना पूरी नहीं होगी। बजट में भी उक्त योजना को कब तक पूरा कर दिया जायेगा, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया।

महोदय, मेरे क्षेत्र से सीमेंट, किलेकर बाक्साइड लाइमस्टोन, लेट्राइट बड़ी मात्रा में डिस्पैच होता है लेकिन महीनों इंतजार करने के बाद भी मांग के अनुसार रैक नहीं मिलते।

रेल बजट में निम्नलिखित प्रस्ताव जोड़ने के संबंध में।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश के सतना के अंतर्गत मैहर नगर जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 के किनारे बसा है। यहां दुनिया भर के लोग मां शारदा माता के दर्शन करने आते हैं। रेलवे स्टेशन के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग है, जहां रेलवे पुल बनाये जाने हेतु जनता द्वारा लम्बे समय से मांग की जा रही है। कृपया नये बजट में रेलवें क्रासिंग पुल बनाये जाने हेतु शामिल किया जाये।

सतना से जबलपुर रेल मार्ग में लगरगवां स्टेशन के समीप भरहुत मोड़ पर रेलवे क्रास फाटक लगाया जाये क्योंकि रेल के किनारे बसे गांव जिनकी जमीन रेलवे के इस पार तथा उस पार है। किसानों को आवागमन में अत्यंत कठिनाई हो रही है। जनता की लम्बे समय से मांग है कि उक्त जगह रेलवे फाटक लगाया जाये, कृपया बजट में शामिल किया जाये।

रीवा से मुम्बई नयी यात्री गाड़ी चलाये जाने की मांग बहुत लम्बे समय से जनता की रही है। इस क्षेत्र के लोगों का सीधा

संबंध मुम्बई से नहीं है इसलिए नये बजट में उक्त यात्री गाड़ी चलाई जाये।

सतना रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली सभी गाड़ियों को सभी आपातकालीन कोटे समाप्त कर दिये गये हैं, कृपया उन्हें चालू किया जाये।

नयी दिल्ली से रीवा चलने वाली विंध्याचल एक्सप्रेस जिसका समय 2 घंटे पूर्व किया जाये ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके।

कामायनी एक्सप्रेस का जैतवारा तथा मझगवां स्टेशन पर स्टापेज एवं रेवांचल एक्सप्रेस का मनकहरी तथा अमदरा रेलवे स्टेशन पर स्टापेज बनाया जाये।

सतना रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों की सफाई तथा तकनीकी परीक्षण हेतु वाशिंग पिट बनाया जाये। राजकोट एक्सप्रेस को सतना तक बढ़ाया जाये। सम्पर्क क्रांति, जो नयी दिल्ली से चित्रकूट तक चलाये जाने की घोषणा हुयी है, उसे सतना तक बढ़ाया जाये।

***श्री श्रीचन्द कृपलानी** (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के रेल मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं। 2004-2005 के रेल बजट में राजस्थान की विशेष रूप से मेवाड़ व हाड़ोती की उपेक्षा की गई है। मुझे आशा है कि राजस्थान व मेवाड़ की रेल संबंधी समस्याओं को बजट में जोड़कर व अन्य समस्याओं का आप समाधान करवाने का कष्ट करायेंगे।

1. बड़ी सादडी नीमच वाया छोटी सादडी रेल लाइन का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, इसकी स्वीकृति शीघ्र जारी करावें।
2. नीमच से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा लुनावाला मुम्बई से रेल लाइन बिछाकर आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा दिलवाने की कृपा करायें।
3. चित्तौड़-उदयपुर ब्राडगेज को इसी वर्ष पूर्ण कराकर उदयपुर से वाया चित्तौड़गढ़, नयी दिल्ली व मुम्बई व जयपुर की नयी ट्रेनें प्रारंभ की जायें।
4. अजमेर-चित्तौड़गढ़ ब्राडगेज नीमच-रतलाम ब्राडगेज में राशि बढ़ाकर शीघ्र पूर्ण करायें।
5. जयपुर-बंगलौर का स्टापेज रामगंज मण्डी में करवाने का कष्ट करायें। यहां से प्रतिदिन 5 हजार बोरी धनिया व 30 ट्रक पत्थर दक्षिण भारत में विक्रय हेतु जाते हैं। व्यापारियों को आना-जाना पड़ता है।
6. पूर्व में धनबाद-अहमदाबाद एक्सप्रेस (9150 डाउन) का ठहराव रामगंज मण्डी हो रहा है, किंतु (9149 अप) का ठहराव नहीं हो रहा है, तुरंत प्रारंभ करायें।
7. मोडक रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती हैं यहां पर कुछ ट्रेनों का ठहराव प्रारंभ किया जाये।
8. चन्देरिया रेलवे स्टेशन पर चेतक, मीनाक्षी व देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ किया जाये।
9. चित्तौड़गढ़ के बस्सी, पारसोली में देहरादून एक्सप्रेस का ठहराव प्रारंभ किया जाये।
10. देहरादून एक्सप्रेस में सीधा नीमच देहरादून के डिब्बे लगाये जायें।
11. चित्तौड़गढ़ से जयपुर दिल्ली अजमेर जाने वाली गाड़ियों का ठहराव गंगरार रेलवे स्टेशन पर किया जाये।
12. कोटा से जयपुर एक सुपरफास्ट ट्रेन शीघ्र प्रारंभ की जाये।
13. नीमच से लखनऊ गोरखपुर तक वाया कोटा नयी ट्रेन चलायी जाये।
14. निम्बाहेडा से बासवाडा वाया छोटी सादडी, प्रतापगढ़ ति बासवाड़ा डुगरपुर को रतलान से जोड़ा जाये।
15. चित्तौड़गढ़ में आजोलिया का खेड़ा में फाटक लगने से 10 गांवों में समस्या खड़ी हो गयी है तथा फाटक नं. 102 पर भी समस्या है। यहां तुरंत गेटमैन की व्यवस्था की जाये।
16. रेलवे ट्रेड एंकर अप्रेन्टिस भर्ती की जाये। कोटा कारखाने में 222 पर खाली हैं।

रेल में बड़ी डकितयों के व रेल यात्रियों में तेजी से बढ़ रही असुरक्षा की भावनाओं को दूर करने के लिए बजट में योजना का प्रावधान रखा जाये।

***श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** (रीवा): अध्यक्ष महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का सूक्ष्मता से मैंने अध्ययन किया और पाया कि यदि सामान्य व्यक्ति जिसने सूक्ष्म अध्ययन न किया हो, को यह बजट आकर्षक एवं लुभावना लगेगा। किंतु, वास्तविकता का पता उसे ही लगेगा, जो गहन अध्ययन करेगा और तब ज्ञात होगा कि बाहर से आकर्षक एवं लुभावना लगने वाला यह रेल बजट वास्तव में ढपोरशंखी बजट है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी]

यह सत्य है कि भारतीय रेल मुख्य परिवहन व्यवस्था की विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है। साथ ही वाणिज्य-व्यवसाय एवं सामान्य जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम भी है, पर माननीय रेल मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह सम्पूर्ण भारतीय जनता के लिए नहीं अपितु कुछ क्षेत्र विशेष के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया गया है।

माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे यातायात की सुविधाओं में वृद्धि करने, नवीनीकरण करने, आधुनिकीकरण करने, बेरोजगार नौजवानों एवं कई अन्य वर्गों को सुविधाएं देने जैसी बहुत सी बातें की हैं, परन्तु इसके लिए धन कहां से प्राप्त होगा, का उल्लेख नहीं किया गया है। सामान्य खर्चों में मितव्ययिता कैसे लायी जाएगी, का उल्लेख नहीं किया है।

यात्री यातायात में 3 प्रतिशत की वृद्धि, मालगाड़ियों में लदान की वृद्धि, एन डी ए सरकार के कार्यकाल की नीतियों के कारण हुयी है, जिसके लिए पूर्व रेल मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। सन 2000 से 2004 तक रेल दुर्घटनाओं में क्रमशः कमी आयी है, इसके लिए भी मैं पूर्व रेल मंत्री जी को बधायी देता हूं और जब से वर्तमान रेल मंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया है रेल में डकैती, अपहरण, हत्या, जहर खुरानी की घटनाओं में अचानक वृद्धि हो गयी है और यह वृद्धि निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के प्रदेश एवं उसके आसपास के प्रदेशों में बढ़ी है, जो उनके राज्य के प्रभाव के कारण ही है।

संरक्षा के लिए स्वदेशी डिजिटल प्रणाली का विकास, स्वदेशी के विकास के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, जिसमें खादी का प्रयोग, कुल्हड़ का प्रयोग, दूध, दही एवं मट्ठा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुगमन है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कुल्हड़ का प्रयोग जनता पार्टी के शासनकाल में आदरणीय श्री मधु दण्डवते जी ने लागू किया था, जिसकी जानकारी स्वयं मंत्री जी को होगी क्योंकि तब वे जनता पार्टी में ही थे, इसलिए यह प्रयोग कोई नया नहीं है।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने रेलवे के विविध संसाधनों के विकास एवं रेलवे विस्तार के लिए बिहार एवं चेन्नई को ही ध्यान में रखा है। मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित रह गया, जिसे विकास एवं विस्तार में अवश्य जोड़ना चाहिए था।

मेरा प्रस्ताव है कि माननीय रेल मंत्री जी यदि निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दें तो कुछ रीवा क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित हो सकेगी।

1. रीवा से दिल्ली के लिए एक ट्रेन प्रतिदिन चलती है, जिसका समय चलने एवं पहुंचने का ठीक नहीं है। यह गाड़ी रात्रि को 10.30 बजे रीवा से चलती है और 1.30 बजे दिल्ली पहुंचती है तथा दिल्ली से रात्रि को 11.45 बजे चलती है और रीवा 4.00 बजे सायं पहुंचती है। इसका समय परिवर्तित किया जाये क्योंकि एक दिन पूरा बरबाद हो जाता है। यदि यह ट्रेन सायं 6.00 बजे से चलायी जाये और 8.30 बजे दिल्ली पहुंचे तथा दिल्ली से सायं 7.00 बजे चलायी जाये और रीवा 10.00 बजे प्रातः पहुंचे तो जनता को सुविधा होगी साथ ही दो महत्वपूर्ण स्टेशनों डभोरा एवं शंकरगढ़ में भी इसे रुकने की व्यवस्था की जाये।

2. रीवा से मुम्बई के लिए ट्रेन चलाने की योजना प्रस्तावित थी, किंतु जब तक न चले मुम्बई जाने वाली किसी भी रात्रिकालीन ट्रेन में सतना में रीवा से चार सवारी डिब्बों को जोड़ दिया जाये, तो रीवा क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकेगी।

3. रीवा से जबलपुर के लिए प्रतिदिन इंटरसिटी ट्रेन चलायी जाये।

4. रीवा से भोपाल जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस प्रातः 6.00 बजे भोपाल पहुंच कर दिन भर खड़ी रहती है, इसे यदि इंदौर तक चलाया जाये तो अतिरिक्त व्यय भी बहुत अधिक नहीं आयेगा और भोपाल सहित इंदौर से भी रीवा का सम्पर्क हो जायेगा।

5. रीवा-बिलासपुर-चिरमिरी ट्रेन आकर रीवा में खड़ी रहती है रेलवे के टाइम टेबल में दर्शाया गया है कि यह प्रातः काल रीवा से सतना जाएगी और सतना से रीवा आयेगी पर यह व्यवहार में नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि इसे नियमित रूप से चलाया जाये।

6. ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत है। मेरा अनुरोध है कि इस मार्ग को प्राथमिकता के आधार पर बनवाया जाये। साथ ही और धनराशि आबंटित की जाये, जिससे कार्य की पूर्णता शीघ्र हो सके।

7. रीवा का रेलवे स्टेशन शहर से कि.मी. की दूरी पर है। आरक्षण कराने के लिए स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। अनुरोध है कि एक आरक्षण काउंटर रीवा नगर में खोला जाये।

8. राजकोट एक्सप्रेस को कटनी से रीवा तक बढ़ाया जाए।

9. देवांचल एक्सप्रेस में सभी श्रेणियों में बोगियां बढ़ाई जाए।

10. रीवा एवं सीधी जिलों के एफ.सी.आई. के खाद्यान्न परिवहन हेतु रीवा स्टेशन पर रैक भिजवाएं एवं अनलोडिंग की व्यवस्था करें। रीवा एवं सीधी जिला मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में हैं। यहां हमेशा गेहूं/चावल की कमी एफ.सी.आई. के पास रहती है।

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सम्माननीय सदस्यों से सुझाव देने का आमंत्रण दिया है। मुझे विश्वास है कि मेरे उपरोक्त सुझावों पर माननीय रेल मंत्री जी व्यक्तिगत रुचि लेकर इसे कार्यान्वित कराने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल बजट का विरोध करता हूं।

***प्रो. एस.पी. सिंह बघेल** (जलेसर): माननीय अध्यक्ष जी, रेल बजट में माननीय रेल मंत्री ने समाज के कमजोर वर्ग को लम्बी यात्रा में सहूलियत एवं सुविधानुसार यात्रा करने की व्यवस्था नहीं की है। एक्सप्रेस गाड़ियों में कमजोर वर्ग के लिये कम से कम छः डिब्बे अनारक्षित लगाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जलेसर में टूंडला रेलवे स्टेशन पर नीलांचल एक्सप्रेस रोकी जाये क्योंकि आगरा, टूंडला, जलेसर, अवागढ़, सादाबाद, फिरोजाबाद के जैन धर्मावलम्बी शिखर जी के दर्शन करने जाते हैं, जिससे उन्हें सुविधा मिलेगी।

टून्डला रेलवे स्टेशन में पूर्वी गेट पर अंडर ग्राउन्ड या ओवर ब्रिज बनाया जाये ताकि लाइन पार से लेकर यमुना तक के गांवों को सुविधा मिल सके। रेल फाटक घंटों बंद रहता है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय, आगरा-फिरोजाबाद मार्ग के रनपई गांव 2 कि.मी. दूर है। मैंने वहां सड़क बनायी है, किंतु रेल फाटक न होने के कारण रनपई गांव के गोगों को आवागमन में असुविधा होती है। कृपया लाइन पर फाटक बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, टून्डला-फिरोजाबाद रेलवे लाइन के किनारे गठीदरगरपुर गांव के पूर्व में वहां रेल फाटक होता था, जो बंद हो गया है। कृपया टून्डला-फिरोजाबाद मार्ग पर गठीदरगपुर के सामने रेल फाटक बनाया जाये। टून्डला स्टेशन पर कुछ अन्य सुपरफास्ट रेलें रोकने का कष्ट करें।

महोदय, दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को टून्डला रोका जाये, जिससे आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस एवं मथुरा जिलों की जनता को सुविधा मिल सके। टून्डला वरहन एटा रेल लाइन पर केवल एक पैसेंजर गाड़ी चलती है। कृपया उस पर रेल बस तथा एक अन्य सवारी गाड़ी चलायी जाये।

महोदय, बरहन एटा रेल लाइन है, यदि एटा से 28 कि.मी. कासगंज तक रेल लाइन जोड़ दी जाये तो एटा जनपद, कानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली से जुड़ जायेगा। कृपया एटा से कासगंज रेल लाइन लगभग 28 कि.मी. बना दी जाये।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल बजट 2004-2005 लोक लुभावना बजट पेश किया गया है। विभिन्न योजनाओं के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू की घोर उपेक्षा की गयी है। इस संबंध में मेरे निम्न सुझाव हैं, जिनको बजट में शामिल करना आवश्यक है।

रेवाड़ी-बीकानेर खण्ड के आमान परिवर्तन की मांग इस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा वर्षों से की जा रही है। इस क्षेत्र के व्यापारियों-उद्यमियों का देश के विभिन्न क्षेत्रों में आना-जाना लगता रहता है। बीकानेर जिला पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, इस कारण सैन्य दृष्टि से भी इस लाइन का आमान परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। कांडला बंदरगाह से आने वाला तेल जो जोधपुर-रतनगढ़-सादुलपुर-हिसार होते हुए हरियाणा-पंजाब जाया करता था, डेगाना तक ब्राडगेज व शेष भाग मीटर गेज होने के कारण गाड़ियों को चक्कर लगा कर आना पड़ता है, जिससे तेल कम्पनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

रेवाड़ी से सादुलपुर व सादुलपुर से हिसार भाग के आमान परिवर्तन की स्वीकृति पिछली सरकार द्वारा की जा चुकी है व पिछले बजट में इस कार्य के लिए 13 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया था व रतनगढ़ डेगाना व सादुलपुर बीकानेर खण्ड के आमान परिवर्तन का आश्वासन दिया था लेकिन चालू बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है न ही रेवाड़ी-सादुलपुर व सादुलपुर-हिसार स्वीकृतशुदा भाग के लिए चालू बजट में धन की व्यवस्था की गयी है। अतः उक्त मार्ग के आमान परिवर्तन को बजट में शामिल करना जनहित में आवश्यक है।

चुरू से तारानगर नोहर व सरदार शहर से हनुमानगढ़, सीकर-नोखा क्या सालासर-सुजानगढ़ नयी रेल लाइन बिछाने का सर्वे किया गया था, जिस पर रेल विभाग के लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन चालू बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है, जनहित में उक्त नयी रेल लाइन डालना अत्यंत आवश्यक है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामसिंह कस्वां]

मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या मानव सहित रेलवे क्रासिंग की है, जिसके अभाव में ग्रामीण जनता का एक दूसरे गांव में व अपने खेतों में जाना दुष्कर हो गया है। किसानों के ऊंटगाड़ी-ट्रेक्टर-जीप आदि साधनों को रेलवे क्रासिंग के अभाव में एक दूसरे गांव में व खेतों में जाने में अत्यंत कठिनाई होती है व दुर्घटना की संभावना हर समय बनी रहती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 400 कि.मी. रेलवे लाइन गुजरती है लेकिन मानव सहित व मानव रहित क्रासिंग बमुश्किल 20-25 ही है। अत: जनहित में चालू बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर डिवीजन में लोहारू बीकानेर के मध्य बेवड़-भोजाण रेलवे स्टेशन के पास, हरपालू स्टेशन के पास, ग्राम कालरी कान्धरान गांव के पास, डोकवा हाल्ट स्टेशन के पास हड़ियाल, दुधवाखारा स्टेशन के मध्य हड़ियाल टमकोर रोड पर दुधवाखारा, आसलू के मध्य लादड़ीया मार्ग पर मौलीसर स्टेशन, पायली गांव, बिग्गाबास रामसरा गांव, हेमासर गांव, बेनीसर स्टेशन, सूडसर स्टेशन के पास व रतनगढ़-डेगाना मार्ग पर बालासमंद के पास, सादुलपुर भादरा मार्ग पर पहाड़सर, ख्याली व भादरा, सादुलपुर सड़क पर ढाणी छोटी के पास सादुलपुर हिसार के मध्य लसेड़ी इन्दासर आदि गांवों के पास मानव रहित या मान सहित रेलवे क्रासिंग की अत्यंत आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उक्त स्थानों पर चालू बजट में समपार बनाने की व्यवस्था करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र के चुरू-सादुलपुर-रतनगढ़-सुजानगढ़-सरदारशहर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसका समय 2 बजे तक है, जिसे बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जाये। इसके अतिरिक्त श्री डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। बीकानेर-चूरू पैसेंजर सवारी गाड़ी को सादुलपुर तक बढ़ाने की आवश्यकता है एवं श्रीगंगानगर-जयपुर के लिए एक नयी गाड़ी चालू करने की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान चालू बजट में किया जाये। दिल्ली-जोधपुर मेल मेरे सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए उत्तर रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी थी, आधा अमान परिवर्तन के कारण उसे बंद कर दिया गया। जब तक सम्पूर्ण आमान परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए इसे डेगाना से दिल्ली तक संचालित किया जाये।

लिंक एक्सप्रेस का रामपुरा बेटी में ठहराव की मांग सालों से की जा रही है, इसका ठहराव भी आवश्यक है। रतनगढ़-सरदारशहर मार्ग पर आनन्दवासी हाल्ट स्टेशन-बीग्गा-डूंगरगढ़ के मध्य जैसलसर हाल्ट स्टेशन स्वीकृत करना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

[अनुवाद]

***श्रीमती ज्योर्तिमयी सिकदर** (कृष्णानगर): कृपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निम्नलिखित रेल प्रस्तावों को बजट में सम्मिलित किया जाए:

1. कृष्णा नगर के लालगाला के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण।
2. कृष्णा नगर के करीमपुर तक नई रेल लाइन बिछाना।
3. सियालदह से लालगाला तक एक नई रेलगाड़ी चलाना।
4. "भगीरथी एक्सप्रेस" का डेलाग्राम पर ठहराव प्रदान करना।

मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

***श्री जी. करुणाकर रेड्डी** (बेल्लारी): महोदय, सर्वप्रथम, मुझे खुशी है कि आपने इस रेल बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, मुझे खेद है कि माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस रेल बजट में कर्नाटक राज्य में हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र की उपेक्षा की गई। इस वर्ष के बजट में इस क्षेत्र में सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

काफी समय पहले रायचूर-गुंतकल का दोहरीकरण शुरू किया गया था और इसमें हुई प्रगति का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं इस परियोजना की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं।

सभी रेल सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में नए डिविजन की स्थापना शीघ्र की जाए।

पूर्व और पश्चिम दोनों घाटों के बीच कोटूर-हरिहर लाइन एक महत्वपूर्ण सम्पर्क लाइन है। इस लाइन के पूरा हो जाने पर मंगलौर, चैन्नई और विजाग सभी तीनों पत्तनों पर लौह अयस्क ले जाया जा सकेगा और वापसी में उन्हीं माल गाड़ियों में उर्वरक, कोयला, सीमेंट और अन्य उत्पाद लाये जा सकेंगे। यह लाइन अर्थक्षम है। इसे अधिक महत्व दिया जाए और मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाए।

मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हुबली जिसे जोनल मुख्यालय का दर्जा दिया जाएगा, में अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। हास्पेट और गुंतकल के बीच विद्यमान बड़ी रेल लाइन में अधिक आवाजाही के मद्देनजर होस्पेट और गुंतकल के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के चालू कार्य में तेजी लाने की अविलम्ब आवश्यकता है। रेल यातायात में भीड़-भाड़ कम करने, बेल्लारी, होस्पेट सेक्टर से लौह अयस्क को चैन्नई और विजाग पत्तनों पर भेजने और इस क्षेत्र के यात्रियों तथा आम जनता के लाभ के लिए नई रेलगाड़ियां चलाने के लिए यह अत्यावश्यक है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बेल्लारी क्षेत्र के लोग काफी लम्बे समय से चेन्नई और मुम्बई के मध्य बेल्लारी तथा होसपेट के रास्ते होते हुए रेल सेवा आरम्भ होने का सपना देख रहे हैं। मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस अनुरोध पर भी विचार करें।

यह हर्ष का विषय है कि माननीय रेल मंत्री ने हुबली और चेन्नई के बीच नई रेल सेवा आरम्भ की है। मेरा उनसे आग्रह है कि इस रेलगाड़ी को होसपेट और बेल्लारी के रास्ते चलाया जाना सुनिश्चित करें।

ठीक उसी प्रकार मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बेल्लारी के रास्ते मुम्बई तक एक नई रेल सेवा आरम्भ की जाए और इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से की जा रही मांग को पूरा करें।

होसपेट बेल्लारी जिले का एक महत्वपूर्ण शहर है, उसके पास ही हम्पी स्थित है जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। हजारों की संख्या में पर्यटक इस शहर में आते हैं, साथ ही काफी संख्या में कार्यालय जाने वाले लोग रोज इन दो शहरों के बीच सफर करते हैं। इसलिए इन दो शहरों के बीच एक पुश-पुल रेल सेवा शुरू की जाए जिससे कार्यालय जाने वाले लोगों के साथ-साथ हम्पी जाने वाले यात्री भी लाभान्वित होंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना चाहता हूं कि गुंटकल और हुबली के बीच दिन में कोई रेलगाड़ी नहीं है जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आमान परिवर्तन से पूर्व दिन में बेल्लारी होकर कई रेलगाड़ियां जाया करती थीं। अत: मेरा आप से अनुरोध है कि आप आमान परिवर्तन से पूर्व चलने वाली रेलगाड़ियों को पुन: चालू करें।

यदि रेल मंत्री इन सभी तथ्यों पर विचार करते हैं या अमल करते हैं तो इससे हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र के विकास में काफी सहयोग मिलेगा।

@ *श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर): अध्यक्ष महोदय, तुमकुर कर्नाटक के तेजी से विकसित हो रहे शहरों में एक है। यह कर्नाटक राज्य की राजधानी बैंगलोर से मात्र 53 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वीराशिवाश का पवित्र धार्मिक स्थल सिद्धगंगा यहीं पर स्थित है। पिछले तीन दशकों में तकनीकी कालेजों सहित कई शैक्षणिक संस्थाएं यहां खुल गई हैं।

सोमेश्वरा विस्तार और चेन्नजप्पा होस्टल तुमकुर शहर के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। हजारों स्कूल तथा कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को अपने-अपने शैक्षणिक संस्थानों में जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। जिस कारण इन क्षेत्रों में प्रतिदिन कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिसके विरोध स्वरूप लोग सोमेश्वरा विस्तार और चेन्नजप्पा होस्टल के बीच रेल पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं। यदि रेल मंत्री तुमकुर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुल निर्माण के संबंध में शीघ्र निर्णय नहीं लेते तो भविष्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वे तुमकुर में सोमेशवरा विस्तार और चेन्नजप्पा होस्टल के बीच लम्बे समय से लम्बित पुल निर्माण का कार्य आरम्भ करायें। कर्नाटक सरकार इस संबंध में केन्द्र सरकार को पूर्ण सहयोग दे, जिससे कि प्रस्तावित कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके।

तुमकुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का काम काफी लम्बे समय से लंबित है। प्रतिदिन लगभग 25 रेलगाड़ियां तुमकुर हो कर जाती हैं परन्तु आज की तिथि तक वहां अपनी-अपनी रेलगाड़ियों की प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए कोई प्रतिक्षा कक्ष नहीं है। वहां प्रतिक्षा करने वाले यात्रियों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान तुमकुर रेलवे स्टेशन कई दशक पुराना है। तुमकुर के इस पुराने रेलवे स्टेशन पर न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही स्नानागार की कोई सुविधा उपलब्ध है। इसलिए अब रेल मंत्रालय और भारत सरकार के लिए उचित समय है कि वे तुरन्त इस रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तुमकुर में क्यातसंदरा स्टेशन भी एक प्राचीन रेलवे स्टेशन है। केन्द्र सरकार का तुमकुर के लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिये और बिना किसी देरी के इस रेलवे स्टेशन का नवीकरण किया जाए। ठीक उसी प्रकार यात्रियों की आवश्यकताओं को देखते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर के नित्तूर, समपीज, गुब्बी, तिपातुर स्टेशनों का भी प्राथमिकता के आधार पर आधुनिकीकरण किया जाए।

कर्नाटक की रेल सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर कर्नाटक के अनेक क्षेत्रों विशेष रूप से तुमकुर जिले में, कई रास्ता रोको और रेल रोको प्रदर्शन हो चुके हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे कर्नाटक, विशेषरूप से तुमकुर जिले के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विचार करें और उचित कदम उठायें।

*श्री अलकेश दास (नवद्वीप): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् पश्चिम बंगाल के नवद्वीप संसदीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

@मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण में आंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अलकेष दास]

निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए कुछ प्रस्ताव रखना चाहता हूं। ये प्रस्ताव हैं:

(1) शांतिपुर से कृष्णानगर तक आमान परिवर्तन की परियोजना को मंजूरी देना (छोटी लाइन से बड़ी लाइन)

(2) पहले, सियालदाह से राणाघाट होते हुए ढाका तक रेल लाइन थी। उस समय असम मेल सियालदाह से बंगलादेश होते हुए (तब पूर्वी पाकिस्तान) गुवाहाटी तक जाया करती थी। यह रेल लाइन अभी भी मौजूद है। इसलिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सियालदाह से राणाघाट (पूर्वी पाकिस्तान) होते हुए ढाका तक रेल चलाना सम्भव है।

(3) कलिंनरगनपुर से कृष्नगर रेल लाइन के दोहरीकरण हेतु और धनराशि का आबंटन किया जाये। जिससे इस रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य इसी वर्ष पूरा किया जा सके।

(4) पुल संख्या 12 के पुनरुद्धार तथा हलिसपुर स्टेशन (पूर्वी रेलवे) के समीप एक कि.मी. लम्बी रेल पटरी की मरम्मत हेतु धनराशि आबंटित की जाए जिससे रामघाट से बर्द्धमान तक रेल चलाई जा सके।

(5) बंदेल-कटोआ रेल लाइन का दोहरीकरण।

ये सब पश्चिम बंगाल के कृष्नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की समस्याएं हैं।

कृष्नगर-पलाल गोला लाइन को और अधिक धनराशि आबंटित की जाए जिससे इसी वर्ष विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा सके।

कृष्नगर से करीमपुर तक रेल लाइन। राणाघाट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 रेल पटरी (55 टी) के ऊपर एक उपरिगामी पुल का निर्माण पूर्णतया रेलवे द्वारा किया जाए।

[हिन्दी]

***श्री भंवर सिंह डांगावास** (नागौर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहूंगा।

भारत की आजादी से पूर्व जोधपुर रियासत में जोधपुर रेलवे के नाम से जोधपुर से तत्कालीन महाराजा द्वारा रेलों का संचालन होता था। इसी प्रकार बीकानेर रियासत के महाराजा द्वारा बीकानेर रेलवे का संचालन किया जाता रहा।

वर्तमान के पश्चिमी राजस्थान अर्थात् जोधपुर क्षेत्र व उत्तरी राजस्थान अर्थात् बीकानेर क्षेत्र की रेलें मेड़ता रोड जंक्शन पर मिलान खाती थी व खाती है। तत्पश्चात् रेलें मेड़ता मोड से फुलेरा होकर जयपुर आती थी।

मेड़ता रोड जंक्शन अजमेर से रेल के रास्ते से करीबन 80 कि.मी. दूर है। अजमेर से पूरे दक्षिणी व पश्चिमी भारत में रेलें संचालित होती थी। मेड़ता रोड में उस समय कोई आबादी नहीं थी, परन्तु व्यापार की दृष्टि से, उस समय परगना (वर्तमान में जिला स्तर) मुख्यालय मेड़ता सिटी थी। अतः मेड़ता सिटी को उसी समय रेल द्वारा मेड़ता रोड से जोड़ा गया था। इस तरह मेड़ता रोड से मेड़ता शहर तक रेल जुड़ने से अजमेर की दूरी करीब 65 कि.मी. रह गयी।

आजादी से पूर्व ही तत्कालीन महाराजा व अंग्रेज शासकों ने सर्वप्रथम मेड़ता सिटी को अजमेर से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण करवाया था। उक्त सर्वेक्षण के समय लोहे के टुकड़े आज भी मेड़ता सिटी से लेकर अजमेर तक, जमीन में गड़े हुए विद्यमान हैं।

अजमेर से पुष्कर तक रेल लाईन वित्तीय वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत हुई। इसे बनाने में भूमि अवाप्ति व अन्य काम हो रहे हैं। इस प्रकार मेड़ता सिटी से अजमेर के लिए दूरी और कम होकर अब सिर्फ 50-55 कि.मी. ही दूरी रही है।

जहां तक सर्वेक्षण की बात है इस मार्ग का कई बार सर्वेक्षण हो चुका है। करीब 5 साल पहले जब श्री नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उन्होंने मेरी प्रार्थना पर लिखित उत्तर दिया था कि उस साल के बजट में मेड़ता सिटी-अजमेर रेल बिछाने के सर्वेक्षण का व्यय बजट में ले लिया है।

मेड़ता सिटी यदि पुष्कर से जुड़ जाता है तो पश्चिमी वे उत्तरी राजस्थान का सीधा सम्पर्क सम्पूर्ण भारत से विशेषतः दक्षिणी व पश्चिमी भारत से हो जाता है व दूरी से कम 70 कि.मी. कम हो जाती है। वर्तमान मेड़ता रोड से यदि अजमेर जाना होता है तो रेल मार्ग तो मेड़ता रोड से फुलेरा होकर वापिस अजमेर व दूसरा मार्ग जोधपुर संभाग के लिए पाली मारवाड़ जंक्शन होकर है, जो बहुत अधिक रास्ता तय करना पड़ता है।

इसके जुड़ने से यात्रियों के साथ-साथ 2 मेड़ता सिटी, बीकानेर, नागौर व जोधपुर कृषि मंडियों का माल, बहुत ही लाभप्रद किराये से जा सकेगा। इसके अतिरिक्त दो तीर्थस्थल भी सीधे जुड़ जायेंगे। वे हैं, तीर्थराज पुष्कर व विश्व प्रसिद्ध दरगाह अजमेर शरीफ। यहां हर साल भक्त दर्शन व जियारत को आते हैं। इस रेल मार्ग को जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने भी मांग की है जो भारत सरकार, रेल विभाग में लंबित मुद्दों का सार पुस्तिका में पृष्ठ

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सं. 17 पर ''प्रस्तावित नयी रेल लाईन'' में अजमेर को मेड़ता से जोड़ना उल्लेखित है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसी साल के बजट में पुष्कर को मेड़ता सिटी से जोड़ने के कार्य का प्रावधान रखकर कार्य शुरू करवाने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त डेगाना से रतनगढ़ लाइन का गेज परिवर्तन व दरियाव महाराज के प्रसिद्ध धाम रोग पर किसी एक द्रुतगति की रेल का ठहराव स्वीकृत कराकर वहां लाखों श्रद्धालुओं को राहत दिलायें। मेड़ता रोड जंक्शन पर दूसरा ओवरब्रिज बनाने का कष्ट करावें।

[अनुवाद]

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): सबसे पहले मैं माननीय महोदया श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस सम्माननीय सभा का सदस्य बनने का मौका दिया और मैं प्रधानमंत्री तथा तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जी.के. वासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं रेल मंत्री द्वारा 6 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत वर्ष 2004-2005 के रेलवे बजट का स्वागत करता हूं। कई नयी योजनाओं की घोषणा की गयी है मैं आशा करता हूं कि इससे यात्रियों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। तमिलनाडु के लिए चार नयी रेलगाड़ियां प्रारम्भ करने के लिए भी मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर भी जैसा कि स्वयं मंत्री जी द्वारा घोषणा की गयी है कि तमिलनाडु पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है जिसका वह हकदार है। तमिलनाडु में कई लम्बित परियोजनाएं हैं जो कि काफी समय से लम्बित हैं परन्तु न जाने किन कारणों से उन पर कार्य नहीं हो रहा है। तमिलनाडु की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को प्रारम्भ नहीं किये जाने का एक कारण वित्त का अभाव बताया गया है। यह पता नहीं है कि कुछ राज्यों में कितनी परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर ली गयी हैं। परन्तु तमिलनाडु की लम्बित परियोजनाओं पर समुचित ध्यान दिये जाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसा कि सभी को इसकी जानकारी है कि पलानी निर्वाचन क्षेत्र जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वह भगवान कार्तिकेय का जन्म स्थान है। यह एक प्रमुख तीर्थ-स्थान है और प्रत्येक वर्ष न सिर्फ तमिलनाडु के बल्कि अन्य राज्यों के भी लाखों लोग वहां आते हैं। परन्तु उपलब्ध सुविधाएं नितान्त अपर्याप्त हैं।

मैं अनुग्रहपूर्ण विचार के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं:-

''चामराज नगर-पलानी'' बड़ी लाइन मेरे संसदीय क्षेत्र की काफी समय से लम्बित पड़ी परियोजना है। यह प्रस्ताव ब्रिटिश राज द्वारा लाया गया था और इसका सर्वेक्षण भी हुआ था। यह चामराज नगर (कर्नाटक)-मदूपलायम-अन्नौर, अविनाशी-पडियार (कांगेयम)-धरापुरम-किरानुर-पलानी (कांगेयम) मक्खन और वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। धरमपुरम एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। वहां पांडव एक वर्ष तक रहे थे। 'अग्न्याधवासम' धरापुरम में ही है। इसे 'वीरदपुरम' कहा जाता था। इन शहरों को रेल द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। इससे सरकार को काफी राजस्व प्राप्त होगा।

अन्य महत्वपूर्ण मार्ग क्वीलोन-कोयम्बटूर बड़ी लाइन है। इस मार्ग को सबरीमलाई और पलानी के श्रद्धालुओं के लिए जोड़ा जाए।

चेन्नामलाई-कांगेयम-धरापुरम से होकर इरोड और पलानी के बीच नयी रेल लाइन बछाया जाना। इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। चेन्नीमलाई वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, कांगेयम वस्त्रों और मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। कांगेयम और चेन्नीमलाई में प्रमुख निर्यात इकाईयां हैं। इससे न सिर्फ उस क्षेत्र को लाभ होगा बल्कि इससे रेलवे को भी अच्छा राजस्व मिलेगा।

डिन्डीगुल-पलानी मार्ग (50-14 किमी. 51/1) के बीच कनक्कमपट्टी के पास मानव रहित लेवल क्रासिंग को पुन: बनाया जाना।

वेलाकोयल और कांगेयम होते हुए करूर और तिरूपुर को जोड़ा जाना। करूर, वेलाकोयलम और तिरूपुर प्रमुख वस्त्र केन्द्र हैं, इन दो केन्द्रों से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है यदि इन्हें जोड़ा जाता है तो इससे न केवल वस्त्र उद्योग को लाभ होगा, बल्कि रेलवे को भी राजस्व प्राप्त होगा;

पलानी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और विस्तार;

पलानी रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन और 'ए श्रेणी का स्टेशन' घोषित किया जाए;

पलानी रेलवे स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया जाए;

डिन्डीगुल-पलानी-पोलाची-कोयम्बटूर और पोलाची-पालघाट लाइन को पर्याप्त धन आवंटित करके प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

रोजाना आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पलानी स्टेशन पर रेल यात्री निवास का निर्माण किया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में यात्री आरक्षण सुविधायें पर्याप्त नहीं है। मैं मांग करता हूं कि वेल्लेकोयाल, कांगेयम और चेन्नामलाई में और आरक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए। ताकि यात्रियों को अपना आरक्षण करने के लिए परेशानी न हो।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ओदानचरतम शहर सब्जियों और मक्खन का बहुत बड़ा बाजार है। अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण सब्जियों और मक्खन का दूरस्थ राज्यों को परिवहन नहीं हो पाता है। खराब होने वाले सामान के परिवहन के लिए रेफ्रीजरेटिड डिब्बे लगाकर रेल मंत्री ने अच्छा कार्य किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि ओदान चत्रम से अन्य शहरों, कम से कम मदुरई और चेन्नई, तक स्थायी आधार पर रेफ्रिजरेटिड डिब्बे लगाये जाने चाहिए ताकि इनके द्वारा देश के अन्य भागों में आसानी से माल भेजा जा सके। इससे सब्जियों और मक्खन के उत्पादन में लगे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा और इससे इस पिछड़े क्षेत्र में सुधार होगा।

रेल मंत्री ने रेलवे को गांवों में ले जाने की एक अच्छी योजना प्रारम्भ की है। उन्होंने ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने के लिए विलेज आन व्हील्स प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा है। जैसा कि मैंने पहले बताया है पलानी एक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है और यदि उसे इस योजना में अन्य स्थानों से जोड़ दिया जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे न सिर्फ इन क्षेत्रों को लाभ होगा बल्कि अन्य राज्यों के पर्यटकों के लिए भी इन स्थानों पर पहुंचना आसान हो जायेगा। जो लोग प्रत्येक वर्ष सबरीमाला जाना चाहते हैं वे अपनी आगे की यात्रा जारी रखने से पूर्व अवश्य ही पलानी आयेंगे और मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष लगभग 20 लाख श्रद्धालु सबरीमाला जाते हैं। उत्तरी और अन्य राज्यों से सबरीमाला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पलानी प्रवेश द्वारा होगा।

कुम्हारों और कुलियों के लिए प्रारम्भ की गयी कल्याणकारी योजनाएं की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। यात्रियों के लिए पानी की उपलब्धता इत्यादि जैसी अन्य सुविधाओं की घोषणा भी स्वागत योग्य है।

कुल्हड़ योजना (मिट्टी के कप) प्रारम्भ करने से जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, विशेषकर ग्रामीण शिल्पकारों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे लाखों कुम्हारों (मिट्टी के बर्तनों के उत्पादक) को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कुल्हड़ अत्यंत स्वास्थ्यकर और प्रयोक्ता अनुकूल भी है।

*श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, रेल मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मांगों पर विचार किया जा सकता है:

(एक) पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन के बन्देल में पैदल उपरिपुल का निर्माण।

(दो) बन्देल, आदि सप्तग्राम, हुगली, भद्रेश्वर, चांद नगर, मनकुण्डु, मोगरा आदि में जल-जमाव की समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल उपाय किये जाएं।

(तीन) बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

(चार) बन्देल तथा हावड़ा एवं हुगली घाट से होकर बन्देल-सियालदाह के बीच रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि की जाए।

(पांच) हावड़ा-बर्दवान कार्ड लाइन पर कमरकुडू स्टेशन के नजदीक मुस्तफापुर में एक भूमिगत पारपथ का निर्माण किया जाए।

(छह) हावड़ा डिवीजन के मोगरा तथा कमरकुंडू में एक-एक फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाए।

(सात) चिन्सुरा रेलवे-स्टेशन पर भुगतान प्रसाधन और शुद्ध पेयजल की सुविधा प्रदान की जाए।

(आठ) रेल-यात्रियों के हित में हावड़ा डिवीजन में हरिपाल स्टेशन पर हरिपाल पंचायत समिति द्वारा बस स्टैंड के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करायी जाए।

(नौ) हावड़ा-बर्दवान कार्ड के चंदनपुर में एक नये रेलवे समपार का निर्माण किया जाए।

(दस) प्रत्येक रविवार को हावड़ा से गया होते हुए दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलायी जाए।

(ग्यारह) बन्देल रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने वाला एक नया प्लेटफार्म पारपथ बनाया जाए।

(बारह) बन्देल-कटवा तथा शेवराफुली-तारकेश्वर लाइनों पर दोहरीकरण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

(तेरह) हावड़ा-बर्दवान कार्ड को नालिकुट के पास तारकेश्वर ब्रांच लाइन के साथ जोड़ा जाए तथा इसे सियालदाह से भी जोड़ा जाए।

(चौदह) रेल-यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में सिंगुर पंचायत समिति को रेलवे भूमि उपलब्ध करायी जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं रेल बजट के संबंध में निम्नलिखित विचार रखना चाहता हूं। मैं रेल मंत्री को वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए एक लोकप्रिय बजट पेश करने पर बधाई देता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री से निम्नलिखित मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

हावड़ा-आमटा बड़ी लाइन का कार्य अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है जबकि इसकी आधारशिला 1982 में ही रखी गई थी। इससे वहां के लोगों में काफी असंतोष है। माननीय मंत्री ने आमटा तक के कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का वादा किया है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह अपने वादे पर डटे रहें और यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य शीघ्र समाप्त हो तथा वर्ष के अंत में वह इसके उद्घाटन के लिए आएं।

मूलत:, हावड़ा से आमटा तक और हावड़ा से चंपाडंगा-शिआखला तक नई बड़ी लाइन बिछायी जानी है। हावड़ा-आमटा खंड का कार्य समाप्त होने के बाद आमटा-चंपाडंगा-शिआखला खंड का कार्य शुरू किया जाना चाहिए एवं उसे शीघ्र पूरा कर लिया जाना चाहिए।

द्वितीय, हावड़ा स्टेशन बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह है और वहां दक्षिण-पूर्व रेलवे की रेलगाड़ियों को ठहरने के लिए स्थान मिलना काफी मुश्किल होता है क्योंकि यह पूर्व रेलवे के अधीन है। दक्षिण पूर्व रेलवे की रेलगाड़ियों के लिए पद्मपुकुर-शालीमार में एक नया टर्मिनल बनाने पर विचार किया गया था तथा इस नए टर्मिनल के निर्माण के लिए निर्णय लिया गया था। किन्तु इस पर कोई और कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपसे उस टर्मिनल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने का अनुरोध करता हूं जिससे दक्षिण पूर्व रेलवे के यात्रियों को द्वितीय हुगली पुल से होकर सीधे कोलकाता तक आने-जाने में ज्यादा आसानी होगी।

तृतीय, मेरे जिले हावड़ा से हजारों यात्री हुगली और बर्धमान जिलों की यात्रा करते हैं। वे दक्षिण-पूर्व रेलवे की लोकल ट्रेनों से हावड़ा स्टेशन आते हैं और फिर ट्रेन बदलकर पूर्व रेलवे की लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। इससे हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्मों पर बहुत भीड़ बढ़ती है तथा यात्रियों के समय की बरबादी भी होती है। अगर दक्षिण-पूर्व रेलवे की कुछ लोकल (ई.एम.यू.) ट्रेनें वर्तमान रेलवे ट्रैक पर ही खड़गपुर से बामुनगाद्दी-लिलुआ होते हुए सीधे पूर्व रेलवे खंड तक जाएं तो इससे हजारों यात्रियों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। उन्हें हावड़ा प्लेटफार्म की भीड़-भाड़ से छुटकारा मिल जाएगा और उनका समय भी बचेगा तथा वो अपने गंतव्य स्टेशन तक बिना कोई ट्रेन बदले यात्रा कर सकेंगे। दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से इस पर गौर करके इसे शुरू किया जा सकता है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के अंतर्गत मेरा गृह स्टेशन चेंगल उपेक्षित है। मैं इस स्टेशन के सुधार, प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाने, बेहतर और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने, स्टेशन के चारों ओर की सड़कों की मरम्मत और सुधार तथा यात्रियों से संबंधित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का आपसे अनुरोध करता हूं। इसके अतिरिक्त, मेरी एक अत्यंत पुरानी मांग भी है। चेंगल स्टेशन के उत्तर में मेरे पैतृक गांव पश्चिम बौरिया तक कोई सड़क नहीं है जबकि सड़क बनाने के लिए काफी जमीन है। इसमें रेलवे को ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। किन्तु एक संसद सदस्य को सम्मान देने के रूप में ऐसा किया जा सकता है। अत:, मैं आपसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि दक्षिण पूर्व रेल प्राधिकरण चेंगल स्टेशन से पश्चिम बौरिया मोल्लपाड़ा मानव-रहित रेलवे-क्रासिंग तक एक सड़क और गौरीगंगा नहर के ऊपर एक छोटे पुल का निर्माण करे। यह मेरे अपने हजारों ग्रामवासियों के लिए अत्यंत लाभादायक होगा।

हावड़ा स्टेशन पर हजारों रेलवे हाकरों की समस्याओं के बारे में आपको जानकारी होगी। वे शरणार्थी परिवारों से हैं। उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक परिवारों से हैं। वे सभी बेरोजगार हैं; जबकि उनमें से कई शिक्षित भी हैं। किन्तु हावड़ा स्टेशन और खडगपुर-हावड़ा तथा हावड़ा-बर्धमान खंडों के रेलवे प्राधिकारी हमेशा उन गरीब हाकरों को परेशान करते हैं और उन पर हमला करते हैं। उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। उनकी क्रूरतापूर्वक पिटाई की जाती है। रेलवे पुलिस बल ने कई बार समाचार-पत्र हाकरों पर हमला किया है। आपने कोलकाता में सांसदों से मिलने की कृपा की थी तथा हाकरों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। किन्तु इसके बावजूद पूर्व रेलवे के प्राधिकारी हाकरों पर हमला करने का काम कर रहे हैं। कोलकाता में हाकरों की एक बड़ी रैली भी निकली थी किन्तु इस समस्या पर विचार करने के लिए पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिल सके। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन गरीब हाकरों की समस्या पर विचार करें। रेलवे हाकरों के लाइसेंस के लिए कृपया प्लेटफार्म पर एवं ट्रेन में भी इंतजाम करवाएं और लाइसेंस शुल्क भी सस्ता रखा जाए ताकि उन्हें एक पहचान मिल सके और वो अपना कारोबार शांतिपूर्वक कर सकें। मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप अपने रेलवे पुलिस बल को गरीब हाकरों पर हमला करने, उनका सामान छीनने एवं नष्ट करने तथा झूठे मामलों में उन्हें फंसाने से रोकें। हमारे नागरिकों के लिए यह न्यूनतम मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से इन प्रस्तावों पर विचार करने और सकारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं ताकि हमारे हजारों लोग लाभान्वित हो सकें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

*डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है, उसमें निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:

1. सम्भल जिला मुरादाबाद में सम्भल हातिम सराय के नाम से रेलवे स्टेशन है, जहां से आगे ट्रेन नहीं जाती है, ऐसा मालूम होता है कि सम्भल से आगे दुनिया की आबादी नहीं है। सम्भल एक ऐतिहासिक शहर है जो राजधानी भी रह चुका है। मुगलों के दौर में यह सूबा था, लेकिन आज केवल तहसील है। रेलवे से न जुड़ा होने के कारण सम्भल की तरक्की रुकी हुई है। लिहाजा सम्भल हातिम सराय को वाया हसनपुर, गजरौला मेन लाइन से जोड़ दिया जाए। वर्ष 1998 में मैंने रेलवे बजट के मौके पर यह मसला हाउस में उठाया था, जिस पर सर्वे के आदेश हुए थे और इसका सर्वे भी हो चुका है। लेकिन अभी तक आगे की कार्यवाही नहीं हुई है।

2. अत: आपसे अनुरोध है कि सम्भल हातिम सराय रेलवे स्टेशन को वाया हसनपुर, गजरौला मेन लाइन से जोड़ दिया जाए, ताकि सम्भल के रहने वालों को तरक्की करने का मौका मिल सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

*श्री सीताराम सिंह (शिवहर): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करता हूं और अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया गया है, यह सराहनीय कदम है। माल भाड़ा भी नहीं बढ़ाया गया है, यह भी सराहनीय है। कुल्हड़ की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कुम्हार भाइयों को रोजगार मिलेगा। खादी का कपड़ा व्यवहार में लिया जाएगा, इससे बुनकरों को काम मिलेगा। इसी तरह से कुली भाइयों को परिवार के साथ यात्रा करने के लिए पास उपलब्ध कराए जाएंगे और शहीदों की विधवाओं को दी गई सुविधा भी सराहनीय है। इसी तरह से बेरोजगार युवकों को इंटरव्यू के लिए किराए में दी गई छूट दे कर उनकी सहायता की गई है। इसी तरह से 15 नई रेलगाड़ियां चलाकर देश का विकास करने का काम किया गया है। विद्युतीकरण के काम को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। छपरा में पहिया कारखाना देकर इस क्षेत्र को औद्योगिक नक्शे पर लाने का काम किया गया है। मोनिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी रेल लाइन का सर्वे शुरू करवाने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। नरकटियागंज, सीतामढ़ी के बीच समनपुर स्थान है जहां दुग्ध उत्पादकों को रोजगार मिलेगा। मोतीहारी, सीतामढ़ी, गया, शिवहर रेल लाईन का सर्वे कार्य सराहनीय कदम है। संथाल से सीतामढ़ी के बीच में घोड़ासाहन से चैनपुर के बीच समनपुर में रामरूप नगर हाल्ट बनाने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है इसी तरह से बिहार से मथुरा के लिए सीधी ट्रेन शुरू करना भी बहुत आवश्यक है।

आज रेलवे में सुरक्षा के लिए इतने काम किए जा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोधरा घटना की जांच की गई है और क्या उस जांच रिपोर्ट को तत्कालीन रेल मंत्री जी ने सार्वजनिक किया है। यदि जांच नहीं की गई है तो सारी घटना की जांच की जानी चाहिए तथा दोषी लोगों को जिन्होंने दंगे करवाए, उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, रेल बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं श्री लालू प्रसाद को बधाई देता हूं तथा उनके पहले रेल बजट में उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करता हूं। ...(व्यवधान)

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (مراد آباد): جناب اسپیکر صاحب، محترم ریل منتری جی نے جو ریل بجٹ پیش کیا ہے، اس میں مندرجہ ذیل جوڑ دیا جائے:

۱۔ سنبھل ضلع مرآدآباد میں سنبھل حاتم سرائے کے نام سے ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں سے آگے ٹرین نہیں جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سنبھل سے آگے دنیا کی آبادی نہیں ہے۔ سنبھل ایک تاریخی شہر ہے جو راجدھانی بھی رہ چکا ہے۔ مغلوں کے دور میں یہ صوبہ تھا، لیکن آج صرف تحصیل ہے۔ ریلوے سے نہ جڑا ہونے کی وجہ سے سنبھل کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ لہذا سنبھل حاتم سرائے کو وایا حسن پور، گجرولہ مین لائن سے جوڑ دیا جائے۔ سال 1998 میں میں نے ریلوے بجٹ کے موقع پر یہ مسئلہ ہاؤس میں اٹھایا تھا، جس پر سروے کے حکم ہوئے تھے اور اس کا سروے بھی ہو چکا ہے۔ لیکن ابھی تک آگے کی کاروائی نہیں ہوئی ہے۔

۲۔ اسلئے آپ سے درخواست ہے کہ سنبھل حاتم سرائے اسٹیشن کو وایا حسن پور، گجرولہ میں لائن سے جوڑ دیا جائے، تاکہ سنبھل کے رہنے والوں کو ترقی کرنے کا موقع مل سکے۔

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात मत कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: शायद वर्षों बाद, इस देश के आम लोग, विशेषकर रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तो है जो उनका ख्याल रखता है। मैं उनके उस प्रस्ताव के लिए भी उनको बधाई देता हूं जिसके अनुसार यात्री-किराया और माल-भाड़ा में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनका प्रस्ताव है कि 15 नई रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी तथा 13 वर्तमान रेलगाड़ियों के दिनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में चल रही लगभग 24 रेलगाड़ियों के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। 'वरिष्ठ नागरिक रियायत' का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की उम्र सीमा भी उन्होंने 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी है। उन्होंने कहा है कि कैंसर, थैलेसमिया, हृदय रोग, आदि के रोगियों को किराए में लगभग 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। रेल सुरक्षा के लिए उन्होंने 3500 से ज्यादा सिपाहियों को रखने का प्रस्ताव रखा है तथा स्वच्छता के लिए वह 'आपरेशन स्वच्छता' के तहत एक कार्य बल का गठन करेंगे। उन्होंने वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग 775 लाइनों के परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है।

मैं विशेष रूप से आम आदमी के लिए रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की शेष रिक्तियों को भरे जाने के उनके प्रस्ताव के लिए भी उनको बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुख्य बिन्दुओं पर ही चर्चा करें क्योंकि समय बहुत कम है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं सिर्फ मुख्य बिन्दुओं पर ही बोल रहा हूं। खान-पान सुविधा में सुधार, स्टालों के एकाधिकार को अंशत: समाप्त करने तथा रेलवे से कबाड़ के ठेके लेने के लिए उपाय सुझाने के लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सदन में शांति बनाए रखें। इस महत्वपूर्ण विषय को थोड़ा महत्व देने की आवश्यकता है। हम लोग माननीय सदस्य को सुन नहीं पा रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अब मैं माननीय मंत्री महोदय से मेरी बात सुनने का अनुरोध करता हूं। महोदय, मैं केन्द्रीय मंत्री से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। पश्चिम रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरात में पड़ता है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय गुजरात में स्थानांतरित किए जाने के लिए गुजरात की बहुत पुरानी मांग है। यह मांग बहुत समय से लंबित पड़ी है तथा इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजरात की इस मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इसके अतिरिक्त हिम्मतनगर-अहमदाबाद-उदयपुर के बीच रेल लाइन परिवर्तन की भी मांग है। इससे हमें न केवल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन की सुविधा मिलेगी बल्कि दिल्ली तक की लाइन से सीधा संपर्क हो जाएगा।

मैं इस तथ्य की ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भूतपूर्व रेल मंत्री ने मोडसा और शामलाजी रोड स्टेशनों के बीच 15 कि.मी. लंबी रेलवे लाइन बिछाए जाने की स्वीकृति दी थी। यदि 15 कि.मी. लंबी यह रेल लाइन बिछ जाती है, तो दिल्ली-चित्तौड़गढ़-उदयपुर-मोडसा-नडियाद-मुंबई से एक नए रेल मार्ग का रास्ता खुल जाएगा। अभी मात्र दो रेल मार्ग है; एक मार्ग मथुरा से होकर है और दूसरा अजमेर और आबू रोड से। यदि 15 कि.मी. लंबी इस नई रेल लाइन को बिछाया जाता है तो यह एक पूर्णत: नया रेल मार्ग होगा जो दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा। इसका सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। चूंकि यह निर्णय लालू जी के विवेकाधीन है, अत: मैं लालू जी से इसके लिए अनुरोध करता हूं। मैं नहीं समझता कि इस परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें योजना आयोग या वित्त मंत्रालय के पास जाना होगा। हमें बताया गया है कि यह उनके विवेकाधीन है। वह अपने मंत्रालय के बजट से ही राशि की स्वीकृति दे सकते हैं तथा मोडसा और शामलजी रोड के बीच इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य करवा सकते हैं जो संपूर्ण गुजरात के साथ-साथ राजस्थान के लोगों को भी मुंबई और दिल्ली से जोड़ेगी।

मेरे संसदीय क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग सं. 81/ए के लिए 51 लाख रुपये का बजट स्वीकृत करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। इस नई रेल लाइन और रेल ऊपरि पुल के शुभारंभ के लिए भूमि पूजन करने हेतु मैं उन्हें आग्रहपूर्वक गुजरात आने का निमंत्रण देता हूं।

मंत्री महोदय ने सुझाव दिया है अनेक सर्वेक्षण किए जाने है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि खेड़ब्रह्म-अम्बाजी-आबू रोड का सर्वेक्षण किया जाए जो विभिन्न रेलमार्गों से होकर आबू रोड को अहमदाबाद से जोड़ेगी। अम्बाजी केवल एक तीर्थस्थल ही नहीं हैं अपितु वहां संगरमरमर की खाने भी है। यह एक आदिवासी क्षेत्र है और अभी तक किसी भी रेल लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह हिस्सा केवल 15 कि.मी. है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस रेल लाइन का भी सर्वेक्षण शुरू करें।

मैं, मंत्री महोदय द्वारा आम आदमी के अनुकूल बजट प्रस्तुत करने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं उनके द्वारा उठाए गए सभी कदमों की प्रशंसा करता हूं और इस देश की जनता को इतना अच्छा बजट देने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय लालू जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, रेल मंत्रालय का प्रमुख कार्य रेल का सही संचालन और विकास है, लेकिन रेल मंत्री जी इसको भूल गए हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, घर की गृहणी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन वह बच्चों का ध्यान नहीं रखती, तो पेंटिंग की क्या सार्थकता है। उसी प्रकार से कुल्हड़, मट्ठा और खादी की बात करना और रेल में कुशलता नहीं लाना और संचालन भली प्रकार से नहीं करना, योजनायें नहीं बनाना, लम्बित परियोजनाओं के पैसे की व्यवस्था नहीं करना-ऐसे बजट को देश का बजट नहीं कहा जा सकता है। यह बजट केवल वाह-वाही प्राप्त करने के लिए है। यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाया गया, माल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन रेलवे की लम्बित परियोजनायें, जिनके लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है, उन लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है। यदि इस बारे में कोई रास्ता दिखाते, तो अच्छा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत रेल बजट दिशाविहीन, विकास विरोधी, दूरदर्शिता रहित है। इस बजट के माध्यम से केवल तत्काल वाह-वाही प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखा गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बजट में राजस्थान की घोर उपेक्षा हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान से संबंधित पुश्कर और अजमेर रेल लाइन चार वर्षों से लम्बित पड़ी है। इस स्थान पर रेल लाइन निकालने के बारे में तय हुआ था।

अपराह्न 4.00 बजे

काम भी शुरू हो गया, पैसे भी मंजूर हो गए, सर्वे भी हो गया लेकिन इस बजट में अजमेर-पुश्कर का तनिक मात्र नाम नहीं लिया है। चित्तौड़ और उदयपुर का नाम ले लिया कि चित्तौड़ को उदयपुर से आमान परिवर्तन कराया जाएगा लेकिन चित्तौड़ और अजमेर के बीच का जो हिस्सा है उसकी क्या स्थिति होगी। जब तक अजमेर-भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर लाइन पूरी नहीं बनेगी और इसके बाद चित्तौड़, उदयपुर से आगे हिम्मतनगर तक छोटा टुकड़ा ब्राडगेज में नहीं बदलेगा तब तक इसकी उपयोगिता नहीं होगी। दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बहुल इलाका है। बांसवाड़ा इलाके के लाखों लोगों ने रेल नहीं देखी है। इन लोगों की मांग है कि रतलाम-नीमच से उदयपुर की लाइन निकल जाए तो उनको भी रेलवे के दर्शन नसीब होंगे, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। पहले रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने जिन रेल लाइनों को स्वीकार किया था उन्हीं को जोड़ दिया है। एक:आध वही है। राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की बात कही गई है। राजधानी एक्सप्रेस बहुत महंगी गाड़ी है। आम आदमी को उससे कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को ले जाने वाली गाड़ी के फेरे बढ़ाते या उनमें अनरिजर्व्ड डिब्बे लगाते तो आम लोगों के बारे में कुछ हो सकता था। पिछले रेल मंत्री ने पटना और अजमेर के बीच रेल चलायी थी। अजमेर लाखों लोग आते हैं। बिहार, बंगाल से लाखों लोग मुईनुउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकीदत के फूल चढ़ाने आते हैं। लाखों लोग पुश्कर के दर्शन करने के लिए आते हैं। वह गाड़ी अजमेर-पटना के बीच हफ्ते में एक बार चलती है। अगर इस पर रेल मंत्री की कृपा हो जाए और उस गाड़ी के फेरे बढ़ा दिए जाएं तो बिहार, यूपी और अन्य राज्य में जो रास्ते में पड़ते हैं, वहां के लोगों को सहारा प्राप्त होगा और आने-जाने की सुविधा होगी।

अजमेर से हावड़ा पहले एक गाड़ी चली थी और वह सप्ताह में एक बार चलती है। मैं चाहूंगा कि अजमेर का जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। अजमेर और पुष्कर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। हरेक पर्यटक अजमेर और पुष्कर जाता है। ये धार्मिक तीर्थ स्थलों की दृष्टि से जाने जाते हैं। अजमेर और पुष्कर का अपना महत्व है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अजमेर को और अधिक रेलों से जोड़ने का प्रयास करें। फुलरा और जयपुर में पहली बार दोहरीकरण का काम स्वीकार हुआ है। दिल्ली और जयपुर के बीच क्या होगा। अजमेर के आगे फुलेरा और अजमेर के बीच क्या होगा, इसके बारे में नहीं बताया है। इन्होंने सर्वेक्षण के काम गिनाए और उनकी संख्या बढ़ा दी। इनमें पुष्कर-मेड़ता का भी नाम है। इसका पहले कई बार सर्वेक्षण हो चुका है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि अजमेर और पुष्कर रेल लाइन के लिए ज्यादा पैसा मंजूर किया जाए। नई रेल लाइन बननी है जो शीघ्र बनवाएं लेकिन पुष्कर से मेड़ता को भी जोड़ दिया जाए ताकि पश्चिमी राजस्थान से बीकानेर से जोधपुर का जो रूट है, उसमें अजमेर जुड़ जाएगा, पैरेलल रास्ता प्राप्त हो जाएगा और सहूलियत होगी।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ को प्राथमिकता के आधार पर आमान परिवर्तन हेतु जोड़ा जाए। ब्यावर एक लाख से ऊपर की आबादी का क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आश्रम एक्सप्रेस जाती है। अगर वहां दो मिनट का ठहराव दे दें तो आसपास के लोगों और फौजी लोग जो सेना में सेवा करने के लिए जाते हैं, उनको सुविधा होगी। अजमेर से आगे ब्यावर, अजमेर से पहले किशनगढ़ मार्बल की मंडी हैं। अजमेर

से आगे ब्यावार एक लाख से ऊपर की आबादी का शहर है। वहां आश्रम एक्सप्रेस को ठहराव प्रदान किया जाए तो इससे वहां की जनता को बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अजमेर से हरिद्वार, अजमेर से अमृतसर और अजमेर से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली गाड़ियां चलायी जाएं। जोधपुर से वाराणसी वहां मरूधर एक्सप्रेस चलती है। उसे सप्ताह में में दो दिन मारवाड जंक्शन होकर और अजमेर, जयपुर होकर चलाया जाए तो वहां के लोगों को सहूलियत मिलेगी। बांदीकुई-आगरा फोर्ट जो रेल लाइन है, दस साल से हम परेशान हो रहे हैं। वहां मीटर गेज लाइन में आमान परिवर्तन धीरे हो रहा है। अब आपने कहा है कि उसके लिए पैसे मंजूर किए हैं, उसे शीघ्र पूरा किया जाए। लेकिन बहुत कम पैसा दिया है। मान्यवर, मेरी अंतिम बात यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप चार बार अंतिम बात कह चुके हैं। खैर, बोलिये।

प्रो. रासा सिंह रावतः अध्यक्षी जी, आगरा फोर्ट रेल लाइन को शीघ्र पूरा कराया जाये और अहमदाबाद-आगरा फोर्ट के बीच में एक नई गाड़ी चलाई जाये। जो पहले गाड़ी चलती थी, वह बहुत लोकपिय तथा जनोपयोगी थी तथा लाभ में चल रही थी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि राजस्थान में लम्बित अन्य रेल परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः लालू जी, प्रो. रावत आपसे प्रार्थना कर रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावतः राजस्थान के दक्षिण भाग में तथा शेखावटी में ब्राड गेज लाइन नहीं पहुंचने से विकास कार्य रूका हुआ है। वहां ब्राड गेड लाइन पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जाये। मुझे आशा है कि आप राजस्थान को नई रेले तथा रेल लाईनें देकर सभी सुविधायें प्रदान करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः उन माननीय सदस्यों के नाम नहीं पुकारे जाएंगे जो पहले ही अपने लिखित भाषण अथवा विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं। उन्हें पहले ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। अतः, उनके नाम पुकारे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

...(व्यवधान)

श्री एम.एम. पल्लम राजू (काकीनाडा): महोदय, यदि हम इसके स्थान पर बोलना चाहें तो क्या करेंगे?

अध्यक्ष महोदयः नहीं। 'उनके स्थान पर' का प्रश्न ही नहीं उठता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का कोई सही तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं इसके बाद आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब, डा. राजेश मिश्रा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके निर्देश पर सभी माननीय सदस्य लिखित रूप से अपना भाषण दे दिया। हम लोगों ने सोचा कि माननीय रेल मंत्री जी इस डिबेट का जवाब देंगे। इसी आधार पर सभी सांसदों ने लिखकर दे दिया जबकि हमारा नाम लिस्ट में भी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो सदस्य बोलना चाहें और जिनमें नाम लिस्ट में हैं, उन लोगों को बोलने दें।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने रेल बजट पर हमें बोलने का अवसर दिया। मैं इस सरकार के माननीय प्रधान मंत्री, श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और रेल बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ रेल बजट की तारीफ नहीं करना चाहता बल्कि इस पूरे बजट को पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि रेल बजट को प्रस्तुत करने के पीछे जो सोच माननीय रेल मंत्री जी की है, मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, माननीय रेल मंत्री जी ने साधारण दर्जे, स्लीपर क्लास, ए.सी.-प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के किराये में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं की है। इस देश के पूरे जनमानस ने तथा समाज के अंतिम तथा सर्वोच्च व्यक्ति ने इस रेल बजट की सोच की तारीफ की है। माननीय रेल मंत्री जी ने माल-भाड़े में भी एक पैसे की वृद्धि नहीं की है। इससे चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा

व्यापारी हो, उसे लाभ मिला है। वे सभी इस सोच की तारीफ करते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का 2-3 बार सदस्य रह चुका हूं लेकिन संसद में पहली बार आया हूं, अत: एक प्रकार से नया सदस्य हूं। लकिन हम कहना चाहते हैं कि सामने बैठे हुए लोग जिस तरह से रेल बजट पर बोल रहे हैं या माननीय रेल मंत्री जी या पूरी सरकार के बारे में बोलते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति भी यह कहने के लिए विवश हो जाता है कि जिनके चेहरे पर, जिनके दामन पर छ: सौ दाग लगे हो, उन्हें किसी को भी दागी कहने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जब माननीय रेल मंत्री जी ट्रेनों के अंदर खादी की चादर, खादी के परदों की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि वह सिर्फ खादी कपड़े की बात नहीं करते, बल्कि इसके पीछे छिपी सोच की बात करते हैं, जिस सोच का महात्मा गांधी जी ने हिन्दुस्तान की आजादी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। खादी के पीछे जो उनकी दूरदर्शिता है, देश में जो बुनकर हैं, जो कपड़े और धागे की कताई करते हैं, उन्हें इससे रोजगार मिलेगा, इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी की तारीफ करता हूं।

जब माननीय रेल मंत्री जी कुल्हड़ की बात करते हैं तो कुल्हड़ से उन लोगों को कष्ट होता है जो करोड़पति और अरबपति हैं। लेकिन जब हम कुल्हड़ के प्रयोग की चर्चा करते हैं तो उससे हिन्दुस्तान के कुम्हारों को रोजगार मिलता है। उनके इस सोच के लिए हम रेल मंत्री जी की तारीफ करना चाहते हैं।

जब माननीय रेल मंत्री जी वैन्डर्स और कुलियों के लिए फ्री टिकट की बात करते हैं तो महसूस होता है कि यह सरकार हिन्दुस्तान के समाज के सबसे गरीब तबके के लिए सोचती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो सदस्य किसी माननीय सदस्य के बोलने में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए बुलाया नहीं जाएगा।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: जब माननीय रेल मंत्री जी बेरोजगार नौजवानों के लिए ट्रेनों में नि:शुल्क यात्रा की बात करते हैं, जो नौकरी के लिए दर-दर भटक रहे हैं, हम उसके पीछे रेल मंत्री जी की उस सोच की तारीफ करते हैं कि आज देश के करोड़ों नौजवान बेकार और बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए हम माननीय मंत्री जी की इस सोच और नीयत की तारीफ करते हैं।

हम कहना चाहता हूं कि पूरे रेल बजट में, प्रशंसा की बात अलग है, लेकिन रेल बजट के पीछे सरकार की जो सोच, थीम और नीयत है, उससे रेल मंत्री जी की नीति, नीयत और सोच स्पष्ट हो जाती है। महोदय, मैं कुछ सुझाव रेल मंत्री जी को देना चाहता हूं। वाराणसी हमारे हिन्दुस्तान का सबसे प्राचीनतम और जीवंत शहर है और यह सिर्फ हिन्दुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम और जीवंत शहर है, जिसे मैं रिप्रेजेन्ट करता हूं। वाराणसी अनादिकाल से संस्कृति और धर्म की राजधानी रहा है।

अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने स्क्रैप की नीलामी पर जो रोक लगाई है और उसके यूज की बात की है, वह निश्चित रूप से काबिले-तारीफ है। यह इसलिए काबिले-तारीफ नहीं है कि आप इसके उपयोग करेंगे, बल्कि इसमें जो माफियागिरी हावी थी, उस पर आपने प्रतिबंध लगाया है, जो वास्तव में तारीफ के काबिल है। मैं सबमिट करना चाहता हूं कि जो रेल के बड़े-बड़े कारखाने है और जो समान कारखानों में उपलब्ध हैं, वह सामान वहां के अधिकारियों द्वारा बाहर से मंगाकर पैसे का जिस तरह दुरूपयोग किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि वाराणसी के अंदर डी.एल.डब्ल्यू. है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया केवल मुद्दों का ही उल्लेख करें।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: वह डीजल रेल का बहुत बड़ा कारखाना है। मैं कहना चाहता हूं कि बाहर से खरीदकर जो सामान वहां आ रहा है, जबकि वह कारखाने में उपलब्ध है, उस पर आपने प्रतिबंध लगा दिया है, यह काबिले-तारीफ है।

मैं कहना चाहता हूं कि वाराणसी के फूलपूर में खालिसपुर एक जगह है। वहां स्लीपर का कारखाना स्व. पंडित कमलापति त्रिपाठी, जब रेल मंत्री थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। आज वह कारखाना बंदी के कगार पर है, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन बंदी के कगार पर जरूर पहुंच गया है। हमारी रेल मंत्री जी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस कारखाने को अपग्रेड कराकर चलवाने का काम करें। हम आपसे कहना चाहते हैं कि बनारस के अंदर मडुआडीह स्टेशन पर फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह प्रोपोजल आलरेडी आपके पास है तथा कज्जाकपुरा चौराहे पर भी एक फ्लाईओवर बनाने की बात है। इस फ्लाईओवर के अभाव में पूरा बनारस जाम हो जाता है। मैं बहुत आभारी होउंगा यदि रेल मंत्री जी बनारस आएं। मैं चाहता हूं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन आपको कराऊं, आपके द्वारा उनका जलाभिषेक

हो और आप इसकी घोषणा करें। एक ट्रेन और बनारस से बंगलौर के लिए चलाई जाए। इससे बनारस के बुनकरों को बंगलौर में बाजार मिलेगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती तेजस्वनी शीरमेश।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. मिश्रा, मैं आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों, कृपया शांत हो जाइए। मैंने उनका नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, श्रीमती वी. राधिका सेलवी को पहले सभा पटल पर भाषण रखने की अनुमति दी गई थी। वह उनका पहला भाषण था। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उचित समय पर अपना पहला भाषण दे सकती हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

***श्री सीता राम यादव** (सीतामढ़ी): माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से मा. रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि श्री लालू जी ने जो रेल बजट प्रस्तुत किया है उसे समर्थन करता हूं।

1. मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी नयी रेल लाइन जो दस साल पहले स्वीकृत हुआ है, मंद गति से काम चल रहा है। कृपया 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जायें ताकि इस रेल लाइन को पूरा कराया जाये।
2. दरभंगा-सीतामढ़ी-नरकटियागंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का काम चल रहा है। कृपया पर्याप्त साधन देकर बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाये।
3. मुजफ्फरपुर-नारायणपुर-औरार्क-जनकपुर रोड सुरसंड जयनगर नयी रेल लाइन सर्वे हेतु 1997 में स्वीकृत हो गयी है। कृपया सर्वे कार्य अगर पूरा नहीं हुआ है तो उसे पुन: सर्वे कराकर रेल लाइन बिछाया जाये।
4. सीतामढ़ी-सोनबरसा-परिहार-सुरसंड-जयनगर नयी रेल लाइन का सर्वे कराकर नीचे रेल लाइन बनायी जाये।

[अनुवाद]

***श्री लक्ष्मण सेठ** (तामलुक): महोदय, मैं अपने क्षेत्र में रेलवे सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे सभापटल पर रखता हूं। मैं, इसे श्री लालू प्रसाद, केन्द्रीय रेल मंत्री को अग्रेषित करने में आपका अनुग्रह चाहता हूं ताकि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकें।

1. राजगोड़ा स्टेशन से दुर्गाचक स्टेशन, हल्दिया-पश्चिम बंगाल तक दोहरी लाइन के लिए धनराशि का आबंटन।
2. हल्दिया-पंसकुरा लाइन पर रानीचक पर सड़क ऊपरि पुल, पंसकुरा-हावड़ा लाइन पर भागपुर में सड़क ऊपरि पुल।
3. पूर्व मेदनीपुर के तामलुक जिला मुख्यालय के निकट मेचेदा स्टेशन पर कोरामंडल एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रैस, फलकनामा एक्सप्रैस, मुम्बई मेल तथा त्रिवेन्द्रम एक्सप्रैस का ठहराव।
4. मेचेदा और पंसकुरा स्टेशन पान के पत्तों की पुन: बुकिंग प्रणाली की बजाय सीधी बुकिंग बहाल करना।
5. मेचेदा और पंसकुरा से पान के पत्तों की ढुलाई के लिए पार्सल वैन की पर्याप्त आपूर्ति।
6. पंसकुरा-हल्दिया लाइन पर उलूबेरिया से महिषादल स्टेशन तक नई रेल लाइन।
7. हल्दिया से हावड़ा तक दो स्थानीय यात्री रेलगाड़ियां शुरू करना।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे रेलवे बजट पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

महोदय, मैं मानती हूं कि रेल बजट बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे भारत के आम आदमी की जीवन रेखा है। संप्रग सरकार का रेलवे बजट जनप्रिय है और इसमें श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व, लालू प्रसाद जी तथा संप्रग सरकार के सहयोगी दलों, जिसमें वामपंथी और अन्य दल भी है, की छाप देखी जा सकती है। मैं समझती

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हूं कि यह आम आदमी, गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के रेल यात्रियों के अनुकूल बजट है।

इस बजट में पर्यावरण अनुकूल चीजों को महत्व दिया गया है। कतिपय महत्वपूर्ण उपाय किये गए हैं। इसमें स्वदेशी विचारधारा या स्वदेशी नीति को महत्व दिया गया है। कहने की बात यह है कि आम आदमी रेल में यात्रा करता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कतिपय प्रशंसनीय उपाय किये गए हैं। इनसे आम आदमी को बहुत लाभ होगा।

मैं अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि समय मूल्यवान है और इस पर प्रत्येक सदस्य बोलेगा। जहां तक मेरे राज्य कर्नाटक का संबंध है, मुझे समझ नहीं आता कि लालू जी ने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा। मैं समझती हूं कि समय की कमी व अन्य बातों की वजह से वे इस तरफ ध्यान नहीं दे पाये। मुझे आशा है कि मेरे राज्य की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करवा कर कर्नाटक को महत्ता दी जाएगी। मैं यहां 27 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती हूं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई की कोई सुविधा और पर्यटन स्थल नहीं है। मैं रेल मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि आमजन के लाभार्थ यहां कुछ नई रेलवे लाइनें बिछायी जाएं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा के शासनकाल में बंगलौर को बरास्ता-कनकपुरा तथा संगम और अन्य पर्यटन केन्द्रों से होकर रेल सम्पर्क देने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। इस नयी रेल लाइन से आम आदमी को लाभ होगा। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करती हूं।

बंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण भी किया जाना है और मैं माननीय मंत्री जी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी तथा संप्रग नेतृत्व मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत अच्छा भाषण है। मुझे विश्वास है कि आपके इस सहयोग की वजह से माननीय मंत्री जी आपके अनुरोध पर अवश्य विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे (उस्मानाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस रेल बजट का विरोध करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुई हूं, उस क्षेत्र में रेल के एक नए प्रोजेक्ट का काम चालू है—कुर्दवाड़ा-उस्मानाबाद-लातूर—लेकिन बजट में पैसा न देने की वजह से उसका काम रूक गया है। मैं निवेदन करती हूं कि रेल बजट में इसके लिए धनराशि का प्रावधान कीजिए। इस बजट में कोई व्यवस्था करके इसका काम चालू करने का प्रयास करें।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन को जोड़ने की आवश्यकता है-तुलझापुर-उस्मानाबाद-शोलापुर। यह काम भी इस बजट में नहीं लिया है। इसकी भी व्यवस्था करें। यही बात मैं रेल मंत्री से कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपके मामले में ध्यान दिया जाएगा।

अब मैं श्री सुरेश कुरूप को बोलने के लिए बुलाता हूं। आपके पास बोलने के लिए चार मिनट हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे हमारे देश की एकता का प्रतीक है। देश के विभिन्न भागों को जोड़ने, लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर, लोगों और संस्कृतियों का मेल मिलाप कराने की प्रक्रिया में रेलवे विविधता में एकता करने कायम करने का कार्य करता है।

महोदय, सारा देश बड़ी उत्सुकता से रेल बजट की प्रतीक्षा करता है क्योंकि इससे लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। मैं इस वर्ष लोगों पर अतिरिक्त बोझ न डालने वाला बजट प्रस्तुत करने के लिए रेल मंत्री की सराहना करता हूं। यात्री भाड़ा और मालभाड़ा न बढ़ाते हुए मंत्री जी ने उचित तरीके से रेलवे की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया है।

महोदय, देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं ने रेलवे के प्रति लोगों का विश्वास हिला दिया है। मैं समझता हूं कि बिना देरी किये सुरक्षा के मामलों में सुधार तथा आधुनिकीकरण के लिए किये गये उपायों से ऐसा करने में सफलता मिलेगी।

अब मैं देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले जवानों की विधवाओं को रियायतें देने के लिए मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं रेलवे के कुलियों का स्मरण करने के लिए भी मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु एक अभियान चलाने का निर्णय लेने के लिए भी मंत्री जी की प्रशंसा करता हूं।

महोदय, चूंकि रेलवे देश में यातायात का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है और जब भी रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है देश के विभिन्न भागों में इससे लोगों की आशाएं बढ़ जाती हैं। इस मामले में हर वर्ष केरल राज्य को शिकायत रहती है कि उनके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जाता।

इस सम्माननीय सभा में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि क्रमशः एक के बाद एक सभी केन्द्र सरकारों ने केरल राज्य की मांगों पर विचार नहीं किया। शायद सुदूर दक्षिण में होने के कारण सरकार ने इस राज्य की मांगों पर समुचित ध्यान नहीं दिया। हम, केरल के सभी सांसदों ने बार-बार अपने राज्य की कुछ प्रमुख मांगों के बारे में यहां बताया है।

महोदय, केरल राज्य में रेल विकास के संबंध में हमारी महत्वपूर्ण मांग एर्णाकुलम-कायमकुलम वाया कोट्टायम, जो कि मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और अल्लापुझा रेल मार्ग का दोहरीकरण है। इस सारे मामले में रेलवे का कहना है कि यहां से अलेप्पी होकर जाने वाली रेल लाइन पहले ही एक दोहरी लाइन है अतः इस भाग के दोहरीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल दो या तीन वर्ष पहले रेलवे ने सिद्धांत रूप में यह स्वीकार किया कि इस भाग का दोहरीकरण किया जाना चाहिए।

अब, रेलमंत्री जी यह भली भांति जानते हैं कि *...(व्यवधान)* महोदय, मैं आपकी सहायता चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको यहां उपस्थित होना चाहिए था।

श्री सुरेश कुरूपः महोदय, एर्णाकुलम से मुलंतिरूपि तक रेल मार्ग का दोहरीकरण पहले ही किया जा चुका है। पूर्व रेल मंत्री ने यह भी घोषणा की थी कि दक्षिण की ओर कायमकुलम से चेंगानूर तक के रेलमार्ग का दोहरीकरण भी किया जाएगा। पूर्व रेल मंत्री ने यह घोषणा भी की थी कि अलेप्पी की तरफ से कायमकुलम से चेपाड तक के रेलमार्ग का दोहरीकरण भी किया जाएगा। इन दोनों हिस्सों का दोहरीकरण होने के बाद ही केरल राज्य कोंकण रेलवे का पूरा उपयोग कर पाएगा। केरल की यह दयनीय हालात हैं।

महोदय, बजट में शोरानुर से मंगलौर तक के छोटे से हिस्से के दोहरीकरण का प्रावधान रखा गया है। दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। कायमकुलम से तिरूवनन्तपुरम तक के रेलमार्ग का दोहरीकरण पहले ही किया जा चुका है, और केरल एक छोटे से भाग का दोहरीकरण शेष है। अतः रेल मंत्रालय से मेरा यह आग्रह है कि केरल की इस महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार किया जाए और इस बजट में ही इस हिस्से के दोहरीकरण का प्रावधान किया जाए तथा इस रेल लाइन के विद्युतीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि दी जाए।

महोदय, रेलवे प्रतिवर्ष नई रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा करता है *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया व्यवधान न डालें। उन्होंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की हैं।

श्री पी.सी. थामसः महोदय, माननीय रेल मंत्री चले गए हैं।

अध्यक्ष महोदयः रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां उपस्थित हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुरेश कुरूपः महोदय, प्रतिवर्ष रेल मंत्रालय नई गाड़ियां चलाने की घोषणा करता है। लेकिन पहले से चल रही रेलगाड़ियों के डिब्बों की क्या हालत है? मैं समझता हूं कि जहां तक रेल के डिब्बों का संबंध है, मेरा राज्य अत्यन्त उपेक्षित हैं। हमें सभी टूटे-फूटे डिब्बे मिलते हैं। हमारे राज्य की कई महत्वपूर्ण मांगों में से एक मांग है कि केरल राज्य को एक रेलवे जोन दिया जाए। जब केरल रेलवे जोन की मांग करता है तो योजना आयोग यह कह देता है कि इसका कोई प्रावधान नहीं हैं। लेकिन पिछले वर्ष बिना किसी मंजूरी के नौ जोनों की घोषणा की गई थी और वे सभी जोन मौजूद है।

अध्यक्ष महोदयः क्या आप भी ऐसा ही जोन चाहते हैं?

श्री सुरेश कुरूपः महोदय, हमने मांग की है कि जब हमारे राज्य में रेलवे में विकास हुआ है तो वहां एक रेलवे जोन भी होना चाहिए। यह हमारे राज्य की चिरकालिक मांग हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बार केरल में एक रेलवे जोन की मंजूरी दी जाए।

महोदय, 'मावेली एक्सप्रेस' नामक एक गाड़ी है जो तिरूवनन्तपुरम से मंगलौर के बीच सप्ताह में एक बार चलती है। हमारी मांग है कि इस गाड़ी की आवाजाही को बढ़ाया जाए। इसे मुम्बई तक बढ़ा दिया जाए। केरल में यात्रियों की कमी नहीं हैं। यदि इस रेलगाड़ी की आवाजाही बढ़ाई जाती है और यदि इसे मुम्बई तक कर दिया जाता है तो यह केरल के लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा।

अध्यक्ष महोदयः श्री मोहन सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य तभी बोलेंगे जब उन्हें अध्यक्षपीठ द्वारा बुलाया जाता है।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, कृपया मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप दूसरे सदस्य का समय बरबाद कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमाप्रार्थी हूं कि पहले आपने नाम पुकारा, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं।

महोदय, मैं बहुत संक्षेप में माननीय रेल मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। रेल विभाग में निरंतर अधिकारियों की ऐसी आदत हो गई है कि अपने चरने-खाने के लिए किसी निगम की स्थापना कर दें। हर छः महीने में एक निगम बना दिया जाता है। मितव्ययिता के नाम पर नीचे के कर्मचारियों की छटनी होती है, भर्ती नहीं हो सकती, लेकिन रेल का खर्चा बढ़ाने के लिए निगम बना कर अधिकारियों की गाड़ी, घोड़ा, बंगला, चपरासी, नौकर और ड्राइवर आदि सब की भर्ती होती है।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से पहला आग्रह यह करना चाहता हूं कि रेलवे में जितने फर्जी निगम बने हुए हैं, उन सब की समीक्षा पहले करें और जो इसमें गैर जरूरी निगम हैं, केवल अधिकारियों के चरागाहों को समाप्त करने पर विचार करें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक निगम चलते-चलते बना था, जिसे केटरिंग निगम के नाम से जानते हैं। उसकी समीक्षा की जाए कि उसने खान-पान के संबंध में रेलवे में पिछले तीन वर्षों में, अपने जन्म-काल के बाद कौन सा काम किया। केवल प्राइवेटाइजशन के नाम पर कुछ खास लोगों का खान-पान पर एकाधिकार कायम कर दिया गया है। रेलवे कुछ खास परिवारों की कमाई का साधन नहीं होना चाहिए। केटिरंग का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। स्टेशनों पर जो स्टाल हैं, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में खुद ही कहा है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि कम से कम जो व्हीलर का मामला है, इस सवाल को सदन में बहुत बार उठाया गया, लेकिन किसी भी रेल मंत्री जी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके एकाधिकार को खत्म कर सकें। मंत्री जी ने इस चुनौती को कबूल किया है, जिसके लिए मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वे इस काम को पूरा कर सकें, इसके लिए मेरी उन्हें शुभकामनाएं हैं।

महोदय, पूरे देश में एक घटना के चलते वातावरण विषाक्त हो गया था और वह घटना गोधरा की है। गोधरा की घटना का सही निरीक्षण, जायजा हिन्दुस्तान की जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। जो बोगी उस दिन गई, उस बोगी में कितने लोग टिकट लेकर अयोध्या में सवार हुए, जो उसमें सही यात्री थे, उनको निकाल कर सड़क के ऊपर फेंका गया। उस बोगी में कहां से आग लगी? उस पूरे षडयंत्र के पीछे जो तथ्य हैं, वे देश के सामने रखे जाने चाहिए, यह मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं।

उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को इस रेल बजट से जितनी अपेक्षा थी, उतना हमें नहीं मिला है। हमें आशा थी कि सारी रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश से होकर बिहार की ओर जाती हैं, 3-3, 4-4 रेल मंत्री लगातार बिहार के हुए तो हम सोचते थे कि जब उत्तर प्रदेश के रेलगाड़ियां बिहार को जाती हैं तो उत्तर प्रदेश को उसका वाजिब हिस्सा अपने आप मिल जायेगा, लेकिन कप्तानगंज से लेकर छपरा तक रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन, गोंडा से लेकर गोरखपुर तक रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन, छपरा से लेकर गोरखपुर होते हुए गोंडा लाइन को डबल किया जाना और उसी तरह लखनऊ से गोरखपुर तक इसके विद्युतीकरण को माननीय मंत्री जी को ध्यान में रखना चाहिए।

चूंकि मैं आपका एक अनुशासित सदस्य हूं, आपकी घंटी बज गई है, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता इसलिए मैं आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरी पहली चेतावनी है। आप एक मिनट और ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: मैं एक मिनट में एक सुझाव और माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी के इस बजट में संवेदना की दृष्टि दिखाई पड़ रही है। रेलवे स्टेशन के जो कमजोर और गरीब लोग हैं, उनको 500 रुपये की बुढ़ापे में पेंशन की बात इन्होंने कही है। उनके लिए बीमे की बात इन्होंने कही है। किसी भी रेल मंत्री ने इसके बारे में सोचने का काम नहीं किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि क्लास वन के जो रेलवे स्टेशन हैं, उन पर तो कैटरिंग का इन्तजाम है, उसके लिए लोगों को सुविधा की व्यवस्था है। लेकिन क्लास-टू, क्लास-बी और क्लास-सी के सारे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं अन्त में अपने लोक सभा क्षेत्र की एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में रेलवे के एक ओवरब्रिज का शिलान्यास तक हो गया, लेकिन सरकार बदलने के बाद उस ओवरब्रिज पर, जो देवरिया की जनता की प्रमुख समस्या है, रेल विभाग ने ध्यान नहीं दिया। मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह करना चाहता हूं कि उस ओवरब्रिज का निर्माण करायें। देवरिया के रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करा कर उसका विस्तार और वहां आरक्षण की सुविधा प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है। कृपया शान्त रहिए।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज: अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पूर्व जब सदन में शोर शराबा था तो आपने हमें अपने लिखित भाषण सभा पटल पर प्रस्तुत करने के लिए कहा था। हमने सोचा कि आप सभा की बैठक स्थगित करने जा रहे है। लेकिन अब तो सदन में व्यवस्था बनी हुई है। सभा में रेल बजट पर चर्चा की जा रही है। जिन सदस्यों ने सभापटल पर अपने भाषण प्रस्तुत किए है क्या उन्हें बुलाया जाएगा? उनमें कुछ नए माननीय सदस्य है जो श्री लालू जी के रेल बजट पर अपना पहला भाषण देना चाहते हैं उन्हें भी अपनी बात कहने से वंचित भी किया जा रहा है।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): मैं स्वयं को माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध करता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपने लिखित भाषण अथवा वक्तव्य प्रस्तुत कर दिए है और जो कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा बन चुके हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा जिसका मुझे खेद है लेकिन हम उनका बाद में ध्यान रखेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुश्री महबूबा मुफ्ती।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसको खत्म किया जाए। मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकारा है। कृपया सहयोग दीजिए। आप माननीय मंत्री जी को भी सुनना चाहते हैं। हमने काफी समय बरबाद किया है। कृपया सहयोग कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अपना निर्णय दे दिया है। सुश्री महबूबा मुफ्ती।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैंने एक घोषणा कर दी है। यह सम्भव नहीं है। कृपया शान्त रहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सुश्री महबूबा मुफ्ती ने भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग): अध्यक्ष महोदय, श्री लालू जी को लोकप्रिय बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहती हूं।

[हिन्दी]

जबकि एक तरह से हर मोड आफ ट्रांसपोर्टेशन के फेयर्स दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने किरायों को नहीं बढ़ने दिया मैं समझती हूं कि यह अपने आप में एक उपलब्धि हैं।

चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हों अथवा बुर्जुग लोग हों, विकलांग हों अथवा रोगी हो, सभी तरह के आम यात्रियों के कल्याण के लिए चिन्ता करने के लिए भी उनकी प्रशंसा करती हूं इससे उनके जमीन से जुड़े होने का आभास होता है। उन्होंने रेलवे से जुड़े कुलियों, विक्रताओं और मजदूरों का ध्यान रखा है।

मैं उनके लिए और आधुनिक शौचालय का निर्माण करने पर बल देने की भी सराहना करती हूं जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही है। मैं समझती हूं कि इसके बदबू दूर होगी, यह साफ

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[सुश्री महबूबा मुफ्ती]

सुथरी होगी और अधिक सुरक्षित होगी इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

महोदय, मैं लालू जी से अनुरोध करती हूं कि जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें ऐसे एक्सीडैंट प्रोन एरियाज को आइडेंटीफाई किया जाये जो सबसे ज्यादा वलनरेबल पार्ट्स हैं उनको प्रायरिटी बेसिस पर अपग्रेड और मार्डनाइज किया जाये। कुल्हड़ और खादी का स्वागत है। उन्हें कामयाब बनाने के लिए यदि हमे कुल्हड़ को सफल बनाना है और यदि हम चाहते हैं कि आम जनता इसका अधिक से अधिक प्रयोग करे तो 50 साल के कुल्हड़ की शक्ल चेंज करनी पड़ेगी। उसकी फिनिशिंग ठीक करनी पड़ेगी। खादी के संबध में, हमें इसे अधिक परिष्कृत बनाना होगा। क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे अदरवाइज वह बात वैसे ही रह जायेगी। आपातकालीन के बारे में लोगों में अलग-अलग धारणाएं हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के रूप में मेरा इसके बारे में अपना अनुभव रहा है यह तब की बात है जब मैं एक विद्यार्थी थी, इमर्जेंसी के दौरान जब मैंने ट्रैवल किया तो देखा कि रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे थे, वहां सफाई थी, पंक्चुएलिटी और सिक्योरिटी थी। एक लड़की अकेले ट्रैवल कर सकती थी। हम समझते हैं, हमें रेलवे में ऐसी प्रणाली बनानी होगी जो सफाई के साथ-साथ समय पाबंदी भी सुनिश्चित करे। मैं लालू जी से रिक्वैस्ट करूंगी कि वे अपनी लाठी घुमायें। इमर्जेंसी की बात हम नहीं करते लेकिन वैसा माहौल फिर से आप रेलवे स्टेशन में पैदा कर सकते हैं। मैं अब अपने स्टेट जम्मू-कश्मीर की रेलवे की बात करूंगी।

[अनुवाद]

सर्वप्रथम, मैं युवा रेल इंजीनियर और उनके छोटे भाई की हत्या किए जाने पर शोक व्यक्त करना चाहती हूं। मैं संतप्त परिवारों को संवेदन व्यक्त करती हूं। उनकी बीमार मां को अथवा उनकी पत्नी रेनू अथवा उनके बुजुर्ग पिता को ढांढस बधाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।

[हिन्दी]

हमारे मजहब में कहा जाता है कि जो इंसान घर से अपने बीबी-बच्चों का पेट पालने के लिए निकले, रास्ते में उसके साथ कोई अनहोनी बात हो जाये और वह वापिस न लौटे तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाये। श्री सुधीर जैसे इंजीनियर अपने घर के लिए नहीं बल्कि जम्मू-कश्मीर की हजारों फैमिलीज का पेट पालने के लिए मैदान में थे। वह दर्जा उनको यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर की रेल इंदिरा जी के कई ख्वावों में से एक ख्वाब थी। दुर्भाग्यवश उनके इस ख्वाब को पूरा होने में बहुत देर लगी। उसके बहुत सारे रीजन्स थे। मुझे खुशी है कि पिछले दो साल से जब से हमारी कोलिशन सरकार वहां आई है, मैं यह बात बताने में हिचकूंगी नहीं कि श्री वाजपेयी जी और नीतीश कुमार जी ने इसमें खासी दिलचस्पी ली। पिछले दो साल में जो कोलिशन सरकार थी, उनके कार्य काल में काफी काम हुआ। वहां जो मुश्किलात थे, उन्होंने उसको हटाने का काम किया। पहली बार जम्मू-कश्मीर के लोगों को महसूस किया कि वाकई हमारे मुल्क की ट्रेनें जम्मू-कश्मीर पहुंचेगी।

इस साल जो वोट आन एकाउंट हुआ था, उसमें एक हजार करोड़ रुपये एस प्रौजेक्ट के लिए रखे गये थे जिसमें से 300 करोड़ रुपये आलरेडी खर्च हो चुके हैं। हमें कहीं से मालूम हुआ है कि इस साल इस प्रौजेक्ट में शायद एक हजार करोड़ रुपये से कम पैसे रखे गये हैं। मैं लालू जी से रिक्वैस्ट करूंगी कि पिछले दो साल में जम्मू-कश्मीर के हालात में जिस तरह सुधार हुआ है, उसमें आपका रेल प्रौजेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। इस रेल प्रौजेक्ट की वजह से हजारों सैंकड़ों लोगों को कोई न कोई छोटा-मोटा काम मिला है, इसलिए इस वक्त अगर इस रेल प्रौजेक्ट में काम रूका या सुस्त पड़ा तो उससे जो मैसेज वहां जायेगा, वह अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी कि इस रेल प्रौजेक्ट को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाये।

मेरी दूसरी रिक्वैस्ट यह है कि पहले रेल प्रौजेक्ट का वो हिस्सा-काजीगंध से बारामुला दिसम्बर 2004 में मुकम्मिल होना था, अनफारचुनैलिटी अब यह कह रहे हैं कि वह जुलाई 2006 में पूरा होगा। जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है। हम इस प्रौजेक्ट में और देरी नहीं चाहते। जैसे लालू जी ने बीस हजार नौकरियों के बारे में ऐलान किया, जिन्हें गैंगमैन या ट्रैकमैन कहते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि जब नीतीश कुमार जी अपने टेन्योर में कश्मीर आए थे तो उनके पास छोटे-छोटे जमींदार आए थे। उन्होंने बताया था कि हमारी रोजी-रोटी देने वाली जमीन छिन गई है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। उस बात को नजर में रखते हुए उन्होंने वहां लोगों से प्रामिज किया था कि ट्रेन के आने से जिन लोगों का लाइवलीहुड चला जाएगा, उनको हम रेलवे में एक-एक जाब देंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि लालू जी उस प्रामिज का खास ख्याल रखेंगे।

मैंने पहले भी रिक्वैस्ट की थी कि अभी तक जो रेल लाइन बारामूला तक है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह जल्दी ही हमारा मुजफ्फराबाद रूट खुल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उस रेल को उड़ीसा तक ले जाने का प्रबंधन किया जाए। यह दूसरी महत्वपूर्ण बात है।

हमारा जे एंड के टूरिस्ट स्टेट है। इस साल आज तक 60 लाख यात्री वैष्णो देवी गए हैं और लाखों की तादाद में लोग अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा माशा-अल्लाह इस साल टूरिज्म भी काफी बढ़ गया है। हमारी जो रेल वहां जा रही है, लालू जी जानते होंगे, वे इंजीनियर्स को बताएंगे, उसमें जम्मू से लेकर कश्मीर तक बहुत सारे टनल्स बनने हैं। डीजल इंजन से बहुत पौल्यूशन होगा। हम नहीं कहते कि आप हमें हाथों-हाथ इलैक्ट्रिक इंजन या इलैक्ट्रिक ट्रेन दे दीजिए। लेकिन मैं लालू जी से गुजारिश करूंगी कि उसका भी प्रोवीजन बजट में रखा जाए ताकि जो ट्रेन कश्मीर जाए, 5-6 साल के अंदर हम इसे इलैक्ट्रिक ट्रेन में बदल सकते है। अदरवाइज हमारे टूरिज्म पर काफी असर पड़ेगा।

इसके अलावा हम लालू जी से यह भी गुजारिश करेंगे, उनको खुद भी इन्फार्मेशन मिलेगी कि हमारे यहां साइड लिंक्स की डिमांड है। हम कोशिश करेंगे कि अभी अगर ट्रेन जा रही है, कटरा जा रही है या दूसरी जगह जा रही है, उसके लिंक की डिमांड को भी पूरा किया जाए ताकि आने वाले वक्त में हमारी रेल हर डिस्ट्रिक्ट को छू ले।

मैं एक बार फिर लालू जी को प्यूपल्स फ्रैंडली बजट के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको आपके भाषण के लिए बधाई देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

***श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** (मालेगांव): महोदय, मनमाड से नरडाणा रेल लाइन का सर्वे हुआ है, इस रेल बजट में इस रेल लाइन को बिछाये जाने का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। पूणे-सुरत रेलवे लाइन का सर्वे हुआ है, इस रेल बजट में इस रेल लाइन को बिछाए जाने का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। मनमाड से मुम्बई नई सुपर-फास्ट गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता है। मनमाड से कुर्ला के लिए जो गाड़ी चलाए जा रही हैं, उनके चलने के स्थान तथा समय में परिवर्तन न किये जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्रीमता मेनका गांधी (पीलीभीत): मुझे बोलने का अवसर दिये जाने के लिए धन्यवाद।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने, मेरे कहने पर भोजीपुरा, पीलीभीत एवं तनकपुर के लिए ब्राड गेज लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण के पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा है तथा सितापुर, लखीमपुर तथा पीलीभीत के रास्ते लखनऊ से बरेली तक अगली ब्राड गेज लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।

तथापि, इससे मुझे दूसरा बिन्दु याद आता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उनके लिए व्यवधान खड़ा न करें। प्रत्येक माननीय सदस्य को महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं। कृपया व्यवधान न डालें। मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र के लिए कोई बोलने वाला नहीं है।

श्रीमती मेनका गांधी: इससे मुझे मुख्य बिन्दु याद आता है कि भारत में अत्यधिक मात्रा में गन्ना, गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्र तथा जहां से बड़ी मात्रा में कृषि वस्तुओं का परिवहन होता है तथा यात्री हैं-वह क्षेत्र नहीं हैं जो कि अन्य कई राज्यों के लिए है-आधी शताब्दी के बाद शेष भारत के साथ ब्राड गेज लाइन के साथ नहीं जोड़ा गया है? दुर्भाग्यवश, वर्तमान मंत्री के पूर्ववर्ती मंत्री ने इन दोनों रेल लाइनों को गैर-जीवनक्षम घोषित किया था यद्यपि उन्हें जोड़ने के लिए केवल 30 किलोमीटर की आवश्यकता थी। इससे मुझे यह बात याद आती है कि सर्वेक्षण किस प्रकार किया जाता है। उदाहरणार्थ क्या पीलीभीत से बिहार के छोटे स्थानों जैसे सासाराम, नोखा, सहरसा, मधेपुरा एवं मुजफ्फरपुर से कम यात्री एवं कम माल भाड़ा मिलता है, ये सभी स्थान 2-3 लाइनों से जुड़े हैं तथा यहां ज्यादा गाड़ियां आती हैं। हमारे यात्री किराया देने वाले है जो कि अभिलेखों के मुताबिक बिहार के कई कस्बों के यात्री किराया नहीं देते हैं।

लेकिन पिछले कई वर्षों से आर्थिक सर्वेक्षण इस प्रकार से किये जाते रहे हैं कि उनसे केवल तत्कालीन मंत्री के क्षेत्र को ही लभा होता है। दुर्भाग्यवश, पिछले 10 वर्षों में मंत्री मुख्यत: बिहार तथा बंगाल से ही बने हैं। अब उन्हें रेल लाइन केवल उन्हीं के राज्यों में जीवनक्षम लगती हैं, तथा रेल मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण भी उन्हें ही जीवनक्षम पाते हैं।

अन्य लोगों जो यह सब पाते हैं वे लोग हैं जो उनके लिए या तो राजनीतिक या व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक उपयोगी हों। मैं चाहती हूं कि आर्थिक या अन्य कोई सर्वेक्षण का सम्पूर्ण कार्य ऐसे व्यावसायिक निकाय को सौंप दिया जाए जो इन्हें तटस्थता से कर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सकें। मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले पांच या छह वर्षों में जिन बातों पर सहमति बनी थी तथा इस बजट में भी, जो कि मूलत: राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबन्धन के अंतरिम बजट का ही विस्तार है। योजना आयोग ने गैर-जीवनक्षम पाया है क्योंकि उन्हें किराया नहीं देने वाले यात्री तथा बिल्कुल भी माल भाड़ा नहीं मिलता है।

कुल्हड़, खादी, मट्ठा, लस्सी तथा बेरोजगारों के लिए स्टेशन पुस्तक दुकानों के बारे में बात करना मेरे लिए आसान होगा, साफ तौर पर लगता है कि इस बजट में जनता के ध्यान का अपहरण कर लिया गया है। तथापि इस समय मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं करना चाहती हूं फिर भी कुल्हड़ इतना साधारण कार्य नहीं है जैसा यह लगता है क्योंकि इससे कृषि भूमि का विनाश होगा। मैं क्या कहना चाहती हूं कि रेलवे को पुस्तक दुकानों तथा खादी एवं परिसरीय वस्तुओं पर कम ध्यान देना चाहिए लेकिन मूल क्षमता-रेलगाड़ियों को सुरक्षित, मितव्ययी रूप से तथा समय पर चलाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक अति महत्वपूर्ण पद्धति को छोड़ दिया गया है लेकिन रेल शुल्क पद्धति नियामक निकाय का सृजन करना। इन तीनों के लिए आवश्यक था। यह पुन: छूट गया है।

सम्पूर्ण भारत में रेलवे यात्रियों एवं माल को ढोता है लेकिन भारत एक विविधताओं वाला देश है जहां हम दिल्ली एवं बिहार के लिए समान दर नहीं रख सकते हैं। रेलवे की बाजार में अपनी भागीदारी कम हो रही है क्योंकि जिस क्षेत्र में वे प्रचालन कर रहे हैं उसके अनुसार वे न तो मालभाड़े और न ही यात्रियों के लिए कीमते समायोजित कर रहे हैं। पूरे देश के लिए समान किराया लागू नहीं हो सकता है। अब, जहां तेल कीमतों के नियमन के लिए एक पद्धति कार्य कर रही है तो फिर हम सम्पूर्ण भारत के विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप दरें निर्धारित करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन क्यों नहीं कर सकते?

रेलवे यात्रा का बहुत ही प्रभावी और उत्कृष्ट साधन है। प्रति किलो प्रति किलोमीटर रेलगाड़ियों का ऊर्जा खर्च 440 जूल है जबकि ट्रकों का 1836 जूल है। इसलिए ट्रकों का ऊर्जा खर्च चार गुना ज्यादा है फिर भी रेलवे की 1970 में बाजार भागीदारी 82 प्रतिशत से घटकर अब 40 प्रतिशत से भी कम हो गयी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलवे तीस वर्षों से यात्री भाड़े पर तो सब्सिडी देता रहा है मालभाड़े पर नहीं। यह इसलिए किया गया क्योंकि यात्री वोट देते हैं लेकिन माल कंपनियां वोट नहीं देती हैं। इसलिए वे माल भेजना ज्यादा मुश्किल करते रहे हैं। आज, प्रति यात्री प्रति किलोमीटर के लिए यात्री द्वारा दिया जाने वाला औसत किराया प्रति यात्री यात्रा की लागत का दो तिहाई किराया ही दिया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको तीन मिनट का समय दिया है। आप एक मिनट और बोल सकती हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं सुरक्षा के मामले को पूर्णतया छोड़ देती हूं। मुझे विश्वास है कि इसे अन्य कोई देख लेगा।

रेलवे को सरकार के लिए धन कमाना चाहिए। इस वर्ष, उन्होंने बाजार से 2,300 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इतनी भारी ऋणग्रस्तता की स्थिति में ये भारत के लिए किस प्रकार से धन कमायेंगे? रेलवे सरकार के लिए कैसे धन कमायेगी?

यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब, श्री प्रबोध पाण्डा बोलेंगे। मैं आपको चार मिनट का समय देता हूं।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यापक रूप से संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार के रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा पेश किया गया रेलवे बजट न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धारित मार्गदर्शनों के अनुरूप होने से अपने आप में विशिष्ट है। यह आम लोगों पर केन्द्रित है न कि कारोबार जगत की इच्छा पर और इसलिए, कुछ हद तक यह उन्हें चकित कर सकती है।

बजट में 2004-05 में 273 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाये, 1000 किलोमीटर का ब्राड गेज में रूपांतरण, 375 किलोमीटर का विद्युतीकरण तथा 381 किलोमीटर का दोहरीकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्ध शासन के किसी भी एक वर्ष में किए कार्य से अधिक है। यह मुझे स्वीकार्य है। यह कार्य यात्री किराया तथा माल भाड़ा बढ़ाये बिना कर लिया जाएगा तथा पार्सल दरों तथा बुकिंग प्रभारों में मामूली सी वृद्धि की गई है।

युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं, शारीरिक एवं दृष्टि दोष से विकलांग व्यक्ति के साथ जा रहे व्यक्तियों, हीमोफीलिया रोगियों तथा कुलियों तथा कर्मचारियों के पति/पत्नी के लिए किराये में रियायत का प्रस्ताव दिया गया है।

बजट में कुलियों के लिए आश्रय स्थान प्रदान करने, 15 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तथा 17 सम्पर्क क्रांति रेलगाड़ियां चलाने,

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों के बैक लाग को भरने तथा बेरोजगार युवकों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये सभी रेलवे बजट के सकारात्मक पहलू हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री के उपायों की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने ने रेलवे में कुल्हड़ की शुरूआत तथा लिनेन एवं सुसज्जित कपड़ों की जगह हथकरघा एवं खादी के प्रयोग की शुरूआत का प्रस्ताव किया है। मैं रद्दी को पुन: चक्रित करने के विचार का स्वागत करती हूं। ये सभी पहलू इस बजट को अलग करते है और मैं तो यह कहूंगा कि यह बजट पूर्व राजग सरकार के रेल बजट से स्वत: ही भिन्न हैं।

लेकिन, महोदय कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान दिये जाने की बहुत आवश्यकता है। भर्ती करने के संबंध में रेलवे में अब तक खाली पड़े हुए स्थानों को भरने के लिए क्या किया गया है? आज तक रेलवे में कटौती की जा रही थी। आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1998-99 में वर्ग 'क' वर्ग 'ख', वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' में कुल 15,78,000 कर्मचारी थे जो 2002-03 में घटकर 14,71,000 हो गए है। इस प्रकार रेलवे में कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है। माननीय मंत्री जी के रेल बजट में इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह मालूम है कि रेलवे में कई होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टर काम कर रहे हैं। उन्हें नियमित नहीं किया गया है। रेलवे में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को यहां तक कि उनके नीचे काम करने वाले को नियमित किया गया है लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों को नियमित नहीं किया गया है। उनकी संख्या भी कम है और मैं समझता हूं कि उनकी कुल संख्या लगभग 124 है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सभी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों का आमेलन कर लिया जाए।

अब मैं भूमि प्रबंधन जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा हूं। भूमि की पहचान की गई है ताकि इसे जैव-डीजल रोपाई परियोजनाओं के लिए नाम मात्र प्रभारों पर आईओसी को पट्टे पर दिया जा सके। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। यह तो बहुत अच्छा कदम है। यह नवीन प्रक्रिया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन रेलवे की काफी भूमि है। मैं एक उदाहरण देता हूं जैसे खडगपुर में रेलवे की भूमि है। रेलवे की काफी भूमि खाली पड़ी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह झुग्गी झोपड़ी वालों को ये भूमि पट्टे पर दें।

महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है कि कोई बेदखली नहीं की जाएगी। तथापि, खड़गपुर के रेलवे क्षेत्र में 50,000 से अधिक लोगों को बेदखली की धमकी दी गई है। अत: मैं अपील करता हूं कि कृपया ऐसा प्रावधान किया जाए जिससे कि इन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए रेलवे की जमीन को पट्टे पर दिया जा सके।

अब मैं एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन उप नगर क्षेत्रों में स्थानीय गाड़ियों और यात्री सुविधाओं के बारे में क्या किया गया है? *...(व्यवधान)* महोदय, मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा। अत: उनके लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो एक्सप्रेस गाड़ियों-नीलांचल एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस-को पुरी से हमारे देश के उत्तरी भाग पंजाब अर्थात् अमृतसर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। उन गाड़ियों का नाम पुनयात्री एक्सप्रेस किया जाए क्योंकि वे पुरी से अमृतसर तक जाएगी। यह अत्यन्त आवश्यक है और इसीलिए मैं इसका अनुरोध कर रहा हूं।

अब मैं दोहरीकरण पर आता हूं दोहरीकरण का कार्य अत्यन्त धीमी गति से चल रहा है। कई लाइनें है जिसका सर्वेक्षण कार्य पहले ही कर लिया गया है। माननीय मंत्री जी अब कुछ लाइनों का सर्वेक्षण करने और उन्हें अद्यतन बनाने की पुन: घोषणा कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खड़गपुर से मिदनापुर, बरास्ता गिरी मैदान लाइन का सर्वेक्षण पहले भी किया जा चुका है। माननीय मंत्री जी दुबारा घोषणा कर रहे हैं कि वह इस लाइन का सर्वेक्षण करवा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं क्योंकि यह सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है वह इसी वर्ष इस लाइन पर दोहरीकरण का कार्य शुरू करना सकते है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, यह बात लालू जी से बहुत जुड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अभी यह बात कही है।

श्री प्रबोध पाण्डा: मेरा कहना है कि माननीय मंत्री श्री लालू जी पान के पत्तों-पान के बहुत शौकीन है। वह उसे बहुत पसन्द करते है। लेकिन पान के पत्तों के उत्पादकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह पान के पत्तों को भेजने में असमर्थ है। हाल ही में यह निर्देश जारी किया गया कि जिस

[श्री प्रमोद महाजन]

किसी भी स्टेशन पर रेलगाड़ी पांच मिनट से कम सकती है वहां पान के पत्तों के उत्पादकों को अपने उत्पादन के परिवहन की अनुमति नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार के निर्देशों को वापस ले ताकि पान के पत्तों के उत्पादक इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

महोदय, मुझे और भी कई बातें कहनी है लेकिन समय का अभाव है। मैं यही समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे अनुरोध पर विचार करे और उस पर कार्यवाही करे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद, अब श्री अब्दुल रशीद शाहीन बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): स्पीकर सर, मंत्री जी ने जो बजट इस ऐवान में पेश किया है, उसके बारे में बड़ी तारीफें हुई हैं और यह बजट उन तारीफों के लायक भी है। बहुत सारे लोगों के मसाईल्स, जो कम आमदनी वाले तबके हैं, रेलवे में काम करने वाले लोग हैं, उनके मामलात को मंत्री जी ने ठीक से एड्रेस किया है। कुछ लोगों के खदशात भी है। मैं उन खदशात से कतानजर मैं इख्तिसार के साथ मंत्री जी की तवज्जों कश्मीर के जो प्रस्टेजियस नेशनल प्रोजैक्टस हैं उनकी ओर मजबूल कराना चाहता हूं। उसका एक पुरविकार प्रोजैक्ट जिससे दुनिया में मिसाल कायम होगी जिस वादी में हम बुलक कार्ट रोड से जम्मू जाते थे और कांस्टुएंट असेम्बली के दौरान एक असेम्बली मैम्बर ने यह कहा था कि हम उन दोस्तों को यह कहना चाहते हैं जिनके खदशात हैं इस रास्ते के बारे में कि हम बनिहाल का सीना चीरकर सड़क बनाएंगे। जब जवाहर टनल का काम हुआ तो मुल्क में नयी लहर चली कि कश्मीर दुनिया से जुड़ गया। लेकिन जो यह प्रोजैक्ट शुरू जिसके लिए सरकार ने खास मदद की और मैं आज के मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपके साथ कौम की बड़ी तवक्कों वाबिस्ता है और खासकर कश्मीर की है, वे इस प्रोजैक्ट के बारे में जो कश्मीरी आवाम के दिलों में खदशात हैं उनको एड्रेस करें।

अपराह्न 4.58 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए)

यह प्रोजैक्ट तीन हिस्सों में है। पहला जम्मू से उधमपुर जो आज 25 साल से चल रहा है। वर्ष 1983 में मोहतरमा मिसेज इंदिरा गांधी ने यह प्रोजैक्ट शुरू किया था। आज उम्मीद हो चुकी है कि इसका इनोगरेशन होगा जोकि रूका हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी कुछ खदशात लोगों के जहनों में है कि इस प्रोजैक्ट में क्या खामी है कि यह शुरू नहीं हो रहा है। उधमपुर के आगे जो दूसरा मरहला है उस प्रोजैक्ट का वह 142 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर से जा रहा है। उस एरिया को सबसे पहले हाथ में लेना जरूरी है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं उन इंजीनियर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने तशद्दद और मुश्किलात के बावजूद इस प्रोजैक्ट, काजीगुंड और बारामूला, को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जतन से काम किया और बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक मसला यह भी है कि अब रेलवे ट्रैक से वादी-ए-काश्मीर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ग्यारह मीटर की ऊंची सड़क का पहाड़ खड़ा हो गया है, इस वजह से वादी के एक हिस्से में इकोलोजिकल प्राब्लम पैदा होंगी। इसलिए मेरी मंत्री जी से अर्ज है कि इस मसले को आज से देखना होगा, ताकि आगे चलकर मुश्किलात पैदा न हों। जब तक उधमपुर से काजीगुंड के ट्रैक को तेज नहीं करेंगे, तब तक यह जो 290 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है, उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। मैं दावे का साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इत्तिला के मुताबिक इस प्रोजैक्ट के लिए काफी पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रैटिव सुपरवीजन अहम है। सिक्योरिटी के मुताल्लिक अभी तक तकलीफदेह वाक्या हुआ है, जिसमें एक इंजीनियर और उसका भाई हलाक हो गए। यह अफसोसनाक बात हुई है, जिसका हमें इन्तहाई अफसोस है। हम कहना चाहते हैं कि उन इलाकों में सिक्योरिटी की जरूरत है। इसको सबसे पहले एड्रैस किया जाना चाहिए, ताकि इस किस्म की मुश्किलात आगे चलकर पैदा न हों। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी के रहते हुए, कम से कम यह काम हो जाना चाहिए कि बारामूला और कुपवाड़ा लाइन का काम उठाया जाए। लेकिन इस काम के लिए बजट में कोई रकम नहीं रखी गई है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि बजट में इसके लिए रकम रखें। कुपवाड़ा की यह बैल्ट मुल्क की सबसे बड़ी मारबल बैल्ट है, इसलिए इसको जोड़ने की आवश्यकता है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन लाइन बिछाने के लिए ली गई हैं, उनको कम्पैंसेशन नहीं मिलता है। इसलिए सरकार के जरिए यह कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को कम्पैंसेशन दिया जाए।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि 1828 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा की हुई शुरूआत, कश्मीर में रेल चलाने की, वो अब पूरा करने जा रहे हैं। तारीख में 'स्काट एंड कम्पनी' का नाम इस सिलसिले में दर्ज है। इन इंजीनियरों और 'इरकान' आर्गेनाइजेशन का नाम भी तारीख में रहेगा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है।

[अनुवाद]

***श्री सुनील खां** (दुर्गापुर): महोदय, वर्ष 2004-05 के रेल बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं।

सर्वप्रथम मैं यात्री किराए और मालभाड़े में वृद्धि न करने के लिए रेल मंत्री की प्रशंसा करता हूं।

मैं पश्चिम बंगाल की काफी लम्बे समय से लम्बित मांगों के बारे में जानना चाहता हूं यद्यपि आपने कई परियोजनाओं को शुरू किया है लेकिन शेष परियोजनाओं को भी पूरा किया जाना चाहिए। आपने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि बांकुरा-दामोदर नदी रेल परियोजना का प्रथम चरण, जोकि बांकुरा से मोनामुखी तक है, को जनवरी 2005 तक पूरा कर लिया जाएगा।

महोदय, बांकुरा से मोनामुखी के लिए पहली गाड़ी 14 जनवरी 2005 को चलाई जाएगी। लेकिन मुझे संदेह है कि गांधेश्वरी पुल तब तक पूरा हो पाएगा अथवा नहीं।

इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वलियाटोर स्टेशन (बीडीआर) से दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के मार्ग विभाजन सर्वेक्षण कार्य, जोकि मुश्किल में 20 कि.मी. है, 2006 के लिए भीतर मोनामुखी में चलाई कार्य के पूरा होने के बाद किया जाता है तो दक्षिण भारत से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाले लोगों का बहुत मदद होगी और यह दक्षिण भारत के उत्तर पूर्व के लिए गेटवे का काम करेगा और यह मार्ग दार्जिलिंग और असम के लिए सबसे छोटा मार्ग होगा।

मैं रानीगंज दुर्लारपुर लाइन को बढ़ाने का सुझाव देता हूं यह लाइन रानीगंज से मेजरा ताप विद्युत स्टेशन तक कोयला की ढुलाई

के लिए है। यदि इस लाइन को बांकुरा तक बढ़ा दिया जाए तो यह रानीगंज से हल्दिया तक कोयला की ढुलाई करने का सबसे छोटा रूट बन जाएगा। इससे रेलवे को यात्रियों से राजस्व भी प्राप्त होगा और इससे बांकुरा का जिला के रूप में विकास करने में भी मदद मिलेगी। दुर्गापुर स्टेशन को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। यह आदर्श स्टेशन के रूप में तब्दील होगा। दुर्गापुर में काफी औद्योगिक इकाईयों को देखते हुए यह सुझाव दिया गया है कि वहां से दुर्गापुर से हावड़ा के बीच सुबह की गाड़ियों में भारी भीड़भाड़ को देखते हुए एक यात्री गाड़ी चलाई जाए। विशेषकर पेंशनभोगी इन गाड़ियों में यात्रा नहीं कर सकते। यात्रियों की प्रतीक्षा सूची के कारण एक और कम्प्यूटर आरक्षण पटल खोलने की आवश्यकता है।

पूर्वी रेलवे के राजबांध स्टेशन के प्लेटफार्म को यात्रियों की सुविधा के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। जैसाकि आपको विदित है कि वहां कुछ तेल कंपनियां स्थापित की गई है। इसी प्रकार ग्रामीणों की सुविधा के लिए भसकर और पराग स्टेशन के बीच कोंडईपुर को हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम 12 गांवों के लोग अपने कृषि उत्पादों को बाजार तक ले जा सकें। गालसी और थाना जंक्शन के बीच खानों चांदी तोला में एक हाल्ट स्टेशन बनाने की आवश्यकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समस्तीपुर में भारी भीड़ अथवा अधिक यात्री होने के कारण सियालदाह-समस्तीपुर फर्स्ट पैसेंजर में एक ए.सी. और दो अतिरिक्त वोगी लगाई जाए अन्त में आंदल और बर्दवान के बीच यात्रियों को और सुविधाएं प्रदान की जाए और रेलवे पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। क्योंकि माफिया द्वारा यात्री गाड़ी में कोयला और इस्पात के स्लैग की ढुलाई की जाती है।

अत: मैं आपके अनुरोध करता हूं कि आप यात्री सुविधाओं के लिए आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

***श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** (शोलापुर): सभापति, लोक सभा में इस वर्ष प्रस्तुत किये गये रेल बजट पर मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कुछ मांगें रखना चाहता हूं।

सोलापुर-पुणे हुतात्मा एक्सप्रैस कल्याण तक चलाये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मोहोड-भिगवन रेलवे लाइन का दोहरीकरण किये जाने की आवश्यकता है। पुणे से सोलापुर के मध्य रेलवे पुलों के नीचे के रास्ते के विस्तार हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। सोलापुर से पुणे तक के सभी रेलवे क्रासिंगों पर रेल फाटक बनाये जाने तथा उन पर चौकीदारों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है।

सोलापुर में एक नये रेलवे स्टेशन (जूले सोलापुर) बनाये जाने की आवश्यकता है। सोलापुर से नागपुर के लिये नई रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता है।

***श्री सुरेश चन्देल** (हमीरपुर, हि.प्रा.): सभापति महोदय, रेल बजट पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

रेल बजट दिशा से भटका हुआ बजट

महोदय, श्री लालू प्रसाद जी ने रेल का पहला बजट पेश किया है। वह दिशा से भटका बजट है। जिन विकास कार्यों की घोषणा की गई है उनके लिए धन का प्रावधान कहां से किया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। स्वयं रेल मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पिछले वर्षों में रेलों के विकास की दिशा में अच्छा काम हुआ।

पुरानी घोषणा दोहराई गई है

महोदय, जिन 32 नई रेल गाड़ियों को चलाने की घोषणा की गई है उनमें से 17 संपर्क क्रान्ति एक्सप्रैस वे रेलगाड़ियां हैं जिन्हें गत वर्ष एन.डी.ए. सरकार के रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने चलाने की घोषणा की थी।

जनहित में कुछ काम किए गए हैं

महोदय, रेल मंत्री का दावा है कि यह बजट आम जनता का बजट है तथा किसी भी प्रकार के किराए की वृद्धि किए बिना बीमारों, अपंगों, विकलांगों तथा उनके साथ यात्रा करने वाले एक साथी को किराए में कहीं 50 प्रतिशत और कहीं 75 प्रतिशत की छूट दी गई है। रोजगार हेतु साक्षात्कार देने जाने वाले युवकों से किराया नहीं लिए जाने की घोषणा तथा नई बुक स्टाल नीति के अंतर्गत अब रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर बुक स्टाल केवल बेरोजगार युवकों एवं उनके संघों को दिए जाने की घोषणा की गई है। ये सभी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए जो घोषणाएं की हैं, वे ठीक हैं।

लोक-लुभावन बजट, लेकिन चुनौतियों का कोई हल नहीं

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, ये जितनी भी घोषणाएं हैं, सब लोक लुभावन घोषणाएं हैं। इनमें कोई नई चीज नहीं है। सबसे बड़ी दो चुनौतियां रेल मंत्री के सामने हैं कि क्या वे रेलवे को सुरक्षित, कार्यक्षम और किफायतनी बना सकेंगे और दूसरी यह कि क्या रेलवे के फाइनेंस में कोई सुधार होगा, लेकिन बजट इन सवालों का जवाब नहीं देता और असली सवाल यही है?

भारतीय रेल दिवालिया हो चुकी है

महोदय, भारतीय रेल दिवालिया हो चुकी है। उसकी करीब आधी कमाई वेतन और पेंशन में चली जाती है और अगले दो-तीन सालों में पेंशनरों की संख्या इतनी हो जाएगी कि हर कार्यरत रेलकर्मी के मुकाबले एक पेंशनर होगा, अर्थात् जितने रेलकर्मी कार्यरत होंगे उतने ही पेंशनर होंगे।

पेंशनर सेवारत कर्मचारियों का अनुपात बराबर

महोदय, वेतन एवं पेंशन के साथ-साथ रेलवे को जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उसका कारण ओरवर स्टाफिंग, अक्षमता, लचर सिस्टम, घटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, लाइनों पर ज्यादा बोझ जैसी बीमारियों ने रेलवे को इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वह बिना सरकार के सहारे एक कदम भी आगे नहीं चल सकती है। यदि रेलवे की सूरत बदलनी है, तो रेल मंत्री को कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे।

महोदय, अब मैं अपने लोक सभा क्षेत्र एवं हिमाचल प्रदेश के संबंध में रेलों के भेदभाव की ओर आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में रेलों के विकास और विस्तार के लिए मैं विगत छः-सात वर्षों से बराबर आग्रह करता चला आ रहा हूं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि रेल मंत्रियों ने कभी हिमाचल प्रदेश के साथ रेलों के मामले में न्याय प्रदान नहीं किया।

हि.प्र. की शांतिप्रिय जनता को उग्रवाद के लिए विवश किया जाना

महोदय, रेलों के हिमाचल प्रदेश में नगण्य विकास के कारण जनता को यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि शायद केन्द्र सरकार हमारे सीधेपन और शांतिप्रिय होने का अनावश्यक लाभ उठा रही है और हमें भी जम्मू-कश्मीर की तरह की उग्रवाद की ओर अग्रसर होने के लिए प्रवृत्त कर रही है। जैसे जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद का मुख्य कारण रेलों का विकास नहीं होना है और जम्मू से श्रीनगर रेल मार्ग विशेष प्राथमिकता के आधार पर बनाया जा रहा है उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को भी रेलों के विकास और विस्तार हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को लगे कि केन्द्र सरकार और रेल मंत्री को हिमाचल प्रदेश की जनता की परवाह है और वह वास्तव में पहाड़ी, पिछड़े और सीमान्त प्रदेश की जनता को रेल सुविधा पहुंचाना चाहती है।

कुल्हड़ों, खादी और मट्ठा के प्रयोग को बढ़ावा देना उचित

महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने प्लास्टिक और थर्मोकोल के कपों के स्थान पर गांधीवादी विचारधारा को बढ़ाने हेतु रेलों में कुल्हड़ों के प्रयोग को बढ़ावा देकर देश के लाखों और करोड़ों गरीब कुम्हारों का उद्धार करने का काम किया है। देश के लाखों बेकार हो रहे बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने की दृष्टि से खादी के रेलों में प्रयोग को बढ़ावा देकर उन्होंने सच्चे अर्थों में गरीब एवं ग्रामीण जनता का हितैषी होने एवं भला करने का काम किया है। इससे आधुनिकता के तले दबकर देश का जो कुटीर उद्योग दम तोड़ रहा था उसका पुनरुद्धार होगा। देश के प्रदेशों की राजधानियों के सब्जी को दिल्ली पहुंचाने हेतु वातानुकूलित बोगियों की व्यवस्था करना तथा सब्जियों की रेल से ढुलाई की सुविधा प्रदान करने से देश के सब्जी उत्पादकों को लाभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मट्ठा भी रेलवे स्टेशनों और प्लेटफार्मों पर उपलब्ध रहेगा, यह भी अच्छा कदम है।

रेलवे यातायात का प्रदूषण मुक्त साधन

महोदय, रेलवे सबसे अच्छा, सस्ता और प्रदूषण रहित यातायात का साधन है। इसका जितना विस्तार किया जाएगा, उतना ही राष्ट्र के हित में रहेगा। रेलों के बढ़ने से पहाड़ों में वृक्षों का कटान नहीं होगा और इससे इकलौजिक बैलेस बना रहेगा। देश में रेलों का विस्तार इको-फ्रैंडली होगा।

हि.प्र. के साथ रेलों के विकास में अन्याय हुआ

महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से आता हूं। हिमाचल प्रदेश, देश का पहाड़ी, पिछड़ा एवं सीमावर्ती प्रान्त है। रेलों के सामने में हिमाचल प्रदेश में देश की आजादी के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। अंग्रेजों ने जो रेल लाइनें हिमाचल प्रदेश में आजादी से पूर्व बनाई वहीं आज भी हैं। जबकि यदि आजादी के 56 वर्षों में देश भर में रेलों का जो विकास हुआ है, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के हिस्से की गणना की जाए, तो वह अरबों-खरबों रुपए बनता है जिससे हि.प्र. के रेलों का बहुत विकास हो सकता था, लेकिन न तो पूर्व सरकारों ने और न वर्तमान मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया। हि.प्र. में रेलों का प्रापर नैटवर्क बिछाया जाए। इससे जहां हि.प्र. में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, खनिजों की ढुलाई आसानी से की जा सकेगी वहीं दुर्लभ जड़ी-बूटियों को शहरों तक सरलता से पहुंचाया जा सकेगा।

[श्री सुरेश चन्देल]

महोदय, हिमाचल प्रदेश में रेलों का विस्तार एवं विकास क्यों आवश्यक है इस संबंध में मैं कुछ प्रमुख तथ्य माननीय रेल मंत्री जी एवं सदन के माध्यम से पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूं-

1. हि.प्र. के फलों एवं आफ सीजन सब्जियों के लिए रेलों का विकास आवश्यक
2. रेलवे का सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हि.प्र. में विस्तार आवश्यक
3. हि.प्र. में रेलों का विकास और विस्तार सामरिक दृष्टि से आवश्यक
4. हि.प्र. में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रेलों का विकास आवश्यक
5. हि.प्र. में आजादी के बाद केवल दो रेल लाइनों के निर्माण की स्वीकृति इसलिए रेलवे का समग्र विकास आवश्यक
6. हि.प्र. में औद्योगिक विकास के लिए रेलवे आवश्यक
7. सीमेंट कंपनियों के विकास और विस्तार हेतु हि.प्र. में रेलों की आवश्यकता
8. हि.प्र. के भाखड़ा बांध विस्थापितों के कल्याण हेतु रेलों का विस्तार आवश्यक

ऊना-नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन

महोदय, ऊना-नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन का सर्वेक्षण वर्ष 1973 में पूर्ण हुआ। वर्ष 1973 से इसके निर्माण का कार्य चल रहा है। अब, जब मैं आज सदन में बोल रहा हूं, इसके निर्माण कार्य को चले हुए 31 वर्ष हो चुके हैं और केवल मात्र 33 किलोमीटर रेल लाइन बन पाई है। चुरडू-टकारला तक रेल पर यातायात प्रारम्भ हो चुका है। यदि आप इसके निर्माण की गति को देखें, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष लगभग एक किलोमीटर रेल लाइन बनी है। यदि इसके निर्माण की यही गति रही, तो आप स्वयं देख लीजिए इसमें 50 वर्ष और लग जाएंगे।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस रेल लाइन के 112.9 किलोमीटर के निर्माण पर 210 करोड़ रुपए व्यय होने हैं। पिछले 31 वर्षों में 81.47 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए हैं और अभी 117.53 लाख रुपए और व्यय होने हैं। इस वर्ष इस लाइन के निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। यदि इतनी धीमी गति से यह कार्य चलेगा और इतना कम धन आबंटित होगा, तो जब रेल लाइन बनकर तैयार होगी, तब इसका उद्घाटन करने के लिए न तो मंत्री जी रहेंगे और न मैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस रेल लाइन को तीव्र गति से निर्मित किया जाए। इस वर्ष इसके निर्माण हेतु कम से कम 80 करोड़ रुपए आबंटित किए जाएं और इसके निर्माण का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए।

पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नैरोगेज रेलवे लाइन

महोदय, हिमाचल प्रदेश में एक नैरोगेज रेल लाइन पठानकोट-जोगेन्द्र नगर कांगड़ा वैली एक्सप्रेस के नाम से चलती है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1913 में किया था। उस समय इस लाइन की आवश्यकता इसलिए प्रतीत हुई कि जिला मंडी में जोगेन्द्र नगर के समीप उहल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किए जाने हेतु भारी मशीनरी लाई जानी थी। तब से अब तक यह नैरोगेज लाइन ही है। यदि सर्वेक्षण हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कब हुआ है और सर्वेक्षण के बाद क्या इसके निर्माण की दिशा में कोई कार्रवाई की गई या टोकन एमाउंट का प्रावीजन किया गया? यदि टोकन एमाउंट का भी प्रावीजन नहीं किया गया, तो सर्वेक्षण का क्या फायदा? पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नैरोगेज लाइन को मनाली तक बढ़ाया जाए। कुल्लू जिले में पार्वती जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है जिसकी भारी मशीनरी रेलों से सरलता से ढोई जा सकती है। इस लाइन का मनाली तक विस्तार करने से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि ऊर्जा परियोजनाओं की मशीनरी एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी जिससे रेल के राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी।

बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेलवे लाइन का निर्माण

महोदय, बिलासपुर-भानुपल्ली-रामपुर रेलवे लाइन का निर्माण हेतु काफी पहले सर्वेक्षण हुआ था और पिछले कुछ वर्षों में सतलुज वैली रेलवे कार्पोरेशन की स्थापना की गई थी जिसमें संभवत: 50 प्रतिशत हिस्सा रेल मंत्रालय, 25 प्रतिशत भाग, हि.प्र. सरकार तथा 25 प्रतिशत निजी सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाना था, लेकिन अभी तक इसकी प्रगति कहीं दिखाई नहीं देती है। मेरा आग्रह है कि इस रेल लाइन का निर्माण कोंकण वैली रेलवे कार्पोरेशन की दर्ज पर एक निगम बनाकर करना चाहिए। इसके निर्माण से शिमला जिले से ऊपर स्थित रामपुर एवं उसके आसपास का हिस्सा सीधे रेल जुड़ जाएगा जिससे वहां के किसानों का सेब, मेवे एवं सब्जियां रेलों द्वारा ढोई जा सकेंगी।

रानीताल होते हुए ज्वाला देवी तक रेलवे लाइन का निर्माण

महोदय, जैसा मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं की प्राचीन एवं पुरातन ऐतिहासिक भूमि रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला मां के दर्शनों हेतु लाखों की संख्या में दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं, लेकिन रेलों के

अभाव में उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पठानकोट से जोगेन्द्र नगर तक पहले ही रेलवे लाइन मौजूद है। यदि इससे लगभग 16 किलोमीटर रानीताल होते हुए रेल लाइन बनाकर ज्वाला देवी को जोड़ दिया जाए और फिर ज्वाला देवी से द्योटसिद्ध नामक अत्यन्त प्राचीन धार्मिक स्थल को रेल के माध्यम से जोड़ दिया जाए, तो जहां वृद्ध, अशक्त एवं महिला यात्रियों को देवी-देवताओं के दर्शनों का लाभ होगा वहां रेलवे को पुण्य के साथ-साथ काफी राजस्व की प्राप्ति होगी और हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

आनन्दपुर साहब से श्री नैना देवी 20 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण

महोदय, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में श्री नैना देवी अत्यन्त प्राचीन धार्मिक स्थल है। यदि उसे आनन्दपुर साहब से लगभग 20 किलोमीटर रेल लाइन बनाकर जोड़ दिया जाए, तो रेलवे को भारी राजस्व की प्राप्ति होगी। एक अनुमान के अनुसार श्री नैना देवी के दर्शनों हेतु प्रति वर्ष लगभग 8 लाख श्रद्धालु आते हैं।

महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुझाव जिन्हें रेल मंत्री स्वीकार करें

महोदय, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है। इसलिए अब मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वे इन सुझावों पर जरूर गंभीरता से विचार करें और रेल बजट पर बहस पर उत्तर देते समय मेरे सुझावों को उसमें शामिल करें।

महोदय, मैं इस बजट का विरोध करता हूं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी, मेरे इन सुझावों को स्वीकार कर लें और उन्हें क्रियान्वित करने हेतु बजट में प्रावधान करने की घोषणा सदन में करें:-

1. ऊना-नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के बजट को इस वर्ष 80 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए और उसका निर्माण एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शीघ्र पूरा किया जाए।
2. परवाणु से दाड़ला तक रेल लाइन का निर्माण शीघ्र किया जाए।
3. पठानकोट-जोगेन्द्र नगर, कांगड़ा वैली एक्सप्रैस को नैरोगेज से ब्राडगेज में परिवर्तित किया जाए।
4. बिलासपुर-धानुपल्ली-रामपुर रेल लाइन का निर्माण कोंकण वैली रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन की तर्ज पर किया जाए।
5. रानीताल होते हुए ज्वाला देवी तक 16 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाए। उसे दियोट सिद्ध तक बढ़ाया जाए।
6. आनन्दपुर साहब से श्री नैना देवी जी तक 20 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाए।
7. कालका से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ तक रेल लाइन का निर्माण किया जाए।
8. देहरादून-पांवटा साहब-यमुना नगर रेल लाइन का निर्माण किया जाए।
9. पठानकोट-जोगेन्द्र नगर नैरोगेज रेल लाइन का नन्दपुर भटोली और त्रिप्पल में रेलवे क्रासिंग बनाए जाएं।
10. हि.प्र. को भेजे जाने वाले सामान जैसे अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल, लकड़ी और कोयला आदि कीरतपुर साहब स्टेशन पर न उतारा जाकर हिमाचल क्षेत्र के राए मैहतपुर अथवा नंगल रेलवे स्टेशन अथवा पर उतारा जाए।

महोदय, मैं आपका पुन: आभार व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री पुष्प जैन** (पाली): माननीय सभापति महोदय, वर्तमान बजट में राजस्थान प्रांत के साथ भारी भेदभाव किया गया है। राजस्थान में कई रेल परियोजनायें सालों से लंबित पड़ी हैं। बर-बिलाड़ा रेल लाइन का निर्माण सालों से लंबित पड़ा है, जिसे तुरंत चालू करने की आवश्यकता है।

चैन्नई-जोधपुर, बंगलौर से जोधपुर रेलों को सप्ताह में सात दिन करने की आवश्यकता है। उपरोक्त रेल मार्गों पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। प्रतीक्षा सूची भी 400 से 500 तक ही रहती है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगा कि पाली जिला का जिला मुख्यालय पाली शहर है। पाली शहर एक औद्योगिक नगरी है, कपड़े का काफी बड़ा व्यवसाय है, हजारों लोग पाली शहर से प्रतिदिन देश के विभिन्न शहरों में आते जाते हैं। परन्तु, दुर्भाग्य से पाली शहर से एक भी रेलगाड़ी दिल्ली व जयपुर के लिये उपलब्ध नहीं है। अत: मेरी सरकार से मांग है कि पाली जिला मुख्यालय के लिये दिल्ली व जयपुर से रेल सेवा की व्यवस्था हो।

महोदय, सोजत रोड-मारवाड़ जंक्शन, रानी स्टेशन, सोमेसर, जवाई बांध, नाना काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है। हजारों प्रवासी बंधु प्रतिदिन आते जाते हैं, परन्तु लम्बी दूरी की रेलगाड़ियां उपरोक्त रेलवे स्टेशनों पर रूकती नहीं हैं। उपरोक्त रेलों में 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत यात्री उपरोक्त स्टेशनों के आसपास के निवासी हैं। अत: मेरी यह भी मांग है कि जम्मू तवी एक्सप्रेस रेल का रानी स्टेशन व सोमेसर व जवाई बांध पर ठहराव सुनिश्चित किया जाये।

राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव मारवाड़ जंक्शन, रानी अथवा फालना स्टेशन में से किसी भी एक स्थान पर किया जाये। जोधपुर-बंगलौर एक्सप्रेस का ठहराव सोमेसर व रानी स्टेशन पर सुनिश्चित करायें। डी.एम.यू. रेल का संचालन आबू रोड से मारवाड़

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पुष्प जैन]

जंक्शन तक किया जाये। रणकपुर एक्सप्रेस रेल का ठहराव नाना स्टेशन पर हो।

महोदय, पाली शहर में पिछले पांच सालों से ओवर ब्रिज की मांग चल रही है। लगभग 50 हजार लोग पाली शहर में रेल लाइन के दूसरी तरफ रहते हैं। आम आदमी को ओवर ब्रिज के अभाव में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: उक्त ओवरब्रिज के निर्माण की स्वीकृति तुरंत प्रभाव से जारी हो।

***श्री चंद्रभान सिंह** (दमोह): सभापति महोदय, मैं रेल बजट पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, यू.पी.ए. सरकार ने जो रेल बजट जो सदन में रखा है, वह पूर्व पक्षपात के तहत रखा गया है। महोदय, पूरे बजट मध्य प्रदेश तथा नये जोन जबलपुर डिवीजन के तहत आने वाले ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों के साथ भारी उपेक्षा की गयी है।

महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि मैं दमोह-पन्ना क्षेत्र से चुनकर आया हूं। यह कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व रेल मंत्री द्वारा जबलपुर-दमोह-पन्ना/खजुराहो सर्वे की घोषणा रेल लाइन के लिए की गयी थी, जिसका सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है।

1. माननीय सभापति, महोदय के माध्यम से चाहूंगा कि माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि इस रेल बजट सत्र में संशोधन करते हुए जबलपुर-दमोह-पन्ना या खजुराहो, जो ललितपुर से संगरौली लाइन को जोड़ता है, उसे इस बजट में जोड़ने की कृपा करेंगे। निश्चित ही दमोह पन्ना-छतरपुर तीनों जिलों, जो मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़े जिले माने जाते हैं, इसका इस रेल लाइन बनने से भारी लाभ होगा तथा जो रेल से जबलपुर दमोह की दूरी 200 कि.मी. है वह यह लाइन बनने से 100 कि.मी. की दूरी होगी और जो रेल से दमोह खजुराहो पन्ना की दूरी 300 कि.मी. है, वह मात्र 100 कि.मी. होगी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहत समस्यायें जनहित में अतिआवश्यक हैं।

2. रेवांचल एक्सप्रेस गाड़ी को व्याहा वीना तीन दिन चलायी जाती है, उसे सप्ताह में प्रतिदिन चलाया जाये।

3. दमोह-वीना पैसेंजर जो दमोह से प्रात: 6 बजे सुबह चलती है तथा 12 बजे वीना पहुंचकर खड़ी रहती है, उसे वीना से भोपाल तक एक्सप्रेस बनाकर बढ़ाया जाये तथा भोला से 6 बजे शाम को रवाना होकर दमोह 12 बजे वापिस लाया जाये।

4. दमोह में पथरिया फाटक पर रेलवे का ब्रिज बनकर चालू हो गया है। किंतु पथरिया रोड को इस ब्रिज से नहीं जोड़ा गया, जिससे पथरिया के पास रेलवे स्कूल, रेलवे अस्पताल एवं पथरिया क्षेत्र के लाखों जनसंख्या वाली विधान सभा क्षेत्र वाली रोड से ब्रिज को कट कर दिया है। यह रोड पथरिया फाटक इसी ब्रिज के नीचे है उसे चालू किया जाये या ब्रिज को पथरिया रोड से जोड़ा जाये।

5. दमोह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 1 पर एस.टी.डी. बूथ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये यथाशीघ्र खोला जाये तथा रिटायरिंग रूम का प्रावधान दिया गया है, उसे यथाशीघ्र चालू किया जाये।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे अपने क्षेत्र की बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी** (बापतला): महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ खुशी और कुछ निराशापूर्ण द्वन्दात्मक और विरोधाभाषपूर्ण स्थिति में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

मेरी प्रसन्नता का कारण है कि माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट जन कल्याणकारी है जिसके अंतर्गत यात्री किरायों और माल ढुलाई भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। माल ढुलाई भाड़े की दरों के न बढ़ने से रेल सड़क परिवहन से प्रतियोगिता स्तर बनाए रखेगा।

माननीय रेल मंत्री ने रेलवे क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने का वायदा किया जिससे रेलवे सुरक्षा बल में खाली पदों को भरकर और बिना चौकीदार वाले ऐसे क्रासिंगों पर चौकीदार तैनात करके किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को ठेके देने का वायदा भी किया है जिसके लिए रेलगाड़ियों में खादी और कुल्हड़ों का प्रयोग किया जाएगा। नौकरी पर इन्टरव्यू देने वालों से नि:शुल्क यात्रा हीमोफीलिस और आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की विधवाओं को 45% छूट देने, गूंगे और बहरे के साथ जाने वाले यात्री को 50% की छूट देने से रेलमंत्री की दयालुता ही प्रतिविम्बित होती है लेकिन मैं इस बजट में आंध्र प्रदेश के प्रति की गई उपेक्षा से निराश हूं।

आंध्र प्रदेश के साथ अपेक्षित व्यवहार करते हुए न तो वहां कोई नई रेलगाड़ी चलाई गयी है और न ही कोई नई रेल लाइन बिछाई गई है। रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाने के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है।

रेलवे के भूमि कार्यों के लिए भी आवंटन की जाने वाली धनराशि में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। इससे प्रकट होता है कि हमारी परियोजनाएं कब तक पूरी की जाएगी।

तत्कालीन, रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार ने सिकन्दराबाद-नई दिल्ली (सम्पर्क कान्ति एक्सप्रेस) पहले ही शुरू कर दी थी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नई शुरू की गयी 15 रेलगाड़ियों में से एक भी रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। भुवनेश्वर-श्रीकाकुलम एक्सप्रेस को विशाखापत्तनम तक बढ़ाकर मात्र सान्त्वना दी गई है। इसी प्रकार हैदराबाद-शाबानी एक्सप्रेस को गोडुवेली तक बढ़ा दिया गया है।

विजयवाड़ा-गुड़ीवाड़ा-भीमवाराम में से नरसापुरम-गुड़ीवाड़ा-मछलीपत्तनम का 235 कि.मी. की दूरी वाला मार्ग विद्युतीकरण के लिए चुना गया है। इसमें काफी समय लगेगा। यह कार्य श्री दसारी नारायण राव (कोयला और खान मंत्री) द्वारा शुरू किया गया है।

बजट में आंध्र प्रदेश में किसी रेल पथ के विद्युतीकरण और दोहरीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पिछली सरकार ने ही गेज परिवर्तन के लिए धनराशि आवंटित की थी। नयी रेल लाइन बिछाने के लिए पिछले बजट में 65.211 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसमें से मात्र 62.01 करोड़ रुपये इस बजट में दिए गए हैं।

गेज परिवर्तन वाली छः परियोजनाओं के लिए पिछले बजट में 133.90 करोड़ रुपये इस बजट में दिए गए हैं।

इन परियोजनाओं के ब्यौरे रेल मंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे।

दूसरे क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह रेलगाड़ियों के साथ-साथ रेल प्लेटफार्मों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखना है। विशेषकर जब हमें लम्बी यात्रा पर जाना पड़ता है तो शौचालयों की हालत बहुत खराब होती है।

दूसरी श्रेणी के सवारी डिब्बों में घुमने वाले खोमचे वालों आदि पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे न केवल वे यात्रियों के लिए कठिनाईयां उत्पन्न करते है बल्कि लूटपाट आदि की घटनाएं भी हो जाती है जिससे सुरक्षा पर आंच आती है।

चादरे और बिछौनों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चादर व बिछौने इतने मैले होते है कि उनका प्रयोग करने से पहले लोगों को सोचना पड़ता है।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करती हूं कि वह उपेक्षित क्षेत्र की ओर ध्यान देते हुए आंध्र प्रदेश में और नई रेलगाड़ी चलाने के बारे में विचार करें।

***श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** (दावणगेरे): सभापति महोदय, इस माननीय सभा में प्रस्तुत रेल बजट में कर्नाटक के साथ अन्याय किया गया है। हमने भारत सरकार के रेल मंत्रालय को बार-बार अनुरोध किया था कि वह कर्नाटक में दावणगेरे चित्र दुर्ग तुमकुर और अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने के लिए रेल लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य करवाए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण को कराने के लिए रेल मंत्रालय ने कोई धनराशि आवंटित नहीं की है जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का पिछले दो दशकों से सपना रहा है। मुझे डर है कि यदि रेल मंत्रालय इस मामले में कर्नाटक के लोगों के हितों को नजरअंदाज करता है तो यह वास्तविक नहीं बल्कि स्वप्न ही बनकर रह जाएगा। अतः, मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव से अनुरोध करता हूं कि दावणगेरे चित्रदुर्ग तुमकुर को जोड़ने वाली रेल लाइन संबंधी सर्वेक्षण को तुरन्त आरम्भ करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

दावणगेरे कर्नाटक का एक बड़ा और तेजी से विकसित हो रहे शहरों में से एक है। यह न केवल व्यावसायिक केन्द्र बल्कि मशहूर शिक्षा केन्द्र भी है। जहां चिकित्सा कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, बी.एड कालेज और कई अन्य तकनीकी और कला संस्थान स्थित है। दावणगेरे काटन मिल पूरे देश में प्रसिद्ध है व्यावसायिक केन्द्र को कर्नाटक का राजधानी बंगलौर से सीधे जोड़ने की आवश्यकता है। इस समय हजारों यात्री बस से यात्रा कर रहे है और कई कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं।

दावणगेरे रेलवे स्टेशन का नवीकरण और आधुनिकीकरण अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर रेल मंत्रालय को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। स्टेशन पर बैठने के लिए कोई उपर्युक्त स्थान नहीं है और पीने के जल की सुविधा भी अपर्याप्त है। दावणगेरे के लोगों को रेल मंत्री श्री लालू जी से काफी अपेक्षाएं हैं। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री जी देवनगर के लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। दावणगेरे शहर में एक ऊपरि पुल का निर्माण करने की अविलम्ब आवश्यकता है। शहर में जगह-जगह यातायात का जाम लग जाता है। प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। दावणगेरे ट्रेफिक जाम में पैदल यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित होते है। मोती टाकिज के पास दावणगेरे में ऊपरी पुल बनाने के कार्य को रेल बजट 2004-05 सम्मिलित किया जाए और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की जाए।

मेरा विश्वास है कि रेल मंत्रालय और विशेषकर माननीय मंत्री उपरोक्त बनाई गई परियोजनाओं और चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान उन सभी को कार्यान्वित किए जाने के संबंध में इस सभा में स्पष्ट आश्वासन देंगे।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे देश के इस सर्वोच्च एवं स्वतंत्र सदन में अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान की। इनी शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

***श्री पी.सी. गद्दीगठ्ठर** (बागलकोट): सभापति महोदय, मैं सम्माननीय सभा के माध्यम से रेल मंत्री को विनम्र आवेदन करता हूं कि गुलाग-बीजापुर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य चल रहा है।

गाडाग से बागलकोट तक का सिविल कार्य पूरा हो गया है और बागल कोट से बीजापुर का कार्य अभी भी चल रहा है।

अत: मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उपर्युक्त कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए कृपा पूर्वक पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): सभापति महोदय, रेलवे-बजट पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय रेल मत्री ने अपना प्रथम निर्भीक और लोकप्रिय बजट प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रेस और जनता द्वारा व्यापक प्रशंसा की गई है। न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हमारे समुदाय के सभी वर्गों के कल्याण का समर्थक है।

यह बजट इस लक्ष्य की पूर्ति करता है और इसी वजह से इसे गरीब आदमी का बजट कहा गया है। यह वास्तव में इस सरकार की सूत्रधार और हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति सम्मान है।

महोदय, जहां तक रेलवे बजट का संबंध है, इस वर्ष के लिए तमिलनाडु का आवंटन बहुत कम है। इसे इस वर्ष 397.09 करोड़ रु. आवंटित किये गये है जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान 357.56 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे। आमान परिवर्तन के लिए इस वर्ष 124 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गयी है जबकि विगत वर्ष 90 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे। यद्यपि में माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, परन्तु में यह भी बताना चाहता हूं यह अत्यंत कम आबंटन है।

महोदय, अत्यंत भारी मन से, यह कहना चाहता हूं कि इन वर्षों में तमिलनाडु की अवहेलना की गयी है। जबकि आमान परिवर्तन के लिए कई योजनाएं लम्बित पड़ी है, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बहस का उत्तर देते हुए तमिलनाडु के लिए कम से कम 300 करोड़ रु. का आवंटन और करें।

महोदय, मदुरई से दिल्ली के लिए 'तमिलनाडु सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस' नामक नई सेवा प्रारम्भ करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सेवा का नाम बदलकर 'मदुरई मीनाक्षी सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस' रखा जाए। जैसा कि हम सभी जानते है देवी मीनाक्षी मदुरई की साम्राज्ञी देवी है। यह मंदिर अपनी समृद्ध वास्तुकला के लिए जाना जाता है और इसकी संस्कृति दैवीय महत्व की है।

सभापति महोदय: श्री एन.एस.वी. चित्तन, कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, ठीक है। मेरा गृहस्थान तिरूमंगलम औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से फलता-फूलता हुआ शहर है। कप्पलूर औद्योगिक प्रदेश मेरे गृह स्थान के अत्यंत निकट स्थित है। तिरूमंगलम में और उसके आस-पास बड़ी संख्या में सैन्य-कार्मिकों के परिवार रहते है।

सभापति महोदय: श्री एन.एस.वी. चित्तन, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय ठीक है, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आनंदपुरी एक्सप्रेस को वापसी में तिरूमंगलम में ठहरती है। तिरूमंगलम में और कोई एक्सप्रेस रेल नहीं रूकती है। इसलिए, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन दिनों तिरूमंगलम में बढ़ते हुए यात्रियों की संख्या की सुविधा की दृष्टि से कन्याकुमारी एक्सप्रेस और आनंदपुरी एक्सप्रेस को तिरूमंगलम में ठहराव प्रदान किया जाए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि यहां एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र भी खोले जाने की आवश्यकता है।

महोदय, दक्षिण के दो महत्वपूर्ण स्टेशनों मदुरई और चेन्नई के बीच यात्रियों का दबाव सदैव बढ़ता रहता है। इस मार्ग पर जनशताब्दी एक्सप्रेस प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता है और उसे अत्यंत समर्थन मिलेगा। अत: मदुरई और चेन्नई के बीच यथाशीघ्र एक जनशताब्दी एक्सप्रेस प्रारम्भ की जाए।

विरुद्धनगर, मदुरै और डिंडीगुल के बीच एक 'पुशपुल' (डी.ई.एम.यू.) रेल सेवा प्रारंभ करने की अच्छी संभावना है। अत: यात्रियों, व्यावसायिकों और अक्सर आने-जाने वाले अन्य यात्रियों के हित में यह सेवा विरुद्धनगर, मदुरई और डिंडीगुल के बीच रोजाना कम से कम पांच बार चलायी जाए। महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन उपायों को काफी समर्थन मिलेगा।

महोदय, समाप्त करने से पूर्व, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री लालू प्रसाद जी का एक्सप्रेस रेलवे-बजट, जिसे कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा हरी झंडी दिखायी जा चुकी है, निश्चित तौर पर पूर्ण सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं एक सूचना का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया महोदय ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। आप पहले ही अपना भाषण लिखित रूप में रख चुके हैं। सभा के सभा पटल पर अपना भाषण लिखित रूप में रख दिये जाने के बाद आप सभा में भाषण कैसे दे सकते हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं अपने समक्ष रखी हुई सूची के अनुसार चलूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): सभापति महोदय, हमने माननीय लालू जी का भाषण काफी गौर से सुना। उन्होंने कहा कि रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। उन्होंने कहा कि ग्रुप-ए को छोड़ कर जो ग्रुप हैं उनमें जन जातियों व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि कुली भाई जो खून-पसीने की कमाई से जाड़ा, गर्मी और बरसात के मौसम में रात में ट्रेन आने पर अपने कंधे पर बोझ उठा कर दो रोटी कमाते हैं, उनको और उनके परिवार को मुफ्त पास दिया जाएगा। इसका भी हमारी बहुजन समाज पार्टी दिल से स्वागत करती है। आपने घोषणा की है कि जिस तरह पैलेस आन व्हील ट्रेन चलायी जाती है वैसे ही गांव के किसानों के लिए विलेज आन व्हील गाड़ी चलाने की योजना है। इसका भी हमारी पार्टी स्वागत करती है।

लालू जी, आप जानते हैं कि हमारी पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती ने हमेशा दलितों के लिए आवाज उठायी है और उनके लिए संघर्ष किया। मेरा लालू जी से विनम्र निवेदन है कि उन्होंने जो घोषणाएं कीं, वे सिर्फ कागज तक सीमित न रहें। इसी पटल पर और इसी सदन में एक बार नहीं बल्कि तमाम बार रेल बजट पेश करते समय हमेशा यह वायदा किया गया कि अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। आप रेल मंत्री हैं। आप सरकार में हैं। हमारे पास वे सारे आंकड़े हैं। जो रिक्तियां रही उनको संकल्प के साथ कभी सरकार ने पूरा नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि आप आश्वासन न दें बल्कि सुनिश्चित करें कि रिक्तियां कितनी हैं, किस-किस जोन में हैं, किन वर्गों में हैं, उनका ब्यौरा सामने रखना चाहिए तथा समय सीमा, डेड लाइन भी सरकार को तय करनी चाहिए। बसपा चाहती है कि सरकार की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि हमारे दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों को इंसाफ मिल सके।

रेल मंत्री जी, आपने 15 नई ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं। मेरा निवेदन है कि जो इंदौर-पटना एक्सप्रेस वाया फैजाबाद से शुरू करने की बात है, वह सप्ताह में एक बार न करके दो बार चलाएं। लालू जी, आपने खादी, कुल्हड़, मट्ठा दूध की बात की है। बहुजन समाज पार्टी इसका तहेदिल से स्वागत करती है। इससे गांवों के कुम्हारों, बुनकरों, किसानों को रोजगार का मौका मिलेगा। लेकिन मैं दो खास बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब भी फसल की बुआई और कटाई का समय आता है, चाहे बिहार हो या उ.प्र. हो, हकीकत यह है कि वहां से हजारों किसान हरियाणा और पंजाब में मजदूरी करने जाते हैं और ट्रेन की छतों पर पानी, धूप, बरसात में यात्रा करते हैं। हमारे आदर्श पुरुष बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक समरसता की बात कही थी। एक ट्रेन के अंदर दो तरह के यात्री-एक ट्रेन के अंदर, एक ट्रेन के ऊपर यात्रा कर रहा है। मुझे इस बात को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज देश को आजाद हुये 57 साल हो गये हैं और हमारा आजाद भारत इन गरीब और मजदूर काश्तकारों को बैठने के लिये जगह न दे सका, न सिर पर छत दे सका। वे जोखिम उठाकर दो पैसे कमाने के लिये तपती छत पर बैठते हैं।

सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी के संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूं कि ट्रेन में यात्रा करते समय अनपढ़ और निरीह नागरिक यात्रियों के साथ, जो टी.टी.ई. और टी.सी. का व्यवहार होता है, उसे हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर जरूर अनुभव किया होगा कि कैसा बर्ताव उनके साथ होता है। उनसे पैसे वसूले जाते हैं। वह गांव से शहर पैसा कमाने के लिये आता है। टी.टी. द्वारा फर्जी रसीदें काटी जाती है। रेल विभाग का अपना सतर्कता विभाग है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनकी मिलीभगत होती है। माननीय रेल मंत्री जी ने कहा था कि वह भेष बदलकर चलेंगे और रेलवे स्टाफ का बर्ताव देखेंगे। हमें उस घड़ी का इन्तजार है जब आप इस दिशा में कोई कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक बात की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि टिकट खिड़की पर हो रही दलाली ने आज संगठित अपराध का रूप ले लिया है जिसका शिकार गांव का गरीब और दलित होता है। उसकी मिसाल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी समय भी देखी जा सकती है। पढ़े-लिखे लोग तो मोबाइल या कम्प्युटर द्वारा टिकट ले लेते हैं लेकिन जो गरीब आदमी हैं, वे पैसे देकर भी गलत टिकट पा लेते हैं या दलालों के शिकंजे में फंस जाते हैं। कम से कम इसे राजधानी से खत्म कर दीजिये। मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आग्रह करूंगा कि पिछड़े और दलितों के भर्ती अभियान के लिये जो बात कही गई है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जायेगा और माननीय रेल मंत्री जी अपने उत्तर में इसे बतायेंगे।

सभापति जी, रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय माननीय रेल मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे कबाड़ का रेलवे उपयोग करेगा, अब

[श्री ब्रजेश पाठक]

से वह नीलामी में नहीं जायेगा और माफिया पर रोक लगाई जायेगी। मुझे उम्मीद है कि वे इस ओर ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, अंतिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मेरा जनपद उन्नाव है। यह कानपुर-लखनऊ खंडमार्ग पर है लेकिन कई गाड़ियां बिना रूके यहां से गुजर जाती हैं। मेरा अनुरोध है कि गोमती एक्सप्रेस और पुष्पक एक्सप्रेस का यहां ठहराव दिया जाये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको एलाट किया गया समय पूरा हो गया है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री ब्रजेश पाठक: सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी उन अधिकारियों को दंडित करें।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, इस वर्ष का रेल बजट प्रस्तुत किया गया है, एक ऐतिहासिक रेल बजट है। महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर तक जितने महान पुरुष इस देश में हुये, यह बजट उनके आदर्शों को प्रतिबिम्बित करने वाला बजट है। माननीय रेल मंत्री इस देश के गरीबों के मसीहा कहलाते हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत बजट में उसका प्रतिबिम्ब देखकर मैं उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। यह रेल बजट एक ऐसा आइना है जिसके द्वारा इस देश के गरीब, पिछड़े और दलितों के लिये जो कार्य सदियों से नहीं हुआ था, वह इसके माध्यम से होता दिख रहा है। बजट देश की लगभग 90 प्रतिशत जनता की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। इस बजट में देश की विधवा महिलाओं, विकलांगों, गरीब परिवारों और सामाजिक न्याय के दायरे में आने वाले धर्मनिर्पेक्ष लोगों को राहत दी गई है जिनकी लम्बे समय से शासक वर्ग ने उपेक्षा कर रखी थी।

आज उन लोगों के एक बड़े प्रतिनिधि के रूप में, उनके रहनुमा के रूप में उन्होंने रेल बजट में उनके लिए राहत की चीजों को डालने का काम किया है। दूसरी तरफ माननीय रेल मंत्री जी ने देश में इस रेल बजट के माध्यम से हाई वैल्यू सिस्टम को अपनाने का काम किया है। यह वैल्यू सिस्टम इस देश के 90 प्रतिशत अवाम के सापेक्ष अपनी प्राथमिकताएं रखता है।

सभापति महोदय, रेल बजट में फल, सब्जी उत्पादक किसानों के लिए शुरू में पटना से रेफ्रिजिरेटिड वैन और अन्य सुविधाएं देने का काम किया गया है। वैसे सीमान्त किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस की व्यवस्था संविधान में अभी तक नहीं हैं, नियम-कानून में नहीं है। वैसे किसानों के लिए यह सुविधा बहुत बड़े कुशन का काम करेगा और देश के फल, सब्जी उत्पादक किसान बड़ी संख्या में इससे लाभान्वित होंगे तथा इससे किसानों की अर्थव्यवस्था पर काफी फर्क पड़ेगा।

इसके साथ ही दुग्ध उत्पादक किसान और अन्य किसान, जिन्हें रेल बजट में सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है, उन सबकी ओर से हम रेल मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं।

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वायबिलिटी की बात कुछ माननीय सदस्यों ने यहां उठाई है। हाल के दिनों में डीजल के मूल्य बढ़े और इस कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा हो गया। लेकिन आपने माल भाड़ा नहीं बढ़ाया, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनोमी, इनफ्लेशन रेट और मुद्रास्फीति पर होने वाला है। जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा है तो उसे कम्पिटीटिव बनाने के लिए रेलवे का भाड़ा न बढ़ाकर मंत्री जी ने मार्केट शेयर बढ़ाने की ओर अच्छा कदम उठाया है। पिछले कई वर्षों से माल की ढुलाई में डिले हो रहा था, जैसा माननीय सदस्या श्रीमती मेनका गांधी ने अभी मैन्शन किया है कि एक ड्यूपिंग ट्रेंड था। आपने उसे एक अपवर्ड ट्रेंड की प्रवृत्ति बनाने की कोशिश की, जिसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि रेलवे में लम्बे समय से माफियाओं का नैक्सस चल रहा था, चाहे वह व्हीलर के माध्यम से हो या स्क्रैप की सेल-परचेज के माध्यम से हो। उनके द्वारा बड़ी आपराधिक प्रवृत्तियों के साथ स्क्रैप की सेल-परचेज होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे। उसे आपने साफ तरीके से परिवर्तित करके आन लाइन बिडिंग सिस्टम चालू कर इस देश में ऐसा एक्जाम्पल क्रिएट किया है, जो बहुत से लोगों का वर्षों-वर्षों से नैक्सस के बारे में आनेस्ट बिलीफ को तोड़ता है। रिसाईकलिंग प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा रेलवे की उत्पादकता को बढ़ाने की सफल कोशिश सिद्ध होगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, समय का भी ध्यान रखें।

श्री आलोक कुमार मेहता: हम कहना चाहते हैं कि माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में इस देश के वंचितों का ख्याल रहा है, इस देश के लोग भी उन्हें मानते रहे हैं, हम उनकी तरफ से मंत्री जी को साधुवाद देना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो गोधरा कांड हुआ था, वह कांड रेलवे से जुड़ा था और रेलवे स्टेशन पर हुआ था। इसलिए यह रेलवे का मामला था। हम रेल मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि उनकी निष्पक्ष जांच करायें। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसी सदन में रेल मंत्री जी गोधरा कांड के संदर्भ में वक्तव्य दें और जांच कराने की घोषणा करें।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री लालू जी ने एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। जिसके कारण पूरे देश लालू-लालू कर रहा है। आप हमें भी दो मिनट बोलने का मौका दें। हमारा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि जो गाड़ियां पूर्वांचल जाती हैं, उन्हें गाजियाबाद में रूकवाने की व्यवस्था करें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपने मुख्य सचेतक से संपर्क करें। आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक ने आपका नाम लिस्ट में नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, मैं श्री बिक्रम केशरी देव को आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री एम. शिवन्ना, आप अपना भाषण सभा पटल पर रख चुके है। श्री सुरेन्द्र गोयल कृपया बैठिए। मैं श्री विक्रम केशरी देव को बुला चुका हूं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा प्रस्तुत रेल-बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि रेल मंत्री जी अपने शब्दों से मुकर गये है। रेल मंत्री ने कहा था कि रेल पिछड़े क्षेत्रों में जायेगी जहां लोगों ने रेल नहीं देखी है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: केवल माननीय सदस्य बी.के. देव का भाषण रिकार्ड पर जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री बिक्रम केशरी देव के भाषण के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री बिक्रम केशरी देव: उदाहरणार्थ उड़ीसा का मामला है *...(व्यवधान)* वर्ष 2004-05 के बजट में वास्तव में उड़ीसा की अवहेलना की गयी है। *...(व्यवधान)* उड़ीसा के विकास में ठहराव आ गया है। *...(व्यवधान)* जहां तक रेलवे के विकास का संबंध है, उड़ीसा में स्थिरता आ गयी है *...(व्यवधान)* उड़ीसा में रेलवे के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री सुरेन्द्र प्रसाद गोयल, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री बी.के. देव, आप अपना भाषण जारी रखिये।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मैं बोल रहा हूं। यह संसदीय शिष्टाचार नहीं जानते है *...(व्यवधान)* उड़ीसा खनिज बहुल राज्य है। ऐसा ही बिहार है। परन्तु ऐसा लगता है कि उड़ीसा और बिहार में सदैव प्रतियोगिता रहती है। किसके लिए? यह प्रतियोगिता इस बात की है कि कितने लोग निर्धनता रेखा से नीचे रहते है।

उड़ीसा में यह कभी 47.5 प्रतिशत और बिहार में 42.5 प्रतिशत है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं, जो कि बिहार में भी सरकार चला रहे हैं कि वे पिछड़े राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के बारे में सोचे और इन राज्यों के विकास के लिए रेलवे को उचित धनराशि उपलब्ध करवायी जाये। आज उड़ीसा के पास लगभग 75 प्रतिशत खनिज अयस्क हैं, जो कि सुरक्षित पड़ा हुआ है तथा इसे रेल सुविधाओं के अभाव में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। माननीय मंत्री ने चल रही परियोजनाओं के लिए कुछ राशि आबंटित की है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। इस राशि से इन परियोजनाओं को पूरा होने में लगभग 50 से 60 वर्ष लग जायेगे।

इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में नई परियोजनाओं की घोषणा की जाए तथा अधिक राशि उपलब्ध करायी जाये। जब श्री रामविलास पासवान रेल मंत्री थे, उन्होंने पूर्वी तट जोन की स्थापना करवायी थी। परन्तु नीतीश कुमार के रेल मंत्री बनने तक यह पूर्वी तट जोन व्यर्थ पड़ा रहा। इसके विकास के लिए एक पाई भी नहीं दी गई थीं। मैं भूतपूर्व रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार को आज

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पूर्वी तट जोन के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करवायी और तत्पश्चात् इस जोन ने कार्य करना आरम्भ किया। इसलिए मैं तकनीकी रूप से माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं। परन्तु महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री केवल नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के अच्छे कार्यों को ही आगे ले जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या नये कदम उठाये हैं। यह एक सराहनीय कदम है, कि उन्होंने ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल्हड़ और खादी पर जोर दिया है। जब हम देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े तब खादी हमारी पोशाक थी। ये सराहनीय कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। आप इ कैसे क्रियान्वित करेंगे? आपको इसे क्रियान्वित करना है। आज अधिकांश कुल्हड़ कुम्हारो द्वारा बनाये जाते हैं। वे केवल बिहार में नहीं रहते उड़ीसा में भी हैं, बंगाल में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। ये सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं। पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस सरकार की विगत की गलत नीतियों के कारण ये सभी सहकारी समितियां निष्क्रिय हो गयी हैं। अत: आप इन सहकारी समितियों को पुनरुज्जीवित कराने का प्रयत्न करें। और कुल्हड़ और खादी संबंधित राज्यों के संबंधित जोन में स्थित हथकरघा क्षेत्रों से खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि पूर्वी तट के लिए कुल्हड़ बिहार से खरीदे जाये। हम नहीं चाहते कि बिहार से उड़ीसा के लिए खादी की आपूर्ति की जाये क्योंकि उड़ीसा में भी वीवर्स हैं, हैण्डलूम्स हैं। वहां भी खादी होती है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राम कृपाल यादव कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): क्या पूरे देश में कुम्हार नहीं हैं? सबको समान रूप से देखिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य राम कृपाल जी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय अपने भाषण में माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि सुरक्षा उपाय रेलवे के लिए प्रारम्भिक चुनौती है, यह रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, ने पचास वर्षों में सेफ्टी के लिए क्या किया? आपने सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया।

आज मैं श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को नये सुरक्षा उपाय करने के लिए धन्यवाद देता हूं। खन्ना समिति रिपोर्ट को काफी पहले ही लागू कर देना चाहिये था। उसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान ही लागू किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को सच्ची भावना से लागू करने के लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय 50 प्रतिशत पुलों को बदला जाना था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: उड़ीसा के माननीय सदस्य स्वदेशी के बारे में कुछ बोलिएगा।

श्री बिक्रम केशरी देव: बोलेंगे *...(व्यवधान)* सर, मुझे समय दीजिए।

सभापति महोदय: कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्री बिक्रम केशरी देव: सर, मुझे पांच मिनट और दीजिए। मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं।

[अनुवाद]

मैं कहना चाहता हूं कि विशेष निधि के रूप में 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि का निर्धारण नहीं किया गया है जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान किया गया था। चार सौ इकतालिस स्टेशनों का सुधार किया गया है। 2007 पुलों में से 1,306 पुलों का निर्माण किया गया। ये सभी कार्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा किये गये थे न कि इनके द्वारा। ये कार्य इन्होंने सत्ता में आने के दो माह में नहीं किये हैं। हमने 6 वर्षों तक शासन किया और हम पचास प्रतिशत पुलों को बदलने में सफल रहे। अत: यह एक अच्छा कार्य था, जो पिछली सरकार ने आरम्भ किया।

सभापति महोदय: श्री देव अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में भी बोलने दें।

सभापति महोदय: बहुत से सदस्यों को बोलना है। अपनी बात जल्दी करने की कोशिश कीजिए।

श्री विक्रम केशरी देव: जी महोदय। हमने श्री लालू प्रसाद यादव और उनके प्रशासन के बारे में सुना है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं उम्मीद करता हूं कि वे गरीबों के बारे में सोचते हैं और वे गरीबों के लिए कार्य करेंगे। यह मेरा उनसे आग्रह है कि वे उड़ीसा के सम्बलपुर मंडल के पिछड़े क्षेत्रों के बारे में सोचे। यह मंडल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह निर्धनतम मंडलों में से एक है। यह बहुत बुरी अवस्था में है। इस क्षेत्र को कोई महत्व नहीं दिया गया है। यहां कोई विश्राम गृह नहीं हैं जबकि यहां मंडल रेल प्रबंधक का मुख्यालय है। इसलिए पूर्वी तट जोन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

महोदय, लंजिगढ़-जूनागढ़ रेल लाइन, जिसका कार्य काफी पहले आरम्भ किया गया था, के कार्य को पूरा कराने के लिए और राशि आबंटित की जाए।

अब, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सम्बलपुर से भुवनेश्वर तक शुरू की गयी नई रेल गाड़ी, जिसे पुरी तक बढ़ाया गया है, केवल उड़ीसा राज्य के कोनों को जोड़ती है। मेरा सुझाव है कि इस गाड़ी को रायगढ़ा से सम्बलपुर होते हुए पुरी तक चलाया जाए तथा कोरापुट-भुवनेश्वर हिराकुंड एक्सप्रैस में टिटलागढ़ से दो रेल डिब्बे जोड़े जाए जिसकी सुविधा टिटलागढ़ पर उपलब्ध है। ठीक उसी प्रकार निजामुद्दीन से चल कर विशाखापत्तनम तक जाने वाली समता एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाया जाए।

महोदय, उड़ीसा के जिलों से गुजरात जाने वाले मजदूरों के पलायन को देखते हुए अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रैस जो विजयनगरम होते हुए जाती है तथा सप्ताह में तीन बार चलती है गुजरात जाने वाले मजदूरों की मांग को ध्यान में रखते हुए इसे प्रतिदिन चलाया जाए। ठीक उसी प्रकार उड़ीसा में बंदरगाहों को रेल सेवाओं से जोड़ा जाए। काफी समय से लम्बित पड़े खुर्दा रोड से बोलंगीर रेल मार्ग को शुरू किया जाए। इन्होंने इसके लिए 15 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है, जो पर्याप्त नहीं हैं।

उड़ीसा राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जाए जिससे इन परियोजनाओं को चार वर्षों में पूरा किया जा सके।

इसके साथ ही मैं आपका भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री अमिताभ नन्दी** (दमदम): सभापति महोदय, मैं जन-हितैशी रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

माननीय रेल मंत्री हाकरों, कुलियों, रेलवे में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के अधीन लाने के प्रस्ताव के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। इस संबंध में मैं माननीय लालू जी से इन वर्गों के लिए दीर्घकाल से लम्बित कई जायज मांगों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, रेलवे हाकर एवं कुली अपने सभी के लिए लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने उनकी जायज मांग नहीं मानी तथा इसके परिणामस्वरूप वे रेलवे प्राधिकारियों, रेलवे सुरक्षा बल आदि द्वारा दी जा रही यातनाओं का शिकार होते हैं। मैं रेलवे हाकरों एवं कुलियों पर होने वाली सभी यातनाओं को तुरन्त रोकने तथा उन सभी के लिए लाइसेंस जारी करने की मांग करता हूं।

महोदय, अब मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के आम लोगों की जायज मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

मेट्रो रेल वर्तमान में दमदम तक चल रही है जो कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं चाहता हूं कि इसे बैरकपुर तक बढ़ाया जाए।

साथ ही, मैं पूर्वी रेलवे के अधीन दमदम एवं बेलधारिया के बीच नाजरा में एक ठहराव स्टेशन बनाए जाने की मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, अब मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान हाबरा, बैरकपुर तथा कांचरापाड़ा में रेल सड़क ऊपरी-पुलों के निर्माण की दीर्घकालिक मांग की ओर आकर्षित करता हूं। बैरकपुर तथा कांचरापाड़ा के रास्ते आने वाली सड़क से बैरकपुर कल्याणी राजमार्ग पर राजमार्ग ट्रेफिक आता है तथा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 34 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर जाता है। सड़क मार्ग पर बिगड़ने योग्य एवं न बिगड़ने योग्य वस्तुओं से भरे हुए ट्रकों की अत्यधिक भीड़ रहती है इसलिए यहां सड़क ट्रेफिक के साथ-साथ रेल सेवाओं का अनवरत ट्रेफिक का चलना सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है। इसलिए लालू जी से मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने का मै अनुरोध करता हूं।

अंत में, मैं सरकार से कार्यालय समय के दौरान सियालदाह अनुभाग पर 12 डिब्बों वाली एक ई.एम.यू. रेलगाड़ी चलाने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इससे बिना कोई नई रेलगाड़ी चलाये कोलकाता से प्रतिदिन आने जाने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे प्रस्ताव पर विचार करेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*डा. बाबूराव मिडियम (भद्राचलम): सभापति महोदय, रेल बजट 2004-05 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा पेश किया गया इस वर्ष का रेलवे बजट कई मायनों में नया एवं सृजनात्मक है।

जहां एक तरफ, बजट में चालू परियोजनाओं का पूरा करने एवं रेलवे को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है, वहीं दूसरी तरफ इसमें कुछ पारम्परिक हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने की योजना है।

सुरक्षा उपायों तथा रियायतों के संबंध में शहीदों के परिवारों मूक एवं बधिरों हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगियों के लिए प्रस्ताव प्रशंसनीय हैं। सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

लेकिन सभापति महोदय, ऐसे प्रगतिशील बजट में एक काला दाग है और यह कि इसमें आंध्र प्रदेश राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है।

महोदय, एक सौतेली मां क्या करती है? वह पहले अपने बच्चों को ताजा एवं गर्म खाना खिलाती है, बाद में बचा हुआ खाना सौतेले बच्चों को खिलाती है। महोदय इसी प्रकार बजट में आंध्र प्रदेश की आवश्यकताओं को कम महत्व दिया गया है। यहां के लिए किसी भी रेलगाड़ी को नहीं बढ़ाया गया है। काकीनाडा, कोटीपल्ली लाइन के अलावा कोई बड़ी परियोजना का प्रस्ताव नहीं है, जो कि तब तक कोई काम भी नहीं है जब तक कि इसे अमलापुरम के रास्ते नोरासपुर तक नहीं बढ़ाया जाता है। लाइनों के सर्वेक्षण में तथा उनके अद्यतनीकरण में दशकों लग जाते हैं।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक दूसरे से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर केवल दो ही रेलवे स्टेशन हैं। एक स्टेशन का नाम चागलू है जहां पीने का पानी तथा टेलीफोन जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

महोदय, दूसरे स्टेशन मानुगुरु डोरनाकल जंक्शन से टर्मिनल स्टेशन में हैं जो कि मुख्यतः कोयला लाने ले जाने के लिए है। यह मुख्य गांव से दूर स्थित है, मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कुनावरम में एक नया स्टेशन बनाया जाए।

महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मुख्यालय भद्राचलम भगवान श्री राम का आवास है, बहुत से लोग यहां दर्शनार्थ आते हैं। रामनवमी एवं एकादशी को यहां बहुत भीड़ एकत्रित होती है। बहुत से लोग विभिन्न स्थानों से आते हैं। लेकिन अब तक भद्राचलम रेलमार्ग से नहीं जुड़ा है।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने कोठर लाइन सर्वेक्षण के अद्यतन करने में भद्राचलम का उल्लेख किया है। लेकिन सर्वेक्षण कितनी बार किया जाता है। महोदय, मैं भद्राचलम के रास्ते मानुगुरु से बैलाडिला तक के लिए एक नई रेल लाइन का प्रस्ताव देता हूं। दूसरी रेल लाइन भद्राचालम से विशाखापत्तनम तक के लिए प्रस्ताव देता हूं।

मानुगुरु (कोयला क्षेत्र) से लौह अयस्क क्षेत्र अर्थात् बैलाडिला तक के बीच यह एक छोटा मार्ग है। इससे उत्तर पूर्व के लिए 800 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।

मैं राजुहुन्डी से हैदराबाद के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, मैं मंत्री से खम्माम जिले में येराउपालम में लिंक एक्सप्रेस तथा इंटर सिटी एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं। काकीनाडा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। महोदय, मैं मंत्री की कर्मचारियों के परिवारजनों को मुफ्त पास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशंसा करता हूं।

महोदय, तादेपालिगुडेम स्टेशन पर सामान लादने एवं उतारने वाले हावाली भूखमरी के शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त काम नहीं दिया गया है। यहां सभी काम स्थानीय गोदामों को दिये जाते हैं। कृपया उन्हें काम दिलवाइए।

[हिन्दी]

*श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, रेल बजट में मैं निम्नलिखित मांगें रखना चाहता हूं, वे निम्न प्रकार से हैं-

वर्ष 2004-2005 के रेलवे बजट में हमें कुछ नहीं मिला। खासकर महाराष्ट्र में विदर्भ में बहुत अन्याय हुआ है। ऐसी एक भी नई गाड़ी बजट में नहीं दी गयी है। मेरे संसदीय क्षेत्र यवतमाल जो आदिवासी क्षेत्र है, इस क्षेत्र का आज तक विकास नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण रेलवे का विकास न होना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि यवतमाल की रेलवे जो शकुन्तला के नाम से जानी जाती है, उसे ब्रॉडगेज करें और वणीकिनवट-वर्धा से जोड़ने का प्रावधान करें। विदर्भ में खेती करने वाले किसान, अपनी कृषि उपज को देश के अन्य राज्यों की मंडियों में ले जा सकेंगे और उन्हें अपने अनाज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

महोदय, यवतमाल के रेलवे लाइन स्वतंत्रता पूर्व बिछाई गई थी, लेकिन उस रेलवे लाइन के लिए 50 वर्षों में कोई प्रावधान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

नहीं किया गया है। अगर रेल मंत्री जी चाहें तो अभी अतिरिक्त बजट में इस रेल लाइन के लिए राशि रख सकते हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि उपरोक्त सभी मांगों पर विचार कर जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रेल लाइनों के विकास हेतु बजट में प्रावधान रखने का कष्ट करें। धन्यवाद।

***श्री महेश कनोडिया** (पाटन): महोदय, मेरे क्षेत्र पाटन (गुजरात) में विरमगांव भिलडी प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ है। उसके अंतर्गत मैसाणा, विरमगांव का ब्रॉडगेज का कार्य पूरा हुआ है लेकिन मैसाणा से पाटन और भिलडी का कार्य शुरू नहीं हुआ है। इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र शुरू कराने की कृपा माननीय रेल मंत्री जी करें। मैसाणा तारंगा ट्रेन चल रही थी। वह ट्रेन बंद कर दी गई है और अब तो वहां पटरियां निकालनी शुरू हो गई हैं। मान्यवर, तारंगा यात्रा धाम है। हजारों यात्री रेल द्वारा वहां जाते हैं। उनकी सुविधा के लिए तारंगा ट्रेन को शीघ्र शुरू करने के लिए अनुरोध है। विरमगांव बहुचराजी, कटोसण और चाणसमा से हारिज जो लाइन थी, उसमें से चाणसमा हारिज की भी पटरियां निकालने का कार्य चल रहा है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कार्य को जल्द से जल्द बंद कराएं और उपरोक्त लाइनों पर पुन: ट्रेनों की सेवा शुरू की जाए। अगर इस लाइन को चाणसमा से राधनपुर तक जोड़ा जाए तो अहमदाबाद से कच्छ की सीमा तक पहुंचने की दूरी भी कम हो जाएगी। उत्तर गुजरात का पाटण एक ऐतिहासिक शहर है जहां तालाब में पानी नहीं आता था तो पाटण के एक पवित्र बुनकर ने अपने सिर का बलिदान दिया। उनका नाम वीर माया था। अगर ऐसे ऐतिहासिक स्थल की रेल पटरियां उखेड़ दी जाए और जमीन को बेच दिया जाए तो ये बड़ी शर्मनाक बात है।

मान्यवर, एक सुझाव है कि टीवी में एक स्पेशल रेलवे चैनल होना चाहिए जिसमें कौन सी ट्रेन कितने बजे चलेगी, कौन से प्लेटफार्म से जाएगी, इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री स्वदेश चक्रवर्ती** (हावड़ा): महोदय, मैं सादरपूर्वक आपके माध्यम से निम्नलिखित माननीय रेल मंत्री को प्रस्तुत करता हूं। रेल बजट 2002-03 में तत्कालीन रेल मंत्री ने अपने भाषण में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हावड़ा में दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा शालीमार-पदमपुकुर-सांकरेल में रेलवे टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया था। उनका तर्क था कि चूंकि प्राक्कलन 600 करोड़ रुपये से अधिक हैं, इसलिए इसका योजना आयोग से अनुमोदन आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव 2004-05 में शालीमार-पदमपुर-सांकरेल में रेलवे टर्मिनल के बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया है। मैं इस वर्ष के बजट में परियोजना शुरू करने की मांग करता हूं।

महोदय, गया के रास्ते जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में प्रति-रविवार को हावड़ा से नई दिल्ली जाने की सुविधा यात्रियों को थी। अब हावड़ा के यात्रियों के लिए यह सुविधा बन्द कर दी गई है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि गया के रास्ते नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में रविवार समेत सभी दिन यह सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

#श्री मोहन जेना (जाजपुर): सभापति महोदय, मैं नया सदस्य हूं। यह मेरा पहला भाषण है, इसलिए मैं अपनी मातृभाषा उड़िया में ही बोलना चाहूंगा।* आरम्भ में मैं माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने रेल किराये और रेल भाड़े में वृद्धि नहीं की है। उड़ीसा भारत के सबसे कम विकसित राज्यों में से एक है। उड़ीसा की नब्बे प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के है। जहां तक रेलवे का संबंध है, उड़ीसा में पिछले 57 वर्षों से इस संबंध में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। रेल क्षेत्र में विकास राज्य की प्रगति का सूचक है। यदि किसी राज्य में रेलवे नेटवर्क अच्छा है, तो इसका तात्पर्य है कि वह राज्य काफी प्रगतिशील है। महोदय, मैं आपको रेलवे लाइन के राष्ट्रीय औसत के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रति 1000 वर्ग किमी पर 19.1 कि.मी. है। पश्चिम बंगाल में यह औसत 43.1 कि.मी. और बिहार में 30.4 कि.मी. है। लेकिन उड़ीसा में यह प्रति 1000 वर्ग किमी में मात्र 15.3 किमी है। उड़ीसा में चालू रेल परियोजनाओं के लिए 4850 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता है। लेकिन मौजूदा बजट में केवल 374 करोड़, 27 लाख रुपये ही आवंटित किये गये हैं जो 2002-2003 के बजट की तुलना में बहुत कम है।

उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं जिनमें से 7 जिलों में रेल लाइनें नहीं हैं। ये सात जिले हैं–बौध, कंधमल, नयागढ़, देवगढ़, केन्द्रपाड़ा, मल्कानगिरि तथा नवरंगपुर। रेल के मामले में उड़ीसा हमेशा उपेक्षित रहा है। अत:, मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इन जिलों को रेल से जोड़ने के लिए कदम उठायें।

रेलवे उड़ीसा से लगभग 4000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करता है लेकिन इसे वापस कुछ नहीं मिलता। उड़ीसा रेल क्षेत्र में बहुत पीछे है।

महोदय, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन उड़ीसा के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

#भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री मोहन जेना]

इस जोन के लिए 8 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। लेकिन इस जोन के अंतर्गत उड़ीसा के सभी क्षेत्र नहीं आते। थारसुगड़ा, बंधमुण्डा, राउरकेला आदि क्षेत्र के रेलवे लाइन दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत आते हैं। रानीताल से जलेश्वर तक का क्षेत्र भी दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है। इबवैली, बृजराजनगर तथा बेलपहाड़ जैसे क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, वे दक्षिण-पूर्व मध्य क्षेत्र (जोन) के अंतर्गत आते हैं। कोरापुट तथा रायगदा जिले के रेलवे लाइन पूर्व तटीय रेल क्षेत्र के अधिकार के बाहर हैं। महोदय, रेल मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इन सभी क्षेत्रों को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत लाया जाये।

उड़ीसा से होकर जाने वाली रेलगाड़ियों में गुणवत्ता का अभाव है। उनकी सेवा में सुधार होना चाहिए। निजामुद्दीन-भुवनेश्वर हीराकुण्ड एक्सप्रेस गाड़ी में 'एसी-3 कोच' की सुविधा नहीं है। इसमें तृतीय श्रेणी के 'एसी कोच' की सुविधा होनी चाहिए। भुवेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से पश्चिम उड़ीसा के लोग लाभान्वित नहीं हो पाते। इसलिए एक नई राजधानी एक्सप्रेस आरम्भ की जानी चाहिए जो सम्बलपुर-अनुगुल से आरम्भ होकर नई दिल्ली जाये। इसी तरह लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस जो सप्ताह में एक बार भुवनेश्वर से मुंबई के बीच चलती है उसे दैनिक आधार पर चलाया जाना चाहिए। यह रेलगाड़ी वाया सम्बलपुर और टिटलागढ़ होकर जानी चाहिए।

महोदय, सम्बलपुर और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली इंटर सिटी एक्सप्रेस नाकाफी है। मेरा अनुरोध है कि इस रेलमार्ग पर एक और इंटरसिटी एक्सप्रेस चलायी जाये ताकि ये दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर सम्बलपुर और भुवनेश्वर से एक-दूसरे स्थान के लिए रवाना हो। वर्तमान में पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार चलती है। इसे सप्ताह में तीन बार किया जाना चाहिए। महोदय, श्री लालूजी यहां पर उपस्थित है। वह यह जानते हैं कि सम्राट अशोक के समय से कलिंग और पाटलिपुत्र के बीच एक ऐतिहासिक संबंध रहा है। इसलिए, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह पुरी-पटना-बैधनाथ एक्सप्रेस को दैनिक आधार पर चलायें। शताब्दी एक्सप्रेस बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने वाली रेलगाड़ी है लेकिन उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे वंचित रह जाते हैं। दूसरी शताब्दी एक्सप्रेस बरहमपुर से शुरू होकर कोलकाता तक जाए जो उड़ीसा के लोगों को लाभ पहुंचाएगा। बहरामपुर का दिल्ली से कोई सीधा रेल सम्पर्क नहीं है। इसे संभव बनाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो गोवा जाते हैं उन्हें उड़ीसा जाने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। उड़ीसा के खाजपुर जिले में बहुत बौद्ध स्मारक है जो निश्चित रूप से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। यह तभी संभव हो सकता है जब भुवनेश्वर और पणजी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलायी जाये। भुवनेश्वर पलास्ता रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसलिए हावड़ा-खडगपुर रेलवे लाइन की तरह डीएमयू रेलगाडी को इसे भी शामिल करना चाहिए। एकमात्र कोरमंडल एक्सप्रेस के अलावा, भुवनेश्वर और चेन्नई के बीच और अधिक रेल सम्पर्क होनी चाहिए। मंचेश्वर स्थित कोच मरम्मत कारखाना में कोच निर्माण का कार्य भी किया जाना चाहिए। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में गुणात्मक सुधार किए जाने चाहिए। जाजपुर, भद्रख, बालेश्वर, धनमण्डल तथा बरहामपुर स्टेशनों को और ज्यादा यात्रीजनक बनाया जाए। सभी प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जानी चाहिए तथा इन स्टेशनों का उन्नयन किया जाना चाहिए। पाराद्वीप तथा हरिदासपुर के बीच रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तीव्रता लानी चाहिए। अंत में, मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वह उड़ीसा की मांगों के प्रति बिना भेदभाव के विचार करें।

[हिन्दी]

***श्री लालमणि प्रसाद** (बस्ती): महोदय, रेल बजट के समर्थन में निम्नलिखित सुझाव जोड़ने का कष्ट करें:

1. जन सामान्य के हित में माननीय रेल मंत्री जी द्वारा लाए गए बजट का समर्थन करता हूं।
2. अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय का आरक्षण कोटा पूरा किया जाना चाहिए।
3. बस्ती से लखनऊ मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जाए।
4. राजधानी एक्सप्रेस गोरखपुर से चलायी जाए।
5. सप्तक्रांति एक्सप्रेस बस्ती में रोकी जाए।
6. सभी एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव बस्ती में किया जाए।
7. बस्ती में बड़ा रेलवे गोदाम बनाया जाए।
8. बस्ती रेलवे स्टेशन का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किया जाए।

***श्री राजाराम पाल** (बिल्हौर): माननीय सभापति जी, मैं रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं रेल बजट में मेरे संसदीय क्षेत्र में निम्नलिखित स्टेशंस व मार्गों में रेल चलाने की व्यवस्था बजट में करने का कष्ट करें:

1. कानपुर सेंट्रल से मंधना तक मेट्रो चलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें।
2. पनकी स्टेशन को आधुनिक स्टेशन बनाकर सभी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

3. ग्वालियर छपरा ट्रेन को पातेपुर लालपुर में प्राथमिकता पर ठहराव करने की व्यवस्था की जाए।

4. कानपुर सेंट्रल से सुल्तानपुर तक ओवर ब्रिज बनाकर यातायात की सुविधा प्रदान की जाए।

मेरा रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मामलों को बजट में प्राथमिकता पर जोड़ने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी.के. वासुदेवन नायर (तिरुअनन्तपुरम): महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्या है?

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: महोदय, उड़िया में दिये गये भाषण को सुनकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। लेकिन, इसी सभा में, केरल के एक सदस्य मलयालम में भाषण देना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए सचिवालय से सम्पर्क किया, लेकिन उन्हें बताया गया कि सचिवालय में मलयालम का कोई भाषान्तरकार नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लेकिन उन्होंने इसके लिए पहले से अनुमति ली थी।

...(व्यवधान)

श्री पी.के. वासुदेवन नायर: कृपया मेरी बात सुनिये। क्या इस सभा में, क्या सभी क्षेत्रीय भाषाओं में साथ-साथ भाषान्तरण का प्रावधान है। एक क्षेत्रीय भाषा में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह भेदभाव क्यों है? मैं माननीय अध्यक्षपीठ का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक सदस्य को मलयालम में बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी गयी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पूर्व अनुमति लेकर सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भाषण देने की अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इस बारे में मैं पहले से ही विनिर्णय दे चुका हूं।

श्री एल. गणेशन (तिरुचिरापल्ली): सभापति महोदय, एमडीएम के पार्टी की ओर से, मैं रेल बजट पर चर्चा में भाग लेना चाहूंगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री गणेशन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री एल. गणेशन: महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सभा में पहला भाषण देने का अवसर प्रदान किया। भारतीय रेल का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है और इसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। भारतीय रेल के प्रबंधन की जिम्मेदारी अब श्री लालू प्रसाद यादव को सौंपी गयी है जो कि एक लोकप्रिय नेता हैं। मेरे विचार से वह एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं और उन्होंने भारतीय रेल के समक्ष पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने स्तर पर यथासंभव प्रयास किये हैं।

आज एकल प्रबंधन के अंतर्गत भारतीय रेल का नेटवर्क सबसे बड़ा है लेकिन यदि दूसरे देशों से इसकी तुलना की जाये तो सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण, रेलमार्गों का विद्युतीकरण सुरक्षा से संबंधित उपकरणों का उन्नयन, यात्री डिब्बों, वैगनों तथा रेल इंजनों को डिजाइन करने में अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाने छोटी लाइन का आमान परिवर्तन करके बड़ी लाइन बनाने जैसे आधुनिकीकरण के मामले में इसे वैज्ञानिक ढंग से विकसित नहीं किया गया है। रेल के विकास के लिए सरकार को अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा इसे विश्व के दूसरे विकसित देशों के समतुल्य लाने के लिए रेल के आधुनिकीकरण का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। रेलवे के पुनर्गठन में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए और उसमें सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार को अधिकाधिक धनराशि प्रदान करनी चाहिए ताकि भारतीय रेल को चीन, जापान इत्यादि देशों की रेलों के समकक्ष लाया जा सके।

महोदय, आरम्भ में रेल का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेना को ले जाने के लिए होता था। उसके बाद, रेल का उपयोग भारत से कच्चा माल बाहर भेजने और दूसरे देशों की निर्मित वस्तुओं को देश में लाने के उद्देश्य से किया जाता था। अब, रेलवे का केन्द्र बिन्दु पूरी तरह से बदल चुका है। आजादी के बाद से रेलवे के लक्ष्य और उद्देश्यों को कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ा है। भारतीय उद्योग के विकास में रेलवे महत्वपूर्ण योगदान करता है। तीसरे दर्जे में यात्रियों को ढोने के दिनों से राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा प्रदान करने तक, भारतीय रेल विकास के कई चरणों से गुजर चुकी है। इसी तरह से, माल भाड़े की अवधारणा में भी बदलाव आया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एल. गणेशन]

महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रभारित पूंजी के छह प्रतिशत की दर से सामान्य राजस्व पर दिया जाने वाला आधा कर दिया जाना चाहिए। यह प्रतिशत उस समय निर्धारित किया गया था जब देने पर होने वाली ब्याज दरें ज्यादा थीं। अब, निजी बैंक और संस्थाएं लोगों को कम से कम सात प्रतिशत तक की दर पर कर्ज दे रहे हैं। सामान्य राजस्व पर देय लाभांश को कम करके तीन प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

दूसरा, रेलवे को महानगरों में उपनगरीय ट्रेनें चलाने के कारण भारी घाटा सहना पड़ रहा है। यह बहुत ज्यादा केन्द्रित उद्योगों के कार्यबल को लाने और ले जाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। कई देशों में इन ट्रेनों को चलाने के कार्य व्यय की लागत की भिन्न-भिन्न मात्राओं में क्षतिपूर्ति की जाती है, लागत का 40 प्रतिशत तक सरकार द्वारा या उद्योगों द्वारा ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कितना समय लेंगे?

श्री एल. गणेशन: महोदय, मैं सिर्फ पांच मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय: नहीं, मैं आपको सिर्फ दो मिनट और दे सकता हूं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री एल. गणेशन: महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है। मैंने तीन मिनट भी नहीं लिया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की जरूरतों के संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान तिरूचिरापल्ली में रेलवे ऊपरि पुल को चौड़ा करने क ओर आकर्षित करना चाहूंगा। तिरूचि तमिलनाडु का केन्द्र बिन्दु है। ऊपरि-पुल काफी तंग है और उस ऊपरि-पुल पर यातायात बहुत ज्यादा है अत: इसे चौड़ा किया जाना चाहिए। वह ऊपरिर पुल हमारे जंक्शन के काफी करीब है।

मेरा मतलब तिरूचिरापल्ली जंक्शन से है। रेलवे पथ के दोनों ओर रहने वाले वांशिंदे त्रिची माल यार्ड के पास से पार करते हैं जो काफी खतरनाक है। सही मायने में, वहां एक उप पथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैं एक बिन्दु पर माननीय मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें। तंजावुर और पट्टूकोट्टई को जोड़ने वाली एक नई रेल लाईन बिछाई जानी चाहिए। पिछली कई शताब्दियों से आज तक, उस क्षेत्र से कोई रेलवे लाईन नहीं गुजरती है। पिछले अच्छे दिनों में, कुछ कदम उठाए गए थे और एक सर्वेक्षण कराया गया था। परन्तु निहित स्वार्थों के हस्तक्षेप के कारण, कार्य रोक दिया गया। अत:, मैं माननीय मंत्री महहोदय से अपील करता हूं, जो एक कर्मठ व्यक्ति है कि वे इस पर गौर करें। अगर वह चाहें तो ऐसा कर सकते हैं।

अंत में, मुझे अपनी ओर से एक अनुरोध करना है। माननीय मंत्री महोदय गोल्डन रॉक वर्कशाप में व्याप्त वर्तमान परिस्थिति पर विचार करने की कृपा करें। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है यह एक स्वर्णिम कर्मशाला है। पुराने अच्छे दिनों में उसमें करीब 14,000 कामगार कार्यरत थे। अब हुआ यह कार्य का भार काफी कम हो गया है, जिस वजह से मात्र 4000 से 5000 कामगार ही वहां नियोजित हैं। मैं अपील करता हूं कि कार्यभार बढ़ाया जाना चाहिए और ज्यादा कामगारों को भी नियोजित किया जाना चाहिए क्योंकि वहां सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद है। गोल्डन रॉक जो इस देश की एक सबसे पुरानी कर्मशाला है, एक कोच फैक्टरी स्थापित की जानी चाहिए। अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह देखें कि तमिलनाडु के लोगों की भलाई के लिए ये कार्य किया जाएं।

[हिन्दी]

***मो. मुकीम** (डुमरियागंज): महोदय, मैं श्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का स्वागत करता हूं। लगभग 5-6 साल के बाद पहली बार ऐसा रेल बजट आया है जिसे देश की जनता ने दिल से सराहा है। मैं अपने क्षेत्र डुमरियागंज, उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय रेल मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

1. खलीलाबाद-बलरामपुर नई रेल लाइन के निर्माण के संबंध में इस मार्ग का सर्वे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय में कराया गया था जो खलीलाबाद से मेहदावल, खांसी, डुमरियागंज, उतरौला होकर बलरामपुर को जोड़ती है। इस नई रेल लाइन से हमारे क्षेत्र के लोगों को जहां रेल की सुविधा प्राप्त होगी वही गौतम बुद्ध की धरती पर आने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।
2. महोदय, गोरखपुर गोंडा जो छोटी लाइन है। इसे ब्रॉडगेज में बदलने की स्वीकृति पिछले साल हो गई है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए धन का आबंटन करके शीघ्र पूरा कराया जाए।
3. महोदय, हमारे क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत लोगों का अपनी रोजी रोटी की तलाश में मुम्बई बराबर आना-जाना लगा रहता है। गोरखपुर से मुम्बई तक चलने वाली ट्रेन की कमी की वजह से बहुत परेशानी होती है। अत: गोरखपुर से मुम्बई तक वाया लखनऊ एक नई रेल शुरू करने का भी कष्ट करें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय रेल मंत्री जी को एक संतुलित और आम आदमी को ध्यान में रख कर बनाये गए बजट के लिए बधाई देती हूं। मैं सहरसा क्षेत्र से आती हूं जहां से कभी श्री ललित नारायण जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे जिनकी कोशी के लिए काफी कुछ करने की सोच थी। उसके बाद बिहार से कई रेल मंत्री हुए, जिनमें श्री राम विलास पासवान ने काफी सराहनीय काम किए। आज एक बार फिर भारतीय रेल मंत्री का पद बिहार को मिला है। मुझे उम्मीद है कि लालूजी के कार्यकाल में भारतीय रेल एक बार फिर ऊंचाई को छूएगी।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने, नई रेल लाइनें बिछाने, नई ट्रेनें चलाने, आमान-परिवर्तन, यात्रियों की सुविधा जैसे विषयों पर सदन में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन प्रौद्योगिकी विकास की ओर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मैं सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि इस मुद्दे पर व्यापक बहस हो कि क्या पिछले तीस वर्षों में दुनियाभर में रेल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जितनी प्रगति तेजी से हुई है, हम उसके आगे समकक्ष आए हैं? क्या इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए कि भारतीय रेल की अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास संस्था जिसे हम आरडीएसओ के नाम से जाते हैं, की कार्यकुशलता एवं उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं? जहां तक मुझे जानकारी है, 70 के दशक के बाद रेल प्रौद्योगिकी का विकास जितना होना चाहिए, उतना भारतीय रेल में नहीं हुआ है।

मैं रेल मंत्री जी और माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे देश में राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली गाड़ियों में से हैं। जिस समय राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रैस चलाई गई थी, हम भारतवासी खुशी से झूम उठे थे। लेकिन आज भी हम उसी जगह पर खड़े हैं। यूरोप और जापान में काफी तेजी से दौड़ने वाली गाड़ियां चल रही हैं परन्तु हमारे यहां क्यों नहीं। नए-नए अनुसंधानों के जरिए जापान, यूरोप दो-गुनी, तीन गुनी तेजी से दौड़ने वाली ट्रेनें चला रहे हैं। अब तो वहां मैगनेटिक कुशन पर भी ट्रेनें चलती हैं जिनसे दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम रहती हैं। आखिर क्या हो गया है हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को? क्या हो गया हमारे आरडीएसओ को? क्यों रेल प्रबंधन ने ही प्रौद्योगिकी विकास पर अपेक्षित दिलचस्पी नहीं दिखाई या बजट में ही पिछली सरकारों द्वारा इन मुद्दों पर आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं कराई गई?

मैं चाहती हूं कि एक उच्च स्तरीय समिति बने जिसमें वैज्ञानिकों, तकनीशियनों के अलावा दोनों सदनों के सदस्य भी हों। उस समिति का मुख्य कार्य भारत के रेल प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विकास के समतुल्य बनाने का सुझाव, दिशा-निर्देश सरकार को देना हो। किसी भी क्षेत्र में विकास क्रमिक होता है, रातों-रात हम कोई बड़ी छलांग नहीं लगा सकते।

मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने मात्र डेढ़ महीने में जो बजट पेश किया, इतने कम दिनों में उन्होंने जो सभी भागों को एक समान देखा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। खासकर बेरोजगार युवकों को रेलवे के इंटरव्यू में जाने हेतु फ्री पास की घोषणा करना, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डिस्चार्ज शौचालय बनाना यह बहुत ही उपयुक्त योजना है और निश्चित इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि जहां पर हम लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े नहीं हो सकते थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि लम्बी स्पीच है तो आप ले कर दीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन: सभापति जी, मैं दो मिनट और लूंगी। पोटरों की पत्नी को जो फ्री पास देने की योजना है, यह बहुत ही धन्यवाद के लायक है।

सभापति महोदय: पढ़ने की परम्परा नहीं है।

श्रीमती रंजीत रंजन: मानसी-सहरसा का आमान परिवर्तन वित्तीय वर्ष में पूरा करना, कटिहार-बारसोई-राधिकापुर तक आमान परिवर्तन इसी साल में गरीब लोगों के लिए पूरा करने की जो बात की है, इससे गरीब लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी खासकर मधेपुरा से सिंहेश्वर-करजाइन होते हुए भीमनगर तक नई रेलवे लाइन जो कई वर्षों से लोगों का सपना था, इस तरह जो इतिहास रचा गया है, उसके लिए मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं उसे उन्होंने बिहारीगंज से सिमरी-बख्तियारपुर, बिहारीगंज से रूपौली-धमदाहातक जो की है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगी। मैं माननीय रेल मंत्री जी जो पहले भारतीय रेल मंत्री हैं जिन्होंने महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला टिकट जांच कर्ता का जो निर्णय किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। लेकिन मैं लालू जी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जो महिला टिकट जांच कर्ता होंगी, उनकी सुरक्षा पर भी बल देना होगा क्योंकि वे भी एक महिला हैं, उन पर भी पैसेंजर की तरफ से कोई कटाक्ष हो सकता है। मैं सदन के सामने मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि जो आमान परिवर्तन सहरसा से मधेपुरा होते हुए पूर्णिया तक, सहरसा से फारबिसगंज तक कटिहार से जोगबनी तक के लिए काम शुरू किया गया है, यह काम काफी धीमी गति से हो रहा है, उसमें तेजी लाने के लिए वह ध्यान देंगे, ऐसा मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है। खगड़िया-मुंगेर के बीच गंगा नदी पर बनने वाले पुल की गति में तेजी लाने के लिए भी मंत्री जी ध्यान देंगे और जो इस बजट में नहीं लिया

[श्रीमती रंजीत रंजन]

गया है जिसमें सहरसा में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण तथा मनिहारी-साहबगंज के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण जिसके कारण पूरा उत्तर बिहार झारखंड से मिल सकता है, सीधा सम्पर्क झारखंड से होगा। मैं चाहूंगी कि इन सारी योजनाओं पर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे।

अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि रेलवे बजट पर जो दो दिन पहले बहस हुई है, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने लालू जी के मात्र डेढ़ महीने के कार्यकाल में ही बहुत सारी बातें कहीं हैं कि जब से लालू जी ने रेलवे का भार लिया है, उसके बाद बहुत सारी लूटपाट की घटनाएं हुई हैं। मैं एक ही बात की ओर सम्माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मात्र डेढ़ महीने में हुई कोई भी लूटपाट की घटना उस पार्टी या उस व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं होती है। इस बात को हर पार्टी के व्यक्ति को सोचना होगा। एक बात की ओर मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक ऐसी शर्मसार घटना पिछले कुछ वर्षों में हुई थी जिसके कारण सारे हिन्दुस्तान को शर्मसार होना पड़ा था और मैं दावा करती हूं कि हमारी पार्टी की गठबंधन की सरकार में, कम से कम भारतीय रेल में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिसके कारण हमें शर्मसार होना पड़े या होना होगा।

अंत में एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। माननीय रेल मंत्री जी ने जिस तरह से दूरदर्शिता का परिचय अपने बजट में दिया है, उसको धरातल में उतारने पर भी वह उतनी ही दूरदर्शिता का परिचय देंगे, इतना मुझे विश्वास है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और अपनी बात यही समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं खुश हूं कि माननीय रेल मंत्री महोदय ने लोगों पर अतिरिक्त भाड़े या अधिक भाड़े का भार नहीं डाला है। परन्तु मुझे विश्वास है कि कुछ धनी लोगों पर भार डाला जाना चाहिए था। अगर धनी लोगों पर भार नहीं डाला जाता है तब आप पैसे का बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं? आप धनी लोगों पर भार अवश्य डाले, कुछ धन जमा करें और इसे उन राज्यों को दें जो शिकायतें कर रहे हैं या हल्लागुल्ला मचा रहे हैं कि वहां कोई कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

मैं धरने पर इसलिए नहीं बैठा कि मैं माननीय मंत्री महोदय का विरोध कर रहा हूं, परन्तु इसलिए कि मेरे राज्य की लंबित परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराया गया है। निस्संदेह, हम मंत्री महोदय की परेशानी को समझते हैं। मंत्री महोदय इसे कठिन मानते हैं क्योंकि निधियां उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि कुछ अमीर लोगों पर भार डाला जा सकता है।

महोदय, मुझे बजट के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैंने एक बात पर गौर किया है जो अच्छी बात है। हमने रेलवे कुलियों के बारे में सोचा है। जहां तक कुलियों का संबंध है, एक बहुत ही गंभीर बात है। खासकर, दक्षिण में, कुलियों के पास ज्यादा कार्य नहीं है। वे पर्याप्त भार प्राप्त नहीं कर रहे जिसे वे दे सकें। वहां सामान नहीं है। लोगों के पास भी ज्यादा सामान नहीं है। लोग अपना सामान खुद ढो रहे हैं। इसलिए, कुलियों को पर्याप्त कार्य नहीं मिल पा रहा है। अत:, वे कुछ अतिरिक्त कार्य पाने के लिए हल्ला-गुल्ला मचा रहे हैं। कई स्टेशनों पर, इन कुलियों को पार्सल ले जाने के लिए लंबे समय तक कार्य पर लगाया गया था। अब, यह वापस ले लिया गया है। यह, इन मंत्री महोदय द्वारा नहीं किया गया है। परन्तु बहुत पहले, यह वापस ले लिया गया था। अत:, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में कुछ करने की अपील करता हूं। वह कुलियों के प्रति बहुत विचारवान हैं। वह कुछ अतिरिक्त कार्य देने पर विचार करने की कृपा कर सकते हैं। कुली पार्सल भी ला और ले जा सकते हैं ताकि ये सारे कार्य निजी लोगों को नहीं दे दिए जाएं। निजी लोग अब इसका फायदा उठा रहे हैं।

जहां तक हमारे राज्य का संबंध है, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। समय के अभाव के कारण, मैं अन्य बातों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ उन सुझावों पर बात करूंगा जो मैंने केरल के संबंध में प्राप्त किये हैं। एक सुझाव जो कई माननीय सदस्यों ने दिया है–केरल सरकार ने भी इस मामले को उठाया है–कि केरल के लिए एक जोन गठित किया जाना चाहिए। हमारे साथ अभी एक समस्या है। हम तमिलनाडु या चेन्नई के खिलाफ नहीं हैं। परन्तु चूंकि सभी कार्य चेन्नई द्वारा किया जाता है, हम यह पाते हैं कि इससे काफी देर होती है। कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं की जा सकती हैं। चूंकि केरल के लिए हमारे यहां जोन नहीं है, अत: प्रशासनिक देरियां भी होती हैं *...(व्यवधान)* वहां तकनीकी के साथ-साथ प्रशासनिक देरियां भी हैं। इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय केरल के लिए एक जोन बनाने पर विचार करें।

दूसरा, लाईनों के दोहरीकरण के लिए आवंटित निधि पर्याप्त नहीं है। जहां तक केरल का संबंध है लाइनों के दोहरीकरण का काम अधिकतम प्राथमिकता वाला है। कुछ भागों के दोहरीकरण से जिनका दोहरीकरण नहीं हुआ है, सारे केरल को लाभ होगा। उदाहरण के लिए, कालीकट से मंगलौर में ऐसा ही दोहरीकरण

कार्य चल रहा है। मात्र कुछ निधि की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)* निस्संदेह इसे शामिल किया गया है परन्तु मात्र 15 करोड़ रुपये ही आवंटित किये गये हैं जबकि पिछले अंतरिम बजट में, 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री थामस, आपको अध्यक्ष के आसन को संबोधित करना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी मुख्य बातें कहनी चाहिए।

श्री पी.सी. थामस: मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को ही रखूंगा। यह मेरा तीसरा मुद्दा है। तथ्य यह है कि अंतरिम बजट में 30 करोड़ रु. स्वीकृत किये गये थे। परन्तु अब इसे घटाकर 15 करोड़ रु. कर दिया गया है। जहां तक हमारा संबंध है यह एक बहुत गंभीर बात है। मैं समझता हूं कि इस कार्य के अलावा, किसी भी राज्य में किसी भी कार्य के लिए धनराशि में कटौती नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पहले अंतरिम बजट में स्वीकृत की गई राशि को पुन: बहाल किया जाए। कालीकट-मंगलौर लाईन के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किये जाएं।

अन्य दोहरीकरण कार्यों के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि एल्लैपी और कोट्टायम रेल लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है लेकिन इनके लिए मात्र 2 करोड़ रुपये प्रति लाइन दिए गए हैं। अत: मैं अनुररोध करता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

एक लाइन सबरीमाला लाइन है जिस पर कार्य आरम्भ किया गया है। श्री लालू प्रसाद जी को मालूम है कि सबरीमाला अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल केरल के लिए महत्वपूर्ण स्थान है बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यह एक तीर्थस्थल है। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर से भी लोग सबरीमाला आते हैं। एक रेल लाइन है जिस पर कार्य शुरू किया गया है और इसके लिए धनराशि भी दी गई है पर अंगामली-सबरीमाला लाइन है। लेकिन एक बार धनराशि में कटौती की गई है। मात्र 2 करोड़ रुपये दिये गये हैं जबकि इसके लिए 550 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। ...*(व्यवधान)*

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर तिरुअनन्तपुरम और नई दिल्ली से कुछ रेलगाड़ियां हैं निस्सन्देह राजधानी एक्सप्रेस है। हमारे यहां से भी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलती है। यह सप्ताह में दो बार चलती है। मैं माननीय मंत्रीजी को आग्रह करूंगा कि इसे प्रतिदिन चलाया जाए अथवा सप्ताह में तीन बार चलाया जाए।

इसके पश्चात् जहां तक कन्नानौर तक रेल सेवा का संबंध है तो एक गाड़ी है ...*(व्यवधान)* मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। यह मेरा अंतिम मुद्दा है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, केरल में कोई भी नई गाड़ी नहीं चलाई गई है। अत: इस गाड़ी को कन्नानौर से मंगलौर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें केवल 2-3 घंटे ही अधिक लगेंगे। अत: इसको बढ़ाया जाए।

तत्पश्चात् एक मावेली एक्सप्रेस गाड़ी है यह गाड़ी केवल ओनम उत्सव के दौरान ही हमारे केरल जाती है।

सभापति महोदय: श्री थामस, कृपया आप एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

[हिन्दी]

कई माननीय सदस्यों के नाम यहां हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सभी पार्टियों का समय लगभग समाप्त हो रहा है और कुछ माननीय सदस्य जो रेलवे बजट में भाग नहीं ले पाए हैं उनको अवसर दिया जाएगा। माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी को आज ही जवाब भी देना है इसलिए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जब तक कि माननीय मंत्री जी का जवाब और आपकी रेल बजट पर चर्चा हो, तब तक के लिए हम सदन के समय को आप सबकी सहमति से एक्सटेंड करते हैं।

अब थामस जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मेरी गाड़ी बहुत तेज चल रही है इसलिए मैं सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पा रहा हूं। ...*(व्यवधान)* गाड़ियां अभी बड़ी तेज से चल रही हैं। मुझे विश्वास है कि लालूजी देखेंगे कि सभी गाड़ियां समय से अपने गन्तव्य तक पहुंच जाए। वह बहुत इच्छुक है कि सभी रेलवे स्टेशनों पर सफाई रखी जाए और गाड़ियां भी साफ सुथरी होनी चाहिए। यह तो बहुत अच्छी बात है।

महोदय, मैं मावेली के बारे में बात कर रहा था। हमारा एक पर्व ओणम है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है और मावेली भी साल में एक बार ही आती है। दुर्भाग्यवश गाड़ियां वैसी नहीं होनी चाहिए। मावेली एक्सप्रेस अब सप्ताह में एक बार चलती है इसे तिरुअनंतपुरम से मंगलौर के बीच रोज चलाया जाना चाहिए। यदि रेल मंत्री इसे रोज चलवाते हैं तो इससे केरल के लोगों को बहुत सहायता मिलेगी।

सभापति महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए मैं अगले वक्ता का नाम लेने जा रहा हूं।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

मेरी अंतिम बात है कि अन्तरिम बजट में एक नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की गई थी और इस बजट में भी उसे दोहराया गया है। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उस गाड़ी के अतिरिक्त एक अन्य नई गाड़ी हमारे राज्य में भी चलाई जानी चाहिए।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): सभापति महोदय, आरम्भ में मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे संसद सदस्य बनने और पहली बार इस माननीय सभा में बोलने का मौका दिया है।

महोदय, मैं अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय रेल मंत्री की सराहना करता हूं जिसमें आम आदमी और दलितों का ध्यान रखा गया है और यात्री किरायों और माल भाड़े में भी वृद्धि नहीं की गई है। कांग्रेस दल की ओर से मैं इसके लिए माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं। वह रेलगाड़ियों में प्लास्टिक कपों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर परिस्थितिकी सन्तुलन को बनाए रखने को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इस प्रयास के लिए भी उनकी सराहना करता हूं। इस बजट में कुलियों का भी ख्याल रखा गया है।

अब मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जोकि चारों ओर से पर्वतों से पूरी तरह घिरा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अय्यप्पा टेंपल रेलगाड़ी को डिंडीगुल वट्टालागुन्डु, पेरियाकुलम थेनी, बोडी, कम्बम और गुडालुर के रास्ते चलाया जाए ताकि यह पश्चिमी घाटों की तलहटी में बसे सभी स्थानों से होकर अन्त में सबरीमाल पहुंचे। यदि ऐसा किया जाता है तो इसमें न केवल तीर्थयात्रियों को 150 कि.मी. कम यात्रा करनी पड़ेगी बल्कि उनका काफी समय भी बचेगा। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए रेल अधिकारियों का सक्षम दल भेजे और इस प्रयोजनार्थ धनराशि भी आवंटित करे।

महोदय मेरा निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम पहाड़ी क्षेत्र है।

[हिन्दी]

लालूजी वहां आलू और टमाटर ग्रो होता है।

[अनुवाद]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के वोडी, कम्बम और कोडाईकनाल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में टमाटर आलू और अन्य जल्दी खराब होने वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। इसलिए, मैं लालूजी से अनुरोध करता हूं कि वह थेनी में प्रशीतन सुविधायुक्त मालगोदाम का निर्माण करवाए।

महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री सेलवी जयललिता का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आता है। मुझे माननीय रेल मंत्री की सहायता से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ काम करवाने हैं अन्यथा मुझे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसे मैं अपने चुनाव अभियान के दौरान पहले ही भुगत चुका हूं।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस निर्वाचन क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध भी करता हूं कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से आए और उन स्थानों का दौरा करे ताकि उन स्थानों को कुछ महत्व प्राप्त हो सके।

महोदय, वैगई बांध, सुरुलि वाटर फॉल और कोडाइकनाल में बहुत से पर्यटक आते हैं। ये स्थान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं कोडा इकनाल और बोडी-मेटुर पर्वतीय पर्यटन स्थल है। वहां बोडी मेटुर मार्ग पर पहले से ही मीटर लाइन है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए। काफी लोग थीनी वोडी से चैन्नई की यात्रा करते हैं। यह 700 कि.मी. लम्बा मार्ग है। ये कोयमवेडु बस अड्डा से आते हैं और वहां पर हमें रेलवे काउन्टर की आवश्यकता है ताकि यहां से यात्री अपनी अग्रिम यात्रा के लिए टिकट आरक्षित करा सके। चैन्नई मुख्य रेलवे लाइन है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री एम. करुणानिधि ने इस मुख्य बस अड्डा को मंजूरी दी थी। यह लगभग 30 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कोटमबेडु बस स्टैण्ड पर रेलवे काउन्टर खुलवाए ताकि लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

मैं एक बार हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गनिर्देशन में दलितों का ध्यान रखने के लिए माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं।

***श्री अजय एस. कुमार** (ओट्टापलम): सर्वप्रथम, मैं माननीय रेलमंत्री, श्री लालू प्रसाद को आम आदमी के हितों वाला बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। यात्री किराये एवं माल भाड़े में बढ़ोत्तरी नहीं करने से आम लोगों को अत्यधिक लाभ होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कुलियों के कल्याण तथा स्थानीय रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने संबंधी बजट घोषणा से स्पष्टत: गरीब लोगों एवं आम लोगों के प्रति आपकी चिंता की झलक मिलती है।

इन पहलुओं की प्रशंसा करते हुए, मैं आपका ध्यान एक उपेक्षित क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। रेलवे में खानपान सेवा में कार्यरत हजारों कर्मचारियों की समस्याओं पर गम्भीर रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। खानपान विभाग के निजीकरण के प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। कई प्रभागों में तो खान-पान कार्य का पहले से ही निजीकरण हो गया है। इससे हजारों कामगारों के लिए गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जिनकी सेवा सुरक्षा खतरे में है। मै आपसे अनुरोध करता हूं कि कामगारों के व्यापक हित में इस निर्णय में सुधार किया जाए।

केरल राज्य से रेलवे को काफी राजस्व प्राप्त होता है। यह भी सच है कि रेलवे विकास की दृष्टि से केरल काफी पिछड़ा हुआ है जो कि राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के समग्र विकास में प्रमुख बाधा है। इस संबंध में, केरल के साथ हमेशा ही भेदभाव किया गया है। यद्यपि इस बजट से केरल के लोग बेहतर व्यवहार की आशा कर रहे थे लेकिन बजट में की गई घोषणाएं सन्तोषजननक नहीं हैं। इसलिए, मैं आपसे पुनरीक्षण करने तथा राज्य में रेलवे के विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

सोरनूर, कुट्टीपुरम रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य वर्ष 2005 तक पूरा हो जाने की आशा थी, जिसके लिए इस बजट में पर्याप्त धन आबंटित नहीं किया गया है। सोरनूर त्रिकोण रेलवे स्टेशन राज्य की अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध है। वर्तमान बल्ब लाइन त्रिकोण स्टेशन का स्थान नहीं ले सकती है। इसलिए परियोजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए।

महोदय, मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि रेलवे से संबंधित निर्णय लेने में आपके मंत्रालय के अधिकारी गैर जिम्मेदारना तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण पेश करता हूं:

1. अधिकारियों ने दक्षिण रेलवे में तालुका मुख्यालय, ओट्टापालम तथा वडकांचेरी में फार्सल बुकिंग सुविधा बन्द करने का निर्णय लिया है जिससे कई कामगारों को नौकरी एवं जीविका से हाथ धोना पड़ा है।

2. मैंगलोर-चेन्नई वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस (6627/6628) के ओट्टापालम में विद्यमान ठहराव को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

3. गाड़ी सं. 6525/6526 आइलैंड एक्सप्रेस, कन्याकुमारी बंगलौर के समय परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। इससे मासिक टिकट वाले दैनिक यात्रियों को अत्यधिक असुविधा होगी तथा इसलिए मैं आपसे इस प्रस्ताव को रोकने का अनुरोध करता हूं।

4. सोरनूर से डिब्बा मरम्मत शेड हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। पहले सोरनूर स्थित लोको शेड को तमिलनाडु में स्थानान्तरित किया गया था। मैं आपसे कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि इस मामले की पुनरावृत्ति न हो।

मैं एक बार पुन: आपसे उपयुक्त विसंगतियों को सुधारने का अनुरोध करता हूं।

***श्री भर्तृहरि महताब** (कटक): महोदय, इस वर्ष 2004 के लिए रेल बजट पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम, मेरा यह कहना है कि श्री लालू प्रसाद जी ने 2004-05 में अपने पहले बजट में वस्तुत: अपने पूर्ववर्ती, श्री नीतीश कुमार का ही अनुसरण किया है। उन्होंने भी अपने 2003-04 के बजट में यात्री किराया या मालभाड़ा नहीं बढ़ाया था। यद्यपि दरों के साथ छेड़छाड़ न कर, साथ ही साथ श्री यादव अधिक लागत वाली नई स्कीमों की घोषणा के प्रलोभन से भी बचे हैं जिनसे रेलवे वित्त पर भारी बोझ पड़ता। यद्यपि अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छपरा में एक पहिया कारखाना करने के लिए व्यावहारिक अध्ययन की घोषणा एक मात्र अपवाद है।

यात्रियों एवं मालभाड़ा उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए रेल सेवाओं के उन्नयन तथा कल्याणकारी उपायों जैसे कि विकलांग अनुकूल स्टेशन, महिला यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए रियायतों संबंधी कई घोषणाएं की गई हैं। यात्री भाड़ा या मालभाड़ा नहीं बढ़ाकर रेलवे व्यवसाय में वृद्धि की आशा कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

हम समझ सकते हैं कि यात्री संख्या में तीन प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, मालभाड़ा पिछले वर्ष के 557 मिलियन टन से वर्तमान वर्ष में 580 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। कमाई के अर्थ से यात्री सेवाओं से 2003-04 में 13,460 करोड़ रु. के बढ़ाकर 13,940 करोड़ रुपये होने से व्यवसाय में 3.56 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है मालभाड़ा कमाई के 27,115 करोड़ रुपये से बढ़कर 28,745 करोड़ रुपये होने से इसमें छह प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। रेलवे की कुल ट्रैफिक प्राप्तियां रु. 42,605 करोड़ से रु. 44,902 करोड़ ले जाने का अनुमान है।

बढे हुए वित्त से प्रचालन अनुपात बेहतर होने की आशा है अर्थात् रेलवे द्वारा प्रत्येक रु. 100 कमाने के लिए किया जाने वाला खर्च 92.6 प्रतिशत है, जो कि पिछले वर्ष के संशोधित आंकड़ों के बराबर ही है। अंतरिम बजट में 2004-05 के लिए प्रचालन अनुपात के बदतर होकर 93 प्रतिशत होने का पूर्वानुमान लगाया गया था।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

जब हम रेलवे की वित्तीय स्थिति पर बहस कर रहे हैं, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि रेलवे योजनाओं के लिए राजकोष पर निर्भरता बढ़ रही है। यह रेलवे के बारे में स्व-वित्तपोषित, व्यापारिक उपक्रम बनाए जाने के अभिकथित उद्देश्य के विपरीत है। चालू वित्त वर्ष में रेलवे की कुल योजना आकार के रु. 13,918 करोड़ रु. के 48.4 प्रतिशत अर्थात रु. 7020 करोड़ का प्रावधान केन्द्रीय बजट से किये जाने का अनुमान है। यह 1997-98 में रु. 1922 करोड़ के राजकोषीय अंशदान का 3.5 गुना है, यद्यपि इस दौरान संसाधन संग्रह केवल 576 ही बढ़ा है।

दुर्भाग्यवश, रेल मंत्री ने वित्तीय मामलों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। वाणिज्य नियमों एवं प्रक्रियाओं जो पेचीदा एवं पुरानी हैं तथा मुकदमों में बहुत बड़ी राशि वर्षों तक उलझी रहती है, को सरल बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। न ही दरों में लचीलापन या यात्रियों का प्रणाली पृथक्करण तथा भारी मालवाहक रेलगाड़ियों के लिए संक्रियात्मक एवं तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में क्रांतिकारी उपाय करने का कोई प्रयास किया गया है।

सुरक्षा संबंधी मामललों में बिना किसी दिशा के पुराने अंदाज में निपटने की बात कही गई है। 153 वर्ष पुराने 1,00,000 किलोमीटर लम्बे नेटवर्क को आगामी कुछ वर्षों में मालडिब्बों, इंजनों, सवारी-डिब्बों, पुलों अधिक लाइनों तथा क्षमता और सुरक्षा में बढ़ोत्तरी के लिए अत्यधिक धनराशि भी आवश्यकता है। कम से कम एक तिहाई रेलपथ जो असंख्य दुर्घटनाओं, जिनमें हजारों जानें गईं, की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है।

मैं मंत्री जी का ध्यान रेल यात्रियों की सुरक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या रेल मंत्री यह महसूस करते हैं कि माल भाड़े से यात्री सेवाओं पर प्रति राजसहायता अवांछनीय स्तर पर पहुंच चुका है तथा भारतीय रेलवे की चलने वाली गाड़ियों का 60 प्रतिशत गाड़ियां यात्री ढोती है जबकि इनसे केवल 28 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है। आगे यह कि ज्यादा यात्री रेलगाड़ियों का मतलब रेल सेवा के लिए अधिक डिब्बों की सेवा, जिससे उनकी मरम्मत कम होगी, इसलिए सुरक्षा स्तर में कमी तथा दुर्घटना के जोखिम को टाला नहीं जा सकेगा।

सवारी यातायात पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना इन तथ्यों की अनदेखी करना है कि रेलवे का अस्तित्व हमेशा मालभाड़े पर ही टिका रहा है जोकि यद्यपि समस्त यातायात का केवल 40 प्रतिशत हिस्सा है पर इससे 72 प्रतिशत राजस्व अर्जित होता है तथा मैं यह बताना चाहता हूं कि रेलवे की कमाई में तटीय रेलवे अत्यधिक अंशदान करता है।

मैं सभा का ध्यान दूसरे महत्पूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह रेल बजट की प्रासंगिकता के संबंध में है। बेशक प्रति वर्ष रेल बजट प्रस्तुत करना एक परम्परा बन गई है लेकिन क्या इसकी आवश्यकता है? मैं समझता हूं किसी दिन इस प्रश्न पर सभा में बहस होगी। रेल बजट भाषण के दिन रेल मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं वे या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्ष के दौरान किसी भी समय कर सकते थे क्योंकि ये रेल सेवाओं में सुधार एवं रेलवे सेवा उपयोगकर्त्ताओं को दी जा रही सेवाओं से संबंधित है। बजट भाषण में इनकी घोषणा क्यों की जानी चाहिए? मंत्री जी के रेल बजट भाषण के 44 पृष्ठों में से केवल सात पृष्ठों में ही रेल बजट 2004-05 के महत्वपूर्ण पहलू अन्तर्विष्ट है अर्थात् राजस्व तथा व्यय अनुमान, अतिरिक्त संसाधन संग्रहण के प्रयास, तथा चालू वर्ष के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के बारे में बात की गई। शेष 37 पृष्ठों में नए कस्बों एवं गांवों का विस्तृत सूचीकरण विवरण है जिनका नई रेल लाइनों, नई रेलगाड़ी सेवाएं तथा पहले बतायी गयी नयी यात्री सुविधाओं) के संदर्भ में सर्वेक्षण किया जाना है। इससे मंत्री एवं मंत्रालय के पूर्णतया गलत अग्रता का आंकलन होता है। इस अर्थहीन औपचारिकता को समाप्त करने का एक और भी कारण है। यदि आप रेल प्राप्तियों, जोकि पिछले वर्ष में अनुमानित रु. 42,605 करोड़ थी, की कुछ सर्वोच्च भारतीय कंपनियों की सकल बिक्री से तुलना करें। यह महसूस किया जा सकता है कि किस प्रकार लघु भारतीय रेलवे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है। ऐसी कम से कम पांच कम्पनियां हैं जिनका कारोबार भारतीय रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियों से अधिक है। इनमें से चार सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। यदि यह कम्पनियां वार्षिक बजट की प्रक्रिया के आडम्बर के बगैर ऐसा कर सकती है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि भारतीय रेलवे भी बिना आडम्बर के ऐसा कर सकती है। यह सही है कि भारतीय रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है परन्तु यह भी उसी प्रकार कार्य कर सकती है।

यह स्मरणीय है कि एक समय दूरसंचार विभाग भी संसद में सभा पटल पर केन्द्रीय बजट के साथ राजस्व व्यय और नये शुल्क भार के प्रस्ताव का अलग बजट विवरण प्रस्तुत किया करता था। यह प्रक्रिया 1980 में समाप्त कर दी गयी थी।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदय, रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी ने 6 जुलाई, 2004 को सन् 2004-05 का बजट सदन में पेश किया था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछला बजट जो पूर्व रेल मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी ने पेश किया था, थोड़े बदलाव के साथ यह बजट लगभग उसी बजट की पुनरावृत्ति है। हरियाणा की दृष्टि से देखें, तो यह बजट बिल्कुल रूखा है, सूखा है और लुखा है। इस बजट में हरियाणा के लिए कोई नई रेल लाइन नहीं दी गई है।

सभापति महोदय: बजट किसी व्यक्ति का नहीं होता है, सरकार का होता है।

श्री किशन सिंह सांगवान: रेल मंत्रीजी द्वारा हरियाणा को कोई डबल रेल लाइन नहीं दी गई है, गेज कन्वर्जन नहीं है, न इलेक्ट्रिफिकेशन ही है, किसी स्टेशन का जिक्र नहीं है, कोई सैकेंड एन्ट्री नहीं है–इस बजट में कोई नई चीज हरियाणा के लिए नहीं दी गई है। हरियाणा राज्य दिल्ली के तीन तरफ लगता है और दिल्ली देश की राजधानी है और लगभग पांच लाख यात्री दिल्ली आते-जाते हैं। इनमें चाहे कर्मचारी हो, व्यापारी हों या विद्यार्थी हों, दूध बेचने वाले हों या फल व सब्जी बेचने वाले हों। गाड़ियों में लोग पशुओं की तरह भरकर सफर करते हैं। वास्तविकता यह है कि सारी गाड़ियां हरियाणा की धरती से होकर गुजरती हैं और हरियाणा के लोग दुखी हैं। लगभग सभी गाड़ियां चाहे एक्सप्रैस गाड़ी हों या कोई अन्य, उन गाड़ियों का हरियाणा में स्टापेज नहीं है। गाड़ियां ओवर-लोडेड होती हैं। देखा जाए, तो इलैक्ट्रिकल ट्रेन में भी यात्री गाड़ी की छत पर चढ़कर आते हैं।

हरियाणा में रेलों का बहुत बुरा हाल है। हम पिछले बीस सालों से इसके लिए रो रहे हैं। पिछले साल नीतीश कुमार जी ने हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया था और उन्हें इम्पलीमैंट किया था लेकिन इस बार हरियाणा को पूरी तरह इग्नोर किया गया है। दो रेल लाइनें पिछली बार नीतीश कुमार जी ने मंजूर की थी–जीन्द से सोनीपत की लाइन और रोहतक, रिवाड़ी, झज्जर की रेल लाइन। जीन्द-सोनीपत का 190.81 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट था। केवल 3.89 करोड़ रुपए दिए हैं। ऐसा करके हमारे साथ मजाक किया गया है। रिवाड़ी के लिए 149.38 करोड़ रुपए में से केवल तीन करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह हरियाणा के साथ मजाक किया गया है। रेल की सवारी आम आदमी और गरीब लोगों की सवारी है। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है रेल की मांग बढ़ती जा रही है। रेल के बारे में एक कहावत थी और उसके बारे में गांव में चर्चा भी चलती थी। कहा जाता था कि आलू की तरकारी, हैजे की बीमारी और रेल की सवारी, यह किस्मत वालों की मिलती थी। रेल का सफर अच्छा और सुरक्षित माना जाता था। हैजे की बीमारी से एकदम डैथ हो जाती है, उसमें तकलीफ नहीं होती है इसलिए रेलवे को सस्ती और सुरक्षित गाड़ी माना जाता था।

श्री मोहन सिंह (देवरिया): इसके साथ लालू जी की गाड़ी जोड़ दें।

श्री किशन सिंह सांगवान: अब सब उलट हो रहा है। हरियाणा का 5 परसैंट हिस्सा एनसीआर में आता है। दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह आवश्यक है कि हरियाणा में रेलवे की सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा दी जाएं। पिछले बजट में नीतीश कुमार जी ने एक फार्मूला पारदर्शिता रखने के लिए बनाया था। उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों को बराबर का हक मिले। उसमें कहा था कि जिस के अनुसार स्टेट का 15 परसैंट एरिया 15% आबादी है और 70 परसैंट प्रोजैक्ट बैलेंस है, वह पैसा उनके लिए उसी फार्मूले के अनुसार खर्च होगा लेकिन इस बार हरियाणा को बिल्कुल इग्नोर किया गया है।

मैं हरियाणा की समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। लालू जी ने सभी सांसदों को पत्र लिखे थे। सभी सांसदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ उनका ध्यान दिलाया था। मैंने भी उन्हें पत्र लिखा और पर्सनली भी मिला। मैंने उन्हें अपने क्षेत्र की मुख्य समस्याएं बतलायीं। मैंने कहा कि जींद-सोनीपत लाइन और रिवाड़ी रोहतक की लाइन का बजट बढ़ाया जाए। बहादुरगढ़, सोनीपत, मन्नौर ऐसे शहर हैं, जहां स्टेशन बीच में हैं। वहां आबादी दोनों तरफ से बढ़ गई हैं। हमने वहां फुट ओवरब्रिज और ऐसे बुकिंग ऑफिस की मांग की थी जहां आरक्षण हो सकें लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहादुरगढ़, जुलाना, गोहाना, रोहतक आदि रेलवे स्टेशनों को मॉडर्नाइज किया जाए। गोहाना होते हुए भिवानी से जम्मू के बीच नई ट्रेन की शुरुआत की जाए। कुछ ऐसी मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जो हरियाणा में नहीं रुकती हैं। उनके स्टॉपिज की व्यवस्था की जाए। हिमालय क्वीन, भटिंडा एक्सप्रेस, नई दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस, उचाहार, बरौनी, शाने पंजाब, फ्लाईंग मेल का स्टापेज सोनीपत, नरेला, गन्नौर में किया जाए। हमने गोहाना, दिल्ली के बीच रोहतक होते हुए नई इंटर सिटी एक्सप्रेस की मांग की थी गाड़ी संख्या 4521 अप और डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस का सोनीपत स्टेशन पर ठहराव करवाया जाए। जीन्द-सफीदो व पानीपत के बीच नई पैसेंजर गाड़ी की शुरुआत करवायी जाए। जब से देश आजाद हुआ है, एक ही गाड़ी चल रही है। वहां के लिए दूसरी गाड़ी दी जाए। सोनीपत के मध्य 8 ए.एम. से 2 पी.एम. के बीच कोई गाड़ी नहीं चलती इसलिए दिल्ली से गन्नौर तक नई गाड़ी चलायी जाए। लालूजी, इस तरफ ध्यान देंगे॥ रेल मंत्री जी ने कुल्हड़ का इस्तेमाल करने की जो बात कही है, वह एक सराहनीय कदम है।

हरियाणा से सैकड़ों दूध बेचने वाले दिल्ली आते हैं लेकिन उनको 40 किलो दूध लाना एलाउड है। इनके लिए उनसे पूरा टिकट लिया जाता है। मेरा आग्रह है कि उन्हें 100 किलोग्राम ले जाने की इजाजत दी जाए। इससे वैंडर्स को फायदा होगा।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

***श्री मंजुनाथ कुन्नुर** (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, हाल ही में प्रस्तुत वर्ष 2004 का रेलवे बजट जनप्रिय, दिखावटी और लोकलुभावन है। इसमें धनराशि जुटाने के लिए कोई व्यापक प्रस्ताव, संकल्पना या संकल्प का भाव नहीं है। नयी परियोजनाओं के लिए ही नहीं वरन् चालू परियोजनाओं के लिए भी धनराशि नहीं जुटायी गयी है। रेलवे की प्रमुख समस्याओं पटरी बदलने, सुरक्षा, सिंगनलिंग और संचार के उन्नयन के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। सत्ताधारी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने महाराष्ट्र और बिहार विधान सभाओं के होने वाले चुनावों तक स्थिति को यथावत बनाये रखने को विवेकपूर्ण समझा है। इसके अलावा, यात्री भाड़ों में थोड़ी सी वृद्धि से रेलवे अतिरिक्त सुविधाएं और सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हो सकता था।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

राकेश मोहन समिति ने रेलवे की समस्याओं का गहन अध्ययन किया था और उसने कुछ सिफारिशें की थी। संक्षेप में राकेश मोहन समिति चाहती थी कि रेलवे व्यावसायिक आधार पर चले और विस्तार के लिए आंतरिक संसाधन जुटाये। रेलवे के कार्यकरण को धर्मार्थ या सामाजिक (धर्म दान) सेवा को निम्नतम स्तर पर लायी जानी थी। अभी भी इन दोनों कार्यों को अलग-अलग निर्धारित करने का प्रयास नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक प्रयासों की प्राप्तियां सामाजिक दायित्वों का अतिक्रमण कर गयी है।

रेल मंत्री ने अपने लम्बे भाषण में, जो कि नयी रेलगाड़ियां प्रारम्भ करने जैसे दुनियादारी के मामलों से भरपूर है, चतुरता से रेलों और स्टेशनों पर कुल्हड़ (मिट्टी के रूप) और रेलवे में प्रयोग की जा रही लिनेन के स्थान पर खादी का प्रयोग प्रारम्भ करने की उपहासपूर्ण घोषणा की है। वे जैव-अनुकूल वस्तु (कुल्हड़) लाना चाहते थे जिसेकि टुकड़ों में विभाजित होने और पूर्णतया मिट्टी में मिलने में लगभग दस वर्ष लगेंगे। वर्तमान 'पेट' बोतलों को बदलकर वातावरण अनुकूल पात्रों में पेय जल के भरण का क्या होगा? इस कुल्हड़ के विकल्प को पत्ते के कपों और रेलों में खाना परोसने के लिए पत्ते की प्लेटों में क्यों न बदला जाए।

रेल के डिब्बों और स्टेशन प्रांगण में स्वच्छता और सफाई में सुधार का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। रेलों का अनुरक्षण, नियमित सफाई और खिड़कियों को टूटे हुए शीशों को बदलने का काम गंभीरतापूर्वक शुरू करने की आवश्यकता है।

माननीय रेल मंत्री ने चलती रेलों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के प्रयास को रेलवे सुरक्षा बल। सुरक्षा कार्मिक की सुरक्षा तक ही सीमित कर लिया है। इस उपाय द्वारा अधिक से अधिक चलती ट्रेनों में चोरी और डकैती की घटनाओं से यात्रियों को बचाया जा सकता है जो बिहार और प. बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा हो रही है। यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला एक कारण डिब्बों में भीड़ और अप्राधिकृत फेरी वालों विक्रेताओं और भिखारियों की बेरोकटोक आवाजाही है। चलती ट्रेनों में रेलवे सुरक्षा बल/सुरक्षा कार्मिक की तैनाती, चलती ट्रेनों में होने वाली भीड़ और फेरीवालों, विक्रेताओं/भिखारियों इत्यादि को नियंत्रित कर पायेगी यह अत्यंत संदिग्ध है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने की जिम्मेदारियों का ध्यान रखने के लिए रेलवे पेंशन निधि या इसके संचयन की स्थिति का भी कोई जिक्र नहीं है। समय पर पेंशन के संवितरण हेतु रेलवे को समर्पित पेंशन निधि के सृजन हेतु प्रबंधक परामर्शदाताओं की सलाह पर पहले भी कुछ प्रयास किये गये हैं। बजट भाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यह चिंताजनक तथ्य है कि रेलवे की प्रचालन आय का एक बड़ा भाग लापरवाहीपूर्ण तरीके से पेंशन भुगतान में चला जाता है। यह आशंका है कि 2020 तक रेलवे की प्रचालन आय का 60% से अधिक भाग अकेले पेंशन भुगतान में चला जायेगा।

कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण इंजीनियरिंग कौशल का कार्य माना गया था। कोंकण रेलवे निगम को लाभ की स्थिति में आने में लम्बा समय लगा है और इसमें नये सुरक्षा उपायों का प्रयोग किया गया है। कोंकण रेलवे निगम के इंजिनियरों ने पहले टक्करोधी प्रणाली (एन्टी कोल्यूशन डिवाइज) विकसित किया था जिसका अब सर्वत्र प्रयोग हो रहा है। भूस्खलन और पटरियों पर चट्टानों के आ जाने से मत्स्य गंधा एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के कारण कोंकण रेलवे निगम ने सुरक्षा तन्त्र (रक्षा दाग) नामक नयी प्रणाली का प्रयोग किया है जो कि ढीली चट्टानों को पटरियों पर आने से रोकती है। परन्तु इस दुर्घटना से सुरक्षा मानकों का कड़ाई से प्रयोग किये जाने की आवश्यकता उजागर हो गयी है। वर्षा के मौसम में गैंगमेनों द्वारा पटरियों का नवीकरण और निगरानी रखे जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए और आने वाली रेलगाड़ियों को सूचित करने के लिए गैंग कर्मचारियों को वाकी टाकी सैट दिये जाने चाहिए।

स्वतंत्रतापूर्व के समय में निर्मित अधिकांश रेलवे पुलों को 'खतरनाक' श्रेणी में रखा गया है। इन पुलों से होने वाली दुर्घटनाएं काफी थी और इनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता समझी गयी थी। वर्तमान बजट में इस कार्य हेतु पर्याप्त निधि के विनियोजन की भी व्यवस्था नहीं की गयी है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण पश्चिम जोन के नये मुख्यालय हुबली में आता है जोकि कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक और औद्योगिक केन्द्र है। कई वर्षों से हुबली रेलवे कार्यशाला के आधुनिकीकरण की धीमी प्रक्रिया जारी है। फिर भी परियोजना के कार्य की गति बढ़ाने और इसे पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। तब से इन चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने हेतु इस रेलवे बजट में कोई नया प्रस्ताव नहीं किया गया है। सरकार द्वारा इस विषय पर किसी नकारात्मक उत्तर को उजागर करने की बजाय मैं इस विषय पर चुप रहना चाहता हूं।

केन्द्रीय सड़क निधि का एक भाग भीड़भाड़ वाले यातायात चौराहों पर रेलवे/सड़क उपरि/अधोगामी पुलों के निर्माण हेतु व्यय किया जाना था। शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति चालित समपार वाले सड़क चौराहों से यातायात बाधित होता है और इससे दुर्घटनाओं के अतिरिक्त ईंधन का व्यय (व्यर्थ खड़े वाहन और ट्रक) होता है। उपरिपुल बनाने हेतु इस प्रकार के स्थानों की पहचान की गई थी।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र का हावेरी नगर जिला मुख्यालय है और व्यापारिक केन्द्र है जहां से रेल लाइन के समानांतर वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के साथ हुबली बंगलौर खण्ड पर कपास और मिर्च जैसे कृषि उत्पादों का व्यापार होता है। हावेरी रेलवे स्टेशन के पास निर्मित अद्योगामी पुल जल-जमाव और वर्षा के पानी के साथ बहने वाली गाद और कचरे के संचयन की वजह से इसका उपयोग अवरुद्ध हो गया है। यह अद्योगामी पुल मार्ग प्रयोग में नहीं है और प्रयोगकर्त्ताओं और वाहनों के लिए अक्सर खतरनाक हो सकता है। उदयननगर/विजयनगर के पास गुजरता हुआ राज्य राजमार्ग दक्षिण दिशा में लाइन पार करके राष्ट्रीय राजमार्ग-4 में मिलता है और इस चौराहे पर भी बार-बार गुजरने वाली मालगाड़ियों और रेलगाड़ियों की वजह से यातायात अवरुद्ध रहता है।

मुझे आशंका है कि बिहार में रेल सेवाओं का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयित करने के बजाय मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर को बिहार स्तर पर लाने के लिए आतुर हैं। यही हाल रहा तो भारतीय रेलवे जल्दी ही बिहार सरकार का उपक्रम बन जायेगा।

निम्नलिखित बातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैसूर मंडल और हुबली मंडल के कार्य क्षेत्र का परिवर्तन किया जाए। वर्तमान व्यवस्था में काम अच्छा नहीं चल रहा है। मैसूर दक्षिण कर्नाटक में स्थित है। हुबली उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। हुबली एवं मैसूर के बीच 400 कि.मी. की दूरी है। इसलिए इनके कार्यक्षेत्र में पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।

हावेरी जिला मुख्यालय में 395.60 किलोमीटर पर प्राकृतिक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना।

बैदाजी पर ठहराव : बैदाजी तालुक मुख्यालय है जहां अंतर्राष्ट्रीय मिर्च बाजार है। बैदाजी की जनता एवं व्यापारियों को बहुत असुविधा होती है। इसलिए बैदाजी पर जनशताब्दी और इंटरसिटी गाड़ियां रोकी जाएं।

(द.प.रे.) दक्षिण-पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय करीब एक वर्ष पूर्व हुबली में बना था। हुबली में (1) यातायात लेखे, (2) निर्माण, और (3) भंडार के परिपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयों को काम करना चाहिए।

चूंकि दक्षिण पश्चिम रेलवे का क्षेत्रीय कार्यालय हुबली में है इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड भी बंगलौर से हटाकर तुरन्त हुबली कर देना चाहिए।

हुबली-अकोला के बीच नई ब्राड गेज लाइन बिछाई जाए। गडग-बीजापुर अनुभाग पर गेज परिवर्तन कार्य पूरा किया जाए। इसे 2005 तक पूरा करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाये।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास में योगदान करने के लिए निम्नलिखित रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव किया जाए।

गडग राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के रास्ते बांकापुर क्रॉस (राष्ट्रीय राजमार्ग-4) से महाराष्ट्र में जठ तक।

बांकापुर-क्रॉस से कुमता (कोंकण रेलवे तक)।

हंगल तथा सिरसी में रास्ते हावेरी से कुमता तक।

हिरेकरपुर, शिकारीपुर में रास्ते बैदाजी से शिमोगा तक।

युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करके निम्नलिखित आमान परिवर्तन कार्य शीघ्र पूरे किये जाने चाहिए।

बीजापुर-गडग,

मैसूर-चामराजनगर,

हासन-मैंगलोर,

शिमगा टाउन से तालागुप्पा।

हावेरी एक जिला मुख्यालय है। हावेरी कस्बे के निवासी विद्यमान अद्योगामी पुल के पुनर्निर्माण के लिए दबाव डाल रहे हैं तथा हावेरी में 395.60 कि.मी. पर प्राकृतिक फ्लाई-ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग कर रहे हैं। जनता एवं व्यापारी विधायकों एवं सांसदों तथा स्थानीय सरकार को कोस रहे हैं। मैं मेरी सांसद निधि से इस फ्लाई-ओवर के निर्माण के लिए 20 लाख रुपये देने को तैयार हूं। इसलिए इसे परम प्राथमिकता एवं तत्काल आधार पर इसका निर्माण शुरू किया जाए।

*अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 के लिए रेलवे बजट पर विचार व्यक्त करने का मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हावेरी स्टेशन के दक्षिण में (बैंगलोर की ओर) एक रेलवे अधोगामी पुल का निर्माण किया गया है। दुर्भाग्यवश गलत योजना अर्थात् बिना फुटपाथ, के कारण हवानूरा एक्काम्बी सड़क पर पानी रुक रहा है। इससे रेलवे लाइन के पूर्वी भाग में जिला केन्द्र कृषि उत्पाद विपणन के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

पांच वर्ष पूर्व 46 लाख रुपये की लागत वाली पाइप के जरिए भूमिगत नाली व्यवस्था के निर्माण की योजना तैयार की गई थी। इस नाली प्रणाली का उद्देश्य पानी को वीरापुर रोड चैनल की ओर पानी को मुक्त रूप से बहने देना था।

---

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री मंजुनाथ कुन्नुर]

वीरापुर रोड पर एक संकड़ा अधोगामी पुल (10' या 12' चौड़ा और 8' या 10' ऊंचा) तुरंत बनाना चाहिए जोकि रेलवे अधोगामी पुल के ठीक आगे है। इससे सभी प्रकार के वाहनों जैसे दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, चार पहिया वाहन आदि का आवागमन आसान हो जाएगा और ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा।

संकरी नाली व्यवस्था-सह-तिपहिया सड़क अधोगामी पुल पूर्णतया बेकार है। नागेन्द्रमट्टी तथा होशनगर के लगभग 20,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह हावेरी रेलवे स्टेशन से उत्तर में है। इन असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए हावेरी रेलवे स्टेशन के उत्तर में एक बिना गेटमैन कला लेवल क्रासिंग बनाया जाना चाहिए। एक रेलवे उपरिपुल बनाया जा सकता है। पूना-बैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 पर जी.एच. कालेज के सामने नेचुरल ओवरब्रिज भी बनाना चाहिए जोकि हावनूर ऐकाम्बी रोड तक जाएगा। या हावेरी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 2 पर एक शेड का निर्माण किया जाना चाहिए। यह हुकेरीमठ के दक्षिण में है। प्लेटफार्म सं. 1, 2, और 3 की ओर पैदलयात्री आराम से जा सकें, इसलिए एक फुट ओवर ब्रिज शीघ्र बनाये जाए। सभी एक्सप्रेस गाड़ियां प्लेटफार्म सं. 2 पर।

इस समस्या के समाधान के लिए हावेरी कस्बे के निवासियों ने पहले रेलवे उपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव किया था। हावेरी व्यापारी संघ के सदस्य, जो प्रतिदिन भारी मात्रा में (हावेरी स्टेशन के उत्तर में स्थित एपीएमसी बाजार यार्ड में) कृषि उत्पाद का व्यापार करते हैं, भी ऐसे ही ऊपरी पुल की सुविधा के लिए मांग कर रहे हैं। व्यापारी समुदाय सहित, हावेरी कस्बे के लोगों के लिए यह अत्यंत लोक प्राथमिकता वाली परियोजना है तथा मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि परियोजना को शुरू करने एवं इसे पूरा करने के लिए चालू वर्ष के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

यात्री किराये, मालभाड़ा तथा अधिशेष भूमि जोत का समुपयोजन एवं रियायतों तथा लोकप्रिय बनाने की इच्छा से दिए गए मंजूर विशेषाधिकारों को समाप्त करने से जो अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है उससे सरकार के समक्ष निधि संकट होगा, ऐसे में चलती रेलगाड़ियों एवं स्टेशन परिसरों दोनों में यात्री सुविधाएं तथा आराम/सुरक्षा में सुधार की आशा रखनी चाहिए तथा ब्रिज का कार्य पूरा होने तक वृद्धों, महिलाओं, यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए वैकल्पिक उपाय करने पड़ेंगे।

हावेरी स्टेशन पर लाइन सं. 4 और 5 के बीच के पुराने शेड का जीर्णोद्धार अविलम्ब होना चाहिए। लाइन सं. 4 एवं 5 के बीच टारकोल की सड़क बननी चाहिए ताकि माल ढोने वाले वाहन बिना अवरोध के आ-जा सकें। हावानूर ऐकाम्बी रोड पर आने एवं जाने के लिए एक ही दरवाजा है। रेलवे लाइन सं. 5 से सामान ले जाने के लिए प्रयोग किये जा रहे दरवाजे को अन्दर आने के लिए दरवाजा बनाया जाए। वर्तमान में प्रयुक्त आने एवं जाने वाले दरवाजा को बाहर जाने के लिए दरवाजा बनाया जाए। इससे ट्रक मालिकों को लाभ होगा जो प्रतिवर्ष 8 करोड़ रु. की कमाई करते हैं।

गाड़ी संख्या 597-598 हुबली और हरिहरा के बीच चलती है। साथ ही दो बार चलने वाली एक और पुश-पुल रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए तथा इसे दहानागिर तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए चालागेरी, रानीबेनुरा, देवरागुड्डा, हावेरी, करजागी, कलासुरा, सवाकुरा, यलाविगी रेलवे स्टेशनों का नियंत्रण तुरंत हुबली डीआरएम को स्थानांतरित किया जाए। कम्प्यूटर प्रणाली जो सुबह से अपराह्न 2.00 बजे तक ही कार्य करती है उसे पूरे दिन के लिए उपलब्ध कराया जाए। त्रिवेन्द्रम और कलकत्ता को सीधे जाने वाली गाड़ियां मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध करायी जाएं।

बैदागी अपनी मिर्चों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय मिर्ची बाजार है। इसलिए जनशताब्दी तथा इंटरसिटी जैसी रेलगाड़ियों बैदागी स्टेशन पर रुकनी चाहिए।

रेलवे प्रणाली एक शताब्दी पूर्व शुरू हुई थी। वास्तव में आज किसी भी देश की प्रगति रेलवे पर निर्भर करती है।

माननीय रेल मंत्री ने 7 जुलाई, 2004 को इस सम्माननीय सभा में अपना पहला रेल बजट पेश किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यह बजट महाराष्ट्र एवं बिहार में आने वाले विधान सभा चुनावों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। उन्होंने अपने राज्य में रेल पहिया विनिर्माण फैक्टरी स्थापित करने की घोषणा की है। लेकिन इनका अनुमानित उत्पादन तो येलहंका स्थित पहिया एवं एक्सेल कारखाना में भी हो सकता था। मंत्री जी द्वारा इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। बीईएमएल फैक्टरी का तुरंत आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले रेल डिब्बों का उत्पादन बैंगलोर में भी हो सकता है लेकिन इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया। राकेश मोहन समिति ने काफी समय पहले अपनी अनुशंसाएं दी थीं। लेकिन केन्द्र सरकार इस बारे में चुप है। रेलवे की प्रमुख समस्याओं जैसे सुरक्षा, पटरी बदलने आदि के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का कोई प्रयास नहीं किया है।

चालू वित्त वर्ष में रेलवे अंडर ब्रिज का जीर्णोद्धार किया जाए तथा नेचुरल फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य भी पूरा किया जाए। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का यह एक काफी पुराना सपना है। वस्तुत: मैं इस उद्देश्य हेतु संसद सदस्य क्षेत्रीय विकास निधि से 20 लाख रु. देने के लिए तैयार हूं।

मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री मेरे द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तथा कर्नाटक राज्य एवं विशेषकर हावेरी जिले में रेल सेवाओं के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

***श्री धनसिंह रावत** (बांसवाड़ा): सभापति महोदय, मैं रेल बजट की चर्चा में सम्मिलित होना चाहता हूं पर अवसर नहीं मिलने से मेरी ओर से निम्न प्रस्ताव आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

1. अजमेर से उदयपुर ब्राडगेज में आमान परिवर्तन का बजट में प्रावधान कर इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाये।
2. उदयपुर से अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर रेल लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तन करने का बजट में प्रावधान कराया जाये।
3. रतलाम, मध्य प्रदेश से बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों से होकर नयी रेल लाइन इसी वित्तीय वर्ष में बिछायी जाये व नयी रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था करायी जाये जिसका सर्वे पिछले वर्ष पूर्ण हो चुका है।
4. चित्तौड़ से प्रतापगढ़ बांसवाड़ा होकर दाहोद तक नयी रेल लाइन का सर्वे कराया जाए।
5. उदयपुर के डेबारी व उमरना में कंटेनर डिपो स्थापित किया जाये, ताकि इस संभाग के खनन उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाया जा सके।

अत:, आप श्रीमान से निवेदन है कि माननीय रेलवे मंत्री जी को आग्रह कर राजस्थान प्रदेश के दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग में रहने वाले आदिवासी क्षेत्र के लोगों को रेल देखने का अवसर प्राप्त हो सके और रेल का लाभ यहां की जनता के लिए उपलब्ध हो सके। यही हमारा आपके माध्यम से आदरणीय श्री लाल प्रसाद जी यादव साहब, रेल मंत्री, भारत सरकार से निवेदन है, जिसे स्वीकार किया जाये।

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं रेल मंत्री जी को उनकी सोच के लिए बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि आजादी के बाद ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी का टाइम पूरा हो गया है, आप केवल दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री पारसनाथ यादव: सभापति जी, मैं केवल 2-3 मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

सभापति जी, आजादी के बाद प्रतिवर्ष रेल बजट प्रस्तुत किया जाता है। इस बार के बजट में पहली बार गांव व्यवस्था के प्रति न्याय किया गया है। हमारी देश की 50 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है, यह बजट उनके हितों को देखकर पेश किया गया है। इसलिए चाहे कुल्हड़ का मामला हो, चाहे रेल में कुली को पास देने का मामला हो, माल-भाड़े को कम करने के मामला हो, चाहे बुक स्टाल का मामला हो, इस देश के बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें रोजगार के लिए, साक्षात्कार या परीक्षा देने जाने के लिए मुफ्त पास देने का मामला हो, ये सारे सराहनीय कार्य हैं। इसके लिए माननीय रेल मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं 2-3 सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। हकीकत यह है कि जिन सदस्यों को अंत में समय मिलता है, वह इतना कम होता है क्योंकि देहात की एक कहावत है कि 'आगे बसै जो गाइड छाते'-पहले जो बोलेंगे, वे नेता लोग होंगे, उन्हें ज्यादा समय दिया जाता है। हमारे रेल मंत्री जी गांव में पैदा हुये हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि 'जाके पैर न फटे बिवाई, वह क्या जाने पीड़ पराई' लेकिन माननीय रेल मंत्री जी ने साहस के साथ यह बजट पेश किया है।

मैं जनपद जौनपुर से आता हूं जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है और एशिया का माना हुआ पूर्वांचल विश्वविद्यालय यहां स्थित है। अभी हमारे नेता श्री मोहन सिंह जी ने कहा कि देवरिया, गोरखपुर और गोंडा हो कर बिहार को जोड़ा गया है। बनारस एक तीर्थ स्थान है और एक ऐतिहासिक नगरी है। बनारस-मुगलसराय होते हुए जौनपुर, लखनऊ राजधानी एक्सप्रैस के लिए सीधा रास्ता है लेकिन वह गाड़ी वहीं नहीं रुकती। एक मानक बना था कि जहां गांव में खम्भा गढ़ जायेगा, चाहे रोशनी हो या न हो, लेकिन विद्युतीकरण की श्रेणी में वह गांव आ जायेगा। इसलिए जौनपुर से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए संतोष नहीं होगा अगर वे वहां न रुकें। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जौनपुर के हितों को ध्यान में रखते हुए राजधानी एक्सप्रैस तथा तक्षशिला एक्सप्रेस को वहां रोकने की व्यवस्था की जाये।

जौनपुर में दो रेलवे स्टेशन हैं। एक मुख्य स्टेशन है जिसे भंडारी और दूसरे को जौनपुर सिटी के नाम से जाना जाता है जो सुलतानपुर को बनारस से सीधे जोड़ता है। लखनऊ-बनारस को जोड़ने वाली गाड़ियां सिटी स्टेशन से होकर चलती हैं लेकिन स्टेशन की हालत दयनीय है। वहां कोई वेटिंग रूम नहीं है। जो है, वह बहुत पुराना है जिस पर जी.आर.पी. ने कब्जा कर रखा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पारसनाथ यादव]

है। जब यात्री आते हैं तो बाहर ही खड़े रहते हैं। इसलिए सिटी स्टेशन पर एक वेटिंग रूम बनाया जाये। जब रात 1.30 बजे श्रमजीवी एक्सप्रेस वहां पहुंचती है, उस समय यात्री कहां जायें? इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक वेटिंग रूम की व्यवस्था की जाये।

सभापति जी, जौनपुर की 80 प्रतिशत जनता रोजी-रोटी के लिए मुम्बई जाती है। लोगों की बहुत समय से मांग है कि जौनपुर से मुम्बई के लिए एक नई गाड़ी चलाई जाये।

इसकी मांग हमने पहले भी की थी और अब मैं पुन: माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि जौनपुर से मुम्बई के लिए एक सीधी गाड़ी देने की कृपा करें।

इसके अलावा इलाहाबाद, प्रयाग जो एक तीर्थस्थल है, उसे जौनपुर से जोड़ा गया है, यहां दो पैसेंजर गाड़ियां सुबह-शाम चलती हैं और इन पैसेंजर गाड़ियों को चलाने का जो रूट या ट्रैक बना हुआ है, उसके बीच में गोदान के नाम से एक गाड़ी चलनी शुरू हुई थी, इस ट्रैक पर किसी दिन भारी हादसा होने की आशंका बनी हुई है। मेरा अनुरोध है कि जाफराबाद से इलाहाबाद तक की रेल लाइन पर एक जंघई स्टेशन पड़ता है, उसका सुदृढ़ीकरण कर दिया जाए।

इसके अतिरिक्त हमारा एक विशेष अनुरोध यह है कि जो इलैक्ट्रिफाइड लाइन है जो इलाहाबाद से मिर्जापुर होकर मुगलसराय जाती है, लेकिन बनारस को यह छूती भी नहीं है। यदि आप इलाहाबाद से बनारस को सीधे जोड़ दें, भदोही कालीन उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र है। दुनिया के मानचित्र पर भदोही का नाम इसी उद्योग से रोशन है। आज वहां कालीन उद्योग की दशा तो गड़बड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी भदोही सबसे अधिक राजस्व देता है। यदि इस लाइन को इलैक्ट्रिफाइड कर दिया जाए तो मेरा अनुरोध होगा कि यह सीधे इससे जुड़ जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं और माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति महोदय, मेरा नाम आगे था, यह पीछे कैसे हो गया। हमें भी दो मिनट बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय हमने नोटिस दिये हैं, अभी हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया है। हमारी पार्टी का निर्धारित समय समाप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के सदस्य अभी बोले हैं।

[अनुवाद]

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा (चित्रदुर्ग): महोदय, सर्वप्रथम मैं श्री लालू प्रसाद यादव को आम जनता का रेल बजट प्रस्तुत करने पर धन्यवाद देता हूं। हां मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। यह केवल एक कल्याणकारी बजट नहीं है, वरन सामाजिक न्याय की घोषणाओं की भावनाओं से परिपूर्ण है। यह बजट समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के समान अवसर प्रदान करता है। इस बजट का उद्देश्य यात्रियों पर कम बोझ डालकर सुखद यात्रा करना है।

सभापति महोदय: क्या यह लिखित भाषण है?

श्री एन.वाई. हनुमनथप्पा: यह लिखित भाषण नहीं है। मैंने कुछ तथ्यों को लिखा मात्र है। बस।

रेल डिब्बों में कुल्हड़ और लिनेन के स्थान पर खादी के प्रयोग करने का सुझाव देकर इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुछ सपनों को साकार करने का प्रयास किया है। यदि हमारी राजनीति में सामाजिक लोकतंत्र के दर्शन का कुछ महत्व है, तो हमें वर्तमान बजट को स्वीकार करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए।

यह खादी और ग्रामोद्योग के लिए वरदान है क्योंकि यह बुनकरों, कुम्हारों, छोटे दूध विक्रेता तथा अन्य उत्पाद बनाने वालों को स्वरोजगार सुनिश्चित करता है। रुढ़िवादी इस बजट का बाहरी तौर पर समर्थन भले ही ना करें, परन्तु आन्तरिक रूप से श्री लालू प्रसाद द्वारा चुने गये कार्यों के समर्थन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है।

महोदय, यद्यपि बजट कई क्षेत्रों और खंडों को सुधारने का प्रयत्न कर रहा है। मेरे राज्य अर्थात कर्नाटक के विषय में मुझे कुछ निराशा हुई है क्योंकि किये जाने वाला कार्य कम था जब कार्यान्वित कार्य अधिक था। ...*(व्यवधान)* महोदय, क्या मैं अपना भाषण जारी रखूं? मैं रुका क्योंकि कुछ बातचीत जारी है।

सभापति महोदय: जी हां।

श्री एन.वाई. हनुमनप्पा: मैं सरकार से विशेषकर श्री लालू प्रसाद यादव से आग्रह करता हूं कि वो मेरे राज्य अर्थात कर्नाटक के कार्य के संबंध में निर्देश दें।

पहले मैं माननीय रेल मंत्री से सिरा और हिरीपुर होते हुए टुमकुर और चित्रदुर्ग के मध्य नई रेल लाइन बिछाये जाने का आग्रह करता हूं, यह क्योंकि यह मांग काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी है।

यहां चित्रदुर्ग नामक एक स्थान है, जो कि टुमकुर और बेल्लारी के मध्य स्थित हैं जहां अधिकांश गरीब तथा पिछड़े वर्ग के परिवार रहते हैं। ना ही तो उनके पास रेल सेवा है, और ना ही उनके पास खाने के लिए भोजन। छह वर्ष पूर्व चित्रदुर्ग में एक रेल वर्कशाप खोलने का प्रस्ताव था, परन्तु दुर्भाग्य से सरकार परिवर्तित होते ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो यहां कारखाना खोलने पर विचार करे। पहले ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी करके 200 से 300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, परन्तु इस पर अभी कार्य नहीं हुआ है।

मेरा अगला निवेदन है कि चित्रदुर्ग और बेल्लारी स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया जाए, क्योंकि बेल्लारी और चित्रदुर्ग से भारी मात्रा में लौह अयस्क तथा खनिज पदार्थ गोवा पत्तन भेजा जाता है। चित्रदुर्ग से रायदुर्ग और बेल्लारी जाने वाली गाड़ियों के डिब्बों का आधुनिकीकरण किया जाए।

मोटकलमुरू रेलवे स्टेशन पर कोई बर्थ नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं, कि कम से कम एक या दो बर्थ दी जाए, और यहां एक आरक्षण केन्द्र खोला जाए।

यहां जसदुर्गा रोड नामक रेलवे स्टेशन है, बेल्लारी और हुबली स्टेशनों के मध्य चलने वाली इंटर सिटी गाड़ी इस स्टेशन से होकर जाती है। सैकड़ों की संख्या में नारियल विक्रेताओं को बम्बई जाना होता है परन्तु दुर्भाग्य से जसदुर्गा रोड रेलवे स्टेशन पर यह गाड़ी नहीं रुकती। अत: मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस बात पर विचार करके चालक को निर्देश दें कि वो रेलगाड़ी को कम से कम दो मिनट अवश्य रोकें।

पुस्तकों की दुकानों तथा कैन्टीन आवंटित करते समय सभी रेलवे स्टेशनों पर उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूल तथा कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को उनके संस्थानों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के आधार पर निशुल्क पास जारी किए जाए। हर क्षेत्र का अपना भर्ती बोर्ड हो और अपनी चयन समिति हो, जिसमें दो अथवा तीन स्थानीय सदस्य हों।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का सुवसर प्रदान किया। मैं रेल मंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने बजट के पूर्व, रेल मंत्री का प्रभार लेते ही, इस देश के लाखों-करोड़ों गरीब लोगों के लिए जो रोजगार मुहैया कराने का आदेश दिया, कुम्हारों के लिए कुल्हड़ और साथ ही खादी वस्त्रों की रेल में आपूर्ति के लिए आदेश दिया, उसके लिए भी वे प्रशंसा के पात्र हैं।

महोदय, कुल्हड़ और खादी को बड़े ही हल्के लहजे में कुछ माननीय सदस्यों ने लिया लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह सोच और सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था जिन्होंने इस देश की जनता को स्वराज से जोड़ने के लिए, इस देश की जनता को आजादी दिलाने के लिए और इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग की अवधारणा की और इसके माध्यम से लोगों को काफी मदद भी मिली। उसी प्रकार की हमारे माननीय रेल मंत्री की सोच रही और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए इन्होंने कदम उठाया।

सायं 6.28 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल का अपना पुराना इतिहास है। भारतीय रेल पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सभी धर्म एवं संस्कृति के लोगों को जोड़ने का काम करती है। इस रेल बजट के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी ने अपनी सोच और विचारधारा को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का काम किया है। रेलवे से जुड़े हुए निचले तबके के जो कुली और खलासी जैसे काम करने वाले लोग थे, उनके हित में उन्होंने बड़ा ही सुन्दर फैसला लिया और उनको तथा उनके परिवार को मुफ्त रेलवे पास देने की घोषणा की।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इस रेल बजट में नई रेलों के परिचालन का कोई फैसला नहीं किया गया है, जबकि दर्जनों नई रेलगाड़ियों के परिचालन का प्रावधान इस रेल बजट में किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी ने ऐसी सूक्ष्म सोच के साथ रेल बजट प्रस्तुत किया है जिससे आम आदमी के किराये में बढ़ोत्तरी नहीं की है और मालभाड़े में भी बढ़ोत्तरी करने का काम नहीं किया है। इसलिए माननीय रेल मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं।

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेलों में देश के लोग बड़ी आस्था के साथ सफर करते हैं। देश की जनता रेलों में बेहिचक अपने गंतव्य तक पहुंचती है, लेकिन जब गोधरा जैसे कांड हो जाते हैं, तो जनता का विश्वास उठ जाता है और लोग सवाल खड़े करते हैं कि रेलें यात्रा के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए भविष्य में गोधरा कांड जैसे हादसे न हों, इस हेतु आवश्यकता है कि गोधरा कांड की सूक्ष्म जांच कराई जाए।

महोदय, एक्सीडेंट्स से बचने के लिए रेलों की जो जर्जर पटरियां हैं, उन्हें बदलने की आवश्यकता है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: टाइम समाप्त हो गया।

श्री गणेश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से जहानाबाद से आता हूं। उस क्षेत्र में बीहटा से अनुग्रह नारायण रोड तक नई रेलवे लाइन की आवश्यकता है। इस रेलवे लाइन के बनने से कम से कम तीन जिलों को जोड़ा जा सकता है और तीन जिलों के यात्रियों का लाभ मिल सकता है। मेरे क्षेत्र में फतुहा से इस्लामपुर तक रेलवे लाइन बिछी हुई है और रेल का परिचालन हो रहा है, लेकिन वहां से गया तक कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका विस्तार गया तक करने की आवश्यकता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे यहां एक अरबल जिला है जहां आरक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। जनता की मांग है कि वहां रेल बस सेवा का परिचालन होना चाहिए। इसी के साथ-साथ संक्षेप में कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी ट्रेन हैं जिनका परिचालन पटना और गया के बीच में होता है, उनका विस्तार करने और उनका ठहराव हमारे यहां करने की आवश्यकता है। इससे रेलवे के ऊपर अलग से कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान पटना रेल लाइन की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पटना-गया रेल लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से हो रहा है। उसे तेज किया जना चाहिए। पटना से तारेगना तक दोहरीकरण हुआ है, लेकिन तारेगना से गया तक अभी दोहरीकरण नहीं हुआ है। तारेगना से गया तक दोहरीकरण शीघ्र किया जाना चाहिए तथा उसके विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सुव्रत बोस। आपको चार मिनट दिये गये हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ये नये सदस्य हैं। कृपया इन्हें बोलने दें।

...(व्यवधान)

***श्री अनिल बसु** (आरामबाग): मुझे रेल बजट की चर्चा में निम्न मुद्दे रखने की अनुमति दी जाये।

सर्वप्रथम मैं माननीय श्री लालू जी को संतुलित, विकासोन्मुख रेल बजट प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घाटाल और चन्द्रकोना विधान सभा क्षेत्रों में स्वतंत्रता के 57 वर्षों के पश्चात भी एक कि.मी. लम्बी रेल लाइन का निर्माण नहीं हुआ है।

इसलिए मैं दक्षिण पूर्व रेल के पांसकुड़ा-घाटाल-चन्द्रकोथा लाइन के सर्वेक्षण के कार्य को अनुमति देने का आग्रह करता हूं और मैं पूर्व रेल के हावड़ा मंडल की सेवड़ाफुली-तरकेश्वर रेल लाइन दोहरीकरण योजना के अंतर्गत नलिकुल-तरकेश्वर खंड के दोहरीकरण को अनुमति देने का आग्रह करता हूं।

इसके अतिरिक्त दक्षिण 24 परगना जिले के सुदर लोन क्षेत्र को जोड़ने के नई रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया जाए जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

मैं श्री लालू जी का अत्यन्त आभारी रहूंगा यदि वो उपर्युक्त योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर विचार कर अनुमति प्रदान करें।

***श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर):** मैं माननीय रेल मंत्री से रायचक और डायमंड हार्बर होते हुए बज बज से कुल्पी तक नई रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह करता हूं। यह इस क्षेत्र की लम्बे समय से लम्बित मांग है। इस कार्य के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा सकता है। मैं माननीय रेल मंत्री से बर्मीपुर और डायमंड हार्बर में रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना पर कार्य आरम्भ करवाये जाने का आग्रह करता हूं। इस

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विशाल क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए अमताला तथा दक्षिण 24 परगना में कम्प्यूटर बुकिंग केन्द्र खोला जाए।

मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय रेल मंत्री उपर्युक्त प्रस्तावों को स्वीकार करेंगे और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को अनुग्रहित करेंगे।

श्री सुव्रत बोस (बारासाट): महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा में, पहली बार, माननीय रेल मंत्री द्वारा इस सभा में प्रस्तुत रेलवे के संबंध में वर्ष 2004-05 के लिए भारत सरकार की अनुभावित प्राप्तियों और व्यय विवरणी पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले, मैं माननीय रेल मंत्री को यात्री किराया और माल-भाड़ा नहीं बढ़ाने के लिए बधाई देना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हालांकि मैं विस्मित हूं कि रेलवे के बड़े घाटे को पूरा करने के स्रोत क्या होंगे, मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जब इस चर्चा पर जवाब देंगे, तो हमें इस बारे में अपने विचार बताएंगे।

मेरे विचार से, माननीय मंत्री ने यह बहुत ही सही उल्लेख किया है कि यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा के प्रश्न पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

कई दिनों से रेल यात्रियों के लिए यह चिंता का विषय था कि यद्यपि वे इतना ज्यादा किराया दे रहे हैं, राज्य की सीमा बदलते ही वे बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वे इतने ज्यादा आश्वस्त नहीं होते कि अपनी मंजिल तक वे सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं। प्रश्न सिर्फ ट्रेनों में ज्यादा सुरक्षा उपलब्ध कराने का नहीं है बल्कि यह आवश्यकता है कि रेलवे लाइनों के साथ-साथ रेल उपकरणों के उचित रख-रखाव और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना सुनिश्चित किया जाए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे।

इनके अलावा कुछ अन्य बातें हैं जिन पर विचार किया जाए और इसे दूर किया जाए, खासकर बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों का मामला। इनसे देश के हर भाग में कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह देखने का प्रयास करेंगे कि उचित समयावधि के भीतर जितना संभव हो सके बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों पर चौकीदार उपलब्ध कराया जा सके। मैं जानता हूं कि वित्त और पैसे की कमी है। परन्तु मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पहलू की ओर जरूर ध्यान देंगे।

हालांकि मैं माननीय मंत्री महोदय के ट्रेनों में खादी के इस्तेमाल के निर्णय का स्वागत करता हूं, इस प्रकार के कपड़े की सुरक्षा पर कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है। मेरे विचार से कुछ लोगों ने कहा है–और जो सच हो सकता है–कि खादी काफी ज्वलनशील है और यह आग पकड़ सकती है या आग के खतरे को बढ़ा सकती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): यह गलत बात है।

[अनुवाद]

श्री सुव्रत बोस: मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत। परन्तु चूंकि कुछ सवाल उठाए गए हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस तथ्य पर विचार करेंगे। मैं रेलवे में खादी के इस्तेमाल का अवश्य स्वागत करूंगा।

मैं, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उनके उस निर्णय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसमें किताबों की दुकानों के संबंध में रेलवे स्टेशनों पर स्थापित ए.एच. व्हीलर के एकाधिकार को खत्म करने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि यह नाम एक विदेशी कंपनी को इंगित करता है। एक समय यह कंपनी, संभवत: अंग्रेजों के स्वामित्व में थी जो कम से कम निश्चित रूप से विदेशी थे। परन्तु इस कंपनी का भारतीयकरण काफी पहले हो चुका है और वे बहुत ही कुशलतापूर्वक किताब की दुकानें लगा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अन्य को मौका देते समय, माननीय रेल मंत्री यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि रेलवे स्टेशनों में किताबों की दुकानों की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी रहे जितनी इस समय ए.एच. व्हीलर और कंपनी की है।

चूंकि समय बहुत सीमित है, क्या मैं, आपके द्वारा, माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित कुछ लोकप्रिय परियोजनाओं की ओर आकृष्ट कर सकता हूं? मुझे पूरा विश्वास है कि कई सदस्य, स्वर्गीय चित्त बसु को याद करते होंगे। स्वर्गीय चित्त बसु जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे बारासात संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस समय, मुझे इस संसदीय क्षेत्र से संसद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके प्रयास से, सियालदह से बोगांव तक की रेलवे लाईन के दोहरीकरण की परियोजना रेलवे द्वारा अनुमोदित की गई थी। स्वर्गीय चित्त बसु के देहान्त को आठ वर्ष से ज्यादा हो गया है; लेकिन कार्य हाबरा नाम के स्टेशन तक आधा ही हो पाया। कई वर्षों से हम इस परियोजना के पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करंगा कि वह सुनिश्चित करें कि इसे जल्द पूरा किया जाए। मैंने इस विषय पर उन्हें लिखा भी है कि इस

[श्री सुब्रत बोस]

परियोजना को जो स्वर्गीय चित्त बसु का सपना और अभिलाषा थी जहां तक संभव हो जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

मैं सोचता हूं कि यह उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। यह पूर्व रेल में है और कोलकाता को उत्तर 24 परगना के कस्बों से जोड़ती है।

इससे पहले कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक अन्य रेलवे लाईन है जो उत्तर 24 परगना जिला के प्रमुख कस्बा, बारासात, जो काफी भीड़-भाड़, काफी आबादी वाला शहर है, से गुजरती है। मैं सोचता हूं कि बारासात के लोगों की सुरक्षा के लिए, बारासात रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरि-पुल के निर्माण की आवश्यकता है। हालांकि यह बजट में शामिल नहीं है, मैं सुझाव चाहूंगा कि माननीय रेल मंत्री द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए और इसे जितना जल्द संभव हो स्वीकार किया जाए।

महोदय, मैं अब और ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा चूंकि बहुत सारे सदस्य बोलने का इंतजार कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि भविष्य में, मैं, इस सभा में बोलने का और ज्यादा अवसर पाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको आपके प्रथम भाषण पर बधाई देता हं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर समय जब आप व्यवधान डाल रहे हैं, आपका अवसर उतना ही कम होता जा रहा है।

***डा. सुजान चक्रवर्ती** (जादवपुर): महोदय, रेलवे बजट पर चर्चा के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को रखने की इजाजत दी जाए।

सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री, लालू प्रसाद जी को जनप्रिय रेलवे बजट पेश करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में एक सीमांत जिला है। पूर्व रेल के सियालदह मंडल में तीन रेलवे लाइनों सोनारपुर-कैनिंग, बरनीपुर-लक्ष्मीकांतपुर और बरनीपुर-डायमंड हार्बर के दोहरीकरण का प्रस्ताव है। प्रत्येक के लिए बजट में एक करोड़ रु. दिया गया है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दोहरीकरण एक या दो साल के अंदर पूरा किया जा सके।

बरनीपुर स्टेशन पूर्व रेल के सियालदह मंडल में एक जंक्शन है। इसे एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। बजट में कमप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा सहित मॉडल बरनीपुर स्टेशन कांपलेक्स के लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

सुंदरबन देश की धरोहर है। सोनारपुर-धामाखाली, कैनिंग-सोनाखाली, जयनगर-रायदीशी और जयनगर-मथुरापुर से नई रेल लाईनों के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अरुण कुमार वुण्डावल्ली (राजामुन्दरी): अध्यक्ष महोदय, रेल बजट तो बहुत अच्छा है, यह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस तरफ बैठे हैं, मगर हमें एक शिकायत है कि आंध्र प्रदेश को जितना भाग मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। हमें एक भी नई ट्रेन नहीं मिली, एक भी नई लाइन नहीं मिली। हमारे डिस्ट्रिक्ट में काकीनाडा से कोटीपल्ली तक बनने वाली लाइन तो इस साल खत्म होने वाली है और वह दिसम्बर तक चालू हो जायेगी, मगर जब तक कोटीपल्ली से नरसापुरम की लाइन नहीं बनेगी, काकीनाडा से कोटीपल्ली लाइन का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह अलग एक टुकड़ा होगा। जब कोटीपल्ली से नरसापुरम को मिलाते हैं, तब यह लाइन काकीनाडा से सीधा लाइन आकर विजयवाड़ा को मिलती है।

[अनुवाद]

दो जिलों, जो भारत के चावल के कटोरे कहे जाते हैं, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी, रेलवे लाईन के साथ मिलाये जायेंगे।

[हिन्दी]

मैं रेल मंत्री जी से रिक्वैस्ट करता हूं कि कोटापल्ली से नरसापुरम लाइन को इस बजट में बहुत कम पैसे दिये थे। यहां बोल रहे थे कि यह पैसा सर्वे के लिए दिया था, उसे भी शुरू करके जल्दी-जल्दी खत्म करके चार साल में काम पूरा कर दिया जाये।

राजामुंद्री में गोदावरी पर एक पुराना ब्रिज है, जो सौ साल पुराना है, वह अब काम में नहीं आ रहा है। उसकी सारी रेलिंग्स को निकाल दिया गया है। अगर उस ब्रिज को स्टेट गवर्नमैंट को या म्युनिसिपल कारपोरेशन को गिफ्ट कर दिया जाये तो उसके ऊपर एक रोड बन सकती है और अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, मगर रेलवे बोर्ड के लोग बोल रहे हैं कि उसका दाम होगा, उसकी कीमत होगी।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

चूंकि यह एक सौ वर्ष पुराना है, मैं माननीय रेल मंत्री से उस पुराने पुल को एक उपहार के रूप में देने के नगर निगम के साथ-साथ राज्य सरकार के आवेदनों पर विचार करने का अनुरोध करूंगा ताकि हम उसकी मरम्मत कर सकें। मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवादी हूं, मैं सुबह से बैठा हूं और लास्ट में मुझे समय मिला है। जब रेल मंत्री जी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको यह अवसर आपके धैर्य और सहयोग से मिला। अगर पहले भी सहयोग मिलता तो कई सदस्य बोल चुके होते।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: जब रेल बजट पेश हो रहा था तो पंजाब के लोगों को काफी आशा थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संबंध पंजाब से, खास तौर से होशियारपुर से है और बिहार के लोग भी पंजाब में रोजी-रोटी कमाने आते हैं, इसलिए हम पंजाबियों ने सोचा था कि पंजाब को कुछ न कुछ ज्यादा मिलेगा।

एक बात और कही गई है। धार्मिक स्थानों को जोड़ने की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की थी।

मैं उनके ध्यान में इसे लाना चाहता हूं। शायद किसी कारण वे उसे भूल गये या उनकी आंखों से ओझल हो गया कि श्री आनंदपुर साहिब जहां खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, वह पंजाबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह अमृतसर जहां दरबार साहिब और दुर्गियाना मंदिर है, अगर अमृतसर और आनंदपुर साहिब को रेल मार्ग से जोड़ दिया जाए तो पंजाबी ही नहीं सारी दुनिया के लोग इस बात के लिए रेल मंत्री जी की प्रशंसा करेंगे और धन्यवाद देंगे। पंजाबी में एक कहावत है कि-

हींग लगे न फिटकरी, रंग लगे चोखा।

उस कहावत को पूरा करने के लिए मैं एक छोटी सी मांग आपसे कर रहा हूं। मेरा गांव जेजो है। ...*(व्यवधान)* इसका मतलब है कि कुछ भी न करो लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ...*(व्यवधान)* मेरा गांव जेजो है जिसे पार्टीशन से पहले मिनी लाहौर कहा जाता था। उस समय कुछ ऐसी घटना हुई कि आज वह गांव उजड़ चुका है। उस समय अंग्रेजों ने जालंधर से जेजो तक एक ट्रेन चलायी थी। वह गांव हिमाचल और पंजाब दो राज्यों के बीच है। वहां से बहुत लोग सेना में काम करते हैं। अगर माननीय मंत्री जी जेजो से जालंधर तक चलने वाली ट्रेन में दिल्ली के लिए एक डिब्बा लगा दें तो जो सैनिक सेना में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैंने पर्सनली भी आपसे मिलकर इस संबंध में बात की थी। अगर आप बजट भाषण में इसकी एनाउंसमैंट कर दें तो मैं आपका बड़ा ऋणी होऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आसन और माननीय सदस्य जो सभा में बोल रहे हैं के बीच न चलें।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष महोदय, होशियारपुर से एक ट्रेन जालंधर के लिए जाती है। होशियारपुर के काफी लोग हरिद्वार टैक्सियों में जाते हैं। अगर होशियारपुर से उस ट्रेन में एक डिब्बा हरिद्वार के लिए लग जाये तो वह बहुत बड़ा काम मेरे इलाके के लिए हो सकता है। होशियारपुर-फगवाड़ा को रेलमार्ग से जोड़ा जाना चाहिए।

मैं आपका ध्यान लुधियाना के एक रेलवे स्टेशन की रेल लाइन की ओर दिलाना चाहता हूं। उस संबंध में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पेपर में पब्लिश हुई थी कि कितनी रेल गाड़ियां उस रेलवे स्टेशन से पलटी हैं। वह रेलवे ट्रैक काफी कमजोर है। उस रेल लाइन से शताब्दी और काफी एक्सप्रैस गाड़ियां निकलती हैं। मेरा निवेदन है कि उस रेल लाइन को रिपेयर करने की जल्दी कोशिश की जाये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपने बजट भाषण में वृद्ध लोगों के लिए टिकट में जो कन्सेशन दिया है, उसको सुनकर काफी लोग मुझसे मिले। उनकी इच्छा है कि जो 30 परसेंट की रियायत है, अगर वह 50 परसेंट हो जाये तो वृद्ध लोग आपके काफी ऋणी होंगे।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि काफी इंतजार के बाद मुझे बोलने का मौका मिला। मेरी सिर्फ दो बातें हैं। जेंजों से होशियारपुर तक चलती ट्रेन के साथ एक डिब्बा और लग जाये तो हम आपके बड़े ऋणी होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए धन्यवाद। जी असादूद्दीन ओवेसी।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): धन्यवाद, महोदय। मेरे मन में संदेह था कि यात्री किराया और माल-भाड़े में वृद्धि नहीं करने के लिए मुझे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार और इसके रेल मंत्री को धन्यवाद देने का अवसर मिलेगा भी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: श्री असाऊद्दीन ओवेसी, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। आपके पास सिर्फ तीन मिनट हैं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी: महोदय, मैं अपनी बात तीन मिनट के अंदर समाप्त कर लूंगा। चूंकि रेल मंत्री आम आदमी पर बोझ बढ़ाना नहीं चाहते थे अत: उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है।

भारतीय रेल विश्व भर में रूस के बाद एकल प्रबंधन के अंतर्गत काम करने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। भारत में प्रत्येक दिन 14,000 रेलगाड़ियां लगभग 1 करोड़ 40 लाख यात्री एवं 14 लाख टन माल ढोती हैं।

भारतीय रेल को मिलने वाली सरकारी सहायता धीरे-धीरे कम हो रही है तथा वर्तमान में यह कुल राजस्व का लगभग 5 प्रतिशत है अर्थात् भारतीय रेल को मिलने वाले लाभांश को छोड़कर बजट सहायता राशि। भारतीय रेल पर लगभग 4,000 करोड़ रु. का सामाजिक दायित्व भी है। इसकी परिणति लगभग 17,000 करोड़ रुपये के अनुमानित आस्ति पुन:स्थापन बकाया में हुई है।

रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री वी.के. अग्रवाल के अनुसार, 1950-1951 से ही भारतीय रेल का मार्केट शेयर लगातार गिरता रहा है तथा माल-ढुलाई में यह 80 प्रतिशत से गिरकर 40 प्रतिशत तथा यात्री आवागमन में यह 68 प्रतिशत से गिरकर 20 प्रतिशत रह गया है। इससे भारतीय रेल और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों ही बुरी तरह प्रभावित हुई हैं क्योंकि रेलगाड़ियों में ईंधन कम लगता है।

महोदय, सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत अर्थात् 3900 करोड़ रु. करने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री का शुक्रगुजार हूं। मैंने विपक्ष के सदस्यों द्वारा दिए गए कई भाषणों को सुना है। रेल मंत्री की आलोचना करने में वह अत्यंत उग्र रहे हैं। किन्तु हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार 1998 से 2003 के दौरान, जब वे लोग अर्थात् राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में था, 900 से अधिक रेलयात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

34 करोड़, 43 लाख 6 हजार रुपये की राशि का मुआवजे के रूप में भुगतान किया गया। तिस पर भी, जब उन्होंने हमारे रेल मंत्री की आलोचना की है तब मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री का भांजा रेलगाड़ी में मारा गया था और फिर भी वह वर्तमान रेल मंत्री की आलोचना करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। मुझे खेद है कि वे यह सब तथ्य और आंकड़े भूल गए हैं।

मुख्य बात पर आते हुए, मुझे माननीय रेल मंत्री से दो शिकायत है। पहली शिकायत यह है कि वह आंध्र प्रदेश को पूरी तरह भूल गए हैं। हमारे राज्य ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने 37 सांसद संसद में भेजे हैं जो कि कुल संख्या का छठा हिस्सा है। हमने तथाकथित 'हाइटेक' प्रशासन को हटा दिया है। श्री लालू प्रसाद ने लाठी की शक्ति वहां दिखाई है, हमने तेलगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को वहां लाठी की शक्ति दिखाई है। फिर भी रेल बजट में हमारे राज्य को एक रेल लाइन, रेलगाड़ी और यहां तक कि एक भी विद्युतीकरण परियोजना नहीं मिली। बल्कि, महोदय, आंध्र प्रदेश के लिए बजट सहायता सिर्फ 12 करोड़ रुपये बढ़ाई गई है: वर्ष 2003-2004 के 756 करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह 768 करोड़ रुपये की गई है। हमारे राज्य में सिर्फ सर्वेक्षण ही सर्वेक्षण का प्रावधान रखा गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री को बताना चाहूंगा कि 'मल्टी मोडल' परिवहन प्रणाली के दूसरे चरण के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। हैदराबाद की अभी सबसे महत्वपूर्ण मांग है-'कृपया हमें एम.आर.टी.एस. दीजिए। दिल्ली एम.आर.टी.एस. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई है। कृपया हमें एम.आर.टी.एस. दीजिए।

दूसरा विषय गोधरा घटना से संबंधित है। इस संबंध में मुझे माननीय रेल मंत्री से एक शिकायत करनी है। रेल मंत्री बनते ही सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है वह यह कि उन्होंने गोधरा जांच रिपोर्ट मंगवाई है। हमने आशा की थी कि अपने रेलवे बजट भाषण में वह गोधरा घटना पर एक नई जांच की घोषणा करेंगे। यह सर्वविदित बात है कि 5 जुलाई के 'आउटलुक' अंक में माननीय मंत्री का साक्षात्कार छपा है। हमारी मांग यह है कि वह रेलवे सुरक्षा बल की आन्तरिक जांच रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखें। सभी लोगों को पता तो चले कि गोधरा घटना से संबंधित वास्तविक तथ्य क्या हैं। उन्हें 'एस-6' डिब्बे में यात्रा कर रहे यात्रियों के नाम और जिन यात्रियों को उसमें मौत हुई उनके नाम सभा पटल पर रखने चाहिए।

अंत में, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। श्री लालू प्रसाद को उस जांच रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखना चाहिए और गोधरा

घटना की नई जांच का आदेश देना चाहिए। सिर्फ एक घटना के कारण हजारों निर्दोष व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया गुजरात में किसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम स्वर्गीय एहसान जाफरी के नाम पर रखें जिन्हें उनके परिवार के साथ निर्दयतापूर्वक मार दिया गया था। न्याय होना चाहिए।

20,000 उम्मीदवारों की भर्ती की जानी है। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि रेलवे पुलिस बल में 8000 रिक्तियों को भरा जाना है; और 11,000 नए पदों का सृजन किया गया है। रेल मंत्री ने साफ-साफ कहा है कि रेलवे बोर्ड की बजाय महाप्रबंधक इन पदों को भरे जाने का कामकाज देखेंगे। चूंकि हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ऐसा कहा गया है, अतः, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इन पदों की भर्तियों में अल्पसंख्यक समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिये जाने के लिए भी आदेश जारी करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है।

[हिन्दी]

लालू जी, हैदराबाद के लिए आप हमें एमआरटीएस दीजिए। गोधरा के मामले में दुबारा इन्क्वायरी आर्डर कीजिए। आपको जालिमों को कैफिर-ए-किरदार तक पहुंचना पड़ेगा। हमें आपसे पूरी उम्मीद है। जिन लोगों ने मुसलमानों का कत्ले-आम किया, उनको जरूर सजा दिलवाइए, उनको जेल में डालना चाहिए। शुक्रिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अब, मैं डा. अरुण कुमार शर्मा को आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): लालू जी, गोधरा कांड में जो कुछ हुआ, आप उस जानकारी को हाउस के साथ शेयर कीजिए, छिपाकर क्यों रखते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, आप पहले ही अपना भाषण सभा पटल पर रख चुके हैं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): मैंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है; मुझे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। मैं यहां बैठा हूं तथा मैं सब कुछ देख रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु: यहां बजट पर डिस्कशन हो रहा है। आप गोधरा कांड की जानकारी हाउस के साथ शेयर कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद यादव: देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु, कृपया अधीर मत होइए। कृपया मंत्री महोदय के जवाब की प्रतीक्षा करें। अब, मैं डा. अरुण कुमार शर्मा को आमंत्रित करता हूं। कृपया सहयोग कीजिए, डा. शर्मा।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। खादी की शुरुआत, प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने, कुलियों और नौकरी के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा जैसे कई अन्य लोकप्रिय कल्याणकारी उपायों की रेलवे बजट भाषण में घोषणा करने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं। किन्तु, साथ ही, उत्तर-पूर्व के सात राज्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करने के कारण मैं इस बजट का स्वागत नहीं कर सकता हूं।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस रेल बजट में संपूर्ण उत्तर-पूर्व क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह मेरा अनुभव है। मैं बोलने के लिए मजबूर हुआ हूं कि लालू जी ने उत्तर पूर्वांचल को वंचित करने के लिए कांग्रेस की जो नीति है, उसका अनुसरण किया है। जब लालू जी असम गये थे तो वहां उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जब वह सत्ता में आएंगे, असम की मदद करेंगे। लेकिन जब सत्ता में रेलवे मिनिस्ट्री मिली तो असम के लिए उनका कोई ज्यादा दर्द हम लोग नहीं देख पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर पूर्वांचल के जितने सांसद हैं, उन सबकी लालू जी एक बैठक बुलाकर हमारी जो समस्या है, उसको वह सुलझाने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ कुछ पहलुओं का ही उल्लेख करना चाहता हूं जिनमें हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है। मुख्य रूप से विद्युतीकरण के विस्तार के मामले में हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है। उत्तर-पूर्व में विद्युतीकरण के लिए एक किलोमीटर नई लाइन का भी प्रस्ताव नहीं है। हम मांग करते हैं कि गुवाहाटी

[श्री अरुण कुमार शर्मा]

तक की रेल लाइन का विद्युतीकरण कर दिया जाए। इस वर्ष आमान परिवर्तन के लिए 1000 कि.मी. रेल लाइन में से एक कि.मी. रेल लाइन भी उत्तर-पूर्व में नहीं है।

रंगिया-मुरकोंग्चेलेक खंड की 900 करोड़ रुपये की आमान परिवर्तन परियोजना के लिए, इस वर्ष सिर्फ 3 करोड़ रुपये की अल्प राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के लिए और राशि की आवश्यकता है। इस परियोजना के लिए और राशि जारी की जाए तथा इस खंड में आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। 3.5 कि.मी. लंबे डंगरी-सैखोआ लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही मंजूरी दी जाये। धुबुरी गोलक गंज सेक्शन के बीच आमान परिवर्तन का कार्य भी हाथ में लिया जाना चाहिए।

अब मैं नई रेलगाड़ियां चलाये जाने के मुद्दे पर आता हूं। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केवल एक नई रेलगाड़ी चलायी गयी है और वह भी झारखण्ड तक ही जाती है। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वाया जोगीघोपा पुल होते हुए ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे से और अधिक रेलगाड़ियां चलायी जायें तथा दक्षिण भारत के मुंबई और बंगलौर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के लिए रेलगाड़ियों की आवाजाही बढ़ायी जाये।

अब मैं रेलवे द्वारा अपनायी गयी आरक्षण नीति पर आता हूं। इस बारे में यह मांग होती रही है कि समूह 'घ' और समूह 'ग' के पदों पर भर्ती क्षेत्रीय आधार पर होनी चाहिए। मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस विषय को काफी गंभीरता से लें और देश के प्रत्येक क्षेत्र में इन श्रेणी के दरों पर भर्ती के लिए स्थानीय युवाओं को शत-प्रतिशत आरक्षण प्रदान करें।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि लखीमपुर और रंगिया रेलवे स्टेशनों को उत्तर पूर्व सीमा रेल में आदर्श रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाये। मेरा यह भी अनुरोध है कि कथल पुखुरी रेलवे स्टेशन में भी सुधार किया जाये तथा उत्तरी लखीमपुर के नकारी में एक रेल उपरिपुल का निर्माण किया जाये।

वर्तमान में गुवाहाटी में केवल एक सड़क-सह-रेल पुल है जो कि सरायघाट के पास है। यह पुल बहुत पुराना है जिसे 1962 में बनाया गया था। इसकी जगह पर तुरन्त एक नया पुल बनाये जाने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि वर्तमान भीड़भाड़ को कम करने के लिए विकल्प के रूप में एक सड़क-सह-रेल पुल बनाया जाये।

जहां तक नयी रेल पटरियां बिछाये जाने का सवाल है, मेरा अनुरोध है कि गुवाहाटी से सार्थेबाड़ी वाया मुकालमुआ एक नयी रेल पटरी बिछायी जानी चाहिए। असम के लोगों की यह लंबे समय से मांग रही है। शायद इस रेल पटरी के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को इसी वर्ष आरम्भ किया जाये।

मोइनागुड़ी-जोगीघोपा नई रेलवे लाइन, जो कि पूर्वोत्तर तथा बोगीबील पुल के लिए भी एक वैकल्पिक रेलमार्ग है, केवल 40-40 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। मेरा अनुरोध है कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जाये।

अंत में, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान बिहार से होकर पूर्वोत्तर तथा देश के दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने वाले यात्रियों को हो रही असुविधा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हो सकता है यह उन लोगों का कार्य हो जो माननीय रेल मंत्री को नीचा दिखाना चाहते हैं। इसलिए रेल मंत्री जी को इस ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए कि बिहार होकर जाने वाले रेलयात्रियों को पर्याप्त सुरक्षा मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि इस रेल बजट में राजस्थान की उपेक्षा तो की ही गई है, साथ ही राजस्थान का जो दक्षिणी सम्भाग है, जहां सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, उसकी भी पूरी उपेक्षा की गई है। रेल बजट पेश करने से पहले हम लोग रेल मंत्री जी से मिले थे। हमने उनसे कहा था कि यह सम्भाग रेल की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है इसलिए रेल बजट में आप कोई न कोई प्रावधान इस सम्भाग के लिए जरूर करें, जिससे यह क्षेत्र भी विकसित हो सके। ज.जा. आबादी की दृष्टि से जरूर हम लोग पिछड़े गिने जाते हैं, किंतु मिनरल्स की दृष्टि से उदयपुर सम्भाग पूरे राज्य में सबसे अग्रणी है। वहां चार तरह का मार्बल ग्रीन, पिंक, व्हाइट और ग्रेनाइट काफी पाया जाता है। इसके साथ ही वहां लाइम स्टोन, सॉफ्ट स्टोन और जिंक भी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पैदा होता है और खनन होता है। वहां रेल के अभाव में इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंडियों तक पहुंचाने में काफी तकलीफ होती है। मैं रेल मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि अगर हमारे उदयपुर सम्भाग में बड़ी रेल लाइन बिछा दी जाती है, तो उसका लाभ भाड़े के

रूप में रेलवे को भी होगा। उदयपुर के व्यापारी पूरे भारत में व्यापार के लिए जाते हैं, उनको भी आने-जाने में इससे सुविधा होगी। हम लोग जब उदयपुर से आते हैं तो दिल्ली आने के लिए केवल एक ही सीधी रेलगाड़ी है और वह पूरे 20 घंटे में यहां पहुंचती है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां ब्राडगेज लाइन नहीं है।

हमारा एरिया सैन्य दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। नागौर, सीकर और झुंझूनू के बाद उदयपुर सम्भाग से ही देश की सेवा करने के लिए लोग फौज में हैं। उनको देश के कोने-कोने में आना-जाना पड़ता है। उनके लिए भी सीधी रेल लाइन की सुविधा नहीं है। रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में अजमेर से उदयपुर के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन की बात कही है, लेकिन काम सिर्फ चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच ही शुरू हो रहा है। अजमेर से उदयपुर के लिए भी आमान परिवर्तन कराने का प्रावधान रेल मंत्री जी करें, तो बड़ी कृपा होगी।

इसी तरह से दक्षिण भारत में जाने के लिए, अहमदाबाद और मुम्बई जैसे औद्योगिक शहरों में जाने के लिए उदयपुर के व्यापारियों को काफी दिक्कत होती है। उदयपुर से अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर को बड़ी लाइन में जोड़ने का आग्रह किया गया था, इसकी भी प्रावधान मंत्री जी करें।

पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर कश्मीर के बाद सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला क्षेत्र है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसके साथ ही वहां से माऊंट आबू भी नजदीक है। अगर इसको बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाएगा, तो काफी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक वहां आएंगे। इसका लाभ पर्यटन विभाग को तो मिलेगा ही, रेलवे को भी मिलेगा।

मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि अजमेर से उदयपुर, उदयपुर से अहमदाबाद और रतलाम, यह पूरा सम्भाग बांसवाड़ा, डूंगरपुर का जो है, इसको रतलाम तक वाया प्रतापगढ़ जोड़ा जाए यहां कोई नई रेल लाइन का प्रावधान आपने रेल बजट में नहीं किया है। इसलिए इसका भी प्रावधान करें और इनका सर्वे कराकर नई रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू कराएं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): मान्यवर, माननीय लालू जी ने बड़ी चतुराई के साथ विधान सभा के चुनाव को ध्यान में रखते हु "यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम् पीवेत" वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कर्जा लेकर रेल को चलाने का काम किया है। मान्यबर, इसके पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था, उसका अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि उसी लाइन पर चलते हुए और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए इन्होंने उसी बजट को प्रस्तुत किया है। सुदूर क्षेत्र रेल परियोजना की थी, जिसमें नये पिछड़े इलाकों को जोड़ने के लिए परियोजना बनी थी, उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि जबलपुर से दमोह, पन्ना, खजुराहो जोकि बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका है और जिसका सर्वे हो गया है, इसको जोड़ने का कार्य किया जाए।

इसी तरह से ललितपुर, संगरौली वाया सतना, दमोह, रीवा रेल लाइनों को पिछली बार 30 करोड़ रुपये की राशि दी गयी तथा खजुराहो जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल से ये रेल लाइनें गुजरती हैं। यदि इस काम को तत्काल कराया जाता है और इसके लिए और बजट प्रदान किया जाता है तो बुंदेलखंड का क्षेत्र विकसित होगा तथा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही रेलवे को राजस्व भी प्राप्त होगा।

मान्यवर, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में विशेष निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि भोपाल एक्सप्रेस को ललितपुर में रोका जाता है तो बुंदेलखंड के टीकमगढ़ और छतरपुर के यात्रियों को रेल सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से तुलसी एक्सप्रेस को रोजाना चलाने से इस ट्रेक पर एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी और बुंदेलखंड के लोगों को महाकौशल के अलावा एक दूसरा साधन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हरपालपुर, निवाड़ी और ओरछा स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाओं की भी मैं मांग करता हूं। ओरछा भी प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल है तथा उसके विकसित होने पर भी सरकार को काफी लाभ होगा। इन सब बातों को अगर आप जोड़ देते हैं तो इन क्षेत्रों का अच्छा विकास होगा। इस बजट का विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बेतूल): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे रेलवे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दुनिया में एक अकेले प्रबंधन के अधीन सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली भारतीय रेलवे है। इसकी 62 हजार किलोमीटर की लाइनें हैं और 15 लाख कर्मचारी हैं। हिंदुस्तान की जनसंख्या से चार गुना ज्यादा लोग साल भर में रेलवे से यात्रा करते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक से डेढ़ करोड़ लोग रोजाना रेल से यात्रा करते हैं। लेकिन रेलवे की हालत प्रगति की ओर न जाकर ह्रास की ओर जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक छोटी सी बात लाना चाहता हूं। रेलवे अगर एक रुपये की कमाई करता है तो उसमें से 50 पैसे वेतन और पैंशन खर्च हो जाते हैं। बाकी में से 49 पैसे ईंधन, कर, स्टोर, लाभांश तथा अन्य मदों पर खर्च होकर विकास के लिए एक पैसा बचता है।

[श्री विजय कुमार खंडेलवाल]

चालीस हजार के ऑन-गोइंग प्रोजैक्टस हैं, जो हर साल सर्वे के लिए दे दिये जाते हैं। ये प्रोजैक्ट्स कब पूरे होंगे, इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ लुभावने वायदों से काम नहीं किया जा सकता है। आगे आने वाले समय में जैसा कि लालू प्रसाद जी ने विभिन्न इंटरव्यूज में कहा है, यह रुपया हम ले आयेंगे और हम कर्जा ले लेंगे। बजट में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है कि यह पैसा कहां से आएगा और जो पैसा कर्ज के रूप में लिया जाएगा, उसका भुगतान कैसे होगा।

महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। अपनी बात लम्बी न करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि स्टेशनों पर एसटीडी, पीसीओ, बुकस्टाल, शुद्ध पीने का पानी की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए। दलाल प्रथा बन्द होनी चाहिए। यात्रियों को टिकट सुविधा से मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। टिकट बिक्री के लिए जिस तरह से इंडियन एयरलाइंस में होता है, दूसरी कम्पनियों को, प्राइवेट एजेंसियों द्वारा व्यवस्था हो। इससे कमीशन का पैसा बचेगा और नौकरशाही को देने वाला भी पैसा बचेगा। कम्प्यूटर की सुविधा अधिक होनी चाहिए। सुबह छः बजे से रात 8 बजे तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए स्लीपर में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। जनरल क्लास के डिब्बे बढ़ाए जाने चाहिए अपने क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो रेलवे मंडल हैं–नागपुर और भोपाल। नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत नागपुर से बैतूल तक की दूरी 190 किलोमीटर है और बैतूल से इटारसी की दूरी 107 किलोमीटर है। जब एक्सप्रैस ट्रेन नागपुर से बैतूल आती है, तो तीन घन्टे में दूरी तय होती है और यही ट्रेन बैतूल से इटारसी जाती है, तो तीन घन्टे में दूरी तय करती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया स्टेशनों के नामों का उल्लेख करें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल: महोदय, इसी के बीच में एक स्टेशनन घोड़ाडोंगरी है, जहां पर पायाखेड़ा में कोयले का खदानें है। यहां सारनी में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का थर्मल पावर स्टेशन है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों के स्टापेज दिये जायें। घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन पर महानदी एक्सप्रैस जो भोपाल-बिलासपुर-भोपाल का स्टेशन दिया जाए। इसी प्रकार नागपुर-जबलपुर-नागपुर एक्सप्रैस का स्टापेज दिया जाए। जयपुर एक्सप्रैस जो जयपुर से चेन्नई, जयपुर से बैंगलोर तथा जयपुर से बिलासपुर चलती है। यह गाड़ी अलग-अलग दिनों में अलग-अलग स्थानों पर एक ही समय पर चलती है तथा जयपुर एक्सप्रैस के नाम से चलती है। इस गाड़ी का स्टापेज भी दिया जाए। आमला रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है। यहां पर भोपाल-बिलासपुर-भोपाल महानदी एक्सप्रैस का स्टापेज दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके पास दो पृष्ठों की सूची और है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल: महोदय, मैं कोई नई रेल लाइन की मांग नहीं कर रहा हूं। मुलताई रेलवे स्टेशन पर नागपुर-जबलपुर-नागपुर एक्सप्रैस का स्टापेज दिया जाए और जयपुर एक्सप्रैस, जो जयपुर से चेन्नई, जयपुर से बैंगलोर, जयपुर से बिलासपुर अलग-अलग दिनों में एक ही समय पर चलती है। इसका भी स्टापेज दिया जाए। बरबटपुर रेलवे स्टेशन पर जयन्ती जनता एक्सप्रैस का स्टापेज दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप काफी सहयोग देते रहे हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल: महोदय, इसी प्रकार पांचवें दिन भी चलने वाली स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से कन्याकुमारी जाती है, उसका हाल्ट भी बैतूल स्टेशन पर नहीं दिया गया है जबकि अन्य दिनों में स्टापेज दिया गया है, यह गाड़ी जब बैतूल स्टेशन पर नहीं रुकती है, तो लोग गाड़ी से कूदते हैं, नहीं तो नागपुर तक जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जुर्माना भी देना पड़ता है। इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र का हरदा जिला, जो भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आता है, इस जिले के प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों का स्टापेज दिया जाना चाहिए। टिमरनी रेलवे स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रैस, हरदा रेलवे स्टेशन पर पवन, दरभंगा एवं सचखंड एक्सप्रैस का स्टापेज दिया जाना चाहिए। खिरकिया रेलवे स्टेशन पर पवन एवं ताप्तीगंगा एक्सप्रैस का स्टापेज दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके बहुत से मित्रों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार खंडेलवाल: अंत में, हरदा जिला मुख्यालय है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग है और शहर के बीच में से पास होकर हरदा नगर में स्थित रेलवे लाइन क्रास करते हुए बैतूल की तरफ जाता है। इस मार्ग पर आवागमन काफी अधिक है। अत: यहां रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री निखिल चौधरी बोलेंगे। आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं, कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार): अध्यक्ष महोदय, सन् 2004-05 के रेल बजट पर आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे प्रसन्नता है कि रेलवे विभाग बिहार को ही मिलता रहा है। इससे पूर्व एनडीए की सरकार के समय हमारे रेल मंत्री थे। उन्होंने रेल के काम को आगे बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लालू प्रसाद जी ने यूपीए सरकार में रेल मंत्री के रूप में रेल बजट पेश किया। वह इसमें हमारा और देश का ख्याल रखेंगे। हम सभी को मालूम है कि रेलवे देश की लाइफ लाइन है। इसका विकास होना चाहिए। उसमें सबका समर्थन मिलना चाहिए। मैं इसलिए भी माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए। कहा जा रहा है कि यह चुनावी दृष्टि से किया गया कदम है। वह समय बताएगा लेकिन आपने जो कदम उठाए हैं, मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं।

आपने वृद्धों, विकलांगों और बधिरों के लिए कुछ कनसैशन दिए हैं। मेरा आग्रह है कि बहुत सारे कैंसर पेशैंट, हृदय रोगी इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में जाते हैं। उनकी माली हालात इतनी खराब होती है कि रेलवे की तरफ उन्हें विद अटैंडैंट जो रियायती टिकट मिलता है, वे उसे भी वहन नहीं कर पाते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इसे निशुल्क कर दें। जिस तरह से आज आपको सराहना मिल रही है वैसे ही और सराहना मिलेगी।

मैं अपने क्षेत्र की मांगों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्व में गोहाटी-ओखा एक ट्रेन चली थी। ट्रेन नम्बर 5635, 5636 बराक से पटना चलती है लेकिन यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलती है। मेरा आग्रह है कि इस ट्रेन को सप्ताह में पूरे दिन चलाया जाए। उसे तीन दिन वाया पटना चलाया जाए। तीन दिन आपके निर्वाचन क्षेत्र छपरा, गाजीपुर होकर चलाया जाए। मुझे विश्वास है कि इसे रेल मंत्री अहमियत देंगे। डिब्रूगढ़ से अमृतसर एक गाड़ी एनडीए सरकार ने चलायी थी। 5933, 5934 ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलती है। यह इस ट्रेन की स्थिति है। इसमें एक महीने पहले बुकिंग हो जाती है। उसमें जाने वाले यात्रियों को आरक्षण मिलता नहीं है। मेरा आग्रह है कि आप उदार हृदय के हैं, विकास की तरफ रास्ता बढ़ाया है, आप इस ट्रेन में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए सप्ताह में कम से कम पूरे दिन चलाएं। कटिहार से बरौनी तक इकहरी लाइन है। हम रेल का विकास चाहते हैं। हम जानते हैं कि कटिहार से बरौनी रेलवे लाइन पर कई नई ट्रेनें चली हैं जिससे इस लाइन पर दबाव बढ़ा है। रेल मंत्री यहां मौजूद हैं। कटिहार से उनका वास्ता है। वह बराबर कटिहार जाते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसके दोहरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। *...(व्यवधान)* उनका रिश्ता मेरे साथ पहले से जुड़ा है। वह थोड़ी कृपा करें। कटिहार से बरौनी जो रेल लाइन है वह इकहरी रेल लाइन है, इसके दोहरीकरण की दशा में तीन खंडों में काम शुरू हुआ है। मेरा आग्रह है कि इसकी गति को आगे बढ़ाया जाए जिससे ट्रेन संचालन का काम बढ़िया ढंग से हो सके। कटिहार से एक ट्रेन कोलकाता के लिए खुलती है जिससे नेपाल के लोगों को फायदा होता है। उस क्षेत्र के लोग कटिहार-स्यालदाह ट्रेन में कोलकाता जाते हैं। उसका विस्तार कटिहार से बरौनी कर दिया जाए। मेरा आग्रह है कि इसे पुन: कटिहार से चलाया जाए जिससे वहां के यात्रियों को सुविधाएं प्राप्त हों। कटिहार-बारसोई जंक्शन के बीच में एक गांव कमलपुर आता है जहां हाल्ट बनाये जाने के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी मानते हैं कि बिहार का पूरा कटिहार जिला बाढ़ से त्रस्त रहता है। आने-जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन का रास्ता बचता है। अगर वहां ट्रेन चलायेंगे तो जिन्दगी बची रहेगी, आशा है आप इसका ख्याल रखेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर-मध्य रेल जोन इलाहाबाद में झांसी डिवीजन आता है। उसके अंतर्गत कोंच के लिए एक शटल ट्रेन चलती रही है जिसे 1997 में राजस्व में हानि दिखाकर बंद कराने की कोशिश की गई थी लेकिन जन-आन्दोलन के कारण उसे पुन: चलाया गया। लेकिन अब पत्रों के माध्यम से और कार्यकर्त्ताओं ने बताया है कि झांसी मंडल के अधिकारी उसे फिर से बंद करने जा रहे हैं। यह शटल 100 साल से ज्यादा समय से चल रही है

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

जिसके द्वारा हजारों यात्री आते-जाते हैं लेकिन क्या कारण है कि रेलवे इसे हानि में दिखाकर बंद करने के लिए आमादा हो रही है। मेरा अनुरोध है कि इसे बंद न किया जाये। इस संबंध में एक सुझाव दूंगा कि यदि इस ट्रेन का स्टापेज आनन्दनगर और सतोए में कर दिया जाये तो उस क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने का अवसर मिलेगा और राजस्व की पूर्ति भी हो सकती है। इसके अलावा यदि इस शटल ट्रेन को उरई एवं कालपी तक बढ़ा दिया जाये तो निश्चित तौर पर ज्यादा पैसेंजर मिल सकेंगे। अधिकारी लोग जिस ट्रेन को हानि में दिखा रहे हैं, वह लाभ में चली जाएगी। यदि इस शटल को बंद कर दिया गया तो जन आन्दोलन होगा। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस शटल ट्रेन को बंद न किया जाये। कोंच स्टेशन को झांसी कानपुर मेन लाइन पर लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन और झांसी के बीच इकहरी लाइन है। लखनऊ से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां इसी मार्ग कानपुर से होकर जाती हैं और कानपुर से झांसी तक या झांसी से कानपुर तक 5-6 घंटे में गाड़ियां पहुंचती हैं। समय की बचत के लिए इस मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाई जाये एवं विद्युतीकरण किया जाये। मेरा एक अनुरोध यह भी है कि उरई स्टेशन के पास राठ रोड पर जो क्रासिंग है, वहां वाहनों का जमघट लगा रहता है और लोगों को भी परेशानी होती है, इसलिए वहां रेल-ओवर-ब्रिज बनाया जाये ताकि इस समस्या का हल निकल सके। उरई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म बहुत नीचे हैं, इसे भी ऊंचा किये जाने की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन। कृपया उन्हें केवल अपनी परियोजनाओं के बारे में बतायें। लम्बी-चौड़ी भूमिका नहीं बांधे और कृपया समय-सीमा का पालन करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपनी बात कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य है।

अध्यक्ष महोदय: बहरहाल, आप अपनी बात आरम्भ करें। सामान्य भाषण न दें। कृपया परियोजनाओं का ही उल्लेख करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं रेल बजट में अंतर्विष्ट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री के उस विचार का भी समर्थन करता हूं जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। उन्होंने अभी तक रिक्त पड़े रहे आरक्षित पदों को भरने की भी बात कही है।

इस संबंध में, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह रेल में महिलाकर्मियों के मामले पर विचार करें। अब हमें देशभर में महिला स्टेशन मास्टर तैनात करने चाहिए। हम महिला सशक्तीकरण युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए महिला स्टेशन मास्टरों के अलावा हमें रेलगाड़ियों में महिला गार्डों की नियुक्ति करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो रेल चलाने के लिए महिला ड्राइवर भी होनी चाहिए। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि माननीय रेल मंत्री इस बारे में काफी निर्भीक हैं क्योंकि उन्होंने इसी तरह बिहार में एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए, वह ऐसा करने में सक्षम है।

अध्यक्ष महोदय: आप महिला रेल मंत्री के लिए तो बल नहीं दे रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्होंने एक गृहिणी को बिहार की प्रख्यात मुख्यमंत्री बनाकर बहुत अधिक निर्भीकता का परिचय दिया है। इसलिए मै समझता हूं कि वह रेल प्रशासन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भर्ती करने में पूरी तरह समर्थ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): फिर उन महिलाओं की रक्षा के लिए आप और अधिक रेल पुलिस बल की मांग कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसलिए, मैं सोचता हूं इसके बाद रेल टिकट जांचकर्त्ता महिलाएं ही होंगी। मैं सोचता हूं कि रेल प्रशासन में रिक्त पदों को महिला अभ्यर्थियों से करने के लिए वह तुरन्त कदम उठायें और इस तरह उन्हें अवसर प्रदान करें।

अब मैं अपने राज्य के बारे में यह अनुरोध करना चाहूंगा कि त्रिवेन्द्रम रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य इसी वर्ष पूरा कर किया जाना चाहिए। इस बजट प्रस्ताव में केवल पलामू तक विद्युतीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। यह पर्याप्त नहीं है। हमें नयी रेल लाइनों को दोहरा करना चाहिए। यदि इस बजट में नहीं तो आप इसे अगले बजट में ला सकते हैं। हम केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों ने इस बारे में एक अभ्यावेदन दिया है और यहां तक कि हमारे मंत्री ने भी आपसे सम्पर्क किया है। इस समय जब आप उत्तर दें, तो उसमें आप केरल के लिए कुछ रियायतों की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि इससे केरलवासियों की कुछ आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। इन रेल प्रस्तावों के विरुद्ध पूरे राज्य में एक आंदोलन चल रहा था। इसलिए, इस समय में केरलवासियों के पक्ष में नये प्रस्तावों की घोषणा करके इसे कुछ शांत किया जा सकता है। महोदय, मैं समझता हूं कि केरल के लोगों के लिए कुछ रियायतों की घोषणा कर वह अपनी निर्भीकता और उदारता का परिचय देंगे। मैं आशा करता हूं कि वह ऐसा अवश्य करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री पुन्नू लाल मोहले बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री पुन्नूलाल मोहले, प्लीज कोआपरेट करें, केवल अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बोलिये।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बोलूंगा। लेकिन कुछ बातें मुझे बजट पर भी बोलनी है, जिन्हें मैं प्वाइंट्स में बोल रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): लिखकर दे दीजिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले: मैं लिखकर दे रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं बता भी रहा हूं। *...(व्यवधान)* महोदय, मुझे संरक्षण दिया जाए, आपने मुझे बुलाया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे में डकैत, चोरी, सीनाजोरी, घूसखोरी, कमजोरी, खाना, पखाना और दवाखाना, यही बजट के लिए है बताना, लालू जी कैसे बदलेंगे इनका जमाना, इनके ऊपर मेरी बात को कुछ लालू जी पहचाना। इन सब बातों पर मैं बोलना चाहता हूं। आप रेलवे में घूसखोरी को कैसे रोकेंगे। रेलवे में इतनी घूसखोरी हो रही है। रेलवे में आरक्षण व्यवस्था में टिकटों की ब्लैक होती है। माननीय लालू जी, आप इसे रोकने का क्या उपाय करेंगे, कृपया बतायें। रेलों में मरीजों को कितनी तकलीफ होती है, उनकी तकलीफें दूर करने के बारे में बतायें। किस तरह से आप रेलवे में उनके लिए व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बहुत से मरीज मर जाते हैं। उनके लिए या तो डाक्टर की व्यवस्था हो या वहां दवाखाना होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में रेलों में इतनी सीनाजोरी होती है। लोग ऊपर बैठे रहते हैं, आप नीचे की बात करते हैं। रेलवे की आरक्षित सैकिंड क्लास में लोग चढ़ जाते हैं। इस सीनाजोरी को रोकने के लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं। यह मैं जानना चाहता हूं। फर्स्ट क्लास और ए.सी. की करते हैं लोग ऐसी-तैसी, क्यों चढ़ेंगे लोग ए.सी.। रेलवे में ए.सी. आरक्षण में बिस्तरों की व्यवस्था होती है। बिस्तर लगाकर ए.सी. में यात्री सोते हैं। हम सांसद और विधायक तथा अन्य लोग जिनके पास धन होता है वे ए.सी. क्लास में सफर करते हैं, लेकिन बेचारे निर्धन लोग जो कमाकर पैसा लाते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती।

क्या माननीय रेल मंत्री जी सैकेन्ड क्लास के स्लीपर कोचेज में बिस्तरों की व्यवस्था कराएंगे? ट्रेनों में डकैती और चोरी को रोकने के लिए भी उपाय किये जाने चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए जो लोग कोयले का धंधा करते हैं, उनका रेल वैगन से माल आता है। उनके लिए रैक नहीं होती, वैगन नहीं होती और मालगाड़ी में अव्यवस्था के कारण ठेकेदार काम बंद कर देते हैं जिससे रेलवे को क्षति होती है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय करेंगे यह भी बताने की कृपा करें। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं।

छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने से उसकी अनदेखी की गई है। वह पिछड़ा क्षेत्र है और उसके विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। बिलासपुर से मंडला नई रेल लाइन का सर्वेक्षण हो चुका है। मैं अनुरोध करूंगा कि प्लानिंग कमीशन में भेजकर उसको स्वीकृति दी जाए। एक नई समग्र क्रांति एक्सप्रैस निजामुद्दीन से दुर्ग तक चलाने की जो योजना है, उसको वाया कटनी चलाया जाए जिससे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और बिलासपुर भी जुड़ेगा। अहमदाबाद एक्सप्रैस को बिलासपुर में चाकरमारा स्टेशन पर स्टॉपिज देने की आवश्यकता है। छोटे-छोटे स्टेशनों पर शैड नहीं है, पाखाने नहीं हैं, आरक्षण की सुविधा नहीं है। आप अनेक नई गाड़ियां चला रहे हैं। आप छोटे लोगों के विकास की बात कर रहे हैं। उन छोटे लोगों का ध्यान रखने के लिए मेरा निवेदन है कि सभी एक्सप्रैस गाड़ियों में अतिरिक्त जनरल बोगी लगाई जाएं छत्तीसगढ़ के अनेक जनपदों में और बिलासपुर में तिफरा फाटक के ऊपर ओवरब्रिज की व्यवस्था की जाए। बिलासपुर में बिल्टा स्टेशन पर नीचे ब्रिज की व्यवस्था की जाए। छोटे सुलभ स्टेशनों पर 3433 अप-डाउन पैसेंजर गाड़ी को रोका जाए। बिलासपुर के चिरमिरी के लिए एक गाड़ी चलती है। उसको रायपुर तक बढ़ाया जाए जिससे आम लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आपने रिक्त पदों में भर्ती की बात तो जरूर की है, विशेष अभियान चलाने की बात भी की है, लेकिन उसके लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए। छत्तीसगढ़ में रेलवे भर्ती बोर्ड का गठन किया जाए क्योंकि वह नया राज्य बना है। वहां के विकास के लिए नए रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना की जाए, यह मेरी मांग है।

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, कुल्हड़ बनाने वाले कुम्हारों, प्रजापतियों, गाय-भैंस का दूध बेचकर जीवन-यापन करने वाले अहीरों, गूजरों और गांव के अन्य किसानों, खादी का वस्त्र बनाने वाले कामगारों के घरों में आज लालू यादव जी

[डा. करण सिंह यादव]

की तस्वीर दखकर कोई भी आदमी यह अनुमान लगा सकता है कि यह रेल बजट बनाने वाले लालू जी इस जनता की नब्ज को पहचानने वाले हैं, गांव और गरीब आदमी की जरूरत को पहचानने वाले हैं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि जयपुर में अब किसानों में एक खुशी की लहर उठी है क्योंकि जयपुर डेरी और सरस डेरी के माध्यम से छाछ, मट्ठा और लस्सी बिकने लग गई है और लोगों को लगा है कि रोजगार का एक नया अवसर मिलेगा। जो लोग सामने दागी कहकर विरोध करते हैं, वह उस कुम्हार के चाक को जाकर देखें जो वर्षों से बंद पड़ा था और आज वह चाक चल रहा है और उसके घर में खुशहाली आई है। ऐसे रेल मंत्री की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है।

मैं राजस्थान से आता हूं। राजस्थान की जनता माननीय रेल मंत्री जी को बहुत प्यार करती है। जब मंत्री महोदय दिल्ली से सड़क मार्ग से जयपुर की तरफ जाते हैं तो लाखों की तादाद में गांवों के लोग दीवानों की तरह अपना काम छोड़कर सड़क पर खड़े रहते हैं। उस जनता की ओर से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। भिवाड़ी जो अलवर के पास है और दिल्ली से मात्र 75 किलोमीटर दूर है और रेवाड़ी स्टेशन से मात्र 25 किलोमीटर दूर है, वह राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहां पर पूर्व में भी जाफर शरीफ साहब के समय में सर्वे हुआ था। अगर उस पुराने सर्वे को निकालकर इसको रेवाड़ी की बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाए जो मात्र 25 किलोमीटर है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के उस क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदल जाएगी। वहां पर 1000 से अधिक उद्योग है।

महोदय, इनलैंड कंटेनरर डिपो की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें।

मैं दो छोटी-छोटी बातें और कहना चाहूंगा। पैलेस ऑन व्हील राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी है। यह गाड़ी दिल्ली कैंट से चलती है। विदेशी यात्री इसमें जाते हैं। अगर इस गाड़ी को दिल्ली कैंट की बजाय, खासतौर से विदेशी पर्यटकों को जितनी सुविधाएं चाहिए, वे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर नहीं होने की वजह से, इस गाड़ी का सफदरजंग रेलवे स्टेशन डिपार्टिंग स्टेशन बना सकें, तो मैं समझता हूं कि इस ट्रेन का बहुत लाभ होगा।

महोदय, एक-दो बातें और कहना चाहूंगा। राजस्थान के जैसलमेर से लाइमस्टोन बोकारो स्टील प्लांट और अन्य स्थानों पर आता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों इसका भाड़ा अधिक होने के कारण यह बहुत महंगा पड़ा। यह 130 ग्रेड की श्रेणी में आने के कारण महंगा हो गया है। ऊपर से रेल भाड़ा अधिक होने के कारण कारखानों को महंगा पड़ता है। जैसलमेर से मंगाए जाने वाला लाइमन स्टोन महंगा पड़ता है जबकि दुबई से आयातित लाइम स्टोन यहां सस्ता पड़ता है। इससे राजस्थान में मिनरल डैवलपमेंट की पासीबिलिटीज दिनोंदिन कम होती जा रही है। इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आप इसके रेल भाड़े में अवश्य कमी करें ताकि दुबई से आयातित लाइम स्टोन का जैसलमेर से आने वाला लाइम स्टोन मुकाबला कर सके और सस्ता पड़ सके और जैसलमेर एरिया में मिनरल डैवलपमेंट की पासीबिलिटीज डैवलप हो सकें। इस बारे में आप जरूर निर्णय लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेते हुए केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आश्रम एक्सप्रैस अहमदाबाद की तरफ जाती है। हमारे क्षेत्र में एक स्टेशन राजगढ़ है। वहां के सैकड़ों-हजारों लोगों ने मुझे सुबह रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे होकर निवेदन किया कि आदरणीय लालू यादव जी से हमारी ओर से विनती करना कि आश्रम एक्सप्रैस को राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर जाते और आते समय रुकवा दिया जाए यानी राजगढ़ पर आश्रम एक्सप्रैस का आते और जाते समय ठहराव किया जाए। इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के बारे में कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय के आदेश का सम्मान करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. करण सिंह यादव, मैं आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुभाष महरिया, कृपया समय का ध्यान रखें।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया (सीकर): अध्यक्ष महोदय, माननीय लालू यादव जी ने राजस्थान के खासतौर से कूमावतों को राहत देने के लिए रेलों में जो कुल्हड़ को बढ़ावा देने का ऐलान किया है, सबसे पहले उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान राजस्थान की तरफ दिलाना चाहता हूं। राजस्थान वीरों की भूमि है। देश की रक्षा पंक्ति में सबसे ज्यादा लोग राजस्थान से लगे हुए हैं। उन्हें रेलवे से यातायात करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, राजस्थान के जिस इलाके से मैं आता हूं, शेखावटी का इलाका, सीकर, झुंझुनूं, चूरू का इलाका, वहां के विकास के लिए 1970 के दशक में जो सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण में रेट ऑफ रिटर्न 15 प्रतिशत से ज्यादा दर्शाया था, लेकिन अभी तक रेवाड़ी, रींगस और फुलेरा तक रेलवे लाइन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। हालांकि आपने इस वर्ष के रेल बजट में इस सर्वेक्षण को अप-डेट करने की घोषणा की है। अगर इस लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाता है, तो रेलवे के राजस्व में काफी वृद्धि होगी। साथ ही जयपुर से लेकर सीकर तक और सीकर ने लेकर लोहारू तक जो अप-डेटेड सर्वेक्षण है, उसकी समय-सीमा को संशोधित कर सर्वेक्षण को अपडेट करने का काम जल्दी से इसे पूरा किया जाए। इसमें भी रेट आफ रिर्टन 19 प्रतिशत के करीब है, जो रेलवे के राजस्व में लाभ देने वाला है, हानि देने वाला नहीं है। सीकर से लेकर चुरू तक की भी यही स्थिति है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सर्वेक्षणों के अप-डेट करने की जो समय-सीमा तय की गई है उसमें जल्दी की जाए और इन लाइनों के आमान (गेज) परिवर्तन के लिए भी हम आपसे अनुरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं मंत्री जी का ध्यान कुछ और बातों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। मीनाक्षी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 9769/9770 जयपुर से पूर्ण के मध्य चलती है और जयपुर में इन गाड़ियों का ठहराव काफी समय तक होता है। इस गाड़ी को शेखावटी के सैनिकों के लिए, वीरों के लिए सीकर से जयपुर के लिए और जयपुर से सीकर के लिए बढ़ाया जाए तो काफी राहत मिल सकती है। सीकर स्टेशन वह रेलवे स्टेशन है जो काफी लाभप्रद है। रेलवे के नए मॉडल स्टेशनों के जो नियम हैं, यह उनकी श्रेणी में आता है।

आप इसे नोट करने की कृपा करें। सीकर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। नवलगढ़ फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का काम आखिरी चरण में चल रहा है। एक करोड़ रुपए की राशि रेलवे मंत्रालय की ओर से जानी बाकी है, उस राशि को तुरंत भेजा जाए ताकि वह काम पूरा हो सके और विधिवत रूप से उस पर यातायात शुरू हो सके। आप चेतक एक्सप्रैस का ठहराव कांवर में करने की निश्चित रूप से अपने भाषण में घोषणा करें। साथ ही जयपुर से मुंबई के लिए रिजर्वेशन की क्षमता में कुछ बढ़ोत्तरी की जाए ताकि उन्हें फायदा हो सके।

आपने, रेलवे मंत्रालय ने बजट से पहले हमसे जो चर्चा की, कागजात मांगे और जानकारी मांगी, उसके लिए धन्यवाद। आप राजस्थान को कुछ अधिक देने के प्रयास करें।

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं कर्नाटक के निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ उत्तर का प्रतिनिधित्व करता हूं। माननीय रेल मंत्री श्रीलालू जी ने सभी माननीय संसद सदस्यों को पत्र भेजा था कि वे रेल बजट पर अपने सुझाव दें। मैं कर्नाटक के उत्तरी भाग का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि एक पिछड़ा हुआ और उपेक्षित क्षेत्र है। मैंने दो बड़ी परियोजनाओं के बारे में केवल दो सुझाव भेजे थे।

मेरा पहला सुझाव गदग-बीजापुर आमान परिवर्तन परियोजना के बारे में है। इस परियोजना के लिए इस वर्ष के बजट में लगभग 19 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 120 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। बजट में यह उल्लेख किया गया है कि 79 करोड़ रुपये कर्नाटक अवसंरचना विकास उद्यम (कर्नाटक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट इन्टरप्राइस) द्वारा दिये जाने हैं। इस वर्ष भी आमान परिवर्तन का यह कार्य पूरा नहीं हो सकता क्योंकि दुर्भाग्यवश कर्नाटक की राज्य सरकार रेलवे को 79 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं कर सकती। एक ओर गदग तक बड़ी लाइन है और दूसरी ओर बीजापुर तक बड़ी लाइन है। अत: बीजापुर और गदग के बीच का हिस्सा एक टापू जैसा बन गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस परियोजना को एक अलग दृष्टिकोण से देखें और इस कार्य की शीघ्र पूर्ति हेतु और अधिक धनराशि आबंटित करें।

महोदय, मेरा दूसरा सुझाव अंकोला-हुबली लाइन के संबंध में है। इस वर्ष इसके लिए लगभग 18 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं लेकिन इस परियोजना को पूरा करने के लिए कुल 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की आवश्यकता है। यदि वर्तमान गति से ही यह कार्य चलता रहा तो यह परियोजना 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हो सकती। यही ऐसा एकमात्र मार्ग है जो भीतरी क्षेत्र को तटीय क्षेत्र से जोड़ता है। अत: मैं माननीय रेल मंत्रीजी से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस परियोजना हेतु विशेष प्रयोजन साधन निर्मित करें जैसा कि कुछ अन्य परियोजनाओं के मामले में भी किया गया है अन्यथा इस मार्ग का निर्माण कार्य कोंकण रेल निगम को सौंप दें।

तत्पश्चात, बंगलौर-कोल्हापुर रानीचेन्ननमा एक्सप्रैस अभी कोल्हापुर में ही समाप्त हो जाती है। पहले यह मिराज तक जाती थी। मिराज से कोल्हापुर तक इस रेल में औसतन 25 यात्री ही यात्रा करते हैं। फिर भी इसे कोल्हापुर में ही समाप्त किया जा रहा है। इस यात्रा में 2.5 घंटे से अधिक समय लगता है। कोल्हापुर से मिराज के बीच केवल 25 यात्री ही यात्रा करते हैं और इससे

[श्री प्रहलाद जोशी]

इसमें $2^1/_2$ घंटे का विलम्ब हो रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस मिराज में ही समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरी अंतिम बात, हुबली कार्यशाला के बारे में है। जब श्री देवगौड़ा प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने इस स्थान का दौरा किया था और उन्होंने हुबली कार्यशाला में डिब्बा विनिर्माण सुविधाओं के उन्नयन और आधुनिकीकरण का वादा किया था। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से यही अनुरोध है कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे सदन में पहली बार बोलने का मौका प्राप्त हुआ।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैं जबलपुर से चुनकर आया हूं, जो न सिर्फ संभाग का बल्कि पूरे महाकौशल का मुख्यालय है। वहां पर अनेकों आन्दोलन गोंदिया से लेकर जबलपुर के बीच में गेज कन्वर्शन को लेकर हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पिछली सरकार ने अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस गेज कन्वर्शन के लिए अनुमति दी और उसकी घोषणा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बालाघाट से गोंदिया के बीच का इसी मार्ग का जो कार्य है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं परन्तु मुझे खेद है। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। मैं क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: लेकिन अत्यन्त खाद के साथ कहना पड़ रहा है, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस बार के बजट में जो कार्य 90 प्रतिशत से ज्यादा पूर्ण हो चुका है, पुन: उसे ही सम्मिलित किया गया है, जबकि होना यह चाहिए था कि जबलपुर से बालाघाट के बीच के कार्य का बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए था। साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री महोदय बिहार के हितों को लेकर बहुत चिन्तित रहते हैं और यह होना भी चाहिए। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह गेज कन्वर्शन का काम पूरा हो जायेगा, उस दिन बिहार से दक्षिण की दूरी 273 किलोमीटर कम हो जायेगी। इससे न सिर्फ वहां जाने वाले यात्रियों का समय कम लगेगा, बल्कि उनका भाड़ा भी कम लगने वाला है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस गेज कन्वर्शन के संचालन का कार्य दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के द्वारा किया जा रहा है, जिसका छत्तीसगढ़ की राजधानी में मुख्यालय है। मैं कहना चाहता हूं कि 285 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन के गेज कन्वर्शन का कार्य 90 प्रतिशत से अधिक भाग मध्य प्रदेश में आता है। जबलपुर से पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, यदि इस कार्य को पश्चिम मध्य रेलवे को दिया जाये, उसका संचालन सौंपा जाये तो इसमें चूंकि सबसे प्रमुख काम भूमि अधिग्रहण का आता है, इससे उसके कार्य में बहुत आसानी होगी और यह कार्य शीघ्रता से पूर्ण होगा।

मेरा आपसे आग्रह है कि इस कार्य को इसी बजट में शामिल करने का कष्ट करें। मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जबलपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत कटनी में खिरैनी फाटक पर 24 में से लगभग 20 घंटे फाटक बन्द रहता है। इस फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण होना है, जिसे इसी बजट में शामिल किया जाये। साथ में जबलपुर से बिलासपुर वाया मंडला मार्ग के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इसे भी इस बजट में शामिल किया जाये।

मैं समाप्त कर रहा हूं। महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको अधिक समय दे सकता।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: जबलपुर से दमोह के बीच की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है, लेकिन अभी इस मार्ग पर लाइन न होने के कारण वाया कटनी होकर 200 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे भी इसमें शामिल किया जाये। जबलपुर से पूना के लिए एक सुपरफास्ट नियमित ट्रेन चालू की जाये, जो शाम को लगभग 6 बजे या इसके बाद जबलपुर से प्रारम्भ हो। जबलपुर से जम्मू के लिए एक सीधी ट्रन की भी हमारी मांग है। साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली से जबलपुर के लिए जिस सम्पर्क क्रांतित एक्सप्रैस की घोषणा की गई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप व्यवधान न डाले तो मैं आपको बुलाऊंगा। यदि आप व्यवधान डालेंगे तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: यह वास्तव में पिछली सरकार के द्वारा की गई है, इसके लिए समय-सीमा निश्चित की जाये।

मैं अंतिम बात अत्यंत खेद के साथ कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री जी द्वारा सभी सांसदों को पत्र भेजकर सुझाव आमंत्रित किये गये थे। मेरे जैसे नये सांसद पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था लेकिन मैंने अपने पत्र में जिन सुझावों को दिया था, उनमें से एक भी सुझाव इस बजट में शामिल नहीं किया गया। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राकेश सिंह, मैं आपको आपके भाषण पर बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, छः साल से हम जैसे बजट का इंतजार कर रहे थे, वैसा आम आदमी का बजट, सर्वहारा लोगों का, गरीब लोगों का, मिडिल क्लास और सभी क्लास के लोगों को न्याय देने वाला यह बजट है। जब लालू जी रेल मंत्री बने तभी हमारे मन में यह विचार आया था कि यह बजट ऐसा ही आयेगा।

यह बजट देकर लालू जी ने गरीबों को ऊपर चढ़ाने का काम किया

नीतीश कुमार जी ने भाड़ा बढ़ाने का काम किया।

इन्होंने तो हिन्दू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया

इसलिए इन लोगों को जनता ने भगाने का काम किया।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट खादी, कुल्हड़ मट्ठा और दुग्ध उत्पादन करने वाले लोगों को अपनी रोजी-रोटी कमाने देने वाला बजट है। कुम्हारों का भट्टा चलने वाला है लेकिन आपका भट्टा चलने वाला नहीं है। ...*(व्यवधान)* हमारा चलेगा क्योंकि हम यूनाइटेड है। आप नैशनल थे लेकिन हम तो यूनाइटेड है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन के लिए स्पेसीफिक ड्राइव चलाने की आपने एनाउंसमैंट की है। यह बात बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी के लिए भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो ऐक्सीडैंट होते हैं, जब कोंकण रेलवे में अभी एक्सीडैंट हुआ तब आप उधर आये थे। वह नेचुरल एक्सीडैंट था। एक्सीडैंट्स को रोकने का काम हम सब लोगों को करना है। एक एक्सीडैंट तो हमने रोक लिया है, हम सब लोग इकट्ठे आये हैं इसलिए अभी अपना एक्सीडैंट होने वाला नहीं है। पांच साल तक अपनी जो रेल है, वह चलती रहेगी। मुझे लगता है कि-

जब तक विरोधी दल का हंगामा रहेगा चालू,
तब तक रेल मंत्री रहेंगे लालू,
जब तक किसानों के खेत में रहेगा आलू,
तब तक हमारे साथ रहेंगे लालू,
जब तक हमारे साथ रहेगा डीएमके का बालू,
तब तक रेल मंत्री रहेंगे हमारे लालू,
लालू की बहुत तेज चल रही है रेल,
एनडीए का बंद हो गया है खेल,
सोनिया के विरोध में ये बजा रहे हैं हर रोज ढोल
क्योंकि लोक सभा चुनाव में अटल जी हो गये हैं फेल,
इसलिए ये रोज आ रहे हैं बेल,
क्योंकि लालू की तेज चल रही है रेल।

अध्यक्ष महोदय, इस रेल बजट का मैं पूरा सपोर्ट करता हूं। आप लोग सपोर्ट करें या न करें, यह रेल बजट बहुत अच्छा है और न्याय देने वाला बजट है।

आरएसएस का हमेशा नारा रहता है-दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसे से जलपान कीजिए। ...*(व्यवधान)*

मैं पंढरपुर क्षेत्र से आता हूं। वहां का जो काम बाकी है, उसके लिए पैसा देने का कष्ट कीजिए। कुरुवाड़ी में एक नैरोगेज वर्कशाप है। उसका रूपन्तर ब्रॉडगेज में करना चाहिए। पंढरपुर क्षेत्र के कुरुवाड़ी में आरपीएफ सैंटर है। उसे वहीं रखना चाहिए। केके एक्सप्रैस कुरुवाड़ी में नहीं रुकती। उसे वहां रुकवाने का काम कीजिए। इसके साथ-साथ कराड़-पंढरपुर नई रेल लाइन है। उसके लिए मंजूरी दे दीजिए। ...*(व्यवधान)* अहमदनगर से बीड़ तक एक रेल लाइन बनवाइये। उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। बारामती से लेकर पंढरपुर, श्री पवार की कौन्सटीटूएंसी से मेरी कौन्सटीटूएंसी लगी हुई है। इसके लिए हमें पैसा चाहिए। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): इन्होंने छः साल तक नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले: इसलिए हमने इनको यहां से भगा दिया। हमें आपसे पैसे की उम्मीद है। पांच साल में कुछ न कुछ पैसा मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* जिनको इस साल पैसा नहीं मिला, उनको अगले साल दीजिए, जिनको अगले साल भी

[श्री रामदास बंडु आठवले]

नहीं मिलेगा, उनको उससे अगले साल दीजिए और जिनको पांच साल में भी पैसा नहीं मिलेगा, उनको उसके बाद दीजिए। हरेक को पैसा बांटना है। यह बहुत अच्छा बजट है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाइं, आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

महोदय, मैं रेल बजट का विरोध नहीं करता परन्तु मैं बहुत व्यथित हूं। यह इस नई सरकार का पहला नीति वक्तव्य है। मेरे विचार से बजट बनाने की प्रक्रिया में बहुत अधिक प्रयास नहीं किया गया है और ऐसा लगता है कि यहां तक कि माननीय रेल मंत्री जी ने भी स्वयं रेल व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं किया है। वे रेल बजट पर पूरे वाद-विवाद को कुल्हड़, खादी, लस्सी, सब्जियों आदि तक ले आए हैं।

महोदय, वास्तव में रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह यात्रियों तथा सामान के परिवहन का साधन है और अन्य सभी चीजें गौण है। सबसे पहले उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि अधूरी परियोजनाओं को कैसे कितनी शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए या उनका उद्देश्य होना चाहिए। इसके स्थान पर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक व्हील और एक्सल संयंत्र की स्थापना करने की बात की। मैं उन पर स्वार्थी होने का आरोप लगाता हूं। रेल मंत्री जी ने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र हेतु 1,000 करोड़ रुपये रख लिए। पूरे देश के हितों को ध्यान में रखने के स्थान पर उन्होंने बिहार भी नहीं अपितु केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित को ध्यान में रखा है। इसीलिए मैं बहुत व्यथित हूं।

दूसरी बात यह है कि ये और इनके समर्थक इस बात पर बहुत गर्व कर रहे हैं कि यात्री और माल पर लगने वाले भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ठीक है, मैं इससे सहमत हूं कि आप मालभाड़े में वृद्धि नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

जब हल्ला-गुल्ला चल रहा था तब आपके द्वारा कहा गया था कि जो सदस्यगण रेल बजट पर बोलना चाहते थे, वे अपना लिखित भाषण दे दें। हमने समझा कि हाउस ऐडजर्न होने वाला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरचन्द्र पासवान: शायद हमें बोलने का मौका नहीं मिले। इसलिए हमने कुछ लिखकर दे दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इंटरप्ट मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरचन्द्र पासवान: हम नए सदस्य हैं, हम समझ नहीं पाए। हमें लगा कि हाउस ऐडजर्न हो जाएगा। आप हमारे गार्जियन हैं। हम नए आए हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत सी भावनाएं हैं जो छूट जाएंगी। इसलिए हमें थोड़ा बोलने का वक्त दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया थोड़ा सब्र करेंगे? मुझे देखने दें कि मैं क्या कर सकता हूं। कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें। मुझे देखने दें कि मैं क्या कर सकता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं, आप अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.00 बजे

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, यदि आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं यह बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं प्रत्येक सदस्य को बैठा सकता हूं? यहां तक कि आप भी ऐसा नहीं करते।

श्री राम कृपाल यादव: यह संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक माननीय संसद सदस्य को इस स्थिति को समझना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं यह जानता हूं कि हम माल भाड़े में वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे को सड़क परिवहन की ओर से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन

यदि हम परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करते हैं और यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तो हमें भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं है और भाड़े में वृद्धि होने दीजिए। लेकिन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा कीजिए और बेहतर सेवाएं प्रदान कीजिए।

महोदय, मुझे इस पर दो-तीन सुझाव देने हैं। एक बात सफाई अभियान के बारे में है। निराश्रित बच्चे रेलवे में सबसे बड़े सफाई कर्ता है। रेलवे के सफाई कर्मी डिब्बों की सफाई के लिए नहीं आते इसके स्थान पर वे किसी और व्यक्ति, निराश्रित बच्चों, को अपनी जगह पर रख लेते हैं और वे रेल डिब्बों में आते हैं। क्या माननीय रेल मंत्री जी यह देखने की कृपा करेंगे कि रेलवे ने जिन लोगों को सफाई के लिए नियुक्त किया है वे कम से कम वहां आएं तो?

दूसरी बात यह है कि मालगाड़ियों की गति बढ़ाई जानी चाहिए। रेल मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि मालगाड़ियों की गति बढ़ाई जाए जिससे की रेलवे अधिक आय अर्जित करना आरंभ करे।

तत्पश्चात्, संरक्षा विभाग को स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। सहायक वाणिज्य अधिकारी को संरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षा विभाग को यह सतर्कता विभाग की भांति शक्तियां दी जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जो कोई भी त्रुटि करें या अपने कर्त्तव्यों को निर्वहन न करे उसे दंडित किया जाएगा। मंडलीय रेल प्रबंधक और महाप्रबंधकों का कार्यकाल कम से कम तीन वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। अन्यथा, वे व्यवस्था को समझ नहीं पाते।

रेलवे को एक रेल सूचना प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे कि ऑनलाइन सूचना प्राप्त हो सके। श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पश्चिम रेल में यह प्रणाली विकसित की थी। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने का अनुरोध करूंगा जिससे कि हम जब भी पूछताछ कार्यालय में फोन करके पूछें तो वह हमें ये बता सकें कि रेल उस समय कहां है।

उड़ीसा के बारे में महानदी निरुपा पुल जो कि हावड़ा-चेन्नै मार्ग पर है, को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए। उड़ीसा के खनिज संसाधनों का अधिक दोहन करने हेतु दैतारी-बांसपानी और तालचेर-बिमलागढ़ परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। उड़ीसा के सुदूर अंतिम क्षेत्रों-कोरापुट और सम्बलपुर, को भविष्य में रेलों से जोड़ने हेतु दक्षिण-पूर्व रेल के खडगपुर मंडल में जालेश्वर पर एक साइडिंग खोली जानी चाहिए।

बालासोर रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर एक अलग बुकिंग कार्यालय खोला जाना चाहिए। दक्षिण-पूर्व रेल के खडगपुर मंडल में सोरो रेल समपार पर एक रेल अधोगामी मार्ग या रेल ऊपरी पुल का निर्माण किया जाना चाहिए।

अंत में बालासोर माल शेड को बेहतर बनाया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु बोलेंगे। मुझे खेद है मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बात करूंगा। सबसे पहली बात मैं यह कहूंगा कि रेलवे बजट में कोंकण रेलवे के बारे में शायद कुछ कहना माननीय रेल मंत्री जी ने आवश्यक नहीं समझा। लेकिन कोंकण रेलवे देश में पहली ऐसी योजना है। जो बहुत अच्छे तरीके से सामने आई थी कि प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन कैसा होना चाहिए। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल वहां बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से पैसेंजर सिक्योरिटी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोंकण रेलवे के साथ इंडियन रेलवे का जो व्यवहार रहा है, उसमें कुछ सुधार होने की आवश्यकता है क्योंकि कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन एक स्वायत्त संस्था है। उसकी वजह से काफी समस्या खड़ी हो रही है। कोंकण रेलवे की जो परिकल्पना की गई थी, उस समय कोंकण रेलवे मुम्बई से निकलकर कुंकड़ यानि जहां महाराष्ट्र की सरहद बंद होती है, वहां तक ही जाने वाली थी। उसको बाद में बढ़ाया गया। कोंकण की जो समस्या है, उसके बारे में रेलवे बजट में ज्यादा नहीं दिया गया, जैसे कि आपने कहा कि स्टॉल्स कुछ लोगों को देने चाहिए। कोंकण रेलवे के जो स्टॉल्स हैं, वहां एक पॉलिसी बननी चाहिए। सिर्फ लैंड लूजर्स जो हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दी, जिसके कारण कोंकण रेलवे बनी, उनको ही मिलनी चाहिए। उसी तरह से आज वहां की जो एम्पलॉयमेंट है, सिर्फ लैंड यूजर्स को ही मिलना चाहिए लेकिन उस तरह का रवैया हम कोंकण रेलवे में नहीं देख रहे हैं।

इसी तरह से कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के बोर्डर से गुजरती है, उसके स्टापेज महाराष्ट्र में कम हैं और कर्नाटक, गोवा तथा केरल में ज्यादा है। इसकी वजह से हमारे यहां से जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत होती है। कोंकण में महाराष्ट्र के सबसे गरीब लोग

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

रहते हैं। मैं यह मानता हूं कि कोंकण रेलवे उनके लिए एक आधार है, उस पर ध्यान देना चाहिए।

कोंकण रेलवे पर प्लेटफार्म्स और नए पुल नहीं बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कोंकण रेलवे को जो घाटा हो रहा है, रेलवे मंत्रालय उसकी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मैं चाहता हूं कि वन टाइम ग्रांट रेलवे द्वारा कोंकण रेलवे को देनी चाहिए, ताकि वहां प्लेटफार्म्स का अपग्रेडेशन और नए ब्रिजेज का निर्माण करने में आसानी होगी।

आपके कोंकण रेलवे में लस्सी देने का प्रावधान किया है। कोंकण रेलवे में ज्यादातर स्टाल कोका कोला के हैं। वहां इंडीजीनेस पेय बनता है, जिसको वोकम कहते हैं। यदि आप वहां कोका कोला का सामना करना चाहते हैं, तो कोकम के स्टाल वहां लगाने चाहिए। इससे लोकल इम्प्लायमेंट भी बढ़ेगा और वहां के किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक न्यूट्रिशियस और हैल्दी ड्रिंक कोंकण में आएगा। इसलिए पूरे देश में लस्सी के साथ-साथ कोकम को भी देने की जरूरत है।

आपने टिकटलैस पैसेंजर्स का पनिशमेंट बढ़ाया है। मुम्बई जैसे शहर में टिकट लेने में समय लगता है। लोगों को आफिस पहुंचना होता है इसलिए वे टिकट नहीं ले पाते। यदि वे टिकट नहीं ले पाते। यदि वे टिकट न ले पाएं तो उनको 250 रुपए तक फाइन देना होगा। मैं मानता हूं कि यह उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए कुछ अन्य प्रावधान होना चाहिए। तीन-तीन महीने का लोग पास बनाते हैं और ट्रैवल करते हैं। पास खत्म हो जाता है, उनको पता नहीं चलता कि कब इसका रिनुअल कराना है। अगर एक दिन पास रिनुअल नहीं हुआ तो उनको 250 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वह देने की नौबत न आए, यह आप देखें।

रेलवे में काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि टिकट के साथ ही विजिलेंस कवर भी पैसेंजर्स को देने की जरूरत है। अंदर आने के बाद जो बैग्स कैरी करते हैं, उन बैगेज की चोरी हो जाती है, उसका भी इंशोरेंस देना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि टिकट के साथ इंशोरेंस को भी देने की आप कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, रेल की संरक्षा और सुरक्षा के प्रबंधन की आवश्यकता है। खानपान सुविधा की गुणवत्ता और सफाई के प्रबंध की भी आवश्यकता है। लेवल क्रासिंग पर नो एक्सीडेंट और रेल दुर्घटना से बचाव की जरूरत है। इस तरह के कुछ प्रस्ताव रेल बजट में आए हैं, उनको प्रभावशाली करने की जरूरत है। यह बजट रेल यात्रा में सुरक्षा व लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने में सक्षम होगा, मैं चाहता हूं कि रेल यात्रा में सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, जिससे आम आदमी की रेल यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। उसके लिए आपने प्रावधान किया है और यह भी कहा है कि तीर्थ स्थानों में जाने के लिए लोगों की यात्रा सुगम बनाई जाएगी। इन उपायों को कारगर करने के लिए लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में जनरल कोचेज बढ़ाए जाएं।

मैंने रेल बजट पढ़ा है और उसके हर बिंदु का अध्ययन किया है। आपने रेल की प्रबंध प्रणाली स्थापित करने के लिए अलार्म सिस्टम लगाने की बात कही है। इसमें मेरा कहना है कि इन सभी प्रणालियों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है, अन्यथा हर रेल बजट में इस तरह से रेल के आधुनिकीकरण की बात तो होती है और हम उसे पढ़ते हैं, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाती। इसलिए जितने उपाय आपने बजट में किए हैं, वे सुनिश्चित रूप से पूरे हो जाएं, इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे तो निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा।

रेलवे क्रासिंग्स पर काफी एक्सीडेंट होते हैं। इससे काफी बड़ी दुर्घटनाएं भी होती हैं। उनको रोकने के लिए, जहां चौकीदार नहीं है, वहां आप उसकी व्यवस्था करने वाले हैं। मेरा कहना है कि उसको प्राथमिकता के आधार पर करें। बड़े शहरों के बीच में कई ऐसे रेलवे क्रासिंग हैं, जहां कोई चौकीदार नहीं है इसलिए उसकी व्यवस्था वहां की जाए। मेरे क्षेत्र में उज्जैन और देवास के बीच रेलवे क्रासिंग है, वहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसी तरह मक्सी और देवास का जो खंड बनाया है, वहां भी एक्सीडेंट होते हैं।

अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे क्षेत्र के आलोट, खाचरोद और उन्हेल प्रमुख स्टेशन हैं। स्टेशनों की बिल्डिंग बहुत पुरानी है। स्टेशन बिल्डिंग्स का विस्तार करके उसे सुविधायुक्त बनाया जाए। उसके सामने खुला मैदान है जहां सफाई नहीं रहती है। उसकी फैंसिंग करके उसे अधिक साफ और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। प्लेटफार्म्स के उन्नयन करने की आवश्यकता है। आलोट, खाचरोद और उन्हेल के स्टेशनों पर कम्प्यूटराइज्ड रिजर्वेशन की सुविधा होनी चाहिए। इन स्टेशनों का मावा, सब्जियों का लादान करने की उपयुक्त सुविधा होनी चाहिए। उज्जैन, कोटा, उज्जैन के बीच पैसेंजर गाड़ी, ईएमयू चलाने का प्रबंध करें। उज्जैन-इंदौर-उज्जैन के बीच डीएमयू मीटरगेज और ब्रॉडगेज दोनों पर चलाई जाए। उज्जैन-फतेहाबाद-इंदौर का मीटरगेज से ब्रॉडगेज में कंवर्शन किया जाए। उज्जैन-देवास-इंदौर का विद्युतीकरण करने की आवश्यकता है। उज्जैन-नीलगंगा तथा नागदा बिरला ग्राम की ओर स्टेशनों का विकास किया जाए। उज्जैन-आगर-रामगंज मंडी के सर्वेक्षण को स्वीकृति

दी गयी है। सर्वेक्षण के बाद निर्माण के काम को तेजी देने का काम किया जाना चाहिए। पलसोड़ा को हाल्ट स्टेशन बनाने का काम करें। आरओबी मक्सी रोड पर बना है। उसको आगर-इंदौर-कोटा मार्ग से जोड़ने के लिए आरओबी की स्वीकृति दें मक्सीरोड औद्योगिक क्षेत्र के लेवल-क्रासिंग को बंद कर दिया गया है, उसे प्रारम्भ किया जाए। उज्जैन-नागदा के स्टेशन पर पोर्टर कुलियों, भारवाइकों के लिए विश्रामालय उपलब्ध कराया जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. सत्यनारायण जटिया, काश मैंने आपको अधिक समय दिया होता। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: (हापुड़): अध्यक्ष जी, जब तक आलू, तब तक लालू। आज देश लालू जी के बजट को और यूपीए की सरकार को सराह रहा है। कुछ लोगों का कर्म-धर्म मात्र आलोचना करना ही होता है। पूर्व में माननीय नीतीश कुमार जी के समय में जो एक्सीडेंट्स होते थे वर्तमान में ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं हुए हैं। माननीया सोनिया गांधी जी और माननीय मनमोहन जी के नेतृत्व में लालू जी ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं और सब ओर उनकी प्रशंसा हो रही है। मान्यवर, मैं गाजियाबाद-हापुड़ लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। गाजियाबाद और उसके आस-पास पूर्वांचल के लाखों लोग निवास करते हैं जिन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। पूर्व रेल मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने गाजियाबाद में बहुत मालाएं गले में डलवाई थीं लेकिन पूर्वांचल की एक भी गाड़ी को रूकवाने का कार्य नहीं किया, जिससे हमारे लोगों को असुविधा हुई। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूर्वांचल के लोगों को सुविधा दिलाने के लिए वहां से पूर्वांचल जाने वाली गाड़ियों को रूकवाने की व्यवस्था करवाई जाए। हापुड़ में गेट नम्बर 73 जो दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ता है उसको खुलवाने की भी वे व्यवस्था करवाएंगे। मोदी नगर जो ट्रेनें आती हैं, हजारों की संख्या में वहां से यात्री गुजरते हैं। वहां पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए पैदल-पुल बनाएंगे तो एक्सीडेंट्स में कमी आने की संभावना रहेगी। संभावली में दिल्ली और यूपी को जोड़ने के लिए एक पुल मोहन नगर बाईपास पर बनने जा रहा है। उसका लगभग 63 लाख रुपया गाजियाबाद प्राधिकरण द्वारा निर्गत कर दिया गया है। लेकिन एक छोटी सी रूकावट रेलवे की है। हम अनुरोध करेंगे मान्यवर मंत्री जी से कि वह रूकावट खत्म की जाए जिससे दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का जो पुल है निश्चित तौर पर लोगों को उसका लाभ मिले। जब गाड़ी खराब हो जाती है, तो हजारों की संख्या में गाड़ियां खड़ी हो जाती है।

महोदय, तमाम उत्थान के काम रेल मंत्री जी ने किए हैं। कुल्हड़, लस्सी, जलपान, सुरक्षा और खादी और इससे भी ऊपर उन्होंने भारत दर्शन की सुविधा दी है। हम भी बूढ़े हो रहे हैं। किसी भी धर्म के लोगों के लिए, चाहे हिन्दू हों या सिक्ख या मुसलमान, सभी के लिए व्यवस्था की है। इतिहास में पहली बार हुआ है, जो गाते थे, बजाते नहीं थे, लेकिन जिन्होंने गाया नहीं, उन्होंने बजा दिया। निश्चित तौर पर इन सब का लाभ देश की जनता को होगा।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूं कि जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि माननीय रेल मंत्री जी ने भाड़ा नहीं बढ़ाया है, नहीं तो हम बजट का स्वागत करते। मंत्री जी ने मात्र 20 रुपया जो बढ़ाया है, उस पर ही हंगामा हो रहा है, अगर कहीं रेल भाड़ा बढ़ा देते, तो पता नहीं क्या करते। यह विषय सोचने का है, विचार करने का है। भाड़ा बढ़ाने के लिए भी कहते हैं और विरोध भी करते हैं। रेल मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

माननीय सदस्यों, तीन नए माननीय सदस्य है सभा में शोर गुल के कारण, कुछ भ्रम हुआ था और वे लिखित वक्तव्य अथवा लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ थे। इसलिए वे गलतफहमी के शिकार हुए। मैं केवल उन तीन सदस्यों को ही बुला रहा हूं इसे कोई पूर्वोदाहरण मत बनाइएगा। यह एक विशेष अवसर है क्योंकि वे नए माननीय सदस्य है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में कहे और वे जो भी कहना चाहेंगे उनके भाषण को सम्मिलित किया जाएगा। कृपया सहयोग कीजिए। उनके सभा की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण हमें यह करना पड़ रहा है।

अब श्री लाल सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप पहले मेरी बात सुनिए। आप परेशान क्यों होते हैं, देखिए अंत तक क्या होता है। जो नए सदस्य हैं, उनकी मदद करनी चाहिए।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है, यह ठीक है कि हमें जानकारी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात रखना नहीं जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सदन में सभी सदस्य अपने क्षेत्र की नुमाइन्दगी करने के लिए आए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुख्य बात पर आइए। मैं आपको अवसर दे रहा हूं और आप उसको बरबाद कर रहे हैं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मैं अपने अवसर का उपयोग कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, रेल बजट माननीग मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने सदन में पेश किया है। मैं इस बजट की ताईद करता हूं। वे काबिल आदमी हैं, उन्होंने गरीबी और मुफलिसी को देखा है, गांवों को देखा है। ऐसा व्यक्ति ही अच्छा बजट बना सकता है। मैं इस मौके पर रियासत-ए-जम्मू-काश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं। हम लोग टरमायल की स्थिति में है। आप हमारी स्थिति को बेहतर जानते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैं हादसे में बचकर आया हूं। उस हादसे में सात-आठ लोग मारे गए हैं। आप हमारे कस्टोडियन हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में जो रेल लाइन है, वह सबसे ज्यादा मेरे निर्वाचन क्षेत्र ऊधमपुर में आती है जिसमें कठुआ से बनिहाल तक की है। इसमें डोडा जिला भी आता है और यहां रेल चलती है। जम्मू कश्मीर में और कहीं रेल नहीं चलती है। बाकी जगह काम चल रहा है। मैं लालू जी से कहना चाहूंगा कि जिन किसानों और जमींदारों की जमीनें ली गईं, उनको मुआवजा बहुत कम मिला। वहां बाहर के लोगों को सर्विस दी जा रही है। हमेशा कहा गया कि जिस किसान की जमीन ली जाएगी, ऐसी इफैक्टिड फैमिली के एक आदमी को नौकरी दी जाएगी और योग्यता के मुताबिक काम पर रखा जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो बड़ी मुसीबत होगी। वहां कान्ट्रैक्ट जैसे कई छोटे-छोटे काम है और वहां शापिंग काम्पलैक्स हैं। ऐसी कई छोटी-छोटी जगहें हैं, जहां उनको काम पर रखा जा सकता है। मैं किसानों की प्राबलम इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि उनकी हालत बहुत खराब है। पहाड़ों में मिलिटैंट्स ने उनकी भेड़ें और बकरियां खा ली हैं। उनके पास कुछ नहीं रहा। इसलिए उन्हें स्पैशल ट्रीटमैंट सर्विस में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत समय से ऊधमपुर लाइन ऐसे ही पड़ी है। वहां रेलवे स्टेशन बना हुआ है। मेरा सबमिशन है कि ऊधमपुर के लोग बड़ी आंखें बिछाए बैठे हैं कि कब लालू साहब आएंगे और इसका उद्घाटन करके झंडी हिलाएंगे। इसके बनने से उस इलाके के लोगों को बहुत फायदा होगा। हिमगिरी और मालवा एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टापेज गोविन्दसर, जो डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर कठुआ का है, वहां नहीं है। इसे वहां दो मिनट के लिए रोका जाए। जम्मू-मुम्बई सुपर फास्ट ट्रेन 2471-2472 जो सप्ताह में दो दिन चलती हैं, यह डेली चलनी चाहिए ताकि लोगों को यात्रा करने में सुविधा हो। हमारे यहां शताब्दी नहीं चलती है। उसे भी जम्मू से शुरू करना चाहिए। 65-70 लाख लोग वैष्णोदेवी के दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। आगे-पीछे इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहां की रेलवे ब्रिज बनाने की भी मांग है। हमारे यहां के पहाड़ी इलाकों में इतने काम्पीलकेटिड रास्ते हैं कि एक किनारे से दूसरे किनारे में यात्रियों को ट्रेन दिखायी नहीं देती है जिससे एक्सीडैंट हो जाते हैं-जैसे लखनपुर, जगतपुर, मटांडी, सैंसवां, छन और खतरियां में लगातार एक्सीडैंट हो रहे हैं। यहां रेलवे ब्रिज बनाए जाएं।

हमारे यहां से एक ट्रेन हरिद्वार के लिए जाती है। लोग बुजुर्गों की अस्थियां लेकर हरिद्वार जाते हैं। इसका समय जम्मू से साढ़े ग्यारह बजे का है। डोडा से जम्मू तक का जो सौ किलोमीटर का डिस्टैंस है, वहां पहुंचने में दो बज जाते हैं। इस ट्रेन का चलने का समय जम्मू से आठ पीएम रखा जाए। इतना ही मुझे कहना है। मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने मेरी सिफारिश की है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं वरना मेरा काम तमाम हो जाता है। इसी के साथ मेहरबानी, शुक्रिया और धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा मत समझिए कि उनकी सिफारिश के कारण, मैंने आपको बुलाया है लेकिन उनका हमेशा ही स्वागत है

[हिन्दी]

आप बहुत अच्छा बोले हैं। गुस्सा किस लिए करते हैं?

[अनुवाद]

***चौधरी लाल सिंह:** माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय रेल मंत्री के ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है क्योंकि इसमें भारत के किसी भी व्यक्ति पर कोई भार नहीं पड़ा है। कठुआ, उधमपुर और डोडा में अधिकतम रेल लाइन बनाई जा सकती है। शापिंग काम्पलेक्स बनाकर किसानों को सेवाएं और सुविधाएं दी जाएं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उधमपुर रेल लाइन का कार्य पूरा हो गया है और उस क्षेत्र के लोग इसके उद्घाटन का बेसब्री में इन्तजार कर रहे है। लखनपुर, चान आदि जैसे इन्टर सैक्शन पर फाटक और पुल बनाए जाएं। जम्मू-बम्बई गाड़ी संख्या 2471-2472 को रोज चलाया जाए और जम्मू से दिल्ली के बीच रेलगाड़ियों को एक दिन छोड़कर अर्थात् वैकल्पिक दिनों पर चलाया जाए। हरिद्वार के लिए हेमकुंड एक्सप्रेस का प्रस्ताव समय जम्मू से सायंकाल 8.00 बजे किया जाना चाहिए। शताब्दी को जम्मू से चलाया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रबंधों को भी सही किया जाए।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, यह मेरा पहला भाषण है। मैं कन्नड़ में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपने कुछ लिखित में दिया है। अत: केवल मुख्य बातों का ही वर्णन कीजिए।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री को 2004-05 के लिए उत्कृष्ट रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह आम जनता का बजट है। जिसमें यात्री किरायों अथवा माल भाड़े में वृद्धि नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवन्ना आप कन्नड़ में बोल सकते है हमारे पास समानान्तर भाषान्तरण की सुविधा उपलब्ध है।

श्री एम. शिवन्ना: इस बजट की हमारे देश को सभी धर्मों ने प्रशंसा की है। माननीय मंत्री ने कुछ नए कार्यों को शुरू करके भारतीय रेलवे की सेवाओं को सुधारने का अच्छा प्रयास किया है मैं लालूजी के रेल बजट का तहेदिल से स्वागत करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी को बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं और इसके साथ-साथ मैं खेद भी प्रकट करना चाहता हूं कि जहां तक कर्नाटक को धनराशि आवंटित करने का संबंध है माननीय मंत्री जी ने कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

प्लास्टिक के स्थान पर कुल्हड़ का प्रयोग बहुत अच्छा प्रयास है और यह रोजगारोन्मुखी है। इस बजट में माननीय मंत्री ने कपास बुनकरों, हथकरघा और हस्तशिल्पों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है।

कर्नाटक में तीन नई गाड़ियां चलाई गई है। वे बंगलौर-वंगरपेट एक्सप्रेस, मैसूर-धारवार एक्सप्रेस और चैन्नई हुबली एक्सप्रेस है। संकरान्त एक्सप्रेस को इस बजट से हसन-श्रावण वेलागोला बड़ी लाइन के कार्य को पूरा करने के बारे में कहा गया है। यह लाइन हसन-बंगलौर बड़ी रेल लाइन से जुड़ेगी जो भारतीय रेलवे के इतिहास में अधिक उपयोगी होगी।

माननीय मंत्री जी हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन कार्य और होसपेट और गूंटाकाल के बीच दोहरीलाइन के कार्य को तेज करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा उपायों को उच्च वरीयता दी है और उन्होंने इस प्रयोजन के लिए तुरंत पर्याप्त राशि की आवंटित की हैं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भूतपूर्व सांसद श्री श्रीनिवास प्रसाद ने चामराज नगर और मैसूर के बीच रेलवे लाइन को पूरा करने में पर्याप्त रुचि ली थी। जब वह केन्द्र में मंत्री थे तो उन्होंने परियोजना को तेज करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया था। उपरोक्त रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के लिए उस समय 17 करोड़ रुपये दिए गए थे। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से मैं माननीय श्री श्रीनिवासन प्रसाद का आभारी हूं। इस परियोजना के लिए कुल अनुमानित परिव्यय 176 करोड़ रुपये है लेकिन मात्र 44.29 करोड़ रुपये ही चालू रेल बजट में आवंटित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह 132 करोड़ रुपये की शेष राशि में से कम से कम और 100 करोड़ रुपये जारी करे ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की इस स्वप्न परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। यह रेलवे लाइन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्पर्क लाइन है। इससे हजारो बेरोजगार युवको को रोजगार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। मेरे निवार्चन क्षेत्र में व्यवस्थित गतिविधियों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा।

नंजनागुड एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसलिए मैसूर चामराजनगर के आमान परिवर्तन को तुरन्त शुरू किया जाए। मैसूर के महाराजा ने 78 वर्ष पहले इस लाइन को बनवाया था। यह रेलवे लाइन नंजनागुड, गुडलूर, भजनपुरा और नीकामपुर से होकर जाएगी इससे कर्नाटक के लोग सीधे ही केरल जा सकेंगे। हजारों युवकों की रोजगार मिलेगा। कावेरी और काविनी के होते हुए भी यह जिला भारी सूखे की चपेट में आ रहा है। इसके साथ-साथ रेल मंत्रालय चामराजनगर और बंगलौर के बीच बरास्ता मालावाली और कनकपुरा एक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाना चाहिए।

नंजनागुड और चामराजनगर के बीच रेल लाइन पर कम से कम चार उपरी पुल बनाए जाने हैं। इसके साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पहिया बनाने का कारखाना बनाया जाए। माननीय मंत्री ने बिहार में छपरा में एक पहिया बनाने के कारखाने को मंजूरी दी है। वही सहानुभूति मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए होनी चाहिए जहां लोगों पर गरीबी की मार पड़ रही है। मैं आशा करता

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

हूं कि अनुपूरक बजट में इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।

केन्द्र सरकार को सरकुलर रिंग रेलवे को अविलम्ब मंजूरी प्रदान करनी चाहिए। कर्नाटक के लोग पिछले तीन दशकों से इस सरकुलर रेलवे लाइन के लिए मांग कर रहे हैं। बंगलौर-रामनगर रेल मार्ग के दोहरीकरण के कार्य को समय पर पूरा किया जाना चाहिए और इस दोहरी लाइन को मैसूर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। बंगलौर-मैसूर रेल लाइन का विद्युतीकरण एक अन्य लम्बित कार्य है। मैं आशा करता हूं कि इसे भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

रेल मंत्रालय का कुल परिव्यय 14,498 करोड़ रुपये है। मेरे राज्य कर्नाटक को मात्र 270 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए है। मेरे राज्य की उपरोक्त मांगों को देखते हुए मेरे राज्य के लिए वर्ष 2004-05 के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये प्रदान किये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवन्ना, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। ये सभी बाते आपके लिखित भाषण में है। आप जो कुछ भी कह रहे है वह कार्यवाही वृत्तांत में पहले ही है।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय यह मेरा पहला भाषण है।

अध्यक्ष महोदय: यह तो बहुत अच्छा भाषण है।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, रेल बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके पहले भाषण पर आपको बधाई देता हूं तो आप अधिक धन चाहते हैं और यह बिल्कुल ठीक भी है। माननीय मंत्री जी आपका समर्थन कर रहे है। श्री शिवन्ना, मैं आपके पहले भाषण पर आपको बधाई देता हूं मुझे विश्वास है कि आपके मतदाता देखेंगे कि आपने संसद में कितनी अच्छी तरह से बोला है।

[हिन्दी]

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने के लिये समय दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या-क्या चाहते हैं, उस पर बोलिये।

श्री वीरचन्द्र पासवान: अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेशानुसार शौर्ट में और बहुत अल्पसमय में अपनी बात रखूंगा।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अगर ज्यादा विलम्ब हो तो फिर माननीय सदस्यों के लिये भोजन का इन्तजाम करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: वह तो ठीक है। पासवान जी, आप जल्दी जल्दी खत्म कीजिये। भोजन की जरूरत नहीं है।

श्री वीरचन्द्र पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004-05 के लिए माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी ने जो रेल बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो रेल बजट माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व बजट है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने क्षेत्र के बारे में बोलिये।

श्री वीरचन्द्र पासवान: इस बजट में हिंदुस्तान के हर तबके, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का पूरा ख्याल रखा गया है। यह बजट पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत है, इसमें सभी पर समान दृष्टि डाली गई है। कोई भी ऐसा तबका नहीं है, जिसे इनमें छोड़ा गया हो। चाहे वह वंचित समाज हो, बुनकर समाज हो, कुम्हार जाति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसान हो या मजदूर हो, इन तमाम लोगों से जुड़े हुए मामलों को इसमें शामिल किया गया है। तमाम लोगों की खुशहाली की बात इसमें सोची गई है। आज सारा हिंदुस्तान इस बजट से आशा और उम्मीद बांधे हुए है और निश्चित तौर पर सभी को रोजी-रोजगार दिलाने में यह बजट सक्षम साबित होगा और आने वाले दिनों में सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के अनुरूप यह बजट अपने आपमें सिद्धांत साबित करेगा, पूरे हिन्दुस्तान को इस बात का भरोसा है। महोदय, आपने मुझे समय-सीमा में बांध दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आप जल्दी से अपने क्षेत्र के बारे में बोलिये।

श्री वीरचन्द्र पासवान: मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताता हूं। मैं बिहार से आता हूं। बिहार बहुत समय से काफी उपेक्षित और पिछड़ा रहा है। इसके कई कारण हैं-प्रथम तो वर्षों से कुछ राजनीतिक कारण हैं और इच्छाशक्ति का अभाव भी है। दूसरा प्राकृतिक आपदाएं बाढ़ और सुखाड़ भी प्रमुख कारण रहे हैं। सभी लोग इससे पूरी तरह से अवगत हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की खुशहाली के लिए रेलवे के माध्यम से भी कुछ करने की जरूरत है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा अनुरोध होगा कि आदरणीय रेल मंत्री जी बिहार से हैं और हम लोग बिहार के दुख-दर्द और परेशानियों तथा समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। जब हम लोग दिल्ली में आये हैं तो इसे हम लोग और ज्यादा झेलने, समझने और इसका निदान करने का प्रयास करते हैं। बिहार

के दलित लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, कमजोर वर्गों के लोग, चाहे वह ऊंची जाति के कमजोर लोग हैं, तमाम ऐसे लोग यहां अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं, मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि बिहार से बहुत सारे लोग यहां अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर का एक हार्ट अस्पताल, जहां भी सूटेबल जगह उपलब्ध हो, स्थापित कराने का काम करें। ताकि बिहार के गरीब लोगों को हजारों किलोमीटर दूर यहां आकर इतना पैसा खर्च करके परेशानी न झेलनी पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूं। माननीय मंत्री जी ने क्यूल-नवादा-गया लाइन के दोहरीकरण के कार्य को इस रेल बजट में शामिल किया है। इसलिए मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से तथा अपनी ओर से इन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हम भी आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री वीरचन्द्र पासवान: मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां पूरे हिन्दुस्तान के लोग, हर तबके के लोग इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं, वहीं पर कुछ बातें सुनकर हमारे जैसा व्यक्ति का और समाज का मन चिंतित और व्यथित होता है। आज कुछ लोग खादी तथा कुल्हड़ की चर्चा करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि खादी और कुल्हड़ इस देश की संस्कृति और संस्कार से जुड़े हुए हैं। यह देश की राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र को एक रखने में इनकी अहम भूमिका रही है। खादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है, कुल्हड़ ग्रामीण संस्कृति और रोजगार से जुड़ा हुआ है। यदि कोई इसका विरोध करता है तो वही व्यक्ति इसका विरोध कर सकता है, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की हो, उसे खादी और कुल्हड़ कभी पसंद नहीं आयेंगे। इसलिए मेरे लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। लेकिन आज जिस मुकाम पर हम लोग हैं, आज देश के सामने जो अहम समस्या है, उन्हें ध्यान में रखकर आज भी इन लोगों को बुद्धि आ जाए और पुरानी गलतियों के सबक लेकर भविष्य में आगे राष्ट्रीय भावनाओं के साथ राष्ट्र को एक रखने में, अक्षुण्ण रखने में समरस समाज की स्थापना करने के लिए तथा अपने आचरण में सुधार लाकर इस देश को मजबूत करने का काम करें, इस देश को अक्षुण्ण रखने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट की हृदय से प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आपकी मेडन स्पीच के लिए आपको मुबारकवाद।

*__श्री वीरचन्द्र पासवान:__ महोदय, भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी वर्ष 2004-05 का बजट सदन में प्रस्तुत किया है, जिससे समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र पर विशेष ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय भावना के अनुकूल काम करते हुए राष्ट्रीय भावना के अनुकूल काम करते हुए संतुलन बनाने का प्रयास किया है। यह पहला रेल बजट है, जिसमें समाज के बुनकर भाइयों से लेकर कुम्हार भाइयों तथा ग्रामीण उद्योग, सभी के लिए विशेष प्रावधान करने का प्रयास हुआ है।

रेल मंत्री जी ने सुरक्षा, संरक्षा, यात्री सुविधा, सफाई, खान-पान जैसे तमाम छोटी-छोटी सुविधाओं का विशेष ध्यान देने का काम किया है। पहली बार बेरोजगार, शहीदों की विधवाओं, मूक बधिर जैसे तमाम लोगों को विशेष रियायत देने का काम हुआ है। आधुनिक, तकनीक सूचना प्रौद्योगिक को रेल के विकास हेतु विशेष रूप से समाहित करने का काम हुआ है। रेल बजट अपने आप में ऐतिहासिक बजट है, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विशेष सम्मान एवं आदर देते हुए रेल में खादी, कुल्हड़, मट्ठा के प्रयोग पर बल दिया गया है। हालांकि भाजपा एवं उनके सहयोगी दल के सदस्यों ने इसका विरोध किया है। भाजपा का विरोध उनके विचार एवं संस्कार के अनुरूप है, क्योंकि गांधी की हत्या करने वाले की विचारधारा को मानने वाले साम्प्रदायिक लोग खादी एवं कुल्हड़ कैसे सहन कर सकते हैं।

मैं रेल बजट की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि यह सामाजिक न्याय के अनुरूप है। मेरी निम्न मांग है, हाजीपुर में रेलवे के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का हार्ट हास्पिटल खुले और हाजीपुर बाजार समिति परिसर में कम्प्युटराइज्ड आरक्षण केन्द्र स्थापित हो।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब अन्तिम वक्ता है श्रीमती करूणा शुक्ला।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004-2005 का रेल बजट जो इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका विरोध करती हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पांच बिन्दुओं की ओर आकर्षित करती हूं।

पहला बिन्दु है कि लंबी दूरी की जो रेल चलती हैं, उनमें महिलाओं के कोच के लिए अगर अलग व्यवस्था की जाएगी तो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

उससे महिलाओं पर जो अत्याचार अचानक हो जाते हैं, उनसे उनकी बचत होगी। इसलिए इसकी व्यवस्था की जाए। लोकल ट्रेनों में महिलाओं के लिए एक कोच की व्यवस्था होती है। कम से कम दो कोच की व्यवस्था उसमें की जाए। बहुत सी रेलों में केटरिंग की व्यवस्था नहीं है। इससे यात्रियों को भी असुविधा होती है। बहुत से शुगर के मरीज भी अचानक काल-कवलित हो जाते हैं। यदि केटरिंग की व्यवस्था सभी रेलों में होगी तो यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

आपने बेरोजगार नौजवानों को जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, इनके लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा का प्रावधान रखा है। मेरा आग्रह है कि ऐसी यात्रा का प्रावधान युवतियों के लिए भी रखें। आपने यह मैन्शन नहीं किया है कि जो बच्चे सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू देने जाएंगे, उनके लिए यह सुविधा है या प्राइवेट नौकरियों में इंटरव्यूज के लिए भी यह सुविधा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के साथ इस बजट में बहुत अन्याय हुआ है। बिलासपुर जो रेलवे का सबसे ज्यादा आय देने वाला जोन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। मेरा आग्रह है कि वहां रेलवे भर्ती बोर्ड की भी स्थापना की जाए।

मेरे क्षेत्र की तीन-चार बातें हैं जो मैं बिन्दुवार आपके सामने रख रही हूं। पहला-बिलासपुर-निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस जो अमृतसर तक चलती है, वह बिलासपुर से प्रारंभ होती है। उसको कोरबा से प्रारंभ किया जाए क्योंकि यह औद्योगिक नगरी है और भारत के सभी प्रांतों के लोग कोरबा में भी रहते हैं।

कोचीन एक्सप्रैस जो बिलासपुर से चलती है, उसको भी कोरबा से प्रारंभ किया जाए। तीसरा एक नैला स्टेशन है। उसमें जिले का नाम नहीं जोड़ा गया है। जांजगीर नाम उसमें जोड़ा जाए क्योंकि यात्री जब तक समझें कि नैला आ रहा है तब तक गाड़ी बढ़ जाती है। मैं बहुत देर से उधर के लोगों को धैर्यपूर्वक सुन रही थी और बात मैं इन पंक्तियों के साथ समाप्त करूंगी-

> ''रात काली इसलिए दिन में बुराई है, साफ है जल क्योंकि तट के पास काई है।
>
> यूं न इतराओ सफेदी देखकर अपनी, हर धुली चादर गुनाहों की कमाई है।''

***श्री प्रदीप गांधी** (राजनंदगांव): मान्यवर, रेल बजट जो वर्तमान में प्रस्तुत हुआ है। इस बजट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ आवश्यक सुझाव तथा वह काम जो जनहित में अति आवश्यक है, जिनका समावेश वर्तमान बजट में नहीं है, उन कार्यों को वर्तमान बजट या पूरक प्रस्ताव में शामिल कराना चाहता हूं।

छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवेश द्वार डोंगरागढ़, राजनंदगांव, दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल बिलासपुर जोन के अधीनस्थ हैं। ये स्टेशन मुम्बई-हावड़ा-मुम्बई मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है तथा राजनंदगांव डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर डिविजन नागपुर का अंतिम एवं जरूरी स्टेशन है। डोंगरगढ़ एवं राजनंदगांव के स्टेशनों को डी.आर.एम. रायपुर के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जाये।

राजनंद गांव को जिले का दर्जा वर्ष 1973 से प्राप्त है। राजनंदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दो जिले क्रमश: राजनंदगांव एवं कवर्धा तथा आठ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र आदिवासी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों का है। जिले की आबादी लगभग 20 लाख की है।

छत्तीसगढ़ नए राज्य का गठन 1 नवम्बर, 2000 को हुआ। जिसकी राजधानी रायपुर है। राजनंदगांव जिला रायपुर संभाग में आता है।

राजनंदगांव रेलवे स्टेशन

1. साप्ताहिक गाड़ी क्रमांक 1046/1045 भुवनेश्वर-कुर्ला-भुवनेश्वर, गाड़ी क्रमांक 2811/2812 कुर्ला-हटिया-कुर्ला एक्सप्रेस का स्टापेज दिया जाये।
2. सुपर डीलक्स गाड़ी क्रमांक 2101/2101 हावड़ा-मुम्बई-हावड़ा सप्ताह के चार दिन चलने वाली गाड़ी का स्टापेज दिया जाये।
3. गाड़ी क्रमांक 2441/2442 बिलासपुर-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का राजनंदगांव में स्टापेज दिया जाये।
4. गाड़ी क्रमांक 7383/7384 कोल्हापुर-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस का विस्तार दुर्ग तक किया जाये। यह ट्रेन गोंदिया स्टेशन पर 12 घंटे खड़ी रहती है गोंदिया-दुर्ग मात्र 137 कि.मी. है।
5. सारनाथ एक्सप्रेस गाड़ी क्रमांक 5159/5160 छपरा-दुर्ग-छपरा का विस्तार डोंगरगढ़/गोंदिया तक किया जाये।
6. 1 जुलाई, 2002 से टाटा-नागपुर-टाटानगर 321/322 पैसेंजर बंद कर उसकी जगह 375/376 रायपुर-नागपुर-रायपुर मेमू रेक चलाया जा रहा है। रायपुर-नागपुर के बीच 300 कि.मी. से अधिक की दूरी तय करने वाली यह गाड़ी 9 घंटे में अपना सफर पूरा करती है वह भी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बिना टायलेट की सुविधा के। देखा गया है कि महिलायें बिना संकोच के लघुशंका के लिये प्लेटफार्म पर ही बैठ जाती हैं। यह भारतीय संस्कृति, परम्परा के प्रतिकूल ही नहीं बल्कि सभ्य एवं मर्यादित समाज के मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। पुन: विचार कर जनहित में 375/376 रायपुर-नागपुर-रायपुर पैसेंजर को मेमू रेक के स्थान पर एयरब्रेक रेक से पूर्ववत समय पर चलाने हेतु आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने की कृपा करेंगे।

डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन

1. गाड़ी नं. 2409/2410 गोंडवाना एक्सप्रेस (महामाया) बिलासपुर-ह. निजामुद्दीन-बिलासपुर का स्टापेज दिया जाये। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन राजनंदगांव संसदीय क्षेत्र में आता है। जिसका महत्व मां बम्लेश्वरी मंदिर के कारण है। साल में दो बार चेत्र एवं क्वार नवरात्र पर्व के अवसर पर एक एक माह का मेला लगता है। यहां लाखों दर्शनार्थी आते हैं। सामान्य दिनों में भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। डोंगरगढ़ में हिन्दू, इसाइ, जैन, बौद्ध एवं भिन्न समुदाय के अलग-अलग धार्मिक स्थल हैं, जिसका अपना अलग-अलग महत्व है। इस तरह डोंगरगढ़ पवित्र स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। डोंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति में आता है।

2. डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में जो वर्तमान ओवर ब्रिज है वह यात्रियों की वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए काफी संकरा है, जो 45 साल पुराना है। समय तथा यात्रियों के दबाव को देखते हुए नए चौड़े ब्रिज की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अत: इसके नवनिर्माण के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे।

3. डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर छोटे रूप में टर्मिनल प्वाइंट एवं वाशिंग प्लेटफार्म (पिट एवं वाशिंग लाइन) का निर्माण किया जाये ताकि ट्रेनों का विस्तार एवं प्रारंभ डोंगरगढ़ तक हो सके।

अतएव आपसे सादर सविनय निवेदन है कि आप जैसे संवेदनशील और उदार व्यक्तित्व के धनी नेतृत्व जन आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए, उपर्युक्त रेल सुविधाओं की घोषणा करने की कृपा करेंगे, जिसके लिए मैं एवं मेरे संसदीय क्षेत्र की पूरी जनता आपके सदैव ऋणी रहेंगे।

दुर्ग से दरभंगा (बिहार) के लिए एक गाड़ी छत्तीसगढ़ से शीघ्र प्रारम्भ की जाये। बिहार के नागरिक जो काफी संख्या में छत्तीसगढ़ में रहते हैं उन्हें इसका लाभ मिल सके।

*श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन): अध्यक्ष महोदय, शासन क रेल बजट के भाषण से यह प्रतीत होता है कि यह बजट केवल खानापूर्ति करने एवं रस्म अदायगी करने के लिए लाया गया है। इस बजट से विशेषकर आदिवासी तथा दूरदराज के अति पिछड़े क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश का खरगौन, बड़वानी, धार तथा झाबुआ जिलों की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है।

आजादी के 57 सालों के बाद भी इन क्षेत्रों में आदिवासियों और निर्धन वर्ग के लोगों के लिए रेल एक सपना है। निमाड़ के इस अंचल में रेल सुविधायें पहुंचे, इसके लिए मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री महोदय पूर्व से स्वीकृत इन्दौर-दाहोद रेलवे लाइन के कार्य को भी स्वीकार करें, जिससे कि मध्य प्रदेश के खरगौन, बड़वानी, धार तथा झाबुआ जिलों में भी रेलवे लाइन पहुंच सके।

महोदय, रेल बजट पूर्णत: दिशाहीन, विकास की संभावनों को दमन करने वाला तथा समाज के सबसे गरीब आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोगों में घोर निराशा को बढ़ाने वाला है।

क्या देश की आजादी के 57 साल बीत जाने के बाद भी इन रेल मार्ग से अछूते क्षेत्रों को रेल की सुविधा दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिये। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 20 किलोमीटर की रेल लाइन है, वह भी अंग्रेजों ने अपनी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए डाली थी, जो मीटर गेज लाइन है। यह लाइन अजमेर से खण्डवा अमान परिवर्तन के कार्य में इन्दौर से खण्डवा तक के मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए, जिससे मुम्बई से दिल्ली तक के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा।

महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी तथा पिछड़े हुए लोगों के विकास की चर्चा तो आपने काफी की है पर आपके बजट भाषण में उनके उत्थान हेतु क्रियान्वयन किये जाने की कोई भी लक्षण उसमें दिखायी नहीं देते हैं।

महोदय, इसी के साथ आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक ज्योर्तिलिंग धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। देश भर से अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करने के बाद लोग ओमकारेश्वर ज्योर्तिलिंग के दर्शन हेतु ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पर आते हैं। इस स्टेशन पर कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्र खोले जाने से देश भर से आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि रेल बजट के अपने समापन भाषण में ओमकारेश्वर रोड पर कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्र

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री कृष्ण मुमारी मोघे]

की स्थापना की घोषणा करें एवं साथ ही रेलवे लाइन विहीन जिला केन्द्रों पर भी रेलवे आरक्षण की कम्प्यूटराइज केन्द्र जैसे खरगौन, बड़वानी, धार तथा झाबुआ जिला केन्द्रों पर खोले जाने की घोषणा करें।

[अनुवाद]

***श्री विजयेन्द्र पाल सिंह** (भीलवाड़ा): महोदय, मुझे रेल बजट 2004-2005 पर अपने विचार रखने के लिए यह सुअवसर मिला है और मैंने पाया है कि लोकप्रिय बजट होने के साथ-साथ रेलवे की प्रगति और उसके सोच के बारे में बहुत कम कहा गया है जिससे इसे सहस्राब्दी में ले जाया जा सकेगा।

पुरानी परियोजनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है लेकिन ऐसी पुरानी रेल लाइन दोहरीकरण अथवा आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किए गए हैं। ऐसी परियोजनाएं कई वर्षों से लटकी पड़ी है। यह बेहतर होगा यदि उनके लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाएं।

राजस्थान को विशेषकर अजमेर और चित्तौड़गढ़ के बीच आमान परिवर्तन के लिए समुचित निधियां भी आवंटित नहीं की गई है। राजस्थान की यह परियोजना हमें मध्य प्रदेश और मुम्बई के साथ दक्षिण के लिए भी नया मार्ग (रूट) प्रदान करेगी।

यह आमान परिवर्तन राजस्थान के उद्योगों और पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी नियत समय में अजमेर और चित्तौड़गढ़ के बीच इस आमान परिवर्तन के लिए हमें समयबद्ध आश्वासन देंगे और इसे 2005-2006 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: इस चर्चा के लिए आवंटित समय पूरा हो गया है। माननीय मंत्री जी कल उत्तर देंगे। माननीय सदस्य जो अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे कल उसे सभा पटल पर रखने के लिए लिखित वक्तव्य दे।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 14 जुलाई, 2004/23 आषाढ़, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्यों
1	2	3
1.	श्री उदय सिंह	101
2.	श्री पी.एस. गढ़वी	102
3.	श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक श्री कीर्तिवर्धन सिंह	103
4.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री रायापति सांबासिवा राव	104
5.	श्री निखिल कुमार चौधरी	105
6.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री तथागत सत्पथी	106
7.	श्री तथागत सत्पथी श्री राम कृपाल यादव	107
8.	डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य श्री भर्तृहरि महताब	108
9.	श्री अजय माकन	109
10.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान श्री खीरेन रिजीजू	110
	श्रीमती मिनाती सेन	111
11.	श्री अनन्त नायक श्री निखिल कुमार	112
12.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	113
13.	श्री शिवाजी अधलराव पाटील	114
14.	श्रीमती कृष्णा तीरथ	115
15.	श्री कैलाश बैठा	116
16.	श्री सुरेश चन्देल श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	117
17.	श्री सुशील कुमार मोदी	118

1	2	3
18.	श्री रामदास बंडु आठवले	119
19.	श्री एम. जगन्नाथ श्री अधीर चौधरी	120
20.	श्री बी. विनोद कुमार	121

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2
अहीर, श्री हंसराज जी.	851
अजय कुमार, श्री एस.	890, 817
आठवले, श्री रामदास बंडु	896
आदित्यनाथ, योगी	926
'बचदा', श्री बची सिंह रावत	815, 895
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	855
बुधौलिया, श्री राजनरायन	915
चक्रवर्ती, श्री अजय	837, 899, 928, 941, 947
चालिहा, श्री किरिप	847, 905, 930
चन्देल, श्री सुरेश	893
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	915
चौधरी, श्री निखिल कुमार	885, 914, 933, 942
चौहान, श्री शिवराज सिंह	842, 878, 889, 921, 938
चौधरी, श्री पंकज	863, 867, 897
चौधरी, श्री अधीर	835, 879, 910, 925
डेलकर, श्री मोहन एस.	838
देवरा, श्री मिलिन्द	831, 865, 875
देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	915
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	860
गढ़वी, श्री पी.एस.	882
गांधी, श्री प्रदीप	826, 858
जगन्नाथ, डा. एम.	841, 845
झा, श्री रघुनाथ	814, 907, 932
कामत, श्री गुरुदास	859, 897, 904
कनोडीया, श्री महेश	841
कोन्यक, श्री डब्ल्यू वांग्यू	830
कोया, डा. पी.पी.	846
कृष्ण, श्री विजय	883, 912
कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	881
'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	839
महाजन, श्री वाई.जी.	813, 872, 922, 937
महताब, श्री भर्तृहरि	888, 920
माझी, श्री परसुराम	844, 854, 903
माकन, श्री अजय	912
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	883, 912
माने, श्रीमती निवेदिता	883, 912
मरांडी, श्री बाबू लाल	840
मेघवाल, श्री कैलाश	832, 836, 887, 911, 917
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	850
मोदी, श्री सुशील कुमार	915
मूर्ति, श्री ए.के.	822
मुर्मू, श्री रूपचन्द	825
नायक, श्री अनंत	873, 918, 936
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	823
नीतीश कुमार, श्री	853
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	816, 863, 876
पाण्डा, श्री प्रबोध	884, 913
परस्ते, श्री दलपत सिंह	820, 870, 908, 931, 944

1	2
पासवान, श्री सुकदेव	863
पटेल, श्री दिन्शा	864
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	864, 865
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	891
प्रसाद श्री हरिकेवल	848, 849
पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	834
राजेन्द्रन, श्री पी.	829, 874
रंजन, श्रीमती रंजीत	828
राव, श्री के.एस.	836, 857, 878, 911
राव, श्री रायापति सांबासिवा	894, 924, 939, 945
रावत, श्री अशोक कुमार	833
रेड्डी, श्री मधुसूदन	862, 906
रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	852, 899, 901
रिजीजू, श्री खीरेन	868
सत्पथी, श्री तथागत	880, 915, 934
सेन, श्रीमती मिनाती	818
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	848, 900
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	885, 942, 948
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम	886, 916, 935, 943
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	869, 919
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	843
सिंह, श्री दुश्यंत	866, 927, 949
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	883, 912
सिंह, श्री मोहन	856
सिंह, श्री प्रभुनाथ	821, 871, 909, 940, 946
सुमन, श्री रामजीलाल	839, 853
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	824, 845, 887
थामस, श्री पी.सी.	827
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	922, 937
वीरेन्द्र कुमार, श्री	844, 892, 923
विनोद कुमार, श्री बी.	898, 926
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	861, 902, 929
वर्मा, श्रीमती ऊषा	845
यादव, श्री राम कृपाल	900
येरननायडू, श्री किन्जरपु	819, 845, 877

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

मंत्रालय का नाम		प्रश्न संख्या
1		2
रसायन और उर्वरक	:	104, 120
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	103
गृह	:	111, 113, 115, 116
मानव संसाधन विकास	:	105, 106, 108, 114, 118, 119, 121
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	110
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	101, 109, 117
इस्पात	:	112
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	102
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	107

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

मंत्रालय का नाम		प्रश्न संख्या
1		2
रसायन और उर्वरक	:	820, 831, 835, 837, 839, 847, 849, 859, 865, 878, 883, 899, 901, 939
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास	:	830
गृह	:	813, 819, 821, 822, 832, 838, 846, 861, 862, 863, 875, 877, 879, 885, 887, 902, 906, 908, 909, 914, 917, 921, 926, 928, 929, 931, 937, 938, 940
मानव संसाधन विकास	:	816, 823, 826, 829, 844, 853, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 876, 881, 886, 889, 890, 894, 895, 897, 903, 905, 911, 913, 916, 919, 923, 930, 933, 934, 935, 941, 943, 944, 947
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	827, 828, 858, 864, 892, 896, 898
संसदीय कार्य	:	
विद्युत	:	824, 825, 840, 843, 845, 852, 854, 860, 884, 893, 912, 922, 927, 949
इस्पात	:	817, 818, 833, 834, 836, 841, 855, 873, 880, 915, 920, 924, 936, 942
जनजातीय कार्य	:	842, 851, 882, 918
शहरी विकास	:	814, 815, 848, 850, 856, 857, 866, 871, 900, 904, 907, 910, 925, 932, 946, 948
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	888, 891, 945

पी.एल.एस.–48.2.7/2004 (एन०)
280

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।